सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

६८

(१५ अक्टूबर, १९३८ से २८ फरवरी, १९३९)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमे १५ अक्टूबर, १९३८ से २८ फरवरी, १९३९ तककी सामग्रीका समावेश है। जिन दिनोकी सामग्रीसे खण्डकी शुरुआत होती है, उन दिनों गांधीजी उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमे थे। वहाँ गाधीजी ६ अक्टूबरको गये थे और अब्दुल गफ्फार खाँके अतिथिके रूपमे ९ नवम्बर तक रहे। यह प्रवास गाधीजीको सुखद प्रतीत हुआ, क्योकि उस जगहकी आवहवा बहुत अच्छी थी और वर्णनातीत शान्तिका वातावरण था (पृ० २४)। उस प्रान्तमे वे बहुत ज्यादा घूमे-फिरे और इस दौरान खुदाई खिदमतगारो तथा स्थानीय लोगोसे मिले-जुले तथा उनके साथ बातचीत की। सीमा पारसे वजीरी कबायलियो द्वारा हिन्दुओपर नित हमले किये जा रहे थे, इसलिए गाधीजी ने यह स्वीकार किया कि हिन्दुओको आत्मरक्षाका पूरा अधिकार है। उन्होने कहा "आपको अपने बीच सहयोगकी भावना पैदा करनी चाहिए। कायरता का आचरण तो आप किसी भी हालतमें न करे। . मैं भारतमे एक भी कायर आदमी नही देखना चाहता।" लेकिन उन्होने अहिंसाके मार्ग — अर्थात् एकपक्षीय प्यारके सक्रिय व्यवहार — के रूपमे आत्मरक्षाका एक बेहतर विकल्प सुझाया। "आप व्यापारी जातिके लोग है। अपने व्यापारमे से आप ससारकी सर्वोच्च और सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु — अर्थात् प्रेम — को अलग न करे। आप कबायली लोगो पर जितना प्रेम बरसा सके, बरसाये। फिर आप देखिएगा कि बदलेमे आपको भी वैसा ही प्रेम मिल रहा है" (पृ० ६३)। यद्यपि डॉ० खान साहबके नेतृत्वमे बने काग्रेसी मन्त्रिमण्डलका पुलिसपर कोई प्रभावकारी नियन्त्रण नही था, सेनापर तो बिलकुल ही नही था, फिर भी उन्हे आशा थी कि वे एक ऐसी योजना तैयार कर देंगे जिसके अन्तर्गत खुदाई खिदमतगार अपनी अहिंसाकी "खुशबू" से कबायलियो तकको प्रभावित कर लेंगे और शायद उसीमे से सरहदके सवालका कोई स्थायी हल निकल आयेगा।

खुदाई खिदमतगारोके साथ बातचीतमे उन्होंने अहिंसा और सेवापर बल दिया। "सकल्प-शक्तिके धनी और अपने उद्देश्यकी सचाईमे अपरिमित श्रद्धा रखनेवाले उत्साही लोगोंका एक छोटा-सा दल भी इतिहासकी धाराको बदल सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है और यदि खुदाई खिदमतगारोकी अहिंसा केवल बाहरी चमक-दमकवाली चीज नही, बल्कि कुन्दनके समान शुद्ध और सच्ची है तो ऐसा फिर हो सकता है" (पृ० ९०)। ईश्वरके सच्चे सेवक बननेके लिए खुदाई खिदमतगारोंको अहिंसामे जीवन्त आस्था रखनी होगी, क्योकि "हम जिस हद तक अहिंसाको अपना लेंगे उस हद तक हम ईश्वर जैसे होंगे। . अहिंसाका असर रेडियम-जैसा है। . सच्ची अहिंसाका छोटा-सा अंश भी चुपचाप, सूक्ष्म और अदृश्य रूपसे

अपना काम करके समूचे समाजका रूपान्तर कर देता है" (पृ० ३२)। खुदाई खिदमतगार ईश्वरकी सेवा किस भाँति कर सकते हैं? गांधीजीने कहा कि ईश्वरकी सेवा ईश्वरके बन्दोकी सेवाके जरिये ही हो सकती है। "बेरोजगार लोगोको रोजगार मुहैया करना, रोगियोकी सेवा-शुश्रूषा करना, लोगोकी गन्दगीकी आदतोको छुड़वाकर सफाई-स्वच्छतासे रहनेकी शिक्षा देना खुदाई खिदमतगारका काम होना चाहिए" (पृ० ४६)। "कारण, ईश्वरको तो व्यक्तिगत सेवाकी न कोई जरूरत है और न वह किसीसे ऐसी सेवा लेता है। वह अपनी सृष्टिके प्राणियोकी सेवा तो करता है, लेकिन बदलेमे उनसे अपने लिए कोई सेवा नही लेता। . . इसलिए जो खुदाका खिदमतगार है वह उसकी सृष्टिके प्राणियोकी सेवा करके ही अपनेको उसका खिदमतगार साबित कर सकता है" (पृ० १३०)।

लेकिन जहाँ गाधीजीने खुदाई खिदमतगारो और आम लोगोको अहिंसासे प्राप्य शक्तिको अपनेमे विकसित करने तथा उसीके सहारे हमलोके खतरेका मुकाबला करनेकी प्रेरणा दी, वहाँ लगातार हो रहे हमलोके लिए उन्होने ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई नीतिको पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा . "ये हमले होते रहते है, यह बात मेरी दृष्टिमे भारतके इस हिस्सेमे ब्रिटिश शासनकी विफलताकी द्योतक है। उसकी सीमा-नीतिके कारण देशके हजारो लोगोको प्राण गँवाने पडे है और भारतको करोडो रुपयेका नुकसान हुआ है . . . प्रान्तके अधिकांश हिस्सोमे जान-माल सुरक्षित नही है" (पृ० ६१-२)।

इस खण्डमे यह भी देखनेको मिलता है कि उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए देशी राज्योकी जनता द्वारा किया जा रहा सघर्ष किस कदर जोर पकड़ रहा था। गांधीजीकी रायमे इस जागृतिको लानेमे सबसे बड़ा हाथ समयकी माँगका था न कि कांग्रेसके प्रभावका, इसलिए उन्होने राजा-महाराजाओ तथा उनके सलाहकारोसे कहा कि वे जनताकी माँगको उचित मान ले। उन्होने आगे कहा: "दो ही रास्ते हैं। या तो रियासतोके अस्तित्वका ही अन्त हो जाये और या फिर राजा-महाराजा जनताको ही शासन व्यवस्थाकी जिम्मेदारी सौप दे और स्वयं जनताकी ओरसे न्यासी बनकर शासन चलाये और इसके लिए मुनासिब मेहनताना कमाये . . और यदि राजा-महाराजा यह विश्वास रखे कि जनताके कल्याणमे उनका अपना कल्याण भी है, तो वे कृतज्ञभावसे कांग्रेसकी सहायता माँगेगे और स्वीकारेगे" (पृ० १६८-७०)। उन्होंने राजाओको यह भी स्मरण दिलाया कि "अगर वे सच्चे हैं और उनकी प्रजा वस्तुत: उनके साथ है, तो उन्हे रेजिडेंटोसे डरनेकी कोई जरूरत नही है। निस्सन्देह उन्हे यह महसूस करना चाहिए कि सर्वोच्च सत्ता न तो शिमलामें है, न व्हाइट हॉलमे, उसका निवास तो उनकी प्रजामे ही है" (पृ० ३०३)।

त्रावणकोर, राजकोट, जयपुर, हैदराबाद तथा उड़ीसाकी कुछ रियासतोमे जन-जागृतिकी यह लहर विशेष रूपसे सक्रिय थी। अपनी प्रजामे व्याप्त जागृतिका स्वागत करने तथा राज्यके शासनमे उसे हाथ बँटानेके लिए कहनेके बजाय, राजाओने हर जगह उसे कुचलनेका प्रयास किया। और तो और, सर्वोपरि सरकारकी ओरसे उन्हें

ऐसा करनेका वढावा भी दिया गया। इसलिए अग्रेज पोलिटिकल एजेटकी हत्याके वाद गाधीजीने अनुभव किया कि उडीसाकी एक छोटी-सी रियासत, रणपुरमें "भयानक वीरानी" छा गई है। उन्होने आगे वताया "निर्दोष और दोषी सभी भाग-भागकर इधर-उधर छिप रहे है। दमनसे वचनेके लिए वे घर-वार छोड-छोडकर गाँवोंको वीरान करते जा रहे है। . . . किसी-न-किसी रूपमे वहाँ आतक फैलाया जा रहा है, और सारे हिन्दुस्तानको लाचार होकर यह सव देखना पड रहा है" (पृ० ३३४)।

लीम्वडी, राजकोट, ढेकनाल एकके वाद दूसरे राज्यमे "सर्वोपरि सरकार द्वारा भेजी गई पुलिसकी छत्रच्छायामे" राज्यके लठैतो द्वारा अमानवीय क्रूरताके वरतावकी कहानी दुहराई गई (पृ० १६९)। यहाँ तक कि एक अवसर पर पुलिसने गोली भी चलाई जिसमे अनेक लोग मारे गये। तलचरकी कुल ७५,००० की आवादीमे से कमसे-कम २६,००० लोगोको तलचर छोडना पडा और व्रिटिश उडीसामे शरण लेनी पडी।

राजकोटमें उत्तरदायी सरकारके लिए चल रहे आन्दोलनका मार्गदर्शन वल्लभभाई पटेल कर रहे थे। वहाँ पर ठाकुर साहवके साथ एक समझौता हुआ था जिसे ठाकुर साहवने भग कर दिया। लोगोको कैद करना, जेलमे कैदियोका सताया जाना तथा रीजेन्सी पुलिसकी "सुसगठित गुण्डागर्दी" (पृ० ४०५) यह सव राजकोटमें चलता रहा। कस्तूरवाको यह व्यक्तिगत आह्वान-सा लगा और वह सत्याग्रहमे शरीक हो गईं। गाधीजीने लिखा कि जिस सत्याग्रहमे इतने तमाम विश्वसनीय साथी कार्यकर्ताओ ने भाग लिया हो, उससे कस्तूरवा कोई ताल्लुक न रखे, यह कैसे हो सकता था? "सत्याग्रहकी लडाई एक ऐसी लडाई है, जिसमे अगर दिल मजवूत हो तो, वृद्ध-से-वृद्ध और कमजोरसे-कमजोर शरीरवाला भी हिस्सा ले सकता है" (पृ० ४२८)। दमन-चक्र पूर्ववत् चलता रहा, अतएव "शान्तिके सदेशवाहकके रूपमे" राजकोट जाना स्वय गाधीजीको आवश्यक लगा। गाधीजी यह उम्मीद कर रहे थे कि "कोई सम्मानजनक समझौता हो जायेगा" (पृ० ५१८)। परन्तु शीघ्र ही उनकी यह आशा दुराशा मात्र ही सावित हुई। यही पर इस खण्डकी समाप्ति होती है।

त्रावणकोरमे व्यवस्थित रूपसे तथा वेरहमीके साथ दमन हुआ। वहाँपर वडे पैमानेपर गिरफ्तारियाँ हुई, अन्धाधुन्ध गोलियाँ चली, लोगोकी सम्पत्ति जव्त की गई तथा समाचारपत्रो पर प्रतिवन्ध लगाया गया। गाधीजीने राज्यके काग्रेसी नेताओको सलाह दी कि वे उत्तरदायी सरकारकी माँग पर ही अपना सारा ध्यान लगाये। इस पर वहाँके ईसाइयोने उनपर यह आरोप लगाया कि वे हिन्दू दीवानके साथ पक्षपात कर रहे हैं। गाधीजीने कहा "मेरा अन्त करण विलकुल साफ है। . . उत्तरदायी सरकारके लिए चल रहे सघर्षको दीवानके खिलाफ आरोपोंसे जोडा जाये, मै इस वातके विरुद्ध रहा हूँ। यदि उनका जोर उत्तरदायी सरकार पर है, तो इन आरोपोको लेकर कोई कार्रवाई करनेका कोई अर्थ नही है। इससे देशका ध्यान वँटेगा . . ." (पृ० ३१८)। इस खण्डकी पूर्वोक्त अवधि तक गाधीजीके सुझावपर इस राज्यमे

सत्याग्रह बन्द रहा। जयपुरमें प्रजामण्डल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। गांधीजी ने वाइसरायको लिखा: "क्या कोई रियासत भाषण, सभाओं और इसी तरहकी अन्य स्वतन्त्रताओंका दमन् कर सकती है, और इसके बावजूद वह सर्वोपरि सरकारसे यह अपेक्षा रख सकती है कि यदि उसकी प्रजा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताके लिए, जिसका कि किसी भी अच्छे समाजमे हर मानवप्राणीको अधिकार होता है, अहिंसात्मक संघर्ष करे तो उसके दमनमे वह उसकी सहायता करेगी?" (पृ० ३६६)।

जहाँ आम तौरपर सभी रियासतोंमे जनआन्दोलन दबाया जा रहा था, वहाँ कुछ प्रवुद्ध नरेश ऐसे भी थे जो प्रजाकी न्यायसंगत आकांक्षाओंको माननेसे पीछे नही हटे। रामदुर्ग, जामखंडी, मीरज तथा औंधके लोगोंको अपने-अपने नरेशोसे अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुईं। इन रियासतोमे गांधीजीने प्रजाके संगठनोंसे अपनी माँगे रखते समय संयमसे काम लेनेको कहा। मताधिकारके लिए औंधके संविधानमे प्रस्तावित अक्षरज्ञानकी योग्यता पर टिप्पणी करते हुए गांधीजीने कहा कि मत एक खास अधिकार माना जाना चाहिए और इस कारण उसके लिए कुछ योग्यता भी आवश्यक समझी जानी चाहिए और मताधिकारकी इस शर्तसे अक्षर ज्ञानके प्रसारमे मदद भी मिलेगी (पृ० ३२३)। जब यह खबर लगी कि रामदुर्ग प्रजा संघकी ओरसे "राजाको आतंकित करके और ज्यादा छूट देनेके लिए विवश" (पृ० ५०६) करनेका प्रयास किया जा रहा है तो गांधीजीने इसका समर्थन नही किया। उन्होंने कहा: "यह हो सकता है कि उसकी माँग अपने-आपमे ठीक हो। परन्तु . . . वे अपनी माँगको हुल्लड़बाजीसे और डरा-धमकाकर नही लाद सकते। कर्नाटकके प्रतिनिधि कांग्रेसजनोंको चाहिए कि रामदुर्गके राजाका साथ दे और उनका प्रयत्न होना चाहिए कि वहाँके लोग समझौतेका पालन करे. भले ही इस कोशिशमे लोगोंके साथ उनका संघर्ष हो और उसमे उनकी जान ही क्यों न चली जाये" (पृ० ५०८)।

इस अवधिमे कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रोंमे संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया था। हड़ताल, तालाबन्दी, किसानोंका कूच और प्रदर्शन, यह सब आम बात हो गई थी। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि इन आन्दोलनोंका नेतृत्व भी प्रायः कांग्रेसजन ही कर रहे थे। हिंसाका वातावरण तैयार हो गया था। गांधीजीने लिखा: "... बिहारके मंत्रियोको किसानोंके विद्रोह तथा प्रदर्शनका सदा भय बना रहता है। अभी दो दिन पहलेकी बात है जब खानदेशसे एक सुप्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताके नेतृत्वमे कलेक्टरके बंगलेपर किसानोंके प्रस्तावित कूचकी तार द्वारा खबर मिली थी" (पृ० ३५६)। इसमें गांधीजीको आन्तरिक ह्रास होता दीख पड़ा और उन्होंने चेतावनी दी: "इस समय कांग्रेसकी जो हालत है उसमे मुझे देशके अन्दर अराजकता और सर्वनाश फैलनेके सिवा और कुछ होता नजर नहीं आता। क्या त्रिपुरीमें हम इस कठोर सत्यका सामना करेंगे?" (पृ० ३५७)

लेकिन गांधीजी जैसा चाहते थे. बिलकुल वैसा हुआ नहीं, और सुभाष बोसके अध्यक्ष चुने जानेके बाद कांग्रेसका नेतृत्व ऐसे लोगोंके हाथमे आ गया जो पूरी तरह से "उन सिद्धान्तों और उस नीतिको स्वीकार" नही करते थे जिनका कि गांधीजी

प्रतिपादन करते थे। गाधीजी इस हारसे "खुश" थे और उन्होने "अल्पसंख्यक" वर्गको कांग्रेसके वास्तविक कार्यमे लग जानेको कहा। वह कार्य था रचनात्मक कार्य-क्रम जिसके मूलमे थी खादी। जवाहरलाल नेहरूने खादीको हमारी "आजादीकी वर्दी" कहा था और गाधीजीने कहा "मेरे लिए तो खादी पहनना आजादीका बाना धारण करना है। . . . स्वतन्त्रता किसी भी कीमतपर महँगी नही है। वह तो जीवन का प्राण है। अपनी जिन्दगीके लिए कोई कौन-सा खर्च करनेको तैयार न होगा?" खादी उन लाखों आदमियोको "सम्मानपूर्ण धन्धा" भी देती है जो सालके लगभग चार महीने वेकार रहते है। " लाखो आदमी अगर मजबूरन बेकार रहे तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे वे जरूर मुर्दा बन जायेगे" (पृ० १९२-३)। पुन उन्होने कहा "जो भूखे और वेकार हैं उन्हे भगवान केवल एक ही विभूतिके रूपमे दर्शन देनेकी हिम्मत कर सकते हैं, यह विभुति है काम और अन्न के रूपमे वेतनका आश्वासन" (पृ० ४९६)। रचनात्मक कार्यक्रम एक स्थायी मूल्यका साधन था, जबकि सविनय अवज्ञाकी अपनी मर्यादाएँ थी और ". अवसरकी माँग पर उसे स्थगित करनेकी जरूरत" (पृ० २२२) पड सकती थी। रचनात्मक कार्य स्वराज्य आन्दोलनका "स्थायी पहलू" था, सविनय अवज्ञा प्रतिकारात्मक पहलू था और इसीलिए स्वभावत· अस्थायी था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जानेसे रचनात्मक कार्यका महत्व दुगुना हो गया (पृ० २६९)।

ईसाई मिशनरियोको आश्वस्त करते हुए उन्होने राय व्यक्त की कि अहिंसा किसी भी रूपमे निष्क्रिय नही है, वह तो वास्तवमे "विश्वकी सवसे सक्रिय शक्ति है" (पृ० २२३)। पुन उन्होने लॉर्ड लोथियनसे कहा· "जब तक अहिंसाको खाली नीतिके बजाय एक जीवित शक्ति, एक अलघ्य सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार नही किया जायेगा . . वैधानिक या लोकतन्त्रीय शासन एक दूरका स्वप्न ही रहेगा" (पृ० ४३१-२)।

चीनमे जापान द्वारा की जा रही लूटखसोट और जर्मनीमे यहूदियोपर किये जा रहे अत्याचारपर भी गाधीजी चिन्ता व्यक्त करते रहे। लेकिन, यहूदियोके प्रति प्रशंसाका भाव तथा सहानुभूति रखते हुए भी, गाधीजी न्यायके तकाजेकी ओरसे अपनी "आँखे वन्द" नही कर सके। उन्होने कहा "यहूदियोके लिए एक अलग देशकी माँग मुझे कोई खास नही जँचती। . . . ससारकी अन्य अनेक जातियोकी तरह वे भी उसी देशको अपना देश और अपना घर क्यों नही बना लेते जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ वे जीविकोपार्जन करते हैं? . . . फिलिस्तीन अरबोका है— ठीक उसी तरह जिस तरह इग्लैड अग्रेजोका और फ्रास फ्रासीसियोका है। यहूदियोको अरबोके सिर थोपना गलत और अमानवीय कार्य है। . . . यहूदियोके वतनके रूपमे फिलिस्तीन उन्हे पूर्णत या अशत· वापस मिल जाये, इसके लिए स्वाभिमानी अरबोंको तबाह करना निश्चय ही मानवताके विरुद्ध अपराध होगा" (पृ० १५३)

नाजी अत्याचारका मुकाबला करनेके लिए उन्होने यहूदियोको अहिंसाका सहारा लेनेकी सलाह दी। उन्होने कहा "मेरा निश्चित विश्वास है कि यदि उनमे से कोई

साहसी और सही दृष्टिवाला आदमी उन्हें अहिंसक संघर्षमें नेतृत्व प्रदान करनेके लिए आगे आ जाये तो उनकी निराशाके शिशिरको क्षण-भरमें आशाके वसन्तमें परिवर्तित किया जा सकता है" (पृ० १५६)। अहिंसक लोग भय नहीं जानते और तानाशाहके आगे न तो झुकेंगे, न उसके सामने नाक रगड़ेंगे और न ही उसके प्रति अपने मनमें कोई दुर्भाव रखेंगे; उनको तो उसपर दया आयेगी (पृ० २७८)। जो आलोचक यह दलील दे रहे थे कि ऐसी अहिंसा सिर्फ थोड़े-से अत्यन्त विकसित व्यक्तियोंके लिए ही साध्य है, उनको गांधीजीने जवाब देते हुए कहा: "उपयुक्त प्रशिक्षण और नेतृत्व मिलनेपर सर्वसाधारण भी अहिंसाका पालन कर सकते हैं" (पृ० २१२)। इसी तरह उन्होंने चीनवासियोंको सुझाव दिया कि यद्यपि उन्हें जापानियोंके आक्रमणका सामना करना चाहिए, तथापि आक्रमणकारियोंसे घृणा करनेकी बजाय प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा: "इतना ही काफी नहीं है कि उनके गुणोंका स्मरण करके उन्हें प्यार किया जाये" (पृ० २९७)। गांधीजीको विश्वास हो गया था कि विश्वकी समस्याओंका समाधान सिर्फ प्रेम और अहिंसाके द्वारा ही हो सकता है। यह "हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवनका नियम है" (पृ० ४३१)। गांधीजीने समझ लिया कि अभी तो हिंसा का ही सर्वत्र बोलबाला है। लेकिन इससे वे हतोत्साह नहीं थे, क्योंकि "अन्धकार जितना ही अभेद्य होता है", उनका विश्वास उतना ही प्रखर होता है (पृ० ४३२)।

गांधीजीको यकीन था कि अहिंसाकी राह विश्व केवल तभी अपनायेगा जब भारत इस गुणका ठीक विकास कर लेगा, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रतासे यह समझा कि उनकी इस आशाकी पूर्तिके मार्गमें शायद खुद उनकी अपनी अशुद्धि ही मुख्य बाधा है। उन्होंने एक पत्रमें लिखा: "जैसा कि मुझे लगता है, मेरे शब्द अपनी शक्ति खो बैठे हैं . . .। फिर भी मैं श्रद्धापूर्वक आगे बढ़नेकी कोशिश कर रहा हूँ। अपने विचार, शब्द और कर्मके परिणामोंके प्रति मुझे अनासक्ति प्राप्त करनी है। सतत प्रयत्नके बावजूद मैं अपनी अशुद्धिसे छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। परन्तु, इसी कारण, मैं कैसा हूँ, इसके बारेमें मैं अन्तिम रूपसे कोई निर्णय करने नहीं जा रहा हूँ और न अपनी प्रवृत्तियोंका त्याग ही करने जा रहा हूँ" (पृ० ५४-५)। "शुकदेवजीकी-सी स्थितिपर पहुँचनेकी" उनमें बड़ी ललक थी (पृ० २७६)। अशुद्धिसे छुटकारा पानेका उनका मार्ग, मौन और प्रार्थनाका मार्ग था। इसका वे अधिक-से-अधिक सहारा लेने लगे। उन्होंने एक ईसाई मिशनरीको बताया: "आजकल शामको प्रतिदिन प्रार्थनाके समय मैं मौन धारण कर लेता हूँ और दो बजे मिलने आनेवालोंके लिए उसे तोड़ता हूँ। . . . यह अब मेरे लिए शारीरिक और आत्मिक दोनों कारणोंसे आवश्यक हो गया है" (पृ० १९१)।

मशीन द्वारा बड़े पैमानेपर उत्पादनके सम्बन्धमें उनकी जो राय थी, वह भी उन्होंने स्पष्ट की। यह पूछे जानेपर कि क्या वे बड़े पैमानेके उत्पादनके खिलाफ हैं, उन्होंने कहा: "मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह विश्वास तो उन गलतफहमियों

पर ही आधारित है जो उनके बारेमें फैली हुई है। . . मैं तो उन चीजोंके बडे पैमाने पर उत्पादनके खिलाफ हूँ जिन्हे गाँववाले बिना किसी कठिनाईके पैदा कर सकते है" (पृ० २८४)। इसी तरह "शहरोका काम तो यह है कि गाँवोमे जो-कुछ पैदा हो, उसका वे उपयुक्त रूपमे वितरण करे" (पृ० २८५)।

प्रार्थनाके बारेमे उन्होने कहा "प्रार्थना स्रष्टाके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी तीव्र आकाक्षा है। यह प्रयत्न बुद्धिके धरातलपर नही, हृदयके धरातलपर किया जाता है" (पृ० १११)। आध्यात्मिक क्षेत्रमे अपनी उपलब्धिके बारेमे गाधीजीकी धारणा बहुत ही विनम्र थी (पृ० ४४)। अपने एक प्रशसकको एक पत्रमे उन्होने लिखा: "मैं साधक हूँ, वे (रमण महर्षि और श्री अरविन्द) सिद्ध माने जाते है। शायद है भी।" वस्तुत उन्होने दावा किया कि जिसका ईश्वर मार्गदर्शन करता है उसे न तो कुछ सोचना चाहिए और न उसके लिए सोचना जरूरी ही है। वास्तवमे तो वह कुछ सोच ही नही सकता (पृ० ५१३)। इस विचार-शून्य स्थितिपर टिप्पणी करते हुए (पृ० ५४३) रमण महर्षि अन्तमे कहते है "गाधीजीका सत्य केवल अह है।" ईश्वर न तो हमारे विचारमे प्रकट होता है, न वाणीमे, वह हमारे सामने न तो सशरीर प्रकट होता है और न वह दिव्य-दर्शन ही देता है। वह तो, हम जो कार्य करते है, उसीमे प्रकट होता है। गाधीजीके इस विश्वासकी स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन मॉटके साथ हुई उनकी बातचीतके दौरान हुई (पृ० १९०)। मैरित्सबर्ग रेलवे-स्टेशन पर हुए अपने रचनात्मक अनुभवकी चर्चा करते हुए गाधीजीने बताया "मैने यह अनुभव किया है और मै विश्वास करता हूँ कि ईश्वर आपके आगे सशरीर कभी प्रकट नही होता। वह तो उस कार्यमे प्रकट होता है जो गहनतम अन्धकारमे भी आपकी मुक्तिका कारण हो सकता है।"

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं, व्यक्तियों, पुस्तकोंके प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओंके आभारी हैं

संस्थाएँ : गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय, अहमदाबाद और आन्ध्र प्रदेश सरकार।

व्यक्ति : श्री आनन्द तो० हिंगोरानी, इलाहाबाद, श्रीमती एफ० मेरी बार, कोट्टागिरी, श्री एम० आर० मसानी, बम्बई, श्री कान्तिलाल गांधी, बम्बई; श्री गुलाम रसूल कुरैशी, अहमदाबाद, श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता, श्री जयरामदास दौलतराम, नई दिल्ली, श्री डाह्याभाई म० पटेल, अहमदाबाद; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री पुरुषोत्तम के० जेराजाणी, बम्बई, श्रीमती प्रेमाबहन कंटक, सासवड, श्रीमती मनुबहन सु० मशरूवाला, बम्बई, श्रीमती मीराबहन, आस्ट्रिया, श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई, श्रीमती विजयाबहन एम० पंचोली, सणोसरा; श्री शान्तिकुमार न० मोरारजी, बम्बई, श्रीमती शारदाबहन गो० चोखावाला, सूरत, श्री सतीश द० कालेलकर, अहमदाबाद, सरदार पृथ्वीसिंह, लालरू, पंजाब और श्री सुरेशसिंह।

पुस्तकें : 'इंसिडेन्ट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ', 'ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस', 'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'टॉक्स विद श्री रमण महर्षि', 'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो – ४ मणिबहेन पटेलने', 'बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने', 'बापुना बाने पत्रो', 'बापुनी प्रसादी', 'बापूकी छायामें मेरी जीवनके सोलह वर्ष' १९३२–१९४८, (द) ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स', 'मध्यप्रदेश और गांधीजी', और 'महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', खण्ड ६।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' (फरवरी, १९३८ से जनवरी, १९३९), 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'सर्वोदय', 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओंके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके अनुसन्धान तथा सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकल रूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, उनका हमने मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमे सशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अश सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नही है, विना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये है। भाषणो और भट की रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधीजीके नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमें ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशन की है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका, 'एम० एम० यू०' मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोका; 'एस० जी०' सेवाग्राममे सुरक्षित सामग्रीके फोटोस्टेटोका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाड्मय (क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट भी दिये गये है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई है।

विषय-सूची

भूमिका पाँच
आभार तेरह
पाठकोंको सूचना पन्द्रह
१ पुर्जा महादेव देसाईको (१५-१०-१९३८ के पूर्व) १
२ बातचीत खुदाई खिदमतगारोंके साथ—१ (१५-१०-१९३८ या उसके पूर्व) १
३ बातचीत खुदाई खिदमतगारोंके साथ—२ (१५-१०-१९३८ या उसके पूर्व) ३
४ बातचीत अब्दुल गफ्फार खाँके साथ (१५-१०-१९३८ या उसके पूर्व) ५
५ पत्र महादेव देसाईको (१५-१०-१९३८) ६
६ पत्र मीराबहनको (१५-१०-१९३८) ७
७ पत्र महादेव देसाईको (१५-१०-१९३८) ७
८. पत्र कस्तूरबा गांधीको (१५-१०-१९३८) ९
९ पत्र अमृतलाल टी० नानावटीको (१५-१०-१९३८) ९
१० पत्र विजया एन० पटेलको (१५-१०-१९३८) १०
११ पत्र शारदा चि० शाहको (१५-१०-१९३८) १०
१२ पत्र एच० पी० रंगनाथ अय्यंगारको (१६-१०-१९३८) ११
१३ पत्र अमृत कौरको (१६-१०-१९३८) १२
१४. भाषण नौशेरामें (१६-१०-१९३८) १२
१५ भाषण होती मरदानमें (१६-१०-१९३८) १४
१६ पत्र शामलालको (१७-१०-१९३८) १६
१७ पत्र सिकन्दर हयात खाँको (१७-१०-१९३८) १६
१८ पत्र वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (१७-१०-१९३८) १७
१९ पत्र नारणदास गांधीको (१७-१०-१९३८) १८
२० पत्र. लीलावती आसरको (१७-१०-१९३८) १८
२१ पत्र कान्तिलाल गांधीको (१७-१०-१९३८) १९
२२ वक्तव्य समाचारपत्रोंको (१७-१०-१९३८) २०
२३ पत्र अमृत कौरको (१७-१०-१९३८) २१
२४ पत्र महादेव देसाईको (१७-१०-१९३८) २१
२५ भाषण स्वाबीमें (१७-१०-१९३८) २२
२६. पत्र रायकुमार सिंहको (१८-१०-१९३८) २३

२७ पत्र : कस्तूरबा गांधीको (१८-१०-१९३८) २३
२८. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (१८-१०-१९३८) २४
२९. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको (१८-१०-१९३८) २४
३०. हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू (१९-१०-१९३८) २५
३१ प्रस्तावना : 'दादाभाई नौरोजी' की (१९-१०-१९३८) २७
३२. पत्र : रुस्तम मसानीको (१९-१०-१९३८) २९
३३. बातचीत : अब्दुल गफ्फार खाँके साथ (१९/२०-१०-१९३८) २९
३४. टिप्पणी : मिस्टर और एस्क्वायर बनाम श्री, मौलवी, मौलाना, जनाब वगैरह (२०-१०-१९३८) ३४
३५. पत्र : अमृत कौरको (२०-१०-१९३८) ३५
३६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२०-१०-१९३८) ३६
३७. पत्र . हीरालाल शर्माको (२०-१०-१९३८) ३६
३८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२१-१०-१९३८) ३७
३९. पत्र . बलवन्तसिंहको (२१-१०-१९३८) ३८
४०. जब्त की गई जमीने (२२-१०-१९३८) ३९
४१. तार : घनश्यामदास बिड़लाको (२२-१०-१९३८) ४०
४२. पत्र : अमृत कौरको (२२-१०-१९३८) ४१
४३. पत्र : महादेव देसाईको (२२-१०-१९३८) ४१
४४. पत्र . प्रभावतीको (२२-१०-१९३८) ४२
४५. भाषण : कोहाटकी सार्वजनिक सभामे (२२-१०-१९३८) ४३
४६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२२/२३-१०-१९३८) ४४
४७. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोके साथ (२२/२३-१०-१९३८) ४४
४८. पत्र : महादेव देसाईको (२३-१०-१९३८) ४७
४९. बातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ (२३-१०-१९३८) ४८
५०. राष्ट्रीय झण्डा (२४-१०-१९३८) ५२
५१. पत्र : अमृत कौरको (२४-१०-१९३८) ५४
५२. पत्र . महादेव देसाईको (२४-१०-१९३८) ५५
५३. पत्र . शारदा चि० शाहको (२४-१०-१९३८) ५६
५४. स्त्रियोका विशेष कार्यक्रम (२५-१०-१९३८) ५७
५५. पत्र . मोतीलाल रायको (२५-१०-१९३८) ५९
५६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको (२५-१०-१९३८) ६०
५७. पत्र : विद्या आ० हिंगोरानीको (२५-१०-१९३८) ६०
५८. भाषण . बन्नूमे (२५-१०-१९३८) ६१
५९. बातचीत . खुदाई खिदमतगारोके साथ (२६-१०-१९३८ या उसके पूर्व) ६४
६०. वक्तव्य : समाचारपत्रोको (२६-१०-१९३८) ६७
६१. भाषण : लक्कीमे (२६-१०-१९३८) ६८

६२ खण्डन (२७-१०-१९३८) ६८
६३ पत्र अमृत कौरको (२७-१०-१९३८) ६९
६४ बातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ (२७-१०-१९३८) ७०
६५ पत्र मीराबहनको (२७-१०-१९३८) ७२
६६. पत्र महादेव देसाईको (२७-१०-१९३८) ७३
६७ पत्र नारणदास गाधीको (२७-१०-१९३८) ७४
६८ पत्र छगनलाल जोशीको (२७-१०-१९३८) ७४
६९ पत्र . एम० आर० मसानीको (२७-१०-१९३८) ७५
७० सच हो तो भयावह (२८-१०-१९३८) ७६
७१. पत्र अमृत कौरको (२८-१०-१९३८) ७७
७२ पत्र मीराबहनको (२८-१०-१९३८) ७७
७३. पत्र . महादेव देसाईको (२८-१०-१९३८) ७८
७४ पत्र मणिबहन पटेलको (२८-१०-१९३८) ७९
७५ पत्र विजया एन० पटेलको (२८-१०-१९३८) ८०
७६ पत्र कृष्णचन्द्रको (२८-१०-१९३८) ८१
७७ भाषण डेरा इस्माइल खाँकी सार्वजनिक सभामे (२८-१०-१९३८) ८१
७८ जन-शिक्षा आन्दोलन (२९-१०-१९३८) ८२
७९ पत्र अमृत कौरको (२९-१०-१९३८) ८३
८० पत्र . महादेव देसाईको (२९-१०-१९३८) ८३
८१ पत्र : पुरुषोत्तम गाधीको (२९-१०-१९३८) ८४
८२. पत्र अमृत कौरको (३०-१०-१९३८) ८४
८३ पत्र · जे० सी० कुमारप्पाको (३०-१०-१९३८) ८५
८४. सदस्योकी प्रतिज्ञाकी व्याख्या (३०-१०-१९३८) ८६
८५ पत्र · महादेव देसाईको (३०-१०-१९३८) ८७
८६. पत्र अमृत कौरको (३१-१०-१९३८) ८८
८७ पत्र . महादेव देसाईको (३१-१०-१९३८) ८८
८८. भाषण टाँककी सार्वजनिक सभामे (३१-१०-१९३८) ८९
८९ बातचीत . खुदाई खिदमतगारोके साथ (३१-१०-१९३८) ९०
९०. बातचीत . खुदाई खिदमतगारोके साथ (३१-१०-१९३८) ९१
९१ पत्र अगाथा हैरिसनको (१-११-१९३८) ९२
९२ बातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ (१-११-१९३८) ९२
९३. पत्र . मीराबहनको (२-११-१९३८) ९४
९४. पत्र महादेव देसाईको (२-११-१९३८) ९४
९५ पत्र कस्तूरबा गाधीको (२-११-१९३८) ९५
९६. पत्र · अमृतलाल टी० नानावटीको (२-११-१९३८) ९५
९७. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको (२-११-१९३८) ९६

९८ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (२-११-१९३८) ९६
९९ सन्देश पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्‌घाटन-समारोहके निमित्त (३-११-१९३८ या उसके पूर्व) ९७
१००. भाषण. पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्‌घाटन-समारोहमे (३-११-१९३८) ९७
१०१. काठियावाड़-यात्राकी छाप (४-११-१९३८) ९८
१०२ पत्र अमृतलाल टी० नानावटीको (४-११-१९३८) ९९
१०३. टिप्पणियाँ औध-राज्यमे सुधार, आर्य समाज और गन्दा साहित्य, पत्र-लेखकोसे (५-११-१९३८) १००
१०४ वडी शक्तियाँ क्यो नही? (५-११-१९३८) १०३
१०५. पत्र : मीराबहनको (५-११-१९३८) १०५
१०६ पत्र महादेव देसाईको (५-११-१९३८) १०६
१०७. भाषण पेशावरके वकील मण्डलके समक्ष (५-११-१९३८) १०७
१०८. पत्र महादेव देसाईको (६-११-१९३८) १०७
१०९. वातचीत : विभूतिमे (६-११-१९३८) १०८
११० भाषण हरिपुरकी सार्वजनिक सभामे (६-११-१९३८) १०९
१११. पत्र अमृत कौरको (७-११-१९३८) ११०
११२ पत्र देव प्रकाश भाटियाको (७-११-१९३८) १११
११३ पत्र : मीराबहनको (७-११-१९३८) १११
११४. पत्र . महादेव देसाईको (७-११-१९३८) ११२
११५. पत्र : कान्तिलाल गाधीको (८-११-१९३८) ११२
११६. वातचीत खुदाई खिदमतगारोके साथ (८-११-१९३८) ११३
११७ भाषण मानसेहराकी सार्वजनिक सभामे (८-११-१९३८) ११४
११८. वातचीत : अल्पसख्यकोके शिष्टमण्डलके साथ (८-११-१९३८) ११५
११९ भाषण : ऐबटाबादकी सार्वजनिक सभामे (८-११-१९३८) ११६
१२०. पत्र · सरस्वती गाधीको (९-११-१९३८ के पूर्व) ११८
१२१ पत्र · सुशीला गाधीको (९-११-१९३८) ११९
१२२. पत्र : मणिलाल गांधीको (९-११-१९३८) ११९
१२३. पत्र : एम० आर० मसानीको (९-११-१९३८) १२०
१२४. पत्र : विजया एन० पटेलको (९-११-१९३८) १२१
१२५. सन्देश . कमाल अतातुर्कके देहावसानपर (१०-११-१९३८) १२१
१२६. पत्र : अमृत कौरको (१०-११-१९३८) १२२
१२७. पत्र : महादेव देसाईको (१०-११-१९३८) १२२
१२८ वातचीत : साम्यवादियोके साथ (११-११-१९३८ के पूर्व) १२३
१२९. खुदाई खिदमतगार और वादशाह खान (११-११-१९३८) १२७
१३०. पत्र : अमृत कौरको (११-११-१९३८) १३३

१३१ पत्र महादेव देसाईको (११-११-१९३८) १३३
१३२. पत्र रामेश्वरी नेहरूको (११-११-१९३८) १३४
१३३ तार रा० स० रुइकरको (११-११-१९३८) १३४
१३४ पत्र लॉर्ड लिनलिथगोको (११-११-१९३८ या उसके पश्चात्) १३५
१३५ विहारमे जन-शिक्षा अभियान (१२-११-१९३८) १३५
१३६ पत्र अमृत कौरको (१२-११-१९३८) १३६
१३७ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (१२-११-१९३८) १३६
१३८ पत्र महादेव देसाईको (१२-११-१९३८) १३७
१३९ पत्र महादेव देसाईको (१३-११-१९३८) १३७
१४० पुर्जा कचन मु० शाहको (१३-११-१९३८) १३८
१४१ काग्रेस और खादी (१४-११-१९३८) १३८
१४२ पत्र अमृत कौरको (१४-११-१९३८) १४०
१४३ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (१४-११-१९३८) १४१
१४४ पत्र महादेव देसाईको (१४-११-१९३८) १४१
१४५ पत्र कान्तिलाल गाधीको (१४-११-१९३८) १४२
१४६ पत्र अमृत कौरको (१५-११-१९३८) १४३
१४७ पत्र महादेव देसाईको (१५-११-१९३८) १४३
१४८ पत्र कान्तिलाल गाधीको (१५-११-१९३८) १४४
१४९ पत्र प्रेमावहन कटकको (१५-११-१९३८) १४५
१५० वातचीत त्रावणकोर राज्य काग्रेस शिष्टमण्डलके साथ (१५-११-१९३८) १४६
१५१ पत्र अमृत कौरको (१६-११-१९३८) १४९
१५२ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (१६-११-१९३८) १५०
१५३ राजकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्यका मसविदा (१९-११-१९३८ के पूर्व) १५०
१५४. सेलम जिलेमे मद्य-निषेध (१९-११-१९३८) १५१
१५५ तार अमृत कौरको (१९-११-१९३८) १५२
१५६ पत्र वल्लभभाई पटेलको (१९-११-१९३८) १५२
१५७ यहूदी लोग (२०-११-१९३८) १५३
१५८ पत्र कान्तिलाल गाधीको (२०-११-१९३८) १५७
१५९ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (२१-११-१९३८) १५९
१६० पत्र अमृत कौरको (२१-११-१९३८) १५९
१६१ पत्र गिरधारीलालको (२१-११-१९३८) १६०
१६२ प्रस्तावना 'ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स' की (२३-११-१९३८) १६०
१६३ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (२४-११-१९३८) १६१
१६४ पत्र अमृत कौरको (२५-११-१९३८) १६१

१६५ टिप्पणी डॉ० एन० वी० खरेके नाम पत्रपर (२५-११-१९३८) १६२
१६६. पत्र . दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (२५-११-१९३८) १६२
१६७ पत्र . अमृत कौरको (२६-११-१९३८) १६३
१६८. पत्र मीराबहनको (२६-११-१९३८) १६४
१६९. पत्र : कान्तिलाल गाधीको (२६-११-१९३८) १६४
१७०. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको (२६-११-१९३८) १६५
१७१ असहयोगी (२७-११-१९३८) १६५
१७२. पत्र . अमृत कौरको (२७-११-१९३८) १६७
१७३. पत्र · मीरावहनको (२७-११-१९३८) १६७
१७४ देशी राज्य और प्रजा (२८-११-१९३८) १६८
१७५. पत्र : अमृत कौरको (२८-११-१९३८) १७१
१७६. पत्र : मोतीलाल रायको (२८-११-१९३८) १७१
१७७ पत्र : नारणदास गाधीको (२८-११-१९३८) १७२
१७८ पत्र : मणिवहन पटेलको (२८-११-१९३८) १७२
१७९ पत्र . वल्लभभाई पटेलको (२८-११-१९३८) १७३
१८० पत्र : प्रभावतीको (२९-११-१९३८) १७३
१८१ पत्र : विजया एन० पटेलको (२९-११-१९३८) १७४
१८२. पत्र · शुएव कुरेशीको (२९-११-१९३८) १७४
१८३ पत्र : महादेव देसाईको (२९-११-१९३८) १७५
१८४ पत्र सुशीला गांधीको (२९-११-१९३८) १७५
१८५ पत्र . अमृत कौरको (३०-११-१९३८) १७६
१८६ पत्र . देवदास गाधीको (३०-११-१९३८) १७७
१८७. पत्र : मीरावहनको (३०-११-१९३८) १७७
१८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (३०-११-१९३८) १७८
१८९. पत्र : शान्तिकुमार न० मोरारजीको (३०-११-१९३८) १७९
१९०. एक पत्र (३०-११-१९३८) १७९
१९१. पत्र : प्रेमी जयरामदासको (३०-११-१९३८) १८०
१९२. तार : जलियाँवाला बाग स्मारक कोपके स्थानीय मत्रीको (१-१२-१९३८ के पश्चात्) १८०
१९३. पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको (२-१२-१९३८ के पूर्व) १८०
१९४. चेतावनी (३-१२-१९३८) १८१
१९५. तार . पट्टम् ताणु पिल्लैको (३-१२-१९३८) १८२
१९६. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (३-१२-१९३८) १८२
१९७. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको (३-१२-१९३८) १८३
१९८. बातचीत · जॉन आर० मॉटके साथ (४-१२-१९३८ या उसके पूर्व) १८३
१९९ खादीको लोकप्रिय कैसे वनाये ? (४-१२-१९३८) १९२

२०० टाटानगरमे हरिजन कल्याण-कार्य (४-१२-१९३८) १९५
२०१ पत्र मीराबहनको (५-१२-१९३८) १९५
२०२ पत्र अमृत कौरको (५-१२-१९३८) १९६
२०३ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (५-१२-१९३८) १९७
२०४. पत्र ना० र० मलकानीको (५-१२-१९३८) १९७
२०५. पत्र मीराबहनको (५-१२-१९३८) १९८
२०६. पत्र शामलालको (५-१२-१९३८) १९८
२०७ पत्र देवदास गाधीको (५-१२-१९३८) १९९
२०८ पत्र · वैकुण्ठभाई ल० मेहताको (५-१२-१९३८) २००
२०९ पत्र शान्तिकुमार न० मोरारजीको (५-१२-१९३८) २००
२१० पत्र. अमृतलाल टी० नानावटीको (५-१२-१९३८) २०१
२११ पत्र मणिबहन पटेलको (५-१२-१९३८) २०१
२१२ पत्र चिमनलाल एन० शाहको (५-१२-१९३८) २०२
२१३. पत्र मार्गरेट स्पीगलको (५-१२-१९३८) २०२
२१४ पत्र रामेश्वरी नेहरूको (५-१२-१९३८) २०३
२१५. पत्र हीरालाल शर्माको (५-१२-१९३८) २०४
२१६. पत्र हरसरन वर्माको (५-१२-१९३८) २०५
२१७ पत्र अमृत कौरको (६-१२-१९३८) २०५
२१८ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (६-१२-१९३८) २०६
२१९ पत्र. अमृतलाल टी० नानावटीको (६-१२-१९३८) २०६
२२०. पत्र · विजया एन० पटेलको (६-१२-१९३८) २०७
२२१ बातचीत डी० ताकाओकाके साथ (७-१२-१९३८) २०७
२२२ जर्मन आलोचकोंको जवाब (८-१२-१९३८) २०९
२२३ पत्र. कन्हैयालाल मा० मुन्शीको (८-१२-१९३८) २१०
२२४ पत्र दामोदरदास मूंदड़ाको (८-१२-१९३८) २११
२२५ आलोचनाओंका जवाब (९-१२-१९३८) २११
२२६ लाल फीता (९-१२-१९३८) २१३
२२७ पत्र अमृत कौरको (९-१२-१९३८) २१६
२२८. पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (९-१२-१९३८) २१६
२२९ पत्र मीराबहनको (९-१२-१९३८) २१७
२३० पत्र. लीलावती आसरको (९-१२-१९३८) २१७
२३१ पत्र. कृष्णचन्द्रको (९-१२-१९३८) २१८
२३२ अ० भा० ग्रामोद्योग सघ प्रशिक्षण विद्यालय (१०-१२-१९३८) २१९
२३३ पत्र · अमृत कौरको (१०-१२-१९३८) २२०
२३४ पत्र अमृतलाल टी० नानावटीको (१०-१२-१९३८) २२०
२३५ पत्र. प्रभावतीको (१०-१२-१९३८) २२१

२३६. वक्तव्य समाचारपत्रोको (१०-१२-१९३८) २२१
२३७ बातचीत ईसाई मिशनरियोके साथ (१२-१२-१९३८ के पूर्व) २२२
२३८. सन्देश सी० के० गिब्बनको (१२-१२-१९३९ या उसके पूर्व) २२९
२३९ हिन्दू-मुस्लिम एकता (१२-१२-१९३८) २२९
२४०. पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (१२-१२-१९३८) २३०
२४१ पत्र मार्गरेट स्पीगलको (१२-१२-१९३८) २३१
२४२. पत्र बलवन्तसिहको (१२-१२-१९३८) २३१
२४३. पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१२-१२-१९३८) २३२
२४४. पत्र हरसरन वर्माको (१२-१२-१९३८) २३२
२४५ भेट. सेलिस्टीन स्मिथको (१३-१२-१९३८ के पूर्व) २३३
२४६. देशी राज्योके सम्बन्धमे काग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका मसविदा (१३-१२-१९३८) २३३
२४७ पत्र बलवन्तसिहको (१३-१२-१९३८) २३५
२४८ तार पट्टम् ताणु पिल्लैको (१४-१२-१९३८) २३६
२४९ पत्र भूलाभाई जे० देसाईको (१४-१२-१९३८) २३६
२५० पत्र : सुशीला गाधीको (१६-१२-१९३८) २३७
२५१ तार. जैनब र० पटेलको (१६-१२-१९३८) २३७
२५२ तार. पट्टम् ताणु पिल्लैको (१७-१२-१९३८) २३८
२५३. तार. पट्टम् ताणु पिल्लैको (१७-१२-१९३८) २३८
२५४. सन्देश इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र-सघको (१८-१२-१९३८ के पूर्व) २३९
२५५ पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको (१८-१२-१९३८) २४०
२५६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१८-१२-१९३८ के पश्चात्) २४१
२५७ टिप्पणियाँ काग्रेसजनोके खिलाफ शिकायत; सिर्फ हिन्दुस्तानी (१९-१२-१९३८) २४२
२५८ मद्य-निषेध (१९-१२-१९३८) २४३
२५९ जिला बोर्ड (१९-१२-१९३८) २४५
२६० पत्र अमृत कौरको (१९-१२-१९३८) २४७
२६१ पत्र अगाथा हैरिसनको (२०-१२-१९३८) २४८
२६२. पत्र महादेव देसाईको (२०-१२-१९३८) २४८
२६३ पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२०-१२-१९३८) २४९
२६४. पत्र : एन० एम० जोशीको (२१-१२-१९३८) २४९
२६५ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (२१-१२-१९३८) २५१
२६६ पत्र. पृथ्वीसिहको (२१-१२-१९३८) २५१
२६७. पत्र : शामलालको (२१-१२-१९३८) २५२
२६८. पत्र. जमनालाल बजाजको (२१-१२-१९३८) २५३

२६९. पत्र मनुबहन सु० मशरूवालाको (२१-१२-१९३८) २५३
२७० पत्र वल्लभभाई पटेलको (२१-१२-१९३८) २५४
२७१ सन्देश : अखिल भारतीय महिला सम्मेलनको (२२-१२-१९३८ के पूर्व) २५४
२७२ पत्र अमृत कौरको (२२-१२-१९३८) २५५
२७३ पत्र मणिबहन पटेलको (२२-१२-१९३८) २५५
२७४ पत्र बलवन्तसिंहको (२२-१२-१९३८) २५६
२७५ भाषण : स्काउटोंकी रैलीमें (२२-१२-१९३८) २५७
२७६ पत्र लॉर्ड लिनलिथगोको (२३-१२-१९३८) २५९
२७७ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (२३-१२-१९३८) २६०
२७८ पत्र सर्वपल्ली राधाकृष्णनको (२३-१२-१९३८) २६०
२७९ पत्र इन्दु एन० पारेखको (२३-१२-१९३८) २६१
२८० पत्र बलवन्तसिंहको (२३-१२-१९३८) २६१
२८१ पत्र सरस्वतीको (२३-१२-१९३८) २६२
२८२ अहिंसा ही एकमात्र मार्ग (२४-१२-१९३८) २६३
२८३ निर्देश-पुस्तिकाकी जरूरत (२४-१२-१९३८) २६३
२८४ पत्र च० राजगोपालाचारीको (२४-१२-१९३८) २६४
२८५ भेंट एच० वी० हॉडसनको (२५-१२-१९३८ के पूर्व) २६५
२८६ सन्देश त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षको (२५-१२-१९३८ या उसके पूर्व) २६७
२८७ मणिबहन और चरखा (२५-१२-१९३८) २६७
२८८ हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा (२६-१२-१९३८ के पूर्व) २६८
२८९ विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक (२६-१२-१९३८) २७०
२९० पत्र अकबर हैदरीको (२६-१२-१९३८) २७४
२९१ पुर्जा जमनालाल बजाजको (२६-१२-१९३८) २७४
२९२ पत्र जमनालाल बजाजको (२६-१२-१९३८) २७५
२९३ पत्र मीराबहनको (२७-१२-१९३८) २७६
२९४ भेंट अमेरिकी अध्यापकोंको (२९-१२-१९३८ के पूर्व) २७७
२९५ पत्र अमृत कौरको (२९-१२-१९३८) २८०
२९६ पत्र मीराबहनको (२९-१२-१९३८) २८०
२९७ पत्र चन्दन पारेखको (२९-१२-१९३८) २८१
२९८ भाषण मगन संग्रहालय और उद्योग-भवनके उद्घाटन-समारोहमें (३०-१२-१९३८) २८२
२९९ बातचीत : अर्थशास्त्रियोंके साथ (३०-१२-१९३८) २८४
३०० पत्र वल्लभभाई पटेलको (३१-१२-१९३८) २८६

३०१ पत्र : राधाकृष्ण बजाजको (३१-१२-१९३८) २८७
३०२ पत्र हीरालाल शर्माको (३१-१२-१९३८) २८७
३०३. भेंट : टिमोथी टिंगफाग ल्यूको (३१-१२-१९३८) २८८
३०४ पत्र : अमतुस्सलामको (१९३८) २९०
३०५. पत्र अमतुस्सलामको (१९३८) २९१
३०६ पत्र . अमतुस्सलामको (१९३८) २९१
३०७. सुसंस्कृत अराजकता—राजनैतिक आदर्श (जनवरी, १९३९) २९१
३०८. बातचीत मॉरिस फ्रीडमैनके साथ (१-१-१९३९ या उसके पूर्व) २९२
३०९ पत्र एस० वेलु पिल्लैको (१-१-१९३९) २९३
३१० पत्र सम्पूर्णानन्दको (१-१-१९३९) २९४
३११ भेंट · टिमोथी टिंगफाग ल्यू, वाई० टी० वू और पी० सी० शूको (१-१-१९३९) २९५
३१२ भेंट एस० एस० तेमाको (१-१-१९३९) ३००
३१३. राजकोट (२-१-१९३९) ३०२
३१४ क्या अहिंसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ? (२-१-१९३९) ३०४
३१५ तार च० राजगोपालाचारीको (४-१-१९३९ या उसके पश्चात्) ३०७
३१६ तार कृष्णस्वामीको (५-१-१९३९) ३०७
३१७ पत्र शुएब कुरैशीको (५-१-१९३९) ३०८
३१८. पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको (६-१-१९३९) ३०८
३१९. तार · पट्टम् ताणु पिल्लैको (७-१-१९३९) ३०९
३२० तार · जी० रामचन्द्रनको (७-१-१९३९) ३०९
३२१ तार · घनश्यामदास बिड़लाको (७-१-१९३९) ३१०
३२२ जमनालाल बजाजके लिए समाचारपत्रोंको दिये जानेवाले वक्तव्यका मसविदा (७-१-१९३९) ३१०
३२३ जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा (७-१-१९३९) ३११
३२४ पत्र एफ० मेरी बारको (७-१-१९३९) ३१४
३२५ पत्र बलवन्तसिंहको (७-१-१९३९) ३१४
३२६ पत्र प्रभुदयाल विद्यार्थीको (७-१-१९३९) ३१५
३२७ वक्तव्य समाचारपत्रोंको (७-१-१९३९) ३१५
३२८ अप्रमाणिक खादी-विक्रेता (८-१-१९३९) ३१६
३२९. सरदार पृथ्वीसिंह (९-१-१९३९) ३१६
३३० त्रावणकोर (९-१-१९३९) ३१७
३३१. जमनालालजी पर प्रतिबन्ध (९-१-१९३९) ३२०
३३२ तार अकबर हैदरीको (९-१-१९३९) ३२२
३३३ पत्र · जमनालाल बजाजको (९-१-१९३९) ३२३
३३४ औंधका संविधान (१०-१-१९३९) ३२३

३३५ पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (११-१-१९३९) ३२४
३३६. पुर्जा : वल्लभभाई पटेलको (११-१-१९३९) ३२५
३३७. पत्र दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (१२-१-१९३९) ३२५
३३८ पत्र . कृष्णचन्द्रको (१२-१-१९३९) ३२६
३३९ बातचीत : तोयोहिको कागावाके साथ (१४-१-१९३९) ३२६
३४०. जयपुर (१६-१-१९३९) ३३१
३४१. मेथिलेटेड स्पिरिट पीना (१६-१-१९३९) ३३२
३४२ हिंसा बनाम अहिंसा (१६-१-१९३९) ३३२
३४३ पत्र मीराबहनको (१६-१-१९३९) ३३४
३४४ पुर्जा अमृतलाल वि० ठक्करको (१६-१-१९३९) ३३५
३४५ पत्र सर डब्ल्यू० बीकम सेट जॉनको (१८-१-१९३९) ३३६
३४६ पत्र चन्दन पारेखको (१८-१-१९३९) ३३७
३४७ पत्र रवीन्द्र आर० पटेलको (१८-१-१९३९) ३३७
३४८ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (१८-१-१९३९) ३३८
३४९ पत्र बलवन्तसिंहको (१८-१-१९३९) ३३८
३५० प्रेम एक सार्वभौम गुण (२०-१-१९३९) ३३९
३५१ पत्र अकबर हैदरीको (२०-१-१९३९) ३४१
३५२ पत्र ना० र० मलकानीको (२०-१-१९३९) ३४३
३५३ पत्र मीराबहनको (२०-१-१९३९) ३४४
३५४ पत्र . अमृतलाल टी० नानावटीको (२०-१-१९३९) ३४५
३५५ तार बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'को (२१-१-१९३९) ३४६
३५६ पत्र जयरामदास दौलतरामको (२१-१-१९३९) ३४६
३५७ पत्र सुशीला गांधीको (२१-१-१९३९) ३४७
३५८ पत्र . चन्दन पारेखको (२१-१-१९३९) ३४७
३५९ पत्र पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको (२१-१-१९३९) ३४८
३६० पत्र . सर डब्ल्यू० बीकम सेट जॉनको (२२-१-१९३९) ३४९
३६१ पत्र ना० र० मलकानीको (२२-१-१९३९) ३४९
३६२. पत्र सुशीला गांधीको (२२-१-१९३९) ३५०
३६३. पत्र मनुबहन सु० मशरूवालाको (२२-१-१९३९) ३५१
३६४. पत्र . रामीबहन के० पारेखको (२२-१-१९३९) ३५१
३६५. पत्र डाह्याभाई म० पटेलको (२२-१-१९३९) ३५२
३६६. पत्र अमतुस्सलामको (२२-१-१९३९) ३५२
३६७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२२-१-१९३९) ३५३
३६८. देशी राज्य (२३-१-१९३९) ३५३
३६९. अन्दरकी गन्दगी (२३-१-१९३९) ३५५
३७०. 'कितने भगवत्परायण'! (२३-१-१९३९) ३५७

३७१. इस्लामी सस्कृति (२३-१-१९३९) ३५८
३७२ तार जमनालाल बजाजको (२३-१-१९३९) ३६०
३७३ पत्र . अमतुस्सलामको (२३-१-१९३९) ३६०
३७४ पत्र . रामेश्वरी नेहरूको (२३-१-१९३९) ३६१
३७५ भेट 'टाइम्स ऑफ इडिया' के प्रतिनिधिको (२४-१-१९३९) ३६१
३७६ पत्र मणिलाल गाधीको (२५-१-१९३९) ३६४
३७७ पत्र · सुशीला गाधीको (२५-१-१९३९) ३६५
३७८ पत्र . लॉर्ड लिनलिथगोको (२६-१-१९३९) ३६५
३७९ पत्र चन्दन पारेखको (२६-१-१९३९) ३६७
३८० पत्र : ब्रजकृष्ण चॉदीवालाको (२६-१-१९३९) ३६८
३८१ भाषण किसानोकी सभामे (२६-१-१९३९) ३६८
३८२ पत्र : सर डब्ल्यू० वीकम सेट जॉनको (२७-१-१९३९) ३७०
३८३ पत्र अमतुस्सलामको (२७-१-१९३९) ३७१
३८४ तार . विश्वनाथदासको (२८-१-१९३९ के पूर्व) ३७१
३८५ तार जानकीदेवी बजाजको (२८-१-१९३९) ३७२
३८६. जमनालाल बजाजके लिए वक्तव्यका मसविदा (२८-१-१९३९) ३७२
३८७. बातचीत : नगरपालिकाओ और स्थानीय मण्डलोके प्रतिनिधियोके साथ (२८-१-१९३९) ३७३
३८८ पत्र जनरल गिन्देको (२९-१-१९३९) ३७९
३८९ पत्र मैसूरके महाराजाको (२९-१-१९३९) ३७९
३९० पत्र . अमतुस्सलामको (२९-१-१९३९) ३८०
३९१. भाषण : किसानोकी सभामे (२९-१-१९३९) ३८०
३९२. राजकोट (३०-१-१९३९) ३८१
३९३. आधुनिक लड़की (३०-१-१९३९) ३८४
३९४. जयपुर (३०-१-१९३९) ३८६
३९५ पत्र कान्तिलाल गाधीको (३०-१-१९३९) ३८९
३९६ पत्र कान्तिलाल गाधीको (३०-१-१९३९) ३९०
३९७. "लताड़ और प्यार" (३१-१-१९३९) ३९०
३९८. पत्र लॉर्ड लिनलिथगोको (३१-१-१९३९) ३९४
३९९ पत्र . पुरुषोत्तम गाधीको (३१-१-१९३९) ३९५
४०० नारायण मोरेश्वर खरेकी स्मृतिमे (३१-१-१९३९) ३९५
४०१ वक्तव्य · समाचारपत्रोको (३१-१-१९३९) ३९६
४०२ वक्तव्य समाचारपत्रोको (३१-१-१९३९) ३९८
४०३ तार : घनश्यामदास बिड़लाको (२-२-१९३९) ३९९
४०४. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको (२-२-१९३९) ३९९
४०५ प्राक्कथन (२-२-१९३९) ४००

४०६ पत्र मीराबहनको (२-२-१९३९) ४०१
४०७ पत्र कस्तूरबा गाधीको (२-२-१९३९) ४०१
४०८ पत्र हीरालाल शर्माको (२-२-१९३९) ४०२
४०९. पत्र सम्पूर्णानन्दको (२-२-१९३९ के पश्चात्) ४०३
४१० वक्तव्य समाचारपत्रोको (३-२-१९३९) ४०३
४११ तार जमनालाल बजाजको (३-२-१९३९ या उसके पूर्व) ४०६
४१२ तार घनश्यामदास बिड़लाको (३-२-१९३९) ४०६
४१३ पत्र मीराबहनको (३-२-१९३९) ४०७
४१४ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (३-२-१९३९) ४०८
४१५ पत्र दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (३-२-१९३९) ४०८
४१६. पत्र दत्तात्रेय बा० कालेलकरको (३-२-१९३९) ४०९
४१७ पत्र कस्तूरबा गाधीको (३-२-१९३९ के पश्चात्) ४०९
४१८ बातचीत. अध्यापक प्रशिक्षणार्थियोके साथ (३/४-२-१९३९) ४१०
४१९ तार· महादेव देसाईको (४-२-१९३९) ४१८
४२० तार जमनालाल बजाजको (४-२-१९३९) ४१८
४२१ पत्र इन्दिरा नेहरूको (४-२-१९३९) ४१९
४२२ पत्र जनरल शिन्देको (४-२-१९३९) ४१९
४२३. पत्र नारदा चि० नाहको (४-२-१९३९) ४२०
४२४ रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि (५-२-१९३९) ४२०
४२५ क्षमायाचना नही (५-२-१९३९) ४२२
४२६ पत्र सुभाषचन्द्र बोसको (५-२-१९३९) ४२३
४२७ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (५-२-१९३९) ४२४
४२८ पत्र जानकीदेवी बजाजको (५-२-१९३९) ४२४
४२९ पुर्जा अमृत कौरको (५-२-१९३९ या उसके पश्चात्) ४२५
४३० भेट दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय विद्यार्थियोको (६-२-१९३९ के पूर्व) ४२५
४३१ महात्माकी मूर्ति (६-२-१९३९) ४२६
४३२ कस्तूरबा गाधी राजकोट क्यो गई? (६-२-१९३९) ४२७
४३३ अहिंसाका पालन (६-२-१९३९) ४२८
४३४ पत्र कस्तूरबा गाधीको (६-२-१९३९) ४३२
४३५ पत्र जानकीदेवी बजाजको (७-२-१९३९) ४३२
४३६ पत्र वल्लभभाई पटेलको (७-२-१९३९) ४३३
४३७ तार चन्द्रभाल जौहरीको (७-२-१९३९ या उसके पश्चात्) ४३३
४३८ तार राजेन्द्रप्रसादको (७-२-१९३९ या उसके पश्चात्) ४३४
४३९ पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (७-२-१९३९ के पश्चात्) ४३४
४४० पत्र गोरधनदास चोखावालाको (७-२-१९३९ के पश्चात्) ४३५
४४१ तार लीम्बडी प्रजामण्डलको (८-२-१९३९ के पूर्व) ४३५

४४२ तार जेठानन्दको (८-२-१९३९) ४३६
४४३ तार डॉ० खानसाहबको (८-२-१९३९) ४३६
४४४ पत्र मोतीलाल रायको (८-२-१९३९) ४३७
४४५ पत्र कस्तूरबा गाधीको (८-२-१९३९) ४३७
४४६. पत्र कृष्णचन्द्रको (८-२-१९३९) ४३८
४४७ वक्तव्य · समाचारपत्रोको (८-२-१९३९) ४३८
४४८ तार. घनश्यामदास बिडलाको (९-२-१९३९) ४४०
४४९ तार. जवाहरलाल नेहरूको (९-२-१९३९) ४४०
४५० पत्र. ना० र० मलकानीको (९-२-१९३९) ४४१
४५१ पत्र जवाहरलाल नेहरूको (९-२-१९३९) ४४१
४५२ पत्र. हरेकृष्ण मेहताबको (९-२-१९३९) ४४२
४५३ पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (९-२-१९३९) ४४२
४५४ पत्र कस्तूरबा गांधीको (९-२-१९३९) ४४३
४५५ वक्तव्य समाचारपत्रोको (९-२-१९३९) ४४३
४५६. तार जमनालाल बजाजको (९-२-१९३९ या उसके पश्चात्) ४४५
४५७ पत्र: एफ० मेरी बारको (११-२-१९३९) ४४६
४५८ पत्र · जवाहरलाल नेहरूको (११-२-१९३९) ४४६
४५९ पत्र. एल० एम० पाटिलको (११-२-१९३९) ४४७
४६०. पत्र: च० राजगोपालाचारीको (११-२-१९३९) ४४७
४६१. पत्र. कान्तिलाल गाधीको (११-२-१९३९) ४४८
४६२ पत्र: कस्तूरबा गांधीको (११-२-१९३९) ४४८
४६३. पत्र: वल्लभभाई पटेलको (११-२-१९३९) ४४९
४६४. पत्र: कृष्णचन्द्रको (११-२-१९३९) ४४९
४६५. हैदराबाद (१२-२-१९३९) ४५०
४६६ पत्र: लॉर्ड लिनलिथगोको (१२-२-१९३९) ४५१
४६७. पत्र. कस्तूरबा गाधीको (१२-२-१९३९) ४५२
४६८. पत्र: वल्लभभाई पटेलको (१२-२-१९३९) ४५३
४६९ वक्तव्य. समाचारपत्रोको (१२-२-१९३९) ४५३
४७०. अखबारोमे असत्य (१३-२-१९३९) ४५४
४७१. त्रावणकोर (१३-२-१९३९) ४५७
४७२. शिष्टाचारका सवाल (१३-२-१९३९) ४५९
४७३. मेवाड़ (१३-२-१९३९) ४६०
४७४. तार: घनश्यामदास बिड़लाको (१३-२-१९३९) ४६१
४७५. पत्र: मीराबहनको (१३-२-१९३९) ४६२
४७६. पत्र: कस्तूरबा गांधीको (१३-२-१९३९) ४६२
४७७. पत्र: वल्लभभाई पटेलको (१३-२-१९३९) ४६३

४७८. पत्र हीरालाल शर्माको (१३-२-१९३९) ४६३
४७९ बातचीत डॉ० चेस्टरमैनके साथ (१३-२-१९३९) ४६४
४८० पत्र नारणदास गांधीको (१४-२-१९३९) ४६८
४८१ पत्र गुलाम रसूल कुरेशीको (१४-२-१९३९) ४६९
४८२ पत्र सुरेशसिंहको (१४-२-१९३९) ४६९
४८३ पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (१५-२-१९३९) ४७०
४८४ पत्र विजयाबहन म० पचोलीको (१५-२-१९३९) ४७०
४८५ पत्र कस्तूरबा गांधीको (१६-२-१९३९ के पूर्व) ४७१
४८६ पत्र च० राजगोपालाचारीको (१६-२-१९३९) ४७१
४८७ पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (१६-२-१९३९) ४७२
४८८ पत्र कस्तूरबा गांधीको (१६-२-१९३९) ४७२
४८९ पत्र मणिबहन पटेलको (१६-२-१९३९) ४७३
४९० पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (१७-२-१९३९) ४७४
४९१ तार घनश्यामदास बिड़लाको (१८-२-१९३९) ४७४
४९२. पत्र शारदाबहन गो० चोखावालाको (१८-२-१९३९) ४७५
४९३ पत्र कस्तूरबा गांधीको (१८-२-१९३९) ४७५
४९४ पत्र विजयाबहन म० पचोलीको (१८-२-१९३९) ४७६
४९५ पत्र मणिबहन पटेल और मृदुला साराभाईको (१८-२-१९३९) ४७७
४९६ टिप्पणियाँ जयपुर, सच्चा स्वदेशी (२०-२-१९३९) ४७७
४९७ फिर त्रावणकोर (२०-२-१९३९) ४७९
४९८ लीम्बडीमें अन्धेरगर्दी (२०-२-१९३९) ४८१
४९९ पत्र. शारदाबहन गो० चोखावालाको (२०-२-१९३९) ४८५
५०० पत्र. कस्तूरबा गांधीको (२०-२-१९३९) ४८५
५०१ पत्र. विजयाबहन म० पचोलीको (२०-२-१९३९) ४८६
५०२ पत्र बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' को (२०-२-१९३९) ४८६
५०३ तार अकबर हैदरीको (२१-२-१९३९) ४८७
५०४. पत्र अकबर हैदरीको (२१-२-१९३९) ४८७
५०५ पत्र लॉर्ड लिनलिथगोको (२१-२-१९३९) ४८८
५०६ पत्र कस्तूरबा गांधीको (२१-२-१९३९) ४८८
५०७ बातचीत हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ (२१-२-१९३९) ४८९
५०८. शरारतपूर्ण सुझाव (२३-२-१९३९) ४९०
५०९. तार वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२३-२-१९३९) ४९२
५१० पत्र कस्तूरबा गांधीको (२३-२-१९३९) ४९२
५११ वक्तव्य समाचारपत्रोंको (२३-२-१९३९) ४९३
५१२. वक्तव्य समाचारपत्रोंको (२३-२-१९३९) ४९३

५१३ वक्तव्य समाचारपत्रोको (२३-२-१९३९) ४९४
५१४ तार वाइसरायके निजी सचिवको (२४-२-१९३९) ४९४
५१५ पत्र कस्तूरबा गाधीको (२४-२-१९३९) ४९५
५१६ बातचीत एक आश्रमवासीके साथ (२४-२-१९३९) ४९५
५१७ पत्र विजयाबहन म० पचोलीको (२५-२-१९३९ के पूर्व) ४९६
५१८ दानकी जगह काम (२५-२-१९३९) ४९६
५१९ पत्र लॉर्ड लिनलिथगोको (२५-२-१९३९) ४९७
५२० पत्र अकबर हैदरीको (२५-२-१९३९) ४९७
५२१ वक्तव्य समाचारपत्रोको (२५-२-१९३९) ४९८
५२२ पत्र मणिलाल गाधीको (२५/२६-२-१९३९) ५०२
५२३ वचनकी रक्षाका प्रश्न (२६-२-१९३९) ५०३
५२४ अकालमे राहतके लिए खादी (२६-२-१९३९) ५०७
५२५ क्या यह अहिंसा है? (२६-२-१९३९) ५०७
५२६ तार राधाकृष्ण बजाजको (२६-२-१९३९) ५१०
५२७ पत्र महादेव देसाईको (२६-२-१९३९) ५११
५२८. पत्र सतीश द० कालेलकरको (२६-२-१९३९) ५११
५२९ पत्र अमृत कौरको (२७-२-१९३९) ५१२
५३० पत्र मीराबहनको (२७-२-१९३९) ५१२
५३१ पत्र महादेव देसाईको (२७-२-१९३९) ५१३
५३२ भेट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको (२७-२-१९३९) ५१३
५३३ तार. अमृत कौरको (२७-२-१९३९) ५१४
५३४. तार मीराबहनको (२७-२-१९३९) ५१४
५३५. भेट एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको (२७-२-१९३९) ५१५
५३६ भेट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (२७-२-१९३९) ५१५
५३७ तार. राधाकृष्ण बजाजको (२७-२-१९३९ या उसके पश्चात्) ५१६
५३८ बातचीत मुसलमान प्रतिनिधियोके साथ (२८-२-१९३९) ५१६
५३९. बातचीत गिरासियोके शिष्टमण्डलके साथ (२८-२-१९३९) ५१७
५४०. भेट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (२८-२-१९३९) ५१८

परिशिष्ट

१ एक पवित्र समझौतेकी निर्मम अवहेलना ५१९
२. भारत सरकारका वक्तव्य राजकोटके बारेमे ५३७
३. कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योका त्याग-पत्र ५३९
४. सुभाषचन्द्र बोसका वक्तव्य ५४०
५ गाधीजीकी मन स्थितिके बारेमे श्री रमण महर्षिकी टिप्पणी ५४२
सामग्रीके साधन-सूत्र ५४४
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५४६
शीर्षक-सांकेतिका ५४९
सांकेतिका ५५४

१. पुर्जा : महादेव देसाईको

[१५ अक्टूबर, १९३८ के पूर्व]

अंग्रेजी 'हरिजन' के लिए इसका[1] अनुवाद कर डालो। उस गाँवमें अच्छा काम हो रहा है और वह इस योग्य है कि उसका उल्लेख किया जाये।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६१) से।

२. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ – १

[१५ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व][2]

गांधीजी ने उनसे कहा कि हालांकि आपकी इस बातमें मुझे कुछ दुस्साहसकी गंध लगती है, तो भी अपनी आदतके मुताबिक मैं, आप जो-कुछ कह रहे हैं, उसपर विश्वास किये लेता हूँ।[3] उन्होंने अहिंसाके स्वरूप और मर्मके बारेमें अपनी अवधारणा उन्हें सविस्तार समझाते हुए कहा कि जहाँ विरोधी ज्यादा ताकतवर और हथियारोंसे लैस हो वहाँ निष्क्रिय अहिंसा बरतना अपेक्षाकृत सुगम है। लेकिन जब आपको रोकनेको कोई बाहरी ताकत नहीं रहेगी तब क्या आप आपसी व्यवहारमें और अपने देश-वासियोंके साथ भी अहिंसासे काम लेंगे? और फिर आपकी अहिंसा बलवानोंकी अहिंसा है अथवा कमजोरोंकी? अगर आपकी अहिंसा बलवानोंकी अहिंसा है तो तल-वारको छोड़ देनेके फलस्वरूप आपको और ज्यादा ताकत महसूस करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात न हो तो आपको चाहिए कि आप अपने उन शस्त्रोंको फिरसे उठा लें जिन्हें आपने अपनी ही इच्छासे एक तरफ रख दिया है, क्योंकि निहत्थे रहकर पुंसत्वहीन बन जानेसे बेहतर यही है कि आप हथियार उठाकर बहादुर सिपाही बनें। उन्होंने आगे कहा :

१. एक कार्यकर्ता द्वारा पीपोदरासे महादेव देसाईके नाम लिखे गये इस पत्रमें २१-९-१९३८ से २-१०-१९३८ तक उस गाँवमें मनाये गये गांधी-जयन्ती समारोहका विवरण दिया गया था। उक्त सप्ताहके दौरान अन्य कार्यक्रमोंके अतिरिक्त अखण्ड चरखा-यज्ञका भी आयोजन किया गया था। गांधीजी की टिप्पणियोंके लिए देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", १५-१०-१९३८।

२. गांधीजीने पेशावरके खुदाई खिदमतगारोंके आखिरी जत्थेसे १५ अक्टूबरको मुलाकात की थी।

३. खुदाई खिदमतगारोंने कहा था कि चाहे अब्दुल गफ्फार खाँ अहिंसाको छोड़ दें, लेकिन हम नहीं छोड़नेवाले हैं।

मुझपर और खान साहबपर यह आरोप लगाया गया है कि हम बहादुर और लड़ाकू सरहदी लोगोको अहिंसाका सन्देश देकर हिन्दुस्तान और इस्लामका अहित कर रहे है। कहा जाता है कि मै आपकी शक्तिको क्षीण करने आया हूँ। वे कहते है कि सीमाप्रान्त भारतमे इस्लामका गढ है, और पठान लोग तलवार तथा बन्दूक चलानेमे अपनी सानी नही रखते, और मै उनसे शस्त्र-त्याग करवाकर उन्हे नपुंसक बनानेकी कोशिश कर रहा हूँ तथा इस प्रकार इस्लामके गढ़को, उसकी सुरक्षाको कमजोर करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मै इन आरोपको बिलकुल अस्वीकार करता हूँ। मेरा तो विश्वास है कि अहिंसाके सिद्धान्तको उसके समग्र रूपमे अपनाकर आप हिन्दुस्तानकी, और उस इस्लामकी भी स्थायी सेवा करेंगे जो आज मुझे खतरेमे पड़ गया दीख रहा है। अगर आप अहिंसाकी ताकतको समझ गये है तो हथियार छोड़ देनेके कारण आपको अपने अन्दर और ज्यादा ताकत महसूस करनी चाहिए। इससे आपको वह रूहानी ताकत हासिल होगी जिसकी मददसे आप न केवल इस्लामकी, बल्कि अन्य धर्मोंकी भी रक्षा कर सकेंगे। किन्तु यदि आपने इस ताकतके रहस्यको नही समझा है, यदि शस्त्र-त्यागके फलस्वरूप आप अपने-आपको पहलेके मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली नही बल्कि कमजोर महसूस करें, तब आपको अहिंसाकी बात छोड देनी चाहिए। मै अपने प्रभावके कारण किसी भी पठानको कमजोर या कायर बनते नही देख सकता। बल्कि वैसी हालतमे तो मै चाहूँगा कि आप दूने जोर-शोरसे हथियार उठा ले।

आज सिख लोग कहते है कि यदि वे कृपाण छोड़ दे तो सभी कुछ छूट गया समझो। लगता है उन्होंने कृपाणको अपने धर्मका अंग बना लिया है। वे सोचते है कि उसे त्यागकर वे कमजोर और कायर बन जायेंगे। मै उनसे कहता हूँ कि उनका यह भय निराधार है, और आज वही बात आपसे कहनेके लिए मै यहाँ आपके बीच आया हूँ। मैंने 'कुरान' को भी उतने ही ध्यान और श्रद्धाके साथ पढ़ा है जितने ध्यान और श्रद्धाके साथ 'गीता' को पढ़ा है। मैंने इस्लामके बारेमे अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी पढ़ी है। मेरा दावा है कि मेरे मनमे जितना आदर अपने धर्मके प्रति है उतना ही इस्लाम तथा अन्य धर्मोंके प्रति भी है, और मै दावेसे कह सकता हूँ कि इस्लामके इतिहासमे यद्यपि तलवारका इस्तेमाल किया गया है, और सो भी धर्मके नामपर किया गया है, तथापि इस्लामकी स्थापना तलवारके जोरसे नही हुई थी और न उसका प्रसार ही तलवारके जोरसे हुआ। इसी प्रकार ईसाई धर्ममे भी तलवारका खुलकर प्रयोग किया गया, लेकिन उसका प्रसार तलवारके जोरसे नही हुआ। इसके विपरीत, तलवारके प्रयोगसे उसके उज्ज्वल यशको धब्बा ही लगा है। यूरोपमे करोड़ों लोग ईसाई होनेका दावा करते है, लेकिन ईसा मसीहकी शिक्षाओंके विपरीत वे भाई-भाईके बीच रक्तपात और हत्याका नंगा तांडव रचा रहे है जोकि सच्चे ईसाई धर्मका खण्डन है। मै आपको जो-कुछ बताता रहा हूँ, यदि आप उसे आत्मसात् कर सकें तो आपका प्रभाव आपकी भौगोलिक सीमाको पार करके दूर-दूर तक फैल जायेगा और इस प्रकार यूरोपको भी रास्ता दिखायेगा।

आज १७,००० अंग्रेज सैनिक हमारे ऊपर शासन कर पा रहे है, क्योंकि उनके पीछे ब्रिटिश सरकारकी ताकत है। शस्त्र-त्याग करनेके फलस्वरूप खुदाई खिदमतगारो को यदि अपने अन्दर आत्म-बल उमडता हुआ लगे तब तो भारतको अपनी आजादी पानेके लिए १७,००० लोगोकी जरूरत भी नही पडेगी, क्योंकि उनके पीछे ईश्वरकी शक्ति होगी। इसके विपरीत, यदि आप दस लाख लोग भी अहिंसाको माननेका दावा तो करे पर आपके मनमे हिंसा छिपी हो, तो ऐसे दस लाख लोगोका भी कोई महत्व नही है। आप शस्त्रका त्याग करें तो इस कारण करे कि आपने समझ लिया है कि वह आपकी शक्तिका प्रतीक नही बल्कि आपकी कमजोरीका प्रतीक है, क्योंकि शस्त्रोसे सच्ची बहादुरी नही आती। किन्तु यदि बाहरी तौरपर तो शस्त्र-त्याग कर दे, लेकिन आपके मनमे हिंसा मौजूद हो, तो ऐसा मानिए कि आपने शुरुआत गलत की है और आपके इस त्यागमें कोई श्रेयकी बात नही होगी। बल्कि वैसी हालतमे वह खतरनाक भी साबित हो सकता है।

हृदयसे हिंसाको जड-मूलसे उखाड फेंकनेका क्या अर्थ है?

यह प्रश्न करके गांधीजी ने समझाया कि इसका मतलब अपने गुस्सेपर काबू रख सकना ही नहीं है, बल्कि गुस्सेको बिलकुल खत्म कर देना है।

यदि कोई डाकू मेरे दिलमे क्रोध या भय पैदा कर दे, तो इसके मतलब है कि मैंने अभी तक हिंसामे मुक्ति नही पाई है। अहिंसाको समझनेका अर्थ है अपने अन्दर उसकी ताकतको महसूस करना, वह ताकत जिसे आत्म-बल कहते हैं। सक्षेपमे कहे तो इसके अर्थ है परमात्माको जानना। जिस मनुष्यने ईश्वरको जान लिया है, वह क्रोध या भयका कितना ही प्रबल अवसर आनेपर भी अपने अन्दर क्रोध या भयका अनुभव नही करेगा।

[अंग्रेजीमे]

ए पिलग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ५७-९

३. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ – २

[१५ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व][1]

गांधीजी ने एक स्थानपर खुदाई खिदमतगारोसे बातचीत करते हुए उन्हें बताया कि खुदाई खिदमतगारको सबसे पहले खुदाका बन्दा होना चाहिए, अर्थात् मानव-जातिका सेवक। इसके लिए उसमें कर्म, वचन और मनकी शुचिता और अनवरत सच्ची उद्यमशीलता होनी चाहिए, क्योंकि मनकी शुचिता और आलस्यका परस्पर कोई मेल नहीं। अतः उनको कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए जिसे वे घर बैठे कर सकें। यह धन्धा ओटाई, कताई और बुनाई ही होना चाहिए, क्योंकि यही धन्धा है

१. गांधीजी ने पेशावरके खुदाई खिदमतगारोंके आखिरी जत्थेसे १५ अक्टूबरको मुलाकात की थी।

जिसमें लाखों लोगोंको काम मिल सकता है और इसे वे अपने घर बैठे ही कर सकते हैं।

तलवारके सिद्धान्तको त्याग देनेवाला आदमी एक मिनटके लिए भी बेकार नहीं बैठ सकता। कहावत है न कि खाली दिमाग शैतानका घर होता है। आलस्य, आत्मा और बुद्धि दोनोंका ह्रास करता है। हिंसा त्याग देनेवाला आदमी हर साँसके साथ खुदाका नाम लेता रहेगा और चौबीसों घंटे अपना काम करेगा। वहाँ निरर्थक विचारके लिए कोई स्थान नहीं होगा।

इसके अलावा हरएक खुदाई खिदमतगारके पास अपने जीविकोपार्जनका एक स्वतन्त्र साधन होना ही चाहिए। आज आपमें से बहुतोंके पास अपनी जमीन है किन्तु वह आपसे छीनी जा सकती है, परन्तु आपकी दस्तकारी या आपका हुनर तो कोई छीन नहीं सकता।[१] यह सच है कि खुदा अपने सेवकको रोजकी रोटी जरूर देता है, किन्तु केवल तभी जबकि वह उतनेके लिए भी मेहनत करे। कुदरतका नियम है कि यदि कोई काम न करे तो वह खा भी नहीं सकता और यही आपका भी नियम होना चाहिए। आपने लाल कमीजको अपनी वर्दी बनाया है। मैंने आशा की थी कि आप खादीको भी अपनायेंगे जोकि आजादी की वर्दी है। किन्तु देखता हूँ कि आपमें से बहुत कम लोग खादी पहने हुए हैं। इसका कारण शायद यह है कि आपको खुद अपनी वर्दी बनवानी पड़ती है और खादी कुछ महँगी बैठती है। लेकिन यदि आप खुद कातें तो ऐसा नहीं रहेगा।

गांधीजी ने उनसे कहा कि आपको हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिए, क्योंकि उसके सहारे आप अपनी बुद्धिका परिष्कार और विकास कर सकेंगे और बाहरी बड़ी दुनियाके सम्पर्कमें आयेंगे। आपको सफाई और प्राथमिक चिकित्साका बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अन्तमें मैं कहना चाहूँगा कि यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको सब धर्मोंके प्रति समान आदर और श्रद्धाका भाव अपनाना सीखना चाहिए।

आप लाल कमीज पहनकर ही या कतारोंमें खड़े होकर ही खुदाई खिदमतगार नहीं बन जाते, आप तो वह तब बनेंगे जब आप अपने मनमें खुदाई ताकत महसूस करें जो हथियारोंकी ताकतसे ठीक उलटी है। आप अभी अहिंसाके द्वार तक ही पहुँचे हैं। अभी तो आपको बहुत-कुछ करना है। सोचिए कि उस पवित्र भवनमें प्रवेश कर जायें तो आपको और कितनी भारी उपलब्धि हो जायेगी! जैसाकि मैं कह चुका हूँ, उसके लिए पहलेसे तैयारी और प्रशिक्षणकी जरूरत है। इस वक्त आपमें दोनोंका अभाव है।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ६०-१

४. बातचीत : अब्दुल गफ्फार खाँ के साथ

[१५ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व][1]

अब्दुल गफ्फार खाँ : यहाँ गाँवोंमें कुछ पठान हैं जो खुदाई खिदमतगारोंको असह्य रूपसे सताते हैं। उन्हें पीटते हैं, उनकी जमीनें छीन लेते हैं इत्यादि। हमें उनके खिलाफ क्या करना चाहिए ?

गांधीजी : हमें धैर्य और दृढ़ताके साथ उनकी जोर-जबर्दस्तीका सामना करना है। उनके अत्याचारोंका हमें उसी प्रकार सामना करना है जिस प्रकार हम अंग्रेजोंके अत्याचारोंका करते थे, अर्थात् हिंसाका जवाब हिंसासे नहीं, गालियोंका जवाब गालीसे नहीं देना है और न ही अपने मनमें रोष रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही उनका हृदय पिघल जायेगा। यदि यह तरीका सफल न हो तो हम असहयोग करें। अगर वे हमारी जमीनें छीन लें तो हम उनकी मजदूरी न करें, चाहे हमें भूखों ही क्यों न रहना पड़े। हम उनके कोपका सामना करेंगे, परन्तु उनके सम्मुख झुकेंगे नहीं और अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध भी काम नहीं करेंगे।

अब्दुल गफ्फार खाँ : क्या हमारे लिए उचित है कि हम पुलिसमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उन्हें सजा दिलवायें ?

गांधीजी : कोई भी सच्चा खुदाई खिदमतगार अदालतकी शरण नहीं लेगा। अदालतमें लड़ना तो हाथ-पैरसे लड़ने जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप खुद बल-प्रयोग न करके दूसरेके जरिये बल-प्रयोग करवाते हैं। आततायीको पुलिससे दण्ड दिलवाना एक प्रकारका बदला ही है जिसे खुदाई खिदमतगारोंको त्याग देना है। एक व्यक्तिगत दृष्टान्त देकर मैं अपना तात्पर्य समझाता हूँ। सेवाग्राममें मेरे पास कुछ हरिजन आये और मुझसे बोले कि यदि मैं मध्यप्रान्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलमें किसी भी हरिजनको शामिल नहीं करवाता तो वे भूख-हड़तालके रूपमें सत्याग्रह करेंगे।[2] मैं जानता था कि सब एक शैतान आदमीकी कारस्तानी है। पुलिस-अधीक्षक कुछ सिपाहियोंको तैनात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि गुण्डे कुछ शैतानी न कर बैठें। मैंने उन्हें मना कर दिया और हरिजनोंसे कहा कि वे लोग बाहर धूपमें न बैठें बल्कि आश्रमका जो भी कमरा उन्हें पसन्द हो उसमें चाहें तो बैठ जायें। मैंने उनसे कहा कि यदि वे चाहें तो मैं उन्हें भोजन भी कराऊँगा। उन्होंने मेरी पत्नीके स्नानागारमें बैठना चाहा तो मैंने उन्हें वहीं बैठने दिया।

१. यह बातचीत गांधीजी के १५ अक्टूबरको मरदान और नौशेराके दौरेके लिए रवाना होनेसे पहले उटमंजईमें हुई थी। गफ्फार खाँके उटमंजई स्थित मकानपर गांधीजी कुछ दिन के लिए ठहरे थे।
२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ३२३-४ और ३२७।

हमने उनकी सब जरूरतोंकी देखभाल की और उनमें से जब एक बीमार पड़ गया तो उसकी शुश्रूषा की। परिणाम यह हुआ कि वे हमारे मित्र बन गये।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ६१-२

५. पत्र : महादेव देसाईको

उटमंजई
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

इस पत्रका[1] अनुवाद देखनेसे तो लगता है कि इसमें बहुत-से तथ्य छूट गये हैं जिससे रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती। क्या उसमें बालकोंके अतिरिक्त १८ व्यक्तियोंने भाग लिया था? इस प्रकार क्या कुल मिलाकर २२+१८ लोग थे? इनमें मुसलमान कितने थे? क्या एक ही चरखा अखण्ड चल रहा था? सूत कितने अंकका था? सोमाभाई स्वयं शिक्षक हैं या कार्यकर्ता? यदि शालामें मुसलमान बालक हैं तो कितने हैं? पीपोदराकी आबादी कितनी है? अधिकतम गति कितनी थी? सूतका अधिकतम अंक कितना था? औसत मजबूती क्या है? यदि तुम यही पत्र भेजना चाहो तो भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

आजसे दौरा शुरू हो रहा है, इसलिए जो परम शान्ति मिल रही थी वह भंग हो रही है। फिर भी आशा है कि मेरा स्वास्थ्य इसी प्रकार उत्तम बना रहेगा। पहले दौरेका कार्यक्रम इसके साथ है। इसके बादका कार्यक्रम भी तैयार हो चुका है। ८ नवम्बर तक तो हम यहीं हैं।

खान साहबका तो एक ही काम है : मुझे कैसे आराम पहुँचाया जा सकता है और अन्य लोगोंको कैसे खिलाया जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राजकुमारीसे कहना कि आज मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६२) से।

1. देखिए "पुर्जा : महादेव देसाईको", पृ० १।

६. पत्र : मीराबहनको

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० मीरा,

तुम्हारे पत्र मिल गये हैं। डॉ० बेनिस तो लगभग निर्वासित[1] ही हो चुके हैं, तो भी तुम्हारा पत्र अगर अबतक उनके पास नही पहुँचा हो तो यथासमय पहुँच जरूर जायेगा। अगर उनमें सही भावना जग गई है तो इस निर्वासनसे कोई अन्तर नही पड़नेवाला है।

यहाँ तो मौसम बड़ा ही अच्छा है। तुम्हारे यहाँ असाधारण वर्षा हो रही है। बम्बईमें भी यही हुआ। मेरा खयाल है, फसलें बर्बाद हो गई हैं।

अफसोस है कि ९ नवम्बरसे पहले मैं इस प्रान्तको नही छोड़ सकता। कार्यक्रम अखबारमें देख लेना। दौरेमें स्वास्थ्य कैसा रहता है यह तो आगे मालूम होगा।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४०९) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० १००० से भी।

७. पत्र : महादेव देसाईको

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

जीवराज लिखते हैं कि तुम्हें चढाई नही चढनी चाहिए। तुम भी लिखते हो कि तुम्हारे ऊपर इसका असर अच्छा नही होता। वहाँ रिक्शे तो हैं ही। बीमारीकी हालतमें उनका उपयोग अनुचित नही है। जहाँ भी चढाई हो वहाँ रिक्शेमें बैठकर जाओ। इस तरह, घूमनेके लिए रोज कोई नई जगह चुनी जा सकती है। इसमें मैं कोई दोष नही देखता। शिमलाके प्रवासका पूरा लाभ इसी तरह लिया जा सकेगा।

१. नाजी जर्मनी द्वारा सुडेटनलैंडपर कब्जा कर लेनेके बाद ५ फरवरीको एडुअर्ड बेनिसको राष्ट्रपतिके पदसे त्यागपत्र देने और देश छोड़नेके लिए मजबूर कर दिया गया था। देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५२ भी।

दुर्गाके विषयमे शम्मी इससे कुछ उलटा ही कहता मालूम होता है। ऐसा हो तो मेरी सलाह बेकार मानी जाये। हाँ, यदि मै वहाँ होता तो इस बात पर शम्मीके साथ बहस जरूर करता।

यह तो तुम जानते हो कि मेरे पत्रके साथ यदि [दूसरोको लिखे गये] कोई अन्य पत्र होते है तो उन्हें मै पढ़ता नही हूँ। यह मेरा स्वभाव है। लेकिन एक पत्रके उत्तरमे सुशीलाके नाम तुम्हारे दो पत्र थे। उन्हे मैने पढ लिया। इसके लिए मैं अपनी जिज्ञासाके सिवा कोई दूसरा कारण नही दे सकता। पिछले पत्रमे तो मुझे केवल चन्द्रमाका चित्र याद रह गया है, बाकी सब भूल गया हूँ। लेकिन कलका पत्र मै महत्वपूर्ण मानता हूँ। मै नही जानता कि सुशीलाने विकारोके सम्बन्धमे क्या लिखा था। किन्तु मेरे लिए तो यह प्रश्न सत्यासत्यका प्रश्न बन गया है। तुमने उसे ऐसा लिखा है कि मेरे अन्तिम वक्तव्यके[1] बाद अब वे सब निश्चिन्त रह सकते हैं। यह बात मुझे खटकी। कोई भी क्यो न हो, यदि उसे विकारका अनुभव होता है तो उसके विषयमे हम निश्चिन्त नही हो सकते। किन्तु अपने विषयमे तो मुझे यह कहना चाहिए कि जो अनुभव मुझे अभी हो रहे है वे यदि इस अन्तिम वक्तव्यके समय हो रहे होते तो मै ऐसा वक्तव्य प्रकाशित ही नही करता। मै यह भी नही कह सकता कि मैने उस हालतमे अपना प्रयोग बन्द किया होता या नही। इसलिए मेरे विषयमे तुम लोग या कोई भी निश्चिन्त नही रह सकता। इस अन्तिम वक्तव्य को वापस लेनेकी या उसकी जगह संशोधित वक्तव्य प्रकाशित करनेकी अभी तो मै कोई जरूरत नही देखता। अलबत्ता, इसका अर्थ यह नही है कि तुम लोगोमे से कोई चिन्ता करने लगे। अभी तो मै इससे ज्यादा नही कहना चाहता। सत्यकी खातिर इतना कहना जरूरी मालूम हुआ, अतः उसके लिए समय निकाला। तुम्हे और ज्यादा जाननेकी इच्छा तो होगी पर उसे रोकना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

विकारोके विषयमे यहाँ मैने जो-कुछ कहा उसकी जानकारी राजकुमारीको देना ताकि मुझे न लिखना पड़े।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६३) से।

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४०३ ।

८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

बा,

इस बार तूने मुझे अच्छी चिन्तामें डाल दिया है। मुझे तेरा विचार भी करना है और अपने कर्तव्यका भी, सो मेरा मन इन्हीं दोके बीच झूलता रहता है। मन कहता है कि मैं तेरे पास दौड़ा चला जाऊँ। कर्तव्य कहता है कि जहाँ हो वहाँका काम पूरा करो। अब यदि तू जल्दी अच्छी हो जाये तो मेरी चिन्ता दूर हो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २९

९. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० अमृतलाल,

तुम्हारे दो पत्र एक साथ मिले।

सोप्टेकरको २५ रुपये चुका देना। वत्सलाको पढ़ानेके बारेमें तो मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। चक्रैयाने पुस्तकके बारेमें मुझे लिखा था। मैंने उसे उत्तरमें लिख दिया है कि वह तुम्हें बता दे। तुम्हें जैसा उचित जान पड़े सो करना। जो नये भाई[1] आये हैं उनका कैसा चल रहा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७६) से।

१. राजभूषण।

१०. पत्र : विजया एन० पटेलको[1]

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० विजया,

तू कैसी लड़की है! तेरा कोई पत्र ही नही मिला? अमृतलालके पत्रसे देखता हूँ कि तेरी तबीयत सँभली नही है। मैने तुझे लिखा था कि तू मरोली चली जा। जब मै सेगाँव पहुँचूँगा तब तो तुझे वहाँ आना ही है। तेरी तबीयत चाहे जैसी क्यो न हो, किन्तु उसे अपने हाथो बिगाड़ मत। मैने जो लिखा है उसे मान। यदि मरोली जानेमे किसी तरहकी दिक्कत हो तो मुझे लिख। मुझे नियमित रूपसे समाचार अवश्य मिलने चाहिए। पेशावरके पतेपर लिखना। बा दिल्लीमे बीमार पड़ी हुई है।

बापूके आशीर्वाद

श्री विजयाबहन
मार्फत श्री रामभाई हीराभाई पटेल
सौराष्ट्र सोसाइटी
एलिस ब्रिज, अहमदाबाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१००) से। सी० डब्ल्यू० ४५९२ से भी; सौजन्य : विजयाबहन एम० पंचोली

११. पत्र : शारदा चि० शाहको

पेशावर
१५ अक्टूबर, १९३८

चि० बबुडी,

तेरा पत्र मिला। एक महीनेसे अधिक तो लग ही जायेगा। यहाँ रहनेका कार्यक्रम ९ तारीख तकका है। तेरी चिन्ताको मै समझता हूँ। मेरा मन तो वहाँ है, किन्तु यहाँका काम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे उतावली नही करनी चाहिए। तू धीरज रखना, भविष्य चाहे जैसा क्यों न हो। तुझे सेविका बनना है, भले तू

१. अहमदाबादके पतेपर भेजा गया यह पत्र सौराष्ट्र स्थित दक्षिणामूर्ति ग्रामको अनुप्रेषित कर दिया गया था।

विवाह करे या न करे। और उसके लिए तुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है। मैं यह जानता हूँ कि तू मेरे प्रहार भी सहन कर सकेगी, क्योंकि वे प्रेमके प्रहार ही होंगे। मैं तुझे क्षण-भरके लिए अपनी नजरोंसे दूर नहीं करना चाहता, किन्तु मैं लाचार हो जाता हूँ।

मुन्नालालके बारेमें तू जो कहती है, ठीक वैसा ही है। वह चला जायेगा। लगता है उसके जानेमें ही उसका श्रेय है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००२२) से, सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला

१२. पत्र : एच० पी० रंगनाथ अय्यंगारको

पेशावर
१६ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपके दोनों पत्र मीराबाईने मेरे पास भेज दिये हैं। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मैं आपकी सहायता नहीं ले सकूँगा; फिर भी, आपने सहायता देनेकी उत्सुकता बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मेरे खयालसे, आप जहाँ हैं वहीं रहें और जब जैसी सेवाका अवसर आये वैसी सेवा करते रहें। श्री महादेव देसाईकी हालत बेहतर है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एच० पी० रंगनाथ अय्यंगार
बी० ए०, एल-एल० बी०
९३०, नायडू स्ट्रीट
डाकखाना चिकनागलूर
मैसूर राज्य

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३३५) से।

१३. पत्र : अमृत कौरको

पेशावर
१६ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

हमारे पेशावर लौटनेपर तुम्हारे दो पत्र पड़े मिले। दाहिने हाथको कुछ आराम देना जरूरी है। जितना काम यह सुगमतासे कर सकता है, उससे ज्यादा काम इसे करना पड़ रहा है।

मेरा स्वास्थ्य अब भी बिलकुल ठीक है। दौरेमे इसकी क्या हालत होगी, यह नही मालूम। मौन सहायक रहेगा।

जोशीका पत्र ठेठ उसीके ढंगका है।

महादेवसे कहना कि कल मुझे एक तार मिला है, जिसमे सूचित किया गया है कि शुक्ल[1] नही रहे। वे मेरे पुराने मित्रोमे से थे — जब मै इंग्लैंडमे पढ़ता था, उन्ही दिनोके। वे राजकोटमे वकालत कर रहे थे।

सेगाँवमे अभी भी वर्षा हो रही है। यहाँ मौसम बिलकुल सूखा है।

साथमे महादेवके लिए कान्तिके पत्र भेज रहा हूँ। ये बड़े दिलचस्प है। महादेवसे कहना कि उसे जो-कुछ कहना है, थोड़ेमे तुम्हे बता दे।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४०) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन ६४४९ से भी।

१४. भाषण : नौशेरामें[2]

१६ अक्टूबर, १९३८

आपने यह आश्वासन दिया है कि अहिंसाके सिद्धान्तको आप लोगोने भली-भाँति समझ लिया है और आप लोग सदा इसपर दृढ़ रहेंगे। आपका यह आश्वासन मैं पूरा-पूरा स्वीकार कर लेता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगोको बधाई देता हूँ और

१. तात्पर्य शायद दलपतराम शुक्लसे है; देखिए खण्ड ३९, पृ० ३९ और ४१।

२. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-२" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। वहाँके खुदाई खिदमतगारोंने गांधीजीको एक मानपत्र भेंट किया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि अहिंसामें उनकी पूरी और अडिग श्रद्धा है तथा वे इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे।

यह भी कहता हूँ कि अगर आप अहिंसाके सिद्धान्तको पूरी तरह अमलमें ला सके तो यह समझिए कि आप एक नये इतिहासका निर्माण करेंगे। आपका कहना है कि आपके रजिस्टरमें एक लाख खुदाई खिदमतगारोंके नाम दर्ज हैं। यह तादाद कांग्रेसके स्वयंसेवकोंकी आजकी तादादसे कहीं ज्यादा है। आप सभी लोगोंने निःस्वार्थ सेवाकी प्रतिज्ञा की है। किसी तरहका आर्थिक भत्ता भी आप नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पोशाक भी आपको खुद ही जुटानी पड़ती है। आपका दल एक सूत्रमें बँधा हुआ है और अनुशासित है। खानसाहबकी बातको आप कानून समझते हैं। आपने बदला लेनेके लिए कोई हरकत किये बिना चोट सहनेकी अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी है। लेकिन यह तो अपनी योग्यता सिद्ध करनेके आपके प्रयत्नका अन्तिम नहीं, बल्कि पहला चरण है। भारतकी आजादी हासिल करनेके लिए कष्ट-सहनकी क्षमताके साथ-साथ अविरत परिश्रम करनेकी भी योग्यता होनी चाहिए। आजादीके सेनानीको सबके हितके लिए निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए। सामान्य सैनिकोंके साथ आपकी इतनी ही समानता है कि आप भी एक खास ढंगकी पोशाक पहनते हैं और शायद आपने उनके कुछ नाम भी अपना लिये हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्तिका मूल जहाँ हिंसा है, आपकी प्रवृत्ति अहिंसाके आधार पर खड़ी है। इसलिए आपका प्रशिक्षण, आपके पेशे, आपके कार्यके तौर-तरीके, यहाँ तक कि आपके विचार और आपकी आकांक्षाएँ सब उनसे भिन्न ही होने चाहिए। हथियारबन्द सैनिक हत्याके काममें प्रशिक्षित होता है। यहाँ तक कि वह स्वप्नमें भी हत्याकी ही बात सोचता है। वह युद्ध-क्षेत्रमें अपने बाहुबलसे लड़ने, आगे बढ़ने और यश कमानेका स्वप्न देखता है। उसने हत्या-कार्यको एक कलाका रूप दे दिया है। इसके विपरीत कोई सत्याग्रही, कोई खुदाई खिदमतगार सदा मौन सेवाके अवसरकी ताकमें रहता है। वह अपना सारा समय प्रेममय सेवामें लगाता है। अगर वह स्वप्न भी देखेगा तो दूसरोंकी हत्याका नहीं, बल्कि दूसरोंकी सेवामें अपनेको मिटा देनेका। उसने किसीका कोई अपकार किये बिना अपने मानव भाइयोंके लिए मर मिटनेको एक कलाका रूप दिया है।

इसके बाद गांधीजीने यह प्रश्न उठाया कि "आपको इस कामके लायक बनानेके लिए प्रशिक्षण कैसा मिलना चाहिए"; और इसका उत्तर स्वयं देते हुए उन्होंने कहा कि निस्सन्देह विभिन्न प्रकारके रचनात्मक कार्योंका प्रशिक्षण ही उन्हें इस योग्य बनायेगा।

आगे उन्होंने उनसे कहा कि रचनात्मक अहिंसा-शास्त्रमें पारंगत एक लाख खुदाई खिदमतगारोंको सीमा-पारसे होनेवाले हमलोंकी सारी सम्भावना मिटा सकनी चाहिए।

आपके इलाकेमें यदि एक भी चोरी-डकैती हो, तो इसे आपको अपने लिए शर्मकी बात समझनी चाहिए। चोर तथा सीमा-पारके हमलावर भी तो आखिर मनुष्य ही हैं। अपराध वे इसलिए नहीं करते कि उन्हें उससे कोई प्रेम है, बल्कि इसलिए करते हैं कि अधिकांशतः उनकी जरूरतें उन्हें उसके लिए मजबूर करती हैं। अपनी जरूरतें

पूरी करनेका कोई और उपाय वे जानते ही नही। उनके साथ अभी तक केवल शक्तिसे ही काम लिया गया है। उनके साथ न रहमदिलीसे काम लिया गया और न वे ही किसीपर रहम करते है। डॉ० खानसाहब इनके सामने लाचार है, क्योकि सरकारके पास उनसे निपटनेके लिए कोई और रास्ता ही नही। लेकिन आप इस समस्याको सुलझानेके लिए कोई अहिसक रास्ता अपना सकते है और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ सरकार असफल रही है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कुटीर-उद्योग-जैसे कामोमे उन्हे लगाकर आप उनसे वैसी ही ईमानदारीकी जिन्दगी बसर करनेको कह सकते है जैसी जिन्दगी आप बिताते है। आप उनके बीच जाकर उनके घरोमे उनकी सेवा कर सकते है और उन्हे स्नेह और सहानुभूतिके साथ अपनी बात समझा सकते है। ऐसा करनेपर आप खुद देखेंगे कि प्रेमसे समझाने-बुझानेका असर उनपर न हो, ऐसी कोई बात नही है। आज आपके सामन दो रास्ते है। एक तो पशुबलका रास्ता है, जिसे आजमाकर देख लिया गया है तथा जो निष्फल साबित हुआ है, और दूसरा रास्ता है शान्तिका। आपको जो रास्ता चुनना था, लगता है उसे आपने अन्तिम रूपसे चुन लिया है। ईश्वर आपको इस मार्गपर दृढ रहनेकी शक्ति दे और इसके योग्य बनाये।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-१०-१९३८

१५. भाषण: होती मरदानमें[1]

१६ अक्टूबर, १९३८

गांधीजी ने उन लोगोंको समझाया कि अहिंसा कोई अंशोंमें स्वीकारने या नकारने की चीज नहीं है। इसका महत्व तो तभी है जब इसका पूर्ण आचरण किया जाये।

सूर्य उगता है तो उसकी गरमी सारी दुनियाको मिलती है। उसका अनुभव अन्धे भी करते है। इसी प्रकार जब एक लाख खुदाई खिदमतगार अहिसाकी सच्ची भावनासे ओतप्रोत हो जायेगे तो संसारके सामने अहिसाकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जायेगी और इसके प्राणदायी वायुका अनुभव हर आदमी करने लगेगा।

मै जानता हूँ कि यह बात कठिन है, किसी अपमानको सिर झुकाकर स्वीकार कर लेना पठानोके लिए कोई आसान काम नही है। पठानोको मै अपने दक्षिण आफ्रिकाके प्रवास-कालसे ही जानता हूँ। मुझे उनके निकट और अन्तरंग सम्पर्कमे आनेका सुअवसर मिला था। उनमे से कुछ मेरे मुवक्किल थे। वे मुझे अपना मित्र, विवेकशील बन्धु और मार्ग-दर्शक मानकर बिलकुल मुक्त भावसे अपनी राजकी बाते

१. प्यारेलाल नैयर के "पेट मरदान" शीर्षक विवरण से उद्धृत। गांधीजी खुदाई खिदमतगारोंसे आमतौर पर यह सवाल पूछा करते थे कि क्या वे हर परिस्थिति में अहिंसापर दृढ रहेंगे। यहाँ भी उन्होंने उनसे यही सवाल पूछा। इसपर एक ने उत्तर दिया कि हम और सब-कुछ तो सह लेंगे, लेकिन अपने नेताओंका अपमान हमसे बर्दाश्त नही होगा।

भी बता दिया करते थे। यहाँ तक कि वे मेरे पास आकर अपने छिपे हुए अपराध भी कबूल कर लिया करते थे। वे बड़े ही उद्धत स्वभावके और कटने-मरनेको तैयार रहनेवाले लोग थे। वे लाठी चलानेमें लासानी थे, तनिक-सी बातपर भड़क उठते थे और दंगोंमें सबसे आगे बढकर हिस्सा लेते थे। जिन्दगीका तो उनके लिए कोई मोल ही नही था। वे किसी आदमीकी हत्या ऐसे कर सकते थे जैसे वह आदमी नही, मेमना या मुर्गा हो। ऐसे लोग एक आदमीके कहनेपर अपने हथियार छोड़ दें और एक श्रेष्ठतर हथियारकी तरह अहिंसाको अपना ले, यह तो परियोंकी कथा-जैसी अविश्वसनीय बात लगती है। यदि एक लाख खुदाई खिदमतगार मन, वचन और कर्मसे सच्चे अहिंसावादी बन जाये और हिंसाको इस तरह छोड़ दे जैसे साँप अपना बेकारका केंचुल उतार फेंकता है तो यह चमत्कार ही होगा। इसीलिए अहिंसामें अपनी श्रद्धा होनेका आपने मुझे जो आश्वासन दिया है उसके बावजूद मेरे मनमें झिझक है और अपनी बातमें मैं "अगर ऐसा हो तो" जैसे मुहावरोंका प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी झिझक केवल इस बातकी द्योतक है कि यह कार्य कितना कठिन है। लेकिन बहादुरोंके लिए कोई भी कार्य इतना कठिन नही होता कि वे उसे कर ही न सकें, और मैं जानता हूँ कि पठान लोग बहादुर हैं।

जिस कड़ी कसौटीपर मैं आपको परखूँगा वह यह है. क्या आपने अपने हलकेके एक-एक व्यक्तिको अपना मित्र बनाया है, क्या उनमें से प्रत्येकका विश्वास प्राप्त किया है? लोग आपको प्रेमकी निगाहसे देखते हैं या भयकी दृष्टिसे? जब तक एक भी आदमी आपसे भय खाता है, समझ लीजिए आप सच्चे खुदाई खिदमतगार नही बन पाये हैं। खुदाई खिदमतगारकी बोल-चाल, तौर-तरीकेमें नम्रता होगी, उसकी दृष्टिसे ऐसी स्निग्ध ज्योति फूटेगी कि किसी अजनबीको भी, किसी स्त्री या बच्चेको भी सहज ही लगने लगेगा कि यह रहा उसका वह सच्चा मित्र और हमदर्द, खुदाका वह बन्दा जिसपर वह भरोसा कर सकता है। खुदाई खिदमतगारसे समाजके सभी वर्गोंके लोग सहयोग करेंगे। लेकिन लोग उसकी आज्ञाका पालन करेंगे तो उस भावसे नही जिस भावसे वे अत्याचार और दमनकी असीम शक्तिके स्वामी किसी हिटलर या मुसोलिनीकी आज्ञाका पालन करते हैं, बल्कि ऐसे प्रसन्न और सहज भावसे करेंगे जैसे कोई किसीके प्रेमके वशीभूत होकर ही उसकी आज्ञाका पालन करता है। प्रेमकी यह शक्ति केवल सतत स्नेहमय सेवा और प्रभु-भक्तिसे ही प्राप्त हो सकती है। जब मैं देखूँगा कि आपके प्रभावके कारण लोग अपनी गन्दी और स्वास्थ्यके लिए हानिप्रद आदतें धीरे-धीरे छोड रहे हैं, शराबी शराबखोरीसे विमुख हो रहे हैं और अपराधी वृत्तिके लोग अपराधोंका त्याग कर रहे हैं तथा लोग खुदाई खिदमतगारोंका स्वागत सर्वत्र अपने सहज रक्षकों और सच्चे मित्रोंकी तरह कर रहे हैं तब मैं समझूँगा कि हमारे बीच अन्तत ऐसे लोगोंका एक दल तैयार हो गया है जिन्होंने सचमुच अहिंसा-वृत्तिको आत्मसात कर लिया है और भारतकी मुक्तिकी घडी अब दूर नही है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-११-१९३८

१६. पत्र : शामलालको

मरदान
१७ अक्टूबर, १९३८

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला। कह नही सकता कि इस सम्बन्धमे[1] मै क्या कर सकूंगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला शामलाल, विधान-सभा सदस्य
७, बेगम रोड
लाहौर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२८५) से।

१७. पत्र : सिकन्दर हयात खांको

पेशावरके पतेपर
१७ अक्टूबर, १९३८

प्रिय सर सिकन्दर,

मुझे अभी-अभी बन्दी इन्द्रपालकी पत्नीका करुण पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे उसने लिखा है कि उसका पति, जो कि ८ सालसे सजा भुगत रहा है, इस समय लकवेका शिकार है। क्या मै उसकी रिहाईके लिए अनुरोध कर सकता हूँ?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर सिकन्दर हयात खाँ
मुख्य मन्त्री
लाहौर

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. पंजाबके कैदियोंके बारेमें; देखिए खण्ड ६६, पृ० ४२४।

१८. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

पेशावरके पतेपर
१७ अक्टूबर, १९३८

प्रिय भाई,

कल ही महादेवसे आपका पत्र मिला। जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकूँ तो मुझे कितनी खुशी हो! क्या आपको मालूम है कि मैंने राजकुमारीको खास तौरसे बीच-बचाव करनेके लिए[1] ही भेजा था? लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। कोई बाहरी आदमी हस्तक्षेप करे, यह सर सी० पी० को मंजूर नहीं है। मैंने उनसे बड़ी विनती की कि सारे मामले[2] की जाँचके लिए वे आपको बुलायें। मगर कोई जवाब न मिला। अब फिर शर्म-हया छोड़कर मैंने उनको तार भेजा है कि वे मुझे अपना कोई प्रतिनिधि भेजनेकी इजाजत दें। बल्कि अगर उन्हें गवारा हो तो मैं खुद भी वहाँ जानेको तैयार हूँ। लेकिन वे तो, चाहे जितनी युक्तिसंगत बात कहिए, कुछ सुननेको तैयार ही नहीं हैं। ऐसा कहनेके लिए माफ कीजिएगा। इस मामलेमें उनका जो रवैया रहा है उसे देखते हुए मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे मेरी इस दृढ़ मान्यतामें कोई अन्तर पड़ सके कि यह आन्दोलन बहुत ठीक है और जहाँ तक नेताओंका सम्बन्ध है, वे हर तरहसे अहिंसापर आरूढ़ हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। आशा है, आप स्वस्थ-प्रसन्न होंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८२०) से।

१. त्रावणकोर राज्यके अधिकारियोंके साथ; देखिए खण्ड ६७, "पत्र: सी० पी० रामस्वामी अय्यरको", पृ० २८३।

२. देखिए खण्ड ६७, पृ० २४७-८।

१९. पत्र : नारणदास गांधीको

मरदान
१७ अक्टूबर, १९३८

चि० नारणदास,

क्या कमलाको किसी मामलेमें तुम्हारा पथ-प्रदर्शन रुचा नहीं? पालीताणा या पोरबन्दरके पैसेमें से खादी या राष्ट्रीय शालाको कैसे हिस्सा दिया जा सकता है, यह मुझे समझाना।

वहाँ जो आन्दोलन चल रहा है उसके बारेमें लिखना।

पुरुषोत्तमने[1] आखिर क्या निर्णय किया?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५२ से भी; सौजन्य: नारणदास गाधी।

२०. पत्र : लीलावती आसरको

१७ अक्टूबर, १९३८

चि० लीला,

तेरा पत्र मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि तू उतावलीमें सेगाँव मत जा। वहाँ रहकर अपना वजन बढ़ा ले। मेरे पहुँचनेपर वहाँ आ जाना।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। फिलहाल इससे अधिककी आशा मत करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३७६) से। सी० डब्ल्यू० ६६५१ से भी; सौजन्य: लीलावती आसर।

१. नारणदास गांधीके पुत्र।

२१. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

पेशावर[1]
१७ अक्टूबर, १९३८

चि० कान्ति,

तेरे तीनो पत्र मिले। तेरे तर्कोमे मै कोई दोष नही देख सका। वे ठीक तरतीवसे रखे भी गये है। तूने यह तो नही माना है न कि यदि लडाई हो ही तो हम किसी भी रूपमे अंग्रेजोसे कोई समझौता न करे। इसके अतिरिक्त, यदि हम किसी भी शर्तपर लडाईमे भाग न ले तो यह चीज अपने-आपमे उनके लिए परेशानीका कारण होगी। यदि कांग्रेस मेरी बात माने तो इस मामलेमे हम और कुछ कर भी नही सकते।

किन्तु फिलहाल मुझे यही उचित जान पड़ता है कि तू अपनी पढाई-लिखाईको भूलकर इस ओर ध्यान न दे। तेरी विचारधारा तो चलती ही रहेगी और तेरे विचार परिपक्व होगे, किन्तु मै यही उचित मानता हूँ कि उन्हे किसीको समझानेमे तू अपना समय न गँवाये।

तेरे स्वास्थ्यके कारण मुझे चिन्ता बनी रहती है। यह निश्चित मानना कि स्वास्थ्य सुधारनेके कारण यदि एक वर्ष अधिक लग जाये तो उसमे कोई नुकसान नही है। खोया हुआ स्वास्थ्य फिर नही लौट सकता। तू कसरती है, तेरा शरीर भी सुगठित है। तेरी काठी तो मजबूत है ही। उसे टूटने मत देना। सेगाँव आ जाना और वहाँ कुछ दिन रहकर ढगसे खा-पीकर और आराम लेकर यदि स्वास्थ्य सुधारा जा सके तो सुधार लेना। इस मामलेमे मेरी बात मान लेना और आलस्य मत करना। यह अभिमान मत रखना कि तू बादमे किसी तरह अपना स्वास्थ्य सुधार लेगा।

सरस्वतीके दादाको मैने पत्र[2] लिखा है। प्रभाको तो लिखा ही है। यदि वह आ जायेगी तो मै उसकी देख-भाल करूँगा। नर्सिगका लोभ मत रख। यदि वह प्रशिक्षित हो जाये तो शेष सब-कुछ हो जायेगा। मुझे आशा है कि यदि वह मेरे पास रहेगी तो उसकी बुद्धि खुलेगी और विकसित होगी। तू यह तो स्वीकार करेगा ही कि आश्रममे रहनेवालोकी बुद्धि खुली है और विकसित हुई है। यह ठीक है कि उनके दिमागमे तथ्योकी जानकारी बहुत ज्यादा नही ठूँसी जाती, क्योकि पाठ्यक्रम वैसा नही होता। किन्तु वहाँ रहनेवाले बालक-बालिकाओकी बुद्धि उनके द्वारा चुने गये विषयोमे अच्छी चल सकी है।

१. साधन-सूत्रके अनुसार; हालाँकि गांधीजी इस तारीखको पेशावरमें नहीं थे।
२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

यदि यह बात तुझे न जँचती हो तो मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

हम यहाँ ९ नवम्बर तक तो हैं ही।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३५०) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी

२२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

मरदान
१७ अक्टूबर, १९३८

मेरे पास दो शिक्षकों और साथ ही कुछ आम लोगों के भी पत्र आये हैं, जिनमें त्रावणकोरके विद्यार्थियोंकी उपद्रवी प्रवृत्तियोंके खिलाफ शिकायत की गई है। कोट्टायमके सी० एम० एस० कालेजके प्रधानाचार्यने लिखा है कि विद्यार्थियोंने कक्षामें जानेवालोंका रास्ता रोक लिया। जो छात्राएँ इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी उन्हें इन्होंने दो वार वापस लौटनेपर मजबूर किया। कक्षाओंमें घुसकर वे शोर-गुल करने लगे, जिससे कक्षा चलाना असम्भव हो गया।

जो लड़ाई त्रावणकोरमें चल रही है, उसके प्रणेता तो यह दावा करते हैं कि वह सर्वथा शान्तिमय संघर्ष है। इसलिए उसमें इस हिंसात्मक ढंगसे भाग लेनेसे संघर्षकी प्रगति असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो जाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस आन्दोलनके नेतागण यह नहीं चाहते कि विद्यार्थी अगर इसमें भाग लेनेपर आमादा ही हो तो वे अहिंसाका मार्ग छोड़कर चलें। रास्ता रोकना, उपद्रव करना आदि साफ हिंसा है। लोगोंका खयाल है कि विद्यार्थियोंपर मेरा प्रभाव है। अगर उनपर सचमुच मेरा कोई प्रभाव है तो मैं उनसे मन, कर्म और वचनसे अहिंसक बने रहने को कहूँगा। लेकिन जो लोग इस आन्दोलनका सूत्र-संचालन कर रहे हैं वे यदि हिंसात्मक तत्वोंपर काबू नहीं पा सकते हों तो उन्हें इस बातपर विचार करना चाहिए कि क्या सविनय अवज्ञाको स्थगित कर देना ही इस आन्दोलनके हकमें बेहतर नहीं होगा।

इतनी दूर रहकर वहाँके आन्दोलनके सम्बन्धमें कोई नियम निर्धारित करनेका दम मुझे नहीं भरना चाहिए। लेकिन जो प्रमाण मेरे सामने हैं, उनको देखते हुए मुझे यह तो जरूर लगता है कि यदि नेतालोग विद्यार्थियोंको इस भ्रममें रहने देते हैं कि उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियोंसे आन्दोलनको कोई लाभ पहुँचनेवाला है अथवा वे मन-ही-मन प्रवृत्तियोंको पसन्द करते हैं तो वे एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१०-१९३८

२३. पत्र : अमृत कौरको

स्वावी
१७ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

यह तुम्हे सिर्फ प्यार भेजनेके लिए लिख रहा हूँ। इस यात्राके दौरान मुझे अपना समय और शक्ति बचाते हुए काम करना है न।

यूरोपकी स्थितिके सम्बन्धमे मेरा दूसरा लेख[1] तुम्हे कैसा लगा, लिखना।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४५० से भी।

२४. पत्र : महादेव देसाईको

स्वावी
१७ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

मैं यह स्वावीमें रातको लिख रहा हूँ। कल रात हम मरदानमें सोये थे। फिलहाल तो मैं खुदाई खिदमतगारोंके अधिकारियोंके साथ लम्बी बातचीत कर रहा हूँ। शेष पूरे समय मौन रखता हूँ। 'हरिजन' मे लिखनेका लोभ तो छोड़ ही देना। किन्तु उसके बारेमे अपनी आलोचना मेरी जानकारीके लिए भेजना। यदि प्रूफकी भूले रह जाती हो तो चन्द्रशंकरको सूचित करना। मैंने शास्त्रीको[2] जो पत्र लिखा था उसकी नकल प्यारेलाल भेजेगा। साथका पत्र राजकुमारीको पढवा देना।

लीला सेगाँव जानेको अधीर हो उठी है। उसे रोकना। मेरे वहाँ पहुँचनेके बाद वह आये। राजकोटमें रहकर अपना स्वास्थ्य सुधार ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६४) से।

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५९-६२।
२. देखिए पृ० १७।

२५. भाषण: स्वाबीमें[1]

[१७ अक्टूबर, १९३८][2]

यहाँ गांधीजी ने जो भाषण दिया वह खुदाई खिदमतगारोंसे आत्मनिरीक्षण करने-का एक उत्कट अनुरोध था। उन्होंने कहा, आपने सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें जेल जाकर अपने पौरुषका परिचय दिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। जेलोंको भर देनेमात्रसे ही भारतको आजादी मिलनेवाली नहीं है।

जेल तो चोर-उचक्के भी जाते हैं, लेकिन उनके जेल जानेकी कोई महत्ता नहीं है। असर तो पुण्यात्मा और निर्दोष लोगोंका कष्ट-सहन ही दिखाता है। जब अधिकारियोंको अधिकसे-अधिक पवित्रात्मा और निर्दोष लोगोंको जेल भेजना पड़ता है, तभी उनका हृदय-परिवर्तन सम्भव होता है। सत्याग्रही जेल जाता है तो कोई अधिकारियोंको परेशानीमें डालनेके लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने निर्दोष होनेका पूरा विश्वास दिलाकर उनका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए जाता है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आपने जेल जानेके लिए सत्याग्रहके सिद्धान्तमें अपेक्षित नैतिक योग्यताका विकास अपने अन्दर नहीं कर लिया है तो आपका जेल जाना बेकार होगा और उनसे आपको अन्तमें केवल निराशा ही मिलेगी। अहिंसाके भक्तमें जेल-जीवनका अपमान और उसकी कठिनाइयाँ सहनेकी क्षमता होनी चाहिए, और इन कष्टोंको सहनेमें वह बदलेकी कोई कार्रवाई न करे या उसके मनमें क्रोध न आये, इतना ही काफी नहीं है; उसमें तो उनपर मुसीबतें ढानेवालों और उसका अपमान करनेवालोंके प्रति दयाका भाव होना चाहिए। इसलिए आज आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप मेरी इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए अपने मनको टटोलकर देखिए, और अगर आपको लगे कि आप इस राहपर इतनी दूर तक नहीं जा सकते या नहीं जा रहे हैं तो अपना अहिंसाका बिल्ला उतार फेंकिए और खानसाहबसे कहिए कि वे आपको आपकी प्रतिज्ञासे मुक्त कर दें। वह एक किस्मकी बहादुरी होगी। लेकिन मैंने अहिंसाके सिद्धान्तकी जो व्याख्या की है उसके अनुसार यदि आपकी उस सिद्धान्तमें पूरी श्रद्धा है तो आप सच मानिए कि परीक्षाकी घड़ीमें खुदा आपको आवश्यक शक्ति देगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ५-११-१९३८

१. प्यारेलाल नैयरके "ग्रेट मरदान" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।
२. गांधीजी इस तारीखको स्वाबीमें थे।

२६. पत्र : रायकुमार सिंहको

१८ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपने जो प्रश्न उठाये हैं, उन सबपर तो मैं अपने लेखोंमें लिख ही चुका हूँ। निस्सन्देह, यदि इंग्लैंड और फ्रांसमें उस बातकी हिम्मत हो तो मैं चाहूँगा कि वे अपने शस्त्रास्त्र त्याग दें। और निस्सन्देह मेरा दावा है कि निम्नतर पशु-जगतमें व्याप्त नियम मनुष्य जातिके लिए नियम नहीं हो सकता। देखा गया है कि पशु-स्वभाव भी प्रेमके वशीभूत हो जाता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत रायकुमार सिंह
जमींदार
डाकखाना नाथनगर
जि० भागलपुर

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२७. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१८ अक्टूबर, १९३८

बा,

रामदास और देवदासके पत्रोंसे लगता है कि अब तेरी हालत खतरेसे बाहर मानी जायेगी। जब सुशीलाको तेरे बारेमें मेरी चिन्ताका ज्ञान हुआ तो उसने मुझसे कहा, मुझे भेजो। मैंने उससे कहा कि "मैं तुझे भेजकर क्या करूँगा? बा की सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं। मैं तो अपनी मनकी शान्तिके विचारसे बा की खटियाके पास उपस्थित रहना चाहता हूँ और बा भी यही चाहती है। इसके बावजूद मुझे अपना हृदय कठोर बनाकर यहाँ रहनेके अपने कर्तव्यका पालन करना है।" किन्तु लगता है ईश्वरने कृपा की है। आशा है, लक्ष्मी और बच्चे आनन्दपूर्वक होंगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३०

२८. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

उटमंजई
१८ अक्टूबर, १९३८

चि० काका,

यह तुम्हारी जानकारीके लिए है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मुझपर असर नही पड़ा। प्रेमाको लिखे पत्रमे ऐसा क्या है?

आशा है तुम आनन्दपूर्वक होगे। तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक हो गई होगी। बाल तुम्हारे ही पास है न? उसका पोस्टकार्ड मिला था।

यहाँकी आवहवा बहुत अच्छी है। शान्तिकी कोई सीमा नही है। इतनी शान्ति कही नही मिल सकती।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६८३) से।

२९. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

दौरेपर
१८ अक्टूबर, १९३८

भाई मूलचन्दजी,

तुमारे खतका उत्तर आज ही दे सकता हूं। मै तो पुस्तक न पढ सका लेकिन नाणावटीजीको कार्य सिपुर्द किया। उसे मै पढ गया।[1] उसमे जो प्रमाण दिये है उसका मै स्वीकार करता हूँ। नाणावटीजीकी टीकाकी भाषाका समर्थन करनेकी आवश्यकता नही है क्योकि प्रस्तूत केवल स्वामीजीकी लेखनी है। हिंदु धर्मको सकुचित कर दिया है और ग्रंथ निराशाजनक है यह दो वस्तु स्वामीजीके शब्दोसे ही नाणावटीजीने सिद्ध कर दी है। अब मेरी सलाह है कि इस चर्चाको बढाना नही। ग्रन्थ कैसा भी हो स्वामीजीके महत्वको हानि नही पहोचती है क्योकि उन्होने जो कार्य किया उसे कौन भूल सकता है? स्वामीजीकी कीर्ति ग्रन्थसे परे है। उक्त दो कथनसे मैने आर्यसमाजकी सेवा की है ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इतना कहने पर भी

१. सम्भवत: नानावटी द्वारा तैयार की गई टिप्पणी।

आप कुछ शंका निवारण चाहे तो अवश्य लिखे। अच्छा होगा नाणावटीजीको लिखे। जो-कुछ वह लिखेंगे मुझे बतायेंगे। उनपर मेरा विश्वास है।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२८) से।

३०. हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू

बडे दुःखकी बात है कि हिन्दी-उर्दूके सवालको लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है और वह अब भी चल रहा है। जहाँ तक कांग्रेसका सम्बन्ध है, उसने हिन्दुस्तानीको ऐसी भाषाके रूपमे विधिवत् मान्य किया है जिसे अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्कके लिए अखिल भारतीय भाषा बनना है। मंशा यह नहीं है कि वह प्रान्तीय भाषाओंके स्थानपर स्वयं आसीन हो जाये, बल्कि यह है कि उन्हे और भी समृद्ध करे। कार्य-समितिके हालके प्रस्तावसे इस सम्बन्धमे सारी शंकाएँ शान्त हो जानी चाहिए। जिन कांग्रेसियोको अखिल भारतीय स्तरपर काम करना है वे यदि हिन्दुस्तानीको दोनो लिपियोमे सीखने-भरकी तकलीफ उठाये तो उसका मतलब होगा कि हम अपने राष्ट्रभाषा-विषयक लक्ष्यकी दिशामे कई कदम आगे बढ चुके है। असली स्पर्धा हिन्दी और उर्दूके बीच नही, बल्कि हिन्दु- स्तानी और अंग्रेजीके बीच है। यह बड़ी कठिन लडाई है। इसकी ओर मैं बड़ी चिन्तातुर दृष्टिसे देख रहा हूँ।

हिन्दी-उर्दू विवादका कोई सच्चा आधार नही है। कांग्रेसकी कल्पनाकी हिन्दु-स्तानीको अपना स्पष्ट स्वरूप ग्रहण करना अभी शेष है। जब तक कांग्रेसकी सारी कार्यवाहियाँ निरपवाद रूपसे हिन्दुस्तानीमें ही नही होने लगती, तब तक वह अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण करनेवाली भी नही है। कांग्रेसको कांग्रेसियोके प्रयोगके लिए कुछ शब्दकोष निर्धारित करने पडेंगे और उसके एक विभागको इन कोषोसे बाहरके जरूरी शब्द जुटानेका काम करना पडेगा। यह काम बडा है, लेकिन यदि हम एक सजीव और विकासशील अखिल भारतीय भाषा चाहते है तो यह काम किये बिना निस्तार नही है। उस विभागको यह तय करना होगा कि वर्तमान साहित्यमें से — उर्दू या देवनागरी लिपिकी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओ आदिमे से — क्या कुछ हिन्दुस्तानी माने जाने लायक है। यह कार्य बहुत गम्भीर ढंगका है और इसे सफल बनानेके लिए इसपर बहुत अधिक परिश्रम करनेकी जरूरत है।

हिन्दुस्तानी अपना सही स्वरूप निखार सके, इसके लिए हिन्दी और उर्दू दोनों स्रोतोसे इसके भण्डारको समृद्ध किया जाये। इसलिए कांग्रेसियोको तो दोनो भाषाओंके हितकी कामना करनी चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो, दोनोसे सम्पर्क रखना चाहिए।

इस हिन्दुस्तानीके एक-एक शब्दके अनेक पर्याय होने चाहिए, ताकि यह भिन्न प्रान्तीय भाषाओसे समृद्ध एक विकासोन्मुख राष्ट्रकी विविध आवश्यकताओकी पूर्ति कर सके। बंगालियो या दक्षिण भारतके लोगोंके सामने बोली जानेवाली हिन्दुस्तानीमे

स्वभावत संस्कृतसे लिये गये शब्दोका अधिक प्रयोग होगा। वही भाषण जब पंजाबमे दिया जायेगा तो उसमे अरबी और फारसीके शब्दोकी बहुलता होगी। यही बात उस श्रोता वर्गके सन्दर्भमे भी लागू होगी जिसमे मुसलमानोकी प्रमुखता हो, क्योकि वे संस्कृत-से लिये हुए बहुत-से शब्द नही समझ सकते। इसलिए अखिल भारतीय स्तरके वक्ताओको हिन्दुस्तानीकी शब्दावली पर ऐसा अधिकार प्राप्त करना होगा जिससे उन्हे भारत के सभी हिस्सोंके श्रोता समुदायके समक्ष बोलनेमे भी कोई अड़चन या अटपटापन महसूस न हो। इस सिलसिलेमे पण्डित मालवीयजीका नाम सबसे पहले याद आता है। उन्हे मैने हिन्दीभाषी श्रोताओंके सामने भी और उर्दूभाषी श्रोताओके समक्ष भी समान सरलतासे बोलते देखा है। उन्हे ठीक शब्दके लिए रुकते-अटकते तो मैने कभी देखा ही नही है। यही बात बाबू भगवानदास पर भी लागू होती है। वे एक ही भाषणमे पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग करते जाते है और साथ ही भाषणके सौष्ठव-मे भी कोई कमी नही आने देते। मुसलमानोंके बीच तो मुझे अभी मौलाना मुहम्मद अलीका ही नाम याद आ रहा है। उनके शब्दभण्डारमे इतनी विविधता है कि वे दोनो तरहके श्रोताओंके सामने मजेमे बोल लेते है। बड़ौदा राज्यकी नौकरीमे रहकर उन्होने गुजरातीका जो ज्ञान प्राप्त किया वह उनके ठीक काम आया।

और कांग्रेसकी नीतिसे स्वतन्त्र रहकर हिन्दी और उर्दू दोनो फूलती-फलती रहेंगी। हिन्दी मुख्यत हिन्दुओंके बीच सीमित रहेगी और उर्दू मुसलमानोके बीच। सच तो यह है कि अगर तुलनात्मक दृष्टिसे देखे तो ऐसे मुसलमान बहुत कम है जिन्हें हिन्दीके विद्वान माने जानेकी हद तक उस भाषाका ज्ञान है, यद्यपि मै मानता हूँ कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रोमे जन्मे मुसलमानोकी मातृभाषा सम्भवत हिन्दी ही होगी। हजारो हिन्दुओकी मातृभाषा उर्दू है और सैकड़ो हिन्दुओको बखूबी उर्दूका विद्वान कहा जा सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे पण्डित मोतीलाल नेहरू। दूसरे है डा० तेज बहादुर सप्रू। ऐसे बहुत-से उदाहरण आसानीसे दिये जा सकते है। इसलिए इन दोनो बहनोमे झगड़े या हानिप्रद स्पर्धाका कोई कारण नही है। हाँ, लाभप्रद स्पर्धा तो होनी ही चाहिए।

मुझे जितना-कुछ जानने-सुननेको मिला उससे तो यही लगता है कि मौलवी साहब अब्दुल हकके सुयोग्य मार्ग-दर्शनमे उस्मानिया विश्वविद्यालय उर्दूकी बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है। विश्वविद्यालयने उर्दूका एक बृहत् शब्दकोष तैयार किया है। विज्ञान-की पुस्तके उर्दूमे तैयार कराई गई है और कराई जा रही है। और चूँकि यहाँ शिक्षा-के माध्यमके रूपमे ईमानदारीके साथ उर्दूका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इस भाषाका विकास होना अवश्यम्भावी है। और यदि निरर्थक पूर्वग्रहके वशीभूत होकर आज सभी हिन्दीभाषी हिन्दू वहाँ तैयार हो रहे साहित्यका लाभ नही उठा रहे है तो इसमे गलती उन्हींकी है। लेकिन पूर्वग्रहको मिटना है। कारण, आज दोनो समुदायोमे जो विभेद है वह सभी रोगोकी तरह अस्थायी ही है। अब चाहे यह सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, लेकिन सचाई तो यही है कि भारतसे दोनो समुदायोका अविच्छेद्य सम्बन्ध है, दोनो एक-दूसरेके पड़ोसी है, दोनो इस मिट्टीकी सन्तान है।

उनका जन्म यहाँ हुआ और उन्हे मरना भी यही है। अगर दोनो समुदाय स्वेच्छासे एक सूत्रमे नही बँधते तो प्रकृति उन्हे शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहनेको मजबूर करेगी।

और जो बात हिन्दुओपर लागू होती है वही मुसलमानोपर भी। यदि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभाके परिश्रमके फलका लाभ नही उठाते तो इससे नुकसान उन्हीको है। सम्मेलनने उत्तर भारतमे हिन्दुओ और मुसलमानो, दोनो द्वारा बोली जानेवाली और उर्दू तथा देवनागरी लिपिमे लिखी जानेवाली भाषाके रूपमे हिन्दीकी परिभाषा करके एक बडा कदम (सम्मेलनकी दृष्टिसे देखे तो) उठाया है। यदि इस तथ्यको मुसलमानोने गर्व और प्रसन्नताके साथ लक्षित नही किया है तो यह बडे दु खका विषय है। जहाँ तक उक्त परिभाषाका सम्बन्ध है यह हिन्दुस्तानीकी काग्रेसवाली परिभाषामे मेल खाती है।

मै जानता हूँ कि कुछ लोग यह सपना देख रहे है कि केवल उर्दू ही रहेगी, या यह कि केवल हिन्दी ही रहेगी। मेरा विचार है कि यह सपना सदा सपना ही बना रहेगा और यह एक अपवित्र सपना है। इस्लामकी अपनी एक विशिष्ट सस्कृति है, उसी तरह हिन्दुत्वकी भी। भावी भारत दोनोका सम्यक् और सुखद मिश्रण होगा। जब वह शुभ दिन आयेगा, उनकी सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी ही होगी। लेकिन अरबी और फारसी शब्दोकी बहुलतासे युक्त उर्दू तब भी फूलती-फलती रहेगी और सस्कृत शब्दोकी प्रचुरताके साथ हिन्दी भी विकास करती रहेगी। जिस प्रकार शिबलीकी रचनाओकी भाषा कभी मर नही सकती उसी प्रकार तुलसीदास और सूरदास-जैसे सन्तोकी भाषा भी अमर है। लेकिन दोनो भाषाओके अच्छेसे-अच्छे जानकार हिन्दुस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते होगे।

उटमजई, १९ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-१०-१९३८

३१. प्रस्तावना : 'दादाभाई नौरोजी' की

उटमंजई

१९ अक्टूबर, १९३८

बात ४ सितम्बर, १८८८ की है; मैने बम्बईसे जहाजमे बैठकर [इग्लैंडके लिए] प्रस्थान किया था। साथमे तीन परिचय-पत्र थ, जिनमे सबसे मूल्यवान था भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीके नाम लिखा पत्र। वह पत्र मुझे एक महाराष्ट्री डॉक्टरने दिया था, जो हमारे परिवारके मित्र थे। आदरणीय डॉक्टर साहबने मुझसे कहा, दादाभाई मुझे व्यक्तिगत रूपसे नही जानते, बल्कि मैने तो कभी उनके दर्शन भी नही किये है, "लेकिन इससे क्या? उन्हे तो सब जानते है और भारतके एक महान सपूत और उसके हितोके प्रबल पक्षधरके रूपमे सब उनमे श्रद्धा रखते है। हमारे लिए ही उन्होने प्रवास स्वीकार किया है। मै तो उन्हे, उन्होने भारतकी जो सेवा की

है, उससे जाननेका दावा करता हूँ। तुम देखना कि यह पत्र तुम्हारे लिए उतने ही कामका साबित होगा जितना तब होता जबकि मैं उन्हे व्यक्तिगत रूपसे जानता होता। सच तो यह है कि उनके पास तुम्हें कोई परिचय-पत्र लेकर जानेकी जरूरत ही नही है। तुम्हारा भारतीय होना ही उनके लिए तुम्हारा पर्याप्त परिचय है। लेकिन तुम कच्ची उम्रके हो, तुमने देश-दुनिया देखी नही है और स्वभावसे सकोची हो। इस पत्रसे तुम्हें भारतके उस पितामहके पास जानेकी हिम्मत बँधेगी, और तुम उनके पास पहुँचे नही कि सारी दुविधा-कठिनाई दूर हुई।" और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। लन्दन पहुँचकर मुझे यह देखते देर नही लगी कि भारतीय विद्यार्थियोके लिए दादाभाईका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। दरअसल वे हर भारतीय विद्यार्थीके लिए, चाहे वह किसी प्रान्त या किसी धर्मका हो, पिता-तुल्य थे; उनकी कठिनाइयोमे उन्हे परामर्श देने, उनको राह दिखाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। मै सदासे महापुरुषोंका पुजारी रहा हूँ। दादाभाई तो मेरे सचमुच दादा बन गये। जब मै दक्षिण आफ्रिकामे था, हमारे सम्बन्धोंकी जड़े अधिकसे-अधिक पुख्ता हो गईं। कारण, मेरे वहाँके काममे वे सदा मुझे सलाह और प्रेरणा देते रहे। ऐसा कोई सप्ताह नही गुजरता था जब मै दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोंकी अवस्थाका विवरण देते हुए उन्हे पत्र नही लिखता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे उनके उत्तरकी प्रतीक्षा रहती थी तब उनका उत्तर न आये, ऐसा कभी नहीं हुआ। वह उत्तर भी हमेशा उनकी अपनी लिखावटमे होता था और ऐसी सरल शैलीमे जिसके धनी वे अकेले थे। उनसे कोई टाइप किया हुआ पत्र मुझे कभी नही मिला। और दक्षिण आफ्रिकासे मै जब भी इंग्लैंड गया, उनके कार्यालयके नामपर उनके पास मैंने बस ८'×६' का एक दरबा-भर देखा। कोई दूसरी कुर्सी उसमे मुश्किलसे ही आ सकती होगी। उनकी मेज, कुर्सी और फाइलो, इतनेसे ही पूरा कमरा भरा होता था। मैंने देखा कि अपने पत्र वे 'कापीग इंक' स्याहीसे लिखते थे और उनकी प्रतियाँ भी एक विशेष मशीनपर वे खुद ही तैयार करते थे।

श्री मसानीका लिखा यह जीवन-चरित मैंने पढ़ा नही है। लेकिन यदि उन्होने पुस्तकमे इतने महान तथा उदात्त और फिर भी ऐसे सरल व्यक्ति के साथ न्याय किया है तो उनकी कृतिको मेरे या किसीके भी लिखे परिचयकी आवश्यकता नही है। मेरी यह कामना है कि जिस प्रकार दादाभाई जी मेरे प्रेरणा-स्रोत रहे उसी प्रकार यह पुस्तक भी पाठको के लिए प्रेरणा-स्रोत बने।

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८७५) से।

३२. पत्र : रुस्तम मसानीको

उटमंजई
१९ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मित्र,

जो प्रस्तावना[1] लिखनेका वादा किया था, साथमें भेज रहा हूँ। आशा है, इसे भेजनेमें मुझसे देर नहीं हुई है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च .]

आपने अपनी 'द रिलीजन ऑफ द गुड लाइफ' की एक प्रति भेजी थी। अभी कुछ समय मिला है तो उसे पढ़ रहा हूँ।

आपने मेरी फोटो माँगी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अपनी कोई फोटो अपने पास रखता ही नहीं।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंसिडेंट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ, पृ० १७०

३३. बातचीत : अब्दुल गफ्फार खाँके साथ

[१९/२० अक्टूबर, १९३८][2]

पेशावर और मरदान जिलोंके खुदाई खिदमतगारोंसे मिलनेके लिए वहाँका दौरा करनेके बाद गांधीजी उटमंजई पहुँचे जहाँ अपनी शान्त और एकान्त विश्राम-स्थलीपर उन्होंने बादशाह खानके साथ विचार-विमर्श करनेमें, और दोनोंने अपने-अपने निष्कर्षोंकी तुलना करनेमें दो दिन बिताये। उनकी सीमाप्रान्तकी महत्वपूर्ण यात्राका यह एक महत्वपूर्ण चरण था। गांधीजीने बादशाह खानसे पूछा :

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. हरिजन, १२-११-१९३८ में प्रकाशित प्यारेलालके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स–४" शीर्षक विवरणके आधारपर।

आपका क्या खयाल बना है? अहिंसाके बारेमें खुदाई खिदमतगारोंका क्या रुख है?

[बादशाह खान:] महात्माजी, मेरा खयाल है कि जैसाकि उन लोगोंने उस दिन खुद ही हमारे सामने कबूल किया था, वे लोग इसमें बिलकुल नौसिखिये हैं और अभी वे अहिंसाके मानदण्डसे बहुत नीचे हैं। वे अपने दिलसे हिंसाको पूरी तरह निकाल नहीं पाये हैं और वह अब भी उनके दिलमें है। उनमें क्रोधी स्वभावके दोष हैं, किन्तु उनके दिलकी सच्चाई सन्देहसे परे है। यदि उन्हें मौका दिया जाये तो प्रशिक्षणसे उनका सही गठन हो सकता है और मेरे विचारमें यह प्रयास सार्थक होगा। . . . आपने हमें जिस तरह अहिंसाका सिद्धान्त समझाया है यदि उस समूचे सिद्धान्तको हम पचा लें और उसपर अमल कर सकें तो हम कितने ताकतवर हो जायेंगे और हमारा कितना भला होगा। . . .

गांधीजी ने बादशाह खानसे कहा कि अगर अहिंसाके साथ न्याय करते हुए उसे आजमाना है तो खुदाई खिदमतगारोंके वास्ते मैं रचनात्मक अहिंसाका जो एक कड़ा कार्यक्रम सोच रहा हूँ, उन्हें उसका पालन करनेके लिए तैयार रहना होगा।

[बा० खा०:] महात्माजी, मेरा विचार उटमंजईको एक आदर्श गाँव बना देनेका है। कताई-बुनाई केन्द्र स्वयं एक स्थायी प्रदर्शनी-जैसा होगा जिससे गाँववाले कुछ सीख सकें। खुदाई खिदमतगारोंके आश्रममें हम आत्मनिर्भरताका आदर्श लेकर चलेंगे। हम अपने हाथोंसे बने कपड़े ही पहनेंगे, सिर्फ वही फल-सब्जियाँ खायेंगे जिन्हें हमने स्वयं उगाया हो और दूधके लिए एक छोटी-सी गोशाला बनायेंगे। जो चीजें हम खुद तैयार नहीं कर सकते, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे।

[गा०:] ठीक है। मैं एक और सुझाव दूं? खुदाई खिदमतगारोंके रहनेके लिए जो झोपडियाँ बनानी है उनके निर्माणमे भी वे उचित योगदान दे।

[बा० खा०:] हाँ, हमारा यही विचार है।

गांधीजी ने सुझाव दिया कि कार्यकर्ताओंके पहले जत्थेके प्रशिक्षणके लिए बादशाह खान कुछ खुदाई खिदमतगारोंको चुनें और उन्हें वर्धा भेजा जाये जहाँ वे खादी-शास्त्रमें ही पारंगत नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य-सफाई, ग्राम-सुधार कार्य और हिन्दुस्तानीकी भी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त होगी। वहाँ उन्हें वर्धा शिक्षा योजनाकी भी दीक्षा मिलेगी ताकि वे लौटनेपर जनसामान्यकी शिक्षाका काम सँभाल लें। गांधीजी ने कहा:

किन्तु जब तक आप अगुआई करके इन सब विषयोंमे खुद पारंगत नही बन जाते तब तक आपका काम आगे नही बढ़ेगा।

और अन्तमे यह कहूँगा कि अपने आश्रममे समयकी पाबन्दीका नियम लागू किये बिना आपका सब काम व्यर्थ हो जायेगा। एक पक्का दैनिक कार्यक्रम तय होना चाहिए जिसमे जागने, सोने, भोजन करने, काम और आराम करनेका समय, सभी

सुनिश्चित हो और इस कार्यक्रमका कड़ाईसे पालन करवाया जाये। समयकी पाबन्दी-को मैं बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि यह अहिंसाका एक उपप्रमेय है।

तत्पश्चात् गांधीजी और बादशाह खानने इस बातपर विचार किया कि अपनी अहिंसापर पक्का भरोसा हो जानेके बाद खुदाई खिदमतगारोंको सरहदी हमलोंसे निपटनेके अपने उद्देश्यको पूरा करने के लिए कैसी कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। बादशाह खानका मत था कि पुलिस और सेनाकी मौजूदगीसे यह काम बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि पुलिस और सेना पूरी तरह जनताके अधीन नहीं है और उनकी उपस्थितिसे दोहरे शासनके सभी कुपरिणाम सामने आते हैं। "या तो सरकार पूरे दिलसे हमारे साथ सहयोग करे या फिर शुरुआतके तौरपर केवल एक जिलेसे पुलिस और सेनाको हटा ले, तो फिर हम अपने खुदाई खिदमतगारोंके जरिये उस जिलेमें शान्ति बनाये रखनेका जिम्मा लेंगे।" किन्तु गांधीजीका मत और ही था। वे बोले:

मुझे स्पष्ट स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे अधिकारियोंसे यह आशा नहीं है कि वे हमारे साथ खुले दिलसे पूरा-पूरा सहयोग करेंगे। वे हमारे इरादेपर बेशक अविश्वास न करें किन्तु हमारी सामर्थ्यपर विश्वास नहीं करेंगे। केवल हमारे भरोसे पुलिस हटा ली जाये, ऐसी आशा रखना उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखना होगा। अहिंसा एक सार्वभौमिक सिद्धान्त है और विरोधी वातावरणसे उसकी कार्यशीलता घट नहीं जाती। सच तो यह है कि उसकी उपयोगिताकी परख तभी होती है जबकि वह विरोधके बीच और उसके बावजूद काम करती है। यदि अहिंसाकी सफलता अधिकारियोंके सौहार्दपर ही अवलम्बित हो तो हमारी अहिंसा खोखली होगी और उसकी कोई कीमत नहीं। अगर जनसामान्यपर हमारा पूरा वश कायम हो जाये तो पुलिस और सेनाकी उपस्थितिसे हमें कोई हर्ज नहीं।

और गांधीजी ने बादशाह खानसे ब्रिटिश युवराज [प्रिंस ऑफ वेल्स] के आगमनके मौकेपर हुए बम्बईके दंगोंका वर्णन किया जब पुलिस और सेनाके लिए कोई काम ही नहीं रहा था, क्योंकि कांग्रेसने फौरन स्थितिपर काबू पा लिया और शान्तिकी स्थापना हो गई।

[बा० खा० :] किन्तु दिक्कत यह है कि ये हमलावर अधिकतर ब्रिटिश भारतसे भागे हुए बदमाश ही हैं। हम उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी अफसर हमें या हमारे कार्यकर्ताओंको कबाइली इलाकोंमें जानेकी इजाजत नहीं देते।

[गा०] उनको इजाजत देनी ही होगी और मैं कहता हूँ कि जब हम पूरी तरह तैयार हो जायेंगे तो वे अवश्य इजाजत देंगे। किन्तु उसके लिए हमें ऐसे खुदाई खिदमतगारोंका दल चाहिए जो वास्तवमें खुदाके सच्चे सेवक हैं और जिनके लिए अहिंसा एक जीवन्त आस्था बन चुकी है। अहिंसा एक उच्चतम कोटिका क्रियाशील सिद्धान्त है। यह आत्मिक बल या हमारे भीतर स्थित ईश्वरत्वकी शक्ति है। अपूर्ण मनुष्य उस समूचे सारतत्वको समझनेमें असमर्थ है — वह तो उसकी पूरी-पूरी ज्वालाको सह भी नहीं सकता — किन्तु जब उसका एक अत्यन्त सूक्ष्म अंश भी हमारे भीतर सक्रिय

हो उठता है तो अद्भुत परिणाम दिखाता है। आकाशवासी सूर्य समूचे विश्वको अपनी जीवनदायिनी ऊष्मासे भर देता है, किन्तु अगर कोई उसके बहुत निकट पहुँच जाये तो उसे जलाकर भस्म कर देगा। ठीक यही बात ईश्वरत्वकी है। हम जिस हद तक अहिंसाको अपना लेगे उस हद तक हम ईश्वर-जैसे होगे, किन्तु हम पूरी तरह भगवान तो बन ही नही सकते। अहिंसाका असर रेडियम-जैसा है। शरीरके किसी घातक रूपसे अभिवृद्ध अंगमे यदि रेडियमका अत्यन्त सूक्ष्म टुकडा डाल दिया जाये तो वह लगातार चुपचाप और अनवरत रूपसे तब तक अपना असर करता रहता है जब तक मासके समूची रोगग्रस्त कोषोकी परत स्वस्थ नही बन जाती। इसी प्रकार सच्ची अहिंसाका छोटा-सा अश भी चुपचाप, सूक्ष्म और अदृश्य रूपसे अपना काम करके समूचे समाजको प्रभावित कर देता है।

अहिंसा अपने-आप काम करती है। मृत्युके बाद भी आत्मा रह जाती है और उसका अस्तित्व भौतिक देहपर आश्रित नही। इसी प्रकार अहिंसा या आत्मिक बलकी भी परिवृद्धि और उसके प्रभावके लिए भौतिक साधनोकी आवश्यकता नही है।

अत यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक स्थानपर अहिंसा सफल रूपसे स्थापित हो जाये तो उसका प्रभाव सर्वत्र फैलेगा। उटमंजईमे यदि एक भी डाका पडे तो मै कहूँगा कि हमारी अहिंसा सच्ची अहिंसा नही है।

अहिंसा-पालनका मूलाधार यही सिद्धान्त है कि जो बात हमपर लागू होती है वही समस्त विश्वके लिए भी उतनी ही लागू होती है। मूलभूत रूपमे सभी मनुष्य एक समान है। अत. जो मेरे लिए, वही सबके लिए सम्भव है। इसी तर्कधाराके सहारे मै इस निष्कर्षपर पहुँचा कि यदि मै किसी एक गाँवमे उठनेवाली अनेक समस्याओका अहिंसात्मक समाधान निकाल लूं तो उससे पाठ सीखकर मै पूरे भारतकी वैसी ही समस्याओका अहिंसात्मक समाधान निकालनेमे समर्थ हो जाऊँगा।

अत मैने सेवाग्राममे बस जानेका निश्चय किया। सेवाग्राममे रहना मेरे लिए बडा शिक्षाप्रद सिद्ध हुआ है। हरिजनोके साथके अपने अनुभवोके फलस्वरूप मुझे अपने विचारमे हिन्दू-मुस्लिम समस्याका एक ऐसा आदर्श समाधान प्राप्त हो गया है जिससे समझौतोकी कोई जरूरत ही नही रह जाती। अगर आप उटमजईमे सब-कुछ ठीक-ठाक कर पाये तो आपकी पूरी समस्या सुलझ जायेगी। अग्रेजोने हमारी रक्षाके प्रकट ध्येयको लेकर पुलिस और सेना रखी है, किन्तु यदि हम उनके सामने सिद्ध कर दे कि उनके इस रक्षणकी सचमुच कोई जरूरत नही तो अग्रेजोके साथ हमारे सम्बन्ध भी परिवर्तित और शुद्ध हो जायेगे।

किन्तु बादशाह खानको एक शंका थी। हर गाँवमें कुछ-एक निपट स्वार्थी और नाजायज फायदा उठानेवाले लोग होते हैं जो अपनी स्वार्थपूर्तिके लिए कुछ भी करनेको तैयार रहते हैं। बादशाह खानने पूछा कि क्या ऐसे लोगोंकी पूरी-पूरी उपेक्षा करना ही बेहतर नहीं होगा, या कि उनसे भी सम्बन्ध बनानेकी कोशिश की जाये।

[गा० :] अन्ततः तो हमे उनमे से कुछ लोगोको त्यागना ही पड़ेगा, किन्तु हमे किसीको भी बिलकुल गया-बीता नही मानना चाहिए। हमे दुष्टकी मन स्थिति समझने-

की कोशिश करनी चाहिए। अकसर वह अपनी परिस्थितियोका शिकार होता है। धैर्य और सहानुभूतिके सहारे हम उनमें से कम-से-कम कुछ लोगोको तो न्यायके पक्षमे खीचनेमे समर्थ हो जायेंगे। इसके अलावा हमे यह भी याद रखना चाहिए कि बुराई भी तभी पनप पाती है जब उसे भले लोगोका सहयोग मिलता रहे, चाहे वह खुशीसे या जबरन दिया गया हो। केवल सत्य ही आत्म-पोषित है। दुष्टोकी शैतानी करनेकी ताकतपर रोक-थाम करनेका अन्तिम उपाय यह है कि उनको जरा भी सहयोग न दिया जाये और उन्हे पूरी तरह सबसे अलग कर दिया जाये।

सार रूपमे यही अहिंसात्मक असहयोगका सिद्धान्त है। अत. इसका निष्कर्ष यह निकला कि इसके मूलमे प्रेम होना चाहिए। विपक्षीको दड देना या उसको हानि पहुँचाना अहिंसकका ध्येय नही होना चाहिए। विपक्षीके साथ असहयोग करते हुए भी हमें उसे यही भान कराना है कि हम उसके मित्र हैं और जब भी सम्भव हो उसका उपकार करके हम उसके दिल तक पहुँचनेकी कोशिश करे। वास्तवमे अहिंसाकी कसौटी तो यही है कि अहिंसामय सघर्षके बाद मनमें कोई कडवाहट बाकी न रहे और अन्तत. शत्रु भी मित्र बन जाये। दक्षिण आफ्रिकामें जनरल स्मट्सके साथ मेरा ऐसा ही अनुभव रहा। शुरूमे वह मेरे कट्टर विरोधी और आलोचक थे और आज वह मेरे अत्यन्त हार्दिक मित्र हैं। आठ साल तक हम परस्पर विपक्षीके रूपमे डटे रहे। किन्तु दूसरे गोलमेज सम्मेलनमे वही थे जो मेरे पक्षमे डटे रहे और उन्होने सार्वजनिक और निजी रूपसे भी मुझे अपना पूरा समर्थन दिया। कितने ही दृष्टान्त है जिनमे से इस एक मिसालका मैं हवाला दे रहा हूँ।

युग बदलता है और व्यवस्थाएँ जर्जर हो जाती है। किन्तु मेरा विश्वास है कि अन्तत: केवल अहिंसा और अहिंसापर आधारित वस्तुएँ ही चिरस्थायी होंगी। उन्नीस सौ वर्ष हुए जब ईसाई धर्मका जन्म हुआ था। ईसाका प्रभुत्व तो केवल तीन वर्षो तक रहा। उनके अपने ही समयमे भी उनकी शिक्षाओको समझनेमे गलतफहमियाँ हुईं और आजका ईसाई धर्म तो उनकी इस मूल शिक्षा, कि 'अपने शत्रुसे प्रेम करो', को ही नकारता है। किन्तु मानवकी शिक्षाके किसी केन्द्रीय सिद्धान्तके प्रसारमे उन्नीस सौ वर्ष भला होते ही क्या हैं?

छ: शताब्दियाँ और बीत गईं और इस्लामका उदय हुआ। बहुत-से मुसलमान मुझे इतना कहनेकी इजाजत तक नही देंगे कि इस्लामका शब्दार्थ ही है विशुद्ध शान्ति। 'कुरान' के अध्ययनसे मैं कायल हो चुका हूँ कि इस्लामका मूलाधार हिंसा नही है। किन्तु इस सम्बन्धमे भी तेरह सौ वर्ष कालसिन्धुमे एक बिन्दु मात्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनो महान धर्म उस हद तक ही जीवित रहेंगे जिस हद तक उनके मतावलम्बी अहिंसा-रूपी मूल शिक्षाको आत्मसात् कर लेंगे। यह कोई सिर्फ मस्तिष्कके ग्रहण करनेकी वस्तु नही है। इसे तो हमारे हृदयमे बस जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ७१-८

३४. टिप्पणी

मिस्टर और एस्क्वायर बनाम श्री, मौलवी, मौलाना, जनाव वगैरह

वम्बई जाकर जिन्ना साहबसे मुलाकात करनेसे पहले मैंने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमे उनके नामसे पूर्व मैंने 'मिस्टर' के वदले 'श्री' शब्दका प्रयोग किया था। उसपर कुछ मित्रोने कहा था कि यह चीज निश्चय ही जिन्ना साहबको बुरी लगी होगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि अगर उन्हे यह चीज बुरी लगी होती तो उन्होने इसका हलका-सा इशारा तो किया होता और अगर उन्होने ऐसा किया होता तो मैं उनसे माफी माँग लेता और उसी विशेषणका प्रयोग करता जो उन्हें सबसे अच्छा लगता। पाठकोको याद होगा कि जिन दिनो असहयोग आन्दोलन अपने पूरे जोरपर था, कांग्रेसियो और राष्ट्रवादी अखबारोने 'मिस्टर' और 'एस्क्वायर' शब्दोका प्रयोग छोड दिया था और इनके वदले सबके लिए — चाहे कोई किसी धर्मका हो — प्राय. 'श्री' का ही प्रयोग किया जाने लगा था। यद्यपि इसका प्रयोग अब बहुत हद तक बन्द हो गया है, लेकिन मैंने इसे कभी नही छोड़ा है। यदि हममे ऐसी बुरी आदत न होती — बल्कि मैं तो कहने जा रहा था कि अगर हममे गुलामीकी मनोवृत्ति नही होती — तो हम भारतीय नामोंके आगे या पीछे 'मिस्टर' और 'एस्क्वायर' शब्दका प्रयोग कभी न करते। एक अंग्रेज यूरोपमें किसी विदेशी व्यक्तिको 'मिस्टर' या 'एस्क्वायर' कहकर सम्बोधित नही करता है, बल्कि जो विशेषण जिस देशमे प्रचलित होता है, वहाँके निवासीके लिए उसी विशेषणका प्रयोग करता है। हिटलरके साथ कभी 'मिस्टर' शब्द नही जोड़ा जाता है, बल्कि उन्हे 'हर' हिटलर ही कहा जाता है। इसी प्रकार मुसोलिनीको 'मिस्टर' या 'हर' मुसोलिनी नही, बल्कि 'सिनोर' मुसोलिनी कहकर सम्बोधित करते हैं। फिर हमने क्यो अपने यहाँके नामोंके साथ जोड़े जानेवाले आदरसूचक शब्दोका प्रयोग छोड़ दिया, यह बात मेरी समझमे नही आती। लेकिन अगर हम क्षण-भरको अपनी मौजूदा आदतके प्रति तटस्थ होकर सोचें, तो पायेंगे कि भारतीय नामोंके साथ 'मिस्टर' या 'एस्क्वायर' शब्द जोड़ना बड़ा हास्यास्पद लगता है।

लेकिन मुझे यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इस पारस्परिक शंका-सन्देहके वातावरणमे मुसलमानोके नामोसे पहले 'श्री' शब्द जोड़ा जाना मुसलमान मित्रोंको शायद अच्छा न लगे। कुछ मुसलमान मित्रोंके साथ मैंने इस विषयकी चर्चा की है। उन्होने बताया कि आम तौरपर उनके नामोंके साथ 'मौलवी' विशेषणका प्रयोग होता है। दक्षिण भारतमे मुझे 'जनाव' शब्द अकसर सुननेको मिला है। खैर, जो भी हो, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय मुसलमानोंके नामोंके साथ 'श्री' शब्दके प्रयोगमे मेरे मनमे परम मित्रताके अतिरिक्त और कोई भाव नहीं रहा है।

मुझे तो कोई 'मिस्टर' कहकर सम्बोधित करता है तो मेरे कानोंको बहुत बुरा लगता है। हिन्दुओंमें प्रचलित सबसे अच्छा रिवाज तो नामके अन्तमें 'जी' जोड देना है। 'साहब' 'जी'का ही पर्याय है। मुझे याद है, स्वर्गीय हकीम अजमलखाँ को मैं हमेशा हकीमजी कहकर सम्बोधित करता था। कुछ मुसलमान मित्रोंने मुझसे कहा कि आप 'हकीम साहब' कहें, तो मुसलमानोंको ज्यादा अच्छा लगेगा। यह बात मुझे पहले मालूम नहीं थी। लेकिन जबसे मेरी भूलकी ओर मेरा ध्यान दिलाया गया, मैं उस दिवंगत देशभक्तको हमेशा हकीम साहब कहकर ही सम्बोधित करता रहा। हाँ, अनजानेमें कभी ऐसा न कर पाया होऊँ, तो बात और है। कोई मेरी नंगी पीठपर नमकमें भीगे पाँच बेंत जड़ देता तब भी मैं उनको 'मिस्टर' अजमलखाँ कहकर नहीं पुकारता। लगता है, अंग्रेजी शिक्षा पानेके बाद हम 'मिस्टर' और 'एस्क्वायर' बन जाते हैं! लोकरूढ़ियोंकी विद्यामें निष्णात पाठक क्या उस सम्बन्धमें भारतमें प्रचलित शुद्ध स्वदेशी रूढ़ियोंकी जानकारी देकर मेरी और मुझ-जैसे अन्य लोगोंकी मदद करेंगे?

उटमजई, २० अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-१०-१९३८

३५. पत्र : अमृत कौरको

२० अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

मेरी डाक भटक गई है। इसलिए पिछले चार दिनोंमें तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला है। मैं जानता हूँ कि महादेव ठीक ही होगा, फिर भी आदमी पत्र तो चाहता ही है। इस बार बा के स्वास्थ्यको लेकर मुझे चिन्ता जरूर हुई है, लेकिन अब वह खतरेसे बाहर है। शायद महादेवको भी अलगसे समाचार मिल जाता है।

यहाँ तो सब ठीक ही है। खुदाई खिदमतगारोंसे मेरी बातचीत अच्छी चल रही है। बल्कि ज्यादा ठीक तो यह कहना होगा कि मैं उन्हें प्रवचन देता हूँ, जिसका अनुवाद खानसाहब करते जाते हैं। वे अनुवादमें अपनी पूरी आत्मा उँडेल देते हैं। मौन तो मेरा स्वभाव-सा हो गया है।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

हम कल उटमजईसे चल रहे हैं और अब इस दौरेमें फिर वापस यहाँ नहीं आयेंगे।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४२) से; सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६४५१ से भी।

३६. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२० अक्टूबर, १९३८

चि० व्रजकृष्ण,

वात करनेका समय रहता ही नहीं।[1] आजकी मेरी सूचना तुमारे लिये, मेरे लिये देशके लिये हितकर है। जो स्वतंत्रता तुम्हे चाहीये वह मिलती तुमारी पुंजी न चांदी है, न सोना, न उग्र बुध्धि, तुमारी पुंजी है तुमारा अभाग प्रेम उसका सौदा यहाँ पेट-भरके हो सकता है। तुमारे लिये इससे बहतर कोई सेवा मैं ढूंढ़ नही सकुंगा। दिल लगे तो कबूल कर लो।

स०[2] के खतसे मैंने माना फ०[3] को भूल गई है। अगर फ० के साथ शादी करना चाहती है तो तुमारे उसको अच्छी तरह सावधान करना है। फ० को भी कहना चाहिये उसके लिये थोड़े ही अच्छा होगा कि एक विवाहित ओरतके साथ शादी करे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४६०) से।

३७. पत्र : हीरालाल शर्माको

पेशावर

२० अक्टूबर, १९३८

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला है। कलकत्ताके अनुभव लिखो। सतीशवाबु दुर्वल हो गये हैं। उनका कुछ हो सके तो करो। के नैसर्गिक वात सव खो वैठे? यह मजाक है। मेरा यहां रहना ९ नवेम्बर तक होगा। वाद सेगांव।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७२ के सामने प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

१. व्रजकृष्ण चाँदीवाला गांधीजी के साथ उटमंजई में थे।
२ और ३. नाम छोड़ दिये गये हैं।

३८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

कोहाट
२१ अक्टूबर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

मैंने तुम्हारे तारका उत्तर दे दिया है। यदि तुम महज एक नागरिककी हैसियत से भी त्रावणकोर जाओ तो भी जीतकर आओगे। जेलमे कैदियोसे मिलना। वहुत झूठ फैला हुआ है। कांग्रेसकी[1] तरफसे मुझे ढेर सारे तार मिले है जिनमे कांग्रेसकी ओरसे हिंसासे साफ इनकार किया गया है। अन्य तार भी मिले हैं, जिनमे निश्चित रूपसे यह कहा गया है कि हिंसा हुई है। इसका पता तो तभी चल सकता है जब कोई वहाँ जाये। मैंने जो रुख अपनाया है वह तो तुम जानते ही हो। सी० पी० के विरुद्ध लगाये गये आरोप या तो वापस ले लिये जाये या उन्हीको मुख्य मुद्दा वनाया जाये। यदि इसीको मुख्य मुद्दा वनाया जाये तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह नही किया जा सकता। इन दो मे से क्या करना है, इसका चुनाव स्थानीय लोगोको करना होगा। यदि सी० पी० वाहरसे जज वुलाकर मुकदमा चलाये तो लोगोको चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि वे ऐसा न करे तो लड़ाईके लिए ठीक आधार नही रहता। तुमने मेरी आखिरी सलाह देखी होगी। किसी भी कारणसे यदि हिंसा हो रही हो तो किसी भी तरह सुलह-समझौता किये विना सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी जाये। जो लोग जेलोमे पडे हुए है वे भले ही जेलोमे रहे। कानून-भगके सिवा शेष पूरा कार्यक्रम चलता रहे। किन्तु वहाँ जानेके वाद तुम्हे जो उचित जान पडे सो करो। तुम पहले तो रामचन्द्रनसे और फिर कैदियोसे मिलना।

इसके साथका कानपुरके वालकृष्णका[2] तार देखना। मैंने तारसे उत्तर दे दिया है कि इस मामलेमे मै कुछ नही जानता। पार्लियामेटरी वोर्डने तो मन्त्रीकी सलाहपर हस्तक्षेप करना स्वीकार किया होगा। यदि ऐसा न हो तो भी प्रान्तीय समिति जो-कुछ करना चाहे सो कर सकती है। मै मान लेता हूँ कि यह सब तुम्हारे ध्यानसे वाहर नही होगा।

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। मै अच्छा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

१. त्रावणकोर राज्य कांग्रेस।
२. वालकृष्ण शर्मा, कानपुरके अग्रगण्य कांग्रेसी नेता।

[पुनश्च :]

तुम गाधी सेवा सघसे त्यागपत्र क्यो देते हो? फिलहाल जमनालालजी की हालत बीमारी-जैसी है। त्यागपत्र देनेके बावजूद वे काम तो करेंगे ही न? तुम्हारे त्यागपत्र देनेसे कोई सुधार नही होगा।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२६-७

३९. पत्र : बलवन्तसिंहको

२१ अक्टूबर, १९३८

चि० बलवतसिंह,

रात्रीके १२-४५ बज रहे है। मेरे पास कलम नही है। अब मौका अच्छा है इसलिये सीसापेनसे मीलके कागद पर लिखता हू। तुमको उत्तर देनेमे विलब हुआ है। मै लाचार हुं। दाक्तर थोडे मुझको रात्रिको काम करनेकी इजाजत देते है। आज तो कुछ कारणवशात् नीद नही आती। इसलिये मै तुमको लिख रहा हू। आशा करता हू कि मेरे अक्षर पढनेमे मुश्केली नही होगी। देखता हू सभव है तो कनुसे शाहीसे लिखवा दुगा।

मुझे इस दौरा खतम होने तक समय दो। यह मौसम जाय तो जाने दो। गरीब लोग क्या करते है? तुमारे लिखनेमे कुछ भी अनुचित नही है? मुझे इस पर क्रोध तो है ही नही लेकिन मै हसता भी नही। तुमारी भाषाके लिये मेरे मनमे आदर है क्योकि जैसा तुमारे दिलमे आता है ऐसा ही कहते-लिखते हो। बिलकुल समव है कि मै अधेरेमे हूँ। बल्की ज्यादा सभव वही है क्योकि इन चीजोमे मुझे तो कुछ भी ज्ञान नही है। मैने एक बात पकड ली है तुम दोनो गोसेवक है तुमारेमे महेनत अधिक, गोप्रेम अधिक पारनेरकरमे शास्त्रीयज्ञान अधिक। ऐसी हालतमे मैने सोचा मै वही चीज करू जिसमे दोनो सम्भव हो। ऐसा करते-करते मुझे पता चल जायगा कौन सही कहते है दरम्यान नुकसान जायगा तो सहन कर लुगा।

लेकिन तुमारी बात मुझे मान्य है। मै इस झनझटमे न पडु लेकिन एक पंच नियत किया जाय जो दोनोकी बात सुनकर फैसला देवे उसे कबूल किया जाय। चिमनलाल, नाणावटी और मीराबहन ये कैसे? मुझे तो किशोरलालको भी तकलीफ देनेका दिल हो जाता है लेकिन उनको कष्ट क्यो दू? राधाकिसनको कष्ट देनेमे मुझे कोई आपत्ति नही है। अगर पारनेरकर इन नामोको पसद करे तो शीघ्र फैसला हो सकता है। मेरे आनेकी राह न देखी जाय। पारनेरकरको यह बता सकते हो। अब तो मुझे लगता है मैने सब बातोका उत्तर दिया है। धीरज रखना।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९११) से।

४०. जब्त की गई जमीनें

सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जब्त की गई जमीनोको उनके पहलेके मालिकोको लौटा देनेकी व्यवस्था करते हुए बम्बई विधानमण्डलने जो विधेयक पास किया है और जिसे गलतीसे अधिग्रहण कानून कहा जाता है, उसके बारेमे अगर मैं लोगोको यह कहने दूं कि मेरा बस चलता तो यह विधेयक पास न हो पाता तो यह मेरे लिए अनुचित होगा। मुझे यह स्वीकार करना पडेगा कि मन्त्रियो द्वारा यह विधेयक पेश किये जानेमे मेरा भी कुछ हाथ था। वस्तुतः मुझे ऐसा लगा कि और कोई रास्ता उचित नही होगा। जिन लोगोने जब्तीके बाद ये जमीने खरीदी थी उनके साथ कोई बातचीत चलानेका मतलब या तो यह होता कि सरकारकी ओरसे जबरदस्ती की जाती या फिर उन जमीनोके तथाकथित मालिक मनमानी कीमतकी माँग करके परिस्थितिमे नाजायज फायदा उठानेकी कोशिश करते। अगर जमीनें असली मालिकोको लौटाना उचित था तो वह काम कानूनी रूपमे ही होना था। और अगर भारत सरकार अधिनियमके अन्तर्गत यहाँकी सरकारको ऐसा निर्दोष और आवश्यक राहत कानून बनानेका भी अधिकार नही है तो यह अधिनियम, जितना इसके आलोचकोने बताया है, उससे भी खराब है। मैं तो मानता हूँ कि बम्बई सरकारका यह विधेयक न्यायोचित होनेमे भी कुछ बढकर ही है। जिस धारामे इसके तथाकथित स्वामियोको उनकी लागतोके साथ-साथ व्याजके रूपमे भी मुआवजा दिये जानेकी व्यवस्था की गई है, वह धारा इसे सचमुच न्यायोचित से भी अधिक सुष्ठु और सुन्दर बना देती है। उन जमीनोके सम्बन्धमे हकीकत यह है—और यह हकीकत साबित की जा सकती है—कि ये जमीने अधिकारियोकी मिलीभगतसे खरीदी गई। सच तो यह है कि इनके खरीदार ढूंढ पाना अधिकारियोके लिए मुश्किल पड रहा था। ये जमीने लोगोमे आतक फैलानेके लिए बेची गई। यह दमन नीतिका एक हिस्सा था और कई स्थानोपर तो जमीने कौडीके मोल बेच दी गई। ऐसी आतककी नीतिसे काम लेनेवाली सरकारका स्थान जब उन लोगोने लिया जो उसके सताये हुए थे, तब उन्होने अधिकारियोकी मिलीभगतसे और जबरदस्त जन-विरोधके बावजूद खरीदी गई जमीनोको सीधे उनके तथाकथित मालिकोसे छीन लेनेके बजाय उन्हे मुआवजा देनेकी तत्परता बताई। इसे उदारता नही तो और क्या कहा जायेगा?

यदि सरकार और जनताके बीचकी लडाई अहिंसात्मक होनेके बजाय हिंसात्मक होती, तो विजेतापक्ष सत्ता प्राप्त करनेपर निश्चय ही सारी जमीन-जायदाद, जो असली हकदारोसे छीन ली गई थी, फिरसे उन्ही वैध स्वामियोको वापस लौटा देता और जिन तथाकथित स्वामियोसे जमीने छीनता, उन्हे मुआवजेके तौरपर एक पैसा भी नही देता। लेकिन यह स्थिति बदली नही जा सकती थी। क्योकि, पहली

चीज तो यह कि संघर्ष अहिंसात्मक ढंगसे किया गया था और दूसरे यह कि भू-स्वामित्वका हस्तान्तरण जाहिरा तौरपर तो कानूनके मुताबिक ही किया गया था। जनताको यह मालूम होना चाहिए कि ये जमीनें तत्कालीन सरकारने पहले जब्त की और जब उसे लगा कि जब्तीसे लोगोंका उत्साह तो ठंडा पड़ नहीं रहा है तब उसने उन जमीनोंको बेच देनेका अशोभन रास्ता अपनाया। लेकिन सरकार शायद अपने भीषण अन्यायसे आप ही डर गई और उसने आगे जमीन बेचना बन्द कर दिया। इस दु:खद अतीतकी अधिक चर्चा न करना ही अच्छा होगा। उसकी जो चर्चा मैंने यहाँ कर दी है, वह सिर्फ इसलिए कि पाठक जान जायें कि बम्बई सरकारने कोई अन्याय नहीं किया है।

कोहाट, २२ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-१०-१९३८

४१. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

कोहाट
२२ अक्टूबर, १९३८

बिड़ला
रॉयल एक्सचेंज
कलकत्ता

सोमवार तक कोहाटमें हैं। कार्यक्रम डाकसे भेज रहा हूँ। नौ नवम्बर तक [दौरा] सम्पन्न।

बापू

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७९९) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

४२. पत्र : अमृत कौरको

कोहाट
२२ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

पेशावरमे कल चार घटे रुका। वही तुम्हारे पाँचो पत्र मिले।

जालिम अगर अन्यायके अलावा कुछ और करने लगें तो फिर वे जालिम काहेके? मगर ईश्वरका धन्यवाद है कि इस जालिमको तो तुम जागरूक न्यायवृत्ति का श्रेय देती हो। महादेवने लिखा है कि अभी पिछले दिनो तुम्हे मूर्च्छा-सी आती जान पड़ी। क्या कारण था? और मूर्च्छित हो जानेपर भी तुम काम करनेका दुराग्रह क्यो रखती हो? या फिर क्या तुम यह चाहती हो कि तुम्हारी मृत्यु (ईश्वर करे, वह वर्षो वाद आये) के वाद लोग कहे कि तुम तो इतनी कर्तव्यनिष्ठ थी कि मूर्च्छित होने तक तुम काम करती रहती थी। मेरी भाषामे इसे भूल कहा जायेगा। तुम्हें मूर्च्छित नही होना चाहिए। शम्मीके लिए तो प्रेम, अधिकाधिक प्रेम, अनन्त प्रेमके अलावा और कोई उपचार नही है। निर्धारित कार्यक्रमका समय हो रहा है, इसलिए अव ज्यादा तो नही लिख सकता। तुम्हारा कोहाटके पतेपर लिखा पत्र आ गया है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४३) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६४५२ से भी।

४३. पत्र : महादेव देसाईको

२२ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

कल हम ८-३० पर पेशावर पहुँचे और वहाँसे चार वजे फिर निकल पडे। वहाँ पाँच दिनसे इकट्ठी डाकका ढेर लगा हुआ था। तुम्हारे सभी पत्र मुझे कल ही मिले।

तुम्हारे मनमे यह शका कैसे उठी कि तुम्हारे पत्र मुझे बोझ लगेंगे? ऐसी कोई वात नही है। वात यह है कि जव तुम्हारा पत्र नही मिलता तो मैं व्याकुल हो उठता हूँ। और यदि पत्र संक्षिप्त होता है तो क्रुद्ध हो जाता हूँ तथा सोचने लगता हूँ कि महादेवपर ऐसा क्या काम आ पड़ा जो उसे दो पक्तियोमे ही पत्र निवटा देना पड़ा।

बावलाके बारेमें राजकुमारी लिखती है कि उसे अपनी बुद्धिके विकासका पूरा अवसर मिलना चाहिए। मैं भी यह मानता हूँ कि या तो प्रचलित पद्धतिके अनुसार अर्थात् हाईस्कूल आदिके द्वारा या फिर घरकी पढ़ाईके द्वारा उसे ऐसा अवसर मिलना चाहिए। घरमें पढ़ानेसे उसका विकास एक दिशामें होगा और कॉलेज आदिमें पढ़ानेसे दूसरी दिशामें। तुम इस बारेमें राजकुमारीके साथ विचार-विमर्श करके देखना। जैसाकि इस समय चल रहा है यदि उसके बदले तुम्हें और कुछ सूझे तो फिर हम वैसा करेंगे। इस बारेमें बावला भी सुझाव दे सकता है।

मैंने लीलावतीको लिखा ही है। तुमसे लिखवानेका कारण यही है कि उसे सभी ओरसे एक ही सलाह मिले। उसने मुझे तो ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि अब वह तुम्हारे पास नहीं रहेगी। मैंने ऐसा माना भी नहीं था। फिर भी हम उसे जबरदस्ती तो वहाँ नहीं रखेंगे। किन्तु फिलहाल तो तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है अतः हम इस मामलेमें सोच-विचार क्यों करें?

पोथन मुझे त्रावणकोरके बारेमें लिखता रहता है। सामान्यतः मृत्युके बाद ही किसी व्यक्तिके बारेमें भला-बुरा लिखा जाता है। तुम्हारे मामलेमें मृत्युके पहले ही लिखा गया है। अतः मृत्युके बाद क्या लिखा जायेगा, इस बारेमें क्या सोचना? बादमें तुम्हारी जीवनीका नया संशोधित संस्करण निकलेगा। यदि पोथन नहीं तो उसका कोई भाई नई संशोधित टिप्पणी लिखेगा।

आज और अधिक नहीं लिखता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६५) से।

४४. पत्र : प्रभावतीको

कोहाट
२२ अक्टूबर, १९३८

चि० प्रभा,

मैंने तुझे दो पत्र तो लिखे हैं। एकमें श्यामजी भाईके नाम ३०० रुपयेका पुर्जा भेजा था।[1] आशा है वह तुझे मिल गया होगा। जयप्रकाश-जैसा कहें तुझे वही करना चाहिए। यदि उसके साथ जाना पड़े तो चली जाना। लेकिन ऐसी स्थितिमें भी सरस्वतीको अपने साथ लाना। उसे किसी पासके स्टेशनपर उतार देना। वहाँसे

१. श्यामजी सुन्दरदासको लिखे पत्रमें वास्तवमें २०० रुपये का जिक्र है; देखिए खण्ड ६७, पृ० ४७७।

मैं किसीके साथ उसे यहाँ बुलवा लूंगा। तुझे त्रिवेन्द्रम तो जाना पड़ेगा। अधिक लिखनेका समय नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२३) से।

४५. भाषण : कोहाटकी सार्वजनिक सभामें[1]

२२ अक्टूबर, १९३८

आपके कष्टों और कठिनाइयोंकी जानकारी पानेमें मैंने आज घंटे-भरसे अधिक समय दिया है। लेकिन मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि इन बातोंके सम्बन्धमें कुछ करने लायक अब मैं नहीं रह गया हूँ। एक ओर तो बुढापा मुझपर हावी होता जा रहा है और दूसरी ओर मेरी जिम्मेदारियोंमें भी विविधता आती जा रही है, और ऐसा खतरा है कि यदि मैं सभी कामोंमें हाथ डालूँ तो मेरी जो जिम्मेदारियाँ ज्यादा महत्वकी है, शायद उन्हें भी न निभा पाऊँ। इनमें से एक बड़े महत्वकी जिम्मेदारी है खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें स्वीकार की गई जिम्मेदारी। यदि खान साहबके सहयोगसे मैं इसे अपने लिए सन्तोषजनक ढंगसे निभा पाऊँ तो मानूँगा कि मेरे जीवनके आखिरी वर्ष बेकार नहीं गये।

लोग मुझपर और मेरे इस विचारपर हँसते हैं कि खुदाई खिदमतगार स्वराज्यके पूर्ण अहिंसक सेनानी बन सकते हैं। लेकिन उनके उपहासका मुझपर कोई असर नहीं होता। अहिंसा शरीरका नहीं, आत्माका गुण है। एक बार जब इसका मर्म हृदय-तलमें उतर जाता है तो बाकी सब अपने-आप होता चला जाता है। मानव-स्वभावकी दृष्टिसे खुदाई खिदमतगार मुझसे भिन्न नहीं हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं किसी हद तक अहिंसाका आचरण कर सकता हूँ तो वे — और वही क्यों, दूसरे लोग — भी वैसा कर सकते हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभुसे प्रार्थना करें कि खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें मेरा जो सपना है, उसे वह सच बनाये।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ५-११-१९३८

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-३" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। सभामें कोहाटके नागरिकोंकी ओरसे जिला कांग्रेस कमेटीने गांधीजी को कुछ मानपत्र भेंट किये थे। सभामें लगभग ५,००० लोग उपस्थित थे।

४६. पत्र : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

कोहाट
[२२/२३ अक्टूबर, १९३८][1]

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत पढने पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वखतके लिये तो तुमारे दिल्हीमें ही रहना होगा। जितने काम बताये है वे सब कर्तव्य है।

मीरठवालोंको मैं लिखुंगा।

न० के बारेमें तो जो उचित लगे सो किया जाय। फ० को मैं लिखु?

मेरे साथ रहनेके बारेमें तो मैंने इजाजत दी ही है। लेकिन इस इच्छाको भी मोह समजो। रमण महर्षि और अरविंदो एकांगी है और मैं सर्वांगी इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। एकांगी जो अपना कार्य समजता है और अमल करता है वह सच्चा। जो सर्वांगी होनेका दावा करता है लेकिन सर्वमें प्रयोग ही कर रहा है वह फूटी बदामसे भी बदतर हो सकता है। मैं कहां हूं सो तो भगवान ही जाणता है। मैं साधक हूं, वे सिद्ध माने जाते है। शायद है भी। उनके अनुयायी तो सिद्ध ही मानते है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४५९) से।

४७. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ

कोहाट
[२२/२३ अक्टूबर, १९३८][2]

खुदाई खिदमतगार संगठनके अधिकारियोंसे कोहाटमें बातचीत करते हुए गांधीजी ने उन्हें बताया कि आपने जो कदम उठाया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि पठान लोग, जोकि शस्त्रास्त्रोंके प्रयोगमें अपनी दक्षता के लिए सारी दुनियामें प्रसिद्ध हैं, यदि शस्त्र-त्याग करके सचमुच अहिंसाका वरण कर लें तो वह दिन भारत और विश्वके इतिहासका एक चिरस्मरणीय दिवस होगा।

१. इन दिनों गांधीजी कोहाटमें थे।
२. गांधीजी इन दो दिनों कोहाट में थे, किन्तु साधन-सूत्र से पता चलता है कि यह बातचीत खुदाई खिदमतगारोंके साथ २३ तारीखको हुई बातचीत (देखिए पृ० ४८-५१) से पहले हुई थी।

अच्छा-बुरा तो मैं नही जानता, लेकिन यह बात सच है कि आज भारतके एक सामान्य आदमीके लिए पठान एक हौआ बन गया है। गुजरात और काठियावाडमे तो पठानका नाम सुनकर बच्चे टरगे पीले पड जाते है। साबरमती आश्रममे हम बच्चोके अन्दर निडरताकी भावना पैदा करनेका प्रयत्न करते है। लेकिन मै शर्मके साथ यह स्वीकार करता हूँ कि सारी कोशिशोके बावजूद हम उनके दिलसे पठानका डर नही निकाल पाये है। मै अपने आश्रमकी लडकियोके मनमे अभी यह बात नही बैठा पाया हूँ कि उन्हे पठानसे डरने की जरूरत नही है। वे बहादुर होनेका दिखावा करनेकी कोशिश करती है, लेकिन वह तो ऊपरी दिखावा-भर है। साम्प्रदायिक दगेके अवसरपर अगर खबर मिले कि एक पठान कही आसपास है तो वे अपने घरोसे निकलनेका साहस नही करती। वे डरती है कि उनका अपहरण कर लिया जायेगा।

मै उन्हे समझाता हूँ कि उनका अपहरण हो जाये तो भी उन्हे डरना नही चाहिए। उन्हे अपहरणकर्तासे कहना चाहिए कि वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसेकि वे उसकी बहन हो। अगर उनके अनुनय-विनयके बावजूद वह अपनी नीयतसे बाज न आये, तो (चूंकि एक दिन सभीको मरना है) वे अपनी जीभ काटकर मर जाये, लेकिन समर्पण न करे। वे जवाब देती है, 'आप जो कहते है वह ठीक है। लेकिन हमारे लिए यह सब नया है। हमे भरोसा नही है कि समय आनेपर हम जैसा आप कहते है वैसा कर सकेगी।' यदि आश्रमकी लडकियोका यह हाल है तो औरोका क्या हाल होगा? इसीलिए जब मै सुनता हूँ कि पठानोके बीच खिदमतगारोका एक दल सगठित हुआ है जिसने हिंसाका पूर्ण त्याग कर दिया है तो मै तय नही कर पाता कि इसपर विश्वास करूँ या न करूँ।

हिंसाका त्याग करनेके फलितार्थ क्या है और हिंसाका त्याग करनेवाले व्यक्तिकी पहचान क्या है?

इस प्रश्नको उठाते हुए गांधीजी ने कहा कि खुदाई खिदमतगार नाम ग्रहण करने से ही कोई खुदाई खिदमतगार नहीं हो जाता, और न खुदाई खिदमतगारकी वर्दी पहननेसे ही हो जाता है। इसके लिए अहिंसाके सतत प्रशिक्षणकी आवश्यकता होती है। यूरोपमें, जहाँ हत्याको एक सम्मानजनक पेशा बना दिया गया है, विनाशके विज्ञानको पूर्ण बनानेपर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं। यूरोपके सर्वोत्तम वैज्ञानिक इस काममें लगाये गये हैं। यहाँ तक कि वहांकी शिक्षा-प्रणाली भी इसीके गिर्द रची गई है। वे ऐयाशी और सुख-सुविधाके साधनोंपर विराट धनराशियाँ खर्च करते हैं। विलास और आराम उनके आदर्शका अंग बन गये हैं। इसके विपरीत, एक खुदाई खिदमतगारकी विशेषता होनी चाहिए पवित्रता, अध्यवसाय और ईश्वरकी सृष्टिकी सेवामें अनवरत कठोर परिश्रम।

अन्य प्राणियोंकी सेवा करते हुए आपको इस बातका कुछ अनुमान होगा कि आपने अहिंसाकी दिशामे कितनी प्रगति की है और अहिंसाकी शक्तिका भी आपको अनुभव होगा। इस शक्तिसे सम्पन्न एक व्यक्ति अकेला समस्त ससारके विरुद्ध खडा हो सकता है। लेकिन तलवारकी ताकतके बूते ऐसा नही किया जा सकता।

अभी तक सविनय अवज्ञा करना और सविनय अवज्ञाके लिए मिलनेवाले दण्डको अहिंसक भावसे स्वीकार करनेको ही अहिंसा माना जाता रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यद्यपि अहिंसाके कार्यक्रममें सविनय अवज्ञा शामिल है, लेकिन जैसाकि मैंने स्वावीमें बताया था, इसका सार-तत्व वह नैतिक अधिकार अथवा योग्यता है जिसका होना एक सविनय प्रतिरोधीमें आवश्यक है, और यह अधिकार या योग्यता उसी व्यक्तिको प्राप्त होता है जिसने अहिंसाके आचरणका अभ्यास डाल लिया है। सत्याग्रहकी लड़ाईमें 'सविनय अवज्ञा आरम्भिक नहीं, अन्तिम चरण है।' लोगोंको सरकारसे बहुत डर लगा करता था। इसको दूर करनेके लिए मैंने सत्याग्रह या सविनय अवज्ञाका तरीका सुझाया। यह एक तीखी दवा है।

शक्तिशाली औषधि देनेवाले हकीमको अगर ठीक-ठीक यह न मालूम हो कि कब दवा रोक देनी चाहिए, तो उसका मरीज मर जायेगा। इसीलिए जब स्थितिकी वैसी माँग हुई, मैंने तुरन्त सविनय अवज्ञा [आन्दोलन] बन्द कर दिया, और केवल अपने तक ही उसे सीमित कर दिया।[2] यह बिलकुल ठीक वक्तपर हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिलहाल आप सविनय अवज्ञाकी बात भूल जायें।

इसके बाद गांधीजी ने समझाया कि ईश्वरकी सेवा ईश्वरके बन्दोंकी सेवाके जरिये ही हो सकती है। अन्ध-विश्वासी समझे जानेका खतरा उठाकर भी मैंने हर चीजमें भगवानका हाथ देखनेकी कोशिश करनेकी आदत डाल ली है। इसीलिए बादशाह खानने आप लोगोंके लिए जो नाम चुना है, उसमें भी मैं ईश्वरका ही हाथ देखता हूँ। बादशाह खानने आप लोगोंको सत्याग्रही न कहकर खुदाई खिदमतगार कहा है।

चूँकि ईश्वर अशरीरी है, और उसे किसी प्रकारकी निजी सेवाकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसकी सेवा कैसे की जाये? उर्दूका एक शेर है जिसका अर्थ है, "इंसान खुदा नहीं है, लेकिन तत्वत वह खुदासे फर्क नहीं है।" हम अपने गाँवको अपनी दुनिया बनायें। तब हम अपने गाँवकी सेवा करते हुए खुदाकी सेवा करेंगे। बेरोजगार लोगोंको रोजगार मुहैया करना, रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा करना, लोगोंकी गन्दगीकी आदतोंको छुड़वा कर सफाई-स्वच्छतासे रहनेकी शिक्षा देना खुदाई खिदमतगारका काम होना चाहिए। और चूँकि वह जो-कुछ भी करेगा, वह खुदाकी सेवाके रूपमें करेगा, इसलिए वह अपना काम किसी भी वेतनभोगी कार्यकर्ताकी अपेक्षा ज्यादा लगन और मेहनतसे करेगा।

अपने भाषणका अन्त गांधीजी ने यह बताते हुए किया कि अहिंसक शक्तिका विकास किस प्रकार करना चाहिए।

खुदाई खिदमतगार समयको खुदाकी अमानत मानते हुए उसके एक-एक मिनटका हिसाब रखेगा। अपने वक्तका एक मिनट भी आलस या फिजूलके कामोंमें नष्ट करना

१. देखिए "भाषण: स्वावीमें", पृ० २२।

२. अप्रैल १९३४ में गांधीजी ने सारे कांग्रेसियोंको यह सलाह दी थी कि खास-खास शिकायतोंको छोड़कर सामान्य रूपसे स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त सविनय अवज्ञा स्थगित रखें; देखिए खण्ड ५७, पृ० ३७८-८१।

खुदाकी निगाहमें गुनाह है। यह चोरी करने-जैसा है। अगर उसके पास जमीनका कोई छोटा-सा टुकड़ा भी हो तो उसपर वह निराश्रित और जरूरतमन्द लोगोंके लिए कोई चीज उगायेगा। अगर उसके माता-पिताके पास इतना पैसा है कि वह बाजारसे खाने-पीनेकी वस्तुएँ और सब्जियाँ खरीद सकता है, और इसी कारण उसे हाथपर हाथ धरकर बैठने और कुछ न करनेकी इच्छा हो, तो वह अपने मनमें सोचेगा कि बाजारकी वस्तुओंको इस प्रकार इस्तेमाल करके वह गरीबोंको उन चीजोंसे वंचित करता है और इस प्रकार वह ईश्वरकी वस्तुकी चोरी करता है। कोई चीज खरीदने या इस्तेमाल करनेसे पहले खुदाई खिदमतगार अपने-आपसे पूछेगा कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है जिसकी जरूरतें उसकी जरूरतोंसे ज्यादा हों। मान लें कि कोई व्यक्ति उसके सामने भरी हुई थाली रखे और उसी समय एक भूखा आदमी वहाँ आ जाये, तो खुदाई खिदमतगार पहले उस भूखेकी जरूरतका विचार करेगा, उसे भोजन करायेगा, और इसके बाद ही उस थालीमें से खायेगा।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ८३-६

४८. पत्र : महादेव देसाईको

२३ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

सुशीलाकी कलमकी स्याही खत्म हो गई है, इसलिए समय बचानेके लिए पेंसिलसे काम चला रहा हूँ। यह मुझे ब्रजकृष्णने दी है। साथका पत्र मैं तुम्हारे देखनेके लिए ही भेज रहा हूँ। मैंने अगाथाको सीधे यहाँ आनेको लिखा है। मुझे लौटनेमें विलम्ब होगा और वह जहाँ-तहाँ घूमती रहे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ कुछ स्थानोंपर ऐसे रमणीक दृश्य देखनेको मिलते हैं कि तुम्हारी याद आ जाती है। आबहवा तो अच्छी है ही। राजकुमारीको मैं आज नहीं लिख रहा हूँ।

पत्रोंका ढेर लगा हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६७) से।

४९. बातचीत: खुदाई खिदमतगारोंके साथ

हुंगू
[२३ अक्टूबर, १९३८][1]

गांधीजी ने मार्गमें नसरत खेलमें खुदाई खिदमतगारोंके कार्यालयके शिलान्यास समारोहके अवसरपर दिये गये मानपत्रका जिक्र किया और कहा कि उसमें "हमारे अन्तिम संघर्ष" की चर्चा थी। उन्होंने कहा:

मैं आपसे कहूँगा कि सविनय अवज्ञा तो आती-जाती रहेगी परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए हमारा अहिंसक संघर्ष जारी रहेगा और तब तक चलेगा जब तक स्वतन्त्रता हासिल नहीं हो जाती। केवल इसका स्वरूप ही बदला है।

मैं जानता हूँ कि ९० प्रतिशत भारतीयोंके लिए अहिंसाका अर्थ इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है।[2] यहाँ तक तो ठीक है। इसमें बहादुरी है। परन्तु आपको, और विशेषतया खुदाई खिदमतगार संगठनके पदाधिकारियोंको यह अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए कि अहिंसाकी यही इतिश्री नहीं है। यदि आपने वास्तवमें ही अहिंसाका अर्थ समझ लिया है तो यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अहिंसा ऐसा कोई सिद्धान्त अथवा सद्‌गुण नहीं है जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट अवसरपर अथवा किसी दल या समुदाय विशेषसे निपटते वक्त ही किया जाये। इसे तो हमारे जीवनका एक अंग बन जाना चाहिए। हमारे दिलसे क्रोधका नामोनिशान मिट जाना चाहिए अन्यथा हममें और दमनकारियोंमें फर्क ही क्या है? कोई व्यक्ति क्रोधके वशीभूत होकर गोली चलानेका आदेश दे सकता है, दूसरा व्यक्ति अपशब्दोंका प्रयोग कर सकता है और तीसरा लाठी चला सकता है। तीनोंके कुकृत्यका मूल तो एक ही है। जब आप क्रोधका अनुभव न करें अथवा अपने हृदयमें क्रोधको जगह न दें केवल तभी आप यह दावा कर सकते हैं कि आपने हिंसाको निकाल फेंका है, अथवा यह आशा कर सकते हैं कि आप आखिरी क्षण तक अहिंसक बने रह सकेंगे।

इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रहके बीच जो अन्तर है, उसे समझाया। उन्होंने कहा:

हमारी सविनय अवज्ञा अथवा असहयोग स्वभावत: कुछ ऐसी चीज कि है इसका प्रयोग हमेशा-हमेशाके लिए नहीं किया जा सकता। परन्तु अपनी रचनात्मक अहिंसाके

१. *हरिजन*, ५-११-१९३८ में प्रकाशित प्यारेलालकी रिपोर्ट "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-३" के अनुसार गांधीजी २३ अक्टूबर, १९३८ को हुंगू गये थे।

२. मानपत्रमें यह भी कहा गया था कि खुदाई खिदमतगार दमनचक्रके आगे न झुके हैं और न कभी झुकेंगे।

माध्यमसे जो सघर्ष आज हम कर रहे है उसका औचित्य हमेशा कायम रहेगा। यह एक वास्तविक चीज है। मान लिया जाये कि सरकार सविनय अवज्ञाकारियोको गिर-फ्तार करना वन्द कर देती है तो इससे हमारा जेल जाना रुक जायेगा, लेकिन इसका यह अर्थ नही कि हमारा सघर्ष समाप्त हो गया। कोई सविनय अवज्ञाकारी इसलिए जेल नही जाता कि वह जेलके नियमोका उल्लघन करके जेल-अधिकारियोको परेशान करे। हाँ, जेलमे भी सविनय अवज्ञा की जा सकती है। परन्तु इसके लिए कुछ सुनि-श्चित नियम है। असल बात तो यह है कि सविनय अवज्ञाकारीका सघर्ष उसके जेल चले जाने मात्रसे ही समाप्त नही हो जाता। हमारे जेलके अन्दर जाते ही जहाँ तक वाह्य ससारका सम्बन्ध है, हम सविनय अवज्ञाकारीके रूपमे मृतक बन जाते है, परन्तु इसके साथ ही जेलके भीतर सरकारके दासो अर्थात् जेलके अधिकारियोके हृदय-परिवर्तनके लिए हमारा सघर्ष शुरू होता है। इससे हमे उन्हे यह दिखानेका अवसर मिलता है कि हम चोर या डकैतोके समान नही है, हम उनका बुरा नही चाहते और न ही हम अपने विरोधियोको वरवाद करना चाहते है। इसके विपरीत, हम तो उन्हे यह दिखाकर कि हममें कोई बुराई नही है, हम हृदयसे उनकी भलाई चाहते है और दिलमे भगवानसे उनके कल्याणकी कामना करते है, उन्हे अपना मित्र बनाना चाहते है। उनके सही या गलत आदेशोका गर्दन झुकाकर पालन करके उन्हे हम अपना मित्र बनानेकी इच्छा नही रखते, क्योकि सच्ची मित्रता जीतनेका यह तरीका नही है। जब मै जेलके सीखचोमे वन्द था तब भी मेरा सघर्ष चलता रहा। अनेक बार मै जेल गया हूँ और हर बार अपने पीछे वहाँ जेल-अधिकारियो तथा अन्य दूसरे लोगोको, जिनके सम्पर्कमे मै आया, अपने मित्रके रूपमे छोडकर बाहर निकला।

अहिंसाकी यह एक विशेषता है कि इसका असर कभी समाप्त नही होता। यही बात तलवार या गोलीके वारेमे नही कही जा सकती। गोलीसे दुश्मन नष्ट हो सकता है; अहिसा दुश्मनको मित्रके रूपमें वदल देती है और इस प्रकार सविनय अवज्ञाकारीको इस काबिल बना देती है कि वह अपने दुश्मनकी शक्ति भी अपनेमे समाहित कर ले।

उन्होंने आगे कहा कि अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके जरिये हमने दुनियाको अपना यह दृढ़ संकल्प जता दिया है कि अब हम अंग्रेजोकी गुलामी और स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें एक इससे भी उच्च कोटिकी बहादुरीका प्रमाण देना है। खिलाफतके दिनोंमें कद्दावर और हट्टे-कट्टे पठान सैनिक अली-बन्धुओं तथा मुझसे गुप्त रूपसे मिलने आया करते थे। वे यह सोचकर कांपते रहते थे कि उनका इस तरह आना कहीं उनके अफसरोंको पता न चल जाये और उन्हें नौकरीसे निकाल न दिया जाये। अपने लम्बे कद और शारीरिक शक्तिके बावजूद भी जब उनका सामना अपनेसे अधिक ताकतवर व्यक्तिसे हो जाता था तो वे डर जाते थे और दासवत् व्यवहार करने लगते थे।

मैं अपने अन्दर ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिससे मैं अपने एकमात्र स्वामी भगवानके सिवा किसी दूसरेके सामने न झुकूँ। जब मैं ऐसा कर सकूँ केवल तभी मैं अहिंसा हासिल कर लेनेका दावा कर सकता हूँ।

इसके बाद उन्होंने अहिंसाकी एक अन्य विशेषताको विस्तारपूर्वक समझाते हुए कहा कि अहिंसाको किस तरह प्रयोगमें लाया जाये, यह सीखनेके लिए किसीको किसी विद्यालयमें अथवा किसी पीर या गुरुके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है। इसकी सरलता ही इसकी खूबी है। यदि लोग यह समझ जायें कि यह एक ऐसा अत्यन्त क्रियाशील सिद्धान्त है जो बिना रुके या धीमा पड़े चौबीसों घंटे कार्य करता रहता है तो वे ऐसे मौकोंकी तलाशमें रहेंगे जब वे इसका प्रयोग घरोंमें, गलियोंमें और मित्रों ही नहीं बल्कि दुश्मनोंके साथ भी कर सकें। आप अपने घरोंमें आजसे ही इसपर आचरण करना शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने ऊपर इतना संयम प्राप्त कर लिया है है कि अपने दुश्मनके ऊपर मैं कभी क्रोध नहीं करता, हालाँकि कभी-कभार मित्रोंके ऊपर क्रोध कर बैठता हूँ। अहिंसाका जितना कुछ अभ्यास मुझे है, उसे मैंने अपनी पत्नीसे सीखा है। इसके साथ ही गांधीजी ने अपने पारिवारिक जीवनके एक मर्मस्पर्शी पहलूके बारेमें विस्तारसे बताते हुए कहा कि पहले मैं घरमें बिलकुल तानाशाह बना रहता था। मेरा अत्याचार प्रेमका अत्याचार था।

मैं उसपर [अपनी पत्नीपर] अपना सारा क्रोध उतार देता था। वह उसे बिना किसी शिकायतके चुपचाप सह लिया करती थी। मैं समझता था कि चूँकि मैं उसका स्वामी हूँ इसलिए मेरी आज्ञा मानना उसका कर्तव्य है। परन्तु उसकी विनम्रताने मेरी आँखे खोल दी और मैं यह महसूस करने लगा कि उसके ऊपर मेरा कोई शाश्वत अधिकार नही है। यदि मैं चाहता हूँ कि वह मेरी आज्ञाका पालन करे तो पहले मुझे उसे शान्तिपूर्वक समझाना-बुझाना होगा। और इस प्रकार वह मुझे अहिंसा सिखानेवाली शिक्षिका बन गई। मैं यह मानता हूँ कि मेरी जिन्दगीमें उससे बढ़कर निष्ठावान और विश्वासी मित्र मुझे दूसरा कोई नही मिला है। मैं उसके लिए जिन्दगी नरक बनाता रहता था। मैं जब-तब अपना घर बदला करता था और उसे निर्देश देता था कि वह कौन-सा कपड़ा पहने। उसका पालन-पोषण एक कट्टरपंथी परिवारमे हुआ था जहाँ छुआछूतका विचार किया जाता था। हमारे घर मुसलमान और अछूत प्रायः आया करते थे। मैं उसकी स्वाभाविक अनिच्छाकी परवाह किये बिना उससे उनकी आव-भगत कराया करता था। लेकिन उसने कभी 'ना' नही की। वह शिक्षाके प्रचलित अर्थमे शिक्षित नही थी और सीधी-सादी थी। उसकी निश्छल सरलताने मुझे पूरी तरहसे जीत लिया।

आप सबके घरोमे माँ, बहने और पत्नियाँ है। आप उनसे अहिंसाका सबक सीख सकते है। इसके साथ-साथ आप सत्यकी शपथ ले। आप अपनेसे ही पूछे कि आप सत्यको कितना मूल्यवान समझते है और इसे आप किस हद तक मनसा,

वाचा, कर्मणा अपनाते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी नही है वह अहिंसासे बहुत दूर है। असत्यता स्वयमेव हिंसा है।

रमजानका महीना जो अभी-अभी शुरू हुआ था, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने उन लोगोंको बताया कि किस प्रकार इसका उपयोग अहिंसाका अभ्यास प्रारम्भ करनेमें किया जा सकता है।

ऐसा लगता है कि हम यह मान बैठे हैं कि भूखे-प्यासे रहना ही रमजान मनाना है। रमजानके पवित्र महीनेमे छोटी-छोटी बातोपर गुस्सा करने, अथवा दुराचार करनेके बारेमे हम तनिक भी नही सोचते। उपवास तोडते समय भोजन परोसनेमे थोडी-सी भी देर होनेपर बेचारी पत्नीकी बुरी तरह लानत-मलामत की जाती है। मैं इसे रमजान मनाना नही कहता, यह तो इसका मजाक उडाना है। यदि आप अहिंसा अपनाना चाहते हैं तो आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे जो हो, आप गुस्सा नही करेंगे अथवा परिवारके सदस्योपर हुकूमत नही जतायेंगे या उनपर हुक्म नही चलायेंगे। इस प्रकार दैनिक जीवनमे जो भी छोटे-छोटे अवसर मिले उनका उपयोग आप स्वय अपने जीवनमे अहिंसाको अपनाने तथा इसे अपने बच्चोको सिखानेमे कर सकते हैं।

एक दूसरा दृष्टान्त देते हुए गांधीजी ने कहा कि मान लीजिए किसीने आपके बच्चेको पत्थर मार दिया है। आम तौरपर एक पठान अपने बच्चेसे यह कहता है कि वह मार खाकर रोते हुए घर न आये बल्कि ईंटका जवाब पत्थरसे दे, किन्तु अहिंसाका पुजारी अपने बच्चेसे यह कहेगा कि पत्थरका जवाब पत्थरसे देनेके बजाय वह पत्थर मारनेवाले बच्चेको गले लगाये और उसे अपना दोस्त बना ले।

यही नुस्खा, अर्थात् दिलसे पूरी तरहसे क्रोध निकाल देना तथा प्रत्येक व्यक्तिको मित्र बनाना, वास्तवमे भारतको स्वतन्त्रता दिलानेके लिए काफी है। भारतके निर्धन जनसमुदायको स्वतन्त्रता दिलानेका यह सबसे विश्वसनीय और शीघ्र फलदायक रास्ता है, और मेरा दावा है कि यही एकमात्र रास्ता भी है।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ८७-९१

५०. राष्ट्रीय झण्डा

एक भाई लिखते हैं :

आजकल धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानोंके अवसरोंपर राष्ट्रीय झण्डेको कुछ इस तरह फहरानेकी प्रवृत्ति देखी जाती है जिससे धर्म-सम्बन्धी ध्वज-पताकाओं तथा अन्य प्रतीकोंसे उसकी स्पर्धाका और उनके मुकाबले उसे श्रेष्ठ दिखाने की कोशिशका आभास मिलता है। यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि इस ओर आपका ध्यान देना आवश्यक है। यह तो हम सब चाहते हैं कि राष्ट्रीय झण्डा एकता और सभी दिशाओंमें निर्बाध रूपसे आगे बढ़नेके हमारे संकल्पका प्रतीक बने, लेकिन राष्ट्रीय झण्डे तथा जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानोंके अवसरोंपर प्रमुखता मिलनी चाहिए, ऐसे धार्मिक ध्वज-पताकाओं और अन्य प्रतीकोंके बीच स्पर्धा खड़ी करके तो हम उस उद्देश्यको ही विफल कर देंगे जिसको ध्यानमें रखकर हमने राष्ट्रीय झण्डा अपनाया है। इस मामलेमें उत्साहके अतिरेकमें हमारे कुछ कार्यकर्ता गलती कर बैठते हैं, बल्कि सच तो यह है कि उनके व्यवहारके कारण कहीं-कही राष्ट्रीय झण्डेका विरोध भी उभरने लगा है, जो अब तक देखनेमें नहीं आता था।

इसके अलावा, जहाँ-तहाँ कुछ लोग या गुट राष्ट्रीय झण्डेके प्रति जनताकी भावनाको उभारकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते हैं। झगड़ा भले ही किसी और बातको लेकर शुरू हुआ हो, लेकिन वे बीचमें झण्डेका सवाल खड़ा करके बातोंको इस तरह उलझा देते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि असलमें झगड़ा किस सवालपर है।

आपने जो इतने सारे आन्दोलन शुरू किये उनके सम्बन्धमें अगर आप अपना मन्तव्य और दृष्टिकोण बार-बार स्पष्ट करनेको तैयार न हों तो मुझे तो लोगों द्वारा उनके गलत अर्थ लगाये जाने और अवांछनीय दिशामें मोड़ दिये जानेका खतरा बराबर मौजूद जान पड़ता है। जिन कार्रवाइयोंसे हिन्दुओं, मुसलमानों या अन्य धर्मावलम्बियोंके धार्मिक-प्रतीकोंके साथ राष्ट्रीय झण्डेकी स्पर्धा खड़ी हो सकती है, उनके परिणामोंके बारेमें सोचकर मुझे खास तौरसे डर लगता है। मन्दिरोंके रथों और शिखरोंपर राष्ट्रीय झण्डेको फहरानेकी प्रवृत्ति धर्मकी सर्वव्यापकता-विषयक मेरी भावनाको चोट पहुँचाती है और ईश्वरको राष्ट्रीय रूप दे देनेका यह प्रयास मुझे बहुत भोंड़ा लगता है।

राष्ट्रीय झण्डेकी मूल कल्पना और सारतः उसकी वर्तमान रचनाके जनकके नाते मुझे यह देखकर बहुत दुःख होता रहा है कि अकसर उसका कैसा दुरुपयोग किया जाता है और किस प्रकार लोग अपनी हिंसात्मक प्रवृत्तिपर परदा डालनेके लिए उसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय झण्डेकी कल्पना सच्ची साम्प्रदायिक एकताके रूपमे अभिव्यक्ति पानेवाली अहिंसा और उस अहिंसामय श्रमके प्रतीकके रूपमे की गई है जिसे छोटे-बडे सब आसानीसे कर सके और जिससे राष्ट्रीय सम्पत्तिकी अप्रकट रूपसे ही सही किन्तु ठोस वृद्धि करनेकी निश्चित सम्भावना है। लेकिन यह स्वीकार करना ही पडेगा कि उस दृष्टिसे आज यह तिरंगे कपडेका एक टुकडा-भर है—और जरूरी नही कि वह टुकडा भी बराबर खादी ही हो। आज ऐसा नही कहा जा सकता कि इस झण्डेको ज्वलन्त साम्प्रदायिक एकता और सबको समान धरातलपर ला खडा करनेवाले तथा जिसमे छोटे-बडे सभी शरीक हो सके उस श्रमका प्रतीक होनेका गौरव प्राप्त है।[1] चरखोकी गुनगुनाहट गाँवोकी हजारो झोपड़ियोमे जरूर सुनी जा सकती है। लेकिन जैसा परिणाम अपेक्षित है उसकी तुलनामे यह कुछ भी नही है।

इसके अलावा अगर राष्ट्रीय झण्डा अहिंसाका प्रतीक है तो उसके साथ विनम्रता भी जुडी होनी चाहिए। अगर मेरा बस चले तो एक भी व्यक्तिके आपत्ति करनेपर मैं ऐसी किसी सभामे राष्ट्रीय झण्डा न फहराने दूं जो विशुद्ध रूपसे कांग्रेसकी सभा न हो। किसी गैर-कांग्रेसी सभामे किसी आपत्तिको—चाहे वह सिर्फ एक व्यक्तिकी ओरसे ही क्यो न की गई हो—स्वीकार करके राष्ट्रीय झण्डेको न फहरानेसे उसकी गरिमामे कोई कमी नही आ सकती। उसकी गरिमामे कमी तब आयेगी जब हम उस सत्ताके भयसे इसे झुका दे जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं। किन्तु यदि साम्प्रदायिक एकता तथा समस्त निहित अर्थो सहित चरखेमे हमारा जीवन्त विश्वास न हो और फिर भी हम सभाओ या कांग्रेस-कार्यालयोपर इसे फहराये तो उससे इसकी गरिमामे ज्यादा कमी आयेगी। राष्ट्रीय झण्डा कोई धार्मिक प्रतीक नही है। और यह सभी धर्मोका प्रतिनिधित्व करता है तथा सभीके पारस्परिक मेलजोलकी प्रेरणा देता है, इसलिए धार्मिक शोभा-यात्राओ या मन्दिरो या धार्मिक सभाओमे इसके लिए कोई स्थान नही है। अपनी जगहपर रहनेमे ही किसी चीजका महत्व है। अपने उचित स्थानसे अलग रहनेपर किसी चीजका कोई महत्व नही है। सहारा रेगिस्तानमे सोनेकी, ईंट या नोटोका भला क्या महत्व? सच तो यह है कि आजकी तनावपूर्ण स्थितिमे जब तक सिर्फ बहुत बडे बहुमतकी ही नही, बल्कि एक-एक व्यक्तिकी सहमति न हो तब तक मैं इसे सरकारी इमारतो या नगरपालिकाओके कार्यालयोपर भी नही फहराना चाहूँगा। मुझे तो यहाँ तक कहनेमे भी कोई झिझक नही है कि अगर

१. मूल अंग्रेजीमें इस वाक्यमें छपाईकी कुछ भूल रह गई है। इसलिए इसका अर्थ देते हुए **हरिजनबन्धु** में उपलब्ध गुजराती अनुवादका सहारा लिया गया है, क्योंकि अनुवाद न्यूनाधिक प्रामाणिक है।

राष्ट्रीय झण्डा अहिंसा और विनम्रताका प्रतीक है तो इसके विपक्षमे पडनेवाले एक मतको भी — चाहे वह शरारतसे ही क्यो न डाला गया हो — पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

जाहिर है कि अपनी कलमकी ताकतपर जितना भरोसा मुझे है पत्र-लेखक भाई को उसपर उससे अधिक है। मै लिख रहा हूँ तो कोई ऐसा मानकर नही कि जिन हलको तक मै इसका असर पहुँचाना चाहता हूँ उन तक असर पहुँचेगा ही। लेकिन पत्र-लेखक भाईके अनुरोधको अस्वीकार करना मेरे लिए उचित नही होगा। उनकी दलील और उनके पेश किये तथ्योको मै स्वीकार करता हूँ। अब इसका असर अपेक्षित हलकोपर न हो, इस भयसे मै लिखूँ ही नही, यह ठीक नही होगा। खैर, राष्ट्रीय झण्डेके जिन निहित अर्थोका मैने यहाँ उल्लेख किया है, उन तमाम अर्थोके साथ उसमे अपनी श्रद्धाका इजहार करनेका मुझे जो यह एक मौका मिला है उसे तो मै अपने लिए एक लाभ ही मानता हूँ।

बन्नू, २४ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-११-१९३८

५१. पत्र : अमृत कौरको

बन्नू
२४ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

अभी तो तुम्हे मिलके बने कागजपर पेंसिलसे लिखे पत्रोसे ही सन्तोष करना होगा। हाथके बने चमकीले कागजपर पेंसिल ठीकसे चलती ही नही।

हम बन्नू पहुँचे, तो पाया कि तुम्हारे दो पत्र यहाँ पहले ही आ चुके थे। 'ए वूमन्स लेटर'[1] का उपयोग शायद मै 'हरिजन' के लिए करूँ। तुम्हारा काठियावाड़के विषयमे लिखा लेख[2] इस सप्ताह प्रकाशित होगा। हाँ, आखिरी अनुच्छेद या शायद दो अनुच्छेद निकाल दिये जायेंगे।

यूरोपकी स्थितिके सम्बन्धमे लिखे मेरे लेखोका तत्काल कोई परिणाम निकलनेकी सम्भावना नही है। लेकिन अगर भारतने अहिंसाका ठीक विकास कर लिया तो उनका असर जरूर होगा। और भारतके ऐसा कर सकनेके बारेमे बहुत सन्देह है। शायद खुद मेरी अशुद्धि इसमे मुख्य बाधा है। जैसाकि मुझे लगता है, मेरे शब्द अपनी शक्ति खो बैठे है, और शुद्धिके सम्बन्धमे मेरे जो विचार है, उनके अनुसार होना

१. देखिए "स्त्रियोंका विशेष कार्यक्रम", पृ० ५७-९।
२. देखिए "काठियावाड़-यात्राकी छाप", ४-११-१९३८।

भी यही चाहिए। फिर भी मै श्रद्धापूर्वक आगे बढनेकी कोशिश कर रहा हूँ। अपने विचार, शब्द और कर्मके परिणामोके प्रति मुझे अनासक्ति प्राप्त करनी है। सतत प्रयत्नके बावजूद मै अपनी अशुद्धिसे छुटकारा नही पा रहा हूँ, इसीके आधारपर, मै कैसा हूँ, इसके बारेमे मै अन्तिम रूपसे कोई निर्णय नही करने जा रहा हूँ और न अपनी प्रवृत्तियोका त्याग ही करने जा रहा हूँ। अब शायद स्त्रियोके हृदय तक पहुँच पानेकी अपनी शक्तिके प्रति मेरे विश्वासको तुम समझ जाओगी। लेकिन यह तो बडी लम्बी गाथा है। जितना कहा गया है सहज ही कहा गया है। तुम चिन्ता न करना, क्योकि मै खद भी कोई चिन्ता नही करता। अपनी अशुद्धिके बारेमे मै बैठा-बैठा सोचता रहता होऊँ, ऐसी कोई बात नही हे। देख रहा हूँ, वह साँप मेरे सामने है। उसके दाँत करैतसे भी ज्यादा विषाक्त है। इसलिए मै सावधान हूँ। मै चिन्ता नही करता, इसका सबसे बडा प्रमाण तो यही है कि मेरा रक्तचाप बराबर स्थिर है।

यह पत्र महादेवको भी दिखा दो तो अच्छा। लिखना शुरू किया था तो नही मालूम था कि यह इस तरह गम्भीर बन जायेगा। लेकिन एक तरहसे अच्छा ही हुआ। बस तुम्हारे प्रति अपने प्रेमके ही कारण ऐसी कुछ पक्तियाँ लिख गया हूँ।

सप्रेम,

जालिम
याकि सबसे ताजा विरुदावलीके
अनुसार योद्धा

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४४) से, सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ६४५३ से भी।

५२. पत्र : महादेव देसाईको

बन्नू
२४ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

इस समय मेरे पास कलम नही है इसलिए पेंसिलसे काम चला रहा हूँ। कुछ न लिखनेकी अपेक्षा पेंसिलसे मिलके बने कागजपर लिखना भी अच्छा हैं न ?

आज यहाँ पहुँचनेपर तुम्हारे दोनो पत्र मिले। कान्तिके पत्रके बारेमे तुम जो लिखते हो, वह ठोक है। यदि सम्भव हुआ तो मै इसका उपयोग करूँगा। मै देखूँगा। राजकुमारीको तो यही अश दिखाना था, अर्थात् सार, जिससे वह यह जानकर प्रसन्न हो कि कान्तिके विचार अच्छी तरह परिष्कृत होते जा रहे है।

उसके — राजकुमारीके — गुणोके बारेमे तुम जो कहते हो सो ठीक है। ऐसे सम्पर्क हमे विनम्र बनाते है और हमारी सेवावृत्तिको बढाते है। इस दृष्टिसे अनायास ही ऐसे अवसर प्राप्त होनेपर हमे उनका स्वागत करना चाहिए। अपना दौरा पूरा

करनेके बाद हम इस बारेमें विचार कर लेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यहाँसे हम लोग ज्यादासे-ज्यादा १० नवम्बरको रवाना होंगे। इससे पहले भी चल सकते हैं। लीलावती तो इसे भी लम्बा खिंचना कहेगी। इसलिए मैं निश्चय ही यह सोचता हूँ कि यदि वह जगह तुम्हें अच्छी लगती हो और राजकुमारी वहाँ रहने तथा तुम्हें जतनसे रखनेको तैयार हो तो तुम वहीं रहो। सचमुच देखा जाये तो नवम्बर-दिसम्बरमें ही शिमला [का मौसम] सबसे अच्छा होता है। मैं यह सम्भव नहीं मानता कि तुम १० नवम्बर तक अपना काम सँभाल सकोगे। यह आराम बेकार नहीं जायेगा। तुम बहुत पुराना चढा हुआ कर्ज चुका रहे हो। इसलिए यदि शिमला नहीं तो कहीं अन्यत्र तुम्हें आराम लेनेके लिए अवश्य जाना चाहिए। जालन्धरके बारेमें तुम राजकुमारीसे सलाह-मशविरा करके देखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६८) से।

५३. पत्र: शारदा चि० शाहको

बन्नू
२४ अक्टूबर, १९३८

चि० शारदा,

तेरा पत्र मिल गया है। किन्तु आज इतना समय नहीं है कि उसका विस्तृत उत्तर दे सकूँ। तू जो दिन गिनती रही है अब तो वे कम होते जा रहे हैं न?

मुझे वहाँ पहुँचकर तेरी खुराकमें कुछ रद्दोबदल करनी पड़ेगी। यहाँ बैठे हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता। भणसालीभाईकी कुछ चाकरी बजाना क्या तेरे हिस्सेमें भी आता है? क्या घूमनेके लिए रोज अकेली ही जाती है? शकरीबहन[1] बाहर निकलती है या नहीं?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००१) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

१. शारदा चि० शाहकी माता।

५४. स्त्रियोंका विशेष कार्यक्रम

सम्पादक, 'हरिजन'

महोदय,

हालके यूरोपीय संकटके सम्बन्धमें आपके लेख मैंने रसपूर्वक पढ़े हैं। इस अवसरपर आप यूरोपवासियोंको लक्षित करके दो शब्द कहें, यह स्वाभाविक ही था। जब मानवता विनाशके कगारपर खड़ी हो तो आप भला चुप कैसे रह सकते थे?

दुनिया क्या आपकी बात सुनेगी? यही सवाल है।

इंग्लैंडमें रहनेवाले मित्रोंके पत्रोंसे देखें तो इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि उस भयानक सप्ताहमें वहाँके लोगोंने घोर व्यथा भोगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यही हाल सारी दुनियाका हुआ। शैतानियतकी सारी विचक्षणतासे युक्त आधुनिक युद्धशास्त्र और तज्जनित नरसंहार तथा पाशविकताकी सम्भावनाने निश्चय ही लोगोंको, जिस ढंगसे उन्होंने आज तक कभी नहीं सोचा, उस ढंगसे सोचनेको मजबूर कर दिया। एक अंग्रेज मित्रने लिखा है, "युद्ध टल जानेका समाचार मिलनेपर लोगोंने राहतकी जैसी साँस ली और प्रत्येक हृदयसे ईश्वरके प्रति जैसा कृतज्ञता-भाव छलक पड़ा उसे मैं यावज्जीवन नहीं भूल सकता।" लेकिन इस सबके बावजूद सवाल यह उठता है कि क्या केवल वर्णनातीत कष्टोंके भय, अपने सगे-सम्बन्धियोंको खो बैठनेके डर, अपने देशको अपमानित देखनेकी आशंकाके कारण ही लोग युद्धसे घृणा करते हैं? क्या किसी अन्य राष्ट्रके अपमानित होनेके भी मूल्यपर युद्ध टल जानेसे हम प्रसन्न हैं? यदि अपने सम्मानके ऐसे बलिदानकी माँग हमसे की गई होती तो क्या हमारी भावना अन्यथा होती? क्या हम युद्धसे घृणा इसलिए करते हैं कि यह विवादोंको निबटानेका गलत तरीका है या केवल इसलिए कि हम इससे डरते हैं? यदि युद्धको सचमुच धरतीपर से सदाके लिए समाप्त हो जाना है तो ये कुछ सवाल हैं, जिनके उत्तर देना आवश्यक है।

संकटका समय गुजर जानेपर अब हम क्या देख रहे हैं? शस्त्रीकरणके लिए और भी जबरदस्त होड़, युद्धकी सम्भावनाको ध्यानमें रखकर नर-नारी, पैसे और प्रतिभा, युक्ति और कौशलके रूपमें उपलब्ध सारी युद्ध-सामग्रीका पहलेसे अधिक व्यापक और गहन संयोजन — यही न! "युद्ध कदापि नहीं होगा", निष्ठापूर्वक की गई ऐसी कोई घोषणा तो किसी क्षेत्रसे सुननेको

नहीं मिल रही! क्या इस सबका मतलब यह नहीं है कि युद्ध आज भले ही टल गया हो, लेकिन वह हमारे सिरपर कच्चे धागेसे बँधी नंगी तलवारकी तरह लटक रहा है?

एक नारीके नाते मुझे यह बात बराबर कचोटती है कि नारी-जातिने विश्व-शान्तिमें वैसा योगदान नहीं किया है, जैसाकि उसकी सहजवृत्ति और इस क्षत्रमें उसके विशेषाधिकारकी दृष्टिसे अपेक्षित है। जब कभी मैं स्त्रियोंके सहायक सैन्य-दल खड़े किये जाने, लड़ाईके मैदानमें और पिछली पंक्तियोंमें स्त्रियाँ पूरा योगदान कर सकें, इस दृष्टिसे उनके सेनामें भरती किये जाने या उनके द्वारा स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अर्पित किये जानेका समाचार सुनती या पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है। लेकिन सचाई यह है कि जब युद्ध छिड़ जाता है तब स्त्रियोंके ही हृदय व्यथासे रुदन करते हैं, उन्हींकी आत्मा क्षत-विक्षत होती है। इस व्यथाका वर्णन शब्दोंमें नहीं किया जा सकता। क्या कारण है कि हम स्त्रियाँ इतने युग बीत जानेपर भी उस वस्तुको ग्रहण नहीं कर पाई हैं जो अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उदात्त है? क्यों हमने घृणित और नृशंस पवशुलके सामने चुपचाप अपने घुटने टेक दिये? यह सब हमारे आध्यात्मिक विकासकी दयनीय स्थितिका द्योतक है। हम अपने उच्च कर्तव्यको समझ पानेमें असफल रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि यदि स्त्रियोंको अहिंसाकी शक्ति और महिमाकी हार्दिक अनुभूति हो जाये तो इतनेसे ही संसार स्वर्ग बन जाये।

आप हम भारतीय स्त्रियोंको प्रेरित और संगठित क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप हमें अपनी 'शक्ति-भुजा' बनानेका प्रयत्न करते? मेरी कैसी उत्कट लालसा रही है कि आप इसी उद्देश्यसे एक बार सम्पूर्ण भारतका दौरा करें। मुझे विश्वास है कि आपको हमारी ओरसे अद्भुत उत्साहका परिचय मिलेगा, क्योंकि भारतीय स्त्रियोंका हृदय शुद्ध और खरा है और विश्वके किसी भी हिस्सेके नारी-समाजके पास त्याग और आत्म-बलिदानकी हमसे श्रेष्ठ परम्परा नहीं है। यदि आप हमें किसी लायक बनानेका दायित्व अपने सिर ले लें तो इस त्रस्त और आतंकित विश्वको हम कदाचित् शान्तिका मार्ग दिखानेके लिए — चाहे जितना कम हो, किन्तु — कुछ कर सकें। कौन जाने?

एक स्त्री

२२-१०-१९३८

यह पत्र मैं किंचित् संकोचके साथ ही प्रकाशित कर रहा हूँ। भारतकी नारी-जातिके अन्तःकरणको जाग्रत करनेकी मेरी क्षमताके प्रति पत्र-लेखिकाने जो श्रद्धा व्यक्त की है, वह मुझे अच्छी तो जरूर लगी, लेकिन मुझमें इतना विनय अवश्य है कि मैं अपनी मर्यादाओंको पहचान सकूँ। मुझे लगता है कि मेरे यात्रा करनेके दिन अब बीत चुके हैं। लिखकर जितना-कुछ मैं कर सकता हूँ, उतना जरूर करता रहूँगा। लेकिन

मूक प्रार्थनाकी प्रभावकारितामें मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढती जा रही है। यह अपने-आपमे एक कला है — कदाचित् सबसे ऊँची कला, जो अत्यन्त सूक्ष्म और अनवरत अभ्यासकी अपेक्षा रखती है। यह तो मै मानता हूँ कि अपने आचरण द्वारा अहिंसा को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम रूपमे अभिव्यक्ति देना नारी-जातिका विशेष कर्तव्य है। लेकिन स्त्रियोके अन्तःकरणको जाग्रत करनेके लिए किसी पुरुषकी जरूरत क्यो हो? यदि यह अनुरोध मुझसे पुरुषके नाते नही, बल्कि जिसका आचरण सामूहिक रूपसे किया जा सके, ऐसी अहिंसाके (जैसाकि खयाल है) सबसे अच्छे प्रतिपादकके रूपमे किया गया हो तो मै कहूँगा कि अभी मै भारतकी स्त्रियोको इस सिद्धान्तकी शिक्षा देते फिरनेकी किसी अन्तर्प्रेरणाका अनुभव नही करता। पत्र-लेखिकाको मै आश्वस्त करता हूँ कि उनके अनुरोधका उत्तर देनेकी मुझमे इच्छा न हो, ऐसी कोई बात नही है। मेरी धारणा कुछ ऐसी है कि अगर कांग्रेस-संगठनके पुरुष सदस्य अहिंसामे अपनी श्रद्धा अक्षुण्ण रखते है और अहिंसात्मक कार्यक्रमको ईमानदारीके साथ पूरा-पूरा लागू करते है तो स्त्रियाँ अपने-आप उस रास्तेको अपना लेगी। और तब हो सकता है कि उनमे से कोई ऐसी निकल आये जो, जितनी दूर तक मै खुद जा पानेकी आशा कर सकता हूँ, उससे बहुत आगे तक जा सके, सो इसलिए कि अहिंसाके क्षेत्रमे खोज करने और साहसपूर्ण कदम उठानेकी दृष्टिसे स्त्रियाँ पुरुषोसे अधिक सक्षम है। कारण, जैसाकि मै मानता हूँ, जिस तरह पशुबलका परिचय देने के लिए अपेक्षित साहस पुरुषोमे स्त्रियोकी अपेक्षा अधिक है, उसी तरह आत्म-बलिदानके लिए जरूरी हिम्मतकी दृष्टिसे स्त्रियाँ पुरुषोसे कही श्रेष्ठ है।

बन्नू, २५ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजी]
हरिजन, ५-११-१९३८

५५. पत्र : मोतीलाल रायको

बन्नू
२५ अक्टूबर, १९३८

प्रिय मोती बाबू,

आपका प्रेमपूर्ण तार मिला। किन्तु यह पत्र मे आपको धन्यवाद देनेके लिए नही लिख रहा हूँ — वह तो मै समाचारपत्रोके माध्यमसे दे ही चुका हूँ — बल्कि आपको यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि प्रवर्तक संघपर अखिल भारतीय चरखा संघका जो कर्ज निकलता है वह मेरे सिरपर कितना भारी बोझा है। उस सौदेके लिए मै ही मुख्यतया जिम्मेदार हूँ। आप समझ सकते है कि मुझे आपकी खरी सौदेदारी और आपकी ईमानदारीपर कितना भरोसा था। हम दोनो सार्वजनिक संस्थाएँ-जैसे है और इसी कारण मै आपसे कहूँगा कि हमारा आपसी व्यवहार

सामान्य व्यापारियोंके बीच होनेवाले व्यवहारसे कहीं अधिक सच्चा होना चाहिए। कृपया देखिएगा कि ऋणकी अदायगी हो जाये।

सप्रेम,

आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

पत्रोत्तर वर्धाके पतेपर दें।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०५०) से।

५६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

बन्नू
२५ अक्टूबर, १९३८

बा,

अब तू अच्छी हो गई है इसलिए मैं तुझे लिखनेमें आलस्य करता हूँ। इन दिनों हमारा दौरा चल रहा है इसलिए पोस्टकार्ड लिखनेका समय भी मुश्किलसे मिल पाता है। किन्तु तुझे तो पत्र लिखवाना चाहिए। यहाँ सब-कुछ ठीक चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २२१५) से।

५७. पत्र : विद्या आ० हिंगोरानीको

बन्नू
२५ अक्टूबर, १९३८

चि० विद्या,

काफी अर्सेके बाद तेरा खत मिला। मैं राजी हुआ। जमनालालजीकी इजाजत लेकर महिला आश्रम दिल चाहे तब आ सकती है। अब कुछ कानून बदले हैं। मैं नवेंबरकी १२ तारीखको शायद वर्धा पहोंचुंगा। आनंदका खत महादेवपर मैंने देखा था। जहां तक हो सके मैं खत लिखनेसे बचता रहता हूं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

५८. भाषण : बन्नूमें[1]

२५ अक्टूबर, १९३८

शायद आपको मालूम होगा कि दो महीनेसे भी अधिक समयसे मैं पूरा मौन रखता आ रहा हूँ। उससे मुझे लाभ हुआ है और मेरा तो खयाल है कि देशको भी हुआ है। मूलत तो मैंने यह मौन एक तीव्र मानसिक व्यथाके शमनके उद्देश्यसे लिया था, लेकिन वादमे जव इसका लाभ दिखाई पडा तो मैंने इसे अनिश्चित काल तक जारी रखनेका निश्चय किया। इस मौनने मेरे लिए रक्षा-प्राचीरका काम किया है और इसीका प्रताप है कि इधर मैं अपने काम भी पहलेकी अपेक्षा अधिक अच्छे ढंगसे निवटाता रहा हूँ। जव मैं इस प्रान्तमें आया था, तव मैंने यह तय कर रखा था कि मौन तोड़ूँगा तो सिर्फ खुदाई खिदमतगारोसे वातचीत करनेके लिए ही, लेकिन खानसाहवके आग्रहके सामने मुझे झुकना पडा।

आपके मानपत्रोमें मेरी वड़ी प्रशस्ति की गई है और यहाँ आनेपर मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है। मैं नही समझता कि मैं प्रशंसा या आभारका पात्र हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी अपेक्षाएँ पूरी करनेके लिए मैं कुछ खास नही कर सकता। मैं सीमाप्रान्त केवल खुदाई खिदमतगारोसे मिलने और व्यक्तिगत रूपसे उनकी अहिंसा वृत्तिको समझनेके लिए आया हूँ। आपके कस्वेमें मैं प्रसगवश ही आ गया हूँ।

मैंने आपके शिष्टमण्डलोसे मिलने और मुझे जो कागज दिये गये, उनको पढ़ने मे आज कई घंटे लगाये। वन्नूपर हुए हालके हमलो और उन हमलोके दौरान आप पर जो-कुछ वीता उसके वारेमे जानकर मैं वहुत व्यथित हुआ। इस प्रान्तकी हालत कुछ अजीव है। दूसरे प्रान्तोसे इसकी स्थिति भिन्न है, क्योकि यह एक ओरसे ऐसे सीमावर्ती कवीलोसे घिरा हुआ है जिनका धन्धा ही लूट-मार करना है। जहाँ तक मुझे मालूम हो पाया है, वे किसी प्रकारकी साम्प्रदायिक भावनासे प्रेरित नही हैं। हमलोके पीछे उनका मंशा अपनी वुनियादी जरूरतें पूरी करनेका ही जान पडता है। उनसे ज्यादातर हिन्दू ही तवाह होते हैं, इसका कारण शायद यह है कि उनके पास अधिक पैसा है। लोगोके अपहरणके पीछे भी यही मशा दीखता है।

ये हमले होते रहते हैं, यह वात मेरी दृष्टिमें भारतके इस हिस्सेमे ब्रिटिश शासनकी विफलताकी द्योतक है। उसकी सीमा-नीतिके कारण देशके हजारो लोगोंको प्राण गँवाने पडे हैं और भारतको करोडो रुपयेका नुकसान हुआ है। वहादुर कवायली

१. इस सभामें लोग काफी बड़ी तादादमें उपस्थित थे। गांधीजीको बन्नू जिला कांग्रेस कमेटी और सेवा समिति, चाँदनी चौकनी ओरसे मानपत्र भेंट किये गये थे। यहाँ उन्होंने जो भाषण दिया उसकी रिपोर्ट **हिन्दुस्तान टाइम्स,** और **बॉम्बे क्रॉनिकल** में भी प्रकाशित हुई थी।

लोग अब भी अजेय बने हुए हैं। आज मैंने जो-कुछ सुना है वह सब अगर वास्तवतः सच हो — और मैं मानता हूँ कि सच ही है — तो कहना होगा कि इस प्रान्तके अधिकांश हिस्सोंमें जान-माल सुरक्षित नहीं है।

आज मुझसे ऐसे बहुत-से लोग मिले जिनके सगे-सम्बन्धी और प्रियजन हमलावरोंके द्वारा या तो मार दिये गये हैं या रकम ऐंठनेके लिए अपहृत कर लिये गये हैं। उनकी करुण कथाएँ सुनकर मेरा अन्तर रो उठा और मेरा मन उनके प्रति सहानुभूतिसे भर गया। लेकिन मुझे आपके सामने स्वीकार करना चाहिए कि उनका दुःख दूर करनेकी मुझमें चाहे जितनी तीव्र इच्छा हो, किन्तु मेरे पास ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है जिसके बलपर मैं अपहृत लोगोंको अपने-अपने परिवारोंमें वापस ला सकूँ। इसी तरह सरकार या कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलसे भी आपको कोई खास आशा नहीं रखनी चाहिए। जब-जब किसीका अपहरण किया जाये, तब-तब अपना लाव-लश्कर लेकर प्रतिकारके लिए सामने आ जाना किसी भी सरकारके लिए सम्भव नहीं है और ब्रिटिश सरकारकी तो ऐसा-कुछ करनेकी इच्छा भी नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर अपहृत व्यक्ति शासक जातिका हो तो वह कुछ भी कर सकती है।

सब-कुछ देखने-जाननेके बाद मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ कांग्रेसी शासनकी स्थापनाके बाद सीमा पारके हमलोंकी दृष्टिसे स्थिति और भी खराब हो गई है। कांग्रेसी मन्त्रियोंका पुलिसपर कोई प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं है सेनापर तो बिलकुल ही नहीं। इस प्रान्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलका अधिकार तो अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा भी कम ही है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर डॉ० खानसाहब इन हमलोंकी समस्याका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकते तो उनके लिए त्यागपत्र दे देना ही शायद बेहतर होगा। यदि हमले बढ़ते ही गये तो इस प्रान्तमें कांग्रेसके अपनी सारी प्रतिष्ठा खो बैठनेका खतरा है। लेकिन मेरी चाहे जो राय हो, इस बातका फैसला तो आपको खुद ही करना है कि मैंने जो कठिनाइयाँ बताई हैं उनके बावजूद आप कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ही कायम रखना चाहेंगे या कोई और शासन चाहेंगे। आखिर मुख्यमन्त्री आपके सेवक ही तो हैं। वे मतदाताओं, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और कार्य-समिति इन तीनोंकी मर्जीसे ही तो पदारूढ़ हैं।

आज मुझसे मिलनेवाले कुछ लोगोंने पूछा कि अपनी सुरक्षाके लिए सीमाप्रान्त छोड़कर किसी अन्य हिस्सेमें बसना क्या उनके लिए उचित होगा। मैंने उनसे कहा है कि अगर सम्मान और सुरक्षाके साथ रहनेका कोई और रास्ता न हो तो कहीं और जा बसना बिलकुल मुनासिब उपाय है। फिर, मुझसे यह शिकायत भी की गई है कि पहले तो जहाँ हमले होते थे वहाँके मुसलमान बाशिन्दे हमलावरोंकी मदद करते थे, लेकिन सीमाप्रान्त अपराध विनियमन अधिनियमके रद्द किये जानेके बादसे उन्होंने मदद करना छोड़ दिया है, जिससे हमलावरोंको बढ़ावा मिला है। यह बात सच हो सकती है, लेकिन मैं आपको आगाह कर दूँ कि अगर आप अपनी सुरक्षाके लिए दूसरोंकी सशस्त्र शक्तिपर निर्भर रहते हैं तो आपको देर-सबेर अपने उन संरक्षकोंकी सत्ताके अधीन हो जानेको तैयार रहना चाहिए। बेशक आपको हथियारबन्द

होकर अपनी रक्षा करनेकी कला सीखनेका पूरा अधिकार है। आपको अपने बीच सहयोगकी भावना पैदा करनी चाहिए। कायरताका आचरण तो आप किसी भी हालतमे न करे। आत्मरक्षा हर आदमीका जन्मसिद्ध अधिकार है। मै भारतमे एक भी कायर आदमी नही देखना चाहता।

चौथा विकल्प है अहिंसाका मार्ग और मै आपको यही राह सुझाना चाहता हूँ। यह आत्मरक्षाका सबसे अचूक रास्ता है। इस रास्तेपर चलकर आप कभी विफल हो ही नही सकते। अगर मेरा बस चले तो मै कवायलियोके बीच जाकर रहूँ और उन्हे समझाऊँ-बुझाऊँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम और बुद्धिपूर्वक समझाई गई बातका उनपर असर न पडे, ऐसा नही हो सकता। लेकिन मै जानता हूँ कि आज मेरे लिए वहाँ जानेका द्वार बन्द है। सरकार मुझे कवायली क्षेत्रमे जानेकी इजाजत नही देगी।

कवायली लोगोको जैसे खूँखार रूपमे पेश किया जाता है, वैसे खूँखार वे हो नही सकते। वे भी मेरी और आपकी तरह मनुष्य है और अगर उनके साथ मानवीय सवेदनापूर्वक पेश आया जाये तो उनपर उसका असर जरूर होगा, लेकिन आज तक तो उनके साथ हम इस तरह कभी पेश आये ही नही। आज दोपहर कई वजीरी मुझसे मिल गये है। मुझे तो ऐसा नही लगा कि उनका स्वभाव अन्यत्र रहनेवाले आदमीके स्वभावसे कोई खास अलग था।

मनुष्य स्वभावसे बुरा नही होता। पशु-स्वभावको भी प्रेमके प्रभावके वशीभूत होते देखा गया है। इसलिए हमे मानव-स्वभावके सम्बन्धमे कभी हताश नही होना चाहिए। आप सब व्यापारी-जातिके लोग है। अपने व्यापारमे से आप ससारकी उस सर्वोच्च और सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुको — अर्थात् प्रेमको — अलग न रखे। आप कवायली लोगोपर जितना प्रेम बरसा सके, बरसाये। फिर आप देखिएगा कि बदलेमे आपको भी वैसा ही प्रेम मिल रहा है।

धमकीमे आकर या अपने अपहृत लोगोको छुडानेके लिए हमलावरोको धन देकर सुरक्षा खरीदनेकी कोशिश करनेका मतलब तो उन्हे और भी हमले करनेका सीधा निमन्त्रण देना होगा। इससे आपका भी नैतिक पतन होगा और कवायलियोका भी। उनको इस तरह पैसा देनेसे अधिक समझदारीका रास्ता तो यह होगा कि आप उन्हे उद्योग-धन्धा सिखाकर उनकी दरिद्रता दूर करे, और इस तरह उनको लूट-मारकी राह ले जानेवाले मुख्य कारणको ही मिटा दे।

इस विषयमे खुदाई खिदमतगारोसे मेरी बातचीत चल रही है और खानसाहबके सहयोगसे इसके लिए मै एक योजना तैयार कर रहा हूँ। यदि यह योजना फलीभूत होती है और खुदाई खिदमतगार सच्चे खुदाई खिदमतगार बन जाते है तो उनके प्रेम और त्यागके उदाहरणका असर गुलाबकी खुशबूकी तरह कबीलो तक पहुँचेगा, और हो सकता है, शायद उसीमे से सरहदके सवालका कोई स्थायी हल निकल आये।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ५-११-१९३८

५९. बातचीत: खुदाई खिदमतगारोंके साथ

बन्नू
[२६ अक्टूबर, १९३८ या उसके पूर्व][1]

गांधीजी ने बलवानकी अहिंसा तथा निर्बलकी अहिंसाके बीचका अन्तर समझाया। उन्होंने परोपकारार्थ या राजनीतिक हित-साधनके लिए किये जानेवाले रचनात्मक-कार्य और अहिंसासे जुड़े हुए रचनात्मक-कार्यका अन्तर भी समझाया और कहा कि अहिंसा से जुड़ा हुआ रचनात्मक-कार्य असीम सम्भावनाओंसे युक्त एक उद्धारकारी शक्ति बन जाता है। उन्होंने बताया कि भारतमें अहिंसाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ किया गया था। करोड़ों लोग उस समय ऐसा सोचते थे कि वे ब्रिटिश सरकारका मुकाबला तलवारके बलपर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकारके पास ज्यादा बेहतर शस्त्रास्त्र थे। मैंने उन्हें बताया कि अगर आप तलवार हाथमें लेकर लड़ने जाते है तो भी आपको मौतका सामना करनेको तैयार रहना होगा। अगर हाथकी तलवार टूट गई तब तो मृत्यु निश्चित होगी। तब वे बिना दूसरेको मारे खुद मरनेकी कला क्यों न सीख लें और शत्रुके विरुद्ध अपनी आत्माकी शक्तिका प्रयोग क्यों न करें? सरकार उन्हें कैद कर सकती है या उनकी सम्पत्ति जब्त कर सकती है या उन्हें मार भी डाल सकती है। इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी यह बात उनको जँच गई है। लेकिन दिल-ही-दिलमें उनमें से बहुतोंको ऐसा लगता रहा कि अगर उनके पास पर्याप्त मात्रामें शस्त्रास्त्र होते तो वे युद्ध करते। उन्होंने अहिंसाको इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि इसके सिवा और कुछ था नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके दिलमें हिंसा थी। बस, उन्होंने कार्यरूपमें उसका त्याग किया था। यह अहिंसा कमजोरोंकी अहिंसा थी, वीरोंकी नहीं। लेकिन तिसपर भी इस अहिंसाने उन्हें ज्यादा शक्तिशाली बनाया। मै आज आपसे यह कहने आया हूँ कि अहिंसाको कमजोरोंका हथियार समझना या उस रूपमें अंगीकार करना बहुत बड़ी गलती होगी। यदि खुदाई खिदमतगारोंने यह गलती की तो यह बड़े दुःखकी बात होगी।

अगर आप बादशाह खानके कहनेसे शस्त्र-त्याग कर दे लेकिन उसे अपने दिलसे न निकाले, तो आपकी अहिंसा क्षणजीवी सिद्ध होगी — यह चार दिनका चमत्कार भी नही होगी। कुछ वर्षो बाद आप फिर हथियार हाथमे उठाना चाहेंगे, लेकिन तब आप पायेंगे कि आपका अभ्यास छूट गया है, और उस हालतमे आप हिंसा और अहिंसा, इन दोनो ही आदर्शोसे वचित हो जायेंगे। वैसी स्थितिमे आपके पास पछ-तानेके सिवा कुछ न बचेगा। मै आपसे एक अनोखी चीज माँगता हूँ, और वह यह है

१. गांधीजी बन्नूसे २६ अक्टूबरको रवाना हुए थे।

कि सामर्थ्य होते हुए भी आप तलवारका प्रयोग नही करेगे, और तब विजय सुनिश्चित है। दुश्मनकी तलवार टूट भी क्यो न गई हो, आप उसकी टूटी तलवारके आगे अपनी गर्दन कर देगे। ऐसा आप क्रोधमे और दिलमे बदलेकी भावना रखते हुए नही, बल्कि प्रेम रखते हुए करेगे। यदि आपने अहिंसाको सचमुच इस अर्थमे समझ लिया है तो तलवारका इस्तेमाल आप कभी करना ही नही चाहेगे, क्योकि आपको उसके बदले एक कही ज्यादा बेहतर चीज मिल गई होगी।

आप पूछेंगे, 'इन सब चीजोका ब्रिटिश सरकारपर किस तरह असर पड़ेगा?' मेरा जवाब है कि अपनी नि स्वार्थ सेवाके जरिये भारतके सभी लोगोको प्रेमके समान सूत्रमे पिरो लेनेके बाद हम देशका वातावरण इस तरह बदल सकते है कि अग्रेज लोग उसका विरोध कर ही नही सकेंगे। आप कहेगे कि अंग्रेजपर प्रेमका असर होता ही नही। लेकिन मेरा लगातार तीस वर्षका अनुभव इससे भी भिन्न है। आज १७,००० अंग्रेज ३० करोड भारतीयोपर इसलिए राज्य कर पाते है क्योकि हमारे अन्दर भय व्याप्त है। अगर हम एक-दूसरेसे प्रेम करना सीख ले, यदि हिन्दू और मुसलमान, सवर्ण और अछूत, अमीर और गरीबके बीचकी खाई पट जाये तो मुट्ठी-भर अग्रेज हमारे ऊपर अपना शासन कायम रखनेकी हिम्मत ही नही करेंगे।

जिस प्रकार सशस्त्र युद्धके कुछ नियम होते है उसी तरह अहिंसक युद्धके भी कुछ नियम है। इन नियमोका पूरी तरह पता नही चलाया गया है। हिंसामें आप बुरे काम करनेवालेको दडित करते है, अहिंसामे आप उसपर तरस खाते है, और उसे एक रोगी मानते है जिसका उपचार आप अपने प्रेमसे करते है।

अंग्रेजोको अहिंसात्मक उपायसे निकाल बाहर करनेके लिए आपको करना क्या होगा? अगर आप हिंसात्मक उपायसे काम लेना चाहते है तो आपको कवायद सीखनी होगी और शस्त्रास्त्रोके प्रयोगमे दक्षता प्राप्त करनी होगी। यूरोप और अमेरिकामे बच्चो और स्त्रियो तकको इसकी शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार जिन लोगोने हिंसाके हथियारको अपनाया है, उन्हे अहिंसाके अनुशासनका कडा अभ्यास करना होगा।

इसके बाद गांधीजी ने रचनात्मक-कार्यक्रम, और अहिंसाकी योजनामें एक गतिशील शक्तिके रूपमें उसके स्थानके बारेमें बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अहिंसाका कार्यक्रम १९२० में देशके सामने रखा था। यह कार्यक्रम दो भागोंमें विभाजित था। एक था असहयोग, दूसरा था रचनात्मक-कार्यक्रम। रचनात्मक-कार्यक्रममें साम्प्रदायिक एकता, अस्पृश्यताका उन्मूलन, मद्य-निषेध, शराब और नशीली वस्तुओंके प्रयोगकी बुराईका समूल नाश, खादीका प्रचार, हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और अन्य कुटीर-उद्योग शामिल थे। लेकिन इन सब चीजोंको राजनीतिक जरूरतके रूपमें नहीं, बल्कि अहिंसाके कार्यक्रमके एक अभिन्न अंगके रूपमें कार्यान्वित करना था। यह अन्तिम चीज ही सबसे ज्यादा महत्वकी थी। उदाहरणके लिए, जरूरतके तौरपर हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करना एक बात थी और अहिंसाके अभिन्न अंगके रूपमें उसे स्वीकार करना दूसरी बात थी।

जरूरतके दबावमे आकर स्थापित की गई एकता ज्यादा दिन नही चलती। जिस राजनीतिक आवश्यकताके अधीन एकता स्थापित की गई थी, उस आवश्यकताके समाप्त होते ही उसका त्याग कर दिया जायेगा। यह एक चाल या चकमा भी हो सकता है। किन्तु जब उसे अहिंसाके कार्यक्रमके अभिन्न अगके रूपमे अपनाया जायेगा तब उसकी जडमे प्रेमके सिवा कुछ भी नही होगा, और इस एकतापर दिलके खूनसे मुहर लगी होगी।

इसी प्रकार चरखेका सम्बन्ध भी अहिंसासे जोडना होगा।

आज भारतमे करोडो बरोजगार बेसहारा लोग है। उनसे निपटनेका एक तरीका तो यह है कि उन्हे अपनी मौत मर जाने दिया जाये ताकि दक्षिण आफ्रिकाकी ही तरह यहाँ भी बचनेवाले लोगोके लिए प्रति व्यक्ति ज्यादा रकबा जमीन बचेगी। यह तरीका हिंसाका तरीका होगा। दूसरा तरीका, अहिंसाका तरीका आखिर तक बराबर-बराबर बॉटकर खानेका है। इसमे हमसे अपेक्षा की जाती है कि ईश्वरके रचे हुए तुच्छ-से-तुच्छ जीवका भी हम पूरा आदर करे। इस सिद्धान्तको माननेवाला व्यक्ति जो चीज तुच्छ-से-तुच्छ जीवके साथ बॉटकर नही खा सकता, उसे वह स्वय भी नही लेगा। यह बात उन लोगोपर भी लागू होती है जो अपने हाथोसे मेहनत करते है — श्रमिक-वर्गके अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी स्थितिवाले लोगोको उन लोगोके साथ मिल-जुलकर रहना चाहिए जो उन-जैसे भाग्यशाली नही है।

इसी तरहसे सोचते हुए, गांधीजी बोले, मेरे मनमें आखिर चरखेकी बात आई।

लोगोंसे चरखेको अपनानेके लिए जब मैने पहली बार कहा, उस समय तक मैने चरखा देखा तक नही था। सच तो यह है कि 'हिन्द स्वराज्य'मे मैने उसे हथकरघा कहा है, क्योकि मुझे चरखे और हथकरघेका फर्क ही नही पता था। मेरे मनकी आँखोके सामने गरीब, भूमिहीन मजदूरकी तस्वीर थी जिसके पास कोई रोजगार या जीवनयापनका कोई साधन नही था और जो गरीबीके भारके नीचे पिसा जा रहा था। मै उसे कैसे बचा सकता हूँ, यह थी मेरी समस्या। आज भी जब मै आप लोगोके साथ आरामके वातावरणमे बैठा हूँ, मेरा मन अपनी टूटी-फूटी झोपडियोम रहनेवाले गरीब और दलित लोगोके साथ ही है। मै उनके बीचमे ज्यादा अच्छा महसूस करूँगा। यदि मै सुख-सुविधाके मोहमे फँस जाऊँ तो अहिंसाके एक उपासकके रूपमे मेरा पतन हो जायेगा। मेरे और गरीबोके बीच एक जीवन्त कडी का काम दे सके, वह चीज क्या है? इसका उत्तर है चरखा। जीवनमे किसीका धन्धा या दर्जा कुछ भी क्यो न हो, यदि वह चरखेको उसके पूरे फलितार्थोके साथ स्वीकार करता है तो चरखा उसे और गरीबोको जोडनेवाला स्वर्ण-सेतु सिद्ध होगा। उदाहरणके लिए, अगर मै एक डॉक्टर हूँ तो यज्ञका सूत कातते समय मै सोचूँगा कि किस प्रकार मै बेसहारा लोगोंके दुखोको कम कर सकता हूँ। उस समय मैं महलोंमे रहनेवालोके बारेमे नही सोचूँगा जिनसे मुझे मोटी फीस मिल सकती है। चरखा कोई मेरी ईजाद नही है। यह पहले भी था। मेरी खोज तो इसमे है कि मैने इसको अहिंसा और आजादीके कार्यक्रमके साथ जोड़ दिया।

ईश्वरने मेरे कानमें कहा 'यदि तुम अहिंसाके जरिये काम करना चाहते हो तो तुम्हें छोटी-छोटी चीजोंको लेकर चलना चाहिए, बड़ी-बड़ी चीजोंको नहीं।' मैंने जैसी कल्पना की थी, यदि उसी रूपमें हमने चार-सूत्री रचनात्मक-कार्यक्रमको उसके समग्र रूपमें कार्यान्वित किया होता तो आज हम अपने मालिक आप होते। कोई विदेशी ताकत अपनी बुरी निगाह हमारी ओर डालनेकी हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर हमारे बीचमें ही दुश्मन न होते तो किसी बाहरी शत्रुकी हिम्मत नहीं थी कि आकर हमारा नुकसान करे। अगर कोई आता भी तो हमने उसे अपने अन्दर आत्मसात कर लिया होता और वह हमारा शोषण न कर पाता।

इस प्रकारकी अहिंसा है जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अन्दर पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि आप खरा सोना हों, इसके सिवा कुछ नहीं। बेशक, आप मुझे धोखा दे सकते हैं। अगर वैसा करेंगे तो मैं खुद अपनेको ही दोष दूंगा। लेकिन यदि आप सच्चे हैं तो आपको अपने कार्योंसे यह सिद्ध करना है कि किसीको लाल-कुर्तीवालेसे डरनेकी जरूरत नहीं है और न ही एक भी लालकुर्तीवालेके जिन्दा रहते उसे भय करनेकी कोई जरूरत है।

[अंग्रेजीसे]

ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस, पृ० ९७-१०१

६०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

२६ अक्टूबर, १९३८

महाराजा साहबके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमें त्रावणकोरके सत्याग्रही कैदियोंको आम माफी देनेपर मैं महाराजा साहब, महारानी साहिबा तथा दीवान साहबको बधाई देता हूँ। अब यह आशा करना स्वाभाविक ही होगा कि इस माफीको फलप्रद बनाने और शान्तिको स्थायित्व प्रदान करनेके लिए अब अलग-अलग दो समितियोंकी भी नियुक्ति कर दी जायेगी, जिनमें से एकका काम विगत घटनाओंकी जाँच करना होगा और दूसरीका महाराजा साहबके तत्वावधानमें स्थापित किये जाने-वाले उत्तरदायी शासनका स्वरूप निर्धारित करना होगा।

दीवान साहबके विरुद्ध लगाये गये आरोप अभी जहाँ-के-तहाँ हैं। मैं एक बार फिर इन्हें वापस ले लेनेका अनुरोध करूँगा। उनके वापस ले लिये जानेका मतलब यह नहीं होगा कि अधिकारी उनकी सचाईके बारेमें अविश्वास करें। उन्हें ये आरोप उच्चतर हितोंको ध्यानमें रखकर वापस लेने चाहिए। उत्तरदायी शासनके प्रश्नको इन आरोपोंके साथ जोड़कर उलझन नहीं पैदा की जानी चाहिए। और जनताके हाथोंमें सत्ता सौंपनेके प्रश्नके सामने इन आरोपोंका महत्व भी क्या हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-१०-१९३८

६१. भाषण : लक्कीमें[1]

२६ अक्टूबर, १९३८

अहिंसाके अपने पचास वर्षोंके अनुभवके आधारपर मैं आपसे कहता हूँ कि पशुबलकी तुलनामें इसकी शक्ति अनन्त गुनी अधिक है। किसी सशस्त्र सिपाहीको अपने हथियारों — अपनी बन्दूक या तलवार — पर निर्भर करना होता है और आम तौर पर वह अन्तमें असहाय हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्तिने अहिंसाके सिद्धान्तको हृदयंगम कर लिया है उसके पास ईश्वर-प्रदत्त शक्ति-रूपी शस्त्र होता है और उस शस्त्रके मुकाबलेका कोई दूसरा हथियार दुनिया आज तक नहीं ढूँढ़ पाई है। गफलतमें मनुष्य भले ही कुछ देरके लिए ईश्वरको भूल जाये, लेकिन ईश्वर उसपर बराबर ध्यान रखता है और हमेशा उसकी रक्षा करता है। यदि खुदाई खिदमतगारोंने इस रहस्यको समझ लिया है, अगर उन्होंने यह जान लिया है कि अहिंसा संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर बात ऐसी न हो तो बेहतर यही होगा कि खानसाहब उन्हें वे हथियार वापस कर दें जो उन्होंने उनके आदेशपर छोड़ दिये हैं। इससे वे पशुबलकी पूजा करनेवाली आजकी दुनियाकी तरह तो बहादुर बने रह सकेंगे। लेकिन अगर वे एक ओर अपने पुराने हथियार छोड़ देते हैं और दूसरी ओर अहिंसाकी शक्तिसे भी नाता नहीं जोड़ते तो यह एक ऐसी बुरी बात होगी जो कम-से-कम मुझे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, खानसाहबको भी किसी तरह मंजूर नहीं होगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-११-१९३८

६२. खण्डन

मेरी "सात सवाल"[2] शीर्षक टिप्पणीके सम्बन्धमें श्री बृजलाल बियाणी लिखते हैं :

> **'हरिजन' के १५ अक्टूबरवाले अंकमें प्रकाशित आपके "सात सवाल" शीर्षक लेखमें कुछ बातोंका सम्बन्ध मुझसे भी है। शिकायत यह है कि मेरे सम्मानमें जुलूस निकाला गया और वह जुमेकी नमाजके समय मसजिदके पाससे होकर गुजरा।**

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५६-८।

यह शिकायत सीधे मुझसे भी की गई, और उत्तरमें १२ अक्टूबरको मैंने एक वक्तव्य जारी किया, जिसकी एक नकल साथमें भेज रहा हूँ।

जुलूस मसजिदके पाससे तब गुजरा जबकि नमाज समाप्त हो चुकी थी। क़ाजी साहब सैयद मुहम्मद अली उस नमाजकी इमामत कर रहे थे और वे यह बात स्वीकार करते हैं कि जब जुलूस वहाँसे गुजरा, नमाज समाप्त हो चुकी थी और वे खुद उस समय किसी दुकानपर थे।

समाचारपत्रोंको दिये गये उनके वक्तव्यमें निम्नलिखित बात भी कही गई है, जो इस सन्दर्भमें बहुत महत्वपूर्ण है

मैं तो सभी धर्मोंके प्रति सहिष्णुता और आदरका भाव रखनेकी आवश्यकतामें निष्ठापूर्वक विश्वास करनेवालोंमें से हूँ और स्वराज्य-प्राप्तिके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकताके हामियोंमें से हूँ।

लक्की, मरवात, २७ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ५-११-१९३८

६३. पत्र : अमृत कौरको

लक्की, मरवात
२७ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

आज एक पत्र भेज चुका हूँ — इस हिसाबसे कि वह आजकी ही डाकमें चला जाये। यह कलके लिए है और जूनागढ़से भेजूँगा। यह पत्र पढ़कर इसे नारणदासको दे देना और दीवान साहब[1] को गुजरातीमें एक प्यारा-सा पत्र भिजवा देना। तुम तो लिखना ही।

यह पत्र मैं खुदाई खिदमतगारोंके बीच बैठा लिख रहा हूँ। अभी तुरन्त उनसे चर्चा शुरू करूँगा। वे अन्दर आ रहे हैं।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

नारणदासको चेक भेज रहा हूँ।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८६) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ७०४२ से भी।

१. जूनागढ़के दीवान; देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", पृ० ७४।

६४. बातचीत: खुदाई खिदमतगारोंके साथ[1]

लक्की

[२७ अक्टूबर, १९३८][2]

जिन सिद्धान्तोके आधारपर किसी अहिंसक संगठनकी रचना होती है वे हिंसात्मक सगठनकी रचनाके आधार-रूप सिद्धान्तोसे भिन्न, बल्कि उसके विपरीत होते है। उदाहरणके लिए, पारम्परिक सेनामे सैनिक अधिकारी और सामान्य सिपाहीमे स्पष्ट भेद बरता जाता है। सिपाही अधिकारीके सामने छोटा और उसके अधीन माना जाता है। अहिंसक सेनामे सेनापति मात्र मुख्य सेवक होता है — समान लोगोमे सिर्फ प्रथम। वह सामान्य सैनिकोमे किसी उच्चताका दावा नही करता, वह ऐसा नही मानता कि उनके मुकाबले उसे कोई विशेष अधिकार और सुविधा है। आपने प्रेमसे खानसाहबको 'बादशाह खान'का खिताब दिया है। लेकिन अगर उनके हृदयके किसी कोनेमे भी ऐसा खयाल आ जाये कि वे सामान्य सेनापतिकी तरह आचरण कर सकते है तो तत्काल उनका पतन हो जायेगा और वे अपनी सारी शक्ति और प्रभाव खो बैठेंगे। वे बादशाह केवल इस अर्थमे है कि वे सबसे सच्चे और सबसे अग्रणी खुदाई खिदमतगार है और अपनी सेवाके गुण और परिमाण दोनो दृष्टिसे अन्य खुदाई खिदमतगारोसे बढ़-चढकर है।

सैनिक संगठन और अहिंसक सगठनमे दूसरा भेद यह है कि सैनिक संगठनमे अपने सेनापति और अन्य अधिकारियोके चुनावमे सामान्य सैनिकोका कोई हाथ नही होता। ये तो उनपर थोप दिये जाते है और उनपर इनकी निरंकुश सत्ता होती है। अहिंसक सेनामे सेनापति तथा अन्य अधिकारी निर्वाचित या निर्वाचित-जैसे ही होते है। उनकी सत्ता नैतिक होती है और उसका आधार सामान्य सैनिकोकी स्वेच्छा-प्रेरित आज्ञाकारिता ही होती है।

यह तो हुआ अहिंसक सेनाके सेनापति और सामान्य सैनिकोके आपसी सम्बन्धके बारेमे। अब बाहरी दुनियासे उनके सम्बन्धोकी बात ले। यहाँ भी दोनो प्रकारके संगठनोके बीच वैसे ही अन्तर देखनेको मिलते है। अभी-अभी एक बडी भीडसे हमारा साबका पड़ा था, जो इस कमरेके बाहर जमा हो गई थी। आपने लोगोको प्रेमसे समझा-बुझाकर हटानेकी कोशिश की, ताकतसे तो काम नही लिया न! अन्तमे जब हमे कामयाबी नही मिली तो हम वहाँसे हट गये और छुटकारेके लिए बन्द कमरेमे आ बैठे। सैनिक ससारमे ऐसे नैतिक दबावके लिए कोई स्थान नही है।

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

अब एक कदम और आगे बढ़कर विचार करें। यहाँ बाहर जो लोग एकत्र हैं वे खुदाई खिदमतगार तो नहीं हैं, लेकिन सबके-सब हमारे मित्र जरूर हैं। हमें उनसे क्या कहना है, यह सुननेको वे आकुल हैं। उनकी अनुशासनहीनता भी उनके प्रेमकी ही अभिव्यक्ति है। लेकिन उनके अलावा अन्यत्र ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका हमारे प्रति उस तरहका कोई सौहार्द न हो, बल्कि उसके विपरीत शायद उनके मनमें विरोधका ही भाव हो। सशस्त्र संगठनमें ऐसे लोगोंसे निबटनेका एकमात्र जाना-माना तरीका यह है कि उन्हें मार भगाया जाये। लेकिन यहाँ हमारे लिए तो किसी विरोधीको — बल्कि कहिए, किसी भी व्यक्तिको — विचारमें भी अपना शत्रु मानना, अहिंसा या प्रेमकी शब्दावलीके अनुसार, पाप है। उनसे बदला लेनेकी बात सोचना तो दूर रहा, अहिंसाका पुजारी उल्टे प्रभुसे यह प्रार्थना करेगा कि वह उसके विरोधीका हृदय-परिवर्तन करे, और अगर उसका हृदय-परिवर्तन नहीं होता तो अपने विरोधी द्वारा पहुँचाये गये किसी भी नुकसानको सहनेको वह तैयार रहेगा — वह भी कोई डरकर या लाचार होकर नहीं, बल्कि बहादुरीके साथ मुस्कराते हुए। "सच्चा और सम्पूर्ण प्रेम पत्थरको भी पिघला देता है", इस प्राचीन लोकोक्तिमें मेरा अखण्ड विश्वास है।

अपनी बात समझानेके लिए गांधीजी ने मीर आलम खाँका उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार उस पठानने दक्षिण आफ्रिकामें उनपर हमला किया और किस तरह अन्तमें पश्चात्ताप करते हुए वह उनका मित्र बन गया।[1]

यदि मैंने बदलेकी कार्रवाई की होती तो ऐसा नहीं हो पाता। मेरे उस व्यवहारको विरोधीका हृदय-परिवर्तन करनेकी क्रियाकी संज्ञा बखूबी दी जा सकती है। यदि आपने अपने विरोधीके हृदयको इस तरह प्रेमके बलपर बदल देनेकी अन्त:-प्रेरणाका अनुभव न किया हो तो बेहतर यही होगा कि इस रास्तेपर से आप अब भी लौट जायें। उस हालतमें कहना होगा कि यह अहिंसाका व्यापार आपके बसकी बात नहीं है।

अब आप पूछ सकते हैं : लेकिन हम चोरों, डाकुओं और बलात्कारियोंके साथ कैसा व्यवहार करें? क्या उनके सम्बन्धमें भी खुदाई खिदमतगारको अहिंसापर दृढ़ रहना ही चाहिए? मेरा उत्तर निस्सन्देह यही होगा : "हाँ, बिलकुल दृढ़ रहना चाहिए।" सजा देना ईश्वरके अधिकारकी बात है, क्योंकि जिससे कभी गलती नहीं हो, ऐसा निर्णायक तो केवल वही है। यह मनुष्यका काम नहीं है, क्योंकि उसकी "निर्णय-बुद्धि तो दोषयुक्त है"। हिंसाके त्यागका मतलब अन्यायके समक्ष लाचारी महसूस करना या उदासीनताका भाव अपनाना कदापि नहीं होना चाहिए। यदि हमारी अहिंसा सच्ची है और इसकी जड़ प्रेमकी मिट्टीमें जमी हुई है तो चाहिए तो यही कि वह अन्यायका पशुबलसे भी अधिक प्रभावकारी उपचार प्रस्तुत करे। बेशक आपसे मेरी यह अपेक्षा है कि आप डाकुओंका पता लगाकर उनसे मिलें,

१. देखिए खण्ड २९, पृ० १५५ ।

उन्हे उनके आचरणका दोष प्रेमपूर्वक समझाये और ऐसा करते हुए यदि मृत्युका भी वरण करना पड़े तो खुशी-खुशी उसका वरण करे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-११-१९३८

६५. पत्र : मीराबहनको

दौरेपर
२७ अक्टूबर, १९३८

चि० मीरा,

मेरा खयाल है, मुझे तुम्हारे सारे पत्र मिल गये है। सुशीलाने टाइफाइडसे बचनेके बारेमे तुम्हारे सुझावकी मुझसे चर्चा की है। उसका कहना है नायकम्‌के कुँए और हमारे कुँए दोनोमे कोई अन्तर नही है। वह तो कहती है, बचावका एक ही तरीका है कि हम उबले पानीका उपयोग करे — केवल पीनेके लिए ही नही, बल्कि जिन बर्तनोमे हम खाते-पीते है उनको और जिन फलोको हम पकाकर नही खाते, उनको धोनेके लिए भी। वह मानती है कि हमे हर तरहसे शुद्ध और उबला पानी ठीक मात्रामे मुहैया कर सकना चाहिए। लेकिन हम मिलनेपर तुम्हारे दिये सभी सुझावोंपर चर्चा करेगे। विलियम्सने तो सभी योजनाएँ भेजी। लेकिन मै इस नतीजेपर पहुँचा कि यह सब तो हमारे बूतेसे बाहर है। मेरे विचारसे तो हमे फिर मेरी मूल योजनापर ही आ जाना चाहिए। हमे बाल्टीका प्रयोग करना चाहिए और मलको कही दूर ले जाकर खादमे बदल देना चाहिए। लेकिन ऐसा करनेपर भी, जहाँ पानी सतह तक आ गया हो, वहाँ पूरी सुरक्षा तो नहीं ही है। यह पत्र मै एक सभामे बैठा लिख रहा हूँ। इस कारण और नही लिखता।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१०) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १०००५ से भी।

६६. पत्र : महादेव देसाईको

२७ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

कल बन्नूसे रवाना होते समय तुम्हारा पत्र मिला। यह क्यो मानते हो कि तुम मुझसे दूर हो? और कही ज्यादा नजदीक आते जा रहे हो तो? होटलमे रहनेवाले दो व्यक्तियोके बीच केवल दीवारका व्यवधान होता है। यह कौन कह सकता है कि तुम उस दीवारकी नौ या बारह इच मोटाई जितनी ही दूर होगे या योजनो दूर? और क्या ऐसा नही होता कि कोई व्यक्ति योजनो दूर होते हुए भी समीप ही हो? इतना तो निश्चित ही है कि आराम लेकर तुम इस तरह तैयार हो जाओगे जिससे अधिक काम करनेकी शक्ति प्राप्त कर सकोगे। इससे एक विशेष लाभ तो यह होगा कि सभी मामलोमे तुम्हारा जीवन नियमित होगा। खाने-पीने और उठने-बैठनेके समय का पालन तुम्हे वैसी ही धार्मिक निष्ठासे करना चाहिए जैसी निष्ठासे तुम प्रार्थना करते हो। भोजन भी यज्ञार्थ ही किया जाता है न? या ऐसा होना अवश्य चाहिए। यदि तुम एक यज्ञ भूल गये तो समझो कि सभी यज्ञ भूल गये। जब तक तुम्हे वहाँ रहना अच्छा लगे तब तक अवश्य रहो। मेरे वर्धा लौटनेसे फिलहाल तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही है। जिस एकान्त, सत्सग और जिन सुविधाओका तुम वहाँ उपभोग कर रहे हो वे और कही नही मिलेगी। इसलिए या तो वहाँ रहना या फिर जाल-न्धरमे। यदि राजकुमारी तुमसे ऊब जाये या उसे कही जाना पडे और तुम वहाँ न रहना चाहो तो यह अलग बात है। कल शामको मेरा रक्तचाप १३६/८४ था। तो तुम्हारा अच्छा है या मेरा?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

हम लोग आज जहाँ है उस जगहका नाम गठरी या ऐसा ही कुछ है। एक बजे हम डेरा इस्माइल खाँके लिए रवाना हो रहे है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६६९) से।

६७. पत्र : नारणदास गांधीको

दौरेपर
२७ अक्टूबर, १९३८

चि० नारणदास,

साथका ७५० रुपयेका चेक दरबार जूनागढ़से मिला है। यह जयन्तीके अवसर पर मिला था। अतः जैसाकि हमने निश्चय किया था तदनुसार तुम इसका उपयोग कर सकते हो। स्थानीय हरिजन कमेटीके लिए वे ७५० रुपये और देंगे। इस सम्बन्धमें मैंने राजकुमारीको एक पत्र[1] भेजा है। वह तुम्हें चेक भेजेंगी। तुम्हें इसकी प्राप्ति-स्वीकृति भेजनेकी जरूरत नहीं है। किन्तु मुझे तो लिखोगे ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५३ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

६८. पत्र : छगनलाल जोशीको

डेरा इस्माइल खाँ
२७ अक्टूबर, १९३८

चि० छगनलाल,

गुंदा गाँवमें हुए खून आदिके बारेमें तुम्हारी टिप्पणी मैं पढ़ गया। उसका मुझ-पर कोई असर नहीं हुआ। इतना कहना काफी नहीं है कि यह आपसी वैर नहीं था। क्या सवजीने राजनीतिमें भाग लिया था? क्या उसपर किसीकी नजर पड़ी थी? क्या इस तरह भीतरी मार लगवानेकी प्रथा राजकोटमें थी? तुम्हें इस तरहका कोई प्रमाण जुटाना चाहिए — और ऐसा प्रमाण होना चाहिए — कि इस खून आदिके मामलेसे रियासतके अधिकारियोंका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। केवल सन्देहके आधारपर तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। लोग तो कुछ भी मान लेंगे, किन्तु हमें ऐसा प्रमाण खोजना चाहिए जिसे माननेको विरोधी भी बाध्य हों। केवल अनुमानके आधारपर काम नहीं चल सकता। यह कहना भी ठीक नहीं है कि जो लोग मारपीटके लिए गये थे उनमें से किसीका पता नहीं चलता। इसके बावजूद इस

१. देखिए पृ० ६९।

मामलेसे रियासतके अधिकारियोका सम्बन्ध नही बैठाया जा सकता। यदि खून करनेवालेका पता ही न लग सके तो मामलेकी जाँच करके उसका परिणाम लोगोंके सामने रखना चाहिए। तुम्हारी शुरुआत ऐसी है जिससे पाठक लगभग रोमांचित हो जाता है। आगे बढनेपर उसे लगता है कि यह भी वैसा ही कोई किस्सा है जैसे कि दुनियामे होते रहते हैं। किन्तु यह तो तुम्हारे समझने-भरके लिए ही है। शेष तो सब चलता ही रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५४६) से।

६९. पत्र : एम० आर० मसानीको

डेरा इस्माइल खाँ
२७ अक्टूबर, १९३८

भाई मसानी,

अपने लेखका आपके द्वारा दिया गया उत्तर पढकर मुझे दुःख हुआ। लगता है आप यह कहना चाहते हैं कि समाजवादी खादी, मद्य-निषेध, अहिंसामे विश्वास रखते हैं और कमेटीके पास हिंसाको भडकानेवाले भाषणोका कोई प्रमाण नही है। मेरी एक नही बल्कि अनेक समाजवादियोसे बातचीत हुई है। मैंने उनके लेख और भाषण पढे हैं। उन्हे अहिंसामे . .[1] नही, उन्होने खादीका मजाक उड़ाया है और यह कहा है कि मद्य-निषेधके द्वारा सिर्फ पैसे गँवाये हैं। जोर-जबरदस्तीके प्रमाण तो मेरे पास लगभग रोज ही आते हैं। ऐसी स्थितिमे मैं अपनी राय कैसे बदलूं?

मैंने 'दादाभाई नौरोजी' की प्रस्तावना[2] पिताजीको भेज दी है।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१३०) से। सी० डब्ल्यू० ४८८८ से भी, सौजन्य. एम० आर० मसानी।

१. साधन सूत्रमें स्पष्ट नहीं है।
२. देखिए पृ० २७-८।

७०. सच हो तो भयावह

एक सज्जन लिखते हैं :

यहाँ नासिकमें एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है। इसमें पुलिस-अधिकारियोंको प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है। उन सबसे सामूहिक रसोईघरमें खाना खानेकी अपेक्षा की जाती है। और उनके लिए मांस-भक्षण तथा मदिरा-पान जरूरी है। मांस-भक्षणकी बात तो जाने दीजिए, पुलिस-अधिकारियोंको मद्य-पान सिखाना सरकारकी मद्य-निषेधकी नीतिसे कहाँ तक संगत है? इन अधिकारियोंको कभी मद्य-निषेधके काममें भी तो लगाया जा सकता है। फिर क्या स्थिति होगी? शायद आपको यह मालूम भी न हो कि इस स्कूलमें मद्य-पान और मांस-भक्षण अनिवार्य है।

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी किसी अनिवार्यता की कोई जानकारी मुझे नहीं है। पत्र-लेखकने जिस विश्वासके साथ यह पत्र लिखा है, उसीके कारण मैं इसे प्रकाशित कर रहा हूँ। अगर यह सच हो, अगर मांस-भक्षण और मद्य-पान पुलिस-अधिकारियोके प्रशिक्षणका आवश्यक हिस्सा माना जाता हो तो यह बात सचमुच बहुत भयावह है। इस नियमके अनुसार तो मास और मदिरासे परहेज रखनेवाले लोगोके लिए पुलिस-अधिकारियोका प्रशिक्षण पानेकी कोई गुंजाइश ही नही रहती। जिस देशके लाखो लोग धर्मत निरामिषाहारी हो उस देशमे ऐसा नियम रखना घोर अन्याय है। मै तो यही आशा करूँगा कि यह जानकारी गलत साबित हो और अगर यह सच्ची ही हो तो इस भारी बुराईका तुरन्त निराकरण किया जायेगा।

डेरा इस्माइल खाँ, २८ अक्टूबर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ५-११-१९३८

७१. पत्र : अमृत कौरको

डेरा
२८ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

पत्र बस यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि आजका दिन मेरे लिए एक तरहसे तो निठल्लेपनका है, लेकिन दूसरी तरहसे बहुत व्यस्तताका।

क्या तुम्हें मेरा वह पत्र मिला था जिसमें मैंने तुमसे कुछ खादी-कागज भेजनेको कहा था? चाहे मिला हो और तुम भेजना भूल गई हो या मिला ही न हो, लेकिन अब मत भेजना, क्योंकि चन्द्रशंकरने चार दस्ते भेज दिये हैं। जब तक बाहर हूँ तब तकके लिए इतना काफी है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४५) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४५४ से भी।

७२. पत्र : मीराबहनको

२८ अक्टूबर, १९३८

चि० मीरा,

कलका पत्र एक गाँवसे लिखा था। यह डेरामें लिख रहा हूँ। यहाँ हम पूरे तीन दिन रुक रहे हैं। ई० [1] को लिखे तुम्हारे पत्रका मसविदा मुझे यहाँ मिला। यह अच्छा है मगर आखिरी पैरेको छोड़कर। आखिरी पैरेमें मानसिक थकावट झलकती है। ध्यानसे देखनेपर पाओगी कि पत्रके शेष अंशसे उसका सम्बन्ध नहीं जुड़ता और वह बिलकुल अनावश्यक है। एक छोटे देशके शस्त्र त्याग देनेपर इंग्लैण्ड, जो खुद भली-भाँति शस्त्र-सज्जित है, उसका सम्मान करे, यह तो इंग्लैण्डके लिए अपमानजनक बात होगी। अगर चेक लोग यह काम कर पाये तो जर्मनी-सहित दुनियाके अन्य राष्ट्र भी उसे देखकर चकित रह जायेंगे।

१. तात्पर्य शायद एमिल हाशासे है जो कि ५ अक्टूबरको डॉ० बेनिसके चेकोस्लोवाकियाके राष्ट्रपति-पदसे द्वारा त्यागपत्र देकर अपने देशसे बाहर चले जानेके बाद ३० नवम्बरको उनके उत्तराधिकारी चुने गये थे।

तुम्हे अपनी आँखोकी ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। तुम्हे कृष्णचन्द्र-जैसा सहायक तो मिला हुआ ही है।

नलकूपके वारेमे मैने इजाजत दी हो, ऐसा मुझे याद तो नही आ रहा।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४११) से; सौजन्य. मीरावहन। जी० एन० १०००६ से भी।

७३. पत्र : महादेव देसाईको

डेरा
२८ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

साथका पत्र तुम पढना चाहोगे इसलिए भेज रहा हूँ। उसे पढकर चिन्ता मत करना। नासिक स्कूलके[1] वारेमे सक्षिप्त टिप्पणी भेजी है। आज और कलका दिन मुझे 'हरिजन'के लिए दिया गया है। यहाँ खानसाहवका राज्य है इसलिए कोई मुझे परेशान करने आ ही नहीं सकता। और तिसपर मेरा मौन। इसलिए जिस प्रकार तुम वहाँ आदर्श स्थानपर हो उसी प्रकार मै यहाँ आदर्श स्थितिमे हूँ। हम लोग लारीमे दौरा करते है। उसमे मेरे लिए एक विस्तर होता है। उसमे खान साहव वहुत लोगोको भरते ही नही। इसमे से जितना राजकुमारीको वताने लायक हो सो वता देना।

वावला झूठमूठ वहानेको तो कभी मुझे लिखे। वह अपने वारेमे क्या सोचता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७०) से।

१. देखिए "सच हो तो भयावह", पृ० ७६।

७४. पत्र: मणिबहन पटेलको

डेरा इस्माइल खाँ
२८ अक्टूबर, १९३८

चि० मणि,

तुझे कई वर्ष बाद मुझे पत्र लिखना पड़ा है। पत्र काफी खबरोंसे भरा हुआ है। इसी तरह लिखती रहना। नासिकके पुलिस-स्कूलसे सम्बन्धित खबरको सच मानकर मैंने टिप्पणी लिखी है। यदि तू खेर[1] या मुन्शी[2]से मिले तो उनसे भी बात करना।

यदि वहाँका अधिकारी-वर्ग मद्य-निषेधका काम मनसे न करे तो मन्त्रियोंको गवर्नरसे सख्तीसे कहना चाहिए। किन्तु उन्हें इस बातका विश्वास होना चाहिए कि इस काममें अधिकारियोंका मन नहीं है।

जमीनोंके बारेमें तो वल्लभभाईका पत्र मिलनेके पहले ही मैं लिख चुका था। इस सम्बन्धमें विधानसभामें हुई चर्चाकी रिपोर्ट मुझे भेजना।

मैंने यह नहीं कहा कि अश्लील साहित्यके बारेमें कोई कदम उठाया ही नहीं जा सकता। मैंने अपनी राय अवश्य दी है। मुझे इस बातका अन्देशा जरूर है कि लोगोंको गन्दा साहित्य अच्छा लगने लगा है, इसलिए उसे एकाएक रोका नहीं जा सकता। जब विद्वानोंको ही इसमें नफरत हो जायेगी तभी इसे रोका जा सकता है। मैं यह मानता हूँ कि अश्लील लेख आदिके प्रकाशनको यदि कानूनके द्वारा बन्द किया जा सकता हो तो करना चाहिए। परन्तु इतना याद रखें कि विद्यार्थियोंको ऐसी चीजें पढ़नेको मजबूर करने और अखबारोंमें गन्दे लेख छापनेमें बहुत अन्तर है।

राजकोटका मामला तो अद्भुत है। वहाँ जो-कुछ हो रहा है, यदि वह टिका रहा तो इसमें सन्देह नहीं कि लोग अपनी माँग पूरी करा सकेंगे। त्रावणकोरके मामलेमें पिताजीने ठीक किया है। रामचन्द्रनको बुलाकर अच्छा किया, हालाँकि पिताजीका पत्र मिलनेके पहले ही मैं अपना बयान[3] जारी कर चुका था। मुझे लगता है कि बयान जारी करना आवश्यक था। अब तुरन्त त्रावणकोर-जानेकी आवश्यकता नहीं है।

यह बिलकुल अच्छा नहीं कि नाकसे गलेमें पानी टपकता रहे। इसे अवश्य दूर करना चाहिए।

मैं बड़ौदाके बारेमें समझ गया। भादरणमें जो-कुछ हो सो मुझे सूचित करना।

१. बी० जी० खेर, बम्बईके मुख्य मन्त्री।

२. क० मा० मुन्शी, बम्बईके गृह मन्त्री।

३. देखिए पृ० ६७।

१५ तारीखके लगभग मैं वर्धा पहुँच जानेकी आशा करता हूँ। यहाँका काम ९ तारीखको पूरा होगा। सुभाष बाबूके बारेमें जो-कुछ हो रहा है वह मेरे ध्यानमें है। इसलिए मैंने कार्य-समितिमें उसकी कुछ चर्चा की थी। किन्तु पिताजीकी यह राय थी कि जवाहरलालके आने तक हम प्रतीक्षा करें। इसलिए मैं चुप रहा। इस बार राष्ट्रपतिके चुनावमें कठिनाई अवश्य होगी। मैंने 'हरिजन' में जो सुझाव[1] दिया है उसपर पिताजी विचार करें। मेरी राय है कि जो हो रहा है उसे चलते रहने देनेमें हानि होगी।

अब तेरे दोनों पत्रोंका उत्तर इसमें आ गया। पिताजीको फुरसतके वक्त इसे पढ़वा देना।

मेरा स्वास्थ्य सचमुच बहुत अच्छा रहता है। मौलानाको साथ लेकर पिताजीको इस प्रान्तकी यात्रा करनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

मणिबहन पटेल
पुरुषोत्तम बिल्डिंग
ऑपेरा हाउसके सामने
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४: मणिबहेन पटेलने, पृ० ११९-२१

७५. पत्र: विजया एन० पटेलको

२८ अक्टूबर, १९३८

चि० विजया,

तेरे तीन पत्र एक साथ मिले — एक दिल्लीके पतेपर लिखा, दूसरा सेगाँवके पतेपर लिखा और तीसरा सीधे।

तू वहाँ पहुँच गई[2] यह तो बहुत अच्छा हुआ। तेरा स्वास्थ्य सुधर गया इसके लिए बधाई। मैं समझता हूँ कि अब तू सामान्य स्थितिमें आ गई है। अतः मैं चिन्ता क्यों करूँ?

मेरा तो ठीक ही चल रहा है। यहाँकी आबहवा मेरे अनुकूल है। ठण्ड उतनी पड़ रही है जितनी मैं सहन कर सकता हूँ। महादेव शिमलामें मौज कर रहे हैं।

१. देखिए खण्ड ६७, "वह दुर्भाग्यपूर्ण सभा-त्याग", पृ० ४४६-७।
२. विजया पटेल उन दिनों ग्रामीण शिक्षा केन्द्र दक्षिणामूर्ति में थी, जो सौराष्ट्रके भावनगर जिलेमें स्थित आम्बला नामक गाँवके समीप था।

सेगाँवकी बीमारियोकी खबरें तो तुझे मिलती ही होगी। नानाभाई कैसे है? वहाँ तेरा कैसा चल रहा है, क्या-क्या कर रही है?

हम लोग १५ के लगभग सेगाँव पहुँचेगे।

तुम दोनोको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०१) से। सी० डब्ल्यू० ४५९३ से भी, सौजन्य विजयाबहन एम० पञ्चोली।

७६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

२८ अक्टूबर, १९३८

चि० कृष्णचन्द्र,

तुमने मीराबहनको मदद देना शुरू किया है सो बहुत अच्छा किया। उसमे दूषण तो है लेकिन वह बडी साध्वी है। उसकी जो सेवा करोगे वह सब तुमको फलेगी। उसके पाससे ब्रह्मचर्यका शुद्ध अनुभव ज्ञान पाओगे।

बाकी तो तुमको मैंने लिखा ही है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०७) से।

७७. भाषण : डेरा इस्माइल खाँ की सार्वजनिक सभामें[1]

२८ अक्टूबर, १९३८

आपने जो थैली मुझे भेट की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मै दरिद्रनारायणका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करता हूँ और दरिद्रनारायण इतनी आसानीसे सन्तुष्ट नही होते। मेरा यह व्यापार तो उन करोडो अधभूखे और अभावग्रस्त लोगोके लिए है जिन्हे सहायताकी अत्याधिक आवश्यकता है। कपाससे बनी चीजोके आयातके कारण हर वर्ष बहुत बडी मात्रामे भारतके धनके विदेश चले जानेकी समस्याको हमे खादीके बलपर हल करना है। खादीके माध्यमसे

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। इस अवसरपर गांधीजीको ५,७५३ रुपयेकी एक थैली भेंट की गई थी। इसपर गांधीजी ने उपस्थित लोगोंको काफी फटकारा, क्योंकि इस राशिमें से ५,००० रुपये एक ही आदमीके दिये हुए थे।

अ० भा० च० सं० जरूरतमन्दों और गरीबोंको — हिन्दुओं और मुसलमानों, कतयों और बुनकरों, सबको — अब तक मजदूरीके रूपमें चार करोड़से अधिक रुपये दे चुका है। फिर है हरिजनोद्धारकी समस्या। यह भी उतनी ही कठिन है। आपका दान, जिस कार्यके निमित्त वह दिया जाये, उसके अनुपातमें होना चाहिए। आपका शहर कोई गरीब नहीं है। दाताओंमें से अधिकांश अच्छे व्यापारी हैं। निश्चय ही आप चाहते तो इससे अधिक दे सकते थे।

इसके बाद खुदाई खिदमतगारोंका और उनके तथा स्थानीय स्वयंसेवकोंके बीच गांधीजीको जो तनाव देखनेको मिलता था उसका, उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा :

ये मतभेद बहुत दुःखद हैं। लेकिन अगर खुदाई खिदमतगार, उन्होंने अब अपने धर्मको जिस रूपमें समझ लिया है उस रूपमें, उसपर दृढ़ रहते हों तो ये मतभेद और झगड़े शीघ्र ही मिट जायेंगे। वे कसौटीपर चढ़े हुए हैं। यदि वे इसपर से खरे साबित होकर उतरते हैं तो वे साम्प्रदायिक एकताकी स्थापना और स्वराज्य प्राप्तिके निमित्त बनेंगे। मैं जानता हूँ कि हृदयसे क्रोधको बिलकुल निकाल फेंकना कठिन कार्य है। यह काम खुदाकी रहमतसे ही हो सकता है। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभुसे यह प्रार्थना करें कि वह खुदाई खिदमतगारोंको, उनके अन्दर अगर अब भी क्रोध और हिंसाकी कोई भावना छिपी रह गई हो तो, उसे निकाल बाहर करनेकी शक्ति दे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-११-१९३८

७८. जन-शिक्षा आन्दोलन

पिछले दिनों डॉ० हेंगची ताओ मुझसे मिलने आये थे। मैंने उनसे चीनमें चल रहे सराहनीय जनशिक्षा आन्दोलनके विषयमें कुछ लिखनेका अनुरोध किया है। अब उन्होंने निम्नलिखित ज्ञानप्रद लेख[1] लिख भेजा है। यह लेख हम भारतीयोंके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-१०-१९३८

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

७९. पत्र : अमृत कौरको

डेरा
२९ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

कहते तो तुम दोनो यही हो कि तुम लोग मुझसे रोज पत्र लिखनेकी अपेक्षा नही रखते, लेकिन मेरा समाचार रोज जरूर जानना चाहते हो।

मैं अपने बारेमे कुछ इसलिए नही लिखता कि इन दिनो जैसा हूँ, उससे अच्छा तो कभी रहा ही नही। मौसम, आहार और वातावरणकी शान्ति, तीनोका यह मिला-जुला सुपरिणाम है। यहाँ सिवाय अमतुस्सलामके कोई झगडनेको भी नही है। लेकिन मेरा मौन उसपर भी एक कारगर रोक है।

ऊपरकी पक्तियाँ लिखनेके बाद बीचमे कुछ बाधा पड गई थी। और जब मैं बायें हाथसे लिखता हूँ, तो सबकुछ आहिस्ता ही चलता है — दिमाग भी। वैसे यह बात तो अच्छी है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४६) से, सौजन्य . अमृत कौर। जी० एन० ६४५५ से भी।

८०. पत्र : महादेव देसाईको

डेरा
२९ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

दाहिने हाथको जरा आरामकी जरूरत है। इसके साथका तुम्हारे देखनेके लिए है। यदि तुम डॉरोथीको दो पक्तियाँ लिखना चाहो तो लिख देना।

क्या तुमने सुना है कि सेगाँवमे भणसाली और राजेन्द्रको टाइफाइड हो गया था? क्या तुम्हे सेगाँवसे कोई सीधे लिखता है? भणसाली अब बिलकुल अच्छा है। राजेन्द्रको अभी भी बुखार है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७२) से।

८१. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

२९ अक्टूबर, १९३८

चि० पुरुषोत्तम,

तेरा पत्र मिला। नव-वर्ष और पूरे वर्षके मेरे आशीर्वाद तो तुझे है ही।

जब मैने तेरे सेवाका मार्ग छोड़नेकी बात सुनी तो मुझे दु.ख तो हुआ था। किन्तु मैने यह सोचकर अपने मनको समझा लिया कि तू बिना सोचे-विचारे कुछ नही करेगा। मै तेरा क्या पथ-प्रदर्शन करूँ? किसी तरहकी झूठी शर्म या किसीके दबावमे आकर कुछ मत करना। तुझमे जितना हृदय-बल हो उतना ही करना। सेवा-मार्गको छोडकर अय-मार्ग अपनानेमे कोई पाप तो है ही नही। सभी लोग सेवा-मार्गको पचा नही सकते। यदि हम इतना खा ले जिससे अपच हो जाये तो उससे रोग ही होगा। इसकी अपेक्षा उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके।

फिलहाल तू जिस तरह रह रहा है वह अच्छा है। धीरे-धीरे हो सकता है तुझे अपनी आर्थिक स्थितिसे परेशानी न हो। यह समझ लेना कि तगीमे रहना अच्छा है। तंगीमे आदमीका चरित्र निखरता है। इसके अतिरिक्त दुनिया तो तंगीमे ही रहती है। सम्पन्नताका उपभोग करनेवाले तो थोड़े ही नजर आते है। ऐसे लोगोंके प्रति मुझे कभी द्वेष नही हुआ। कभी-कभी उनपर दया आती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

८२. पत्र : अमृत कौरको

डेरा
३० अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

रातके आठ बजनेवाले है — मेरे बाहर घूमने जानेका वक्त हो रहा है।

तीन शिष्टमण्डलोंमे से यह आखिरी तो अभी-अभी मिलकर गया है।

दुर्गाके लिए एस० के नुसखेके बारेमे मैने क्या कहा था?

तुम्हारा कहना ठीक है। अगर मै सेगाँव बिलकुल ही छोड देता हूँ तो यह आर्यनायकमके साथ अन्याय होगा। लेकिन मै सेगाँव छोड़ नही रहा हूँ। अगर सबकुछ ठीक-ठीक चला तो वर्षका एक हिस्सा सेगाँवमे जरूर बिताऊँगा। देखे, क्या होता है। प्रभुसे मार्ग-दर्शनकी प्रार्थना है।

मैं स्वस्थ-प्रसन्न हूँ।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

तुम्हे कुछ याद है कि मैंने तुम्हे कु० की जो पुस्तक सुधारनेके लिए दी थी वह तुम कहाँ छोड गई?

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८७) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०४३ से भी।

८३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

डेरा

३० अक्टूबर, १९३८

प्रिय कु०,

तुम्हारी शिकायत वाजिब है। मैंने अपने सिर बहुत ज्यादा बोझ ले लिया है, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि मैं इस बोझसे दब गया हूँ। इसलिए स्वाभाविक क्रममें जो कार्य समय मिलनेपर बादमे हाथमे लिये जा सकते थे उनकी पूरी उपेक्षा ही हो गई है। अब तुम्हे अपना मसविदा[1] भेज रहा हूँ। आशा है, इसे पढनेमे तुम्हे कठिनाई नही होगी। इसको अन्तिम रूप देनेसे पहले शंकरलाल और जाजूजीको दिख लेना। तुम्हारी पुस्तक तो जब मुझसे कुछ करते न बना, मैंने रा० कु० को दे दी।[2] उसे पत्र लिखा है।

तुम सबका कैसा चल रहा है?

पेशावरसे १० तारीखको चलनेकी उम्मीद करता हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३६) से।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

८४. सदस्योंकी प्रतिज्ञाकी व्याख्या

[३० अक्टूबर, १९३८][1]

यह प्रतिज्ञा सामान्य ढंगकी है और इसे जान-बूझकर ऐसा तैयार किया गया। यह एक सज्जनकी प्रतिज्ञा है और इसमें "भारतके गाँवोके चतुर्दिक कल्याणके उद्देश्यकी प्राप्तिके निमित्त अपनी शक्ति और प्रतिभाके अधिकतम अंशका", इन शब्दोकी व्याख्या प्रत्येक सदस्यके ईमानपर छोड़ दी गई है।

सदस्यगण न केवल इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए काम करनेको प्रतिज्ञाबद्ध है, बल्कि "इन आदर्शोको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करने" और "अन्य वस्तुओके मुकाबले ग्रामोद्योगोसे बनाई वस्तुओके उपयोगको प्राथमिकता देने" के लिए भी प्रतिश्रुत हैं।

इसलिए बोर्डके जिन सदस्योंपर सदस्यताके लिए नामोंकी सिफारिश करनेकी जिम्मेदारी होगी उन्हे इस बातका ध्यान रखना होगा कि वे ऐसे लोगोकी ही उम्मीदवारी पेश करें जिनके प्रत्येक कार्य-व्यापारके पीछे ग्रामवासियोके कल्याणकी हार्दिक कामना हो। स्वभावतः ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन थोडा-सा भी समय ग्राम-कार्यके लिए देगा। जरूरी नही कि वह कार्य गाँवमें ही करे; अलबत्ता वह कार्य गाँवके लिए अवश्य हो। उदाहरणके लिए, किसी नगरमें रहनेवाला सदस्य यदि किसी दिन ग्रामोद्योगोसे तैयार की गई चीज किसीके हाथ बेचता है या किसीको ऐसी चीज खरीदने पर राजी करता है तो माना जायेगा कि उस दिन उसने कुछ ग्राम-कार्य किया।

सिफारिश करनेवाले सदस्यको इस बातका भी ध्यान रखना होगा कि उम्मीदवार जहाँ भी सम्भव हो वहाँ ग्रामोद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओका ही उपयोग करनेवाला हो। अर्थात् वह मिलके बने कपड़ेकी जगह खादीका, चीनी मिट्टीके बने बर्तनोकी जगह गाँवोके कुम्हारो द्वारा बनाये मिट्टीके बर्तनका, लोहेके निबवाली कलमकी जगह सरकण्डेकी कलमका, साधारण कागजके बदले हाथके बने कागजका, सफाईकी दृष्टिसे त्याज्य और दाँतोंको नुकसान पहुँचानेवाले ब्रशके स्थानपर आरोग्यमय बबूल अथवा नीमकी या अन्य किसी पेड-पौधेकी टहनीकी दातौनका, कारखानोमें कमाये गये चमड़ेके बदले गाँवोमें मरे हुए पशुओंसे उतारी गई खालसे बने चमड़ेके सामानका, कारखानोमें बनी चीनीकी जगह गाँवोमें बने गुडका और मिलोके पालिशदार चावलके स्थान पर हाथ-कुटे चावलका उपयोग करता हो।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

कु० के लिए

बोर्ड एजेंटो, कार्यकर्ताओ और आम लोगोको व्यापार और ग्रामोद्योगके लिए उपयोगी वस्तुके रूपमें मरे हुए पशुओंके चमडेका महत्व समझायेगा। कार्यकर्ता इस बातकी जानकारी प्राप्त करें कि उनके अपने-अपने इलाकेमें मरे हुए पशुओंको हटाने, उनकी खाल उतारने आदिका क्या तरीका है और खाल उतारनेसे लेकर चमडा कमाने तककी विधि किस प्रकार सम्पन्न की जाती है। ऐसी सब जानकारी प्राप्त करके वे पूरा विवरण बोर्डके सामने पेश करें। आम लोगोसे अनुरोध है कि वे चमडे की ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करें जो गांवोंमें बनाई गई हों।

स्मरणीय बातें

दिल्ली-निवासी हरख्यालसिंहकी एजेंटके रूपमें नियुक्ति। बोर्डके सदस्यो और एजेंटोके कार्य-क्षेत्रोंका यथातथ्य वर्णन।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३७ और १०१३८) से।

८५. पत्र : महादेव देसाईको

डेरा
३० अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

मैं समझता हूँ तुम साथका पत्र देखना चाहोगे।

आज १२ बजे दौरा शुरू हुआ और हम ४ बजे लौटे। हम कुलाची नामक गांव गये थे। कल हमें टाक जाना है।

हवामें अभी ठण्डका तो नाम भी नहीं है। हम बाहर सोते हैं।

हम १० तारीखको सेगाँव रवाना होंगे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या तुम्हें व्रजकृष्णके पत्र नियमित रूपसे मिलते हैं?

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७३) से।

८६. पत्र : अमृत कौरको

३१ अक्टूबर, १९३८

प्रिय पगली,

अभी हम लोग यहाँसे चलनेको बिलकुल तयार बैठे हैं।

रेडियोकी खबरों और अखबारी खबरों, दोनोंमें फर्क क्या है? दोनों समान रूपसे अविश्वसनीय होती हैं। मेरे स्वास्थ्यमें कोई खराबी नहीं आई है। अभी मैं जैसा हूँ उसको देखते हुए तो सोचता हूँ कि शायद सर्दीके मौसमके मध्यमें भी मैं इसी तरह स्वस्थ रह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है, मैं उत्साहके अतिरेकमें ऐसा सोच रहा होऊँ। शेष महादेवको लिखे पत्रसे जान लेना।

सप्रेम,

योद्धा
उर्फ जालिम
उर्फ डाकू
और क्या?

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४७) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४५६ से भी।

८७. पत्र : महादेव देसाईको

३१ अक्टूबर, १९३८

चि० महादेव,

मैंने ब्रजकृष्णसे तुम्हें रोज लिखनेको कहा है। वह जो लिखता है उसमें कितना प्रेम और रस उँडेलता है यह तो केवल वही जाने।

यहाँसे हमारे रवाना होनेकी बिलकुल सही तारीख मैं नहीं दे सकता। कोशिश हम यह कर रहे हैं कि ९ तारीखको कैम्बलपुर या रावलपिंडी या तक्षशिलासे रवाना हो जायें। तुम तो ज्यादासे-ज्यादा १० तारीख तक दिल्ली पहुँच जाना। यदि ९ को पहुँचो तो ज्यादा अच्छा हो।

मैं तुम्हें अभी हालमें बर्मामें नहीं रहने दूंगा। समुद्र-यात्राकी बात मुझे पसन्द है। दुर्गा और बाबला भी साथ रहें। यदि दुर्गा पसन्द करे और वह बल्साड़में रहना चाहे तो बात अलग है। मैं चाहूँगा कि तुम सिंगापुर तक हो आओ। तुम

थोडे दिन सिंगापुरमें रहो तो भी अच्छा है। तुम जल्दीसे-जल्दी २० जनवरीसे अपना काम सँभालना। उस बीच यदि तुम कुछ लिखना चाहो तो लिख भेजना। मुझे इस बातका डर नही है कि कही भी तुम्हारा समय बेकार नष्ट होगा। और तुम अधिक कुशलता प्राप्त करके अपना काम सँभाल सकोगे।

तुम्हारी टिप्पणियाँ मैं ज्यों-की-त्यों जाने दे रहा हूँ। मैंगिघमसे सम्बन्धित लेख वापस माँग लेना। उक्त लेख बहुत अच्छा है, कवित्वपूर्ण है किन्तु 'हरिजन' के लायक नही है। हालाँकि उसमे कविता है किन्तु हमारे दृष्टिकोणसे उसमे सीखने लायक कुछ नही है। वहाँके और हमारे यहाँके गाँवोमे समानता कहाँ है? जब वहाँके गाँव आबाद हुए, उस समय भी ये लोग सशस्त्र समुद्री डाकू और लुटेरे थे। गाँव इस बातके सूचक थे। हमारे गाँव घूरे है। उन गाँवोंसे राजाओंका पैसे लूटने-भरका सम्बन्ध था। वैश्योंने धन बटोरा। शूद्रों और अतिशूद्रोंने गुलामी की। अत तुम्हारा लेख हमें कोई प्रेरणा नही दे सकता। सतही तौरपर सोच-विचार करनेवाला कोई व्यक्ति यदि कविताकी खोजमे हमारे गाँवोमे जा बैठे तो यह अज्ञान ही माना जायेगा न? और वेदोंसे उद्धरण निकालकर यदि तुम उन्हें आधुनिक अंग्रेजीके उद्धरणोंके साथ रखो तो यह हमारे लिए शर्मकी बात होगी। मेरी इस आलोचनाको और विस्तृत करके तुम मेरा मुद्दा समझ लेना। यदि मेरे समझनेमें कोई दोष हो तो मुझे सूचित करना। उक्त लेख मैंने आज सुबह तीन बजे पढा। किन्तु यदि तुम उसे 'मॉडर्न रिव्यू' या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भेजना चाहो तो भेज देना।

हमें फौरन कूच करना है। मैं खाते-खाते यह लिख रहा हूँ। फल मैं काँटे (फोर्क) से खाता जा रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७८) से।

८८. भाषण : टाँककी सार्वजनिक सभामें[1]

३१ अक्टूबर, १९३८

उनका[2] खयाल है कि मुसलमानोंकी प्रधानतावाले इस क्षेत्रमें मुट्ठी-भर हिन्दुओं-का अस्तित्व तभी सम्भव हो सकता है जब मुसलमान उनके सच्चे हमसाये हों। उन्होंने मुझसे खुदाई खिदमतगारोंसे यह अनुरोध करनेको कहा है कि उनके सम्बन्धमें वे अपनी स्वाभाविक भूमिका निभायें। उनकी इस भावना और अनुरोधसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और मेरा निश्चित विश्वास है कि मेरे अन्दर आपने जो आशाएँ जगा दी हैं, यदि आप केवल उन्हींको पूरा कर दिखायें तो इन हिन्दुओंको बिलकुल

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. तात्पर्य उन हिन्दुओंसे है जिन्होंने गांधीजी से मिलकर शिकायत की थी कि वे कैसी असुरक्षित स्थितिमें जी रहे हैं।

निश्चिन्त कर देना आपके लिए कोई मुश्किल बात नही है। जैसाकि मैंने एक अन्य अवसरपर कहा था, इस प्रान्तमे रहनेवाले हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेज तीनो तुला पर चढे हुए है। अंग्रेजोके कृत्योके बारेमे तो इतिहास अपना निर्णय सुनायेगा; लेकिन अपने पारस्परिक व्यवहारमे ठीक रवैया अपनाकर हिन्दू और मुसलमान अपना एक अलग इतिहास गढ़ सकते है। जहाँ तक खुदाई खिदमतगारोकी बात है, उनका कर्तव्य-पथ तो निश्चित हो चुका है। उन्हे अपने पड़ोसियोंकी रक्षाके लिए एक जीती-जागती दीवार बनकर खड़ा होना है।

सकल्प-शक्तिके धनी और अपने उद्देश्यकी सचाईमे अपरिमित श्रद्धा रखनेवाले उत्साही लोगोका एक छोटा-सा दल भी इतिहासकी धाराको बदल सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है और यदि खुदाई खिदमतगारोकी अहिंसा केवल बाहरी चमक-दमकवाली चीज नही, बल्कि कुन्दनके समान शुद्ध और सच्ची है तो ऐसा फिर हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-११-१९३८

८९. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ[1]

टॉक

३१ अक्टूबर, १९३८

अगर इन भाई[2]का कहना सच हो और आप अपने हृदयके किसी कोनेमे ऐसा कोई विचार पाल रहे हों कि अहिंसा आपके लिए सिर्फ मुखौटा अथवा और अधिक हिंसा करनेका एक आधार है तो — मै तो कहूँगा कि यदि आप अहिंसाको इसकी तर्कसंगत परिणति तक ले जाकर प्रभुसे किसी शिशु-हत्या और बाल-हत्याके अपराधीको भी क्षमा कर देनेकी प्रार्थना करनेको तैयार न हो तो भी — आपको खुदाई खिदमतगारोंको अहिंसाकी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेका कोई अधिकार नही है। मनमे कोई और विचार रखकर इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनेसे आपकी और आपकी संस्थाकी भारी बदनामी होगी और जिसे आप गर्वके साथ फख्र-ए-अफगान कहते है, उसके हृदयको भीषण आघात पहुँचेगा।

अब आप पूछ सकते है : "लेकिन अगर हमारी कोई माँ या बहन किसी नर-पशुके पंजेमें फँस गई हो और उसके शील-भंगका खतरा उपस्थित हो गया हो तो हम क्या करें? क्या उस नरपशुको अपने मनकी करने दे? क्या ऐसी स्थितिमे भी हिंसाका सहारा लेना उचित नही होगा?" मेरा उत्तर होगा "नहीं"। उस हालतमे आपको

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-५" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. तात्पर्य एक पठान द्वारा पूछे गये उस प्रश्नसे है जिसे गाधीजी ने "खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान" शीर्षक अपने लेखमें उद्धृत किया है; देखिए पृ० १२७-३२।

उस नरपशुसे अनुनय-विनय करना होगा। सम्भावना यही है कि अपनी उस विकार-ग्रस्त अवस्थामें वह आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन तब आपको उसके और उस माँ या बहनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाना पड़ेगा। बहुत सम्भव है कि इस प्रयत्नमें आपको अपने प्राण गँवाने पड़ें, लेकिन उसका यह अर्थ तो होगा ही कि आपने अपने कर्तव्यका पालन किया। थोड़ी-सी सम्भावना इस बातकी भी है कि आपके निहत्थे होनेसे और कोई प्रतिरोध किये बिना बलिदान हो जानेसे आपको मारनेवालेके मनका विकार एकाएक मिट जाये और वह उस माँ या बहनका शील-भंग किये बिना उसे छोड़ दे। लेकिन लोगोंका कहना है कि आततायी, हम जैसा चाहते हैं और जैसी आशा करते हैं, वैसा व्यवहार तो करता नहीं। आपके प्रतिरोध न करनेपर, सम्भव है, वह आपको किसी खम्भेसे लगाकर रस्सीसे बाँध दे और अपने दुष्कृत्यका मूक दर्शक बनाकर छोड़ दे। लेकिन यदि आपमें संकल्प-बल होगा तो आप इतना प्रबल प्रयत्न करेंगे कि उसके फलस्वरूप या तो आपका बन्धन टूट जायेगा या आप स्वयं अपनेको ही समाप्त कर देंगे। दोनों हालतोंमें आप उस आततायीकी आँखें खोल देंगे। आपके सशस्त्र प्रतिरोधसे भी इससे कुछ अधिक नहीं हो पायेगा, लेकिन उस प्रयत्नमें अगर आप पराजित हो गये तो स्थितिके उससे भी बदतर हो जानेकी सम्भावना है जैसीकि वह तब होगी जब आप अपने शरीर-बलसे प्रतिरोध किये बिना मर मिटें। इसके अलावा आपके आत्मबलसे प्रतिरोध करनेमें यह सम्भावना भी है कि विपत्तिमें पड़ी वह माँ या बहन आपके अडिग साहसका अनुकरण करते हुए अपना शील-भंग होने देनेके बजाय अपनी जीवन-लीला ही समाप्त कर ले।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-११-१९३८

९०. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ[1]

३१ अक्टूबर, १९३८

रमजानका महीना होनेके कारण आप लोग तो रोजा रख रहे हैं और गाँवके एक भी मुसलमानके घर अंगीठी नहीं सुलगती, लेकिन यहीं आपको हमारे लिए खाना बनाना पड़ा, ऐसी बातसे मेरा हृदय अभिभूत हो गया है और मुझमें नम्रता आई है। दक्षिण आफ्रिकामें अपनी देखरेखमें रहनेवाले मुसलमान लड़कोंको रमजानके दौरान रोजा रखनेकी शिक्षा देनेके लिए उस महीनेमें मैं खुद भी उपवास रखता था। आज मेरी वह अवस्था नहीं रह गई है। इसके अलावा मुझे खानसाहबकी भावनाका भी खयाल रखना था। उन्हें दिन-रात मेरे स्वास्थ्यको ठीक रखनेकी चिन्ता लगी रहती

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-६" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। गांधीजी ने ये बातें डेरा इस्माइल खाँके पास एक छोटे-से गाँवमें कही थीं।

है। सो अगर मैं भी उपवास रखता तो खानसाहबको परेशानी होती इसलिए मैं तो आपसे माफी ही माँग सकता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २६-११-१९३८

९१. पत्र : अगाथा हैरिसनको

१ नवम्बर, १९३८

प्रिय अगाथा,

आशा है, तुम्हारी समुद्र-यात्रा आरामसे बीती होगी।

बादमें सोचने पर तय किया कि तुम्हे यहाँ आनेसे मना कर दूँ। दौरेके अन्तिम दिनोंमें मैं तो तुम्हें एक क्षण भी नही दे सकता, और खानसाहबको भी उस दौरान तुम्हारे लिए समय नहीं मिलेगा। और उधर इन चन्द दिनोंमें तुम बम्बईमें जो-कुछ भी देखना चाह सकती हो, देख लोगी।

शेष मिलनेपर।

सप्रेम,

बापू

मेरा पता पेशावर, जहाँ हम आज शाम पहुँच रहे हैं।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५०५) से।

९२. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ[1]

पनियाला
[१ नवम्बर, १९३८][2]

आपके बारेमें जो आश्वासन मुझे खानसाहबने दिया था, वह अब स्वयं आपके मुँहसे मिल गया है। आपने अहिंसाको किसी अस्थायी कार्य-साधक साधनकी तरह नहीं, बल्कि अपने स्थायी धर्मकी तरह स्वीकार किया है। इसलिए अगर आपके हृदयमें अब भी तलवारके लिए स्थान है तो उसे केवल बाहरी तौरपर त्यागनेमें कुछ होनेवाला नही है। तलवारके त्यागसे यदि आपके हृदयमें वह शक्ति — तलवारकी शक्तिसे उलटी और उससे श्रेष्ठतर शक्ति — नही पैदा होती तो आपके तलवार-त्यागको सच्चा नही माना जायेगा। अबतक आपके बीच बदलेको एक पवित्र कर्तव्य

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स–६" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. *गांधी — १९१५-१९४८ : ए डिटेल्ड क्रॉनॉलॉजी* के अनुसार गांधीजी इस तारीखको पनियालामें थे।

माना जाता रहा है। अगर आपका किसीके साथ झगडा होता है तो उसे आप हमेशाके लिए अपना दुश्मन मान लेते है और वापके बाद वेटेको यह झगडा विरासतमे मिलता है। लेकिन जव आप अहिंसा-धर्मको स्वीकार कर लेते है तव यदि आपको कोई दुश्मन माने भी तो आपके लिए उसे दुश्मन माननेकी छूट नही है —वदलेका तो कोई सवाल ही नही उठता। स्वर्गीय जनरल डायरसे ज्यादा क्रूर और रक्त-पिपासु कौन हो सकता है? फिर भी जलियाँवाला वाग काग्रेस जाँच-समितिने मेरी सलाहपर उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलानेकी माँग करनेसे इनकार कर दिया था। उनके प्रति मेरे हृदयमे कोई दुर्भावना नही थी। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूपसे मिलकर उनके हृदयको वदलनेका अवसर प्राप्त होता तो वडी खुशी होती, लेकिन मेरी इस आकाक्षाको मात्र आकाक्षा वनकर ही रह जाना था, सो वही हुआ।

जब गांधीजी अपनी बात कह चुके तो एक खुदाई खिदमतगारने, जो उनकी बातें बड़े ध्यानसे सुन रहा था, उनके सामने एक शंका रखी: "एक ओर तो आप हमसे हिन्दुओंकी [सरहद-पारके] हमलावरोंसे रक्षा करनेकी उम्मीद करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि चोर-डाकुओके खिलाफ भी हमें हथियार नहीं उठाना चाहिए। ये दोनों बातें साथ-साथ कैसे चल सकती हैं?" उत्तरमें गांधीजी ने कहा:

दोनो वातोमे परस्पर जो असगति दिखाई देती हे वह सतही है। अगर आपने अहिंसाकी भावनाको सचमुच हृदयगम कर लिया हे तो आप हमलावरोके यहाँ आकर तवाही मचानेका रास्ता नही देखते रहेगे, वल्कि उनके अपने ही क्षेत्रमे जाकर उनकी तलाश करेगे और उनसे मिलकर उन्हे हमला करनेसे रोकेंगे। लेकिन अगर इतने पर भी हमला हो ही जाये तो आप हमलावरोके सामने खडे होकर उनसे कहेगे कि तुम भले ही हमारी सारी सम्पत्ति ले लो, लेकिन हमारे हिन्दू भाइयोकी सम्पत्तिको तो हमारी लाशोपर से ही हाथ लगा सकते हो। और अगर अपने हिन्दू हमसायोकी रक्षा करनेके लिए सैकडो खुदाई खिदमतगार अपनी जान कुर्वान कर देनेको तैयार रहेगे तो हमलावर अहिंसक रीतिसे अपना विरोध कर रहे ऐसे निर्दोष-निरीह खुदाई खिदमतगारोकी नृशस हत्या करनेके वजाय विचारमे पड जायेंगे। आप सन्त अव्दुल कादिर जिलानीकी कहानी तो जानते ही होगे। उनकी माँ ने सोनेकी चालीस मोहरे देकर उन्हे एक कारवाँके साथ वगदाद भेजा। रास्तेमे डाकुओने कारवाँको घेर लिया और अव्दुल कादिरके साथियोका माल-असवाव छीनने वे आगे वढे। इसपर अव्दुल कादिरने, जिन्हे डाकुओने अव तक हाथ भी नही लगाया था चीखकर उन्हे अपने पास वुलाया और उनकी माँ ने उनके अँगरखेमे जो चालीस मुहरें सी दी थी, वह सव दिखाकर उनसे ले लेनेको कहा। कहते है, वालकके इस सरल और निष्कपट व्यवहारका डाकुओपर ऐसा प्रभाव पडा कि उन्होने न केवल अव्दुल कादिरका कुछ नही विगाडा, वल्कि उनके साथियोका भी सारा माल-असवाव लौटा दिया।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २६-११-१९३८

९३. पत्र : मीराबहनको

२ नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

सबकुछ ठीक रहा तो हम ११ तारीखको वहाँ[1] पहुँच रहे हैं। साथमें महादेव होगा। इन बीमारियोंके कारण मैं तुम्हारे पास पहुँचनेको अधीर हो गया हूँ।

डॉ० बे०[2] को लिखा हुआ तुम्हारा दूसरा पत्र बहुत अच्छा था।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६१२) से, सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १०००७ से भी।

९४. पत्र : महादेव देसाईको

अहमदवाँध
२ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। दूसरी डाक तो पेशावरमें पड़ी ही होगी। हम वहाँ ५ बजे पहुँचेंगे। वहाँसे हम ६ को नहीं बल्कि ५ को रवाना होंगे और यहाँ वापस लौटने के बजाय रास्तेमें ही ९ तारीखको गाड़ी पकड़ेंगे। अतः १० तारीखको हमारा दिल्ली पहुँचना निश्चित है। हम दिल्लीमें रुकेंगे नहीं इसलिए ११ तारीखको वर्धा पहुँच जायेंगे। सेगाँवमें होनेवाली बीमारियोंने मुझे सोचनेको मजबूर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जब तक वहाँका पानी न सुधर जाये, तब तकके लिए हमें उस स्थानको खाली कर देना चाहिए और जितने लोगोंका वहाँ रहना आवश्यक हो, उन्हें छोड़कर बाकी लोगोंको मुक्ति दे देनी चाहिए। किन्तु इस समय मैं तुम्हें इस चिन्तामें क्यों डालूँ?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बाँधका मतलब छोटा-सा गाँव।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७५) से।

१. सेगाँव।
२. डॉ० बेनिस।

९५. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२ नवम्बर, १९३८

बा,

अब तो ९ ही दिन बाकी है और यदि ईश्वरकी इच्छा होगी तो हम मिलेंगे। हम लोग उसी दिन सेगाँव रवाना हो जायेंगे। तेरे पत्रमें एक वाक्य था जिसका उत्तर देना रह गया था। तूने लिखा था कि चलते-चलते मैंने तेरे सिरपर हाथ भी नहीं रखा। जब मोटर चल पडी तो मुझे भी ऐसा लगा था, किन्तु तू दूर थी। क्या तुझे बाहरी निशानी चाहिए? तू यह क्यों मान बैठी है कि मैं अपने प्रेमका प्रदर्शन नहीं करता इसलिए मेरा प्रेम सूख गया है? मैं तो तुझसे कहता हूँ कि मेरा प्रेम बढ़ा है और बढता जाता है। ऐसी बात नहीं कि मेरा प्रेम पहले कम था बल्कि जितना था वह दिन-प्रतिदिन निर्मल होता जा रहा है। मैं तुझे निरी मिट्टीकी पुतली नहीं मानता। इससे अधिक मैं और क्या लिखूँ? जिस तरह . . .[1] आदि बाहरी चिह्न माँगते हैं, उस तरह यदि तू भी माँगे तो मैं दे दूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३०

९६. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

२ नवम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

तुम बीमारोंकी देखभाल करनेमें कुशल हो इसलिए वैसा अवसर तुम्हें अनायास ही मिल गया है। अभी तो तुम्हारे हाथमें यश है। ऐसा ही सदा बना रहे।

यदि राजभूषण घर चला जाये तो अच्छा हो। अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर सेगाँवमें रहना उचित नहीं। किन्तु अब तो मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं दिन गिन रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७७) से।

१. मूलमें यह अंश छूटा हुआ है।

९७. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

२ नवम्बर, १९३८

चि० चिमनलाल,

बीमारियोने मुझे परेशानीमे डाल दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हे, शकरी-बहन, पारनेरकर आदिको फिलहाल तो सेगाँव छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्यको खतरेमें डालना उचित नहीं है। किन्तु मैं वहाँ ११ तारीखको पहुँचनेकी आशा करता हूँ। इस बीच सोच-विचार कर लेना। यदि मैं सेगाँवको स्वास्थ्यप्रद बना सका तो तुम सबको वापस बुला लूँगा। मेरे सामने यह एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

बबुडीको मैं आज नहीं लिख रहा हूँ। समय ही नही है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९४) से।

९८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२ नवम्बर, १९३८

बापा,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तुम्हें यहाँसे जो पैसे भेजे हैं यदि उनका उपयोग इसी प्रदेशमे हो तो अच्छा है। मुझसे तो बारीकीसे जाँच-पड़ताल हो नही सकती। तुम्हे इस प्रदेशका दौरा कर लेना चाहिए। यदि तुम ठंड बरदाश्त कर सको तो इसी महीनेमे आना, अन्यथा आगामी वर्ष मार्चमे। दिसम्बर, जनवरी और फरवरीमे तो बेहद ठंड पड़ती है। कहा जाता है कि इस प्रान्तमे आठ लाख हरिजन हैं। अम्बेडकरको दिया गया तुम्हारा चुटीला जवाब मैंने देखा, किन्तु जागते हुए सोनेका बहाना करनेवालेको कौन जगा सकता है?

तुम्हें बूढ़ा किसने कहा? जब तुम गुजरोगे तो भरी जवानीमे ही गुजरोगे। बूढ़ा तो वह है जिसका मन बूढ़ा है। जैसे रामदास भरी जवानीमे जरा-जर्जरित हो गया है। उसमे उत्साह तो नामको भी नहीं है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११७९) से।

९९. सन्देश : पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटन-समारोहके निमित्त[1]

[३ नवम्बर, १९३८ या उसके पूर्व][2]

नामोंसे गुमराह न हों। कोई जापानी कपड़ा महज इसीलिए स्वदेशी नहीं बन जा सकता कि उसपर 'स्वदेशी' का छापा लगा हुआ है। स्वदेशी तो उसी चीजको कहा जा सकता है जो भारतके करोड़ों ग्रामवासियोंके हाथोंसे और भारतमें ही पैदा किये गये कच्चे मालसे बनी हुई हो।

आप देख सकते हैं कि यह शर्त केवल खादी ही पूरी करती है, बाकी सब कपड़े तो स्वदेशीकी नकल-भर हैं। जिस प्रकार सूर्योदयके बिना सुबह नहीं हो सकती उसी प्रकार खादीके बिना शुद्ध स्वदेशी असम्भव है।

इस दृष्टिसे देखें तो मानना पड़ेगा कि स्वदेशीकी दौड़में पेशावर बहुत पीछे है। यहाँ केवल एक खादी-भण्डार है और वह भी घाटेमें चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शनीका एक परिणाम यह तो होगा ही कि उस खादी-भण्डारकी अवस्था अच्छी हो जायेगी और इसके बन्द कर दिये जानेकी सम्भावना मिट जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-१२-१९३८

१००. भाषण : पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटन-समारोहमें[3]

३ नवम्बर, १९३८

मन्त्रीगण खादी-कार्यमें जो सहायता दे रहे हैं, उसके लिए डॉ० गोपीचन्दने उन्हें धन्यवाद दिया है। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि न तो यहाँके सभी मन्त्री और न विधान-सभाके सभी सदस्य ही निरपवाद रूपसे खादीका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग केवल विधान-सभामें खादीकी पोशाक पहनते हैं। कुछ तो इतना भी नहीं करते।

१. प्यारेलालके "पेशावर खादी-प्रदर्शनी" शीर्षक लेखसे उद्धृत।

२. खादी-प्रदर्शनीका उद्घाटन ३ नवम्बरको हुआ था, लेकिन सन्देश पहले ही छपवाकर आगन्तुकोंके बीच बाँट दिया गया था

३. प्यारेलाल नैयरके "पेशावर खादी-प्रदर्शनी" शीर्षक लेखसे उद्धृत। उस अवसरपर उपस्थित प्रमुख लोगोंमें अब्दुल गफ्फार खाँ, डॉ० खान साहब और विधान-सभाके कई कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे।

यह कांग्रेसके संविधानके शब्दों और उसकी भावना दोनोंके विरुद्ध आचरण है। यहाँ तक कि लाल कुर्तीवाले भी अब तक खादीको नहीं अपना पाये हैं। . . . यदि ये सबके-सब खादी अपना ले तो निस्सन्देह ये एक लाख लोग आनन-फानन पूरे प्रान्तको खादीधारी बना दे सकते हैं। खादी तैयार करनेके लिए जरूरी उपादानोंकी दृष्टिसे यह प्रान्त बड़ा समृद्ध है, लेकिन जितना खादी-कार्य वास्तवमें हो चुका है उसकी दृष्टिसे यह सभी प्रान्तोंसे पीछे है।

मैं चाहूँगा कि आप सब जिज्ञासु और अध्येताकी भावनासे इस प्रदर्शनीको देखें। खादी-उत्पादनके कार्यका संयोजन करनेके लिए मिल-कपड़ा उद्योगकी तरह लाखोंकी पूँजी और विशेष तकनीकी कुशलताकी जरूरत नहीं है। कोई साधारण आदमी भी यह काम कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीमाप्रान्तकी इस प्रथम खादी-प्रदर्शनीके बाद निकट भविष्यमें यहाँ और भी बहुत-सी प्रदर्शनियाँ आयोजित की जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

१०१. काठियावाड़-यात्राकी छाप

हरिजन-सेवा और खादी-कार्यके सिलसिलेमें श्री राजकुमारी अमृत कौरने हालमें ही काठियावाड़का दौरा किया। दौरेकी समाप्ति पर उन्होंने, उनके मनपर जो छाप पड़ी, उसे मेरे लिए लिपिबद्ध कर दिया। उनका वह लेख नीचे दे रहा हूँ।[1] यह लेख केवल काठियावाड़के कार्यकर्ताओंके लिए ही उपयोगी नहीं है। बल्कि इसमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे अखिल भारतीय महत्वके हैं। मुझे आशा है कि अपने जो अनुभव राजकुमारीने यहाँ लिपिबद्ध किये हैं उनसे कार्यकर्ता लोग लाभ उठायेंगे। उन्होंने देशी राजाओंके बारेमें जो-कुछ कहा है वह अगर सच हो — और मैं तो मानता हूँ कि सच है — तो उनके एक सुझावपर तो तुरन्त अमल किया जा सकता है। उन्होंने राजाओंको इस बातका श्रेय दिया है कि वे अस्पृश्यतामें विश्वास नहीं करते और अगर उनकी प्रजा चाहे तो वे सारे मन्दिरोंके द्वार हरिजनोंके लिए खोल देंगे। इसलिए उनका सुझाव है कि इन राज्योंकी प्रजा इस प्रश्नपर अपनी राय जाहिर करे, तब तक राजाओंको रुके रहनेकी जरूरत नहीं है; इसके बजाय उन्हें ऐसे मन्दिर बनवाने चाहिए जिनके द्वार सबके लिए खुले हों और पुराने मन्दिरोंके द्वार भी सबके लिए खुलवाने चाहिए। राजा लोग ऐसा आग्रह रख सकते हैं कि

१. यहाँ नहीं दिया गया है। लेखिकाने राजकोट, वांकानेर, मोरवी, जामनगर, पोरबन्दर, द्वारका, जूनागढ़, बोलखा, थानी, अमरेली, लाठी, भावनगर, पालीताणा, बढवाण आदि कई देशी राज्योंका दौरा करके अपने लेखमें बताया था कि वहाँके हरिजन कैसी बाधाओं और कठिनाइयोंके बीच जी रहे हैं। लेखमें यह भी बताया गया था कि दौरेमें १,००० रुपयेकी खादी बेची गई।

वे जायेंगे तो केवल ऐसे ही मन्दिरोमे, और जिनके द्वार हरिजनोके लिए वन्द हैं उनमे कभी नही जायेंगे। और अगर ऐसे मन्दिर ठीक जगहोपर आकर्षक ढगसे बनवाये जाये और उनकी व्यवस्था अच्छी हो तो वे अस्पृश्यताके दुर्गको ढाहनेमे बड़े सहायक हो सकते हैं। यही नियम उन अन्य सस्थाओपर भी लागू किया जा सकता है जो कट्टरपथियोके डरसे अपने द्वार हरिजनोके लिए खोलनेको तैयार नही हैं। यह ऐसा उपाय है जिससे काम लेनेपर कमसे-कम विरोधकी सम्भावना है। यदि राजा लोग राजकुमारी द्वारा सुझाया यह बहुत ही सतर्कतापूर्ण कदम नही उठा सकते या नही उठाना चाहते तो फिर उनका अस्पृश्यतामे विश्वास न करनेका कोरा इजहार वेमानी ही है।

पेशावर, ४ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १२-११-१९३८

१०२. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

४ नवम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

लगता है तुम वालकृष्णकी परिचर्यामे अच्छी तरह जुट गये हो। महोदयने कुछ उपेक्षा दिखाई लगती है।

ग्राम-सफाईका काम भी ठीक चल रहा जान पड़ता है। विजयाको लिख देना कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मेरा पत्र न मिलनेकी शिकायत न करे। आशा है तुम्हारा काम ठीक चल रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७८) से।

१०३. टिप्पणियाँ

औध-राज्यमें सुधार

औध-राज्यमे उत्तरदायी शासनकी स्थापनापर मैं राजासाहब और उनकी प्रजा, दोनोको बधाई देता हूँ। यह छोटा-सा राज्य सदासे प्रगतिशील रहा है। उत्तरदायी शासन स्थापित करके औध-नरेशने मात्र वही किया है जिसकी इच्छा उनकी प्रजाके मनमे थी; लेकिन सामाजिक क्षेत्रमे तो वे अपनी प्रजासे भी आगे रहे हैं। पूर्ण उत्तरदायी शासनकी घोषणा उनके आज तक के कार्योका स्वाभाविक परिणाम थी। मुझे उम्मीद है कि इस घोषणापत्रमे जो अधिकार मजूर किये गये है, उन्हे संविधान बनाते समय किसी तरह कम नहीं किया जायेगा। मेरा सुझाव तो यह है कि निजी खर्चके लिए किसी भी हालतमे छत्तीस हजार रुपयेसे अधिकको राशि नही रखी जानी चाहिए। कानूनकी नजरमे सबकी समानता, अस्पृश्यता-उन्मूलन और वाणीकी स्वतन्त्रता, ये मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिये जाने चाहिए। घोषणापत्रका अन्तिम अनुच्छेद हृदयस्पर्शी है। इसमे कही गई यह बात बिलकुल सही है कि "स्वशासनका मतलब है आत्म-संयम और त्याग।" आगे कहा गया है: "जो नया युग औधमे — और हम तो आशा करते है कि पूरे देशमे — आ रहा है, उसमे सबल निर्बलकी सेवा करेगा, धनी निर्धनकी, और शिक्षित अशिक्षितकी।"

हमे आशा करनी चाहिए कि औंधके इस सुन्दर उदाहरणका अनुकरण अन्य देशी राज्य भी करेंगे और यहाँकी प्रजा अपने आचरण द्वारा यह सिद्ध कर दिखायेगी कि उसपर जो उत्तरदायित्व आनेवाला है, वह हर तरहसे उसके योग्य है। मुझे जितना कुछ सुननेको मिला है उससे जान पड़ता है कि औधकी गद्दीके उत्तराधिकारीके रूपमे प्रजाको एक सच्चा जन-सेवक प्राप्त है। यह बात उत्तरदायी शासनके शुभारम्भमे बड़ी सहायक होनी चाहिए। युवराजने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन वह शिक्षा उनको बिगाड़ नही पाई है। कहते हैं, वे सत्य और अहिंसाके पुजारी हैं। वे ग्रामोद्धार-कार्यमे व्यक्तिगत रूपसे हाथ बँटाते है, अन्य स्वयंसेवकोके साथ मिलकर खुद भी सड़क साफ करते है और उनकी-जैसी ही सहजतासे फावड़ा और टोकरी सँभालते है। वे कलमके भी धनी है। वे भगीका काम — मैला उठाने तकका काम — बड़े गर्वके साथ करते हैं।

आर्य समाज और गन्दा साहित्य

"साहित्यमे गन्दगी"[1] शीर्षक अपने लेखमे मैने कन्या गुरुकुल, देहरादूनमे शिक्षा प्राप्त कर रही अपनी पुत्र-वधूका उल्लेख किया था और कहा था कि उसकी परीक्षाके

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४५३-४।

लिए निर्धारित कुछ पाठ्य-पुस्तकोमे उसे जो गन्दगी दिखाई दी है, उसके बारेमे उसने मुझे पत्र लिखा है। कन्या गुरुकुलसे श्री धर्मदेव शास्त्री और फिर गुरुकुल कॉगडीसे आचार्य देवशर्मा अभयने मुझे इस आशयके पत्र लिखे है कि मेरे उस उल्लेखका अर्थ कुछ क्षेत्रोमे यह लगाया गया है कि आर्य समाजके पदाधिकारी ऐसे गन्दे साहित्यको प्रश्रय देते है। इन दोनो मित्रोने इस बातका जोरदार खण्डन किया है। आचार्य देवशर्मा अभयका कहना है कि गुरुकुलके कर्ता-धर्ता तो इस विषयमे इतने सावधान है कि वे कालिदास-जैसे काल-प्रतिष्ठित कवियोकी कृतियोके सम्बन्धमे भी कोई छूट देनेको तैयार नही थे और 'शाकुन्तल'-जैसी प्रसिद्ध रचनाके बारेमे भी उनका आग्रह रहा है कि जब तक उसके आपत्तिजनक अंशोको छाँटकर उसका नया संस्करण नही छापा जाता, तब तक वे विद्यार्थियोको यह कृति नही पढने देगे। खैर, हुआ यह है कि हालमे उन्होने विद्यार्थियोको साहित्य सम्मेलनकी परीक्षाओकी तैयारी करनेकी इजाजत दे दी है और साहित्य सम्मेलन ऐसी पुस्तकोपर आपत्ति नही करता जिनमे अश्लील रचनाएँ होती है। मुझे मालूम हुआ है कि गुरुकुलके पदाधिकारियोने साहित्य सम्मेलनके व्यवस्थापकोका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया है और उनसे ऐसी पाठ्य-पुस्तके हटा लेनेको कहा है जिनमे ऐसी गन्दी बाते है। मुझे उम्मीद है कि जब तक विद्यार्थियोकी पाठ्य-पुस्तकोमे अश्लील साहित्यके समावेशके खिलाफ छेडी गई इस मुहिममे आर्य समाजके पदाधिकारी सफलता प्राप्त नही कर लेते, तब तक वे चैनसे नही बैठेगे।

पत्र-लेखकोंसे

मेरे लाख चेतावनी देनेपर भी मेरा पत्र-व्यवहार दिन-दिन बढता ही जा रहा है। अगर मै काम करते-करते किसी दिन लाचार होकर खाट पकड लेनेका खतरा उठानेको भी तैयार हो जाऊँ तो भी इन सारे पत्रोके उत्तर देना मेरे लिए अशक्य ही है। और न यह प्यारेलालके ही किये हो सकता है, यद्यपि वे अकसर आधी-आधी रात जागकर काम किया करते है। महादेव देसाईके स्वास्थ्यमे यद्यपि निश्चित रूपसे सुधार हो रहा है और उन्हे जितना-कुछ लिखना अनिवार्य लगे और जितना वे आसानीसे लिख सके उतना लिखनेकी इजाजत भी मिल गई है, फिर भी उन्हे मेरे पत्रोके उत्तर देनेका काम नही सौंपा जा सकता। अब फिर मै उनके स्वास्थ्य को खतरेमे डालूँ, यह मुझसे नही हो सकता। उनका जीवन अत्यन्त नियमित है, लेकिन ऐसे नियमित जीवनकी भी कुछ मर्यादाएँ होती है, जिनकी ओरसे आँख बन्द नही की जानी चाहिए। इसलिए सवाल यह है कि भविष्यमे क्या कभी ऐसे पत्र-व्यवहारका भार उनपर डालना मुनासिब होगा जिसका सम्बन्ध खास तौरसे 'हरिजन' से न हो। पाठकगण मेरी कठिनाई समझनेकी कोशिश करे। मेरे सामने ऐसे-ऐसे कागज-पत्रोका अम्बार लगा हुआ है जिन्हे मै पढ नही पाया हूँ। कुछको पढ पाया हूँ तो उनके बारेमे जरूरी कार्रवाई नही कर सका हूँ। उदाहरणके लिए बिहारके मन्त्रियोके खिलाफ लम्बे-लम्बे शिकायतनामे आये है। इनसे भी लम्बे शिकायतनामे राजगोपालाचारीके विरुद्ध मलाबारसे आये है। मै इनपर सरसरी निगाह डाल गया हूँ। इनके

सम्बन्धमे आवश्यक कार्रवाई करनेमे मै सर्वथा असमर्थ हूँ। और जब तक मै इनपर, जितना जरूरी है, उतना समय देनेको तैयार नही हूँ, तब तक इन्हे उन मन्त्रियोके पास भेजना भी मुनासिब नही होगा, जिनके खिलाफ ये शिकायते की गई है। तो मेरे पास न समय है और न ऐसा-कुछ करनेकी मेरी इच्छा है। ऐसे मामलोंके निबटारेके लिए तो सही अदालत कार्य-समिति ही है। अगर मै ऐसी शिकायतोंको हाथ लगाने लगूँ तो उसका मतलब सम्बन्धित मन्त्रियोके काममे और कार्य-समितिके कार्य-व्यापारमे भी हस्तक्षेप करना होगा।

लेकिन हस्तक्षेप न करनेके इस ठोस कारणका इस निवेदनसे कोई सम्बन्ध नही है। निर्णायक कारण तो मेरी पूर्ण असमर्थता है। इसलिए इन और ऐसे ही अन्य पत्र-लेखकोको मै व्यक्तिगत रूपसे उनके पत्रोंकी प्राप्ति भी सूचित नही कर रहा हूँ, जिसके लिए मै उनसे माफी चाहता हूँ। फिर कुछ पत्रोंमे विभिन्न प्रान्तोकी काग्रेस कमेटियोके काल्पनिक या वास्तविक दुष्कृत्योकी शिकायत की गई है। इन पत्र-लेखकोने मुझे ऐसी शक्ति और प्रभावका श्रेय दिया है जो मुझमे बिलकुल नही है। लेकिन इनके सम्बन्धमे भी मेरी चुप्पीका सबसे प्रबल कारण मेरी शारीरिक अक्षमता ही है। और इनके अतिरिक्त है वे पत्र जिन्हे मै पढ ही नहीं पाया हूँ। ईश्वर जाने, इनमे क्या है। फिर कुछ व्यक्तिगत पत्र भी है, जिनके उत्तर मै दे सकूँ तो सहर्ष दूं। मै जानता हूँ कि यदि मै इन पत्रोके सम्बन्धमे अपेक्षित कार्रवाई कर सकूँ तो उससे उन्हे कुछ सहायता और सन्तोष मिल सकता है। मै वैसी कार्रवाई करना भी चाहूँगा, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमे तो मै उनके सामने अपनी लाचारीका ही इजहार कर सकता हूँ। मुझमे जो-कुछ शक्ति शेष है, उसे उन कार्योंमे लगानेके लिए सुरक्षित रखना है जो सबके हितके लिए है और जिनको सफल बनानेमे, मै समझता हूँ, अब भी मै ठीक योगदान कर सकता हूँ। इसलिए जो पत्र-लेखक अपने-अपने पत्रोके उत्तरकी राह देख रहे है उन्हें अगर कभी कोई उत्तर मिले ही नही तो उनसे अनुरोध है कि वे मुझे क्षमा करेंगे। जो लोग मुझे पत्र लिखनेके अभ्यस्त है वे अगर केवल ऐसे ही प्रश्नोके सम्बन्धमे लिखे जिनकी चर्चा 'हरिजन' मे की जा सकती है या जिनके बारेमे इस पत्रके माध्यमसे सलाह दी जा सकती है तो इस तरह वे मेरी बहुत बडी सहायता करेगे। दूसरे शब्दोमे, जो लोग अपनी रुचिके और साथ ही आम जनताके लिए भी महत्व रखनेवाले विषयोपर मेरा दृष्टिकोण जानना चाहे उनके लिए यथासम्भव 'हरिजन' ही मेरा एकमात्र पत्र या सन्देश होना चाहिए।

पेशावर, ५ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-११-१९३८

१०४. बड़ी शक्तियाँ क्यों नहीं ?

चेकोस्लोवाकियाकी दुरावस्थापर लिखे मेरे हालके लेखों[1] की जो आलोचनाएँ हुई हैं उनमें मुझे एक चीज ऐसी देखनेको मिली है जिसका जवाब देना जरूरी है।

कुछ आलोचकोंका कहना है कि यदि मेरा सुझाया अहिंसक उपाय इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका-जैसे शक्तिशाली राष्ट्रोंके लिए नहीं, बल्कि केवल चेकोस्लोवाकिया-जैसे छोटे और इसलिए अपेक्षाकृत कमजोर राष्ट्रोंके लिए ही है तो इसका कोई खास महत्व नहीं है।

यदि ये आलोचक मेरे लेखोंको दोबारा ध्यानसे पढें तो पायेंगे कि मैंने जो इन शक्तिशाली राष्ट्रोंको यह उपाय नहीं सुझाया, उसका कारण उनका शक्तिशाली होना, या दूसरे शब्दोंमें, उनके सामने खुद मेरे मनकी झिझक थी। लेकिन उनको लक्षित करके अपनी बात न कहनेका उसमें एक बड़ा कारण भी था। वे किसी संकटमें नहीं थे और इसलिए उन्हें उससे उबरनेके उपायकी भी कोई जरूरत नहीं थी। यदि चिकित्साशास्त्रकी शब्दावलीमें कहूँ तो वे चेकोस्लोवाकियाकी तरह रुग्ण नहीं थे। चेकोस्लोवाकियाकी तरह उनके अस्तित्वको कोई खतरा नहीं था। इसलिए इन शक्तिशाली राष्ट्रोंसे मेरा कोई अनुरोध करना थोथे और अनचाहे उपदेशके समान होता।

अनुभवसे मैंने यह भी जाना है कि केवल नेकीकी खातिर मनुष्य नेक कदाचित् ही बनता है। उसे नेक बनाती है उसकी अपनी जरूरत। और परिस्थितिवश ही अगर मनुष्य नेक बन जाये तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, यदि वह सिर्फ नेकीकी खातिर नेक बन जाये तो यह स्थिति बेहतर तो होगी ही।

चेक लोगोंके सामने दो ही रास्ते थे — या तो जर्मनीकी शक्तिके आगे शान्ति-पूर्वक घुटने टेक दें या अकेले लड़कर लगभग निश्चित विनाशका खतरा उठायें। यही वह अवसर था जब मुझ-जैसे आदमीके लिए उन्हें एक ऐसा उपाय सुझाना आवश्यक हो गया जिसकी प्रभावकारिता बहुत-कुछ ऐसी ही परिस्थितियोंमें अन्यत्र सिद्ध हो चुकी थी। मेरी रायमें तो चेक लोगोंसे वैसा अनुरोध करना उतना ही संगत था जितना कि बड़ी शक्तियोंसे करना असंगत होता।

इसपर मेरे आलोचक बखूबी पूछ सकते हैं कि जब आप भारतमें ही अहिंसाको शत-प्रतिशत सफल बनाकर नहीं दिखा सके और खासकर अब, जबकि कांग्रेसी अपने अहिंसा-धर्म या अहिंसा-नीतिका सचमुच आचरण कर रहे हैं या नहीं, इस सम्बन्धमें खुद आपके ही मनमें गम्भीर शंका पैदा हो गई है तब आप अपने ऊपर खुद ही लगाई मर्यादाको तोड़कर एक पाश्चात्य राष्ट्रको उपदेश क्यों देने लगे। सच तो यह

१. देखिए खण्ड ६७, "यदि मैं चेक होता", पृ० ४४९-५२ और "तर्कसम्मत निष्कर्ष", पृ० ४५९-६२।

है कि मेरे मनमें इस मर्यादाका खयाल था और कांग्रेसकी स्थितिके सम्बन्धमें आज जो अनिश्चितता चल रही है उसका भी मुझे ध्यान था। लेकिन वह लेख लिखते समय अहिंसात्मक उपायमें मेरी श्रद्धा सदाकी भाँति दीप्त और दृढ़ थी। और मुझे लगा कि चेक लोगोंकी परीक्षाकी इस सबसे कठिन घड़ीमें यदि मैं अहिंसात्मक उपाय स्वीकारार्थ उनके सामने प्रस्तुत न करूँ तो यह मेरी कायरता होगी। जो लोग अनुशासनहीन हों और जिन्हें सामूहिक रूपमें कष्ट-सहन करनेका अभ्यास पड़ने भी लगा हो तो अभी कुछ ही दिनोंमें, ऐसे लोगोंके राष्ट्रके लिए जो चीज स्वीकार करना अन्ततः असम्भव साबित हो सकता है, उसी चीजको स्वीकार करना किसी छोटे, ऐक्यबद्ध, अनुशासित और सामूहिक कष्ट-सहनके अभ्यस्त राष्ट्रके लिए सम्भव भी हो सकता है। भारतके अतिरिक्त कोई अन्य राष्ट्र तो अहिंसामय संघर्ष करनेके योग्य है ही नहीं, अपने मनमें ऐसा कोई दम्भमय विश्वास पालनेका अधिकार मुझे नहीं था। वैसे मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि अहिंसात्मक संघर्षके बलपर अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे भारत सबसे उपयुक्त राष्ट्र था। यद्यपि आज कुछ प्रतिकूल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं मानता हूँ कि यदि भारतकी सम्पूर्ण जनता, जो निश्चय ही कांग्रेससे बहुत बड़ी है, किसी प्रवृत्तिके प्रति ठीक उत्साह दिखा सकती है तो वह अहिंसात्मक प्रवृत्ति ही है। ऐसी प्रवृत्तिके लिए जितनी तैयार वह है उतनी अन्य किसी राष्ट्रकी जनता नहीं। लेकिन जब सामने एक ऐसा प्रसंग आ गया जिसमें इस उपायका प्रयोग तत्काल होना था तो मैं उसे चेक लोगोंके स्वीकारार्थ पेश करनेका लोभ संवरण नहीं कर पाया।

लेकिन अगर बड़ी शक्तियाँ इसे अपनाना चाहें तो किसी भी दिन इसे अपनाकर परम यशकी भागी और भावी पीढ़ियोंकी स्थायी कृतज्ञताका पात्र बन सकती हैं। यदि वे या उनमें से कोई भी अपने विनाशका भय छोड़ दे और सारे शस्त्रास्त्र उठाकर फेंक दे तो उससे स्वभावतः अन्य राष्ट्र भी विवेकसे काम लेनेको प्रेरित होंगे। लेकिन तब इन महाशक्तियोंको अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं और दुनियाके तथाकथित असभ्य या अर्ध-सभ्य राष्ट्रोंके शोषणका त्याग करना होगा और अपनी जीवन-पद्धति बदलनी होगी। इसका मतलब है पूर्ण क्रान्ति, आमूल परिवर्तन। महाशक्तियोंसे सामान्य परिस्थितियोंमें तो ऐसी कोई आशा करना मुश्किल ही है कि वे आज तक जिस दिशामें चलती रही हैं और जिस दिशामें चलकर उन्होंने — उनकी दृष्टिसे देखें तो — विजय-पर-विजय प्राप्त की है, उस दिशाको छोड़कर वे उससे उलटी दिशामें चलने लग जायें। लेकिन चमत्कार पहले भी हुए हैं और आजकी इस नीरस दुनियामें भी होते हैं। ईश्वरकी अन्यायके निराकरणकी शक्तिकी सीमा कौन जानता है? एक बात निश्चित है। अगर शस्त्रीकरणकी यह पागलपन-भरी होड़ कायम रहती है तो एक-न-एक दिन ऐसा भीषण नरसंहार अवश्य होगा, जैसा आज तक नहीं हुआ। यदि उसमें से कोई विजयी होकर निकल भी पायेगा तो वह विजय उस विजेता राष्ट्रके लिए जीते-जी

मृत्युके समान होगी। अहिंसाके समस्त गूढार्थोंके साथ उसे बहादुरीसे बिना किसी शर्तके अपना लेनेके सिवा उस महाविनाशसे बचनेका और कोई उपाय नही है। लोकतन्त्र और हिंसा, दोनो साथ-साथ नही चल सकते। जो राज्य आज कहनेको लोकतान्त्रिक है उन्हे या तो खुल्लमखुल्ला सर्वसत्तात्मक राज्य बन जाना होगा या यदि उन्हे सचमुच लोकतान्त्रिक राज्य बनना है तो साहसके साथ अहिंसाको अपनाना होगा। अहिंसाका आचरण केवल व्यक्ति ही कर सकता है और राष्ट्र, जो आखिर व्यक्तियोसे ही बना हुआ है, उसका आचरण कभी नही कर सकता, ऐसा कहना तो सत्यका अपलाप है।

पेशावर, ५ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-११-१९३८

१०५. पत्र : मीराबहनको

पेशावर
५ नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

जाहिर है कि तुम्हारे अन्तरसे तुम्हे यह आदेश, जब मैने सोचा था, शायद लगभग उसी समय मिला। जहाँ तक मुझे याद है, मैने तुम्हे यह भी लिखा था कि अगर तुम्हे जरूरत महसूस हो तो मै तुम्हे जाने दूंगा। हाँ, यह खयाल मेरे मनमे नही, राजकुमारीके मनमे उपजा था। इसपर मैने उसे लिखा कि वह सीधे तुम्हीको लिखे। लेकिन तुम्हारे इस पत्रको देखते हुए तो ये सब बीती बाते बन चुकी है। वहाँ आनेपर — और उम्मीद करता हूँ शायद ११ तारीख तक आऊँगा — हम, इसका तरीका क्या हो, इस विषयपर विचार करेगे। आशा है कि आऊँगा तो अगाथा वही होगी। अगर जानेका निर्णय अन्तिम रूपमे कर लिया हो तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी चली जाओ उतना ही अच्छा, बशर्ते कि यूरोपकी सर्दी बर्दाश्त कर सको। मै नही चाहता कि तुम अपने स्वास्थ्यको खतरेमें डालो। अगर तुम अपने मनको निर्जीव अण्डे लेनेपर तैयार कर सको तो हो सकता है, तुम वहाँकी सर्दी बर्दाश्त कर लो। लेकिन आखिर फैसला तो तुम्हीको करना है।

इस प्रश्नके आर्थिक पहलूके सम्बन्धमे मैने कार्रवाई शुरू कर दी है। मौनके नियममे कुछ दिनोके लिए ढील दे दी है। इसलिए दाख चबाते हुए यह पत्र बोलकर लिखा पाया हूँ।

सस्नेह,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१३) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० १०००८ से भी।

१०६. पत्र : महादेव देसाईको

पेशावर
५ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

तुमने टिकनेका निर्णय करके अच्छा किया। मुझे भी यह ठीक लगता है। और समुद्र-यात्राकी बात तो मुझे पसन्द थी ही। कैलेनबैकका सुझाव तो खूब पसन्द आया है। मेरी रणभूमि तुम देख आओ। यह तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम फीनिक्स, टॉल्स्टॉय फार्म, डरबनमें जहाँ मैं रहता था वह मकान, जोहानिसबर्गका कार्यालय आदि देखो। मणिलाल तो खुशी से नाच उठेगा किन्तु दुर्गा और बाबलाको वहाँ तक ले जाना मुश्किल होगा। मैं चाहूँगा कि बाबला तो मेरे साथ रहे। इसके अतिरिक्त दक्षिण आफ्रिका जानेका मतलब है कमसे-कम चार महीने लगना। दक्षिण आफ्रिका हिन्दुस्तानमें कोई छोटा देश नहीं है। वहाँ जाकर चारों उपनिवेश देखो। विक्टोरिया प्रपात तो अवश्य देखना चाहिए। जब तुम इतनी दूर जाओगे तो झटपट वापस नहीं लौट सकोगे। केवल कुमारी श्लेसिनसे मिलनेके लिए भी वहाँ जाना उचित होगा। तुम्हारे जानेसे शायद कैलेनबैकके जीवनकी एक बड़ी इच्छा पूरी हो जायेगी। और वहाँकी आबहवाका तो कहना ही क्या? इसपर विचार कर देखना। यदि तुम्हारी जानेकी इच्छा हो तो मैं तुम्हें भेजनेको बिलकुल तैयार हूँ।

यदि मीराबहन जाना चाहे तो मैं उसे भी भेजनेको तैयार हूँ। उसके जानेसे कोई नुकसान तो होगा नहीं। मेरे साथ रहते हुए उसे अपने-आपको दबाकर रखना पड़ता है जबकि वह पश्चिममें स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सकती है। उसके साहसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।

म्योरहेडके सम्बन्धमें लिखनेकी बात तो मैं बिलकुल भूल गया था। किन्तु यदि कुछ बात हुई होती तो मैं तुम्हें लिखे बिना न रहता। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे बातें करनेकी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। या फिर उसका उद्देश्य सिर्फ मुझसे मिलना ही रहा हो। मैंने तो उसे तनिक भी प्रोत्साहन नहीं दिया। मेरी इच्छा भी नहीं थी। बात करनेको थी भी क्या? यदि कांग्रेस भ्रष्टाचारसे मुक्त हो जाये तो किसीसे बातें किये बिना आज ही स्वराज्य लिया जा सकता है। यदि उक्त भ्रष्टाचार नहीं मिटता तो स्वराज्य आकाश-कुसुम है। अब मैं अपनी कलमको रोकता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७६) से।

१०७. भाषण : पेशावरके वकील मण्डलके समक्ष[1]

[५ नवम्बर, १९३८][2]

अपने छोटे किन्तु विनोदपूर्ण भाषणमें गांधीजी ने कहा कि आप लोगोंने मुझे जो मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं इस सम्मानके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि एक तो, जैसाकि आप सब जानते हैं, जिस संस्थाने मुझे बैरिस्टरकी उपाधि दी थी उसीने मेरी वकालतकी सनद छीन ली और दूसरे, मैं कानून वगैरह भूल चुका हूँ। और इधर कुछ वर्षोंसे तो मैं देशकी अदालतोंमें कानूनोंकी व्याख्या-विवेचन करनेके बजाय उन्हें भंग करनेमें ही लगा रहा हूँ। इसका एक और भी कारण — और मेरी दृष्टिमें शायद सबसे प्रबल कारण है — वकीलों और डॉक्टरोंके सम्बन्धमें मेरे वे विचित्र विचार, जिन्हें मैंने 'हिन्द स्वराज्य'[3] नामकी अपनी पुस्तिकामें प्रस्तुत किया है। सच्चा वकील तो वह है जो पहले सत्य और सेवाकी फिक्र करता है और अपने धन्धेसे होनेवाली आयको गौण महत्व ही देता है। मुझे नहीं मालूम कि आप सबने इस आदर्शको अपनाया है या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी कानूनी प्रतिभाका उपयोग परमार्थकी भावनासे जन-सेवाके निमित्त करनेकी प्रतिज्ञा ले लें तो मैं ही सबसे आगे बढ़कर आपकी वंदना करूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २६-११-१९३८

१०८. पत्र : महादेव देसाईको

६ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

लगभग पूरे दिन मोटर-लारीमें यात्रा करते हुए हम साँझको हरिपुर पहुँचे।

मैंमिथमके बारेमें तुम जो लिखते हो सो तो ठीक है किन्तु जिस ढंगसे तुम उसे भारतकी स्थितिपर लागू करते हो वह मुझे ठीक नहीं लगा। यह लेख ही ऐसा है कि वह 'हरिजन' में नहीं फबेगा। यदि छोटी-सी कोठरीमें आँखोंको चौंधिया देनेवाली रोशनी रखी जाये तो वह रोशनी अच्छी नहीं लगती। वही बात तुम अपने

१. प्यारेलालके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-६" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।
२. गांधी — १९१५-१९४८ के अनुसार।
३. देखिए खण्ड १०।

लेखके वारेमे समझो। मैंसिघमने तो काल्पनिक काव्य लिखा किन्तु हम तो ठोस काम कर रहे है। ऐसी जगह तो जिस चीजपर अमल हो रहा है उसीकी चर्चा शोभा देती है। किन्तु इस सम्बन्धमे अधिक तर्क-वितर्क क्यो किया जाये? जब कभी हम मिलेगे उस समय यदि फुरसत हुई और जरूरत जान पडी तो इस वारेमे चर्चा कर लेगे। कभी-कभी ही ऐसा होता है कि तुम जो कहते हो वह मेरे गले नही उतरता या मै जो कहता हूँ वह तुम्हारे गले नही उतरता। इसलिए मैं इस मतभेदको अवश्य टालना चाहूँगा। मैने सोचा था कि उक्त लेख तुम्हे दिल्लीमे दे दूँगा। अब मैं वह तुम्हे डाक से भेज दूँगा।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७७) से।

१०९. वातचीत: विभूतिमें[1]

६ नवम्बर, १९३८

खुदाई खिदमतगार संगठनका सदर मुकाम उटमंजईमे है। उस संगठनके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेवाला और पश्तो वोलनेवाला हर आदमी खुदाई खिदमतगार बन सकता है। शर्त केवल यह है कि वह खुदाई खिदमतगार होनेके साथ-साथ किसी और संस्थाका सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आपको खुदाई खिदमतगार बननेकी पूरी छूट है और इसके लिए किसीकी अनुमतिकी जरूरत नही है।

खुदाई खिदमतगारोने अपनी संगठन-क्षमता असंदिग्ध रूपसे सिद्ध कर दिखाई है। जिस सभामे भी चुनिन्दा खुदाई खिदमतगारोका एक दल उपस्थित रहता है उसमे व्यवस्था-ही-व्यवस्था रहती है। अहिंसा-धर्मकी अपेक्षा यह है कि इसके पुजारी अपनी प्रेम-शक्तिके वलपर लोगोमे वह सब करवा ले जो पुलिस अपनी लाठियो और गोलियोके जोरसे करवाती है। जब हमारे हृदयोमे प्रेमका वीज अंकुरित होगा तो हमारे सारे छोटे-मोटे झगड़े और आपसी वैमनस्य अपने-आप मिट जायेगे। अब आजकी ही घटनाका उदाहरण ले। एक वछड़ा कुसंयोगसे हमारी बसमे कुचल गया।[2] उस चालकके हृदयमे प्रेम होता तो वह तत्काल गाड़ीको रोक देता, ताकि

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-६" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। विभूतिके पश्तो-भाषी लोगोंने गांधीजी से अनुरोध किया था कि उन्हें खुदाई खिदमतगार आन्दोलनमें शामिल होनेकी इजाजत दी जाये, यद्यपि राजनीतिक तथा भौगोलिक दृष्टिसे वे पंजाव प्रान्तके थे।

२. जब गांधीजी मोटरमें बैठकर विभूति जा रहे थे तभी रास्तेमें उनकी गाड़ीसे एक बछड़ेको धक्का लग गया था और उसके शरीरका एक हिस्सा कुचल भी गया था। स्थानीय कांग्रेसियोंने इसके लिए विरोधियों या सरकारको दोषी बताया था।

घायल बछड़ेकी देखभाल और इलाजकी ठीक व्यवस्था की जा सकती। हमारे साथियोंमें से एक भाई तो बिना सोचे-विचारे कुछ तथाकथित विरोधियोंका नाम लेकर कहने लगे कि यह दुर्घटना जान-बूझकर उन्होंने ही करवाई। मुझे यह बात अशोभन जल्दबाजी जान पड़ी। यदि हमने अहिंसाको अपना लिया है तो हमें अपने विरोधीपर जल्दीमें किसी बदनीयतीका आरोप नहीं लगा बैठना चाहिए और न उसपर शंका ही करनी चाहिए। कुछ भी कहने या करनेसे पहले हमें निश्चित प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। जब खुदाई खिदमतगारोंके हृदयोंमें प्रेमकी धारा हिलोरें मारने लगेगी तो हमें स्वराज्य भी मिल जायेगा। लेकिन जब तक हमारे छोटेसे-छोटे कामसे भी प्रेमकी आभा नहीं छिटकने लगेगी, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता।

हमें किसीको दुर्घटनास्थल पर भेजना चाहिए कि वह पशुके मालिकसे मुआवजे की बात करे और बछड़ेको इलाजके लिए पशु-चिकित्सकके पास ले जाये।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २६-११-१९३८

११०. भाषण : हरिपुरकी सार्वजनिक सभामें[1]

६ नवम्बर, १९३८

वैज्ञानिकोंका कहना है कि हम बन्दरोंकी सन्तान हैं। भले ही उनकी बात सच हो, लेकिन मनुष्यका भवितव्य पशु बनकर जीना और पशुकी ही तरह मर जाना नहीं है। जिस अनुपातमें वह अहिंसाको अपने आचरणमें उतारता है और स्वेच्छासे अनुशासनके अधीन होता है उसी अनुपातमें वह पशुवृत्तिसे दूर हटता चला जाता है और अपने भवितव्यकी ओर बढ़ता जाता है। अहिंसा हमपर जो कर्तव्य आरोपित करती है उनमें से एक यह भी है कि हम निर्बलसे-निर्बल आदमीके — यहाँ तक कि एक बच्चेके भी — अधिकारोंका सम्मान करें।[2]

. . . गालियोंका जवाब हमें सहिष्णुतासे देना चाहिए।[3] मानव-स्वभाव ऐसा है कि यदि हम किसीके क्रोध या गालियोंकी ओर ध्यान न दें तो वह आदमी जल्दी ही हार-थककर अपनी ऐसी हरकत छोड़ देता है। जिन लोगोंने यहाँ उपद्रव खड़ा करनेकी कोशिश की उनके प्रति हमारे मनमें कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। उन्होंने

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स–६" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।

२. तात्पर्य स्थानीय स्कूलके प्रधानाध्यापककी इस सौम्य शिकायतसे था कि वहाँके कांग्रेसियोंने स्कूलमें सभा करनेसे पूर्व उसकी इजाजत नहीं ली थी।

३. तात्पर्य "सोशलिस्ट" प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अशोभन नारे लगाते हुए सभा छोड़कर चले जानेसे था। वे गांधीजीको मानपत्र भेंट करना चाहते थे, लेकिन सभाकी कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्हें यह सुविधा नहीं दी गई।

तो अनजाने ही हमे सहिष्णुता और क्षमाशीलताका एक महत्वपूर्ण पाठ सीखनेका अवसर दिया। सत्याग्रही अपने 'शत्रु'को सदा ऐसा आदमी मानता है जिसमे उसका मित्र बननेकी सम्भावना भरी हुई है। अहिंसाके अपने आधी सदीके अनुभवके दौरान मेरे सामने इस बातका एक भी उदाहरण नही आया है कि सम्पूर्ण अहिंसाके समक्ष किसीकी शत्रुता अन्त तक कायम रही हो।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-११-१९३८

१११. पत्र : अमृत कौरको

हरिपुर
७ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

बर्मामे जो फिरसे दंगे भड़क उठे थे[1] उसकी ओर तुम्हारा ध्यान गया था क्या? यह बड़े दु.ख का विषय है। दंगोंमे भिक्षु लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले, इसका रहस्य तो हम शायद कभी नही समझ पायेगे।

हम लोगोने हसन अब्दालका प्रसिद्ध गुरुद्वारा देखा। तुमने न देखा हो तो मौका मिलनेपर देख लेना चाहिए। इमारत तो बड़ी शानदार है, लेकिन नानककी आत्माके दर्शन वहाँ नही होते।

कल तुम्हारा कोई पत्र नही मिला। आशा कर रहा हूँ कि मुझे ऐबटाबादमे तुम्हारा पत्र मिलेगा।

९ तारीखको हम तक्षशिलासे ट्रेन पकड़कर प्रस्थान करेगे।

सप्रेम,

योद्धा

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४८) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४५७ से भी।

१. देखिए खण्ड ६७, "बर्माके हालके दंगे", पृ० २९७-३००।

११२. पत्र : देव प्रकाश भाटियाको

७ नवम्बर, १९३८

प्रिय मित्र,

आप तो अपने वादेके बडे पक्के निकले।

प्रार्थना स्रष्टाके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी तीव्र आकांक्षा है। यह प्रयत्न बुद्धिके धरातलपर नही, हृदयके धरातलपर किया जाता है। यह सम्पर्क जल्दी भी स्थापित हो सकता है और इसमे कई वर्ष या युग भी लग सकते है। प्रयत्न सच्चे मनसे और हृदयसे किया जाये, इतना ही काफी है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री देव प्रकाश भाटिया, बी० ए०, एल० एल० बी०
पेशावर छावनी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५३८) से।

११३. पत्र : मीराबहनको

ऐबटाबाद
७ नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

इस प्रान्तसे तुम्हे यही आखिरी पत्र लिख सकता हूँ। जगह बड़ी सुन्दर है; सिर्फ इसके साथ जुडी स्मृतियाँ खटकती है। मुन्नालालसे कहना कि उससे मिलनेपर उसके पत्रके बारेमे चर्चा करूँगा। आज इतना ही।

सप्रेम,

बापू

श्री मीराबहन
सेगाँव आश्रम
सेगाँव, वर्धा, म० प्रा०

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१४) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १०००९ से भी।

११४. पत्र : महादेव देसाईको

७ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

यह पत्र बहुत . . .[1] है। यदि तुम दिल्ली पहुँच गये होगे तो यह तुम्हारे पीछे-पीछे आयेगा। इसके साथ मणिका पत्र है। प्यारेलालका पत्र विचित्र लगता है। किन्तु जो हो सो ठीक है।

एकाएक वर्धामे पड़े रहनेका निर्णय मत कर बैठना। यदि और कही नही तो बम्बई या वलसाडमे अवश्य रहना चाहिए। यदि तुममे दक्षिण आफ्रिका जानेकी हिम्मत हो तो यह सबसे अच्छा होगा। किन्तु मै किसी बातका आग्रह नही करूँगा। जो तुम्हारा मन कहे सो करो। यदि वर्धाके सिवा तुम्हे और कही चैन न मिले तो मैं उसका भी विरोध नही करूँगा। हमे खतरा नही उठाना चाहिए। तुम्हे भी वही हुआ है जैसाकि मुझे निपाणी[2] मे हुआ था और छ. महीने खटिया-पर पड़े रहना पडा था। तुम्हारी उम्रको देखते हुए यह हो सकता है कि तुम्हे उतने दिन आराम न लेना पड़े।

इसके साथ राधाकृष्णका पत्र भी तुम्हारे पढ़ने और पढ़कर फाड़ देनेके लिए भेज रहा हूँ। तुम्हारा लेख सुरक्षित रखा हुआ है। तुम्हारी इच्छा जाननेके बाद उसे तुम्हें भेज दूंगा या मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। क्या वह लेख खो देने लायक है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७८) से।

११५. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

ऐबटाबाद

८ नवम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा तार मिला। पैसोंके बारेमे तो मैंने निर्णय कर ही लिया है कि इसका बोझ रामचन्द्रन पर कदापि नही डाला जा सकता। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि जाते समय भी उसे मैंने ही पैसे दिये थे। किन्तु यदि ऐसा नही होगा तो उसके आनेपर हम देख लेगे। लेकिन जैसाकि मैंने सुझाव दिया था तदनुसार रामचन्द्रनसे बात

१. साधन-सूत्रमें यह अंश अस्पष्ट है।
२. देखिए खण्ड ३३, पृ० २०९-१०।

करना तेरा कर्तव्य है। उनमे न कहना उनके प्रति विश्वासघात करना है और इसमे परमात्माका अहित है।

तू इन दिनो तर्क-वितर्कके मोहमे नही पडता, यह तेरी बुद्धिमत्ता ही है। यदि तेरे मनमे सन्तोषजनक तर्क उठते है और अनुभव उनका समर्थन करे तो जब तेरा समय आयेगा तब तेरे तर्कोमे अत्यधिक बल होगा। फिलहाल तो इतना ही काफी है कि तुझे मेरा मार्ग सही जान पडता है और तू अपने जीवनमे उसका अनुसरण भी करना चाहता है। यदि तू इसपर दृढ रह सके तो यह बहुत काफी होगा।

तू अपने स्वास्थ्यको बिलकुल मत बिगड़ने देना। इस भ्रममे मत रहना कि तू उसे बादमे सुधार लेगा। मामूली या सख्त कैसी भी बीमारी हो, उसके उभरते ही उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए।

मनुष्यके स्वभावको समझनेके लिहाजसे सीमाप्रान्त देखने लायक है। वहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यके कुछ स्थल तो सुन्दर है ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३५१) से, सौजन्य : कान्तिलाल गाधी।

११६. बातचीत : खुदाई खिदमतगारोंके साथ[1]

मानसेहरा
[८ नवम्बर, १९३८][2]

इन दिनो ऐसा कहनेका एक फैशन-सा हो गया है कि समाजको अहिंसाके आधारपर सगठित या सचालित नही किया जा सकता। मै इस बातसे सहमत नही हूँ। किसी परिवारमे जब पिता अपने बिगडे लडकेको तमाचा लगाता है तो लडकेके मनमें बदला लेनेका खयाल तो नही आता। वह पिताकी आज्ञाका पालन प्रताडनाके भयसे नही, बल्कि प्रताडनाके पीछे उस प्रेमके कारण करता है जिसको उसने अपने आचरणसे चोट पहुँचाई है। मेरी रायमे, यह उस तरीकेका एक दृष्टान्त है जिससे समाजका सचालन होता है या होना चाहिए। जो बात परिवारपर लागू होती है, वही समाजपर भी लागू होगी, क्योकि समाज भी तो आखिर एक बडा परिवार ही है। यह तो मनुष्यकी कल्पना हे जिसने ससारको परस्पर झगड रहे मित्र-शत्रुके खेमोमे बाँट दिया है। अन्तत देखे तो इन झगडा-फसादोके बीच भी अगर कोई शक्ति सक्रिय रह पाती है तो वह प्रेमकी ही शक्ति है और उसीपर दुनिया टिकी हुई है।

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-७" शीर्षक विवरणसे उद्धृत।
२. गांधी — १९१५-१९४८ के अनुसार।

मुझसे कहा गया है कि यहाँके लाल कुर्तीवाले नाम मात्रको ही लाल कुर्तीवाले है। मै तो यही उम्मीद करता हूँ कि यह आरोप निराधार होगा। मुझे मालूम है है कि खुदाई खिदमतगार आन्दोलनमे अवांछनीय और स्वार्थी तत्वोंके घुस आनेसे खानसाहब बहुत चिन्तित है। मै उनके इस विचारसे सहमत हूँ कि खुदाई खिदमतगारोकी संख्या बढ़ानेवाले लोग जिस धर्मको माननेका दावा करते है, यदि वे उसके सच्चे प्रतिनिधि नही है तो सिर्फ संख्या-वृद्धिसे इस आन्दोलनकी जड़े मजबूत होनेके बजाय कमजोर ही होगी।

लालकुर्ती-आन्दोलनकी ओर आज पूरे भारतका, बल्कि बाहरी देशोंका भी, ध्यान आकृष्ट है। लेकिन अब तक इसने जितना-कुछ कर दिखाया है वह, इसे जितना कुछ करना है, उसकी तुलनामे बहुत ही कम है। मै खुदाई खिदमतगारोके इस आश्वासनको पूरे भरोसेसे स्वीकार करता हूँ कि वे अहिंसाको समझने और उसका पूरा-पूरा पालन करनेके लिए बड़े उत्सुक है। अभी तो उन्हे न जाने कितनी कठिन ऊँचाईपर चढ़ना है। उनके सामने मैंने रचनात्मक अहिंसाका जो कार्यक्रम रखा है, वह जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो फिर अपने-आप अपना मार्ग बनाता और अपना प्रभाव दिखाता चला जाता है। इस कार्यक्रमपर अमल किया जाना खुदाई खिदमतगारोंकी उत्कटता और ईमानदारीकी भी एक अचूक कसौटी होगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३-१२-१९३८

११७. भाषण : मानसेहराकी सार्वजनिक सभामें[1]

८ नवम्बर, १९३८

गांधीजी ने उत्तर देते हुए कहा कि आपने अहिंसाके क्षेत्रमें अब तक जितना-कुछ प्राप्त किया है उसको देखते हुए मुझे आपसे बड़ी-बड़ी आशाएँ बँधती है। लेकिन मै तो इस पुरानी कहावतमें विश्वास रखनेवाला आदमी हूँ कि जो जितना देता है उससे उतनी ही ज्यादा आशा की जाती है। सो मै आपको बता देता हूँ कि मै आप लोगो से तब तक सन्तुष्ट होनेवाला नहीं हूँ जब तक कि आप अहिंसाके द्वारा न केवल अपनी, बल्कि भारतकी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर दिखाते। आपके प्रान्तमें मै यह दूसरी बार आपको और निकटसे जानने तथा यह समझने आया हूँ कि अहिंसा आपके बीच कैसे काम कर रही है; और ऐसा इरादा रखता हूँ कि आपके पास तीसरी बार भी

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स-७" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। मानसेहराके नागरिकोंने अपने मानपत्रमें गांधीजी को आश्वस्त किया था कि पठान लोग कुछ ही दिनोंमें "भारतके अहिंसक स्वातन्त्र्य-संग्राममें अपना अग्रिम स्थान" बना लेंगे।

आऊँ और तब विभिन्न समस्याओंको आज जिस बिन्दुपर छोड़कर जा रहा हूँ, उस बिन्दुसे उनके हल करनेके प्रयत्नमें फिरसे लग जाऊँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३-१२-१९३८

११८. बातचीत: अल्पसंख्यकोंके शिष्टमण्डलके साथ[1]

ऐबटाबाद
[८ नवम्बर, १९३८][2]

उत्तरमें गांधीजी ने कहा कि अर्जी देनेपर बन्दूक वगैरह रखनेके परवानेके बेरोकटोक जारी किये जानेकी आपकी माँगका समर्थन मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन सरकारसे ऐसी आशा करना उचित नहीं होगा कि वह पूरी सीमावर्ती आबादीके बीच बन्दूकें आदि मुफ्त बाँटे। अगर आप चाहें तो ऐसे हथियार मुफ्त बाँटे जानेके निमित्त कोष एकत्र कर सकते हैं, लेकिन बन्दूक आदि मुफ्त बाँटे जाने और लोगोंके उनको चलानेके लिए प्रशिक्षित कर दिये जानेसे सरहद-पारसे होनेवाले हमले बन्द हो जायेंगे, इस बातमें तो मुझे सन्देह है। यदि बन्नूमें हुए हालके हमलेके अनुभवसे देखें तो मानना होगा कि ऐसी कोई कार्रवाई बहुत ही खर्चीली और बेकार होगी। मुझे मालूम हुआ है कि बन्नूमें बन्दूकों वगैरहकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस हमलेके दौरान केवल एक बन्दूकका प्रयोग हुआ और उसके प्रयोगसे भी हमलावरोंकी अपेक्षा आम लोग ही ज्यादा हताहत हुए। लेकिन आपने बहुसंख्यक समुदायके कर्तव्योंके बारेमें जो-कुछ कहा है, उससे मैं सहमत हूँ। खानसाहब खुदाई खिदमतगारोंको हमलावरोंसे नागरिकोंकी रक्षा करनेका अपना कर्तव्य निभानेके लिए तैयार कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३-१२-१९३८

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रौविन्स–७" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। शिष्टमण्डलने अन्य बातोंके अलावा गांधीजी के सामने यह सुझाव भी रखा था कि बढ़ते खतरेको देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रोंके अल्पसंख्यकोंको बन्दूकें वगैरह मुफ्त दी जायें और उन्हें बन्दूकें आदि चलानेका प्रशिक्षण भी दिया जाये, ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें।

२. गांधी — १९१५-१९४८ के अनुसार।

११९. भाषण : ऐबटाबादकी सार्वजनिक सभामें[1]

[८ नवम्बर, १९३८][2]

आपने मुझे जो मानपत्र भेंट किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। अपने मानपत्रमें आपने अपने यहाँ "विश्वके महानतम व्यक्ति" के पदार्पणपर अपनी प्रसन्नता प्रकट की है। आपका मानपत्र सुनते समय मेरे मनमें यह सवाल घूमता रहा कि आखिर वे सज्जन हैं कौन। निस्सन्देह, मैं तो नहीं हो सकता। मुझे अपने दोष भली-भाँति मालूम हैं। एथेंसके महान दार्शनिक सोलनके विषयमें एक कथा प्रचलित है। विश्वके सबसे धनाढ्य व्यक्तिके रूपमें विख्यात क्रीससने उनसे पूछा, संसारका सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। क्रीससने सोच रखा था कि सोलन कहेंगे, आप ही वह सुखी व्यक्ति हैं। मगर सोलनने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसीके अन्तकालसे पहले यह कैसे कहा जा सकता है कि वह सुखी है। अगर सोलनको किसी व्यक्तिके जीते-जी उसके सुखी होने या न होनेके सम्बन्धमें निर्णय देना कठिन लगा तो जरा सोचिए कि किसी व्यक्तिकी महानताके बारेमें कोई फतवा देना कितना कठिन है। सच्ची महानता ऊँचाईपर स्थापित कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है जिसे लोग आसानीसे देख लें। मेरा सत्तर वर्षोंका अनुभव तो मुझे यह बताता है कि अकसर वास्तवमें महान लोग तो वे होते हैं जिनके बारेमें और जिनकी महानताके सम्बन्धमें संसार उनके जीवन-कालमें कुछ नहीं जानता। सच्ची महानताका पारखी तो केवल ईश्वर है, क्योंकि वह मनुष्यके हृदयको पहचानता है। . . .

ऐबटाबादके निवासी ही नहीं, यहाँका सूर्य, चन्द्र और यहाँके तारे भी मेरी एक झलक पानेको लालायित थे। भाइयो, तो क्या मैं यह मानूँ कि आपके नगरके लिए कोई खास सूर्य और चन्द्रमा तथा तारे हैं, जो वर्धा या सेगाँवमें नहीं चमकते? हमारे यहाँ काठियावाड़में भाट नामकी एक जाति है। इस जातिके लोग पेशेवर चारण हैं, जिनका धन्धा पैसा पानेके लिए अपने-अपने सरदारोंकी प्रशस्ति करना है। खैर, मैं आपको भाट तो नहीं कहूँगा। अगर किसीका उपहास करना चाहे तब तो बात अलग है, लेकिन वैसे मैं चाहूँगा कि आप अपने नेताओंकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करनेकी गलतीको जरा समझें। इससे न उन्हें कोई लाभ होता है और न उनके काममें ही कोई सहायता मिलती है। इसलिए इस तरह बढ़ा-चढ़ाकर यशोगान करने-

१. प्यारेलाल नैयरके "इन द फ्रंटियर प्रॉविन्स–८" शीर्षक विवरणसे उद्धृत। सभामें कई मानपत्र भेंट किये गये और पूरे जिलेकी ओरसे ११२५ रुपयेकी एक थैली भी भेंट की गई।

२. ९-११-१९३८ के **हिन्दुस्तान टाइम्स** और इसी तारीखके **हिन्दू** के अनुसार।

वाले मानपत्र भेंट करनेकी आदत आप हमेशाके लिए छोड दे, यही मै चाहूँगा। अब इस सत्तर सालकी उम्रमे कमसे-कम मै तो नही चाहूँगा कि ईश्वरने मुझे जो थोडा-बहुत समय और दिया हो उसे इस तरहके निरर्थक आडम्बरोमे वर्बाद कर दिया जाये। अगर मानपत्र दिया ही जाना हो तो मै चाहूँगा कि उसमे सम्मानित व्यक्तिके दोषो और त्रुटियोका वर्णन किया जाये, ताकि वह अपने अन्तरमे झाँककर देखने और उन दोषो और त्रुटियोको निकाल बाहर करनेको प्रेरित हो सके।

जबसे इस प्रान्तमे आया हूँ तभीसे मै खुदाई खिदमतगारोको अहिंसाका सिद्धान्त—सम्पूर्ण और शुद्ध अहिंसा-सिद्धान्त—समझानेकी कोशिश करता रहा हूँ। मै अहिंसाके मर्मको पूर्ण रूपमे समझनेका दावा नही करता। जितना-कुछ मै समझ पाया हूँ वह तो उस सम्पूर्णका, उस महान वस्तुका एक अशमात्र है। अहिंसाके सम्पूर्ण मर्मको समझना या उसका पूरा-पूरा आचरण करना मनुष्यके बसकी बात नही है, क्योकि वह तो स्वय ही अपूर्ण है। यह तो केवल ईश्वरका ही गुण है, उस परम शास्ताका जिससे बडा सृष्टिमे कोई नही है। लेकिन मै आधी सदीसे अधिक समयसे इसे समझने और इसे अपने जीवनमे उतारनेका सतत प्रयास करता रहा हूँ। इसमे सन्देह नही कि खुदाई खिदमतगारोने अहिंसाको जिस हद तक समझा है, उस हद तक उसका आचरण करनेका ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसने उन्हे सबकी प्रशसाका पात्र बनाया है। लेकिन अब उन्हे एक कदम और आगे जाना है। अपनी अहिंसाकी अवधारणाको उन्हे अधिक व्यापक बनाना है और अगर उन्हे अन्तिम अग्नि-परीक्षामे से सफल होकर निकलना है तो अहिंसाके आचरणमे—विशेषकर उसके विध्यात्मक पहलुओके आचरणमे—और अधिक पूर्णता और गहराई लानी है। अहिंसाका मतलब केवल शस्त्र-त्याग नही है। यह कोई कमजोरो और पुंसत्वहीन लोगोका भी हथियार नही है। लाठी उठानेमे असमर्थ कोई बच्चा तो अहिंसाका आचरण नही करता। सारे शस्त्रास्त्रोसे अधिक सशक्त और सक्षम अहिंसा ससारमे एक अद्भुत शक्तिके रूपमे अवतरित हुई है। जिसने यह अनुभव करना नही सीखा है कि यह पशुबलकी अपेक्षा लाख गुनी अधिक सक्षम शक्ति है, उसने इसके सच्चे स्वरूपको नही पहचाना है। इस अहिंसाकी शक्तिको शब्दोमे व्यक्त नही किया जा सकता। इसकी ज्योति तो हमारे हृदयमे ही जल सकती है और वह ज्योति जलेगी तब जब हमारी उत्कट प्रार्थनाके परिणामस्वरूप हमे भगवत्कृपा प्राप्त होगी। कहते है, आज एक लाख खुदाई खिदमतगार ऐसे है जिन्होने अहिंसाको अपने धर्म-रूपमे स्वीकार किया है। लेकिन इनसे बहुत पहले, १९२० मे ही खानसाहबने अहिंसाको ससारके सबसे अधिक कारगर हथियारके रूपमे जान लिया था और तभी उन्होने इसे अपना भी लिया था। अहिंसा के अठारह वर्षोके आचरणसे इसमे उनकी श्रद्धा और भी सुदृढ ही हुई है। उन्होने खुद देखा है कि इसने उनके लोगोको किस प्रकार निर्भीक और सबल बना दिया है। अपनी छोटी-मोटी नौकरियाँ खो बैठनेकी आशकासे ही पहले वे घबरा जाते थे। लेकिन आज वे कुछ और ही महसूस करते है। सत्तर सालकी इस अवस्थामे अहिंसामे स्वयं मेरी श्रद्धा आज इतनी प्रबल है जितनी पहले कभी नही थी। लोग मुझसे कहते

है: "आपका अहिंसाका कार्यक्रम तो देशके सामने लगभग दो दशकोसे पडा हुआ है, लेकिन आपने जो स्वराज्य दिलानेका वादा किया था, वह कहाँ है?" मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि कहनेको तो अहिंसाको करोड़ों लोगोने अपना लिया, लेकिन उसका आचरण बहुत कम लोगोने किया और जिन्होने किया उन्होने भी उसे एक नीति मानकर ही किया। लेकिन इस सबके बावजूद जो परिणाम सामने आया है, वह मुझे खुदाई खिदमतगारोके बीच अपना प्रयोग जारी रखनेके लिए प्रोत्साहित करनेकी दृष्टिसे काफी अच्छा है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

१२०. पत्र: सरस्वती गांधीको

[९ नवम्बर, १९३८के पूर्व][1]

चि० सरस्वती,

तुझे मेरे खत मिले होगे। दादाको मेरा खत दिया होगा। तेरे खतकी प्रतीक्षा करता हूँ। तेरी तबीयत अच्छी होगी और तू शांत होगी। मेरे अक्षर पढ लेती है ना? यहाँ ९ नवेंबर तक रहना होगा।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

बा बीमार पड गई थी, दिल्लीमे है। अब कुछ ठीक है। उनको खत लिखो। ठिकाना हरिजन कोलोनी, किंग्सवे।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३४२७) से। सौजन्य. कान्तिलाल गाधी। जी० एन० ६१५४ से भी।

१. गांधीजी सीमाप्रान्तसे ९ नवम्बर, १९३८को रवाना हुए थे।

१२१. पत्र : सुशीला गांधीको

९ नवम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

मैं यह जानता हूँ कि तुझे अकोलामें रहना अच्छा लगता है। नानाभाई[1] की सेवा करना तेरा अनिवार्य कर्तव्य है। इस बातका निर्णय तो तू ही कर सकती है कि उस सेवाके लिए तुझे वहाँ कब तक ठहरना चाहिए। यदि उसके लिए वहाँ तेरी तत्काल जरूरत न हो तो नेटाल जाना तेरा कर्तव्य है। तू वहाँ जितनी जल्दी पहुँच सके उतना अच्छा हो।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

आशा है, नानाभाई अच्छे होंगे। मुझे सेगाँवके पतेपर लिखना। मैं यह चलती गाड़ीमें लिख रहा हूँ।

श्री सुशीलाबहन गांधी
मार्फत श्री नानाभाई मशरूवाला
अकोला, बरार

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८८) से।

१२२. पत्र : मणिलाल गांधीको

९ नवम्बर, १९३८

चि० मणिलाल,

मैं तेरा गुनहगार हूँ। यात्राके दौरान तू छूट ही जाता है। काम अधिक है और अनुपातमें मेरी शक्ति कम है, इसलिए मैं कमसे-कम पत्रोंसे काम चलाता हूँ। फिर भी, मैं यह भली-भाँति समझता हूँ कि तुझे अवश्य लिखना चाहिए। जो हो, मैं तुझे नियमित रूपसे पत्र लिखने या लिखवानेका प्रयत्न करूँगा। मुझे ऐसा लगा करता है कि मैं तेरे प्रति अपने कर्तव्यका पालन पूरी तरहसे नहीं करता। भले ही मैं पालनीय किसी कर्तव्यका निर्वाह न कर सकूँ फिर भी तुझे पत्र लिखनेकी भी अपनी कीमत है ही।

१. नानाभाई मशरूवाला, सुशीला गांधीके पिता।

सुशीलाको तो मैंने कबका लिख दिया है कि उसका कर्तव्य तेरे पास रहना है। उसने यहाँ एक-आध महीना बितानेका निर्णय किया है। मैंने तो आज फिर लिखा है कि यदि नानाभाईकी सेवाके लिए वहाँ रहनेकी जरूरत न हो तो वह तुरन्त लौट जाये।[१] उसे वापस भेजनेमें मुझसे जितनी बन पड़ेगी उतनी तेरी सहायता मैं अवश्य करूँगा।

यदि फीनिक्सका कोई हिस्सा बेचना आवश्यक हो और न्यासी इसके लिए सहमत हो जायें तो बेच देना। इलेसिन जो कहती है, वह विचार करने लायक तो है ही।

मैं तेरा पत्र छगनलालको भेज तो रहा हूँ किन्तु मुझे नहीं लगता कि वह आनेकी बात सोचेगा। वहाँ जाकर रहनेवालोंमें तो रामदास था, किन्तु उसका मन नहीं मानता। अच्छा तो यही है कि तुझसे और सुशीलासे जो हो सके सो करके सन्तोष मानो। यदि इलेसिन पूरी सहायता दे तो यह अच्छा ही है। यदि प्रागजी यह भार लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु इसमें तो तेरा अनुभव ही काम आयेगा। अपने अनुभवके विपरीत तू कुछ मत करना।

बा अब बिलकुल अच्छी है। महादेव भी अच्छे हैं। आज मैं वर्धा जानेवाली गाड़ीमें हूँ। बा दिल्लीमें मिलेगी और वहाँसे मेरे साथ हो लेगी।

डॉ० सुशीला, प्यारेलाल और अमतुस्सलाम मेरे साथ हैं। कन्हैया तो है ही। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८७) से।

१२३. पत्र : एम० आर० मसानीको

९ नवम्बर, १९३८

भाई मसानी,

आपने देखा होगा कि डॉ० खानसाहबने बहुत-से लोगोंको तो छोड़ दिया है। बाकी लोगोंको भी वे छोड़ देना चाहते हैं किन्तु उसमें कुछ कठिनाई है। इस सम्बन्धमें मैंने स्थानीय सचिवको पत्र लिखा है। उसकी नकल मैंने आपको भेजनेके लिए लिखा है। आशा है कि वह आपको मिल गई होगी।

मो० क० गांधीके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१२९) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

१२४. पत्र: विजया एन० पटेलको

९ नवम्बर, १९३८

चि० विजया,

तेरा पत्र मिला। मुझे यह अच्छा लगेगा कि जब तक तुझसे रहा जाये तब तक तू वहाँ रहे। मैं यह गाड़ीमें लिख रहा हूँ। मैं ११ को सेगाँव पहुँचूंगा। दिल्ली से बा मेरे साथ हो लेंगी।

तूने अच्छा समाचार दिया है।

यह तो अच्छा ही हुआ कि मनुभाई वहीं रहेंगे।

तुम दोनों को,

बापूके आशीर्वाद

श्री विजयाबहन
ग्रामदक्षिणामूर्ति
आम्बला, बरास्ता सोनगढ़
काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०२) से। सी० डब्ल्यू० ४५९४ से भी, सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१२५. सन्देश: कमाल अतातुर्कके देहावसानपर[1]

१० नवम्बर, १९३८

अतातुर्कका देहावसान तुर्कीकी एक भारी क्षति है। प्रभुसे यही प्रार्थना है कि तुर्कीवासी इस विपत्तिसे सुरक्षित उबर आयें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-११-१९३८

१. तुर्की गणतन्त्रके राज्याध्यक्ष कमाल अतातुर्कका देहावसान १० नवम्बर, १९३८को हुआ था।

१२६. पत्र : अमृत कौरको

दिल्ली
१० नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

यह सतीश बाबूकी तैयार कराई सबसे ताजा चीज है।[१] इस दिशामे वे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं।

तुम्हारे दो पत्र कल आये। पहलेके साथ म०[२] की ओरसे कुछ नही था।

तुम्हारे करुणा-भरे अनुरोधके सम्बन्धमे मैं अपने हृदयकी सच्ची भावनाको ही तो अभिव्यक्ति दे सकता था। अगर मेरे अन्दर कोई ऐसा आह्वान हुआ तो संसारकी कोई भी शक्ति मुझे रोक नही सकती। मैं शायद तुम्हे बता चुका हूँ कि मुझमे स्त्रीके हृदयमे प्रवेश करनेके लिए अपेक्षित शुद्धि नही है। जब तक मेरे अन्दर वह विकार-व्याल बैठा हुआ है तब तक मेरे और उसके बीच एक दूरी बनी ही रहेगी। तुम वांछित फलके लिए प्रभुसे प्रार्थना करनेके सिवा और कर ही क्या सकती हो। लेकिन प्रयत्न तो मुझे ही करना है। इसलिए यदि मैं तुम्हारी अपेक्षाएँ पूरी करनेमे असमर्थ होऊँ तो नाराज या दुःखी मत होना।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६४९) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४५८ से भी।

१२७. पत्र : महादेव देसाईको

१० नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र तक्षशिलामे मिला था। यहाँ भी एक पत्र मिला। राजकुमारीका पहलेका एक पत्र आज मिला, जिसमे तुम्हारी लिखावट नजर नही आई। मैं दक्षिण आफ्रिकाके बारेमे समझ गया। अब जब तुम आओगे तब हम दूसरे विकल्पके बारेमे विचार कर लेंगे। तुम्हारी नींद कम हो गई इसकी कोई चिन्ता नही। इससे यह शिक्षा तो मिल ही गई कि अभी भी काफी सावधानीकी जरूरत है। गिल्डर जो

१. तात्पर्य शायद उस कागजसे है जिसपर गांधीजी यह पत्र लिख रहे थे।

२. महादेव देसाई।

कहते हैं वह सर्वथा सत्य है। यदि १९ के बाद भी रुकना आवश्यक हो तो रुके रहना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

और अधिक लिखनेका समय नहीं है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६७९) से।

१२८. बातचीत: साम्यवादियोंके साथ[1]

[११ नवम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

साम्यवादी: हम यह स्वीकार करते हैं कि आपकी भूमिका ठीक-ठीक क्या है, यह बात हमारी समझमें नहीं आती। हम जो आपका विरोध करते हैं, वह हमेशा इसीलिए नहीं कि हम आपसे सहमत नहीं होते, बल्कि अकसर इसलिए कि आपके मनमें क्या है, यह हम समझ नहीं पाते, जिससे आपके कार्योंको हम एक अस्पष्ट-से भय और अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हैं। अगर आपको हम समझ जायें तो आपके प्रति आस्था रखना शायद हमारे लिए आसान हो जाये। इसलिए हम आपके पास आये हैं। हो सकता है, विचार-विनिमयके बाद शायद आपको भी यह लगे कि यदि आप हमें समझे होते तो हमारे सम्बन्धमें आपके जो विचार थे, उनमें से कुछको बदलने की जरूरत थी।

उदाहरणके तौरपर उन्होंने नागरिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी उस प्रस्ताव[3] का उल्लेख किया जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अपनी दिल्लीकी बैठकमें स्वीकार किया था और जिसके परिणामस्वरूप कुछ सदस्योंने सभा-त्यागकी वह बहुचर्चित कार्रवाई की थी।[4] उनका कहना था, हमारी समझमें नहीं आता कि वैसे तीव्र विरोधके बावजूद कांग्रेस "हाई कमान" उस प्रस्तावको जैसे भी हो, पास करवानेको उतनी आतुर क्यों थी।

१. प्यारेलाल नैयरके "ए स्पोर्टिंग ऑफर" ("एक उदारतापूर्ण निमन्त्रण") शीर्षक विवरणसे उद्धृत। प्यारेलालके अनुसार गांधीजी ने अपना आशय स्पष्ट करनेके लिए विवरणमें कई जगह परिवर्धन किये थे।

२. इस बातचीतको पढ़नेसे प्रकट होता है कि इस समय गांधीजी सेगाँवमें नहीं थे। वह दिल्लीसे सेगाँवके लिए ११ नवम्बरको रवाना हुए थे।

३. देखिए खण्ड ६७, "अ० भा० का०के प्रस्तावका मसविदा", पृ० ४१० ।

४. देखिए खण्ड ६७, "वह दुर्भाग्यपूर्ण सभा-त्याग", पृ० ४४६-७।

गांधीजी : मुझे स्वीकार करना चाहिए कि सभा-त्यागकी वह कार्रवाई मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या उसका मतलब यह था कि आप चाहते थे, कांग्रेस हिंसा भड़कानेवाली कार्रवाइयोंको बर्दाश्त कर ले?

सा० : नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो बार-बार स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि हिंसा या हिंसा भड़कानेवाली कार्रवाईको बर्दाश्त किया जाये, यह हम बिलकुल नहीं चाहते। जब कांग्रेसने सत्ता सँभाली उस समय तो नागरिक-स्वतन्त्रताका विस्तार किया गया, लेकिन हरिपुर कांग्रेसके बादसे कांग्रेस-शासित प्रान्तोंमें वास्तवमें स्वतन्त्रतामें कमी ही की जाती रही है। हमें तो न चाहते हुए भी यही महसूस होता है कि नागरिक-स्वतन्त्रताके दुरुपयोगकी यह आवाज सिर्फ मन्त्रियोंके बचावके निमित्त एक सुविधाजनक बहाना ढूँढ़नेके लिए उठाई जा रही है, जबकि इन मन्त्रियोंमें से कुछ एक तो बिलकुल पुराने नौकरशाहोंकी तरह व्यवहार कर रहे हैं।

गां० : आपके यहाँ आनेकी मुझे सचमुच बड़ी खुशी है, क्योंकि आप असली गुनहगारके पास आये हैं। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उस प्रस्तावका एक मात्र जनक मैं ही हूँ। वह मेरे पास मौजूद ऐसे प्रमाणोंपर आधारित है जिनकी सचाईसे इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन, मेरे लेखोंसे आपको यह तो समझ जाना चाहिए था कि उन लोगोंका उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना था जिसमें मन्त्रियोंके लिए यह लाजिम नहीं रहे कि वे हिंसा भड़कानेवालों या सचमुच हिंसा करनेवालोंके खिलाफ कार्रवाई करें ही। मन्त्री उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इसके बजाय मैं हिंसोत्तेजक भाषणों, लेखों या कार्योंके विरुद्ध लोकमत तैयार करना चाहता था। वह प्रस्ताव कानूनी कार्रवाईका एक विकल्प था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागरिक-स्वतन्त्रतापर हाथ डालनेवाले या कांग्रेसके प्रस्तावोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले किसी भी मन्त्रीको मैं आड़ नहीं दूँगा। अगर आपका मतलब राजाजीसे हो तो मैं उनके सम्बन्धमें आपके सारे सन्देहोंका निवारण करनेको, और वैसा न कर पाऊँ तो उनसे त्यागपत्र देनेको कहनेको तैयार हूँ।

सा० : हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने कहा है कि हिंसा भड़कानेवाली कार्रवाइयोंको रोकनेके लिए सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। क्या कांग्रेसियोंकी हिंसा भड़कानेवाली कथित कार्रवाईको रोकनेके लिए सरकार द्वारा हिंसाका सहारा लिया जाना उचित है?

गां० : सवाल आपने गलत ढंगसे पूछा है। मगर इसका जवाब तो मैं दे ही चुका हूँ। सरकारकी ओरसे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी किसी बच्चेको मारकर उसके आभूषण छीन लेता है और अगर मैं इस आदमीको ऐसे कुकृत्यकी पुनरावृत्तिकी सुविधासे वंचित कर देता हूँ तो मैं अपनी इस कार्रवाईको हिंसा तो नहीं कहूँगा। अगर मेरी कार्रवाईके पीछे उसे सजा देनेका मंशा हो तो उसे हिंसा जरूर कहा जायेगा।

अपनी बात मैं जरा और स्पष्ट करके कहूँ। थैली भी न खोलिए और दुबले भी न होइए, ऐसा तो नही हो सकता। मान लीजिए कि वाणीकी हिंसा हुई है तो उस स्थितिमे या तो काग्रेसको उसके सम्बन्धमे कार्रवाई करनी है या काग्रेसी मन्त्रियोको। मैने काग्रेसको कार्रवाई करनेका सुझाव दिया है। वह प्रस्ताव उसी सुझावके अनुसार लाया गया था। बेशक, आप चाहे तो कार्य-समितिको प्राप्त प्रमाणोकी सत्यता या पर्याप्तितापर शका कर सकते है। अगर आपने यही रास्ता अपनाया होता तो आप वे प्रमाण देखनेकी माँग कर सकते थे और इस शर्तके साथ प्रस्तावको स्वीकार कर सकते थे कि कार्य-समिति वे प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेगी। अगर आप यह स्वीकार करते है कि हिंसामय भाषणो या लेखोको नागरिक-स्वतन्त्रताके नामपर बर्दाश्त नही किया जा सकता तो आपको सभाका त्याग नही करना चाहिए था। यह बात तो दिनके उजालेके समान स्पष्ट है कि काग्रेस-शासित प्रान्तोमे बोलने और लिखनेकी इतनी अधिक स्वतन्त्रता दी जा रही है, जितनी स्वतन्त्रताका उपभोग वहाँके लोगोने कभी नही किया था।

सा० : लेकिन जो भी हो, कांग्रेस हाईकमान हमारे खिलाफ हमेशा जैसा रुख जाहिर करता रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कांग्रेसका अनुशासन स्वीकार किया है। हम कांग्रेसमें इसलिए शामिल हुए है कि यही एक संस्था है जो कोई जन-आन्दोलन खड़ा कर सकती है। अगर हम गलत व्यवहार करते है तो हमें कांग्रेसमें से निकाला जा सकता है और कांग्रेसमें से निकाले जानेका मतलब होगा जनता के बीच अपनी साख गँवा बैठना। हमारा दल जनताका दल है और इसलिए हमें या तो जनताके साथ होकर चलना है या फिर इसमें से निकल जाना है। इसके विपरीत, ये मन्त्री तो इस प्रयत्नमें लगे हुए है कि ये जनताके ऊपर अपना आसन जमा लें और इनपर लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियोका कोई असर ही नहीं हो पाये। हम किसी कट्टर विचारधारासे बँधे हुए नहीं है। आप ही बतायें कि आज हम सामूहिक रूपसे क्या कर सकते है। हमारे हेतु भले ही अलग-अलग हों, लेकिन महत्व तो हम व्यवहारतः जो-कुछ करेंगे, उसीका होगा।

गा० . आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि न तो उस प्रस्ताव[1] मे और, मैं समझता हूँ, न मेरे लेखो[2] मे ही समाजवादियो या साम्यवादियोका कोई उल्लेख है। हिंसापर किसी दल-विशेषकी इजारेदारी नही है। मैं ऐसे काग्रेसियोको भी जानता हूँ जो न तो समाजवादी है और न साम्यवादी, और फिर भी खुले आम स्वीकार करते है कि वे हिंसा-भक्त है। इसके विपरीत, मैं ऐसे समाजवादियो और साम्यवादियोको भी जानता हूँ जो उत्पादन के साधनोके सामूहिक स्वामित्व में तो विश्वास रखते है, लेकिन जो किसी को तनिक-सी भी चोट पहुँचाने को

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४१०।
२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४६-७।

तैयार नही हूँ। मै अपनेको उन्ही लोगोमे गिनता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा तात्पर्य खुद मुझसे नही बल्कि ऐसे दूसरे लोगोसे है जिन्हे जाननेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है।

लेकिन आप लोगोंने मुझसे जो-कुछ कहा है, उससे मेरे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि साधनको आप वैसा महत्व नही देते जैसा मै देता हूँ। लेकिन आपकी दलील मै समझता हूँ। मेरा और आप लोगोका मन परस्पर विरुद्ध दिशाओमे काम कर रहे है। मै तो अगर सम्भव हो तो आपके हृदयमे एक छोटा-सा स्थान पाना चाहता हूँ। लेकिन आपमे से कुछ लोगोने कहा है कि यह तो असम्भव है, क्योकि उनका दृष्टिकोण तो मुझसे बिलकुल भिन्न है। वे ज्यादासे-ज्यादा इतना ही कर सकते है कि मेरे साथ निभाते जाये, क्योकि उनके विचारसे मुझमे त्यागका कुछ माद्दा है और जनतापर प्रभाव भी है। अब मै आपको खुले दिलसे एक निमन्त्रण देता हूँ। जब मै सेगाँव लौट जाऊँ तो आपमे से कोई या चाहे तो सब वहाँ आये और वहाँ रहकर मुझे निकटसे परखे, मेरा सारा कागज-पत्र देखे, मेरा पत्र-व्यवहार देखे, शका हो तो मुझसे सवाल पूछे और अपने इस निकट अवलोकनके बाद तय करे कि आप मेरे साथ किस प्रकारका व्यवहार रखेगे। मेरे साथ कोई छिपाव-दुराव की बात नही है। मेरा तो जीवन-कार्य यही है कि मुक्तिके साधनके प्रति अपने विचार मै एक-एक भारतवासीके सामने रखूँ और उन विचारोके प्रति उसके मनमे आस्था जगाऊँ। अगर इतना हो जाये तब तो समझ लीजिए कि पूर्णस्वराज्य हमारे माँगने-भरसे मिल जायेगा।

इसके बाद उन्होंने गांधीजी से साम्यवादी दलके वैध घोषित किये जानेकी सम्भावनाके बारेमें पूछा। उन्होंने कहा: "हम हिंसा नहीं चाहते। यह सच है कि हमने अहिंसाको अपना धर्म नहीं बनाया है। हम चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देकर भविष्यमें भी सदा अहिंसाका पालन करते रहनेको प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हैं। लेकिन फिलहाल और निकट भविष्यमें हमें हिंसाकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। इसलिए अभी तो हमारा तरीका वही है जो कांग्रेसका है। हमें फिलहाल छिपकर इसलिए काम करना पड़ता है कि हमारी संस्थापर कानूनी रोक लगा रखी है। अगर यह रोक हटा ली जायेगी तो छिपकर काम करनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी और बाकी तो हम इतना आश्वासन ही दे सकते हैं कि भविष्यमें जब भी हमें अहिंसाका त्याग करनेकी जरूरत महसूस होगी, हम वैसी खुली और स्पष्ट घोषणा कर देंगे।

गा० : अगर आपका मतलब यह है कि आप एक दलकी तरह हिंसामे विश्वास नहीं करते तो आपको साफ-साफ वैसा कहना चाहिए। मैंने आपका जितना भी साहित्य पढा है, उसमे स्पष्ट कहा गया है कि शरीर-बलका सहारा लिए बिना स्वतन्त्रता नही मिल सकती। मै जानता हूँ कि साम्यवादियोका एक ऐसा गुट है जो धीरे-धीरे अहिंसाके निकट आता जा रहा है। मै चाहता हूँ कि आप अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दे और उसमे शंका-सन्देह की कोई गुंजाइश न रहने दे। वैसे साम्यवादी साहित्यके नामसे मुझे कुछ ऐसी चीजे भी पढनेको मिली है जिनसे पता चलता है कि साम्यवादी उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए गोपनीयता, छलावरण आदिसे काम लिया जाना जरूरी ठहराया गया है — विशेषकर इसलिए कि साम्य-

वादको समस्त हिंसात्मक शक्तियोको हथियाये बैठे अपेक्षाकृत प्रबलतर पूंजीवादी दुश्मनोसे लोहा लेना है। इसलिए मै चाहूँगा कि अगर आपसे बने तो आप यह स्पष्ट कर दे कि आप इन बातोमे विश्वास नही करते।

साम्यवादी मित्रोंने गांधीजी से वादा किया कि वे अपने दलकी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्हें एक अधिकृत वक्तव्य भेजेंगे।

गा० : आप मेरी बातोंपर विचार कीजिएगा। मुझसे सम्पर्क बनाये रखिएगा। और जहाँ लगे कि मै बहक रहा हूँ वहाँ मेरी गलती सुधार दीजिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझमे अविश्वास न कीजिए। जब भी आपके मनमें कोई शका उठे, मुझे निस्सकोच बतायें और आजकी चर्चा तो हम यही छोडे। लेकिन अगर मुझे ऐसा माननेकी इजाजत दे कि हम अलग हो रहे है तो मनमें यह सकल्प लेकर कि हम एक-दूसरेको समझनेकी कोशिश करेंगे और इसी तरह हम फिर मिलेंगे तो मुझे बडी खुशी होगी।

[अग्रेजीमे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

१२९. खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान

खुदाई खिदमतगार चाहे जैसे हो और अन्तत. जैसे साबित हों, लेकिन उनके नेताके बारेमे, जिन्हें वे उल्लाससे बादशाह खान कहते है, किसी प्रकारके सन्देहकी गुंजाइश नही है। वे निस्सन्देह खुदाके बन्दे है। वे सर्वत्र उसकी जीवन्त उपस्थितिमे विश्वास रखते है और जानते है कि उनका आन्दोलन उसकी कृपासे ही प्रगति करेगा। अपने काममे उन्होने अपनी सम्पूर्ण आत्मा उँडेल दी है। परिणाम क्या होगा, इसकी इन्हे कोई चिन्ता नही है। इतना उन्होंने समझ लिया है कि अहिंसाको पूर्ण रूपसे स्वीकार किये बिना पठानोकी मुक्ति नही है और इतना समझ लेना ही उनके लिए काफी है। पठान बडे अच्छे योद्धा है, इस बातका उन्हे कोई गर्व नही है। वे उनकी बहादुरीकी कद्र करते है, लेकिन मानते है कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके लोगो ने उन्हे बिगाड दिया है। उनके पठान भाई समाजके गुण्डे माने जाये, यह वे नही चाहते। उनके विचारसे पठानोको गलत राहपर लगाकर लोगोने उनसे अपनी स्वार्थसिद्धि की है और उन्हे अज्ञानके अन्धकारमे रखा है। वे चाहते है कि पठान जितने बहादुर है उससे अधिक बहादुर बने और अपनी बहादुरीमे ज्ञानका समावेश करे। उनका विचार है कि यह काम केवल अहिंसाके सहारे ही किया जा सकता है।

और चूंकि खानसाहब मेरी कल्पनाकी अहिंसाको स्वीकार करते है, इसलिए वे चाहते थे कि मै यथासम्भव अधिकसे-अधिक समय तक खुदाई खिदमतगारोके बीच रहूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, उनके बीच जानेके लिए मुझे किसी विशेष प्रलोभन

की जरूरत नही थी। मै खुद ही उनका परिचय पानेको उत्सुक था। मै उनके हृदयमे प्रवेश करना चाहता था। पता नहीं, इसमे सफल हो पाया हूँ या नही। खैर, मैने प्रयत्न तो किया ही।

लेकिन मैने अपना काम किस प्रकार शुरू किया और क्या-कुछ किया, यह बतानेसे पहले मुझे अपने मेजबान खानसाहबके विषयमे दो शब्द जरूर कहने चाहिए। मेरी पूरी यात्राके दौरान उन्हे बराबर इस बातकी चिन्ता लगी रही कि अपने मेहमान को वे किस तरह, वहाँकी परिस्थितियोमे जहाँतक सम्भव था वहाँ तक, अधिकसे-अधिक सुख-सुविधामे रखे। मुझे किसी चीजका अभाव नहीं हो, कोई असुविधा नही हो, इसके लिए उन्होंने कुछ भी उठा नही रखा। मेरी जरूरतोंका अनुमान पहले ही लगाकर वे उन्हे पूरा कर देते थे। और उन्होने जो-कुछ किया, उसमे हलचल-जैसी कोई चीज कभी नजर नही आई। वह सब उनके लिए स्वाभाविक था। उन्होने सब-कुछ हृदयसे किया। उनमें पाखण्ड -नामको तो कोई चीज ही नही है — दिखावटीपनसे कोसों दूर। इसलिए वे किसीकी जितनी भी खातिरदारी करते है, उससे उसे कोई अटपटापन महसूस नही होता और न कभी ऐसा लगता है कि उसकी अमुक खातिरदारी ख्वामख्वाह की जा रही है। अत. जब तक्षशिलामे हमने उनसे विदा ली तो हमारी आँखे नम थी। विदाई बड़ी कठिन गुजरी। खैर, हमने इस आशा के साथ उनसे विदा ली कि अब आगामी मार्च महीनेमे हम फिर मिलेगे। सीमाप्रान्त तो मेरे लिए एक ऐसा तीर्थ स्थान रहेगा ही जहाँकी यात्रा मै बार-बार करूँगा। कारण, शेष भारत भले ही सच्ची अहिंसाका परिचय देनेमे विफल हो जाये, लेकिन ऐसा माननेका पूरा कारण दिखाई देता है कि सीमाप्रान्त उस अग्नि-परीक्षामे से सफल होकर निकलेगा। कारण सीधा-सादा है। बादशाह खानके अनुयायी, जिनकी संख्या लगभग एक लाख बताई जाती है, उनकी आज्ञाका पालन खुशी-खुशी करनेको तैयार रहते है। खानसाहब का अपना होंठ हिला देना उनके लिए काफी है। कोई आदेश उनके मुँहसे निकला नहीं कि उन्होंने उसका पालन किया। गरज यह कि खानसाहबके प्रति खुदाई खिदमतगारोके मनमे श्रद्धा तो अगाध है, लेकिन रचनात्मक अहिंसाकी कसौटीपर वे खरे उतरते है या नही, यह देखना अभी शेष है।

वैसे तो प्यारेलाल सीमाप्रान्त के दौरेका अत्यन्त यथातथ्य विवरण देते रहे है, किन्तु जो-कुछ किया गया है उसका एक संक्षिप्त विवरण मुझे भी अपने ढगसे देना ही है, भले ही इसमे कहीं-कहीं पुनरावृत्ति-दोष ही क्यो न आ जाये।

आरम्भमे ही खानसाहब और मै, दोनों इस निष्कर्षपर पहुँच गये थे कि विभिन्न केन्द्रोमे जाकर सभी खुदाई खिदमतगारोसे अपनी बात कहने के बजाय मुझे उनके अगुओ से ही बात करनी चाहिए। इससे मेरी शक्तिकी बचत होगी और उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग होगा। अनुभवसे सिद्ध भी यही हुआ। पाँच हफ्तोंके दौरान हम सभी केन्द्रोंमे गये और प्रत्येकमे हमारी चर्चा घटे-भर या इससे कुछ अधिक समय तक चली। खानसाहब तो मुझे बहुत ही समर्थ दुभाषिया लगे। और

चूंकि मैं जो-कुछ कहता था, उस सबमें उनका भी विश्वास है, इसलिए अनुवादमें वे अपनी सामर्थ्य-भर पूरा ओज भर देते थे। वे तो जन्मजात वक्ता हैं और वे बहुत ही गरिमाके साथ और प्रभावकारी ढंगसे बोलते हैं।

हर सभामें मैंने अपनी यह चेतावनी दोहराई कि यदि उन्हें ऐसा नहीं लगता हो कि अहिंसाका वरण करके उन्होंने, उनके पास अब तक जो शक्ति थी और जिसके प्रयोगमें वे परम निपुण थे, उससे लाख गुनी अधिक श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त कर ली है तो उन्हें अहिंसासे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए और जिन हथियारों को उन्होंने त्याग दिया है उन्हें फिरसे अपना लेना चाहिए। यह स्थिति कभी नहीं आने देनी चाहिए कि खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें कोई कहे कि खानसाहबके प्रभावमें वे कायर बन गये या बना दिये गये। उनकी बहादुरी उनकी अचूक निशानेबाजीमें नहीं, बल्कि मृत्युको चुनौती देने और गोलियों के सामने सीना तानकर खड़े होनेमें है। यह बहादुरी उन्हें कायम रखनी है और जब कभी अवसर आये, इसका परिचय देने को तैयार रहना है। और सच्चे बहादुरोंके लिए ऐसे अवसर अकसर अनायास ही आते रहते हैं।

मैंने उन्हें समझाया कि यह अहिंसा कोई निष्क्रिय गुण नहीं है। ईश्वरने मनुष्यको जितनी तरहकी शक्तियाँ दी हैं, उनमें यह सबसे प्रबल है। सच तो यह है कि मनुष्यकी अहिंसा ही मनुष्यको पशुसे भिन्न दिखाती है। यह गुण हर मनुष्यमें होता है, लेकिन अधिकांशमें सुप्तावस्थामें पड़ा रहता है। [अंग्रेजी का] 'नॉन-वॉयलेंस' शब्द शायद 'अहिंसा' शब्दके सम्पूर्ण अर्थका बोध नहीं कराता, और वैसे तो 'अहिंसा' में जितने अर्थ समाये हुए हैं उन सबका बोध करानेकी दृष्टिसे यह शब्द भी अपर्याप्त ही है। इसके बजाय प्रेम या सद्भाव शब्दका प्रयोग शायद बेहतर रहेगा। तो उन्हें हिंसाका उत्तर सद्भावसे देना है। और सद्भावको काम करनेका अवसर तभी मिलता है जब उसका सामना दुर्भावसे होता है। भलेके साथ भला व्यवहार करना तो बराबरका सौदा है। रुपयेके मुकाबले रुपयेका क्या महत्व है। अगर आनेके मुकाबले रुपया हो तब उसका महत्व जरूर होता है। इसी तरह सद्भाववाले आदमीकी असली पहचान तो तब होती है जब उसका मुकाबला दुर्भाववाले आदमी से होता है।

मैंने उनसे कहा कि हमें ऐसी अहिंसा या सद्भावका बरताव केवल अंग्रेजोंके साथ ही नहीं करना है, बल्कि आपसी व्यवहारमें भी हमें इसी वृत्ति से काम लेना है। अंग्रेजोंके साथ बरती जानेवाली अहिंसा तो मजबूरीमें अपनाया गया गुण भी हो सकती है और यह कायरता या कमजोरी को छिपानेवाले आवरणका रूप भी सहज ही ले सकती है। वह एक कार्य-साधक नीति भी हो सकती है और अकसर इस रूपमें इसका प्रयोग होते देखा भी गया है। लेकिन जहाँ हिंसा और अहिंसामें से किसी एकको चुननेकी हमारे सामने समान सुविधा है, वहाँ यदि हम अहिंसाको चुनते हैं तो उसे कार्य-साधक नीति नहीं माना जा सकता। ऐसे प्रसंग हमारे कौटुम्बिक सम्बन्धोंमें सामने आते हैं, आपसके सामाजिक और राजनीतिक व्यवहारमें

प्रकट होते है और न केवल एक ही धर्मके दो सम्प्रदायोंके आपसी सम्बन्धमें, बल्कि दो अलग-अलग धर्मोंके आपसी व्यवहारमे भी देखने को मिलते है। यदि हम अपने पड़ोसियो और समकक्षी लोगोके प्रति सहिष्णु नहीं है तो अंग्रेजोंके प्रति भी सच्चे अर्थमे सहिष्णु नही हो सकते। इसलिए यदि हममे सद्भाव है तो उसकी परखके प्रसंग तो लगभग रोज-रोज आते रहेगे। और यदि हम आपसी व्यवहारमे उसका सक्रिय प्रयोग करेगे तो हम व्यापकतर क्षेत्रोमे भी उसके प्रयोगके अभ्यस्त हो जायेगे और अन्तमे वह हमारे स्वभावका अभिन्न अंग बन जायेगा।

मैंने उन्हे बताया कि खान साहब द्वारा उनके लिए चुना गया नाम ही इस बातका द्योतक है कि उन्हे मानवताका कोई अहित नहीं, बल्कि केवल कल्याण ही करना है। कारण, ईश्वरको तो व्यक्तिगत सेवाकी न कोई जरूरत है और न वह किसीसे ऐसी सेवा लेता है। वह अपनी सृष्टिके प्राणियोंकी सेवा तो करता है, लेकिन बदलेमे उनसे अपने लिए कोई सेवा नहीं लेता। वह अन्य बातोंकी ही तरह इस बातमे भी सबसे अलग है। इसलिए जो खुदाका खिदमतगार है वह तो उसकी सृष्टिके प्राणियोंकी सेवा करके ही अपनेको उसका खिदमतगार साबित कर सकता है।

इसलिए खुदाई खिदमतगारोंकी अहिंसा तो उनके रोज-रोजके कार्य-व्यवहारसे प्रकट होनी चाहिए। और अपनी अहिंसाको वे इस तरह तभी प्रकट कर सकते हैं जब वे मन, वचन और कर्म, तीनो तरहसे अहिंसक हों।

और जिस प्रकार अपने रोजके व्यवहारमें पशुबल पर निर्भर रहनेवाले आदमीके लिए सैनिक प्रशिक्षण लेना जरूरी है, उसी प्रकार खुदा के खिदमतगार को भी एक निश्चित प्रशिक्षण लेना होगा। इसकी व्यवस्था १९२० की विशेष कांग्रेसके आधारभूत प्रस्तावमे ही कर दी गई है। आगे चलकर समय-समयपर उसका विस्तार भी किया जाता रहा है। जहाँ तक मै जानता हूँ, उसमे नरमी तो कभी नहीं लाई गई है। साम्प्रदायिक एकता, हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यताका त्याग, अपने घरमे हाथसे खादी तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना — जो करोड़ों आम लोगोंके साथ तादात्म्य की अनुभूतिका निश्चित प्रतीक है — और शराब तथा अन्य मादक पदार्थोंका निषेध, ये चार चीजे इस बातकी कसौटी होंगी कि कोई सक्रिय सद्भावका आचरण कहाँ तक करता है। इस चतुर्विध कार्यक्रमको आत्मशुद्धि की प्रक्रिया कहते हैं और यह देशको सजीव स्वराज्य दिलाने का अचूक साधन है। कांग्रेसी तथा देशके अन्य लोग इस कार्यक्रम पर आधे मनसे ही अमल करते रहे हैं, जिससे प्रकट होता है कि अहिंसामे या उसके दैनिक आचरणके लिए निश्चित किये गये तरीके मे अथवा दोनोंमे उनकी जीवन्त श्रद्धा नही है। लेकिन खुदाई खिदमतगारोसे अहिंसामे जीवन्त श्रद्धा रखने की अपेक्षा की जाती है और माना जाता है कि उनमे ऐसी श्रद्धा है भी। इसलिए उनसे कांग्रेसके आत्मशुद्धिके सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल करनेकी अपेक्षा की जायेगी। इस कार्यक्रममे मैंने अपनी ओर से गाँवोंकी सफाई, आरोग्यके नियमोका पालन और गाँववालोंको चिकित्सा-सम्बन्धी छोटी-मोटी सहायता देना जोड़ दिया है।

खुदाई खिदमतगारकी पहचान उसके कामोसे होगी। वह किसी गाँवमे रहे और उसको पहलेसे अधिक साफ-सुथरा न बनाये तथा ग्रामवासियोकी छोटी-मोटी बीमारियो मे उनका उपचार न करे, यह नही हो सकता। अस्पताल आदि तो अमीरी के खिलौने है और वे केवल शहरी लोगो के लाभ के लिए है। इसमे सन्देह नही कि देश-भरमे औषधालय आदि खोलनेके प्रयत्न किये जा रहे है, लेकिन उनपर खर्च इतना बैठता है कि प्रगति बहुत कठिन है। इसके विपरीत, यदि खुदाई खिदमतगार थोडा-सा किन्तु अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो गाँवोमे लोगोको जैसी बीमारियाँ होती है, उनमे से अधिकाश का इलाज वे आसानीसे कर सकते है।

मैने खुदाई खिदमतगारोके अगुओको समझाया कि सविनय अवज्ञा अहिंसाका आरम्भ नही, बल्कि उसकी चरम-परिणति है। फिर भी इस देशमे मैने अहिंसाका प्रयोग १९१८ मे उसी उलटे छोरसे आरम्भ किया। आवश्यकताओ ने मुझे मजबूर कर दिया था। देशका कोई नुकसान नही हुआ तो सिर्फ इसलिए कि सघर्षकी अहिंसक पद्धतिका विशेषज्ञ होनेका दावा करनेवाला मै यह जानता था कि अपने कदम कब वापस ले लेने चाहिए। पटनामे सविनय अवज्ञाका स्थगन उसी रण-पद्धतिका एक अग था। १९२० के रचनात्मक कार्यक्रममे आज भी मेरा विश्वास उतना ही प्रबल है जितना उस समय था। इस कार्यक्रमको ठीकसे पूरा किये बिना मै पूर्ण स्वराज्यके निमित्त सविनय अवज्ञा नही चला सकता। सविनय अवज्ञा करनेके अधिकारी तो केवल वही है जो चाहे दूसरो के बनाये या खुद अपने बनाये कानूनोका खुशी-खुशी पालन करनेका अपना कर्तव्य पहचानते है और उसे पूरा भी करते है। कानूनका पालन करनेकी यह वृत्ति उसका भग करनेके परिणामके भयसे नही आनी चाहिए, बल्कि इस विचारसे आनी चाहिए कि केवल ऊपरी मनमे नही, बल्कि पूरे हृदयसे उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। यह प्रारम्भिक शर्त पूरी किये बिना यदि हम सविनय अवज्ञा करते है तो वह नाम-मात्रको ही सविनय होगी, और वैसी अवज्ञा सबल लोगो द्वारा नही, बल्कि निर्बल लोगो द्वारा की गई अवज्ञा होगी। उस अवज्ञामे सद्भाव, अर्थात्, अहिंसा नही होगी। सविनय अवज्ञाके दिनोमे अन्य प्रान्तोके हजारो लोगोकी तरह खुदाई खिदमतगारोने भी कष्ट-सहन की क्षमताकी दृष्टिसे अपनी बहादुरीका स्पष्ट परिचय दिया था। लेकिन वह हृदयके सद्भावका निश्चित प्रमाण नही है। और कोई पठान केवल दिखावटी तौरपर अहिंसक बने, यह तो उसके पतनका ही सूचक माना जायेगा। कारण, उसे किसी भी हालतमे कमजोर होना ही नही चाहिए।

खुदाई खिदमतगारोने मेरी बाते बडी तल्लीनतासे सुनी। अहिंसामे उनकी श्रद्धा अभी तक खान साहबके आधारपर खडी है। उनकी श्रद्धाके स्रोत वही है। इसके बावजूद उनके हृदयपर राज्य करनेवाले अपने नेतापर जब तक उनकी अविचल श्रद्धा कायम है, तब तक अहिंसा मे उनकी आस्था भी जाज्वल्यमान ही है। और अहिंसामे खान साहबकी श्रद्धा कोई सतही चीज नही है। उनका सम्पूर्ण हृदय उससे ओतप्रोत है। कोई शकालु व्यक्ति चाहे तो जिस तरह मै पाँच सप्ताह तक

उनके साथ रहा उसी तरह वह भी उनके साथ रहकर देख ले। फिर कोई कारण नही कि जिस तरह सूर्यकी किरणोके फैलनेके साथ कुहासा छँट जाता है उसी तरह उसके मनकी शका भी न छँट जाये।

एक जाने-माने पठान सज्जन है, जो मेरे दौरेके आखिरी दिनोमे मुझसे मिले थे। इस दौरेकी उनके मनपर क्या छाप पड़ी, वह उन्हीके शब्दोमे देखिए:

> **आप जो-कुछ कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप बड़े चतुर हैं (पता नहीं, चतुरके बदले चालाक कहना ठीक रहेगा या नहीं)। हमारे लोग जितने बहादुर हैं, आप उन्हें उससे अधिक बहादुर बना रहे हैं। उन्हें आप शक्तिका संचय करना सिखा रहे हैं। एक हदतक अहिंसक होना तो बेशक अच्छा है। आपकी शिक्षासे वे वैसे बनेंगे भी। हिटलरने वास्तवमें हिंसाका प्रयोग किये बिना अपने हिंसामय हेतु सिद्ध करनेकी युक्तिको पूरी तरहसे साधा है। लेकिन आप तो हिटलरसे भी आगे निकल गये हैं। आप हमारे लोगोंको अहिंसाका, मारे बिना मरनेका प्रशिक्षण दे रहे हैं; सो अब अगर [पाशविक] शक्तिके प्रयोगका प्रसंग आयेगा तो वे उसका ऐसा जबरदस्त प्रयोग करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया था। मै आपको बधाई देता हूँ।**

मेरा मौन चल रहा था और उन सज्जनके मनके भ्रमको तोड़नेवाला कोई उत्तर लिखकर देनेकी मुझमे हिम्मत नही थी। मै मुस्कराकर विचारमे डूब गया। पठान मेरी शिक्षाके प्रभावसे और बहादुर बनेगे, यह प्रशस्ति मुझे अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसा एक भी दृष्टान्त याद नही है कि कोई मेरे प्रभावमे कभी कायर भी बना है। लेकिन उपर्युक्त सज्जनने जो निष्कर्ष निकाला, वह तो भयकर था। यदि अन्तिम अग्नि-परीक्षाके समय खुदाई खिदमतगार अपने-आपको उस धर्मके योग्य साबित नही करते जिसका अनुयायी होनेका वे दावा करते है तो माना जायेगा कि निश्चय ही उनके हृदयमे अहिसा नही थी। उनकी परख जल्दी ही होगी। यदि वे रचनात्मक कार्यक्रमको पूरे उत्साह और निष्ठाके साथ क्रियान्वित करेगे तो ऐसी कोई आशंका नही कि उक्त आलोचनाका पूर्वानुमान सही साबित होगा। इसके बजाय तब तो दुनिया देखेगी कि वे वास्तवमे संसारके सबसे बहादुर लोग है।

दिल्लीसे वर्धा जाते हुए रेलगाडीमे
११ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-११-१९३८

१३०. पत्र : अमृत कौरको

रेलगाडीमे (भोपाल)
११ नवम्बर, १९३८

पगली,

हाँ, जो पक्तियाँ तुमने मुझे अब भेजी है, उन्हे तुम पहले भी मेरे लिए नकल कर चुकी हो। बावला आयेगा तो मै उससे उनका पाठ कराऊँगा। उससे कह देना कि मुझे याद दिला दे।

आशा है, मेरा तक्षशिलासे लिखा पत्र[1] और फिर दिल्लीसे लिखा पत्र[2] भी तुम्हे मिल गया होगा। दिल्लीमे तो मै बड़ा व्यस्त रहा। अन्तिम क्षणतक लोगोसे मिलता रहा। लेकिन रक्तचाप बहुत ठीक रहा — १६६/१००।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८८८) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०४४ से भी।

१३१. पत्र : महादेव देसाईको

रेलगाडीमे
११ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

भोपाल निकल जानेके बाद मै यह लिख रहा हूँ। शुएब आये थे। उन्होने पूछा, महादेव कैसे है, और फिर बताया कि तुमने उनसे वादा किया है कि लौटतेमे दो-तीन दिन भोपाल रहोगे। मेरी राय है कि यदि तुम उन्हे दो-तीन दिन दोगे तो यह हर तरहसे अच्छा ही रहेगा। दुर्गा और बावलाको वहाँ बहुत-कुछ देखनेको मिलेगा ही।

सुशीलाका "बैग" रह गया था इसलिए प्यारेलाल उतर गया। वह कल पहुँच जायेगा।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. देखिए "पत्र: अमृत कौरको", पृ० १२२।

इसके साथ मीराबहन द्वारा भेजी गई तुम्हारी डाक है, जिसे मैंने खोला था, साथ ही अपने नाम लिखा पत्र भी भेज रहा हूँ।

बा मेरे साथ है। तुम्हारे लौटने तक बा की इच्छा वहीं रहने की थी। किन्तु मैंने मना लिया। नीमू आकर मिल गई। अब वह कुछ दिनोंके लिए लखतर जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८०) से।

१३२. पत्र : रामेश्वरी नेहरूको

रेलगाडीमे
११ नवम्बर, १९३८

प्रिय भगिनी,

डीसेम्बरके अंतमे देहरादूनमे कन्या गुरुकुल का वार्षिकोत्सव होता है। उस वक्त किसीको भेजनेकी मगनी आचार्य रामदेव किया करते हैं। मेरी इच्छा तो राजकुमारीको भेजनेकी थी। वह तो विमेन्स कानफरन्समे होगी। आपको भी तो जाना है लेकिन एक दिन देहराको दे सकेगी तो अच्छा होगा। शायद कन्या गुरुकुल जानती होगी। संस्था अच्छी है।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३०८१) से; सौजन्य : रामेश्वरी नेहरू। जी० एन० ७९८५ से भी।

१३३. तार : रा० स० रुइकरको[1]

११ नवम्बर, १९३८

मेरा उत्कट अनुरोध है कि आप उपवास तोड दे। वर्धा आनेपर मुझसे जो भी बन पड़ेगा सब करूँगा। तारसे उत्तर दे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-११-१९३८

१. राजनन्दगाँवमें मिल-मजदूरोंने हड़ताल कर रखी थी और २९ अक्टूबरसे ही श्री रा० स० रुइकर अनशन कर रहे थे। जब ट्रेड यूनियन काग्रेसके महामन्त्री श्री आर० डब्ल्यू० फुले इस सम्बन्धमें नागपुर स्टेशन पर गाधीजी से मिले तो गाधीजी ने उनसे यह सन्देश तार द्वारा भेज देनेको कहा।

१३४. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
[११ नवम्बर, १९३८ या उसके पश्चात्][1]

प्रिय लॉर्ड लिनलियगो,

आपका ३१ अक्टूबरका विस्तृत कृपापत्र मुझे मीराबाईने भेज दिया था। उस समय मैं सीमाप्रान्तका दौरा कर रहा था। मुझे पता था कि उसकी प्राप्ति-सूचना उसने दे दी थी। लेकिन हिसारमें संकटकी स्थितिके बारेमें आपने जिस सहृदयताका परिचय देते हुए लिखा था, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था।[2] हाँ, मुझे मालूम है कि पंजाब सरकार जो-कुछ कर सकती है, कर रही है। रेलवे-प्रणालीकी कार्य-पद्धतिके बारेमें अनजान होनेके कारण मैंने सीधे सर्वोच्च अधिकारीको पत्र लिखा था।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

वाइसराय महोदय
दिल्ली

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

१३५. बिहारमें जन-शिक्षा अभियान

डॉ० सैयद महमूद[3] ने मुझे बिहारमें जन-शिक्षा अभियानकी प्रगतिके बारेमें एक लेख भेजा है। नीचे जानकारीसे भरे उस लेखके सभी आवश्यक अनुच्छेद दिये जा रहे हैं।[4] मन्त्री महोदयसे मैं चीनमें चलाये जा रहे ऐसे ही अभियानके सम्बन्धमें लिखा डॉ० ताओका लेख[5] पढ़नेका अनुरोध करूँगा। शायद उन्हें उसमें बहुत-कुछ अनुकरणीय मिल जाये।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १२-११-१९३८

१. गांधीजी सीमाप्रान्तकी अपनी यात्रा समाप्त करके ११ नवम्बर, १९३८को सेगाँव पहुँचे थे।
२. पंजाबमें उस समय अकालकी स्थिति मौजूद थी।
३. बिहारके विकास और नियोजन मन्त्री।
४. यहाँ नहीं दिये गये हैं।
५. यह *हरिजन* के २९-१०-१९३८, ५-११-१९३८ और १९-११-१९३८के अंकोंमें प्रकाशित हुआ था।

१३६. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव
१२ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

अगाथा अभी मेरे सामने बैठी है।

शेष महादेवको लिखे पत्र[1] से जान लेना। इस डाकसे दो पंक्तियाँ तुम्हारे नाम भी चली जायें, इसलिए इतना लिख दिया है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८३९) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ७०४५ से भी।

१३७. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

१२ नवम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

किसी दिन १७ तारीखसे पहले ही, जब मेरा मौन नहीं रहेगा, आकर ३० मिनटके लिए मुझसे मिल लो। न्यासियोंकी नियुक्ति तो संयुक्त कार्रवाईका नतीजा है ही। है न?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१३९) से।

१. देखिए "पत्र : महादेव देसाईको", पृ० १३७।

१३८. पत्र : महादेव देसाईको

१२ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

बेचारी लीलाने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी थी।

मीराबहनने अपना विचार बदल दिया है। उसने सीमाप्रान्त जानेका निश्चय किया है। मैंने भी इसे पसन्द किया है। खान साहब भी तो यही चाहते थे। अब मैंने उनकी इजाजत माँगी है। यहाँका मौसम अच्छा है। अगाथा मेरे सामने बैठी है। अभी मैंने अपना मौन नही तोडा है। दो बजे टूटेगा। इटारसीसे लिखा मेरा पत्र[1] मिला होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८१) से।

१३९. पत्र : महादेव देसाईको

१३ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा दूसरा लेख मेरे पास पडा है। यह निश्चय ही मुख्य लेखके रूपमे जायेगा। तुम्हारा पहला लेख तो पडा ही हुआ है। मैं आज उसे नही निकालूँगा। अब उसे तो मैं तुम्हे यही लौटाऊँगा। मैं उसे रजिस्ट्री से नही भेजना चाहता और सामान्य डाकसे भेजते हुए मुझे डर लगता है। कोई जल्दी तो है नही। यह "सदाबहार" (एवरग्रीन) है।

वह राजेन्द्र संयुक्त प्रान्तका है। वह यहाँ चार-पाँच महीने पहले आया है। भला आदमी है। अधिक लिखनेका समय नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८२) से।

१. देखिए "पत्र महादेव देसाईको", पृ० १३३।

१४०. पुर्जा : कंचन मु० शाहको

रविवार, १३ नवम्बर, १९३८

तेरे पत्रका उत्तर तो मैं नहीं दे सका, किन्तु यदि मुन्नालाल[1] चला जाये और तुझे महिला आश्रममें न रहना हो तो तू यहाँ आ सकती है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५६४) से।

१४१. कांग्रेस और खादी

बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बंगाल और सिन्धमें पत्र लिखकर कुछ लोगोंने मुझसे कड़ी शिकायत की है कि कांग्रेस-संविधानकी खादी-विषयक धाराका जितना पालन नहीं किया जाता है, उससे अधिक भंग ही किया जाता है। इन चार प्रान्तोंके नामोंके उल्लेखसे कोई यह अनुमान न लगाये कि अन्य प्रान्तोंमें स्थिति कुछ बेहतर है। उनका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया है कि इन प्रान्तोंसे शिकायतें आई हैं। दूसरे प्रान्तोंके लोगोंने अपने यहाँ व्यापक रूपमें फैली इस बुराईकी ओर ध्यान खींचना शायद जरूरी नहीं समझा है। यह भी हो सकता है कि अन्य प्रान्तोंसे इस सम्बन्धमें लिखे पत्र अभी मेरे सामने नहीं रखे गये हैं।

पत्र-लेखकोंकी मुख्य शिकायत यह है कि नगरपालिकाओं तथा स्थानिक निकायोंके लिए उम्मीदवार नामजद करते समय कांग्रेसके पदाधिकारी इनपर खादी-विषयक धाराकी पाबन्दी लागू नहीं करते। एक पत्र-लेखकका कहना है कि खादी पहननेके कर्तव्यको इसलिए नजरअन्दाज कर दिया जाता है कि कांग्रेसके पदाधिकारियोंको खादीधारियोंमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। अगर उपयुक्त ढंगके खादीधारी लोगोंकी कमी साबित की जा सकती हो तो इन पत्र-लेखक भाईने जो बात कही है, वह इस धाराको बदलनेका कारण तो बन सकती है, लेकिन इसके आधारपर कांग्रेसके नियमोंको जान-बूझकर तोड़ा जाये, यह तो निश्चय ही नहीं हो सकता। एक पत्र-लेखकने इस धाराको नजरअन्दाज करनेवालेको यह दलील देकर सही साबित किया है कि स्वराज्य और खादीमें कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात भी संविधानमें परिवर्तन करनेका कारण तो हो सकती है, लेकिन उसकी धाराओंकी उपेक्षा करनेका आधार नहीं बन सकती। हर कांग्रेसी एक सम्भावित सत्याग्रही है। सविनय अवज्ञाके अधिकारी केवल वही लोग हैं जो अपने राज्यके कानूनोंका पालन

१. मुन्नालाल जी० शाह, कंचन शाहके पति।

खुशी-खुशी करनेका कर्तव्य निभाते है; और खासकर जब वे कानून उनके अपने ही बनाये हुए हो तब तो इस कर्तव्यका निर्वाह और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सविधान की धाराओको जान-बूझकर तोडकर काग्रेसी लोग भारी खतरा मोल ले रहे है।

फिर, क्या खादी और स्वराज्यमे परस्पर कोई सम्बन्ध नही है? काग्रेस-सविधानमे खादी-विषयक धारा दाखिल करनेवाले काग्रेसी क्या इतने मूढमति थे कि जिस भ्रातिको कुछ आलोचक सहज ही समझ गये है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नही गया? मैने निस्सकोच कहा है और यहाँ फिर बेझिझक कहता हूँ कि खादीके बिना करोडो भूखे, नगे और अशिक्षित स्त्री-पुरुषोको कभी भी स्वराज्य नही मिल सकता। यदि कोई बराबर खादीका ही उपयोग करता है तो यह इस बातका द्योतक है कि वह देशके गरीबसे-गरीब लोगोके साथ तादात्म्यका अनुभव करता है और उसमे इतनी देशभक्ति और त्यागकी वृत्ति है कि वह खादी पहने, भले ही खादी देखनेमे उतनी चिकनी और चमकदार न हो और न उतनी सस्ती ही हो जितना कि विदेशी कपडा होता है।

लेकिन आज जबकि काग्रेसियोके बीच अराजकता और मनमाने आचरणका बोलबाला है, मेरी दलीलका शायद उसमे से बहुत-से लोगोपर कोई असर न हो। मेरी फाइलोमे कुछ ऐसे पत्र भी पडे हुए है जिनमे तथाकथित काग्रेसियोके भ्रष्टाचारके और भी प्रमाण दिये गये है। एक पत्र-लेखकका कहना है कि जाली सदस्योकी सख्या तो बहुत बडे पैमाने पर बढ रही है। उडीसासे यह आवाज उठाई गई है कि सदस्य बनानेके उद्देश्यसे काग्रेसी झूठके प्रचारमे भी नही झिझकते। कलकत्तासे एक भाईने लिखा है कि ऐसे मूल सदस्य भी है जिन्होने अपने चन्दे नही दिये है। पूछनेपर उनसे जवाब मिलता है कि हर साल चार आने देनेमें वे असमर्थ है। पत्र-लेखकने क्षुब्ध होकर लिखा है कि यही लोग न जाने कितने चार आने हर वर्ष सिनेमा देखनेमे बर्बाद कर देते है। मगर मै जो बात कहना चाहता हूँ वह यह नही है कि ये लोग दे तो सकते है लेकिन देते नही। मै तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होने अपने चन्दे नही दिये है तो वे काग्रेसी नही है और सदस्योकी सूचीसे उनके नाम काट दिये जाने चाहिए। सयुक्त प्रान्तके एक भाईका कहना है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार तो काग्रेसका नाम डुबा रहे है। उनका कहना है कि अपने या अपने सगे-सम्बन्धियोके स्वार्थोकी सिद्धिके लिए काग्रेसी लोग कलक्टरों तथा अन्य अधिकारियो पर अपने प्रभावका उपयोग करके सब तरहके अन्याय कराते है। उन्होने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी उनके दबावमे न आये, इतनी शक्ति उनमें नही है। जब अग्रेज अधिकारियोके निर्देशपर सरकारी नौकर गलत काम किया करते थे और तब जैसी बुराई मौजूद थी, आजकी यह बढती हुई बुराई शायद उससे भी बदतर साबित हो। अगर सच हो तो यह आरोप सबसे बुरा है। सयुक्त प्रान्तकी सरकार और काग्रेसकी प्रान्तीय उच्च सत्ताको इस सम्बन्धमे बारीकीसे जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। बल्कि सच तो यह है कि यहाँ मैने जितनी

भी अनियमितताओं और दोषोंका जिक्र किया है, उनके सम्बन्धमे कार्य-समिति तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोको पूरी सावधानीके साथ- तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। काग्रेसमे जो अनियमितता और दोष घुस आये है, उन्हे यदि दूर नही किया जाता तो इस संस्थाके पास आज जो शक्ति है, उससे यह वंचित हो जायेगी और जब देशके सामने असली सघर्षको घड़ी आयेगी, उस समय यह उन अपेक्षाओंको पूरा नही कर पायेगी जो इससे की जाती है।

सेगाँव, १४ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-११-१९३८

१४२. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव

१४ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तो यही मानना चाहूँगा कि तुम्हारे कलके पत्रको मैंने गलत समझा। मैंने तो यही समझा कि तुमने एक गहरा घाव कर दिया है, लेकिन इससे तुम्हारे प्रति मेरे प्रेममे और गहराई ही आई। मेरा प्रेम ऐसे तूफानो और गलतफहमियोको झेलनेकी सामर्थ्य रखता है। मुझे दु:ख था और है तो इसी बातका कि मेरी प्रतिक्रियामे तुम्हारे मनको चोट पहुँची। प्रेम-भाजन द्वारा किये गये घाव कभी स्थायी नही होते। ऐसे घाव तो लगते ही तुरन्त भर भी जाते हैं। यदि वे नही भरे तो इसका मतलब यह होगा कि मेरे प्रेममे पहले-जैसी क्षमता नहीं रही। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अब तुम तो अपनी भूल और आस्थाकी कमीपर या तुम्हारे पत्रमे से, जो तुम्हारा कभी आशय नही था, ऐसा अर्थ निकालनेकी मेरी मूर्खतापर हँस कर बात खत्म करोगी। तो इस आई-गई हो जानेवाली बातपर तुम्हे अपने मनको दु:खी नहीं रखना है।

यह तो समझ गया कि आर्यनायकम द्वारा बुलाई गई बैठकमे तुम नहीं आ सकती थी। लेकिन आशा करनी चाहिए कि अगले साल तुम्हारा कार्यक्रम ज्यादा व्यवस्थित रहेगा।

त्रावणकोर-शिष्टमण्डलके कार्योंके बारेमे तो तुम्हे लिखूँगा ही।

सप्रेम,

योद्धा

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५०) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ६४५९ से भी।

१४३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

१४ नवम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

क्या तुम कल आ सकते हो? अपनी रचना लेते आना और खाना यहीं खाना, हालांकि मेरे साथ नहीं। तुम मुझसे पहले या बादमें खाना, ताकि जो खाना मैं साढ़े दस बजे या उसके आसपास खाता हूँ, वह खाना जब मेरा चल रहा होगा तब पूरे समय तक तुम मुझसे अपनी बात कहते रह सको। अपने कामके लिए तुम कोई एक शान्त-एकान्त कोना चुन सकते हो।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

त्रावणकोर-शिष्टमण्डलकी फिक्र मत करना।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४०) से।

१४४. पत्र : महादेव देसाईको

१४ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

वल्लभभाई आज आ गये। राजकोटका मामला काफी उलझ गया है।[1] किन्तु जब तक उनके ग्रह सीधे हैं तब तक बिगड़ते जान पड़नेवाले काम भी बन जायेंगे। मणि अपना जौहर दिखा रही है।[2] मैंने ऐसी दूसरी लड़की नहीं देखी।

तुम्हारा दूसरा लेख आज आ रहा है। 'हरिजन' के लिए जिस लेखको रद कर दिया था वह मैं तुम्हींको दूंगा। तुम्हारा जो लेख आज मिला है उसे मैं देख जाऊँगा। चन्द्रशंकर काफी बीमार है। मेरे मनमें डर बैठ गया है।

१. राजकोटके लोगोंने ठाकुर धर्मेन्द्रसिंह और उनके दीवान वीरावालाकी तानाशाहीके विरुद्ध एक आन्दोलन चलाया था। रियासतके नेतागण वल्लभभाई पटेलसे सलाह-मशविरा लेते रहते थे और दूसरी ओर पटेलका पथ-प्रदर्शन गांधीजी कर रहे थे।

२. मणिबहन पटेलने रियासतके गाँवोंका दौरा किया था और "किसानों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनमें उन्हें प्रोत्साहन दिया था"।

यह मानकर कि खान साहबकी अनुमति मिल जायेगी, मीराबहन सीमाप्रान्त जानेकी तैयारी कर रही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मीराबहनने मुझे दो चीजें दिखाईं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम दोनोंको समझ जाओगे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८३) से।

१४५. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव
१४ नवम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

तेरे दोनों पत्र मिल गये हैं। यदि मैं तुझे अपने द्वारा की गई मेहनत [के प्रमाणमें] उसकी सभी नकलें भेज दूँ तो तू मुझे प्रथम स्थान देगा। किन्तु तू इतना ही काफी मान कि जो-कुछ मुझसे हो सकता था, वह सब मैंने किया। आखिरकार मुझे इसके साथ भेजा जा रहा उत्तर मिला। रामचन्द्रन कल आ रहे हैं और मैं फिर प्रयत्न करूँगा। मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। किन्तु सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि उनसे खुलकर बात नहीं हो सकती। इसे छिपाया ही नहीं जाना चाहिए। इस मामलेमें सरस्वती स्वतन्त्र है। सभी बालक स्वतन्त्र हैं। तूने जो पत्र माँगा था वह भी इसके साथ लौटा रहा हूँ। तू बेचैन मत हो। धीरज रख। मैं अपनी तरफसे हर तरह प्रयत्न करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नक़ल (सी० डब्ल्यू० ७३५२) से; सौजन्य : क़ान्तिलाल गांधी।

१४६. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
१५ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

अतातुर्कके बारेमे तुम्हारी बाते बिलकुल सही है। उनके परदा-प्रथाको समाप्त करनेके प्रयत्नोके बारेमे तुम एक खुला पत्र क्यो नही लिखती?

अगाथा शायद ज०[1] के लौटने तक यही रहेगी। उसका बड़ा अच्छा चल रहा है। सभी बातोपर हम सुविधासे चर्चा कर रहे है।

तो म०[2] १९ तारीखको तुमसे विदा ले रहा है। तुमने जितने स्नेहसे उसकी देख-भाल की, उसपर तो वह आह्लादित है। त्रावणकोरका शिष्टमण्डल अब आने ही वाला है। इसलिए इसे समाप्त करता हूँ।

सप्रेम,

योद्धा

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४६० से भी।

१४७. पत्र : महादेव देसाईको

१५ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

न० से सम्बन्धित तुम्हारी टिप्पणी मै पढ गया। यह तो कही भी भेजने लायक नही है। इसलिए नही कि उसमे दिया तर्क ठीक नही है बल्कि न० को उतना महत्व क्यो दिया जाये? हम उनके विचारोसे परिचित है। इसके अतिरिक्त उन्हे उत्तर देनेका मतलब है फूसमे लुकाठी लगाना। न० का नाम प्रकाशित करनेमे क्या लाभ है? उनके तर्कोकी विवेचना करके परोक्ष रूपसे उत्तर दिया जा सकता है जैसाकि मै करता हूँ। यह काम मै कर सकता हूँ किन्तु उनके तर्कोमे उतना दम नही है। तुमने जो प्रमाण उद्धृत किये है उनका उपयोग किया जा सकता है। मै देखूंगा क्या किया जा सकता है। इसलिए मै उक्त लेख वापस नही भेज रहा हूँ। तुम्हे इसीको आखिरी पत्र मान लेना चाहिए। हालाँकि मै कल भी लिखूंगा अवश्य, किन्तु यदि

१. जवाहरलाल नेहरू।
२. महादेव देसाई, देखिए "पत्र: अमृत कौरको", पृ० १४९।

तुम रवाना हो चुके होगे तो राजकुमारी इसे आगे भेज देगी। इसलिए मैं फिलहाल अन्य चीजें नहीं भेज रहा हूँ। मैं यह मान लेता हूँ कि यदि तुम वहाँसे १९ को रवाना होगे तो २१ की साँझको यहाँ पहुँच जाओगे।

मडगाँवकर कल आ रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८४) से।

१४८. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
१५ नवम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

रा० से मेरी बात हुई। वे तो सब जानते हैं। पहले-पहल यह बात उन्होंने अपने पितासे सुनी थी। रामने पूरी तरहसे जाँच-पड़ताल तो नहीं की किन्तु जितनी की है उसके आधारपर उन्हे लगता है कि इस बातमे कोई सचाई नहीं है। पा० ने इस बातसे साफ इन्कार किया है और उसका कहना है कि स्वयं उसे अपराधी माननेपर ही प० को अपराधी माना जा सकता है। उसका कहना है कि स० ने जो-कुछ देखा वह सब वहमसे भरा हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि वे इसके बावजूद और भी जाँच-पड़ताल करेंगे और मुझे लिखेंगे। स० के बारेमें मुझे तनिक भी चिन्ता नही करनी चाहिए। ऐसी स्थितिमें मैं तो बिलकुल लाचार हो गया हूँ। यदि स० ने ऐसी भूल न की हो तो उसे साहसपूर्वक जो-कुछ हुआ हो उसका पूरा विवरण देना चाहिए, जैसाकि देवदासने मणिलालके बारेमें किया था। अब मैं तुझे यह सलाह दूंगा कि इस मामलेमें तुझे और नही पड़ना चाहिए। तू चिन्ता मत कर। रा० ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे स० का बाल बाँका नही होने देंगे। अब वह अपने नाना-नानीके साथ रहेगी। मुझे लिखती रहेगी। और अन्तमें मैं जो निर्णय दूंगा, उसे स्वीकार करेगी।

तुझे मेरी यह भी सलाह है कि तू रा० को लिख। तू यदि मेरी मार्फत लिखे तो भी अच्छा है। यदि तू तटस्थ रहते हुए शान्तिपूर्वक काम लेगा तो सचाई सामने आ जायेगी और तू स० को भी बचा सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

फिलहाल तो बहुत-से शिष्टमण्डल हैं इसलिए मुझपर कामका काफी बोझ है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३५३) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१४९. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

सेगाँव

१५ नवम्बर, १९३८

चि० प्रेमा,

बहुत दिनो बाद तेरा पत्र देखनेको मिला। तू जहाँ जाती है वही तुझे यश मिलता है तो इसमे आश्चर्य क्या है?

पटवर्धन जब चाहे तब आ सकते है। कुटुम्बका जंजाल कठिन समस्या है। बीमारियाँ और दुर्घटनाएँ होती ही रहती है। तुझे तो बीमार पडना ही नही चाहिए। इसका सुनहला उपाय सभी मामलोमें मर्यादाका पालन करना है।

तू खुशीसे अपनी नई सहेलीको साथ ला सकती है।

किशोरलालने मुझसे भी बात की थी। मै स्वयं तो पुस्तक[1] नही पढ सका किन्तु जिस पत्रका[2] विरोध किया गया है वह मैने पढ लिया है। विरोधमे मुझे कोई सार नज़र नही आया। इसके छपनेसे मुझे कोई हानि पहुँचना सम्भव नही है। हानि तो मुझे तब पहुँचेगी जब मै करने योग्य काम न करूँ और न करने योग्य करूँ। इसलिए [पुस्तक या उसका कोई अंश] वापस लेनेकी कोई बात नही उठती। उनमे एक ही पत्र ऐसा है जिसे प्रकाशित करनेकी शायद मै अनुमति न देता और सो भी आजके समाजके रंग-ढंगको देखते हुए।

हालाँकि मै यह मानता हूँ कि तूने छपवानेमे पूरी सावधानी बरती थी।

किशोरलालने जो-कुछ लिखा है वह शुद्ध भावनासे लिखा है।[3] तू उसका बुरा मत मानना। उन्हे विनम्रतापूर्वक अपना स्पष्टीकरण दे देना।

मै अच्छा हूँ।

खानसाहबने एक स्वयंसेविका की माँग की है। मेरी जबानपर तेरा नाम आ गया था, किन्तु मै तुझे अपने वर्तमान कामसे हटाना नही चाहता। इसलिए फिलहाल तो तुझे भेजनेका विचार छोड़ दिया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ६८३६) से; सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक। जी० एन १०३९७ से भी।

१. गांधीजी द्वारा प्रेमाबहनको लिखे गये ९० पत्रोंके संकलनका मराठी अनुवाद *वात्सल्याची प्रसाददीक्षा* के नामसे प्रकाशित हुआ था।

२. २१-५-१९३६ का पत्र; देखिए खण्ड ६२, पृ० ४६१-३।

३. पुस्तकको लेकर जो हंगामा उठ खड़ा हुआ था उससे किशोरलालको बहुत दुःख हुआ था और उससे परेशान होकर उन्होंने प्रेमाबहनको एक कड़ा पत्र लिखा था।

१५०. बातचीत : त्रावणकोर राज्य कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ[1]

१५ नवम्बर, १९३८

मुझे तो ऐसी खबरें मिली है कि त्रावणकोरमे बहुत बडे पैमानेपर हिंसात्मक घटनाएँ हुई है। दूसरी ओर राज्य-काग्रेसके अधिनायकोने मुझे तार देकर बताया है कि ऐसी कोई हिंसात्मक घटना नही हुई है जिसकी जिम्मेदारी उनपर हो और जो भी हिंसा हुई है वह सत्ताधारियोंकी प्रेरणापर हुई है। ऐसी शिकायत भी की गई है कि राज्य-कांग्रेसके सदस्योने छिपे तौरपर हिंसाकी ताईद की है, यद्यपि उनपर हिंसाकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि यदि भीड़ने हिंसासे काम लिया है तो उसे भड़कानेमे चाहे जिसका हाथ हो, उससे इतना तो प्रकट होता ही है कि जनतापर राज्य-काग्रेसका पर्याप्त नियन्त्रण नही है। ऐसी हालतमे सविनय अवज्ञा स्थगित कर देनी चाहिए, और मैंने स्वयं भी ऐसा कई बार किया है। मै यह स्वीकार करता हूँ कि कथित हिंसात्मक घटनाओमे से अधिकांश उस समय घटित हुई जब आप जेलके सीखचोमे बन्द थे। मै यह भी मानता हूँ कि आपको जनताको अनुशासनकी शिक्षा देनेका अवसर नही मिला। आपके इस विचारसे भी मै पूर्णत. सहमत हूँ कि लड़ाई सिर्फ सत्ताधारियोसे कुछ रियायते प्राप्त करनेके लिए नहीं, बल्कि सच्ची जिम्मेदार सरकारकी स्थापनाके लिए होनी चाहिए। लेकिन, मेरी दृष्टिमे तो इस सबका मतलब यही है कि आपको जनसाधारणके बीच बहुत-सा प्रारम्भिक कार्य करनेकी जरूरत है। आपको अपना निर्माण-कार्य नीवसे ही तो शुरू करना है।

आपका कहना है कि आपके विचारसे दीवानके हट जानेसे आपके आन्दोलनको बड़ा लाभ होगा, क्योकि वही आपके रास्तेमे मुख्य बाधा है। अगर इन आरोपोपर आपका आग्रह बना रहता है तो आपको इन्हे सिद्ध करनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरी रायसे तो इससे होगा यह कि एक बिलकुल ही व्यक्तिगत मामला प्रमुखता प्राप्त कर लेगा और फलत. जिम्मेदार सरकारका प्रश्न पृष्ठभूमिमे चला जायेगा। इसे तो मै दुश्मनके हाथमे खेलना मानता हूँ। और ऐसा करके आप जनताको नेतृत्व भी गलत ही देगे। यदि इन आरोपोकी सचाईमे आपका विश्वास है तो मै आपसे इन्हें कोई इसलिए वापस लेनेको नहीं कह रहा हूँ कि ये सच्चे नही है। उन्हें वापस लेनेको मै इसलिए कहता हूँ कि आपके सामने

१. प्यारेलाल नैयरके "व्हाय द विदड्रॉअल" शीर्षक लेखसे उद्धृत। शिष्टमण्डल गांधीजी से सेगाँवमें मिला था और जो-कुछ यहाँ दिया गया है, वह लेखकके अनुसार बातचीतका सार है।

इससे बहुत बड़ा सवाल पड़ा हुआ है। बड़ी बातमे छोटी बात तो अपने-आप आ ही जाती है। दीवानके हटा दिये जानेसे तो आपको उत्तरदायी शासन मिलनेवाला है नही। ऐसी हालतमे तो कोई चतुर दीवान यह भी कर सकता है कि कुछ समयके लिए अपनी इच्छासे हट जाये और तूफानके गुजर जाने तक खुद पृष्ठभूमिमे ही रहकर अपने एवजमे रखे गये किसी दीवानके माध्यमसे आन्दोलनको कुचल देनेका प्रयत्न करे। ऐसी बाते पहले भी हुई है और आगे भी होगी। इसके विपरीत उत्तरदायी सरकारमे जनेच्छाके अनुसार दीवान वगैरहको हटानेकी सत्ता भी शामिल है। इसलिए आप अपने आरोपमे रंच-मात्र भी कमी किये बिना यह कह सकते है कि आप इनकी सत्यता सिद्ध करने आदिमे अपनी शक्ति नष्ट नही करना चाहते। आपके सामने दो रास्ते है और दोनो सर्वथा उचित है। अब इनमे से किसी एकको आपको चुनना है। अपने यहाँके लोगोके मनकी वृत्तिको आप ही ज्यादा अच्छी तरह जानते होगे। हो सकता है कि वह ऐसी हो कि दीवानके हटाये जानेका आन्दोलन चलाकर ही इस सघर्षको सबसे अच्छी तरह आगे बढाया जा सकता। लेकिन, जहाँ तक खुद मेरी बात है, स्थितिपर सब तरहसे विचार करनेपर मेरा मन तो यही कहनेको होता है कि यह कड़वा घूंट पीकर आपको अपनी पूरी शक्ति इस प्रयत्नमे लगानी चाहिए कि सत्ताकी बागडोर आपके हाथोमे आ जाये।

लेकिन इन आरोपोके बारेमे आप चाहे जो तय करे, मै यह सलाह जरूर दूंगा कि अभी तो आप सविनय अवज्ञा फिरसे आरम्भ न कीजिए। पहले आपको अपना घर-द्वार ठीक-ठाक कर लेना चाहिए। अगर आपके मनमे विशुद्ध अहिंसाका विचार होगा तो आप ऐसा नही कहेगे कि "हमे अवसरका लाभ उठाना चाहिए और आज जबकि जनशक्तिमे ऐसा उफान आया हुआ है, हमे अपनी उपलब्धियोको स्थायी बना लेना चाहिए।" जो शक्ति पैदा हुई है उसे यदि आप विवेकशून्य होकर ऐसी ही बातोमे नष्ट कर देगे तो आप सत्ता प्राप्त नही कर पायेगे। यह रास्ता खतरनाक है। यदि आप इस रास्तेपर चलेगे तो वास्तवमे उन राजनीतिक षड्यंत्र-कारियोका ही मार्ग प्रशस्त करेगे, जो हो सकता है स्थितिसे लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करने लगे। इसलिए मेरी तो सलाह है कि आप धीरे-धीरे आगे बढे और इस क्रममे सभी उलझे-बिखरे सूत्रोको अपने हाथोमे समेटते जाये। रचनात्मक कार्य और अहिंसाका प्रशिक्षण लेकर आप अपने-आपको एक सुसंगठित और अनुशासित समुदाय बनाये। अब त्रावणकोरके अन्दर और बाहर लोकमतको सही ढंगसे तैयार किये बिना एक भी कदम आगे बढनेकी कोशिश करना आपके लिए मुनासिब नही होगा।

हो सकता है, ऊपरसे देखनेमे रचनात्मक कार्य और अहिंसाके बीच कोई सम्बन्ध नजर न आये, लेकिन यदि रचनात्मक कार्य अहिसात्मक कार्यक्रमके अंगके रूपमे हाथमे लिया जाता है तो ऐसा कोई आन्तरिक सूत्र जरूर है जो इन दोनोको जोड़ता है। उदाहरणके लिए, राष्ट्रीय झण्डेकी परिकल्पना एकता, शुद्धता और अहिंसाके प्रतीकके रूपमे की गई। इसे जो एक विशेष महत्व और अर्थ प्राप्त है वह, हमने अपने अहिंसात्मक कार्यक्रममे इसे जो स्थान दिया है, उसकी बदौलत ही प्राप्त है। अपने-

आपमें तो इसमें कोई खूबी नहीं है। इसलिए अपने रचनात्मक कार्यक्रमको क्रियान्वित करते समय आपको अपने मनमें अहिंसाका खयाल बराबर बनाये रखना चाहिए।

फिर, मैं यह भी कहूँगा कि विद्यार्थी तो इस संघर्षके सविनय अवज्ञा वाले हिस्सेसे अलग ही रहे और उनके बीच कोई प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। स्कूलके विद्यार्थियोंसे ऐसा काम करनेको कहना उचित नही है। यह दुर्बलताकी निशानी है। यह तो अपने माता-पिताके लिए बच्चोंसे कष्ट सहन करनेको कहने-जैसा है।

लेकिन विद्यार्थी चरखा चलाने और रचनात्मक कार्यक्रमके अन्तर्गत आनेवाले दूसरे कार्योंमें निपुणता प्राप्त करके इस संघर्षमें भाग ले सकते हैं और उन्हें लेना भी चाहिए। ठीक यही काम आज चीनी विद्यार्थी कर रहे हैं, जबकि उनका देश जापानसे लोहा ले रहा है। चीनी विद्यार्थी अपने नव-शिक्षण कार्यक्रमके द्वारा चीनी संस्कृतिके मूल तत्वोंकी रक्षा करनेमें सन्नद्ध है। वे एक ऐसी राष्ट्रीय भावना तैयार करनेमें मदद दे रहे हैं जो सदा अपराजेय रहेगी, चाहे लड़ाईके मैदानमें चीनियोंको जय-पराजय जो भी मिले।

ब्रिटिश भारतके सत्याग्रह-संघर्षके दो पहलू थे — सरकारके साथ अहिंसात्मक असहयोग और लोगोंमें पारस्परिक सहयोग। इन दोनों पहलुओंको सदा ध्यानमें रखना चाहिए। जो रचनात्मक कार्यक्रम मैंने आपके सामने रखा है, उसके लिए यह जरूरी है कि सभी वर्गोंके लोगोंमें आपसमें पूर्ण सहयोग हो। इसलिए आप पुलयों और परियोंके बीच जाकर उनसे भाईचारा कायम करें और उन्हें देश-भाई और बराबरके लोग मानते हुए उनसे अनुरोध करें कि वे ब्राह्मण, इजवा, ईसाई तथा अन्य लोगोंके कंधेसे-कंधा भिड़ाकर इस पवित्र संघर्षमें अपना यथेष्ट योग देनेके लिए आगे आयें। आप सबको एक होकर काम करना है। यदि आप एक भी वर्ग या समुदायको इस संघर्षसे बाहर छोड़ेंगे या उसको नाराज करेंगे, तो निश्चय ही उससे आपका तेज नष्ट होगा और आपके संघर्षको हानि पहुँचेगी।

फिर आता है मद्य-निषेधका काम। अभी आप धरना तो नहीं दें, लेकिन शराबी लोगोंके घरोंमें जाकर उन्हें समझायें-बुझायें अवश्य। यदि इसका कोई स्पष्ट परिणाम तत्काल सामने न आये तो भी इससे आपके संघर्षको एक नैतिक आधार प्राप्त होगा और उससे अधिक शक्ति तथा गति आयेगी।

त्रावणकोरके स्त्री-पुरुष दोनोंकी आदतें कितनी सादी हैं। वे सफेद कपड़े पहनते हैं और वहाँ सर्दी-गर्मी इतनी नहीं पड़ती कि उससे बचावके लिए उन्हें ज्यादा कपड़े की जरूरत हो। अपनी जरूरतकी पूरी खादी वे आसानीसे तैयार कर सकते हैं। त्रावणकोरको बाहरसे गज-भर भी कपड़ा मँगानेकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो खादी मँगानेकी भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक-एक चरखा तो सभी घरोंमें होना चाहिए।

और खादीका सम्बन्ध मुक्तिसे जोड़ना चाहिए। जब तक आप कातते रहें आप अपनी जरूरतोंकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीयकी जरूरतोंकी ही सोचें। आप मनमें यह कहते रहें, 'मैं तो अपने पूरे राष्ट्रको कपड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि वह नंगा

है और यह काम मुझे अहिंसक ढंगसे करना है।' हर तार निकालनेके साथ आप अपने मनमें यह खयाल करें कि हम तो स्वराज्यके तार निकाल रहे हैं। जरा अपने मनकी आँखोंके सामने इसी भावसे इस कार्यमें एकसाथ लीन लाखों लोगोंकी तसवीर लाकर तो देखिए। क्या आपकी कल्पनाकी आँखें नहीं देख रही हैं कि स्वराज्य आपके दरवाजेपर दस्तक दे रहा है?

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१-१९३९

१५१. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
१६ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

तुम ऐसा क्यों कहती हो कि महादेवके तुम्हारे यहाँसे चले आनेके बाद तुम्हें मुझे पत्र नहीं लिखना होगा (मैं समझता हूँ तुम्हारा मतलब इतने नियमित रूपसे लिखनेसे है)? अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं तो बेशक यह चाहता हूँ कि तुम मुझे नियमित रूपसे लिखा करो। हो सकता है, मैं तुम्हें इस प्रकार न लिख सकूँ। किन्तु यह छूट तो तुम मुझे बराबर देती रही हो।

मुझे उम्मीद है कि उसके चले आनेके बाद तुम्हें एक तरहसे थोड़ा आराम तो मिलेगा ही। उसका वहाँ रहना तुम्हारे लिए प्रसन्नताका विषय तो जरूर था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम्हें बराबर उसकी फिक्र करनी पड़ती थी और उसकी देख-भालमें काफी शक्ति भी खर्च करनी पड़ती थी।

त्रावणकोरके शिष्टमण्डलको तो आज निबटा दिया। वे मुझे अच्छे लोग जान पड़े। दीवानके खिलाफ अपने आरोप वापस लेनेमें उन्हें वास्तवमें कठिनाई है। लेकिन उन्होंने मुझे अन्तिम रूपसे कोई उत्तर नहीं दिया है। वे सारा पक्षापक्ष अपनी कार्य-समितिके समक्ष रखेंगे और तब कोई अन्तिम निर्णय करेंगे। कितना अच्छा होता, अगर बातचीतके दौरान तुम भी उपस्थित रहती। मैंने उनको चार घंटे दिये। रामचन्द्रन अभी यहीं है।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

यह पत्र पहुँचने तक अगर महादेव वहीं हो तो उससे कहना कि हो सके तो वह एक-दो दिन भोपालमें लगाये।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९०) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ७०४६ से भी।

१५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव
१६ नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है, इन समुद्र-यात्रासे तुम्हें और इन्दुको भी लाभ हुआ होगा। मैं २० तारीखके आसपास तुम्हारे वर्धा आनेकी आशा कर रहा हूँ। लेकिन कहनेकी जरूरत नही कि उससे पहले भी तुम जितनी जल्दी चाहो, आ जाओ। यहाँ तुम्हें बड़ी कठिन समस्याओंके समाधानमें लगना होगा।

तुम दोनोंको प्यार।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१५३. राजकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्यका मसविदा[1]

[१९ नवम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

१. यह देखते हुए कि पिछले कुछ महीनोंमें हमारे लोगोंने, जिन्हें वे अपनी शिकायतें मानते हैं, उनके निवारणके लिए शोचनीय कष्ट सहे हैं और उनके बारेमें लोक-भावना बढ़ी है, तथा पूरी परिस्थितिपर परिषद् और श्री वल्लभभाई पटेलके साथ विचार-विमर्श करनेके बाद, हम यह समझ गये हैं कि वर्तमान संघर्ष और कष्ट तुरन्त खत्म होने चाहिए।

२. हमने दस सज्जनोंकी, जो हमारी रियासतके नागरिक या सेवक होने चाहिए, एक समिति नियुक्त करनेका फैसला किया है। उनमें से तीन रियासतके अधिकारी और सात हमारी रियासतके नागरिक होंगे, जिनके नाम बादमें घोषित किये जायेंगे। इस समितिका अध्यक्ष ठाकुर साहब द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा।

१. वल्लभभाई पटेलके साथ बातचीत करनेके बाद राजकोटके ठाकुर साहब धर्मेन्द्रसिंहने २६ दिसम्बरको इस मसविदेपर हस्ताक्षर किये थे।

२. देखिए "पत्र : वल्लभभाई पटेलको", पृ० १५२, जिसमें गांधीजी ने बताया है कि वक्तव्यका मसविदा उन्होंने तैयार किया था।

३. यह समिति, समुचित अन्वेषणके बाद, जनवरीके अन्त तक एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें हमसे सुधारोंकी एक ऐसी योजनाकी सिफारिश की जायेगी जो, अधिराजके प्रति हमारे दायित्व और राजाके रूपमें हमारे परमाधिकारोंसे संगति रखते हुए, हमारी प्रजाको यथासम्भव अधिकसे-अधिक व्यापक अधिकार देगी।

४. हमारी यह इच्छा है कि हमारी निजी राशि अबसे नरेन्द्र मंडलके परिपत्रमें निर्धारित ढंगसे नियमित हो।

५ हम अपनी प्रजाको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूर्वोक्त समिति हमारे आगे जो योजना रखेगी, हम उसपर विचार करने और उसे कार्यान्वित करनेका इरादा रखते हैं।

६. यह मान लिया गया है कि शान्ति और सद्भावनाकी पुनः स्थापनाके लिए, एक आवश्यक उपक्रमके रूपमें, सारा अवैधानिक आन्दोलन तुरन्त रुक जायेगा। इसलिए इसके द्वारा हम सभी राजनैतिक बन्दियोंको पूरी माफी देते हैं और उन्हें फौरन रिहा करने, तमाम जुर्माने खत्म करने और सभी दमनकारी कार्रवाइयाँ वापस लेनेका आदेश देते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-२-१९३९

१५४. सेलम जिलेमें मद्य-निषेध

अन्नामलाई विश्वविद्यालयके सिंडीकेटने श्री सी० जगन्नाथचारीको प्रोफेसर वी० वी० नारायणस्वामी नायडूके मार्ग-दर्शन और निर्देशनमें सेलम जिलेमें मद्य-निषेधकी समस्याका अध्ययन करनेका काम सौंपा था। इस अध्ययनके आधारपर तैयार की गई रिपोर्टका सार मुझे भी भेजा गया है। नीचे उसके कुछ अंश दे रहा हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-११-१९३८

१. यहाँ नहीं दिये गये हैं।

१५५. तार: अमृत कौरको

वर्धा
१९ नवम्बर, १९३८

राजकुमारी अमृत कौर
मैनरविला
शिमला वेस्ट

आशा है, उदासी दूर हो गई होगी और प्रसन्नता लौट आई होगी। सप्रेम।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९१) से; सौजन्य. अमृत कौर। जी० एन० ७०४७ से भी।

१५६. पत्र: वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१९ नवम्बर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

भाई अनन्तराय[1] और नानाभाईसे सलाह-मशविरा करके मैंने जो मसविदा[2] तैयार किया है उसे तुम देख लो। यदि यह तुम्हें उचित जान पड़े तो ठाकुर साहब इसके अनुसार चलें और सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये। कमेटीके लिए सदस्योंके नाम भाई अनन्तरायके साथ बैठकर तय कर लो। उसमें जनताके प्रतिनिधियोंका बहुमत होना चाहिए। यदि इतना हो जाये तो मुझे लगता है कि हमें सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। हालाँकि इसमें उत्तरदायी सरकारका नाम नहीं है किन्तु यह तो स्पष्टत. मेरे मसविदेमें आ ही जाती है।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
पुरुषोत्तम बिल्डिंग
ऑपेरा हाउसके सामने, बम्बई–४

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२७-८

१. अनन्तराय पट्टणी, भावनगरके दीवान।
२. देखिए "राजकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्यका मसविदा", पृ० १५०-१।

१५७. यहूदी लोग

मुझे ऐसे बहुत-से पत्र प्राप्त हुए है जिनमे मुझसे फिलस्तीनकी अरब-यहूदी समस्या और जर्मनीमे यहूदियोपर किये जा रहे अत्याचारके सम्बन्धमे अपने विचार प्रकाशित करनेको कहा गया है। सो अत्यन्त कठिन प्रश्नपर मै अपने विचार तो व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन झिझकते हुए ही।

यहूदियोमे मुझे पूरी सहानुभूति है। अपने दक्षिण आफ्रिका प्रवासकालमे मैने उन्हे निकटसे जाना है। उनमे से कुछ तो मेरे जीवन-भरके साथी बन गये है। उन मित्रोसे मुझे उनपर युगोसे होते आ रहे अत्याचारोके बारेमे काफी-कुछ मालूम हुआ है। वे ईसाई-समाजके अस्पृश्य माने जाते रहे है। उनके प्रति ईसाइयोके व्यवहार और अस्पृश्योके प्रति हिन्दुओके व्यवहारमे बहुत समानता है। दोनो ही समुदायोके साथ किये जानेवाले अमानवीय व्यवहारका औचित्य सिद्ध करनेके लिए धर्मकी दुहाई दी गई है। इसलिए यहूदियोके साथ अपनी मैत्रीकी बातको अलग रखूं तो भी उनके प्रति मेरे मनमे सहानुभूति होनेके व्यापकतर कारण मौजूद है।

लेकिन मेरी सहानुभूति इस बातकी ओरसे मेरी आँखे बन्द नही कर सकती कि न्यायके तकाजे क्या है। यहूदियोके लिए एक अलग देशकी माँग मुझे कोई खास नही जँचती। इस माँगका समर्थन 'बाइबिल' के हवालेसे और यहूदियोकी फिलस्तीन लौटने की सतत और तीव्र लालसाकी चर्चा करके किया जाता है। लेकिन ससारकी अन्य अनेक जातियोकी तरह वे भी उसी देशको अपना देश और अपना घर क्यो नही बना लेते जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ वे जीविकोपार्जन करते है?

फिलस्तीन अरबोका है — ठीक उसी तरह जिस तरह इग्लैंड अग्रेजोका और फ्रान्स फ्रान्सीसियोका है। यहूदियोको अरबोके सिर थोप देना गलत और अमानवीय कार्य है। आज फिलस्तीनमे जो-कुछ हो रहा है वह नैतिक आचरणके किसी भी नियमके अनुसार उचित नही साबित किया जा सकता। [राष्ट्र सघ द्वारा दिये गये] शासनाधिकारका पिछले युद्धके परिणामके अतिरिक्त और कोई आधार, कोई औचित्य नही है। यहूदियोके वतनके रूपमे फिलस्तीन उन्हे पूर्णत या अशत वापस मिल जाये, इसके लिए स्वाभिमानी अरबोंको तबाह करना निश्चय ही मानवताके विरुद्ध अपराध होगा।

ज्यादा अच्छा रास्ता तो यह होगा कि यहूदी लोग जहाँ भी जन्म ले और पले-बढ़े वहाँ उनके साथ न्यायोचित व्यवहारपर आग्रह रखा जाये। जिस अर्थमे फ्रान्समे जन्मे ईसाई फ्रान्सीसी है, बिलकुल उसी अर्थमे वहाँ जन्मे यहूदी भी फ्रान्सीसी है। यदि यहूदियोका फिलस्तीनके अलावा अपना कोई वतन नही है तो क्या वे यह पसन्द करेगे कि वे दुनियाके जिस अन्य हिस्सोमे बसे हो वहाँसे उन्हे उखाडकर फिलस्तीनमे

ही जा बसनेको मजबूर किया जाये? या कि वे दोहरा वतन चाहते है, ताकि अपनी इच्छानुसार वे चाहे जहाँ जाकर बस सके? अलग वतनको इसी माँगने जर्मनोको जर्मनीसे यहूदियोको निकाल बाहर करनेका एक बहाना दे दिया है।

लेकिन जर्मनीमे यहूदियोपर जो अत्याचार किया जा रहा है वह तो इतिहासमे बेमिसाल जान पड़ता है। आज हिटलर जैसे पागल बन गये जान पड़ते है, वैसा पागलपन तो प्राचीन कालके आततायियोने भी नही दिखाया था। और वे यह सब धार्मिक जनूनसे कर रहे है। कारण, वे एक नये धर्मका प्रतिपादन कर रहे है — वर्जनशील और उग्र राष्ट्रीयताके धर्मका, जिसके नामपर किया जानेवाला हर दानवी कृत्य ऐसा परम मानवीय कृत्य हो जाता है जिससे कर्ताके इहलोक और परलोक दोनोके सुधरनेका विश्वास दिलाया जाता है। एक सिरफिरे किन्तु दुस्साहसी नौजवानके अपराधके लिए अविश्वसनीय खूँखारपनके साथ उसकी पूरी जातिको दण्डित किया जा रहा है। यदि मानवताके नामपर और मानवताके निमित्त सचमुच कोई युद्ध औचित्यपूर्ण हो सकता है तो जर्मनीको एक सम्पूर्ण जातिको मनमाने ढगसे तबाह करनेसे रोकनेके लिए उसके खिलाफ युद्ध छेडना सर्वथा उचित होगा। लेकिन, मै युद्धमे विश्वास नहीं करता। इसलिए ऐसे किसी युद्धके पक्षापक्षपर विचार करना मेरे विचार-क्षितिजसे या मेरे क्षेत्रसे बाहरकी चीज है।

लेकिन यदि यहूदियोके खिलाफ किये जा रहे ऐसे घोर अपराधके कारण भी जर्मनीके विरुद्ध युद्ध छेड़ना उचित नही होगा तो उसके साथ कोई सन्धि-सम्बन्ध करना भी निश्चय ही किसी भी प्रकार उचित नही हो सकता। न्याय और लोकतन्त्रका रक्षक होनेका दावा करनेवाले राष्ट्र और न्याय तथा लोकतन्त्रके जगविदित शत्रुके बीच कोई सन्धि कैसे हो सकती है? या कि हम यह माने कि इंग्लैंड भी शस्त्र-सज्जित तानाशाही और तज्जनित समस्त बुराइयोको गले लगाने जा रहा है?

जर्मनी दुनियाको यह दिखा रहा है कि शुद्ध हिंसा — ऐसी हिंसा जो पाखण्ड या अपनी दुर्बलताको छिपानेके लिए मानवताकी झूठी दुहाई देनेकी प्रवृत्तिसे मुक्त हो — कैसे-कैसे कमाल कर सकती है। साथ ही वह हमे यह भी दिखा रहा है कि अपने नग्न रूपमे हिंसा कैसी घृणित, कितनी भयंकर और कैसी विकराल है।

क्या यहूदी लोग इस संगठित और निर्लज्जतापूर्ण अत्याचारका मुकाबला कर सकते है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसे अपनाकर वे अपने आत्मसम्मानकी रक्षा कर सके और असहाय, उपेक्षित और अकेला महसूस न करें। मेरा निवेदन है, हाँ, ऐसा रास्ता है। जिसकी ईश्वरमे आस्था है वह असहाय या अकेला क्यों महसूस करे? तत्वतः देखा जाये तब तो ईश्वर एक ही है, वह अद्वितीय और वर्णनातीत है, किन्तु विभिन्न धर्मोमे उसकी जो कल्पना की गई है उस दृष्टिसे यहूदियोका ईश्वर जेहोवा ईसाइयों, मुसलमानों या हिन्दुओके ईश्वरसे अधिक वैयक्तिक है। चूँकि यहूदी ईश्वरमे वैयक्तिकता का आरोप करते है और मानते है कि वह उनके प्रत्येक कर्मका नियामक है, इसलिए उन्हें असहाय तो नही महसूस करना चाहिए। यदि मै यहूदी होता और मेरा जन्म जर्मनीमे हुआ होता तथा वही जीविकोपार्जन कर रहा होता

तो जर्मनीको अपना वतन कहनेका जितना दावा जर्मन जातिका कोई बड़ेसे-बड़ा आदमी कर सकता है उतना ही दावा मैं भी करता और अत्याचारियोसे कहता कि ठीक है, तुम मुझे गोलीसे उडाना चाहो तो उडा दो, काल-कोठरीमे डालना चाहो तो डाल दो; मैं सब-कुछ बर्दाश्त कर लेता लेकिन जर्मनी छोडनेको या भेदभावपूर्ण व्यवहारको सिर झुकाकर स्वीकार करनेको तैयार न होता। और यह कदम उठानेके लिए मैं उस दिनकी प्रतीक्षा नही करता रहता जब शेष यहूदी भी मेरे साथ सत्याग्रह करनेको तैयार होगे, बल्कि इस विश्वासके साथ अपने मार्गपर आगे बढ चलता कि अन्तमे सभी मेरा अनुकरण करेगे ही। यदि एक या बहुत-से यहूदी इस उपायको अपना ले तो इससे उस एक या उन बहुत-से यहूदियोकी स्थिति कमसे-कम आजकी अपेक्षा अधिक बुरी तो नहीं हो जायेगी। और खुशी-खुशी कष्ट सहन करनेसे उन्हे एक ऐसी आन्तरिक शक्ति और आनन्द प्राप्त होगा जो उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए जर्मनीसे बाहरके देशो द्वारा पास किये गये सैकडो प्रस्ताव भी उन्हे नही दे सकते। सच तो यह है कि यदि ब्रिटेन, फ्रान्स और अमेरिका जर्मनीके खिलाफ युद्धका आह्वान करे तो उससे भी यहूदियोको उस आन्तरिक शक्ति और आन्तरिक आनन्दकी प्राप्ति नही हो सकती। दूसरी ओर युद्धके इस आह्वानकी पहली प्रतिक्रियाके रूपमे हिटलर अपनी योजनाबद्ध हिंसाको यहूदियोके कत्लेआमका रूप दे सकते है। लेकिन अगर यहूदियोके मानसको खुशी-खुशी कष्ट सहनेके लिए तैयार किया जा सके तो जिस कत्लेआमकी मैंने कल्पना की है उसे भी जेहोवा द्वारा यहूदी जातिके लिए, अत्याचारीको ही निमित्त बनाकर, खोला गया मुक्ति का द्वार मानकर भक्तवत्सल प्रभुकी महान कृपाके रूपमे उल्लासपूर्वक स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वरसे डरनेवालेको मृत्युका भय नही होता। उसके लिए तो मृत्यु जागरणके बाद आनेवाली वह सुदीर्घ निद्रा है जो उसे और भी ताजगी और स्फूर्ति देगी।

यहाँ यह बतानेकी तो जरूरत ही नही है कि मेरे इस सुझावपर चलना चेकोंकी अपेक्षा यहूदियोके लिए बहुत आसान है। और दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयों द्वारा चलाये गये सत्याग्रह-आन्दोलनके रूपमे उनके सामने एक बिलकुल ठीक दृष्टान्त भी है। वहाँ भारतीयोकी स्थिति ठीक वही थी जो जर्मनीमे यहूदियोकी है। वहाँ उनपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसपर भी धर्मका एक मुलम्मा चढाया गया था। राष्ट्रपति क्रूगर कहा करते थे कि गोरे ईसाई ईश्वरके वरद पुत्र है और भारतीय उनके सामने तुच्छ लोग है, जिनका सर्जन गोरोकी सेवा करनेके लिए ही किया गया है। ट्रान्सवालके सविधानकी एक बुनियादी धारा यह थी कि गोरो और एशियाइयो सहित अश्वेत लोगोके बीच समानता नही बरती जानी चाहिए। भारतीयोको भी यहूदी बस्तियो (घेटो) के ढगकी अलग बस्तियोमे सीमित कर रखा गया था जिन्हे "लोकेशन" कहते थे। उनपर थोपी गई दूसरी निर्योग्यताएँ भी लगभग वैसी ही थी जैसीकि जर्मनीमे यहूदियोपर लगाई गई है। इन परिस्थितियोमे उन मुट्ठी-भर भारतीयोने सत्याग्रहका सहारा लिया और अपने इस

संघर्षमे उन्हे बाहरी दुनिया या भारत सरकारका भी कोई समर्थन प्राप्त नही था। उलटे ब्रिटिश अधिकारियोने सत्याग्रहियोको वह कदम उठानेसे विमुख करनेकी कोशिश की।

लेकिन सच तो यह है कि जर्मनीके यहूदी दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोकी अपेक्षा बहुत अधिक शुभ सयोगोमे सत्याग्रह कर सकते है। जर्मनीके यहूदी एक सुसंगठित और ऐक्यबद्ध समाजके रूपमें रह रहे हैं। वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रतिभाशाली है। इसके अलावा, विश्वका संगठित लोकमत उनके पीछे है। मेरा निश्चित विश्वास है कि यदि उन्हे अहिंसक संघर्षमे नेतृत्व प्रदान करनेके लिए उनमे से कोई साहसी और सही दृष्टिवाला आदमी आगे आये तो उनको निराशाके शिशिरको क्षण-भरमे आशा के वसन्तमे परिवर्तित किया जा सकता है। और आज जिस चीजने कुत्सित मानव-आखेटका रूप धारण कर रखा है, उसीको जेहोवा-प्रदत्त — ईश्वरकी दी हुई — कष्ट-सहनकी शक्तिसे युक्त नि:शस्त्र स्त्री-पुरुषो द्वारा किये जानेवाले शान्त और संकल्पमय प्रतिरोधका 'रूप दिया जा सकता है। वह सच्चे अर्थोमे धार्मिक प्रतिरोध होगा — मानवीय गुणोसे वचित नास्तिक लोगोके उन्मादका सच्चा धार्मिक प्रतिरोध। इस तरह जर्मन यहूदी जर्मन गैर-यहूदियोंपर सच्ची विजय प्राप्त करेंगे, और वह इस रूपमे कि वे उन्हे मनुष्यकी गरिमाको पहचानना सिखायेगे। इस प्रकार वे अपने जर्मन भाइयोकी भी सच्ची सेवा कर पायेगे और यह सिद्ध कर सकेंगे कि आज जो लोग — चाहे अनजाने में ही — जर्मन जातिके नामपर कलंक लगा रहे हैं उनकी तुलनामें वे कहीं अधिक सच्चे जर्मन हैं।

और अब दो शब्द फिलस्तीनके यहूदियोंके बारेमे। मुझे इस बातमे तनिक भी सन्देह नही है कि जो रास्ता उन्होने अपनाया है वह गलत है। 'बाइबिल' मे वर्णित फिलस्तीन कोई भौगोलिक क्षेत्र नही है। वह तो उनके हृदयमे है। लेकिन अगर उन्हे भौगोलिक फिलस्तीनको अपना देश मानना ही है, उसे स्वदेशके रूपमे देखना ही है तो ब्रिटेनकी संगीनोकी छायामे उसमे प्रवेश करना तो उनका बिलकुल गलत तरीका है। कोई धर्म-कार्य संगीनों और बमोके बलपर कैसे किया जा सकता है। वे फिलस्तीनमें अरबोकी सद्भावनाके सहारे ही बस सकते है। उन्हें अरबोंका हृदय-परिवर्तन करनेकी कोशिश करनी चाहिए। जो ईश्वर यहूदियोंके हृदयका नियामक है वही अरबोंके हृदयका भी है। वे अरबोंके सामने सत्याग्रह करते हुए उन्हें इस बातके लिए आमन्त्रित कर सकते है कि हम तो तुम्हारे खिलाफ अपनी उँगली भी नहीं उठायेगे, तुम चाहे जो करो — चाहो तो हमे गोलियोसे उड़ा दो या उठाकर यही मुर्दा सागरमे फेंक दो। फिर वे देखेंगे कि उनकी इस धार्मिक आकांक्षाको विश्व-जनमतका कैसा समर्थन मिल रहा है। अरबोको समझानेके हजार रास्ते हैं, बशर्ते कि यहूदी ब्रिटेनकी संगीनोका सहारा लेना छोड़ दें। लेकिन अभी तो वे उन लोगोंको तबाह करनेमे ब्रिटेनके साझीदार बने हुए हैं जिन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है।

कोई यह नही समझे कि मैं अरबोके जोर-जुल्मको सही ठहरानेकी कोशिश कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता, अगर उन्होने उस कार्रवाईका प्रतिरोध करनेके लिए, जिसे वे ठीक ही अपने देशपर बिना किसी कारण या औचित्यके किया गया हमला मानते हैं, अहिंसात्मक मार्ग अपनाया होता। लेकिन न्याय-अन्यायके सर्वमान्य नियमोके अनुसार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियोमे जूझ रहे अरबोके इस प्रतिरोधके खिलाफ कुछ नही कहा जा सकता।

तो यहूदी लोग, जो अपनेको ईश्वरकी विशेष प्रिय जातिके लोग बताते है धरतीपर अपने स्वत्वकी प्रतिष्ठाके लिए अहिंसाका मार्ग अपनाकर अपना यह दावा सिद्ध करे। हर देश — फिलस्तीन भी — उनका घर है, लेकिन आक्रमण और जोर-जबरदस्तीके बलपर नही बल्कि प्रेमपूर्ण सेवाके आधारपर। एक यहूदी मित्रने मुझे सेसिल रॉथकी लिखी 'ज्यूइश कट्रीब्यूशन टु सिविलिजेशन' नामकी एक पुस्तक भेजी है। इसमे साहित्य, कला, संगीत, नाटक, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि आदिके क्षेत्रोमे यहूदियोके योगदानका विवरण दिया गया है। यदि यहूदि लोग यह संकल्प कर ले कि उन्हे पश्चिमी दुनियाके ऐसे समाज-बहिष्कृत अछूत बनकर नही रहना है जिनमे या तो घृणा की जा सकती है या जिनपर तरस ही खाया जा सकता है, तो कोई भी उनके साथ वैसा व्यवहार नही कर सकता। जो तेजीसे पशु बनते जा रहे है और जिनको ईश्वरने त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य बननेके बजाय, यदि वे सच्चे अर्थोमे मनुष्य, ईश्वरके विशेष कृपापात्र मनुष्य बन जाये तो वे सबके स्नेह और सम्मानके भाजन हो सकते है। यदि वे चाहे तो विश्वको अपनी देनकी लम्बी सूचीमे अहिंसात्मक संघर्ष-रूपी यह सर्वोपरि देन भी जोड सकते है।

सेगाँव, २० नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २६-११-१९३८

१५८. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

२० नवम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिल गया था। तुझे मेरा पत्र मिला होगा। तुझे लिखनेके बाद रामचन्द्रनसे मेरी बात हुई थी। मै उन्हे मना नही सका। उनका कहना है कि स० ने जो-कुछ देखा उसमे कोई गलती अवश्य हुई लगती है और यह कि पा० से तेरे सम्बन्धोके बारेमे भी ऐसा ही आरोप लगाया गया था। अन्तमे यह सिद्ध हुआ कि इसमे कुछ नही था। इसके बावजूद रा० का कहना है कि 'मै पूरी तरह जाँच करूँगा।' किन्तु उन्होने आगे कहा "मान लो कि मेरी बहन का पतन हो तो क्या स० का कर्तव्य अपनी माँ को ठीक रास्तेपर लाना नही था? या उसे आपके पास दौड़े चले

आना चाहिए था? जिसने उसे पाला-पोसा है, जिसने उसे लाड़-प्यार दिया है, जिससे बिछुड़ते ही जो रो पडती थी वह क्या अब हमारे लिए निकम्मी हो गई? किन्तु यदि आप आदेश देंगे तो मैं स० को इतना कहनेके लिए आपके सामने अवश्य हाजिर करूँगा।" ऐसी स्थितिमे मैं अधिक आग्रह कैसे कर सकता था? अब तो स० को ही हिम्मत करनी होगी। उसे साहसपूर्वक पा० का दोष सिद्ध करना चाहिए। और फिर, वह स्वयं पा० को सुधारनेमे असमर्थ है यह बताकर उसे मेरे पास आनेका प्रयत्न करना चाहिए। पा० गलत रास्तेपर पड़ सकती है किन्तु बाकी सब लोग तो बुरे नही हो सकते। पा० को छोड देना तेरे लिए उचित नही है। तेरे प्रति उसका प्रेम कम नही हुआ है। और यदि कम हो गया हो तो सगाईकी बात सबको मालूम हो जानेके बाद क्या तू इस सम्बन्धको तोड नही सकता? किन्तु यह बात तो वह सपने मे भी नही सोचती। तुझे यह मानना चाहिए कि तू इस कुटुम्बका एक अंग बन गया है और इस मामलेमे और अधिक जाँच-पडतालकी गुंजाइश है। चाहे जो हो, किन्तु मैं चाहता हूँ कि यह मामला तेरा समय न ले और इससे तुझे परेशानी न हो। पा० चाहे जैसी क्यो न हो, किन्तु स० तो बिगडनेवाली नही है। इतना ही काफी होगा कि वह अपने कर्तव्यका पालन करनेमे जुटी रहे। तू उसे लिख दे कि जितनी स्वच्छन्दतासे वह तुझे लिखती है उतनी ही स्वच्छन्दतासे मुझे लिखे। यदि उसे यह भय हो कि उसका पत्र कही कोई पढ़ न ले तो मैं उन्हे पढते ही फाड दिया करूँगा, जैसाकि मैं रा० कु० के पत्रोके बारेमे करता हूँ। उसके पत्र मुझे बिना खुले मिलते हैं और इसी प्रकार वे पत्र भी जिनपर 'निजी', 'व्यक्तिगत' या ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। मैं यही चाहता हूँ कि स० की चिन्ता तुझे नही बल्कि मुझे करनी चाहिए। तेरी सगाईकी बात प्रगट हो गई इसे तू बुरा मानता है, किन्तु यह उचित नही।

आशा है, तेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

जवाहरलाल कल आ रहे हैं।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३५४) से; सौजन्य: कान्तिलाल गाधी।

१५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२१ नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे पूरी उम्मीद है कि बम्बईमें तुम्हें मेरा पत्र[1] मिल गया होगा। मैं २ बजेसे पहले मौन नही ले सका। आशा है, तबतक तुम्हें थोडा चैन भी मिलेगा। बम्बईमे मेहनत भी तो खूब पडी होगी। आशा है, इन्दु स्वस्थ होगी।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीमे]

गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३८, सौजन्य: नेहरु स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१६०. पत्र : अमृत कौरको

२१ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

कुछ ही मिनटमें जवाहरलाल यहाँ आनेवाले है। इस बीच ये चन्द पक्तियाँ लिख डालता हूँ। तुम्हारे पत्रोका स्वर अब भी उदासी-भरा होता है। तुम्हारे पत्र बडे हो या छोटे, उन्हे पाकर हमेशा खुशी होती है और कामका ज्यादा बोझ होनेके बावजूद मैं उन्हे पढ ही लेता हूँ।

कमाल पर लिखे तुम्हारे लेखके[2] कुछ अंशोमे मुझे सशोधन करना पड़ा। सशोधन तो देखोगी ही और आशा करता हूँ, तुम उनका बुरा नही मानोगी।

मीरा बुधवारको अपनी आँखोका इलाज करवाने बम्बई जायेगी और वहाँसे सीमाप्रान्त। मैं समझता हूँ, उसका पहले वहाँ जाना बेहतर रहेगा।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५२) मे; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४६१ से भी।

१. देखिए "पत्र: जवाहरलाल नेहरूको", पृ० १५०।

२. यह २६-११-१९३८ के हरिजन में "नोट्स" ("टिप्पणियाँ") शीर्षकके अन्तर्गत "द लेट कमाल अतातुर्क" ("स्वर्गीय कमाल अतातुर्क") उप-शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

१६१. पत्र : गिरधारीलालको

सेगाँव, वर्धा
२१ नवम्बर, १९३८

प्रिय लाला गिरधारीलाल,

अविश्वासका तो प्रश्न ही नहीं है।[1] हम सबोंका विचार है कि चूँकि आप अमृतसरसे लगातार बाहर रहते हैं इसलिए आप अपने पदके साथ न्याय नहीं कर सकते। कामका हर्ज होता है। लेकिन इससे पहले कि आपका त्यागपत्र बोर्डके सामने रखा जाये, आप आकर कैफियत दे सकते हैं। लेकिन वैसी हालतमें आपको आनेमें देर नहीं करनी चाहिए। जनवरीमें मैं सेगाँवमें नहीं होऊँगा। आप १५ दिसम्बरसे पहले आ सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

१६२. प्रस्तावना : 'ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स' की

सोफिया वाडियाके इन निबन्धोंपर सरसरी नजर डालनेसे ही पता चल जाता है कि जीवनके आधारभूत तत्त्वोंकी दृष्टिसे विश्वके सभी प्रमुख धर्मोंके बीच कितना साम्य है। हमारे सारे आपसी झगड़े तो निस्सार बातोंको लेकर ही हैं। यदि इस पुस्तकके विभिन्न धर्मावलम्बी पाठक दूसरोंके धर्मोंका अध्ययन उसी श्रद्धासे करें जिस श्रद्धाका परिचय इन निबन्धोंमें सोफिया वाडियाने दिया है तो माना जायेगा कि उनका परिश्रम कृतार्थ हुआ। विश्वके महान धर्मोंको समझने लायक उनका सामान्य ज्ञान प्राप्त करना और उनके प्रति मनमें आदर-भाव जगाना ईश्वर-ज्ञानकी आधार-शिला है।

मो० क० गांधी

सेगाँव, वर्धा, २३ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स

१. देखिए खण्ड ६७, "पत्र : गिरधारीलालको", पृ० ४४८।

१६३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव
२४ नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पुर्जा मिला। मैं जानता था कि एक बार जब तुम काम शुरू कर दोगे तो अपने समयपर तुम्हारा बस नहीं रह जायेगा। इसलिए मुझे जितना मिलेगा, उतनेमें ही मैं सन्तोष मानूंगा।

साथमें गुरुदेवका एक पत्र भेज रहा हूँ, जो उन्होंने एक सन्देशवाहककी मार्फत भिजवाया है। मैंने जवावमें लिखा है कि मेरी अपनी राय तो यह है कि अगर आपको बगालको भ्रष्टाचारसे मुक्त करना है तो आपको अध्यक्षकी जिम्मेदारीसे छुटकारा पा लेना चाहिए। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गुरुदेव या तो तुम्हें पत्र लिखेंगे या खुद तुमसे बातचीत करेंगे। तुम अपनी राय देना।

आशा है, यात्राका इन्दुपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा होगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३८, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृ० २९८ से भी।

१६४. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव
२५ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

दिनमें तुम्हें लिखनेकी सोची थी, लेकिन लिख नहीं सका। तुम्हें अपनी निद्रापर पूरा नियन्त्रण पाना है। तुम्हें रातमें अपने दिमागको सभी चिन्ताओंसे मुक्त कर लेनेकी कला सीखनी है। शम्मीके बारेमें कही तुम्हारी बातें मैं समझता हूँ। प्रभुसे यही प्रार्थना है कि सबकुछ जैसा चाहिए वैसा ही हो।

मैंने तुम्हें बताया या नहीं कि जनवरी महीना बारडोलीमें बितानेका कार्यक्रम है? तुम्हें तो बारडोली आना ही है। पूरा दिसम्बर यहीं बिताना है।

जवाहरलालसे सभी तरहके मसलोपर अच्छी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ उनका वर्णन नही कर सकता। मेरा अधिकाश समय मुलाकातियोसे मिलनेमे ही बीतता है।

महादेव कोई खास ठीक नही है। फिलहाल तो यही रहेगा।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९२) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०४८ से भी।

१६५. टिप्पणी : डॉ० एन० बी० खरेके नाम पत्रपर[1]

२५ नवम्बर, १९३८

इसकी पीठपर जो पत्र है उसके लेखकने स्पष्ट ही भूलसे इसे मेरे नाम भेज दिया और आपको मेरे लिए भेजा गया पत्र मिला होगा। बहरहाल इस गलतीके कारण ही मुझे पता चल सका कि आप बीमार थे। आशा है, यह पत्र मिलने तक आप पूरी तरह स्वस्थ हो गये होंगे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १-१२-१९३८

१६६. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

२५ नवम्बर, १९३८

चि० काका,

प्रेमाकी पुस्तककी[2] ११०० प्रतियोको वापस लेकर उसका नया संस्करण निकालनेकी मुझे कोई आवश्यकता नजर नही आती। जब नया सस्करण निकालनेका समय आयेगा तब हम उसमे से कुछ अंश कम कर देनेके बारेमे सोच लेगे। प्रेमाका तर्क मुझे उचित जान पड़ता है। मै समझता हूँ कि इन ११०० प्रतियोका क्या असर होता है, हम यह देखे।

चन्दन[3] अब जब चाहे तब दिल्ली जा सकती है। वह जितनी जल्दी जाये उतना ही अच्छा है। बालका पत्र रसपूर्ण है। बाल न्यासीके रूपमे भले ही कब्जा

१. कानपुरसे एक छात्रने डॉ० एन० बी० खरेको एक पत्र लिखा था, लेकिन गल्तीसे उसे गांधीजी के पास भेज दिया था।

२. **वात्सल्याची प्रसाददीक्षा**; देखिए "पत्र : प्रेमाबहन कंटकको", पृ० १४५।

३. चन्दन पारेख, जो बादमें काकासाहबके पुत्र सतीशकी पत्नी बनी।

किये रहे। न्यासीके रूपमे उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिये जा सकते है। यह वाछनीय है कि वह उत्तराधिकारीके रूपमे कुछ न रखे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

इसके साथका[1] पत्र बालको भेज देना बशर्ते कि वह तुम्हे उचित जान पड़े।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७७) से।

१६७. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
२६ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

जब तक मैं तुमसे यह नही सुनता कि तुम्हे बिना किसी कठिनाईके अच्छी नीद आती है तब तक सन्तुष्ट होनेवाला नहीं हूँ।

तुम्हारे कहे मुताबिक इसे जालंधरके पतेपर भेज रहा हूँ।

वार्नावासको लिखा तुम्हारा पत्र अच्छा है, लेकिन जल्दीमे लिखा हुआ है। वे चाहे तो हजारोकी तादादमें काग्रेसमे शामिल हो सकते है, लेकिन जिन अनेक प्रश्नोका सम्बन्ध विशेष रूपसे उन्हीसे है उनपर विचार करने और उनका हल सोचनेके लिए वे अपना एक अलग सगठन ही क्यों नही बना ले। सामाजिक और धार्मिक उत्थानके लिए तो उन्हे एक सगठनकी जरूरत है ही। अगर वे ऐसा सगठन नही बनाते तो बहुत सम्भव है कि वे काग्रेससे ऊब जाये, क्योकि काग्रेस उनके चतुर्दिक उत्थानमे कोई विशेष योग नही दे पायेगी। इसलिए मैं इस विषयपर 'हरिजन' मे नही लिख रहा हूँ। मुझसे मिलनेपर इसपर चर्चा करना।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च.]

काश, मुझे मालूम होता कि वह चोगा तुम्हारे लिए रखना है! खैर, उसे इन्दु पहन रही है, यह तो तुम्हें बुरा नही ही लगेगा।

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९३) से; सौजन्य. अमृत कौर। जी० एन० ७०४९ से भी।

१. उपलब्ध नहीं है।

१६८. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव
२६ नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

आशा है, तुम्हे मेरा कलवाला पत्र मिल गया होगा। यह तुम्हे केवल यह बतानेको लिख रहा हूँ कि अब जब तुम चली गई हो, तुम्हारी याद सबको आती रहती है। तुम्हारा कमरा तो बिलकुल भर ही गया है। महादेव कमसे-कम फिलहाल तो कही नही जा रहा है।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

रक्तचाप १६०/९८

श्री मीराबहन
मार्फत सेठ मथुरादास त्रिकमजी
७४, वालकेश्वर रोड
बम्बई

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१५) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १००१० से भी।

१६९. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
२६ नवम्बर, १९३८

चि० कान्ति,

मै अपने ढंगसे स० को बुलानेका प्रयास कर रहा हूँ।

जब तेरा डॉक्टरी पढ़नेका समय आयेगा तब तेरे अधिक खर्चके बारेमे मै कुछ कर लूँगा।

मै धर्मदेवजी का पत्र खोज रहा हूँ। यदि मिल गया तो मै उत्तर दे दूँगा अन्यथा उसकी नकल मँगवा लूँगा।

अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। स्वास्थ्य बनाये रखनेकी कला सीख लेना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

महादेव यहाँ पहुँच गये हैं। ठीक होनेमें कुछ समय लगेगा। फिलहाल वे सेगांवमें ही हैं।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७३५५) से, सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

१७०. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

२६ नवम्बर, १९३८

चि० आनन्द,

मैंने पिताजीको दुबारा पत्र भेजा है और अच्छा पत्र लिखा है। वह पिघलेंगे। विद्या ठीक होगी।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

१७१. असहयोगी

कई उन कांग्रेसियोंके पत्र मेरे पास फाइलमें पड़े हैं जिन्होंने असहयोगके जमानेमें असहयोग किया था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरियोंको त्याग दिया था। उनमें से कुछ व्यक्ति अब नौकरियोंपर फिरसे बहाल किये जानेके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। अपने समर्थनमें वे हवाला देते हैं कि मैंने असहयोगके लिए सरकारी नौकरों-सहित सारी जनताका आह्वान किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिन सत्याग्रहियोंपर जुर्माने हुए थे, जिन रिश्तेदारोंने परिवारका पालनकर्ता खोया, जिन वकीलोंने वकालत त्यागी और दरिद्र बन गये, जिन छात्रोंने अपनी पढ़ाई त्यागी और उसके फलस्वरूप अपना भविष्य बर्बाद किया, ऐसे सब पीड़ितोंने अपनी पुनर्स्थापनाके लिए कोई आन्दोलन नहीं किया है। उनके विचारमें स्वेच्छापूर्वक भोगा हुआ कष्ट अपना पुरस्कार स्वयं है और उससे अधिक क्षतिपूर्तिकी कोई आवश्यकता नहीं।

यदि ये सब लोग कांग्रेसी मन्त्रियोंसे क्षतिपूर्तिकी माँग करें तो मन्त्रियोंकी तो वास्तवमें दयनीय स्थिति हो जायेगी और इन दावोंका हिसाब-किताब करनेके अलावा वे कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। और इन दावोंकी अदायगीके लिए उन्हें धनकी

व्यवस्था भी करनी होगी. और यह रकम अवश्य ही कई करोड़ तक जा पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त बर्खास्त किये गये सरकारी नौकरोंके लिए, चाहे उन्होंने बाध्य होकर या स्वेच्छापूर्वक नौकरी छोड़ी हो, यह सिद्ध करना कठिन होगा कि दूसरे पीड़ित लोगोंकी स्थिति उनकी अपेक्षा कम कष्टकर है।

मेरे मतमें ये भूतपूर्व सरकारी नौकर वर्गके रूपमें सबसे कम भुक्तभोगी हैं। और यदि वे इतने सालों तक बेकार रहे हैं तो वे अब कुशल सरकारी नौकर नहीं बन सकते। कांग्रेसियोंके लिए सरकारी नौकरी आर्थिक स्थिति सुधारनेका साधन नहीं है; वह तो सेवा करनेका ही साधन होना चाहिए। अतएव केवल वे ही कांग्रेसी सरकारी नौकरियोंमें भर्ती हों जिन्हें बाहर अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक मिल सकता हो। जब उनकी सेवाओंकी आवश्यकता हो तभी उन्हें नौकरी दी जाये। उनके प्रति कांग्रेस सरकारके पक्षपात जैसी बात कभी न हो।

हिंसात्मक या अहिंसात्मक, किसी भी प्रकारके युद्धमें यदि पहलेसे ही सैनिकोंकी हर प्रकारसे सुरक्षा निश्चित कर ली गई हो तो युद्धका उत्तेजनापूर्ण आनन्द और उसकी भव्यता दोनों ही नहीं रहते। सच्चे सत्याग्रहीको भविष्यमें कुछ भी क्षति-पूर्तिकी आशा रखे बिना सब-कुछ गँवानेको तैयार रहना है। ज्यादासे-ज्यादा त्याग करनेमें ही उसकी खूबी है। सचमुच बात तो यह है कि यदि लोग जीवनमें अपना भविष्य सँवारनेके इरादेसे कांग्रेसमें आयेंगे तो समूचा कांग्रेसतन्त्र ही छिन्नभिन्न हो जायेगा। और यदि कांग्रेसी मन्त्रियोंसे लोगोंकी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ पूरी करनेकी अपेक्षा की जाये तो वे खुद बदनाम हो जायेंगे और अन्ततः कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको भी हानि पहुँचायेंगे।

मैं पाठकोंसे आशा करता हूँ कि वे इस मामलेके और उन जमीनोंकी वापसीके मामलेके अन्तरको स्पष्ट समझ जायेंगे जिन्हें पिछली सरकारने प्रतिशोधकी भावनासे कौड़ीके मोल बेच दिया था। वहाँ जमीनें वापस करना सहज रूपसे सम्भव था और एक कर्तव्य था। वह तो विजेता द्वारा देशके एक छोटे-से विजित टुकड़ेके वापस किये जानेके समान था।

यदि फिरसे एक और सविनय अवज्ञा अभियानकी आवश्यकता उठ खड़ी हो तो सरकार लोगोंकी भूमिको बेचनेसे पहले पचास बार सोच-विचार करेगी और देशभक्ति-विहीन लोग देशभक्तोंकी मुसीबतका फायदा उठानेकी हिम्मत भी नहीं करेंगे।

सेगाँव, २७ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-१२-१९३८

१७२. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव
२७ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

यह तो तुम्हें सिर्फ यह बतानेके लिए है कि तुम्हारा पत्र मिला और यहाँ सब कुशल-मंगल है। महादेवकी तबीयतमें सुधार होता दीखता है। काश, तुम अपने बारेमें भी यही कह पाती!

लो, यह ओंधका दल आ रहा है। जयरामदास भी आ पहुँचे हैं। वह बहुत बेहतर दिखते हैं।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९४) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ७०५० से भी।

१७३. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव
२७[1] नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे सब निर्देशोंके बारेमें देख लूँगा। आशा करता हूँ कि बिलकुल सही चश्मा लग जायेगा और अगले कुछ सालों तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।

गोविन्द[2] भटक जायेगा। काकाने उसे एक काम दिया था, किन्तु उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। यहाँ एक मिशनने अपना काम शुरू किया है और गोविन्दने उसको अपनी सेवाएँ अर्पित की है। सुनता हूँ कि अब वह अपने भावी मालिकोंको सन्तुष्ट करनेके लिए नागपुर गया है। वह अपने देशवासियोंका और सेगाँवका शत्रु सिद्ध हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे लेकर चिन्ता करो। मैं उसे

१. साधन-सूत्रमें लगता है कि '२८' को '२७' बनाया गया है।
२. एक आश्रमवासी जो मीराबहनके साथ काम करता था।

समझाकर उधरसे खींचनेकी कोशिश करूँगा, किन्तु गरीबोंके लिए पैसेका मोह बहुत बडा प्रलोभन है। और यहाँ सब-कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। महादेव ठीक हैं। वेरियर और उसकी बहन आज यहाँ आये हैं। दोपहरका समय वे यहीं बितायेंगे।

आजकल मैं शाम ७ बजेसे लेकर दूसरे दिन दोपहर २ बजे तक मौन रखता हूँ। अतः बातचीतका समय सिर्फ पाँच घंटे रहता है, किन्तु इन घंटोंमें बातचीत अनवरत चलती रहती है। किन्तु यदि मुझे पूरा लाभ उठाना है तो उसे भी छोड़ना पडेगा।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१६) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००११ से भी।

१७४. देशी राज्य और प्रजा

कई देशी राज्योंमें लगभग एक ही समय होनेवाली जनजागृति राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्रामकी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। यह सोचना बिलकुल गलत होगा कि ऐसी जागृति एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियोंके दल या किसी संस्थाके भड़काने पर हो सकती है। यह तो सम्भव है कि कांग्रेसके हरिपुरा-प्रस्तावने देशी राज्योंकी जनताका उत्साह जगाया और उन्हें पहली बार यह भान हुआ कि उनका उद्धार उनके अपने उद्यमपर ही अवलम्बित है। किन्तु इस जागृतिको लानेमें सबसे बड़ा हाथ समयकी माँगका है। आशा की जाती है कि राजा लोग और उनके सलाहकार इसे पहचान लेंगे और जनताकी उचित आकांक्षाओंको पूरा करेंगे। दो ही रास्ते हैं। या तो रियासतोंके अस्तित्वका ही अन्त हो जाये, और या फिर राजा लोग जनताको ही शासन-व्यवस्थाकी जिम्मेदारी सौंप दें और स्वयं जनताकी ओरसे न्यासी बनकर शासन चलायें और इसके लिए मुनासिब मेहनताना कमायें। इन दो स्थितियोंके बीच कोई मध्यम मार्ग नहीं है।

अतः मैं आशा करता हूँ कि इस अफवाहमें कोई सचाई नहीं है कि हाल ही में अर्ल विंटरटनने राजाओंकी अपनी जनताको उत्तरदायी सरकार सौंपनेकी क्षमताके सम्बन्धमें जिस नीतिका निरूपण किया था उसमें ब्रिटिश सरकार, कुछ राजाओं या उनके दीवानोंके कहनेपर, शायद कुछ परिवर्तनकी घोषणा करनेवाली है। यदि उनमें से कुछ लोगोंने ब्रिटिश सरकारसे नीति पलटनेको कहा है तो निस्सन्देह उन्होंने स्वयंको हानि पहुँचाई है। और यदि ब्रिटिश सरकार उनकी इस गलत इच्छाको स्वीकार कर लेगी तो वह शीघ्र ही एक ऐसी घोर संकटकी स्थिति पैदा कर देगी जिसकी भीषणताका पहलेसे अन्दाज लगाना कठिन है। मुझे इस बातपर विश्वास करनेसे इन्कार है कि ब्रिटिश सरकार ऐसी भयंकर भूल कर सकती है। अर्ल विंटरटनकी

घोषणाने तो पुरानी पद्धतिका केवल अनुमोदन ही किया था। देशी राज्यो द्वारा अपनी जनताको अधिक अधिकार दिये जानेपर, चाहे वे अधिकार कितने ही व्यापक क्यो न हो, ब्रिटिश सरकारने आज तक कभी हस्तक्षेप नही किया।

मैं एक कदम और आगे बढकर कहूँगा कि सर्वोपरि सत्ता होनेके नाते ब्रिटिश सरकार राजाओकी बाहरी या अन्दरूनी क्षतिसे रक्षा करनेको बाध्य तो अवश्य है, किन्तु वह उतनी ही या उससे भी स्पष्टतर रूपसे यह देखनेके लिए बाध्य है कि राजा लोग प्रजापर न्यायोचित शासन कर रहे है। इसी कारण जब भी वह किसी राज्यको पुलिस या सेनाकी मदद पहुँचाती है तब यह निश्चित कर लेना उसका परम कर्तव्य है कि वास्तवमे ही वहाँ ऐसी आपत्कालीन स्थिति है जिससे सहायताकी माँग उचित ठहरती है और यह देखना भी उसका कर्तव्य है कि सेना या पुलिसका उपयोग उचित मर्यादाके साथ ही होगा। ढेकनालसे मेरे पास कई विवरण आये है जिनमें कहा गया है कि सर्वोपरि सरकार द्वारा भेजी गई पुलिसकी छत्रच्छायामें रहकर राज्यके लठैतोंने अमानवीय क्रूरताका बर्ताव किया है। कुछ अकथनीय क्रूरताओके विषयमे मैंने पुष्टिके लिए प्रमाण मांगे थे और उन विवरणोंका विश्वास करने योग्य काफी प्रमाण मेरे पास आ गये है।

वास्तवमे तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रान्तोके उत्तरदायी मन्त्रियोंका अपने प्रान्तके अन्तर्गत आनेवाले देशी राज्योकी प्रजाके प्रति कोई नैतिक कर्तव्य नही है? सविधानके अनुसार मन्त्रियोका उनपर कोई अधिकार नही है। गवर्नर वाइसराय-का एजेंट है जोकि स्वय परम सत्ताका प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु देशी राज्योमें क्या हो रहा है उसके प्रति अवश्य ही स्वायत्तशासी प्रान्तोके मन्त्रियोका कुछ नैतिक उत्तरदायित्व तो है ही। जब तक राज्य और वहाँकी प्रजा, दोनो सन्तुष्ट हैं तब तक मन्त्रियोको कोई चिन्ता नही होनी चाहिए। किन्तु मान लीजिए कि किसी देशी राज्यमें कोई भयकर महामारी फैली हो और लापरवाही करने पर अमुक प्रान्तके बीच स्थित उस देशी राज्यकी महामारी प्रान्तमें भी आसानीसे फैल जानेकी सम्भावना हो, क्या तब भी उन्हे चिन्ता नही करनी चाहिए? और ढेकनालमें जो नैतिक महामारी फैली दिखती है, क्या उसके प्रति भी उन्हे कोई चिन्ता नही होनी चाहिए?

मुझे पता चला है कि अत्याचार पीडित लोग उडीसाके ब्रिटिश क्षेत्रमें आश्रय ले रहे है। क्या मन्त्रिगण उन्हे आश्रय देनेसे इन्कार कर सकते है? और वे लोग कितनोका जिम्मा उठा सकते है? इन राज्योमें जो-कुछ भी होता है उसका समूचे प्रान्तपर अच्छा या बुरा, कुछ-न-कुछ असर जरूर होता है। अत मेरा विश्वास है कि मन्त्रियोके कन्धोपर भारी जिम्मेदारी होनेके कारण उनका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि प्रान्तकी आन्तरिक शान्ति और मर्यादाकी खातिर वे एक स्पष्ट सीमामे रहते हुए अपनी आवाज उठाये। जिस समय देशी राज्योकी, वे राज्य जो परम सत्ताकी अपनी मनमानी सृष्टि है, जनताको कुचलकर धूलमे मिलाया जा रहा हो, जैसीकि ढेंकनालकी जनताकी दशा बताई जाती है, उस समय मन्त्रिगण उदासीन भावसे तमाशा तो नही देख सकते।

अखबारोंमें पढ़ते हैं कि ढेकनालकी प्रजाको कुछ रियायतें दी गई हैं। इस रिपोर्टकी सचाईके विषयमें मैं नहीं जानता, और यह भी नहीं जानता कि ढेकनालकी प्रजा जिस उद्देश्यके लिए लड़ रही है और कष्ट भोग रही है, इन रियायतोंसे उस उद्देश्यकी पूर्ति होती है या नहीं। खैर, जिस मुद्देको मैंने उठाया है उसके सम्बन्धमें यह बात अप्रासंगिक है। मेरा विचार है कि प्रान्तोंके मन्त्रियोंका नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने प्रान्तकी सीमामें स्थित देशी राज्योंमें होनेवाले घोर कुशासनकी ओर ध्यान दें और परम सत्ताको परामर्श दें कि उनकी सम्मतिमें क्या किया जाना चाहिए। और परम सत्ता यदि प्रान्तीय मन्त्रियोंके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहती है तो उसे उनकी सलाहको सहानुभूतिपूर्वक सुनना ही होगा।

एक और बात है जिसपर देशी राजाओं और उनके सलाहकारोंको फौरन ध्यान देना पड़ेगा। वे कांग्रेसके नामसे ही कतराते हैं। वे लोग कांग्रेसियोंको बाहरी आदमी, विदेशी और न जाने क्या-क्या समझते हैं। कानूनके अनुसार वे यह सब हों भी सकते हैं। किन्तु जब मनुष्यके बनाये कानून प्राकृतिक नियमके विपरीत हों, और जब प्राकृतिक नियमका बोलबाला चल रहा हो, उस समय मनुष्य-कृत कानून बिलकुल निष्प्राण और बेकार बन जाते हैं। राज्योंकी जनता अपने हितके सभी मामलोंमें कांग्रेसका मुँह देखती है। उसमें से बहुत-से लोग कांग्रेसके सदस्य भी हैं। श्री जमनालालजी जैसे कुछ लोग कांग्रेस संस्थामें ऊँचे पदाधिकारी भी हैं। कांग्रेसकी नजरोंमें उसके देशी राज्योंमें रहनेवाले सदस्यों और ब्रिटिश भारत कहे जानेवाले क्षेत्रके सदस्योंमें कोई भेद नहीं। निश्चय ही कांग्रेस या कांग्रेसजनोंकी उपेक्षा करना देशी राज्योंके हितोंके लिए घातक है, खास तौरपर जब कांग्रेस या कांग्रेसजन मैत्रीपूर्ण सहायता देनेको इच्छुक हों। उन्हें इस तथ्यको पहचान लेना चाहिए कि अनेक बार राज्योंकी प्रजाको कांग्रेसका मार्गदर्शन मिलता है। वे जानते हैं कि अब तक कांग्रेसने अगर हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका पालन किया है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। किन्तु कांग्रेसके बढ़ते हुए प्रभावको देखते हुए राज्योंमें होनेवाले अन्यायके सम्मुख उसी नीतिका समर्थन करते जाना मेरे लिए अब असम्भव है। यदि कांग्रेसको लगता है कि उसमें प्रभावकारी ढंगसे हस्तक्षेप करनेकी शक्ति है तो वह पुकार उठनेपर वैसा अवश्य ही करेगी। और यदि राजा लोग यह विश्वास रखें कि उनकी जनताके कल्याणमें उनका अपना कल्याण भी है तो वे कृतज्ञभावसे कांग्रेसकी सहायता माँगेंगे और स्वीकारेंगे। कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसके निकट भविष्यमें ही परम सत्ताका स्थान ले लेनेकी सम्भावना है, और मैं आशा करता हूँ कि यह सब सौहार्दपूर्ण समझौतेसे ही होगा। निश्चय ही राजाओंका ऐसी संस्थाके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाना उनके अपने हितमें ही है। क्या वे भविष्यके इस महत्वपूर्ण इंगितको नहीं समझेंगे?

सेगाँव, २८ नवम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-१२-१९३८

१७५. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
२८ नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

तुम्हारे रोक हटाते ही मैं एस०[1] को पत्र लिखूंगा। अगर जरा भी मुमकिन हो तो दुविधा खत्म होनी ही चाहिए। आज 'हरिजन'का दिन है। तुम्हारी अनुपस्थिति सबसे अधिक सोमवारको खलती है। हाँ, यदि तुम यहाँ रहो और स्वस्थ रह सको तो अवश्य ही बहुत-कुछ कर सकती हो।

मैं नारणदासके बारेमें समझ गया। मैं तुम्हारा मधुर पत्र उसे भेज रहा हूँ।

महादेव अच्छा है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९५) में; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५१ से भी।

१७६. पत्र : मोतीलाल रायको

सेगाँव, वर्धा
२८ नवम्बर, १९३८

प्रिय मोतीबाबू,

मुझे आपसे सहानुभूति है किन्तु समभाव और न्यायकी भावना मुझे अखिल भारतीय चरखा संघका पक्ष लेनेको प्रेरित करते हैं। मैंने आपकी ईमानदारी और व्यापार-कुशलतापर भरोसा किया था। यदि आप कुछ छूट मनवाना चाहते हैं तो आप कृपया अदायगी शुरू कर दें और जितना अदा करनेका आपका विचार है उसकी अदायगीके उपरान्त उस रियायतको पानेका भरोसा करें। क्या यह सही और न्याययुक्त नहीं है? किन्तु मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने सहकर्मियोंसे कहें कि अपनी संस्थासे सम्बद्ध और केवल दरिद्रनारायणके हितार्थ चलनेवाली दूसरी संस्थाका ऋण चुकानेके लिए वे दुगना प्रयत्न करें।

१. शमशेर सिंह।

सप्रेम,

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०५२) से।

१७७. पत्र : नारणदास गांधीको

२८ नवम्बर, १९३८

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिल गया था। उसके आधारपर मैंने दो पंक्तियाँ शिकायतके तौरपर नहीं बल्कि सूचना देनेके लिए लिखी थी। उसका उत्तर मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। पत्र पढ़कर फाड़ देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यदि आन्दोलनसे सम्बन्धित तुम्हें कोई ऐसी बात नजर आये जिसकी आलोचना की जा सकती हो तो मुझे उसकी सूचना देना अपना कर्तव्य समझना।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५४ से भी; सौजन्य . नारणदास गांधी।

१७८. पत्र : मणिबहन पटेलको

सेगाँव, वर्धा
२८ नवम्बर, १९३८

चि० मणि,

मुझे तेरा पत्र मिल गया है। मुझे यह आशा नहीं थी कि इतना काम होनेके बावजूद तू पत्र लिख सकेगी। मैं दूर बैठा तेरा जौहर देख रहा हूँ। तू पुण्यशालिनी है। तेरे साहसके बारेमें तो मेरे मनमें कभी कोई सन्देह नहीं था। तू यथासम्भव जेल मत जाना। यह काम राजकोटवालोंका है।

आशा है, तू अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखती होगी।

बापूके आशीर्वाद

मणिबहन पटेल
तारघरके पास, राजकोट

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १२२

१७९. पत्र: वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव
२८ नवम्बर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

इसके साथ भावनगरवाला पत्र भेज रहा हूँ। मैने उन्हे तार दिया है कि और जत्थे भेजनेसे पहले पत्रकी प्रतीक्षा करे। इस प्रकार विद्यार्थियोका भाग लेना मुझे तो सर्वथा अनुचित लगता है।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी ठीक नही लगता कि राजकोटसे बाहरके लोग विभिन्न स्थानोसे जत्थे भेजते है। यह हमारी नीतिके सर्वथा विरुद्ध है। इन जत्थोको स्वराज्य नही चाहिए, और न वह उन्हे मिलेगा। इन जत्थोके जानेसे कडवाहट बढेगी और यदि राजकोटके लोगोमे कोई कमजोरी होगी तो वह छिप जायेगी। कमजोरीको छिपाकर हम क्या करेगे? राजकोटकी जनतामे जितना जौहर होगा उतनी ही वह चमकेगी। हमें उसके तेजको बढाना चाहिए, किन्तु वह तो भीतरकी प्रगतिसे ही बढ़ सकता है। देखना, यदि तुम इसे उचित मानते हो तो बाहरसे जत्थे भेजना बन्द कर देना और सभी विद्यार्थियोको रोक देना। और तो बहुत-कुछ लिखा जा सकता है किन्तु समय कहाँ है? खैर, कोई बात नही।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० २२९

१८०. पत्र: प्रभावतीको

सेगाँव, वर्धा
२९ नवम्बर, १९३८

चि० प्रभा,

इसके साथ जयप्रकाशको लिखा पत्र है। आशा है, यह समयपर पहुँच जायेगा। मैं यह पत्र सुबह ३-४५ बजे लिख रहा हूँ। जयप्रकाशके स्वास्थ्यका ध्यान रखना। तेरा स्वास्थ्य तो जैसा भी हो, ठीक है। मैं देखता हूँ कि तुम दोनो कान्तिसे मिल सके हो। यह अच्छा हुआ। क्या मैं तुझे यह बता चुका हूँ न कि हम पहली जनवरीको बारडोली चले जायेंगे? वहाँ एक महीना लगेगा। तू वहाँ आ सकती है। जयप्रकाश भी आ सकता है। किन्तु वह ठहरा फकीर, ध्यानी, अपने सपनोमे

डूबा रहनेवाला। वह कुछ समय मेरे पास कैसे बिता सकता है? मुझसे तो वह कुछ ले ही नही सकता और कुछ हद तक मेरा जीवन उसे पसन्द भी नही आयेगा। इसलिए क्या किया जा सकता है? मुझे इस बातसे सन्तोष मिलता है कि तू उसकी सेवामें जुटी रहती है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२४) से।

१८१. पत्र: विजया एन० पटेलको

सेगाँव
२९ नवम्बर, १९३८

चि० विजया,

प्रात.कालकी प्रार्थनाके पहले मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। बा भी ठीक ही है। तू अच्छी हो गई, यह एक बड़ी बात हुई। अब तुझे तत्काल यहाँ आनेकी जरूरत नही है, क्योकि मै २ जनवरीको बारडोली पहुँचनेकी आशा करता हूँ। और वहाँ तो तू पहलेसे ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०३) से। सी० डब्ल्यू० ४५९५ से भी; सौजन्य: विजयाबहन एम० पंचोली।

१८२. पत्र: शुएब कुरेशीको

२९ नवम्बर, १९३८

प्रिय शुएब,

जाकिरने बड़े भाईकी मृत्यु[1]का तार भेजा था। उन्हें क्या हुआ था? अभी कुछ ही समय पहले उनकी बेटीकी मृत्युपर मैंने उन्हे पत्र भेजा था। मैंने उनके निकट पहुँचनेकी कोशिश की किन्तु असफल रहा। अपने सबसे अच्छे क्षणोंमें उन्होंने जिस लक्ष्यके लिए यथाशक्य प्रयत्न किया था, क्या उनकी मृत्युका उसी दिशामे सदुपयोग नही किया जा सकता? यह मौत बड़ी दु:खद घटना है और यदि दोनों जातियोमे एकता लानेके लिए कोई कदम न उठाया गया तो यह दुगने दु:खकी

१. शौकत अलीकी २७ नवम्बर, १९३८ को दिल्लीमें मृत्यु हो गई थी।

बात होगी। यह काम कैसे किया जाये, यह कहना मेरे बसकी बात नही। मैं इस दिशामे अपने तरीकेसे काम कर रहा हूँ। पर उतना ही पर्याप्त नही है।

सप्रेम,

बापू

मध्यप्रदेश और गांधीजी, पृ० १२७ पर प्रकाशित अंग्रेजीकी प्रतिकृतिसे।

१८३. पत्र : महादेव देसाईको

२९ नवम्बर, १९३८

चि० महादेव,

कलवाली साँस घुटनेकी शिकायतका कारण पानीका ज्यादा गरम होना था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यदि धीरे-धीरे गरमी बढाई जाये तो कोई असुविधा नही होती। लगभग शरीरके तापमानसे शुरू करना अच्छा है। पासमे ही गरम पानीकी बाल्टी रखनी चाहिए। उसके बाद ठडा पानी तो लेना ही है। यदि दोपहरको कटिस्नान लिया जाये तो सबसे अच्छा हो। इसमे समय तो लगेगा किन्तु उसकी तुम्हे चिन्ता नही करनी चाहिए।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८५) से।

१८४. पत्र : सुशीला गांधीको

सेगांव, वर्धा
२९ नवम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

साथका पत्र पढकर मणिलालको भेज देना। तू जनवरीकी तारीख बदलना मत। तू जब तक चाहे तब तक वहाँ रहना। जब तेरी यहाँ दौडे चले आनेकी इच्छा हो तब तो तुझे आनेका अधिकार है ही। मैं तो केवल नानाभाई और विजयलक्ष्मी का विचार करके लिख रहा हूँ। क्योंकि सहज ही तेरी इच्छा भी माता-पिताके साथ रहनेकी होगी।

अपनी वर्तमान स्थितिमे मैं तो कुछ भी नही दे सकूँगा। बातचीतके लिए एक मिनट भी नही दे सकूँगा। मैं तुझे रोज देख सकूँ और हँस सकूँ सिर्फ इतनी बातके लिए मैं यह नही चाहूँगा कि तू यहाँ आये। बा तुझसे सेवा नही करायेगी। अब तो वह बीमार नही है। इस सबको सोचते हुए यहाँ आनेकी बात मैं तुझपर

ही छोड़ता हूँ। जनवरीकी पहली तारीखको मैं यहाँसे बारडोली चला जाऊँगा। यदि तू वहाँ आना चाहे तो दो-चार दिनके लिए आ सकती है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

किशोरलाल और गोमती आकर मिल गये। सीता मुझे क्यों नहीं लिखती? वह कैसी है? अरुण कैसा है?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८८९) से।

१८५. पत्र: अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
३० नवम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

सुबह साढ़े तीन बजे मैं सबसे पहले तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ।

मेरे पास तुम्हारा कार्यक्रम है। अतः यह पत्र दिल्ली भेजा जायेगा।

शिमलाकी तुलनामें यहाँ महादेवकी रातें अच्छी बीतती हैं जिससे प्रकट है कि उसकी दशामें सुधार जारी है। शायद शिमलाकी कड़ी सर्दी उसे अनुकूल नहीं पड़ी। पहले तो नहीं सोता था, किन्तु आजकल वह खुले आकाश तले सोता है। मौसम काफी सुहावना है। तीन-चार दिनसे मैं बरामदेमें सो रहा हूँ। एस० ने मुझे बाहर आनेकी अनुमति दे रखी है। किन्तु पता नहीं यह अनुमति कब तक चलेगी।

मीराके जानेके बादसे मैं शाम ७ बजेसे लेकर दूसरे दिन दोपहर २ बजे तक मौन रखता हूँ। अतः बातचीतके केवल पाँच घंटे हैं।

यदि शम्मी आखिरकार यूरोप जाना तय कर ले तो अच्छा होगा। इस स्थान-परिवर्तनसे उन्हें लाभ होना सम्भव है और तुम भी निश्चित होकर मेरे पास रह सकती हो। किन्तु महादेव कहेगा कि कुत्तेका क्या होगा? वह बताता रहता है कि परिवारके उस लाड़ले सदस्यकी कितने ध्यानसे देखभाल की जाती है।

अभी तो मैं औधके संविधानको माँजनेमें जुटा हुआ हूँ। वहाँके राजा साहबका पुत्र बड़ा ही अच्छा लड़का है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५३) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६४६२ से भी।

१८६. पत्र : देवदास गांधीको

३० नवम्बर, १९३८

चि० देवदास,

भारतनकी वाइसरायसे हुई बातचीतकी नकल भेजकर तूने अच्छा किया। यह नही कहा जा सकता कि आखिरकार इस उल्कापातका क्या परिणाम निकलेगा। फिर भी मैंने रियासतोंके बारेमे लिखा है,[1] उसे तू देखना और उसपर विचार करना। अनन्तराय बीचमे पड़े है इसलिए राजकोटका मामला शायद निबट जायेगा। किन्तु उससे क्या हुआ ? सभी रियासतें इसमें फँस जायेंगी। और होना भी यही चाहिए।

आशा है, लक्ष्मी और बच्चे अच्छे होंगे। यह पत्र मैं प्रातःकालकी प्रार्थनाके पहले लिख रहा हूँ। आजकल मेरा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है। मैं इसका ठीक ध्यान रखता हूँ। बा अच्छी है, महादेव भी अच्छे है। इसलिए आजकल तो सेगाँवकी आबहवा अच्छी ही मानी जायेगी। घंटी बज रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २००७) से।

१८७. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
३० नवम्बर, १९३८

चि० मीरा,

तुमने पैसे खर्च कर दिये, इसकी मुझे परवाह नही है। मै नही चाहता कि शरीर स्वस्थ बनाये रखनेके लिए गरम कपड़े या जो-कुछ भी चीजे आवश्यक हों उनके अभावमे तुम बीमार पड़ जाओ। सीमा-प्रान्तकी सर्दीसे तुम्हे कष्ट पहुँचेगा, ऐसी कोई आशका मुझे नही है। तुम वहाँ जो-कुछ भी करोगी उसे मैं उत्सुकतासे देखता रहूँगा।

दोपहर दो बजे तक का मेरा मौन जारी है। इस कारण दिनमे मुझे बातचीतके लिए केवल पाँच घटे मिलते हैं और वह लगभग सारा समय मुलाकातियोसे बातचीत करनेमे लग जाता है।

१. देखिए "देशी राज्य और प्रजा", पृ० १६८-७०।

महादेवने कल तुम्हे लिखा था। उसकी दशामें वरावर सुधार हो रहा है।
सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१७) से; सौजन्य: मीरावहन। जी० एन० १००१२ से भी।

१८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
३० नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

चीनी मित्र आये थे और उन्होने पाँच मिनटके बजाय मेरे पैंतीस मिनट लिये। आखिरकार जितनी मुलायमियतसे कह सकता था, उतनी मुलायमियतसे मुझे कहना ही पड़ा कि आप लोग अपने निर्धारित समयसे सात गुना समय ले चुके हैं।

वाइसरायके साथ हुई अपनी भेटवार्ताके सम्वन्धमे अगाथाकी रिपोर्टकी एक प्रति तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। मेरा सन्देश तो मात्र यही था कि वे मुझे अंग्रेजोंका मित्र समझे, इत्यादि। उसमे राजनीतिसे सम्वन्धित कोई वात नही थी।

आशा करता हूँ कि तुम्हे मेरा पत्र[1] यथासमय मिला होगा जिसके साथ ही सुभाषके विषयमे गुरुदेवसे प्राप्त पत्र भी संलग्न था।

आशा है कि तुम अपनी सामर्थ्यसे ज्यादा काम नही कर रहे हो, और इन्दु अच्छी तरह है।

सरूप[2] पर जो कामका भारी बोझ है उससे उसे छुटकारा मिलना चाहिए। उसे पहले अपना विगड़ा स्वास्थ्य सुधारना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३८; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। **ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स**, पृ० ३०३ से भी।

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", पृ० १६१।
२. विजयलक्ष्मी पंडित।

१८९. पत्र : शान्तिकुमार न० मोरारजीको

सेगाँव, वर्धा
३० नवम्बर, १९३८

चि० शान्तिकुमार,

महादेवने अभी-अभी तुम्हारा पत्र मेरे हाथमें दिया। यदि यों कहा जाये कि मैं तुम्हारे पिताजीको पहचानता था तो यह अधूरी वात कहना होगा। उनसे मेरा सम्वन्ध घरेलू था। इसलिए यदि मैं उनकी प्रतिमाका अनावरण करूँ तो इसमें आश्चर्यकी क्या वात है? किन्तु यदि मैं ऐसा न करूँ तो क्या उस सम्बन्धमें कोई खामी आ जायेगी? भाई भाईकी प्रतिमाका अनावरण थोड़े ही करता है? इन सब कामोंसे मेरा मन ही उचट गया है। इसलिए तनिक भी वुरा न मानते हुए और मेरी वातको गहराईसे समझते हुए मुझे इससे मुक्त रखना। जिस दिन भवनका उद्घाटन हो उसी दिन सरदारके ही हाथों प्रतिमाका भी अनावरण करवा लेना। मुझे क्षमा कर दोगे न?

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४७२८) से; सौजन्य: शान्तिकुमार न० मोरारजी।

१९०. एक पत्र[1]

सेगाँव, वर्धा
३० नवम्बर, १९३८

चि० लम्बूस,

लम्बोदरका मतलव है 'लम्बे उदरवाला'। यह गणेशका नाम है। मुझे तुझको 'लम्बूस' नाम देना चाहिए था। तूने वहुत दिनों वाद पत्र लिखा यह तो तेरी मेहरवानी ही मानी जायेगी न?

अमतुस्सलाम, लीलावती और शारदा यहीं हैं। सभी आनन्दपूर्वक हैं।

लगता है तुम सव वहनें ठीक काम कर रही हो।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७५२) से।

१. यह ज्ञात नहीं हो सका कि पत्र किसको लिखा गया था।

१९१. पत्र : प्रेमी जयरामदासको

सेगाँव
३० नवम्बर, १९३८

चि० प्रेमी,

तेरी हिंदी अच्छी तो नही है लेकिन मुझे तेरी इंग्रेजीसे ज्यादा प्रिय है। प्रयत्नसे अच्छी लिखेगी। पिताजी यहाँ आ गये है। वे तुझसे ज्यादा अच्छी हिंदी लिखते हैं।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९२५० से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम।

१९२. तार : जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके स्थानीय मंत्रीको[1]

[१ दिसम्बर, १९३८ के पश्चात्]

तेरह तारीखको तीसरे पहर तीन बजे बैठक रखिए।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

१९३. पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको[2]

[२ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][3]

आज कई सालो बाद मुझे आपकी लिखावट देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने मुझे 'दण्डवत्' लिख भेजा है इस कारण मेरे लिए कठिन हो गया है कि आपको किस प्रकार सम्बोधित करूँ।

१. स्थानीय मंत्रीने १ दिसम्बरके अपने पत्रमें गान्धीजीसे पूछा था कि वर्धामें कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकके दौरान क्या वहाँ स्मारक कोष समितिकी बैठक की जाये।

२. मोरबी, पालनपुर और गोंडल रियासतोंके भूतपूर्व दीवान। मूल पत्र गुजरातीमें रहा होगा।

३. यह पत्र दिनांक २ दिसम्बरके अन्तर्गत छपी रिपोर्टमें है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप मेरी आशाओंको पूरा करनेके लिए सतत प्रयत्नशील है। मैंने कभी नही सोचा था कि राजकोटकी जनता अकेले ही सगठित मोर्चा लिये हुए है और अनुपम एकताका प्रदर्शन कर रही है। हमारी धारणाएँ भी कैसी थोथी होती है! ईश्वरने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल बना दी जाये तो ईश्वर आपकी सेवाओको अप्रतिम सफलता प्रदान करेगा।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-१२-१९३८

१९४. चेतावनी

जो लोग राजकोट और हैदराबादके निवासी नही है उन्हे सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री दामोदरदासने वहाँके सत्याग्रह-आन्दोलनोमें भाग न लेनेकी जो चेतावनी दी है, वह सामयिक है और उसपर पूरी तरहसे अमल होना चाहिए। सत्याग्रहका तो मर्म यह है कि जो पीडित हो केवल वे ही उसमें भाग ले। ऐसी परिस्थितियोकी कल्पना की जा सकती है कि जिसे सहानुभूतिपूर्ण सत्याग्रह कहा जा सकता है, उसका अमल अनुचित न हो। लेकिन जहाँ तक मै समझता हूँ, राजकोट या हैदराबादके सत्याग्रहमे अभी बाहरवालोंके शामिल होनेकी कोई जरूरत नही है। हाँ, यह जरूर है कि उसमे अधिकारी और चिढ सकते है। लेकिन जिस विचारपर सत्याग्रहकी बुनियाद है वह तो यह है कि अन्याय करनेवालेके अन्दर न्यायभावना जाग्रत की जाये और उसे यह भी महसूस कराया जाये कि जिनके साथ अन्याय होता है उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगके बिना अन्याय करनेवाला उनपर अपना मनचाहा अन्याय नही कर सकता। अगर इन दो सूरतोमे से किसीमें भी लोग अपने कष्ट-निवारणके लिए कष्ट-सहनको तैयार न हो, तो सत्याग्रहके रूपमें कोई भी बाहरी मदद उन्हे सच्ची राहत नही दे सकती।

सेगाँव, ३ दिसम्बर, १९३८
[अग्रेजीसे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

१९५. तार: पट्टम ताणु पिल्लैको

वर्धागंज
३ दिसम्बर, १९३८

ताणु पिल्लै
राज्य कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम

भेंटवार्ताके विषयमें सिवैस्टियन और साथियों द्वारा दिये गये वक्तव्यको गलत मानता हूँ। क्या मैं सही विवरण जारी करूँ?[1]

गांधी

मूल अंग्रेजीसे: पट्टम ताणु पिल्लै पेपर्स; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१९६. पत्र: दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

३ दिसम्बर, १९३८

चि० काका,

मुझे भी बजटकी बात करनी थी, लेकिन भूल गया। थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। नकल इस पत्रके साथ है। मंगलवारको आ जाना। दो बजे थोड़ा तो समय निकालूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९७९) से।

१. गांधीजी द्वारा दिये गये विवरणके लिए देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", १०-१२-१९३८। और भेंटवार्ताके लिए देखिए "बातचीत: त्रावणकोर राज्य कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ", पृ० १४६-९।

१९७. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको

३ दिसम्बर, १९३८

चि० प्रभुदयाल,

यह् विवरण बहूत लम्बा है। उसमें पुरावा तो है हि नही।[1] जो बात तुमने लिखी है वह एक ही सफेपर आरामसे लिखी जा सकती है। विवरणको शृंगारकी अपेक्षा नही रहती है। इसे दुबारा लिखो। मैं उसे यू० पी० भेजुंगा। जो लिखो उस बारेमे क्या क्या सबूत दे सकते है वह बताओ। जिन लोगोंने कहा उनका नाम दे दो। मेरे तरफसे आशा की जाती है व० बातें निकाल दो। सक्षेपमें कहने लिखनेकी कला हासिल करनी चाहीये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५१९) से।

१९८. बातचीत : जॉन आर० मॉटके साथ[2]

[४ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूर्व][3]

डॉ० मॉट. . . सोचते थे कि क्या दुनिया, जिसमें मिशनरियोंकी दुनिया भी शामिल है, उनकी पिछली भेंटके बाद आगे नहीं बढ़ी है।[4] वे उसी महीने मद्रासमें हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद् सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेवाले थे। उस सम्मेलन की योजनाएँ वे गाधीजी को बताना चाहते थे तथा इस विषयमें गांधीजी की अन्तःप्रेरणा और राय जानना चाहते थे, ताकि सम्मेलनमें उसपर विचार-विमर्श हो सके।

उन्होंने कहा : ". . . यह एक अनोखा सम्मेलन है जिसमें ४०० से अधिक प्रतिनिधि एशिया, आफ्रिका और लैटिन अमेरिकाके नये गिरजोंकी १४ परिषदों और यूरोप, अमेरिका व आस्ट्रेलियाके पुराने गिरजोंकी १४ परिषदोंका प्रतिनिधित्व

१. प्रभुदयाल विद्यार्थीने कांग्रेसके विरुद्ध शिकायत की थी।

२. महादेव देसाईके लेख "डॉ० मॉट्स सेकंड विज़िट" (डॉ० मॉटकी दूसरी मुलाकात) से उद्धृत। बातचीतके जॉन मॉट वाले अंश थोड़े सक्षिप्त कर दिये गये है।

३. महादेव देसाईने कोई तारीख नही दी है, परन्तु देखिए "पत्र : अमृत कौरको", ५-१२-१९३८, जिसमें गाधीजी लिखते हैं, "महादेव कल पाँच घंटे मॉटकी मुलाकातपर लिखता रहा।"

४. देखिए खण्ड ६४, पृ० ३९-४८।

करेंगे। हम चाहते है कि यह सम्मेलन भारतके लिए बाधा नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हो। . . . मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा यह सोचना ठीक है कि आपने मुझे जो-कुछ बड़ी बातें समझाई थीं, उनके बारेमें हवा थोड़ी बदल गई है? . . . इन बुराइयोंके बारेमें क्या अब समझ पहलेसे साफ नहीं हो गई है? . . .

गांधीजी. मैंने जो चीज देखी है वह तो यह है कि जहाँ तक विचारका सम्बन्ध है, प्रवृत्तिकी दिशा सही है, लेकिन मै ऐसा महसूस करता हूँ कि कार्यमें कोई प्रगति नही हुई है। मैं पहले यह कहने जा रहा था कि "कोई अधिक प्रगति नही हुई है", पर सोच-विचार कर ही मैं यह कह रहा हूँ कि "कोई प्रगति नही हुई है।" आप छिटपुट कुछ लोगोके उदाहरण दे सकते हैं, पर उनका कोई महत्त्व नही है। सही विश्वासको उपयोगी बनानेके लिए उसे कार्यमें परिणत करना जरूरी है।

जॉन मॉट: पहले सवाल, यानी साम्प्रदायिक निर्णयको ही लीजिए। क्या वहाँ कोई प्रगति नहीं हुई है?

गाधीजी: कतई कोई प्रगति नही हुई है।

जॉ० मॉ०: मै इधर के० टी० पॉलकी जीवनीकी पाण्डुलिपि पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे उसका प्राक्कथन लिखनेको कहा गया है। आपके खयालसे क्या उनके समयसे कोई प्रगति नहीं हुई है? रोमन कैथोलिकोंका रुख द्वेषपूर्ण है, पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयोंके बारेमें आप क्या कहते हैं?

गां०: यदि प्रोटेस्टेंट ईसाई इस प्रश्नपर एकमत है, तो, जहाँ तक उनका सम्बन्ध है, वे समझौतेमें परिवर्तन करवा सकते हैं। परन्तु इस मामलेमें कोई ठोस कार्यवाही नही हो रही हैं।

जॉ० मॉ०: मुझे यह मालूम नहीं था कि उनके लिए कोई अपवाद हो सकता है।

गां०: उनके लिए हो सकता है।

जॉ० मॉ०: अब अगला सवाल लीजिए। लोगोंकी असमर्थताका लाभ उठाना क्या अब रुक नहीं गया है? मै आपको बताऊँ कि मैकगैवरन[1]-काण्डको पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ था, और यह जानकर कि वह गलतफहमी दूर हो गई है मुझे बड़ी राहत मिली।

गां०: इस प्रश्नपर भी मै यह तो मानता हूँ कि कुछ मित्रोंमें उत्साह है, पर जहाँ तक कार्यका सवाल है कोई परिवर्तन नही हुआ है।

जॉ० मॉ०: आपका आशय यह है कि काफी कार्य नहीं हो रहा है?

गां०: नहीं, कतई कोई कार्य नही हो रहा है। मै जो-कुछ कह रहा हूँ उसे सिद्ध करनेके लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है। मै सभी पत्रोंको, जो मुझे

१. मैकगैवरनने गांधीजी की बिशप पिकेट तथा बिशप अजारियाके साथ हुई बातचीतका एक काल्पनिक विवरण लिखकर **वर्ल्ड डोमिनियन**में छपवाया था।

मिलते हैं, प्रकाशित नही करता हूँ। श्री ए० ए० पॉलने, जिन्हे आप जानते होगे, कुछ समय पहले एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें जो विचार-विमर्श हुआ वह बहुत-कुछ जाहिर करता है। उनके प्रस्तावोमें कोई उत्साह नही था। जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी भी सुनिश्चित कार्यवाहीके बारेमे वहाँ सर्वसम्मति नही थी।

जॉ० मॉ० : मुझे तो राष्ट्रीय ईसाई परिषद्के एक प्रस्तावसे, जिसमें शुद्ध उद्देश्यों और शुद्ध व्यवहारपर जोर दिया गया है, प्रोत्साहन मिला था।

गा० . प्रस्तावका आप उल्लेख कर सकते है, पर उसके अनुरूप आप कार्य नही दिखा सकेंगे।

जॉ० मॉ० : मै समझता हूँ। कार्यके बिना निश्चयका कोई मूल्य नहीं है। यह सीख मेरे मनमें छात्रावस्थामें तभी बैठ गई थी जब मैंने चरित्र-निर्माणपर फॉस्टरका उत्कृष्ट निबन्ध पढा था। जितनी सहायता मेरी उसने की उतनी किसी और रचनाने नहीं की।

गा० : मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो-कुछ मै कह रहा हूँ उसका प्रमाण आपको मिल जायेगा। मै तो यह कहना चाहूँगा कि लोगोंकी असमर्थताका अनुचित लाभ उठानेमे जो खतरा है, उसे अभी साफ तौरपर समझा तक नही गया है। वे जिसे सामूहिक धर्म-परिवर्तनका अधिकार कहते है, उसे कभी नही छोड़ेंगे।

जॉ० मॉ० : वे अब गुटो और परिवारोंके धर्म-परिवर्तनकी बात करते है। पर गुट शब्दका कुछ मामलोमें क्या अर्थ है, यह चीज मेरे सामने बिलकुल साफ नहीं है।

गा० : मेरे सामने बिलकुल साफ है। यह सामूहिक धर्म-परिवर्तनका ही दूसरा नाम है।

जॉ० मॉ० : यह अजीब बात है। गुटो या परिवारोंका सामूहिक रूपसे धर्म-परिवर्तन कैसे हो सकता है? उदाहरणके लिए, मेरे परिवारमें धर्म-परिवर्तन पहले मेरे पिताने किया, फिर मेरी सबसे बड़ी बहनने, फिर सबसे छोटी बहनने, उसके बाद मैंने। यह एक व्यक्तिगत मामला है — पूर्णतया व्यक्ति और उसके ईश्वरके बीचका मामला है।

गा० : यही बात है। अस्पृश्यताके सवालके बारेमें मै आपको बताऊँ कि सालों तक मैं अपनी बात अपनी पत्नीके मनमे बैठा नही सका था। वह अनिच्छा-पूर्वक ही मेरा अनुकरण करती थी। लम्बे अनुभव और अमलके बाद ही बात कही उसके मनमें बैठी।

जॉ० मॉ० : जो चीजें अत्यन्त पवित्र है उनके लिए हमारे तरीके भी अत्यन्त पवित्र होने चाहिए। परन्तु क्षमा कीजिए मैं यह बात फिर कहता हूँ कि मुझे आशा है कि हवाका रुख बदल गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, विवेकशील ईसाई नेता न केवल इन बातोपर तीव्रतासे सोच रहे है, बल्कि सच्चाईके साथ सही आच-रणको प्रोत्साहन देनेमें लगे हैं। धनके समझदारीसे उपयोगके तीसरे प्रश्नपर मुझे उत्साहवर्द्धक लक्षण दिखते हैं।

गां० : पर वह तो मजबूरीसे पैदा हुआ गुण है। भारतीय ईसाई आत्म-निर्भरताकी बात प्रकट रूपसे सोच रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारियोंकी बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं, "ईश्वरको धन्यवाद देना चाहिए कि अमेरिकी धन अब आ नहीं सकता।"

इसके बाद देर तक धनके समझदारी और नासमझीसे उपयोगके अवान्तर विषयपर चर्चा होती रही। इस विषयने पिछली भेंटमें भी उनका ध्यान आकर्षित किया था और गांधीजी ने विषयको इन शब्दोंके साथ बहुत ही प्रभावशाली ढंगसे रखा था :

"ईश्वर और धनासुर [मैमेन]को एकसाथ नहीं साधा जा सकता और मुझे तो ऐसी आशंका है कि भारतकी सेवा करनेके लिए धनासुरको ही भेजा गया है, और ईश्वर पीछे रह गया। परिणामतः वह एक-न-एक दिन इसका बदला अवश्य लेगा।

[उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि दिये गये धनमें और अर्जित धनमें जमीन और आसमानका अन्तर है।]

जॉ० मॉ० : परन्तु आपके अपने उदाहरणसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि धनका समझदारीसे भी उपयोग होता है। आज सुबह जो संस्थाएँ मैंने देखी हैं, वे सब इसके सिवा और क्या प्रमाणित करती हैं?

गां० : आपको मेरे सिद्धान्त और व्यवहारमें अन्तर्विरोध दिखाई देता है? पर आपको पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। धन एकत्रित करनेके अपने समस्त अनुभव और सामर्थ्यके बाद भी मैं इस मामलेमें बिलकुल उदासीन हूँ। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि किसी धार्मिक संगठनके पास जब अपनी आवश्यकतासे अधिक धन हो जाता है, तो उसके लिए ईश्वरमें आस्था मिटने और धनमें आस्था जमनेका खतरा पैदा हो जाता है। धनका 'समझदारीसे' या 'नासमझीसे' उपयोग-जैसी चीज कोई नहीं है। आपको केवल उसपर निर्भर रहना बंद करना है। आप रोटीतक पर निर्भर मत रहिए और यह कहकर ईश्वरके साथ सौदेबाजी मत कीजिए कि जब तक ईश्वर आपको रोटी नहीं देगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे।

जॉ० मॉ० : मैं इसपर कुछ विस्तारसे बहस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आपके शब्दोंको गलत ढंगसे उद्धृत न करूँ।

गां० . तब, मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे दो प्रभावकारी उदाहरणोंसे स्पष्ट करूँगा। दक्षिण आफ्रिकामें जब मैंने सत्याग्रह-अभियान शुरू किया, मेरी जेबमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, पर मैं निश्चिन्त था। मुझे ३,००० लोगोंके एक पूरे काफिलेकी व्यवस्था करनी थी। मैंने कहा, "घबराइए मत। यदि ईश्वर चाहेगा तो वह इसे आगे

ले जायेगा।" तब भारतसे धनकी वर्षा होने लगी। मुझे उसे रोकना पडा, क्योंकि जब धन आया तो उसके साथ मुसीबतें भी आईं। पहले वे लोग रोटी और थोड़ी शक्कर से ही सतुष्ट थे, पर अब सभी तरहकी चीजोंकी माँग करने लगे।

अब नई तालीमके प्रयोगकी मिसाल लीजिए। मैंने कहा, यह प्रयोग किसीसे भी आर्थिक सहायताकी मांग किये बिना चलते रहना चाहिए। नही तो मेरी मृत्युके बाद सारा सगठन खण्ड-खण्ड हो जायेगा। सच्चाई यह है कि जैसे ही आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है, आत्मिक दिवालियापन भी सुनिश्चित हो जाता है।

जॉ० मॉ० : परन्तु धनका आपने समझदारीसे उपयोग किया।

गां० : सोना-चांदी नही, केवल रोटी चाहिए। ईश्वरकी इस व्यवस्थामें कुत्ता तक भूखा नही रहता है।

इसके बाद अस्पृश्यताका अंतिम प्रश्न आया। डॉ० मॉट सोचते थे कि क्या आज विवेक दुनिया-भरमें तेजीसे जाग नहीं रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकामें [इस सवाल-पर] विभिन्न गुटोंके बीच बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। जिन होटलोंमें नीग्रो लोगोंका प्रवेश निषिद्ध है, उनका बहिष्कार करनेके निश्चय किये गये हैं। जर्मनीमें यहूदियोंके साथ होनेवाले अमानुषिक व्यवहारके विरोधमें ईसाई जेल गये हैं। कचरेमें से कंचन बाहर आ रहा है। भारतमें स्थिति क्या है?

गां० : मै फिर कहता हूँ कि कार्यमे कोई प्रगति नही हुई है। इसका एक अच्छा प्रमाण ब्रिटिश लोग हैं। उनमे जातीय भावना घटनेकी बजाय बढ रही है। दक्षिण आफ्रिकामे पक्षपातकी आंधी जोरोपर है। भूतपूर्व मत्रियोकी घोषणाओंकी अवज्ञा की जा रही है। इसी तरहकी कहानियां पूर्वी आफ्रिकासे भी सुनाई पडती हैं। पर मैं बराबर आशावादी हूँ। इसलिए नही कि सच्चाई फूलने-फलनेवाली है, इसका मैं कोई प्रमाण दे सकता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा यह अटल विश्वास है कि अतमे सच्चाई ही फूले-फलेगी।

जॉ० मॉ० : दक्षिण आफ्रिकामें भी क्या हॉफमेअर और एडगर ब्रुक्स-जैसे लोग नहीं हैं? कुछ व्यक्तियोंका रुख निश्चय ही बदल गया है।

गां० . मुट्ठी-भर वैयक्तिक उदाहरणोसे निष्कर्ष निकालना गलत होगा। हमे प्रेरणा केवल अपनी इस आस्थासे ही मिल सकती है कि सच्चाईकी अंतमे अवश्य विजय होगी। लेकिन इस मामलेमे, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, विचारकी दिशामे कुछ प्रगति हुई है, पर कार्यकी दिशामे नही हुई है।

अगले दिन डॉ० मॉटने बातचीतकी भूमिका अपनी इस टिप्पणीसे बाँधी : मैंने जो प्रश्न पूछे, उनपर अपने विचार आपने बड़े ही मौलिक ढंगसे रखे हैं। मेरे लिए उनका क्या मूल्य है मैं बता नहीं सकता। आपकी इस बातने मुझे प्रभावित किया है कि विचारकी दिशामें तो कुछ प्रगति हुई है, पर कार्यकी दिशामें कोई प्रगति नहीं हुई है। . . . मैं भी आपको यह दिखा सकता था कि वस्तुतः कुछ चीजें ठोस रूप ले रही हैं। पर आज मैं आपका ध्यान एक और विषयपर आकर्षित करना चाहता

हूँ। 'डाकू' राष्ट्रोंके बारेमें, यदि आप मुझे इस प्रचलित शब्दका प्रयोग करनेकी अनुमति दें तो, क्या किया जाये? अमरीकामें वैयक्तिक गुण्डागर्दी थी। उसे स्थानीय और राष्ट्रीय पैमानेपर पुलिसकी कड़ी कार्रवाइयोंसे दबा दिया गया है। इसी तरहकी कोई चीज क्या हम राष्ट्रोंके बीच चल रही गुण्डागर्दीके बारेमें नहीं कर सकते? मिसाल के तौरपर मंचूरियामें, जहाँ अफीमके जहरका दुष्टतापूर्वक प्रयोग हो रहा है, अबीसीनियामें, स्पेनमें, आस्ट्रियापर अचानक कब्जा कर लेनेके और चेकोस्लोवाकियाके मामलेमें क्या हम कुछ नहीं कर सकते? इस सिलसिलेमें मैं आपको बताऊँ कि आपने चेकोस्लोवाकियाके संकटपर[1] और यहूदी प्रश्नपर[2] जो-कुछ लिखा, उसका मुझपर गहरा असर हुआ था। क्या हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस-जैसी किसी चीजकी स्थापना नहीं कर सकते?

गां० : यह प्रश्न मेरे लिए कोई नया नही है।

जॉ० मॉ० : मैं भी ऐसा नहीं सोचता हूँ।

गां० : मुझे भारतीय परिस्थितियोमें इसी तरहके सवालोंसे जूझना पड़ता है। हमें साम्प्रदायिक और मजदूर दंगोको दबाना पडा। मंत्रिमण्डलोंने कुछ मामलोंमे सैन्य शक्तिका और ज्यादातरमे पुलिसका प्रयोग किया। जहाँ मैं यह मानता हूँ कि मन्त्रियोके आगे और कोई चारा न था, वहाँ मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल अपनी पूंजीमें, यानी अहिंसाके अपने जगजाहिर अस्त्रमें, दिवालिये सिद्ध हुए है। तो भी, जो सवाल आपने पूछा है उसके जवाबमें मैं कहूँगा कि यदि विश्वके सर्वोच्च मनीषियोने अहिंसाकी भावनाको आत्मसात् नही किया तो उन्हे गुण्डागर्दीका पुराने ढंगसे ही सामना करना होगा। परन्तु उससे केवल यही सिद्ध होगा कि हम अभी जगलके कानूनसे आगे नही बढे हैं; हमें ईश्वरने जो विभूति दी है उसके मूल्य को हमने अभी नही पहचाना है; १९०० वर्ष पुराने ईसाई धर्म, उससे भी पुराने हिन्दू-धर्म और बौद्ध धर्म और (यदि मैंने उसे ठीकसे समझा है तो) इस्लाम धर्मकी शिक्षाओके वावजूद, हमने अभी मानव प्राणियोंकी हैसियतसे कोई खास प्रगति नहीं की है। जिनमे अहिंसाकी भावना नही है वे यदि बल-प्रयोग करते है तो वह बात मेरी समझमे आ सकती है। पर जो अहिंसासे परिचित है उनसे मैं यही चाहूँगा कि वे अपनी पूरी शक्ति यह दिखानेमे लगा दे कि गुण्डागर्दीका भी अहिंसासे ही मकाबला करना है। क्योकि बल-प्रयोग चाहे कितने ही न्यायोचित रूपमें किया जाये, वह अतमे हमे उसी दलदलमे ले जायेगा जहाँकि हिटलर और मुसोलिनीकी शक्ति ले जाती है। उनमें केवल मात्राका ही अन्तर रहेगा। आपको और मुझे, जिनका अहिंसामे विश्वास है, इसे इस नाजुक घड़ीमे प्रयुक्त करना चाहिए। फिलहाल चाहे हमे ऐसा लगे कि हम किसी दीवारसे सिर फोड रहे है, फिर भी गुण्डो तकके दिलोको छूनेमे हमे निराश नही होना चाहिए।

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४९-५२।

२. देखिए "यहूदी लोग", पृ० १५३-७।

जॉ० मॉ० : मिशनरी और आम ईसाई ग्रामोद्योग आन्दोलन, नई तालीम आन्दोलन आदि रचनात्मक गतिविधियोमें किस प्रकार सहायक हो सकते है ?

गां० : उन्हे इन आन्दोलनोका अध्ययन करना चाहिए और इन सगठनोके अधीन या इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि मेरे कुछ अनमोल ईसाई सहयोगी है। परन्तु वे उँगलियोपर गिने जा सकते है। मुझे डर यह है कि ईसाइयोमे से ज्यादातरका इसमे विश्वास नही है। कुछने तो साफ-साफ कह दिया है कि आपने जिन सस्थाओका नाम लिया है उनके द्वारा सचालित ग्राम-आन्दोलन या शिक्षा-आन्दोलनमे हमारा विश्वास नही है। जाहिर है कि वे औद्योगीकरण और पाश्चात्य ढगकी शिक्षामे विश्वास करते है। फिर मिशनरी सामूहिक रूपसे ऐसे आन्दोलनोमे भाग लेनेसे, जो पूर्णतया या मुख्यतया ईसाइयो द्वारा सचालित नही है, शायद झिझकते भी है।

यदि मुझे अपनी गतिविधियोमे भारतके ५००० प्रोटेस्टेण्ट मिशनरियोका हार्दिक और सक्रिय सहयोग मिल जाये, और यदि वे अहिंसाकी जीवन्त शक्तिमें सचमुच विश्वास करने लगे और उसे ही एकमात्र कारगर शक्ति मानने लगे, तो वे न केवल यहाँ सहायक हो सकते है, बल्कि शायद पश्चिमपर भी प्रभाव डाल सकते है।

जॉ० मॉ० : खुशीकी बात यह है कि उनमें काफी ऐसे है जो आपसे बिलकुल सहमत है।

गा० : मुझे मालूम है।

जॉ० मॉ० : आपके जीवनका सर्वाधिक रचनात्मक अनुभव क्या रहा है ? अपने अतीतपर दृष्टि डालते हुए आपको कौन-सा अनुभव ऐसा लगता है जब, सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल होते हुए भी, ईश्वरमें आपकी आस्था जाग उठी हो, जब, कहना चाहिए कि, सब-कुछ असम्भव लगते हुए भी जीवन धरतीमें से फूट पड़ा हो ?

गा० . इस तरहके अनुभव बहुत-से है। पर आपने जब यह प्रश्न मेरे सामने रखा तो मुझे खास तौरसे एक ऐसा अनुभव याद आया जिसने मेरे जीवनकी दिशा ही बदल दी। वह घटना मेरे साथ दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेके सात दिन बाद ही घटी थी। मै वहाँ बिलकुल सासारिक और स्वार्थपूर्ण ध्येयसे गया था। मै तब महज एक छोकरा था, इग्लैडसे लौटा था और कुछ पैसा पैदा करना चाहता था। जो आसामी मुझे वहाँ ले गया था उसने अचानक मुझसे डर्बनसे प्रिटोरिया जानेको कहा। वह एक ऐसी यात्रा थी जो आसान नही थी। चार्लसटाउन तक रेलसे सफर करना था और फिर घोड़ागाड़ीसे जोहानिसबर्ग पहुँचना था। रेलमे मेरे पास पहले दर्जेका टिकट था, पर बिस्तरका टिकट नही था। मैरित्सबर्गमे, जहाँ बिस्तर दिये जाते थे, गार्ड आया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया तथा वैन डिब्बेमे जानेको कहा। मै वहाँ जानेको राजी नही हुआ और रेल मुझे ठडमें काँपता छोड वहाँसे चल दी।[1] अब वह रचनात्मक अनुभव होता है। मुझे अपने प्राणोका भय था। मै अधेरे वेटिंग

१. देखिए खण्ड ३९, पृ० ८९-९०।

रूममे घुसा। एक गोरा उस कमरेमें मौजूद था। मुझे उससे डर लगा। तव मैंने अपने-आपसे पूछा, मेरा फर्ज अव क्या है? क्या मै भारत वापस चला जाऊँ, या ईश्वरको अपना सहायक मानकर आगे बढ़ूँ और जो-कुछ भाग्यमे है, उसका सामना करूँ? मैंने वही रहने और कष्ट भोगनेका फैसला किया। मेरी सक्रिय अहिंसा उसी दिनसे शुरू हुई। और ईश्वरने उसी यात्रामे मेरी परीक्षा भी ली। गाड़ीवानने जो सीट मुझे दी थी, उसपर न वैठनेपर उसने मेरी वुरी तरह पिटाई की।

जॉ० मॉ०: आपको जो कष्ट, आघात-पर-आघात मिले, वे आपकी आत्मामें अंकित होते गये।

गां०. हाँ, वह मेरे जीवनका सवसे अमूल्य अनुभव था।

जॉ० मॉ०: अपना यह अनुभव आपने मुझे बताया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कठिनाइयो, दुविधाओं और शंकाओमें आपकी आत्माको सबसे अधिक संतोष किस चीजसे मिला?

गा०: ईश्वरमे जीवन्त आस्थासे।

जॉ० मॉ०: अपने जीवन और अनुभवोंमें ईश्वरकी असंदिग्ध अभिव्यक्ति आपको कब अनुभव हुई?

गा०. मैंने यह अनुभव किया है और मै विश्वास करता हूँ कि ईश्वर आपके आगे सशरीर कभी प्रकट नही होता। वह तो उस कार्यमे प्रकट होता है जो गहनतम अंधकारमे भी आपकी मुक्तिका कारण हो सकता है।

जॉ० मॉ०: आपका आशय क्या यह है कि ऐसी चीजें होती हैं जो ईश्वरके बिना हो ही नहीं सकतीं?

गा०: हाँ, वे अचानक और अनजाने ही होती है। एक अनुभव ऐसा है जो मेरी स्मृतिमे बहुत ही स्पष्ट हैं। वह अस्पृश्यता-निवारणके लिए किये गये २१ दिनके मेरे उपवाससे[१] जुड़ा है। मै जव रातको सोनेके लिए लेटा था तो अगले दिन सुवह उपवासकी घोषणा करनेका रत्ती-भर भी विचार मेरे मनमे नही था। रातको कोई १२ बजे कोई चीज अचानक मुझे जगा देती है और कोई आवाज — वह भीतरसे आई या वाहरसे, मैं कह नही सकता — धीरेसे मुझसे कहती है, 'तुम्हें उपवास करना चाहिए।' 'कितने दिन', मै पूछता हूँ। वह आवाज फिर कहती है, 'इक्कीस दिन'। 'वह कव शुरू हो', मै पूछता हूँ। वह कहती है, 'तुम कल शुरू कर दो।' यह निर्णय कर चुकनेके बाद मैं शातिसे सो गया। प्रातःकालकी प्रार्थना तक अपने साथियोको मैंने कोई वात नही वताई। प्रार्थनाके बाद मैंने उनके हाथमे कागजका एक पुर्जा थमा दिया, जिसमें मेरे निश्चयकी घोषणा थी और उनसे यह कहा गया था कि वे मुझसे (इस विषयमें) वहस न करे, क्योंकि यह निश्चय वदला नही जा सकता।

१. देखिए खण्ड ५५; उपवास ८ मई, १९३३ से आरम्भ हुआ था।

डाक्टरोकी यह राय थी कि उस उपवाससे मैं जीवित नही रहूँगा। परन्तु मेरे भीतर कोई चीज कह रही थी कि मैं जीवित रहूँगा और मुझे अवश्य आगे बढना चाहिए। उस तरहका अनुभव मेरे जीवनमे उससे पहले या उसके बाद फिर कभी नही हुआ।

जॉ० मॉ० : इस तरहकी चीजको उत्पत्ति, निश्चय ही, आप किसी दुष्ट स्रोतसे तो मान नहीं सकते?

गा० कदापि नही। मैंने उसे कभी भी गलती नही समझा। मेरे जीवनमे यदि कभी कोई आध्यात्मिक उपवास रहा है तो वह यही था। शारीरिक वासनाओके दमनमे कुछ गुण अवश्य है। शरीरका बलिदान किये बिना ईश्वरसे साक्षात्कार असम्भव है। शरीरको भगवानका मन्दिर मानते हुए उसकी आवश्यकताएँ पूरी करना एक बात है, और उसे हाड़-मासकी काया मानते हुए उसकी वासनाओका दमन करना दूसरी बात है।

डॉ० मॉटने १९३६ में अपनी भेंटके अंतमें मौनपर एक प्रश्न किया था। १९२८ में जब वे थोड़ी देरके लिए अहमदाबाद आये थे, तब भी उन्होने यही किया था। इस भेंटमें भी उन्होने गांधीजी से पूछा कि क्या यह आपको अपनी आध्यात्मिक खोजमें अभी भी आवश्यक लगता है।

गा०. मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अब सदा मौन रहनेवाला व्यक्ति हूँ। कुछ समय पहले ही मैंने कोई दो महीने तक पूर्ण मौन रखा था और उस मौनका जादू अभी तक टूटा नही है। आज आपके आनेपर मैंने मौन तोडा था। आजकल शामको प्रतिदिन प्रार्थनाके समय मैं मौन धारण कर लेता हूँ और दो बजे मिलने आनेवालोके लिए उसे तोडता हूँ। आज जब आप आये तभी मैंने मौन तोडा था। यह अब मेरे लिए शारीरिक और आत्मिक दोनो कारणोसे आवश्यक हो गया है। आरम्भमें यह मानसिक दबावको कम करनेके लिए किया जाता था। फिर मुझे लिखनेके लिए भी समय चाहिए था। परन्तु कुछ समय तक अभ्यास करनेके बाद मुझे इसका आध्यात्मिक महत्व पता चला। मेरे दिमागमे अचानक यह चीज कौंधी कि ईश्वरके साथ सर्वाधिक सम्पर्क मैं इसी समयमे रख सकता हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी प्रकृति मौनके लिए ही बनी हो। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं बचपनसे ही चुप रहनेवाला माना जाता रहा हूँ। स्कूलमे मैं चुप रहता था और लदनके अपने दिनोमे मुझे मेरे मित्र मूक भँवरा कहा करते थे।

जॉ० मॉ० : इस सिलसिलेमें मुझे 'बाइबिल' के दो उद्धरण याद आ रहे हैं:
"ओ री मेरी आत्मा, तू ईश्वरके समक्ष मूक हो जा।"
"बोलो प्रभु, तुम्हारा सेवक सुन रहा है।"
मैंने प्रायः अत्यन्त कोलाहलपूर्ण समयमें भी ईश्वरके साथ सम्पर्कके लिए मौन साधा है।

मुझे खेद है कि मैंने आपका निर्धारितसे कहीं अधिक समय ले लिया है। आपके पास होने पर मुझे समयका कुछ होश ही नहीं रहता। मैं आपका कितना आभारी हूँ, बता नहीं सकता।

सेगाँव, ५ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-१२-१९३८

१९९. खादीको लोकप्रिय कैसे बनायें?

एक आदरणीय खादी-कार्यकर्ताने मुझे हिन्दीमे एक पत्र लिखा है, जिसका साराश यह है:

> मिलोके कपडेके मुकाबलेमे, कीमतके लिहाजसे, खादी महँगी पड़ती है। मिलके कपड़ेसे तो इसका मुकाबला तभी हो सकता है जबकि हाथसे ओटने, धुनने और कातनेकी मजदूरीको उसमे से निकाल दिया जाये। इसलिए जो लोग खुद सूत कातते है, उनके लिए भी यह कोई मुनाफेकी बात नही है। इसमे शक नही कि आपने खादीका नया अर्थशास्त्र निकाला है। लेकिन जब तक बहुसख्यक लोग उसकी कद्र न करे, खादी सब लोगोमे प्रसार पा नही सकती। और तो और, हमारे कांग्रेसी मन्त्री भी आपके नये अर्थशास्त्रको समझते या उसकी कद्र करते हो, ऐसा मालूम नही पड़ता। ऐसी हालतमे क्या आप खादी-कार्यकर्ताओ, बल्कि मन्त्रियो और कांग्रेसजनोका भी मार्ग-प्रदर्शन नही करेगे? आपका विश्वास तो इतना जबरदस्त मालूम पड़ता है कि अगर हम, यानी आपके साथी कार्यकर्ता, आपको ऐसा करने दे तो आप ईमानदारी और कुशलताके साथ किये जानेवाले आठ घटेके कामके लिए कातनेवालोको आठ आना रोज भी फौरन दे देगे। लेकिन, सच बात यह है कि हमारे अन्दर आपकी-जैसी श्रद्धा नही है।

निस्सन्देह, खादी मिलके कपड़ेसे मुकाबला नही कर सकती, न ऐसा कभी सोचा ही गया था। जिस नियमसे खादीका नियन्त्रण होता है, उसे अगर लोग न समझे और उसकी कद्र न करे तो खादी सर्वसाधारणमे कभी भी स्थान नही पा सकती। उस हालतमे यह लाजिमी तौरपर मालदारों और उन्ही लोगोके शौककी चीज रहेगी, जिन्हे कि इसकी धुन है। और अगर इसे खाली यही बनना हो, तो अखिल भारतीय चरखा सघ-जैसी महान संस्थाके सारे प्रयत्नोको बुरा न भी कहे, मगर बिलकुल व्यर्थ तो कहना ही पड़ेगा।

लेकिन खादीका एक बड़ा मिशन है। खादी उन लाखो आदमियोंको सम्मान-पूर्ण धन्धा देती है जो सालके लगभग चार महीने बेकार रहते है। इस कामसे जहाँ

उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, वहाँ यों भी यह अपना पुरस्कार आप है। क्योंकि लाखों आदमी अगर मजबूरन बेकार रहे तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे वे जरूर मुर्दा बन जायेंगे। फिर चरखेसे लाखो गरीब औरतोकी स्थिति अपने-आप सुधरती है। इसलिए मिलका कपड़ा चाहे लोगोको मुफ्त ही क्यो न दिया जाये, तो भी उनकी सच्ची भलाई इसीमें है कि वे खादीके मुकाबलेमें, जोकि उन्हीके परिश्रमका फल है, उसे लेनेसे इनकार कर दे।

जिन्दगी रुपयेसे ज्यादा कीमती है। यों तो यह बड़ा सस्ता नुस्खा है कि हमारे बूढे माँ-बाप जो काम करनेमे असमर्थ हो जायें और हमारी ही कमाईपर निर्भर हो, उन्हे हम मार डालें। इसी तरह, जिन बच्चोकी हमें अपनी भौतिक सुख-सुविधाके लिए जरूरत नही है और जिनकी हमे बदलेमे कुछ भी पाये बिना परवरिश करनी होती है, उन्हे मार डालना भी सस्ता ही तरीका है। लेकिन न तो हम अपने बूढे माँ-बापकी हत्या करते हैं, न अपने बच्चोकी, बल्कि चाहे जितना खर्च पडनेपर भी उनकी परवरिश करना अपना सौभाग्य समझते हैं। इसी तरह खादीको भी हमें और सब कपड़ेको छोडकर कायम रखना चाहिए। यह महज आदतकी बात है कि हम खादीके बारेमे कीमतकी बात सोचते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम खादीके अर्थशास्त्रके बारेमें अपनी धारणा बदल दें। राष्ट्रके हितकी दृष्टिसे जब हम इस बात का अध्ययन करेंगे, तो हमे पता लगेगा कि खादी हरगिज महँगी नही है। सक्रमण-कालमे घरेलू अर्थशास्त्रमें रद्दोबदलका खतरा तो उठाना ही होगा। इस समय हमारे सामने एक बडी रुकावट है। लकाशायरको, और आप चाहे तो यह भी कह सकते है कि हिन्दुस्तानी मिलोको भी, लाभ पहुँचानेके लिए रुईकी उत्पत्तिका केन्द्रीकरण कर दिया गया है। रुईकी कीमतें विदेशोकी कीमतोसे तय होती है। जब रुईकी उत्पत्तिका विभाजन खादीके अर्थशास्त्रकी आवश्यकताओके मुताबिक होगा, तब रुईकी कीमतमे घटा-बढी नही होगी और अबसे कम तो वह हर हालतमें रहेगी। राज्यके सरक्षण या स्वेच्छा-प्रेरित प्रयत्नोसे जब लोग केवल खादीके ही व्यवहारकी आदत डाल लेगे, तब वे उसके सस्ते-महँगेपनपर उसी तरह ध्यान नही देगे जिस तरह कि लाखों शाका-हारी मांसाहार और शाकाहारकी कीमतोकी कोई तुलना नही करते। वे तो मासाहारकी बजाय भूखो मर जाना पसन्द करेंगे, फिर वह चाहे मुफ्त ही क्यों न बाँटा जाये।

लेकिन मै यह मानता हूँ कि खादीमे ऐसी जीवन्त आस्था बहुत ही कम काग्रेस-जनोकी है। मन्त्री कांग्रेसी हैं। वे अपने आसपासके वातावरणसे प्रेरणा पाते हैं। अगर खादीमें उनकी जीवन्त आस्था हो, तो उसे लोकप्रिय बनानेके लिए वे बहुत-कुछ कर सकते हैं।

१९२० में स्वराज्यका जो मूल कार्यक्रम बनाया गया था, खादी उसका आवश्यक अंग थी। १९२१-२२ मे हजारो कांग्रेसजनोंने सैकड़ो सभाओमे यह बात दुहराई थी कि हरेक गाँवमे चरखा चलने लगे, तभी लाखो आदमियोको स्वराज्य मिल सकता है। मरहूम अलीबन्धु बेशुमार सभाओमे तकरीर करते हुए अकसर यह कहा करते थे

कि जब तक हरेक घरमे चरखा और हरेक गाँवमें करघा नही होगा, तब तक आजादी हासिल नही हो सकती। मौ० मुहम्मद अली अपनी सजीव भाषामें कहा करते थे कि "हमारे चरखे हमारी आजादीके जगके हथियार है और उनसे निकलनेवाली सूतकी आँटियाँ हमारे गोला-बारूद है।" वे ऐसे दृढ विश्वासके साथ यह बात कहते थे कि वह श्रोताओके दिलमें बैठ जाती थी। लेकिन शुरूके उन दिनोका वह विश्वास कायम नही रहा। काग्रेसजनोकी दृष्टिमे, आम तौरपर, खादी स्वराज्यके लिए जरूरी नही रही। श्री जवाहरलाल नेहरूने खादीको हमारी आजादीकी वर्दी कहा है। लेकिन कितने उसे इस मानीमे अपनाते है? काग्रेसजन अगर ऐसा विश्वास रख सके तो खादी अपने-आप चल निकलेगी। क्योकि स्वतन्त्रता किसी कीमतपर भी महँगी नही है। वह तो जीवनका प्राण है। अपनी जिन्दगीके लिए कोई कौन-सा खर्च करनेको तैयार न होगा? सविनय अवज्ञा तो एक अस्थायी चीज है। काग्रेसी झण्डा उसका द्योतक नही है। उसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि वह स्वतन्त्रताके मूल तत्त्वोको व्यक्त करे। खादी उसकी पृष्ठभूमि है। उसके ऊपर चरखा अंकित है और वही उसको कायम रखे हुए है। उसके रंगोसे जाहिर होता है कि स्वतन्त्रता हासिल करनेके लिए साम्प्रदायिक एकता कितनी जरूरी है। ये शर्ते पूरी हो जाये तो शायद सविनय अवज्ञाकी और उसके कारण उठाये जानेवाले कष्टोकी कोई जरूरत ही न रहे। मेरे लिए तो खादी पहनना आजादीका बाना धारण करना है।

खादीके इस अर्थको तहेदिलसे मान लिया जाये, तो मै बतला सकता हूँ कि कांग्रेसी मन्त्री ही नही, बल्कि सभी मन्त्री और खादी कार्यकर्ता तथा कांग्रेसजन क्या कर सकते है और उन्हे क्या करना चाहिए।

यह हो सकता है कि एक मन्त्री केवल इसीलिए रहे कि वह खादी और ग्रामोद्योगकी देखभाल करे। इसलिए इस कामका एक महकमा होना चाहिए, जिसे दूसरे महकमोंका सहयोग मिलना चाहिए। इस प्रकार कृषि-विभाग रुई-उत्पादनके विकेन्द्रीकरणकी योजना बनायेगा, गाँवोके उपयोगके लिए रुईकी पैदावार लायक जगहकी पैमाइश करेगा, और इस बातका पता लगायेगा कि उसके प्रान्तके लिए कितनी रुईकी जरूरत होगी। यही नही, बल्कि उपयुक्त केन्द्रोमे वितरणके लिए वह रुईका स्टाक भी रखेगा। स्टोरका महकमा प्रान्तमें उपलब्ध खादीको खरीदेगा और अपनी जरूरतका कपड़ा बनवायेगा। तकनीकी महकमे चरखों तथा दस्तकारीके दूसरे साधनोकी तरक्की के लिए कोशिश करेगे। ये सब महकमे अ० भा० चरखा संघ और अ० भा० ग्रामोद्योग संघको अपने विशेषज्ञ मानकर उनके साथ बराबर सम्पर्क रखेंगे।

राजस्व-मन्त्री खादीको मिलकी प्रतियोगितासे बचानेके उपाय सोचेगा।

खादी कार्यकर्ता अथक उत्साहके साथ खादी विज्ञानके नियमोकी छानबीन करेगे और खादीको अधिक टिकाऊ तथा अधिक आकर्षक बनानेकी कोशिश करेगे और खादीके प्रसारके उपाय सोचनेके लिए अपनेको जिम्मेदार समझेंगे। यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर उन्हीकी मदद करता है जो सदा जागरूक रहते है और अपने सारे गुणोका उपयोग अपने मिशनकी साधनाके लिए करते है।

आशा है कि सभी कांग्रेसजन न सिर्फ समारोहोमें बल्कि आदतन खादी पहनकर, खुद कताई करके और जब कभी उनसे कहा जाये तभी खादी कार्यकर्ताओंकी मदद करके अपने पडोसियोमे खादीके सन्देशका प्रसार करेगे।

सेगाँव, ४ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

२००. टाटानगरमें हरिजन कल्याण-कार्य[1]

बिहारके मत्री श्री जगलाल चौधरी द्वारा धतकीडीह हरिजन पाठशालाकी नई शाखाके उद्घाटन-समारोहका पूर्ण और विस्तृत विवरण मेरे सामने है। यह समारोह टाटानगरमे सम्पन्न हुआ। प्रबन्धक श्री जे० जे० गाधीने, जो निजी तौरपर हरिजन कल्याण-कार्यमें दिलचस्पी लेते है, अपने भाषणके दौरान मत्री महोदयसे शाखाका उद्घाटन करनेकी प्रार्थना करते हुए और बातोके साथ यह कहा :[2]

सेगाँव, ४ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १०-१२-१९३८

२०१. पत्र : मीराबहनको

५ दिसम्बर, १९३८

चि० मीरा,

जहाँ तक पत्र लिखनेका सम्बन्ध है, पिछले तीन दिनसे मैने तुम्हारी उपेक्षा की है। काम इतना रहा कि तुम्हारे लिए समय ही नही निकाल सका। इसलिए यह पत्र प्रात कालकी प्रार्थनाके पहले लिख रहा हूँ। परन्तु तुम्हे पत्र लिख न सकूं, तो भी यहाँ काफी चीजे है जो रोज तुम्हारी याद दिलाती है।

पता नही तुम्हारे शरीर, मन और आत्माका क्या हाल है? तुम्हारे पत्रकी बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।
२. भाषण यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें वक्ताने हरिजन बच्चोंकी शिक्षाको बढ़ावा देनेके लिए स्टील कम्पनी द्वारा किये जा रहे प्रयत्नोंका ब्योरा दिया था।

मुझे शारदासे कहना पड़ेगा कि वह यहाँके समाचार तुम्हें लिख दिया करे।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

आखिर तुम्हारा पत्र पेशावरसे आ गया। मैं बिलकुल अच्छा हूँ। रक्तचाप ठीक है। यहाँ सर्दी शुरू हो गई है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१८) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १००१३ से भी।

२०२. पत्र : अमृत कौरको

५ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

मैंने दो पत्र तुम्हें दिल्लीके पतेपर भेजे थे। उनमें से एक पत्र मेरी मूर्खतावश ४, भगवानदास रोडके बजाय १२, भगवानदास रोड भेज दिया गया था। तो भी मुझे आशा है वह तुम्हें मिल ही गया होगा।

ऐसा लगता है कि यहाँ सब ठीक चल रहा है। मुलाकातोंका सिलसिला जारी है। आनन्द एक सप्ताहके उपवास पर है। बीचमें चौथे दिन नीबू और केला ले लेगा।

महादेवने मॉटकी मुलकातपर पाँच घण्टे लिखा।[1]

बाकी शारदा लिखेगी।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

यह लखनऊ जा रहा है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९६) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ७०५२ से भी।

१. देखिए पृ० १८३-९२।

२०३. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

सेगाँव
५ दिसम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

मैंने 'ग्रामउद्योग पत्रिका' के दोनो सस्करण पढे है।

क्या हम इस स्थितिमें है कि ग्रामीणोंको यह तरीका वता सकें कि विना पालिश किया चावल पालिश किये हुए चावलसे सस्ता कैसे मिल सकता है?

क्या यह प्रमाणित हो चुका है कि विना पालिश किया हुआ चावल कमजोर मेदेवाले लोगोको भी हजम हो जाता है? छोटेलाल और वार्वा साहवके अनुभव मेरे मनमे है। क्या हमारे पास ऐसा कोई उपकरण है जिसे हम ग्रामीणोको धानकी भूसी अलग करनेके लिये दे सकते है? यदि मध्य प्रान्तकी सरकार हर गाँवमे विना पालिश किये हुए चावलका प्रयोग करनेकी व्यवस्था करनेके लिए हमे कोई पद दे तो क्या हम इस उत्तरदायित्वको निभा सकते है? यदि नही, तो फिर वे इसका प्रवन्ध कैसे करेगे?

हिन्दी पत्रिका किसने लिखी है? लेखक कोई भी हो, यह अच्छी हिन्दी नही है।

सप्रेम,

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४१) से।

२०४. पत्र : ना० र० मलकानीको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्वर, १९३८

प्रिय मलकानी,

अपने स्वीकृत दायरेसे वाहरकी कोई चीज मै कदाचित् ही पढ़ता हूँ। परन्तु पिछले सप्ताह और इस सप्ताह 'क्रॉनिकल' साप्ताहिकमे प्रकाशित तुम्हारे लेखोंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया और मै उन्हे अधूरा नही छोड़ सका। [अस्पष्टता आदिकी] ऐसी कुछ और कठिनाइयोको भी हम साफ कर ले।

सप्रेम,

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३३) से।

२०५. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

चि० मीरा,

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे मनपर जो पहली छाप पड़ी, वह अनुकूल है। मेरा खयाल है कि यह कायम रहेगी। क्या तुम इस्लामिया कॉलेज और एडवर्ड कॉलिज देख आई हो? क्या रामदास या चन्द्रभाईने तुम्हारा पता लगा लिया था? बेशक, पश्तो भाषा तुम्हें सीखनी होगी। उसमे तुम्हे कोई कठिनाई नही होगी। संलग्न पत्र मेहरताज[1] के पत्र-सहित खान साहबको दे देना।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

क्या तुमने ऐना नही कहा था कि अंगद[2] की लिखी पुस्तक मिल गई है? मुझे तो वह खोजनेपर भी नहीं मिली। पुस्तकका नाम क्या था?

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४१९) से, सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००१४ से भी।

२०६. पत्र : शामलालको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

प्रिय लाला शामलाल,

सीमाप्रान्तसे मैंने इन्दरपालके बारेमें लिखा था। अब मैंने फिर लिखा है।

आपने जिन दूसरे कैदियोंका जिक्र किया है उनका विवरण भी मुझे दीजिए। वे प्रान्तीय सरकारके अधिकार-क्षेत्रमे है या केन्द्रीय सरकारके?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२८६) से।

१. अब्दुल गफ्फार खाँकी पुत्री।
२. रेजिनाल्ड रेनॉल्ड।

२०७. पत्र: देवदास गांधीको

५ दिसम्बर, १९३८

चि० देवदास,

जरूरत मालूम हो, तो पत्र लिखनेमें संकोच नही करना चाहिए।

तूने कतरन भेजी, ये अच्छा किया। इस दलीलका जवाव समय वचा तो दूंगा। वे लोग जितना तू समझता है, उतनी आसानीसे एजेन्सी नही देंगे।

जमनादास तो गया। मुझे भी मैसूरकी नौकरी पसन्द नही होगी। लेकिन मेरी निन्दा हो, इस बातकी मुझे कोई चिन्ता नही है। रामदासको शान्ति मिलती हो, तो वह भले ही नौकरी स्वीकार कर ले। इस सम्वन्धमें मेरी स्थिति यह है। वह बेकार भी नही बैठ सकता, और विना पैसेका या कम पैसेका काम भी नही ले सकता। तू उसे लिखते रहना। तेरी बात तो वह मानेगा ही।

रामदास नीमूके लिए तरसता है। उसे पूना बुला रहा है। उसका भी इलाज वह वहाँ कराना चाहता है। इसलिए मैंने सलाह दी है कि ठीक है, अभी वह पूना चली जाये। इलाज करा ले, उसके वाद मजेमे उसका प्रवन्ध बनारसमे कर देना। मुझे तेरा विचार भी पसन्द आता है, यद्यपि मुझे देहरादूनकी योजना भी अच्छी लगती है। रत्नकी परीक्षा पास करनेके वाद उसे वेतन तो ज्यादा मिलेगा ही। १५० रु० भी मिलनेमे मुझे कोई अडचन नही दिखाई देती। यो, इसमे भाग्य तो होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ, साठ रुपये तो किसी भी हालतमें मिलेगे ही। फिर भी, वह सितार सीख ले, यह तो मुझे पसन्द ही है।

बा मजेमे हैं।

वल्लभभाईकी माँग है कि पूरी जनवरी वारडोलीमें ही विताई जाये। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। महादेव भी ठीक है। मेरी तो भगवान ही निवाहते है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बा को तू या लक्ष्मी दो पंक्तियाँ लिख दिया करो। वह तुम सबके प्रेमको बहुत तरसती है जोकि स्वाभाविक ही है।

तुझे किस पतेपर पत्र भेजूं, ताकि वह जल्दी मिले? आफिसके या हरिजन निवासके पतेपर?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २००८) से।

२०८. पत्र : वैकुण्ठभाई ल० मेहताको

५ दिसम्बर, १९३८

भाई वैकुण्ठ,

तुम्हारा लेख चन्द्रशंकर[1] ने यहाँ भेजा था। मैंने उसे प्रकाशनके लिए भेज दिया है। चन्द्रशंकर अपनी जिम्मेदारीपर लेख नहीं छाप सकता। अत: समय बचानेके लिए लेख आदि यहीं भेजा करना। महादेव अच्छा है, यों आराम तो अभी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्री वैकुण्ठभाई लल्लूभाई मेहता
सर लल्लूभाई सामलदासका बंगला
अंधेरी, बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३६५) से।

२०९. पत्र : शान्तिकुमार न० मोरारजीको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

चि० शान्तिकुमार,

जब कभी मैं उस तरफ आऊँ, तब तुम मुझे अपने आफिसमें ले जाना। अगर तुम्हें सन्देश भेजूं, तो औरोंको भी भेजने पड़ेंगे। स्नेहीजन छूट दे दें, तो दूसरोंसे भी मिले। व्रतके रूपमें तो ऐसे नियम पाले नहीं जा सकते। अलबत्ता सन्देशके लिए तुम्हारा आग्रह ही हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजी
जूहू
पो० ऑ० सान्ताक्रूज
बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२९) से; सौजन्य : शान्तिकुमार न० मोरारजी

१. हरिजनबन्धु के सम्पादक चन्द्रशंकर शुक्ल।

२१०. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

५ दिसम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

सुशीलाबहन कहती थी कि पाखाने गन्दे रहते है और बाँकेलाल[1] कोई काम करता नही लगता। कहती थी कि उसे दिये जानेवाले २० रुपये किसी और काम आ सकते है। इसपर विचार करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८०) से।

२११. पत्र : मणिबहन पटेलको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

चि० मणि,

तूने सुन्दर वर्णन किया है। तेरे कामका क्या कहना? तू मेरी बात मान और शरीरमें तेलकी मालिश या तो किसीसे करा या खुद कर। जो सिपाही अपने शरीरको स्वस्थ नही रखता, वह दण्डका भागी होता है, और होना भी यही चाहिए।

यदि लोग अहिंसाका पाठ सीख गये हो और मारपीट वगैरह सहन कर ले, तो फिर उनकी हार हो ही नही सकती। महादेव यही है। मजेमे है। वह जान-बूझकर ही कम लिखता है। इस बार मैंने उसे 'हरिजन' मे बहुत लिखने दिया। ऐसा बार-बार नही होने दूंगा। उसपर बिलकुल कोई जिम्मेदारी न हो, यह अच्छा है। मै तो अभी अच्छा ही हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती मणिबहन पटेल
तारघरके पास
राजकोट

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १२२-३

१. सेगाँवका एक भंगी।

२१२. पत्र : चिमनलाल एन० शाहको

५ दिसम्बर, १९३८

चि० चिमनलाल,

मुझे लगता है, हमें दो गोशालाएँ नहीं करनी चाहिए। इसीका विस्तार हो, तो तुम्हारी तबीयत उसका बोझ सह लेगी। 'गोशाला हमें खा जायेगी' का अर्थ यह है कि यदि उसपर हमारा खर्च अधिकाधिक बढता जाये, और सारी जमीन ढोरोंके लिए ही लग जाये, तो फिर हमारे लिए यही एक काम रह जायेगा। अतः मेरी सलाह है कि तुम, अमृतलाल, मुन्नालाल, पारनेरकर और बलवन्तसिंह इस विषयकी चर्चा करके अपना निर्णय मेरे सामने रखो। अन्ततः कितना खर्च हमें उठाना पड़ेगा? कोई अन्तिम सीमा निर्धारित कर लेना तो आवश्यक है ही। जिन ढोरोंकी जरूरत न हो, उनका प्रबन्ध मैं कर सकता हूँ।

क्या अब हम दूध बिलकुल नहीं बढा सकते? आसपाससे हम जो दूध लेते थे, वह क्या बन्द हो गया?

घी तो अब हम शायद किसीको नहीं दे सकेंगे?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५९५) से।

२१३. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

५ दिसम्बर, १९३८

चि० अमला,

मेरे लिए तू मार्गरेट स्पीगल कभी नहीं होगी, सदा अमला ही रहेगी। तेरी तबीयत कैसी रहती है? किसी दिन तो आकर अपना चेहरा दिखा जा।

मैंने यहूदियोंके बारेमें जो-कुछ लिखा था,[1] वह तूने पढ़ा? क्या तुझे वह अच्छा लगा?

महादेवकी तबीयत ठीक होती जा रही है। फिलहाल वह सेगाँवमें ही रहता है।

इस पत्रके साथ मेरे हस्ताक्षर हैं।

१. देखिए "यहूदी लोग", पृ० १५३-७।

यहाँ सब मजेमे हैं। कुत्ता चंगा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीसे स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२१४. पत्र : रामेश्वरी नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

प्रिय भगिनी,

तुमारे अगले खतका उत्तर प्यारेलालने भेजा है। राजगढका खत मेरे सामने है। खूब काम कर रही हो। खतो परसे मै प्रवास वर्णन वना सकता हूँ इतना समय मेरे पास नही है। इसलिये प्रवास खतम होनेपर हरिजनके लिये एक विवरण भेज दो। हिंदीमे होगा तो इग्रेजीके लिये यहा वना लेगे। इग्रेजीमें भेजेगी तो ह० से० [हरिजन सेवक] के लिये वना लेगे। प्रत्येक शहर और वहा जो हूआ सक्षेपमें दे दो।[1] भोपाल जो मागे भेजी है ठीक है। कुछ तो वहा होगा ही।

एक दिनके लिये देहरा [दून] होगा। काकासाहेब और वा भी वहा पहोचनेकी आशा रखते है।

वापाकी तवीयत अच्छी रहती होगी। और तुमारी भी।

कही कुछ पैसे इकट्ठे किये?

महादेव यहाँ है। ठीक चल रहा है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९८६) से। सी० डब्ल्यू० ३०८२ से भी; सौजन्य . रामेश्वरी नेहरू।

१. मध्य भारतमें रामेश्वरी नेहरूके दौरेका वृत्तान्त **हरिजन** में सात किस्तोंमें प्रकाशित हुआ था। यह वृत्तान्त **हरिजन** के १८-३-१९३९ के अंकसे प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था।

२१५. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

चि० शर्मा,

तुमारा स्पष्ट खत मिला।

३० रु०[1] का टेब्लोइड मशीन लिया जाय। पैसे मैं दूंगा।

आजीविकाके बारेमें मुझे विश्वास नही है कि इस कामको अंजाम पहुचा सकोगे। इसमें मेरा भय यह है कि किसी न किसी तरह तुमारा खर्च बढ जायगा। असली मुराद थी कि अत्यंत सादगीसे रहोगे वह छुट जाती है। व्यापार और परोपकार साथ-साथ नही चल सकते हैं। द्रोपदीके साथ बैठकर तुमारे अपने खर्चकी मर्यादा बना लेनी चाहीये और उससे आगे बढना ही नही ऐसा निश्चय कर लेना चाहीये। ऐसा किया जाय तो तुमारा मासिक खर्च किसी संस्थामें से निकाला जाय।

८५० रु० के कर्जाके बारेमें मैं क्या कहूं? यह कर्जा करनेमें ही प्रारंभिक भूल हूई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि कर्जा अदा होने[तक] सब परमारथको भूल जाना और किसी जगह ऐसी नोकरी लेना जिससे खर्च नीकले और कर्जा अदा हो सके। अगर घरमें कुछ जेवर या दूसरी मिल्कत है तो उसे बेचकर कर्जा अदा किया जाय। यह सख्त इलाज है लेकिन मेरा विश्वास है कि सच्चा इलाज भी यही है। दुबारा कभी कर्जा नही करना है। ये भी तय किया जाय।

तब प्रश्न हो जायगा जो काम उठाया है उसका क्या किया जाय। इस बारेमें मेरी बुद्धि नही चलती है। मेरे पास बैठ जानेकी बात तो मौजुद है ही लेकिन तुम समाजमें रहनेकी बरदास्त कर सकते है या नही सोचनेकी बात है।

छोटी बच्ची अच्छी होगी।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७४-७५ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

१. यहाँ ३०० रु० के बजाय ३० रु० गलतीसे लिखे गये है।

२१६. पत्र : हरसरन वर्माको

सेगाँव, वर्धा
५ दिसम्बर, १९३८

भाई हरसरन वर्मा,

क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका खत श्री रणजित पंडितको भेजूं?

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१) से।

२१७. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
६ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

आज तुम्हारा कोई पत्र नही आया है। इसके लिए तुमने मुझे तैयार कर ही रखा था।

आशा है लखनऊमें तुम्हारा वक्त उपयोगी काममें बीत रहा है। सरूप और जवाहरलालके बारेमें तुमसे पूरा समाचार मिलनेकी आशा रखूंगा। जवाहरलालसे तो तुम मुश्किलसे मिल पाओगी। अपनेको बहुत ज्यादा मत थका लेना।

मैं १० तारीखसे पहले श०[1]को कोई पत्र नही लिखूंगा।

मैं अभी ठीक हूँ। महादेव भी ठीक है। बालकोबा कल अपनी एक्स-रे परीक्षा करवानेके लिए नागपुर जा रहे हैं।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९७) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५३ से भी।

१. शमशेरसिंह; देखिए "पत्र: अमृत कौरको" पृ० १०-१२-१९३८।

२१८. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

६ दिसम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

संशोधित मसविदा भेज रहा हूँ।

आशा है, सतीशबाबूके प्रमाणपत्रसे तुम और मोटे नहीं हो जाओगे। किताब अभी तक छुई नहीं है। जो प्रतीक्षा करते हैं और सतर्क रहते हैं मृत्युसे पहले उन्हें उनके इस धैर्यका पुरस्कार मिल जाता है।

चावलके बारेमें तुम्हारा जवाब बहुत-कुछ मुझे पालिश किया चावल देनेका-सा है, जबकि मैंने बिना पालिशका चाहा था।[1] हमें यह दिखाना चाहिए कि बिना पालिशका चावल कैसे खाया जा सकता है और पूरा गाँव किस तरह कूटकर उसका छिलका उतार सकता है। अब बताओ, सेगाँवमें मैं क्या करूँ? इस सम्बन्धमें तुम्हें और गहरी खोज करनी होगी। तुमने जो बताया, वह नई चीज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो नई और प्रभावकारी हो।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४२) से।

२१९. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

६ दिसम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

आज तो 'गीता' अनेक सुरोंमें गाई गई। लीलावतीने जिस तरह गाया उसमें सुर नहीं था और तुम उसमें मिल नहीं सकते थे, तो तुम्हें उसे अकेले ही गाने देना चाहिए था। सुशीला भी कभी तुम्हारे सुरमें मिल जाती थी, तो कभी अलग पड़ जाती थी। नतीजा यह हुआ कि इतना बेसुरा गाना सुनकर मुझे पसीना आ गया। यह तो अच्छा हुआ, मुझमें थोड़ी गर्मी आई; लेकिन यों 'गीतामाता' का क्या हुआ? उन्हें कैसा लगा होगा?

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८१) से।

1. देखिए "पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको", पृ० १९७ भी।

२२०. पत्र : विजया एन० पटेलको

सेगांव
६ दिसम्बर, १९३८

चि० विजया,

यह पत्र तो मैं कुछ लिखना चाहिए इसीलिए लिख रहा हूँ। तेरी तबीयत ठीक रहती है, यह भगवानकी दया है।

नारणभाई[1] की तबीयत ठीक होगी। आशा है, तू घबराती नहीं होगी। उनके खाने-पीनेका ध्यान रखती है न? वे अगर कुछ दिन केवल फलोंके रसपर रहें, तो जरूर फायदा हो। उनकी उम्रमें और कुछ खानेकी जरूरत कम ही रहती है। चायकी आदत हो, तो चाय केवल सूखे भूसेके रंगकी होनी चाहिए, यानी छन्नीमें चायकी पत्तियाँ डालकर उसपर खौलता पानी धीरे-धीरे छोड़ा जाये और ऐसा करनेसे जितना रंग आये, उससे सन्तोष कर लिया जाये। चायकी पत्तियोंको पानीमें कभी नहीं डुबोना चाहिए।

यहाँ सब ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०४) से। सी० डब्ल्यू० ४५९६ से भी, सौजन्य : विजयाबहन एम० पचोली।

२२१. बातचीत : डॉ० ताकाओकाके साथ[2]

[७ दिसम्बर, १९३८][3]

यदि जापान भारतपर अपनी लालच-भरी निगाहें डालना बन्द कर दे तो यह हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप अपनी सेना तो भारतमें नहीं लाते हैं, परन्तु आप अपना माल भारतके बाजारोंमें भरनेके लिए अपनी अद्वितीय कुशलता, सत्यको छिपानेकी अपनी योग्यता और भारतीयोंकी कमजोरीकी जानकारीका इस्तेमाल करते हैं। और आपके मालमें प्राय बहुत हलके किस्मकी दिखावटी वस्तुएँ ही होती

१. विजया एन० पटेलके पिता।

२. महादेव देसाईके लेख "एक जापानी यात्री" से उद्धृत। ताकाओका जापानी संसदके सदस्य थे और यह जानना चाहते थे कि भारत और जापानके बीच मित्रता कैसे स्थापित हो सकती है।

३. बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-१२-१९३८ के अनुसार।

है। शोषणमे आपने भारतके शासकोके तरीकोका ही अनुकरण नही किया है बल्कि आप एक कदम और आगे वढ गये है। अब जहाँ तक जापानी दृष्टिकोणका सम्बन्ध है, भारतसे मिलनेवाले लाखो रुपयोकी हानि आप सहन नही कर सकते। यदि आपको रुपया अपने-आप नही मिल जाता तो वह रुपया शस्त्रोकी सहायतासे भी लेनेकी सामर्थ्य आपमे है। परन्तु जापान और भारतको पास लानेका वह कोई तरीका नही होगा। उन्हे तो वह नैतिक बन्धन समीप ला सकता है जिसका आधार आपसी मित्रता हो।

परन्तु आज उस मित्रताके लिए कोई आधार नहीं है। आप अपनी कला ही को लीजिए। मै इसे पसन्द करता हूँ। वहुत साल पहले मैने जापान और जापानी जीवनका एडविन आर्नोल्ड द्वारा लिखित एक वहुत मनमोहक विवरण पढा था। वह चित्र सदा मेरे सामने रहा है। मै आपके सभी अच्छे गुणोको आत्मसात् करना चाहता हूँ। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि जापानकी अच्छी चीजें देनेके लिए यहाँ कोई नही आता। आप हमपर केवल अपना माल लादनेमे विश्वास करते हैं। मैं एक गज भी जापानी कपड़ा, चाहे वह कितना ही वढिया और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि उसका अर्थ होगा भारतके गरीव लोगोका भूखो मरना। आप राजनयकी निपुणता, कौशल, सस्ती चीजोके उत्पादन, सशस्त्र युद्ध और शोषणमें पश्चिमको वहुत पीछे छोड़ आये है। जव तक आपको शोषण करनेमे कोई बुराई नजर नही आती आपकी हमारे साथ मित्रता कैसे हो सकती है?

श्री ताकाओकाने जानना चाहा कि क्या गांधीजी जापानके नये दलको, जो "एशिया एशियावासियोंके लिए" के सिद्धान्तका समर्थक है, कोई सन्देश देंगे। गांधीजी ने कहा:

"एशिया एशियावासियोके लिए" इस सिद्धान्तका मतलब यदि यूरोप-विरोधी संगठन बनाना है तो मै इस सिद्धान्तसे सहमत नही हूँ। जब तक कि हम एशियाको कूप-मण्डूक ही न वने रहने देना चाहते हों तब तक 'एशिया एशियावासियोके लिए' यह नारा हमें मान्य नही हो सकता? लेकिन एशिया कूप-मण्डूक नहीं बना रह सकता। उसे संसार-भरको सन्देश देना है। परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब एशिया स्वयं उस सन्देशका पालन करे। एशिया-भरमे, जिसमे भारत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका और मलय राज्य है, बौद्ध प्रभावकी छाप है। मैने बर्मावासियों और श्रीलका-वासियोसे कहा कि आप नाममात्रके ही बौद्ध है और भारत वास्तवमें बौद्ध है। वही वात मै चीन और जापानसे कहूँगा। परन्तु यदि एशियाको अपना ही नही, सारे विश्वका उत्थान वांछित है तो उसे बुद्धका सन्देश फिरसे सीखना होगा और फिर वह सन्देश संसारको देना होगा। आज सब जगह आचरणमे इस सन्देशको अस्वीकार किया जा रहा है। बर्मामे हर बौद्ध भिक्षुसे मुसलमान डरते है। परन्तु जो सच्चा बौद्ध है उससे किसीको डर क्यो लगना चाहिए?

इसलिए आप समझ जायेंगे कि आपको देनेके लिए मेरे पास इसके सिवा और कोई सन्देश नही है कि आप अपनी-अपनी पुरानी परम्पराके प्रति सच्ची निष्ठा रखे।

सन्देश २,५०० वर्ष पुराना है परन्तु अभी तक उसको जीवनमें सच्चे तौरपर नहीं उतारा गया है। २५०० वर्ष क्या होते हैं? अहिंसाके पूर्ण पुष्पको, जो मुरझाता हुआ प्रतीत हो रहा है, अभी पूर्णतः विकसित होना है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २४-१२-१९३८

२२२. जर्मन आलोचकोंको जवाब

यहूदियोंके प्रति जर्मनोंके बरतावसे सम्बन्धित मेरे लेख[1] पर जर्मनीने जो रोष जाहिर किया है उसके लिए यह बात नहीं कि मैं तैयार नहीं था। यूरोपकी राजनीतिके बारेमें अपनी अज्ञानता तो मैं खुद ही स्वीकार कर चुका हूँ। पर यहूदियोंको उनकी बहुत-सी मुसीबतोंको दूर करनेके उपाय सुझानेके लिए मुझे यूरोपीय राजनीतिके सही ज्ञानकी जरूरत भी नहीं थी। उनपर जो जुल्म हुए हैं, उनके बारेमें मुख्य तथ्य बिलकुल निर्विवाद हैं। मेरे लेखपर पैदा हुआ रोष जब दब जायेगा और थोड़ी शान्ति हो जायेगी, तब अत्यन्त क्रुद्ध जर्मनको भी यह मालूम हो जायेगा कि मेरे लेखकी तहमें जर्मनीके प्रति मित्रताकी ही भावना थी, द्वेषकी भावना हरगिज नहीं।

क्या मैंने बार-बार यह नहीं कहा है कि विशुद्ध प्रेम-बन्धुत्वकी भावना ही सक्रिय अहिंसा है? यदि यहूदी लाचारी और आवश्यकतावश अहिंसाको ग्रहण करनेके बजाय सोच-समझकर सक्रिय अहिंसा, यानी गैर-यहूदी जर्मनोंके प्रति बन्धुत्वकी भावनाको अपना लें, तो वे जर्मनोंको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते और मुझे पूरा विश्वास है कि जर्मनोंका पत्थर दिल भी पसीज जायेगा। संसारकी प्रगतिमें यहूदियोंकी बहुत बड़ी देन रही है, परन्तु उनका यह महान कार्य उनकी सबसे बड़ी देन होगी और युद्ध एक अतीतकी चीज बन जायेगा।

यह बात मेरी समझमें ही नहीं आती कि मेरे उस बिलकुल निर्दोष लेखपर कोई जर्मन क्यों नाराज हो? निस्सन्देह, जर्मन आलोचक भी, दूसरोंकी तरह, यह कहकर मेरा मजाक उड़ा सकते थे कि यह तो केवल एक स्वप्नदर्शीका प्रयत्न है, जिसका असफल होना निश्चित है। इसलिए मैं उनके उस रोषका स्वागत ही करता हूँ, हालाँकि मेरे लेखपर उनका यह रोष बिलकुल नामुनासिब है। क्या मेरे लेखका कोई असर हुआ है? क्या लेखकको यह लगा है कि मैंने जो उपाय सुझाया है, वह ऊपरसे जैसा हास्यास्पद लगता है असलमें वैसा हास्यास्पद नहीं है बल्कि बिलकुल व्यावहारिक है, बशर्ते कि बदलेकी भावना जिसमें नहीं है, ऐसे कष्टसहनके सौन्दर्यको हम समझ लें?

मैंने ये लेख लिखकर अपनी, अपने आन्दोलनकी और जर्मन-भारतीय सम्बन्धोंकी कोई भलाई नहीं की है, इस कथनमें धमकी भरी हुई है, और इसलिए यह कथन अनुचित न भी हो तो अप्रासंगिक तो जरूर है। जिसे मैं अपने अन्तरतममें सौ फीसदी

१. देखिए "यहूदी लोग", पृ० १५३-७।

सही सलाह समझता हूँ, उसे देनेमे यदि मै इस डरसे पशोपेश करूँ कि इससे मेरे देशपर या मुझपर या जर्मन-भारतीय सम्बन्धोपर कोई आँच आ सकती है तो मुझे अपनेको कायर ही समझना चाहिए।

बर्लिनके लेखकने निश्चय ही यह एक अजीब सिद्धान्त निकाला है कि जर्मनीसे बाहरके लोगोको जर्मन-कार्रवाईपर टीका-टिप्पणी नही करनी चाहिए, उनका उद्देश्य अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हो तब भी उन्हे ऐसा नही करना चाहिए। जर्मन या दूसरे बाहरी लोग यदि हिन्दुस्तानियोके बारेमें हमे दिलचस्प बाते बतलाये, तो अपनी तरफसे मै निश्चय ही उनका स्वागत करूँगा। अंग्रेजोकी ओरसे मुझे कुछ कहनेकी कोई जरूरत नही है। लेकिन ब्रिटिश लोगोको अगर मै थोडा भी जानता हूँ तो वे भी ऐसी बाहरी आलोचनाका, जो अच्छी जानकारीके साथ की जाये और द्वेषसे मुक्त हो, स्वागत ही करते है। इस युगमे, जबकि दूरियाँ मिट रही है, कोई भी राष्ट्र 'कूपमण्डूक' बनकर नही रह सकता। कभी-कभी तो दूसरोके दृष्टिकोणसे अपनेको देखना बडा लाभकारक होता है। इसलिए अगर जर्मन आलोचकोकी नजर मेरे इस जवाबपर पड़े, तो मै उम्मीद करता हूँ कि वे न केवल मेरे लेखके बारेमे अपनी राय ही बदल देंगे, बल्कि बाहरी आलोचनाके महत्वको भी महसूस करेगे।

सेगाँव, ८ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-१२-१९३८

२२३. पत्र : कन्हैयालाल मा० मुन्शीको

८ दिसम्बर, १९३८

भाई मुन्शी,

चक्कीके बारेमें प्यारेलालको तुम्हें जवाब लिखे कई दिन हो गये। शायद वह पत्र कही भटक गया। मशीनी चक्कियोका उपयोग तुम जेलोमे कर सकते हो।

बुद्ध मन्दिरका काम शिथिल किये बिना धर्मानन्द कोसाम्बी[1] भारतीय विद्या भवनका काम कर सकते हो, तो अवश्य करे।

मिनिस्ट्री अगर लम्बे समय तक चली,[2] तो तुम्हे घर छोड़नेके साथ और भी अनेक मोह छोड़ने पडेगे। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम अपनी शक्तिसे अधिक काम करके अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हो। तुम्हे यह मोह भी छोड़ना पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७६४२) से; सौजन्य : क० मा० मुन्शी।

१. पाली भाषाके एक प्रसिद्ध विद्वान।
२. क० मा० मुन्शी बम्बई प्रान्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलमें गृहमन्त्री थे।

२२४. पत्र : दामोदरदास मूँदड़ाको[1]

८ दिसम्बर, १९३८

भाई दामोदर[2],

दोनो उत्तर बहुत लम्बे है। लेकिन लम्बे या छोटे भजनेकी आवश्यकता नही। मेरी जानकारीके लिए ठीक है।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० १०१५४ से, सौजन्य : सचिव, आन्ध्र प्रदेश राज्य समिति, सम्पूर्ण गाधी वाड्मय, हैदराबाद।

२२५. आलोचनाओंका जवाब

कुछ मित्रोने मेरे पास अखबारोकी दो कतरने भेजी है, जिनमे यहूदियोके नाम मेरी अपीलकी आलोचना की गई है। दोनो आलोचकोका कहना है कि यहूदियोके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके प्रतिकारके लिए अहिंसाका उपाय सुझाकर मैंने कोई नई बात उनके सामने नही रखी है, क्योकि पिछले दो हजार वर्षोसे वे अहिंसाका ही तो पालन कर रहे है। जाहिर है कि इन आलोचकोको मै अपना आशय स्पष्ट नही कर पाया हूँ। जहाँ तक मै जानता हूँ, यहूदियोने अहिंसाको अपना धर्म-सिद्धान्त, या सुविचारित नीति भी बनाकर उसका पालन कभी नही किया। वस्तुत उनके ऊपर यह कलक लगा हुआ है कि उनके पूर्व-पुरुषोने ईसामसीहको सूली दी थी। क्या यह नही माना जाता है कि वे "जैसेके साथ तैसे" की नीतिमे विश्वास करते है? अपने ऊपर अत्याचार करनेवालोके प्रति क्या उनके दिलोमें हिंसाका भाव नही है? क्या वे यह नही चाहते कि उनपर हो रहे अत्याचारके लिए तथाकथित लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र जर्मनीको दण्ड दे और उन्हे उसके अत्याचारसे मुक्त करे? अगर वे ऐसा चाहते है, तो उनके दिलोमे अहिसा नही है। उनके अन्दर तथाकथित अहिंसा हो भी, तो वह कमजोर और असहायोकी अहिंसा है।

मैंने जिस वातपर जोर दिया है वह तो यह है कि दिलसे भी हिंसा निकाल दी जाये और इस महान त्यागसे उद्भूत शक्ति काममे लाई जाये। एक आलोचक

१. दामोदरदास मूँदडा द्वारा भेजे हुए पत्रके पीछे गांधीजी ने यह पत्र लिख दिया था। उसी पत्रके साथ पन्नाजा नायडूसे प्राप्त एक पत्र और उसका जवाब तथा जमनालाल बजाजसे प्राप्त एक पत्र भी था।

२. जमनालाल बजाजके सचिव।

का कहना यह है कि अहिंसाको कार्यान्वित करनेके लिए उसके पक्षमे लोकमतका होना जरूरी है। स्पष्टतया ऐसा लिखते हुए उसके खयालमे अनाक्रामक प्रतिरोध ही है, जिसे कमजोरोका शस्त्र समझा जाता है। लेकिन मैंने कमजोरोके निष्क्रिय प्रतिरोध और बलवानोके सक्रिय अहिसात्मक प्रतिरोधमे फर्क रखा है। इसमे से दूसरा भयकर-से-भयकर विरोधके बावजूद काम कर सकता है और करता है। लेकिन वह अधिक-से-अधिक सार्वजनिक सहानुभूति जगाता है। हम यह जानते है कि अहिसात्मक रूपमे कष्ट-सहन करनेसे सगदिल भी पसीज जाते है। मै यह कहनेका साहस करता हूँ कि यहूदी अगर उस आत्म-शक्तिकी मदद पा सके जो केवल अहिसासे प्राप्त होती है, तो हिटलर उनके ऐसे साहसके सामने, जैसा उसने मनुष्योमे बड़े पैमानेपर अभी तक कभी नही देखा है, सिर झुका देगा और वह तब यह स्वीकार कर लेगा कि वह उसके सर्वोत्तम तूफानी दस्तोकी वीरतासे भी बढकर है। ऐसा साहस केवल वही दिखा सकते है जिनका कि सत्य और अहिसा अर्थात् प्रेमके ईश्वरमे जीता-जागता विश्वास हो।

निस्सन्देह आलोचक यह दलील दे सकते है कि मैंने जिस अहिसाका चित्रण किया है वह सर्वसाधारण मनुष्योके लिए सम्भव नही है, बल्कि सिर्फ बहुत थोड़ेसे, बहुत विकसित मनुष्योके लिए ही सम्भव है। लेकिन मैंने इस विचारके खिलाफ हमेशा यह कहा है कि उपयुक्त प्रशिक्षण और नेतृत्व मिलनेपर सर्वसाधारण भी अहिसाका पालन कर सकते है।

फिर भी मै यह देखता हूँ कि मेरे कहनेका यह गलत अर्थ लगाया जा रहा है, क्योकि मैंने पीड़ित यहूदियोको अहिसात्मक प्रतिरोधकी सलाह दी है, इसलिए लोक-तन्त्रात्मक राष्ट्रोसे मै इस बातकी आशा करता हूँ अथवा उनको मै सलाह दूंगा कि वे यहूदियोकी ओरसे हस्तक्षेप न करे। मुझे इस आशकाका जवाब देनेकी जरूरत नही है। मेरे कुछ कहनेसे ही बड़े-बडे राष्ट्र कोई कार्रवाई करनेसे रुक जायेंगे, ऐसा निश्चय ही कोई खतरा नही है। यहूदियोको अमानुषिक अत्याचारोसे मुक्त करनेके लिए जो-कुछ वे कर सकते है वह तो वे करेगे ही, क्योकि ऐसा करनेके लिए वे बाध्य है। मेरी अपीलका जोर तो इस बातमे है कि बडे राष्ट्र अपनेको प्रभावकारी ढगसे यहूदियोकी मदद करनेमें असहाय महसूस कर रहे है। इसलिए मैंने यह उपाय पेश किया है, जो अगर ठीक ढगसे अपनाया जाये तो मेरी समझमे अचूक रहेगा।

मगर इस सम्बन्धमे जो सबसे सगत आलोचना मुझे मिली वह यह है. जब मै यह जानता हूँ कि हिन्दुस्तानमे ही, जहाँ कि मै खुद काम कर रहा हूँ और जहाँ मै अपनेको स्वयनियुक्त सेनापति कहता हूँ, इस नुस्खेको पूर्णतया स्वीकार नही किया गया है, तो फिर यहूदियो द्वारा इसे स्वीकार करनेकी आशा कैसे की जा सकती है? मेरा जवाब यह है कि वे लोग सौभाग्यशाली है जो किसी बातकी आशा नही करते। कम-से-कम इस मामलेमे मै उन्हीकी श्रेणीमे हूँ। यह नुस्खा पा जाने और इसके असरके बारेमे निस्संशय हो जानेपर मुझे ऐसा लगा कि जिन मामलोमे इसे प्रभाव-कारी ढगसे प्रयुक्त किया जा सकता है, उनमे यदि मै लोगोका ध्यान इसकी तरफ न खीचूं, तो वह मेरी गलती होगी।

अभी तक यूरोपकी राजनीतिकी चर्चासे मैं बचता ही रहा हूँ। मेरी सामान्य स्थिति अब भी वही है। अबीसीनियाके मामलेमें मैंने यह उपाय लगभग दबी हुई आवाजमें पेश किया था। चेको और यहूदियोंका मामला मेरे लिए अबीसीनियोंके मामलेसे अधिक स्पष्ट था। इसलिए मैं इस बारेमें लिखे बगैर न रह सका। डॉ० मॉटने उस दिन मुझसे शायद यह ठीक ही कहा था कि चेको और यहूदियोंके बारेमें मैंने जैसे लेख लिखे हैं वैसे मुझे ज्यादा-से-ज्यादा लिखने चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो उनसे मुझे हिन्दुस्तानकी लड़ाईमें तो मदद मिलेगी ही। उन्होंने कहा था, अहिंसाका सन्देश सुननेके लिए पाश्चात्य राष्ट्र जितने इस समय तैयार हैं, उतने पहले कभी नहीं थे।

सेगाँव, ९ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-१२-१९३८

२२६. लाल फीता

एक प्रमुख भारतीय मित्रने, श्री खेर और श्री मुन्शीको सरकारी काममें जी-तोड़ मेहनत करते देखकर, मुझसे एक दिन कहा कि इस मेहनतका उनके स्वास्थ्यपर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि उनकी उम्र वास्तविक उम्रसे अधिक मालूम पड़ती है। उन्होंने मुझे यह चेतावनी भी दे दी कि यदि मैंने उन दोनोंको इतना ज्यादा काम करनेसे मना न किया, तो देश उनके जीवनसे हाथ धो बैठेगा। काश! मेरा उन दोनों मन्त्रियोंपर वही प्रभाव होता जिसका कि इन मित्रने मुझे गौरव दिया है। अगर मुझे उनपर इस तरहका अधिकार होता तो निश्चय ही मैं उन्हें इस तरह तिल-तिलकर आत्मघात करनेसे रोक देता। जो-कुछ इन दो मन्त्रियोंपर लागू होता है, वही बाकी मन्त्रियोंपर भी लागू होता है। इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद मेरे पास एक आई० सी० एस० अफसर आया जिसे श्री खेरने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। उसने मुझसे कहा, "मैं श्री (वैसे उसने 'मिस्टर' शब्द इस्तेमाल किया था) खेरकी आशाएँ पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे सन्तुष्ट करूँ। मेरा विश्वास है कि मैं सदा जागरूक और मसरूफ रहा हूँ। लेकिन जबसे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना है, हमारा काम बढ़ गया है। मन्त्री न स्वयं आराम करते हैं और न हमें करने देते हैं। परिणाम यह हुआ है कि फाइलोंका पहाड़ लगता जा रहा है। दिनके दिन काम निपटा देना प्रायः असम्भव हो गया है। और अब मुझे ऐसा काम सौंपा गया है जिसमें बहुत-कुछ सोचने और विचार करनेकी जरूरत है। मेरे लिए समस्याओंका अध्ययन जरूरी है। लेकिन मुझे यह समझमें नहीं आता कि मैं इन फाइलोंका क्या करूँ।" मैंने तुरन्त ही उत्तर दिया, "जला डालो।" मेरा अभिप्राय भी यही था।

इस दूसरे मुलाकातीके बाद ही एक समाजवादी मित्र पहुँचे। उन्होंने कहा "हमारे सम्बन्धमें बहुत गलतफहमी है। हमारे 'वाक आउट' पर आपने जो लेख प्रकाशित किया है[1] उसने उस गलफहमीको और बढ़ा दिया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम रचनात्मक आलोचनाके अपने अधिकारको सुरक्षित रखते हुए, कांग्रेस और मन्त्रियोंके काममें रोड़ा अटकाना नहीं चाहते — बल्कि सहायता ही करना चाहते हैं। आप हमारी कठिनाइयोंकी तरफ भी देखिए। कराची-कांग्रेसका प्रस्ताव[2] और कांग्रेसका घोषणापत्र[3] मौजूद ही है। हम ईमानदारीसे यह महसूस करते है कि आर्थिक सहायताके बारेमें उनमें जो वायदे किये गये थे, उनका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेसी मन्त्रियोंकी कठिनाइयोंकी गम्भीरताको मैं घटाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन खाली सोचते रहनेसे ही तो समस्याका निपटारा नहीं हो सकेगा। ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितिसे लाभ उठाकर सर्वसाधारणको कांग्रेसके विरुद्ध भड़काया जा रहा है। सर्वसाधारणके पास मतकी शक्ति है। उन्हें अपनी इस शक्तिका ज्ञान होता जा रहा है। अगर हमने परवाह न की, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब कांग्रेस सर्वसाधारण पर अपना प्रभाव, चाहे अस्थायी रूपसे ही सही, गँवा बैठेगी।"

आमतौरपर मैं इन मित्रकी बातोंसे सहमत हूँ। मैंने उनसे कहा: "मैं इस असन्तोष का कारण स्पष्ट रूपसे समझता हूँ। आपका एक अपना दर्शन है। आजके कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल समाजवादी नहीं हैं। उन्हें 'गांधीवादी' समझा जाता है, चाहे इसका कुछ भी अर्थ हो। आपका कार्यक्रम तो बिलकुल स्पष्ट है। आपके पास ऐसा साहित्य मौजूद है जो आपका पथ-प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन गांधीवादीसे क्या तात्पर्य है, यह मैं स्वयं नहीं जानता। मेरी नाव अज्ञात समुद्रमें बह रही है। मुझे बीच-बीचमें गहराई नापनी होती है। जब मेरी ही यह शोचनीय स्थिति है, तो मन्त्रियोंकी हालत तो और भी खराब होनी चाहिए। वे 'लाल फीते' से इस तरह जकड़े हुए हैं कि उन्हें सोचने-विचारनेका समय ही नहीं मिलता। उन्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि वे मुझसे मुलाकात करें और विचार-विनिमय करें। और इससे भी बुरी बात यह है कि उनकी हालत जानते हुए मुझे भी यह हिम्मत नहीं होती कि उन्हें पत्र ही लिख दूँ। 'हरिजन' के स्तम्भों द्वारा तो मुझे उनसे बात करनी ही नहीं चाहिए।"

मैंने पिछले अनुच्छेदमें बहुत-सी बातोंकी चर्चा की है; पर मेरा खास उद्देश्य तो 'लाल फीते' पर विचार करना है। अगर मन्त्री अपनी नई जिम्मेदारियोंसे निपटना चाहते है, तो उन्हें 'लाल फीते' को जला डालनेका ढंग खोजना चाहिए। पुरानी व्यवस्था 'लाल फीते' से ही और उसीके आधारपर बनी रह सकती है। यह नई व्यवस्थाका दम घोंट देगी। मन्त्रियोंको उन लोगोंसे जरूर मिलना चाहिए जिनकी

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४११-४।
२. देखिए खण्ड ४५, पृ० ३९२-३।
३. देखिए खण्ड ६५, परिशिष्ट ३।

सद्भावनासे वे इन पदोंपर आसीन रह सकते हैं। उन्हें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी शिकायत सुननी चाहिए। लेकिन उन्हें उन सबकी और अपने पास आनेवाले पत्रों और अपने फैसलोंकी फाइलें रखनेकी जरूरत नहीं है। उन्हें अपने पास केवल इतने कागजात ही रखने चाहिए जिनसे उनकी याददाश्त ताजी रहे और कामका सिलसिला बना रहे। विभागीय पत्र-व्यवहार बहुत कम हो जाना चाहिए। मन्त्री इंडिया ऑफिसके प्रति जवाबदेह नहीं हैं, जो यहाँसे कई हजार मीलकी दूरीपर है। वे तो अपने उन लाखों मालिकोंके आगे जवाबदेह हैं, जो न तो यह जानते हैं कि 'लाल फीता' क्या है और न उन्हें उसके जाननेकी फिक्र ही है। उनमें से कितने ही तो लिख और पढ़ भी नहीं सकते। पर उनकी मुख्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। कांग्रेसियोंने उन्हें यह सोचना सिखा दिया है कि शासन-सूत्र कांग्रेसके हाथमें आते ही हिन्दुस्तान-भरमें न कोई भूखा रहेगा, न कोई नंगा। मन्त्री यदि उस दायित्वके साथ जो उन्होंने अपने ऊपर लिया है न्याय करना चाहते हैं तो उन्हें अपना समय और दिमाग इसी किस्मकी समस्याओंको सुलझानेमें लगाना चाहिए। अगर वे तथाकथित 'गांधीवादी' हैं तो उन्हें गांधीवादको समझनेके लिए अपनी अन्तरात्माको टटोलना चाहिए, उसके लिए मेरे पास आनेकी जरूरत नहीं है। मैं भी हमेशा यह नहीं जान पाता कि वह क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर उसकी ठीक तरहसे तलाश की जाये और उसका अनुसरण किया जाये, तो वह इतना मौलिक और क्रान्तिकारी है कि भारतकी सभी वास्तविक आवश्यकताओंको पूरा कर सकता है। कांग्रेस एक क्रान्तिकारी संस्था है। पर उसकी क्रान्ति संसारकी उन सभी राजनीतिक क्रान्तियोंसे भिन्न होती है जिनका विवरण इतिहासमें लेखबद्ध है। पिछली क्रान्तियोंका आधार जहाँ हिंसा था, वहाँ कांग्रेसकी क्रान्तिका आधार जान-बूझकर अहिंसात्मक रखा गया है। अगर यह भी हिंसात्मक होती, तो शायद पुराने ढंग और तरीके बहुत-कुछ उसी तरह कायम रह जाते। लेकिन कांग्रेसके लिए बहुत-से पुराने ढंग और तरीके वर्जित हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण पुलिस और फौज हैं। मैंने यह तो मान लिया है कि जब तक कांग्रेसी पदासीन हैं और व्यवस्था कायम रखनेके लिए वे शान्तिपूर्ण उपाय नहीं खोज पाते, तब तक वे इन दोनोंका इस्तेमाल करनेके लिए बाध्य हैं। लेकिन मन्त्रियोंके सामने सदा यह सवाल रहना चाहिए कि क्या पुलिस और फौजका इस्तेमाल अनिवार्य है? अगर हाँ, तो क्यों? अगर जाँच करनेपर भी — पुराने ढंगसे नहीं, वह तो बहुत महँगा और प्रायः व्यर्थ सिद्ध हुआ है, बल्कि बिना खर्च किये लेकिन पूरी तरह और कारगर ढंगसे जाँच करनेपर भी — उन्हें यह लगे कि हम पुलिस और फौजकी सहायताके बगैर राजकाज नहीं चला सकते, तो अहिंसाका यह तकाजा है कि कांग्रेसको मन्त्रि-पद त्याग देना चाहिए और दुर्लभ 'अमृतकलश' की तलाशमें फिर निकल पड़ना चाहिए।

सेगाँव, ९ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-१२-१९३८

२२७. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
९ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

यह पत्र जालन्धरके पते पर जा रहा है। तुम्हारे पत्र मुझे मिल गये। पतजीसे तुम्हारी बातचीत हो गई इसकी मुझे खुशी है। भ्रष्टाचारका मामला इतना गम्भीर होता जा रहा है कि नजरन्दाज नही किया जा सकता। अगली बैठकमे मै इस पूरे मामलेपर विचार-विमर्श करनेवाला हूँ।

महादेव ठीक है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९८) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५४ से भी।

२२८. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको

९ दिसम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

२० दिसम्बरके बाद जो भी दिन[1] चाहो निश्चित कर लो और मुझे उसकी सूचना दे दो।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४४) से।

१. अ० भा० चरखा संघ परिषद्की बैठकके लिए।

२२९. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
९ दिसम्बर, १९३८

चि० मीरा,

यही बतानेके लिए एक पंक्ति लिख रहा हूँ कि यहाँ सब ठीक है। म्यूरियल और डॉरोथी आज सुबह आई थीं। मेरी भी यहाँ है। कुछ ही दिनोंमें शान्ताका विवाह एक भारतीयसे लन्दनमें हो जायेगा। वह प्रसन्न है और उसे आशा है कि वह पतिके साथ वापस लौट आयेगी।

सरदार और जयरामदास भी यहाँ हैं।

आशा है कि वहाँकी सर्दी तुम्हारे लिए बहुत कड़ी साबित नहीं होगी।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२०) से; सौजन्य : मीराबहन। जी० एन० १००१५ से भी।

२३०. पत्र : लीलावती आसरको

९ दिसम्बर, १९३८

चि० लीला,

आजके किस्सेसे मुझे बहुत दुःख हुआ है। लेकिन अपने स्वभावके विरुद्ध तू करती भी क्या?

वैसे यह पत्र लिखनेका प्रयोजन कुछ और है। मैं समझ गया हूँ कि सु०[1] जो मेरे साथ सोती है, यह तू और अमतुस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, कारण चाहे जो हो। तुम दोनोंको अप्रसन्न करके मैं अपना प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम दोनों जान लो कि फिलहाल मेरा प्रयोग बन्द रहेगा। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। दोष मैं केवल अपना ही मानता हूँ। लेकिन इस सम्बन्धमें मुझे तुम्हारे साथ चर्चा नहीं करनी, न तुमसे कोई कैफियत लेनी है। मैंने तो तुम्हें केवल सूचना दी है।

यह पत्र अमतुस्सलामको दिखा देना।

बापूके आशीर्वाद

१. नाम नहीं दिया गया है।

[पुनश्च .]

यह पत्र सवेरे ही लिखकर देना था, लेकिन समय ही नही मिला।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७९४) से, सौजन्य: लीलावती आसर

२३१. पत्र : कृष्णचन्द्रको

९ दिसम्बर, १९३८

चि० कृ० चं०,

ध्यानावस्थित पूर्णतया हो सके तो सबसे अच्छा ही है। उसका अर्थ यह हुआ कि जिसपर हमारी श्रद्धा है वह देहातीत हो गया है। उसकी चेष्टा क्या देखे जिसने देह छोड़ दिया है? लेकिन मैं ऐसा कहाँ हो पाया हूँ। इसलिए कान तब बन्द हो जानेका मौका नही आ सकता है। यह कृत्रीम क्रिया नही है। तुमारे तो पूर्णतया ध्यानावस्थित होनेका प्रयत्न करना है। मेरी चेष्टा तो देख ही लेते हो। उसमे कुछ नही भरा है। मैं बहुत अपूर्ण मनुष्य हूं। असहिष्णुता मेरेमे काफी पाता हूं। क्रोध भी ऐसा ही है। इन सब चीजोको दबा सकता हूं। लेकिन यह तो कुछ भारी बात न हुई।

कातते समय ध्यान तकलीके सूतमे ऐसा समजो कि वह ईश्वर कराता है और प्रत्येक तंतुमे वह छिप कर बैठा है। उसका दर्शन अंतरचक्षुसे करो।

कातना जिसको गौण मानते हो वही प्रधान वस्तु बन जायगी। सत्याग्रहीको भाषामें साधन साध्यका अभेद बन जाता है।

हलन चलन देखना विषयासक्ति तो है ही यह बात अब तो समजने आनी चाहीये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४५६६) से। एस० जी० ७१ से भी।

२३२. अ० भा० ग्रामोद्योग संघ प्रशिक्षण विद्यालय

इस प्रशिक्षण विद्यालयके दीक्षान्त-समारोहकी रिपोर्टमे मैं अधोलिखित चुनता हूँ[१]

अ० भा० ग्रा० सं० के ग्राम कार्यकर्ता प्रशिक्षण विद्यालयका सत्रीय अधिवेशन बृहस्पतिवार, १७ नवम्बरको मगनवाडी, वर्धामें हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेलने की। . . . सुपरिंटेंडेंट श्रीयुत जे० पी० पटेल . . . ने अध्यक्ष और अतिथियोका स्वागत करते हुए अन्य बातोके अलावा यह कहा:

". . . इस समय जो उद्योग सिखाये जाते है वे है — कागज बनाना, तेल निकालना, मधु-मक्खी पालन, गुड बनाना, धानकी कुटाई और आटा पीसना। विद्यालयका पाठ्यक्रम पाँच मासका है। . . .

"ग्रामीण अर्थशास्त्र, बही-खाता और स्वास्थ्य व सफाईकी भी शिक्षा दी जाती है। . . .

"विद्यार्थियोको प्रविष्ट करनेमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि वे यहाँका पाठ्यक्रम पूरा करनेके बाद अपनेको पूर्णतया किसी-न-किसी प्रकारकी ग्राम-सेवामें लगा दें। . . .

"शिक्षा राष्ट्रभाषाके माध्यमसे दी जाती है। . . ."

यहाँके प्रबन्धकोको मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि वे यहाँसे निकलनेवाले सभी विद्यार्थियोका एक रजिस्टर रखे, ताकि उनके साथ जीवन्त सम्पर्क रखा जा सके और उनकी एक प्रकारकी स्नातकोत्तर पत्राचार कक्षा चलाई जा सके। किसी भी विद्यार्थीको यथासम्भव फिरसे पुराने ढर्रेपर नही पडना चाहिए और न ही प्रगति न कर सकनेपर हताश ही होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-१२-१९३८

१. यहाँ कुछ अंश ही उद्धृत किये गये है।

२३३. पत्र: अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
१० दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

आशा है कि मेरे सभी पत्र तुम्हे मिल गये होगे। ज० ला० और मौलाना कल रात आये। अध्यक्षताके प्रश्नपर ही हमारी ढाई घटे बातचीत हुई। सुभाष शामको जरूर आ गये होगे।

आशा है, तुम्हे अपनी मटरगश्तीसे कोई नुकसान नही पहुँचा होगा। शम्मीको मेरा पत्र आज जायेगा।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३८९९) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५५ से भी।

२३४. पत्र: अमृतलाल टी० नानावटीको

१० दिसम्बर, १९३८

चि० अमृतलाल,

आज अचानक कानमके नख देखे। देखना, कितने गन्दे हैं! उसके नख, कान, दाँत वगैरहकी सफाईके लिए शिक्षक जिम्मेदार है न? वह अभी तक रामधुनमे भी भाग नही लेता। ऐसा क्यों? उसकी योग्यता तो अब भजन गानेकी भी होनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८२) से।

२३५. पत्र : प्रभावतीको

सेगांव, वर्धा
१० दिसम्बर, १९३८

चि० प्रभा,

तेरा और जयप्रकाशका, दोनो पत्र मिले।

बारडोली पहली जनवरीको जाना है। आ सको तो दोनो वहाँ आना।

तेरे हाथका इलाज भाप, कटिस्नान तथा दूध और फलकी खुराक है। बारडोली आई तो अच्छा कर दूंगा।

बा शायद राजकोट जायेगी। महादेव अच्छा है। जयप्रकाशसे कहना, मेरी इच्छा है कि वह कुछ दिन मेरे साथ बितायें। हम दोनो एक-दूसरेको ठीक समझ ले, ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३५२५) से।

२३६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

१० दिसम्बर, १९३८

त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके बाद अब मैं लोगोको यह बता सकता हूँ कि १३ और १४ नवम्बरको मुझसे जिस शिष्टमण्डलने भेंट की थी[1] उसे मैंने क्या सलाह दी थी। मैंने उनसे यह कहा था कि यदि वे दीवानके खिलाफ अपने आरोपो पर अडे रहते है तो इससे उनके वास्तविक उद्देश्यको हानि पहुँचेगी और असली सवाल यह नही है कि उक्त आरोप[2] सही हैं या नही। सवाल सही राजनीतिक दृष्टिका है। त्रावणकोरकी जनता जो सघर्ष चला रही है उसके विषयमें राज्य-सरकारका कहना यह था कि सघर्ष वैयक्तिक है। उत्तरदायी सरकारकी मांगमे सघर्ष वैयक्तिक नही रहा, उसका स्तर ऊँचा हो गया। मैं ऐसे किसी सघर्षमें सहयोग नही कर सकता था जो स्वराज्यकी महत्वपूर्ण बातको तो छोड दे और अपना समय और शक्ति एक वैयक्तिक मामलेका निपटारा करानेमें खपाता

१. शिष्टमण्डल वस्तुत: गांधीजी से १५ तारीखको मिला था; देखिए पृ० १४६-९।
२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४३०-२ भी।

रहे। अगर लड़नेवालोंका सारा ध्यान आरोपो पर ही केन्द्रित रहा तो उत्तरदायी सरकारके सवालकी उपेक्षा होना अनिवार्य है।

अपनी रायके सही होनेमे मेरा विश्वास अडिग था, किन्तु मैंने उनसे कह दिया था कि अगर उनकी राय मेरी इस रायसे भिन्न हो तो उन्हे अपने ही विश्वासके अनुसार चलना चाहिए, क्योकि संघर्ष चलानेका भार तो उन्हीको उठाना है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि अगर हिंसाकी घटनाएँ होती रहे तो वे कैसे हुई, इसका विचार किये बिना उन्हे सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थगित कर देना होगा क्योकि जनता द्वारा की गई हिंसा, वह किसीके इशारेपर की गई हो तो भी, यह बताती है कि जनतापर राज्य-कांग्रेसका पर्याप्त प्रभाव नही है। सविनय अवज्ञाके स्थगित होनेका मतलब संघर्षका स्थगित होना नही है। उसका इतना ही अर्थ है कि हम अपने विभिन्न साधनोमे से अब किसी एकपर पहले-जैसा जोर नही दे रहे है। रचनात्मक कार्यक्रम हमारा एक स्थायी मूल्यवाला साधन है। सविनय अवज्ञाकी अपनी स्पष्ट मर्यादाएँ है और अवसरकी माँगपर उसे स्थगित करनेकी जरूरत पड़ जाती है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-१२-१९३८

२३७. बातचीत : ईसाई मिशनरियोंके साथ[1]

[१२ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

उनमें से एकने गांधीजी से पूछा कि जीवनमें उनका उद्देश्य क्या है। "हम जो-कुछ करते हैं उसे करनेकी प्रेरणा जिससे मिलती है", वह चीज धार्मिक है, या सामाजिक, या राजनैतिक।

गांधीजी: विशुद्ध धार्मिक। यही प्रश्न स्वर्गीय माटेग्युने, जब मै एक विशुद्ध राजनैतिक प्रतिनिधि-मण्डलमे वहाँ गया था तो मुझसे पूछा था। उन्होने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था, "आप एक समाज-सुधारक होते हुए भी इस भीड़मे कैसे शामिल हो गये?" मेरा उत्तर था कि यह मेरे सामाजिक कार्यका ही विस्तार है। सारी मानवजातिके साथ तादात्म्य स्थापित किये बिना मै धार्मिक जीवन जी नही सकता था, और राजनीतिमे भाग लिये बिना वैसा हो नही सकता था। मनुष्यकी गतिविधियोका पूरा क्षेत्र आज एक अविभाज्य इकाई है। आप उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और विशुद्ध धार्मिक — इस तरहके पृथक् खण्डोमे विभाजित

१ और २. इसे प्यारेलालके "नॉन वायलेन्स ऐण्ड वर्ल्ड क्राइसिस" (अहिंसा और विश्व-संकट) से लिया गया है। मिशनरियोंमें अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद्के मन्त्री विलियम पैटन, उत्तरी अमेरिकाके मिशनरी सोसाइटी सम्मेलनके मन्त्री लेस्ली बी० मॉस, ब्रिटिश और विदेशी बाइबिल सोसाइटीके डॉ० स्मिथ और डॉ० जॉन मॉट शामिल थे। वे सब अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए भारत आये थे। सम्मेलन १२ दिसम्बर, १९३८को ताम्बरम्‌में आरम्भ हुआ था।

नही कर सकते। मानवीय कार्यसे अलग किसी धर्मको मै नही जानता। वह अन्य सब गतिविधियोंको एक नैतिक आधार प्रदान करता है, जो अन्यथा उन्हे नही मिलेगा, और जीवन अर्थहीन कोलाहल और आवेशकी एक भूलभुलैया-मात्र रह जायेगा।

प्रश्न : जन-साधारणपर आपके प्रभावको देखते हुए क्या हम यह पूछ सकते है कि आप जिससे प्रेरित होते है, वह आपका अपने ध्येयके प्रति प्रेम है या जन-साधारणसे प्रेम ?

उत्तर जन-साधारणसे प्रेम। जन-साधारण बिना कोई भी ध्येय एक बेजान चीज है। जन-साधारणसे प्रेमके कारण अस्पृश्यताकी समस्या जल्दी ही मेरे जीवनमे आ गई। मेरी माँ ने कहा, "इस लडकेको तुम्हे छूना नही चाहिए, यह अछूत है।" "क्यो नही छूना चाहिए?" मैने पलटकर सवाल किया, और उसी दिनसे मेरा विद्रोह शुरू हो गया।

प्र० : आप हम ईसाइयोसे यह अपेक्षा रखते होगे कि हम आपके उदाहरणका अनुकरण करे। अपने धार्मिक उद्देश्यके लिए क्या हम राजनीतिमें कूद पड़ें?

उ० : जो लोग विश्वके विभिन्न भागोसे इस देशमे आते है, वे यह नही कह सकते कि हम देशकी राजनीतिसे कोई सरोकार नही रखेगे। जन-साधारणके साथ बन्धुत्व की अपनी भावनाको दबानेके लिए यदि वे सरकारके साथ सौदेबाजी करते है, तो वे अपनी आस्थाके प्रति सच्चे नही रहेंगे। मान लीजिए, सरकार इस देशके लोगोके साथ कोई दारुण अन्याय करती है और मिशनरियोसे यह कहा जाता है कि उन्हे उसके खिलाफ उँगली भी नही उठानी है तो निश्चय ही कम-से-कम वे इतना तो कर ही सकते है कि उस अन्यायके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करनेके लिए इस देशसे चले जायें। यदि कोई मिशनरी अपनेको सेवाके लिए पेश करे तो उसे उसके अवसर अवश्य मिलेगे। आज आर्थिक क्षेत्र है तो कल सामाजिक क्षेत्र हो सकता है और फिर राजनैतिक क्षेत्र हो सकता है। आप तब यह नही कह सकते कि "मै तो अपने को इस या उस कार्य तक ही सीमित रखूंगा, और कोई अन्य कार्य नही करूँगा।" मै जब दक्षिण आफ्रिका गया तो उस देशके बारेमे कुछ भी नही जानता था। मै तब सिर्फ अपने मुवक्किलसे ही बँधा था, फिर भी वहाँ पहुँचनेके बाद सात दिनके अन्दर ही मुझे यह पता चल गया कि मुझे जिस परिस्थितिसे निपटना है वह इतनी भयानक है कि बताई नही जा सकती।

गांधीजी से फिर यह पूछा गया कि उनकी अहिंसाका उस पैसिफिस्ट (शान्ति-वादी) मनोभावनासे, "जिसे हम, पाश्चात्य लोग, अपनानेकी कोशिश कर रहे है, पर जिसमें बहुत सफलता नहीं मिल रही है," क्या सम्बन्ध है?

गाधीजी मेरे विचारमे अहिंसा किसी भी रूपमें निष्क्रियता नही है। अहिंसा, जैसाकि मै उसे समझता हूँ, विश्वकी सबसे सक्रिय शक्ति है, इसलिए, चाहे भौतिक-वादकी समस्या हो या कुछ और, यदि अहिसा उसका कोई प्रभावी प्रतिकार प्रदान

नही करती, तो वह मेरी धारणावाली सक्रिय शक्ति नही है। या, इसे उल्टे ढंगसे इस तरह भी कह सकते है कि यदि तुम मेरे सामने कुछ ऐसी पहेलियाँ रखो जिनका मै जवाब न दे सकूँ, तो मै कहूँगा कि मेरी अहिंसा अभी अधूरी है। अहिसा सर्वोच्च धर्म है। आधी शताब्दीके अपने अनुभवमे मेरे सामने अभी तक एक भी परिस्थिति ऐसी नही आई है जिसमें मुझे अपनेको लाचार मानना पडा हो, जिसका मेरे पास कोई अहिसात्मक इलाज न रहा हो।

यहूदियोके प्रश्न को ही लीजिए, जिसपर मैने अभी-अभी कुछ लिखा है।[1] अहिंसाका रास्ता अपनानेसे किसी भी यहूदीको अपनेको लाचार महसूस करनेकी जरूरत नहीं रहेगी। एक मित्रने मुझे पत्र लिखकर यह आपत्ति की है कि उस लेखमे मैने यह माना है कि यहूदी हिंसक रहे है। यह सच है कि यहूदी अपने-आपमे सक्रिय रूपसे हिंसक नही रहे है। परन्तु, उन्होने यह कामना की है कि जर्मनोपर मानव-जातिका अभिशाप पडे और वे यह चाहते है कि अमेरिका और इग्लैंड, उनकी ओरसे, जर्मनीसे लड़े। यदि मै अपने शत्रुपर वार करता हूँ, तो वह निस्सन्देह हिंसा है। किन्तु सच्चा अहिंसक होनेके लिए मुझे उससे प्रेम करना चाहिए और वह जब वार कर रहा हो तब भी मुझे उसके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदी सक्रिय रूपसे अहिंसक नही रहे है, अन्यथा वे, तानाशाहोके कुकर्मोके बावजूद, यही कहते, "हम उनके हाथो कष्ट भोगेगे, क्योकि कोई बेहतर रास्ता उन्हे मालूम नही है। पर हम जिस तरह वे चाहते है, उस तरह कष्ट नही भोगेगे।" एक भी यहूदी यदि इस तरह करे तो वह अपने आत्मसम्मानको बचा सकेगा और ऐसा उदाहरण रखेगा जो, संक्रामक होनेपर, पूरे यहूदी समाजको बचा सकेगा। साथ ही, वह मानवजातिके लिए एक अमूल्य विरासत भी होगा।

आप पूछेगे, चीनके बारेमें आप क्या कहते है। चीनियोकी दूसरे लोगोपर हमलेकी कोई योजना नही है। उन्हे नये इलाके हथियानेकी इच्छा नही है। शायद यह सच है कि चीन इस तरहके आक्रमणके लिए तैयार नही है, शायद जो उसका शान्तिवाद लगता है वह मात्र अकर्मण्यता है। हर हालतमे, चीनकी अहिसा सक्रिय नही है। जापानके विरुद्ध उसकी साहसिक प्रतिरक्षा इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि चीन अपने संकल्पोंमे कभी अहिंसक नही रहा है। यह कहना कि वह अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है, अहिसाकी दृष्टिसे कोई उत्तर नही है। इसीलिए उसकी सक्रिय अहिंसाके लिए जब परीक्षाकी घडी आई, तो वह उसमे पूरा नही उतरा। यह कोई चीनकी आलोचना नही है। मै चीनियोकी सफलताकी कामना करता हूँ। स्वीकृत मानदण्डोके अनुसार उनका व्यवहार बिलकुल सही है। परन्तु स्थितिकी यदि अहिंसाकी दृष्टिसे जाँच की जाये, तो मुझे कहना होगा कि चीन-जैसे ४० करोड जनसख्यावाले और सुसस्कृत राष्ट्रके लिए यह शोभनीय नही है कि वह जापानके आक्रमणका प्रतिरोध करनेके लिए जापानके ही तरीकोका सहारा ले। चीनियोमे यदि मेरी धारणावाली अहिसा होती तो जापानके पास जिस तरहके नवीनतम-विनाशकारी यन्त्र है, उनका कोई उपयोग

१. देखिए पृ० १५३-७।

नहीं रह जाता। चीनी तब जापानसे कहते 'अपने सारे यन्त्र ले आओ, हम अपनी आधी आबादी तुम्हें अर्पित करते हैं। परन्तु बाकीके २० करोड़ तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे।' यदि चीनी ऐसा करते, तो जापान चीनका दास हो जाता।

और अपने तर्कके समर्थनमें उन्होंने शेलीकी कविता, 'द मास्क ऑफ अनार्की'की ये सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ उद्धृत कीं: "तुम हो बहुत, वे हैं सिर्फ थोड़े-से"

खड़े रहो शान्त और अडिग
घने खामोश जंगल की तरह,
बाँहें कसे, ऐसी भंगिमासे
जो अजेयताके संकल्पको वाणी दे रही हो।
आततायी तुमपर यदि टूटें,
उन्हें टूट पड़ने दो,
मार-काट, जोर-जुल्म
जो भी करें करने दो।
किया करें वे नर-संहार,
होओ मत भयभीत, होओ मत चकित,
चुक न जाये जोश उनका जब तक
बाँहें कसे, देखो बस अपलक।
शर्मसे गड़े वे तब लौटेंगे
वहीं, आये थे जहाँसे
खून जो बहाया है, बोलेगा
लज्जा बन उनके गालोंपर।
नींदसे जगे शेरों-से उठो
उठो अजेय संख्यामें,
सोते हुए गले पड़ी जंजीरें
ओसकी हैं बूँदें, इन्हें छितराओ
तुम हो बहुत, वे हैं सिर्फ थोड़े-से।

परन्तु इसपर यह आपत्ति की गई है कि अहिंसा यहूदियोंके मामलेमें तो ठीक है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति और उसके उत्पीडकोंके बीच व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है, लेकिन चीनमें जापान ऐसी तोपों और ऐसे विमानोंके साथ आ रहा है जो बड़ी दूरसे मार करती हैं। जो व्यक्ति ऊपरसे मृत्यु-वर्षा करता है उसे यह जाननेका कभी अवसर नहीं रहता कि उसने किन्हें और कितनोंको मारा है। हवाई लड़ाईमें जब कोई व्यक्तिगत सम्पर्क रहता ही नहीं, तो अहिंसा उसका मुकाबला कैसे कर सकती है? इसका जवाब यह है कि मृत्युवाहक बमके पीछे मनुष्यका हाथ होता है जो बमको गिराता है, और उसके भी पीछे मानव-हृदय होता है जो उस हाथको चलाता

है। फिर आतककी नीतिके पीछे यह धारणा रहती है कि आतक यदि काफी मात्रामे प्रयुक्त किया जाये तो वाछित परिणाम पैदा करता है, अर्थात् प्रतिपक्षी अत्याचारीकी इच्छाके आगे घुटने टेक देता है। परन्तु मान लीजिए कि लोग यह सकल्प कर लेते है कि वे अत्याचारीकी इच्छा कभी पूरी नही करेगे, और न ही उसका प्रतिकार अत्याचारीके तरीकोसे करेगे, तो अत्याचारी देखेगा कि आतकको जारी रखनेसे कोई लाभ नही है। अत्याचारीको यदि पर्याप्त आहार दे दिया जाये तो एक समय आयेगा जब वह उनसे बुरी तरह अघा जायेगा। दुनियाके सारे चूहे यदि आपसमे सलाह करके यह निश्चय कर ले कि वे बिल्लीसे डरेगे नही, बल्कि सबके-सब सीधे उसके मुँहमे दौडेगे, तो चूहे जीवित रहेगे। मैने एक बिल्लीको सचमुच चूहेके साथ खेलते देखा है। उसने उसे फौरन ही नही मार डाला, बल्कि अपने जबड़ोमे दबाये रखा। वह उसे छोड देती थी, और जैसे ही वह भागनेकी कोशिश करता वह उसपर फिर झपट पडती थी। अन्त मे वह चूहा सिर्फ भयसे ही मर गया। यदि चूहेने भागनेकी कोशिश न की होती, तो बिल्लीको खेलका मजा न आता। मैने अहिंसाका पाठ अपनी पत्नीसे, उसे अपनी इच्छाके आगे झुकानेकी कोशिश करते हुए सीखा था। वह एक ओर तो मेरी इच्छाका दृढतासे प्रतिरोध करती थी और दूसरी ओर मेरी मूर्खतासे उसे जो यातना होती थी उसे चुपचाप शान्तिसे भोगती रहती थी। इससे आखिर मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी और अपनी इस मूर्खता-भरी धारणासे मुक्ति मिल गई कि मै उसपर शासन करनेके लिए पैदा हुआ हूँ। अन्तमे, वह अहिंसामे मेरी गुरु बन गई। दक्षिण आफ्रिकामे मैने जो-कुछ किया वह केवल सत्याग्रहके उसी नियमका प्रसार था जिसे वह अनिच्छासे अपने ऊपर लागू किया करती थी।

परन्तु अभ्यागतोंमें से एकने आपत्ति करते हुए कहा: आप हिटलर और मुसोलिनीको जानते नहीं हैं। उनमें किसी तरहकी नैतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। विवेक उनमें है ही नहीं और दुनियाकी रायका उनपर कोई असर नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि चेकोस्लोवाकियाके लोग आपकी सलाह मानकर इन तानाशाहोंका अहिंसासे मुकाबला करें, तो क्या वे इनके हाथोंमें नहीं खेलेंगे। इस बातको देखते हुए कि तानाशाहीकी परिभाषा ही अनैतिकता है, क्या नैतिक परिवर्तनका नियम उसके लिए ठीक रहेगा?

गांधीजी: आपके तर्कमे पहले ही यह मान लिया गया है कि मुसोलिनी और हिटलर-जैसे तानाशाहोका सुधार असम्भव है। परन्तु अहिंसामे विश्वासका आधार यह धारणा है कि मानव-स्वभाव मूलत: एक-जैसा है और इसलिए वह प्रेमके प्रति अवश्य अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाता है। यह याद रखना चाहिए कि अभी तक उन्हे अपनी हिंसाका सदा तुरन्त उत्तर मिला है। अपने जीवनमे उन्हे सगठित अहिंसात्मक प्रतिरोधका खास बडे पैमानेपर कभी सामना नही करना पडा है। इसलिए, मेरे विचारमे यह केवल अत्यन्त सम्भव ही नही बल्कि अनिवार्य है कि हिंसाके प्रदर्शनकी उनमे चाहे जितनी क्षमता हो, पर अहिंसात्मक प्रतिरोधको उन्हे उससे श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अहिंसाकी जो तकनीक मैने चेक लोगोके आगे रखी है,

उसकी सफलता तानाशाहों की सद्भावनापर निर्भर नहीं है। अहिंसात्मक प्रतिरोधी तो ईश्वरकी अमोघ सहायतापर भरोसा रखता है, जो अलंघनीय लगनेवाली कठिनाइयोंमें भी बराबर उसकी हिम्मत बांधे रखती है। उसकी आस्था ही उसे अजेय बना देती है।

इसके प्रत्युत्तरमें उस अभ्यागतने कहा कि ये तानाशाह यह होशियारी बरतते हैं कि बल-प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो-कुछ उन्हें चाहिए उसपर वश कब्जा कर लेते हैं। इन परिस्थितियोंमें अहिंसात्मक प्रतिरोधी क्या कर सकते हैं?

गांधीजी मान लीजिए, वे आते हैं और खानों, फैक्ट्रियों और चेक लोगोंके प्राकृतिक सम्पदाके सभी स्रोतोंपर कब्जा कर लेते हैं। तब उसके तीन परिणाम हो सकते हैं (१) आदेशोंकी अवज्ञा करनेपर चेक लोगोंका संहार किया जाये। वह चेक लोगोंकी शानदार विजय होगी और उससे जर्मनीका पतन शुरू हो जायेगा। (२) जबर्दस्त सैन्य शक्तिके आगे चेक लोगोंका हौसला टूट सकता है। सभी संघर्षोंमें यह परिणाम आम तौरपर सामने आता है। परन्तु हौसला यदि टूटना है तो वह अहिंसाके कारण नहीं टूटेगा, वह अहिंसाके न होने या काफी मात्रामें न होनेके कारण ही टूटेगा। (३) तीसरी चीज यह हो सकती है कि जर्मनी कब्जेमें आये नये स्रोतोंका उपयोग अपनी फालतू आबादीको बसानेमें लगानेके लिए करे। इसे भी हिंसात्मक प्रतिरोधसे रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि हिंसात्मक प्रतिरोधका सवाल पैदा नहीं होता। इस तरह सभी कल्पनीय परिस्थितियोंमें अहिंसात्मक प्रतिरोध ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

मैं यह नहीं मानता कि हिटलर और मुसोलिनी दुनियाकी रायसे आखिर बिल्कुल अछूते रह सकते हैं। लेकिन आज इन तानाशाहोंको दुनियाकी रायकी अवज्ञा करनेमें इसलिए सन्तोष मिलता है कि तथाकथित बड़ी शक्तियाँ इनके सामने निर्दोष रूपमें आ नहीं सकती, और इनके मनमें यह कसक है कि बड़ी शक्तियोंने इनके लोगोंके साथ पहले अन्याय किया है। अभी उस दिन एक आदरणीय अंग्रेज मित्रने मेरे आगे यह स्वीकार किया कि नाजी जर्मनी इंग्लैंडके पापका फल है, और वार्साई-सन्धिने ही हिटलरको जन्म दिया है।

प्रश्न : एक ईसाईके नाते मैं अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिमें किस तरह योग दे सकता हूँ? अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता कैसे खतम की जाये और अहिंसाको शान्तिकी स्थापनाके लिए कैसे कारगर बनाया जाये? पराधीन राष्ट्रोंकी बात छोड दें, पर चोटीके राष्ट्रोंको निरस्त्रीकरणके लिए कैसे तैयार किया जाये?

उ० एक ईसाईके नाते आप अहिंसात्मक कार्रवाई द्वारा प्रभावशाली योगदान कर सकते है, यद्यपि उसमें आपको सर्वस्व गँवाना पड सकता है। बडी शक्तियां जब तक साहसके साथ अपनेको निरस्त्र करनेका फैसला नहीं करेगी, कभी शान्ति स्थापित नहीं हो सकेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हालकी घटनाएँ बडी शक्तियोंमें यह विश्वास जगा कर रहेंगी। मेरी यह निश्चित आस्था है — और आधी सदी तक अहिंसापर बराबर अमल करते रहनेके बाद यह आस्था आज पहलेसे कहीं सुदृढ हो गई है

—कि मानव-जातिकी रक्षा केवल अहिंसासे ही हो सकती है, और जहाँ तक मैं 'बाइबिल'को समझ पाया हूँ, उसकी मुख्य शिक्षा भी यही है।

प्र० : आपने कहा है कि जहाँ तक भारतका सवाल है, आपको आशा है कि वह अहिंसापर जमा रहेगा। यह आशा किन लक्षणोंपर आधारित है?

उ० : यदि आप बाहरी प्रमाण चाहे तो वैसा तो मैं कोई दे नही सकता। पर अपने अन्त करणमे मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह देश कोई और मार्ग नही अपनायेगा। आपको यह याद रखना चाहिए कि जो-कुछ मैंने उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्तमे देखा है अभी मैं उससे अभिभूत हूँ। जो-कुछ वहाँ मैंने देखा मैं उसके लिए तैयार नही था। वे इसके [अहिंसाके] लिए बहुत ही उत्सुक है और उनके दिलोंमें गहरी सचाई है। उन्हे खुद अहिंसामे प्रकाश और आशा दिखाई दे रही है। खान साहबने मुझे बताया कि इससे पहले सब ओर अंधेरा था, एक भी परिवार ऐसा नही था जिसकी कुछ दूसरे परिवारोंसे जानी दुश्मनी न हो। वे इस तरह रहते थे जैसे एक माँदमे कई शेर रह रहे हो। यद्यपि पठान सदा चाकू, खंजर और राइफल से लैस रहते थे, फिर भी वे इस भयसे कि कही उनकी नौकरी न चली जाये, अपने बड़े अफसरोंसे बहुत आतंकित रहते थे। हजारों लोगोमे वह स्थिति अब बदल गई है। जो पठान खान साहबके अहिंसात्मक आन्दोलनके प्रभावमे आये है, उनमे जानी दुश्मनी बीते जमानेकी बात होती जा रही है। जीविकाके लिए छोटी-मोटी नौकरियोंपर निर्भर रहनेकी बजाय, उन्होंने खेतीकी ओर मुँह मोड़ा है, और यदि वे अपना वायदा पूरा कर पाये तो शीघ्र ही उद्योगोंकी ओर मुड़ेंगे।

प्र० : आपका उपासनाका ढंग क्या है?

उ० : हम प्रात: ४.२० पर और सायं ७ बजे सम्मिलित प्रार्थना करते हैं। यह क्रम वर्षोंसे चला आ रहा है। हम 'गीता' के श्लोकों और अन्य मान्य धार्मिक ग्रन्थों का पाठ करते है, तथा संतोंके भजन भी गाते या पढ़ते है। व्यक्तिगत उपासनाका तो वर्णन नही किया जा सकता। वह निरन्तर और अचेतन रूपसे भी चलती रहती है। कोई क्षण ऐसा नही जाता जब मुझे एक ऐसे द्रष्टाकी उपस्थितिकी अनुभूति न होती हो जिसकी दृष्टिसे कुछ भी छिपा नही है, और मैं उससे तालमेल रखनेके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। मैं ईसाई मित्रोंकी तरह प्रार्थना नहीं करता हूँ। इसलिए नही कि मुझे उसमे कोई दोष लगता है, बल्कि इसलिए कि शब्द मेरे मुँहसे नहीं निकलते। मैं समझता हूँ कि यह सब आदतकी बात है।

प्र० : आपकी प्रार्थनामें क्या याचना भी की जाती है?

उ० : होती भी है और नही भी। ईश्वर हमारी जरूरतोंको जानता है और उन्हें पहलेसे ही पूरा कर देता है। उसे मेरी याचनाकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु मुझे, एक बहुत ही अपूर्ण मानवप्राणी होनेके कारण, उसकी रक्षाकी आवश्यकता है, जैसेकि बच्चेको पिताके संरक्षणकी आवश्यकता होती है। पर मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे कुछ भी करनेसे उसकी योजनाओंमे कोई परिवर्तन नहीं आना है। आप चाहें तो मुझे भाग्यवादी कह सकते है।

प्र० : क्या आपको अपनी प्रार्थनाका कोई उत्तर मिलता है ?

उ० इस मामलेमे मै अपनेको बडा सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसके उत्तरका मुझे कभी अभाव नही रहा। क्षितिजपर जब गहनतम अन्धकार छाया था — जेलोमे अपनी अग्नि-परीक्षाओके दौरान जब मेरे सामने कठिनाइयाँ-ही-कठिनाइयाँ थी — मैने उसे अपने सबसे निकट पाया। जीवनमे एक भी क्षण मुझे ऐसा याद नही आता जब मैने यह महसूस किया हो कि ईश्वरने मुझे त्याग दिया है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २४-१२-१९३८

२३८. सन्देश : सी० के० गिब्बनको[1]

[१२ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूर्व][2]

आप ऐंग्लो-इंडियन समाजको स्वतन्त्र भारतके नागरिकोंके नाते अपने कर्तव्यके प्रति सजग करनेका जो प्रयास कर रहे है, मै उसकी सफलताकी कामना करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १३-१२-१९३८

२३९. हिन्दू-मुस्लिम एकता

स्व० मौलाना शौकत अलीके स्मारकके बारेमे मैने कई तजवीजे पढी है।[3] ज्योही मुझे मौलाना साहबकी मृत्युके बारेमे मालूम हुआ, जिसकी कि अभी बिलकुल ही आशा नही थी, मैने कुछ मुसलमान मित्रोको अपने अन्तस्तलकी समवेदना प्रकट करते हुए लिखा। उनमे से एक मित्रने लिखा है :

> सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कितनी तात्कालिक और सख्त जरूरत है, इस विषयमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जितनी जल्दी यह एकता होगी, उतना ही सबके लिए यह हितकर होगा। इस मामलेमें देर करनेके इतने गम्भीर चिन्ताजनक परिणाम हो सकते हैं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जो हालत है उससे अत्यन्त भयानक स्थिति आ सकती है, जिसे, जहाँ तक सम्भव हो, रोकना ही चाहिए। मै यह जानता हूँ कि शौकत अपने ढंगसे सच्चा हिन्दू-मुस्लिम समझौता करानेके लिए सचमुच चिन्तित थे।

१. ऐंग्लो-इंडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशनके महासचिव।
२. जिस समाचारके अन्तर्गत यह सन्देश छपा था, उसपर १२ दिसम्बर, १९३८ तारीख पड़ी थी।
३. शौकत अलीकी मृत्यु २७ नवम्बरको हुई थी।

स्वर्गमें उनकी आत्माको, यह जानकर कि उनका एक जीवन-उद्देश्य आखिर पूरा हो गया, जितनी शान्ति मिलेगी उतनी किसी दूसरे कामसे नहीं मिल सकती। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें इसमें सन्देह हो। लेकिन चूँकि मैं मौलानाको और उनका दिमाग किस तरह काम करता था इस बातको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए यह बात पूरे विश्वासके साथ कह सकता हूँ।

मैं इस रायसे पूर्णतया सहमत हूँ कि बावजूद इसके कि मौलाना साहब कभी-कभी जोशमें आकर उल्टी बात बोल जाते थे, पर उनके दिलमें एकता और शान्ति के लिए वही तमन्ना थी जिसके लिए कि वह खिलाफतके दिनोंमें बड़े मोहक ढंगसे बोलते और काम करते थे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमोंका एकताके लिए किया हुआ संयुक्त निश्चय ही उनका सबसे सच्चा स्मारक होगा — खाली कागजी एकताका निश्चय नहीं, बल्कि दिली एकताका निश्चय, जिसका आधार सन्देह और अविश्वास नहीं, बल्कि आपसी विश्वास होना चाहिए। कोई दूसरी एकता हमें नहीं चाहिए, और बगैर उस एकताके हिन्दुस्तानको सच्ची आजादी भी हासिल नहीं होगी।

सेगाँव, १२ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १७-१२-१९३८

२४०. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

१२ दिसम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

मेरा खयाल है सायंकाल ५ का समय बहुत ठीक रहेगा।[1] यदि कोई दूसरा समय अधिक उपयुक्त हो, तो मैं अपना कार्यक्रम उसीके अनुसार कर लूँगा।

बापूके आशीर्वाद

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४६) से।

१. देखिए "पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको", पृ० २१६।

२४१. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

१२ दिसम्बर, १९३८

चि० अमला,

पाँच रुपये मिले। तू चाहे मार्गरेट स्पीगल नामसे हस्ताक्षर कर, मेरे लिए तो अमला ही रहेगी। लिफाफेपर मै जैसा तू चाहे वैसा पता लिखूंगा।

तेरी तबीयत ठीक रहती होगी।

गुजरातीका थोडा भी अभ्यास कर ले, तो अच्छा हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीसे स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२४२. पत्र : बलवन्तसिंहको

१२ दिसम्बर, १९३८

चि० बलवतसिह,

तुमारा क्रोध तुमको और गायको खा जायगा। मै सब चीज नही देख सकता हू इसलिए मैने सबको यह काम सिपुर्द किया। तुमारे पास प्लान नही है। मेरे पास अखूट भडार रहता तो मै आख बद करके तुमका खर्च करने देता। मर्यादा कहा है मुझे जाणना न चाहीये। तुमको मै विशारद नही मानता। मेरा अखूट विश्वास तुम पर है और धीरज है। इसलिये तो आगे बडता जाता हू। हा मै १०० से भी अधिक गाय रखना चाहता हू लेकिन मेरे पास प्लान कहा है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

धीरजसे तुमारे साथीयोको नही समझा सकोगे तो सेवा किस तरह करोगे।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१२) से।

२४३. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको

सेगाँव, वर्धा
१२ दिसम्बर, १९३८

चि० व्रजकृष्ण,

मैंने जो किया था वह भाईके लिये नहिं चल सकता है। सिवाय सोडाके कुछ दवाई तो ली ही नहीं सिर्फ फलोंके रस पर रहा था। नारंगी, कटोन्नाल वगैरा चलता था। बीचमें कुछ खानेका प्रयत्न करता था तो ज्यादा बीमार पडता था। अंतमें बकरीके दूधने मुझे जान बक्षी।

वहीं जो इलाज हो सके करो। सरस्वती कुछ करे तो देखो। पूना ले जाना है तो वहां ले जाओ।

सत्यवतीका प्रश्न कठिन है। वह पूरे इलाज भी नहीं करेगी।

मीरठवाले उत्तर नहीं देते हैं सो आश्चर्य है। मैं लिखता हूं। मेरी और महादेवकी तबीयत अच्छी है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मीलोंके बारेमें मेरी मति नहीं चलती है सिवाय कि मजदूरोंको संगठित करें।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४५८) से।

२४४. पत्र : हरसरन वर्माको

सेगाँव, वर्धा
१२ दिसम्बर, १९३८

भाई हरसरन वर्मा,

तुमारा खत मिला है। अच्छा किया मुझको लिखा। जो मुझको लिखा है वह कांग्रेस कमेटीके पास भी रखना चाहिये।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०) से।

२४५. भेंट : सेलिस्टीन स्मिथको[1]

[१३ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

मैंने किसी लडकीके आनेकी बात कभी सोची न थी। अपने घरसे इतनी दूर आनेवाली किसी लडकीकी जिम्मेदारी लेना सम्भव है हमारी शक्तिसे कुछ ज्यादा सिद्ध हो। परन्तु आप देख सकती है कि मेरे इर्द-गिर्द यहाँ काफी लडकियाँ है और यदि एक लडकी इस तरह अमेरिकासे यहाँ आ भी जाती है तो उसके यहाँ आनेकी मुझे ज्यादा चिन्ता नही होगी बशर्ते कि वह यहाँका यह अविश्वसनीय रूपसे सादा जीवन —उसे तो यह ऐसा ही लगेगा — बिता सके। यहाँ वह जो-कुछ सीख सकती है या यहाँ से जो-कुछ वह अपने साथ ले जा सकती है, वह है सादे जीवनका रहस्य। अमेरिकामे जीवन चाहे कितना भी सादा क्यो न हो वह यहाँके जीवनकी सादगीकी तुलनामे कदापि नही ठहर सकता। मै नही जानता कि अमेरिका ऐसी सादगी अपना सकता है या ऐसी सादगी पसन्द भी करता है या नही। दूसरी जो चीज वह अपने साथ ले जा सकती है, वह है अहिंसाकी भावना। यह इस बात पर निर्भर है कि यदि यहाँ वातावरणमे अहिंसा व्याप्त है तो शब्दो या भाषणोकी सहायताके बिना वह इसे कितना आत्मसात कर सकती है। यदि यहाँ वातावरणमे अहिंसा न हो तो लेखो और भाषणो के द्वारा वह इसे नही समझ पायेगी और न आत्मसात ही कर पायेगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-१२-१९३८

२४६. देशी राज्योंके सम्बन्धमें कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका मसविदा[3]

१३ दिसम्बर, १९३८

देशके बहुत-से हिस्सोमे देशी राज्योकी जनतामे जो जागृति पैदा हुई है, कार्य-समिति उसका स्वागत करती है और समझती है कि तमाम हिन्दुस्तानकी जिस बडी

१. प्यारेलालके "वीकली लेटर" से उद्धृत। सेलिस्टीन स्मिथ न्यूयार्कके 'यंग विमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन' के नीग्रो-विभागकी सचिव थी। वह वर्धा शिक्षा-योजनासे प्रभावित हुई थीं और जानना चाहती थीं कि वह अपनी संस्थाकी एक लड़की वहाँ भेज सकती है या नहीं, और यदि वह उसे वहाँ भेजे तो वह क्या सीखेगी और अमेरिका के लिए उसकी देन क्या होगी।

२. सेलिस्टीन स्मिथका गांधीजी के साथ एक फोटोग्राफ १३ दिसम्बरके **बॉम्बे क्रॉनिकल** में प्रकाशित हुआ था। उससे यह संकेत मिलता है कि वे इस तारीखसे पहले मिले थे।

३. **इंडियन ऐनुअल रजिस्टर** के अनुसार प्रस्तावका मसविदा गांधीजी ने तैयार किया था।

आज़ादीके लिए कांग्रेस इतने दिनोंसे कोशिश कर रही है उसके लिए यह बहुत ही आशाजनक चिह्न है। देशी राज्योंमें राजाओंकी छत्रच्छायामें नागरिक स्वाधीनता और उत्तरदायी शासनकी प्रजाकी जो माँग है उसका यह समिति समर्थन करती है और वह कह देना चाहती है कि देशी रजवाड़ोंमें आजादी और आत्माभिव्यक्तिके जो आन्दोलन चल रहे हैं उनके साथ कांग्रेस पूरी तरह आत्मीयता प्रकट करती है। समितिको यह जानकर खुशी है कि कुछ राजा प्रजाकी इस जागृतिको विकासका चिह्न समझते हैं और अपनेको समयकी गतिके साथ बदलकर प्रजाके साथ सहयोग कर रहे हैं। समिति उनके इस कामकी कद्र करती है, लेकिन उसे इस बातपर दुःख है कि अन्य कई राजा इन आन्दोलनोंका दमन कर रहे हैं। वे शान्तिमय और वैध संस्थाओं तकको अवैध करार दे रहे हैं। किसी भी प्रकारका राजनीतिक कार्य नहीं होने देते। कहीं-कहीं तो निर्दय और अमानुषिक दमनसे काम लिया जा रहा है। खास तौरपर समिति इस बातको बहुत ही निन्दनीय समझती है कि कुछ राजा अपनी प्रजाको कुचलनेके लिए ब्रिटिश सरकारकी मदद लेनेकी कोशिश कर रहे हैं। समिति इस बातका ऐलान कर देना चाहती है कि देशी राज्योंके अन्दर उत्तरदायी शासनकी माँगके लिए वहाँ जो समुचित आन्दोलन होंगे उनके दमनके लिए अगर ब्रिटिश अधिकारी राजाओंको फौज या पुलिसकी बेजा मदद दें, तो कांग्रेसको भी यह अधिकार है कि वह प्रजाकी रक्षा करे।

समिति नये सिरेसे सब लोगोंका ध्यान हरिपुरा-कांग्रेसके उस प्रस्तावकी तरफ दिलाना चाहती है जिसमें राज्योंके बारेमें कांग्रेसकी नीति बिलकुल साफ कर दी गई है। कांग्रेसको इस बातका अधिकार ही नहीं है, बल्कि वह इस बातको अपना विशेषाधिकार भी समझती है कि वह देशी राज्योंमें प्रजाके नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी शासनकी माँगके लिए कोशिश करे; मगर मौजूदा हालतको ध्यानमें रखते हुए उसे इस कामकी कुछ सीमाएँ माननी पड़ी हैं और सावधानीका खयाल उसे सीधे तौरपर संस्थाकी हैसियतसे रियासतोंकी भीतरी लड़ाइयोंमें हिस्सा लेनेसे रोकता है। कांग्रेसने अपनी यह नीति लोगोंकी सर्वोत्तम भलाईका खयाल करके, उन्हें अपनी शक्ति और अपने स्वावलम्बनके भावका विकास करनेका मौका देनेके उद्देश्यसे तय की थी। इस नीतिका एक हेतु यह भी था कि कांग्रेस अपनी तरफसे देशी राज्योंके प्रति सद्भाव ही प्रकट करे और यह उम्मीद जाहिर करे कि देशी रियासतोंके राजे-महाराजे खुद ही अपने-आप हवाके रुख को पहचान लेंगे और उसे पहचानकर लोगोंकी न्याययुक्त आकांक्षाओंको पूरा करेंगे। अनुभवने यह साबित कर दिया है कि हरिपुरा-कांग्रेसमें तय की गई यह नीति बुद्धिमानीकी नीति थी, लेकिन इस नीतिके ये माने कभी नहीं थे कि कांग्रेस उनसे बँधी हुई है। कांग्रेसने अपना यह अधिकार हमेशा सुरक्षित रखा है, जैसाकि उसका फर्ज है, कि वह देशी राज्योंकी प्रजाको ठीक रास्ता दिखाये और उन्हें अपने असरकी पूरी-पूरी मदद दे। इन दिनों देशी राज्योंकी प्रजामें जो अपूर्व जागृति दिखाई देती है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेसको देशी राज्योंकी प्रजाका उत्तरोत्तर ज्यादा साथ देना है।

हरिपुरा-कांग्रेसने जो नीति निर्धारित की थी और जो अनुभवसे बिलकुल ठीक साबित हुई है, उसपर कांग्रेस चलती रहेगी। इसलिए देशी राज्योंमें उत्तरदायी शासनके लिए जो आन्दोलन हो रहे हैं उनका जहाँ कांग्रेस हार्दिक स्वागत करती है, वहाँ वह जनताको यह सलाह भी देती है कि जो लोग सम्बन्धित राज्योंके रहनेवाले नहीं हैं, वे उन राज्योंमें होनेवाले सत्याग्रह वगैरहमें भाग न लें। ऐसे आन्दोलनोंमें बाहरके लोगोंके शामिल होनेसे राज्यके आन्दोलनोंको सच्ची शक्ति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उससे राज्यकी प्रजाको हानि भी पहुँच सकती है और वे उन्हें अपना निजी जन-आन्दोलन विकसित करनेसे भी रोक सकते हैं, क्योंकि प्रजाकी असली शक्ति और सफलता निजी जन-आन्दोलनपर ही निर्भर करती है।

समिति इस बातका विश्वास करती है कि देशी राज्योंमें होनेवाला हरएक आन्दोलन कांग्रेसकी अहिंसाकी मौलिक नीतिपर कड़ाईके साथ आरूढ़ रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन नेशनल कांग्रेस, फरवरी १९३८ से जनवरी १९३९, पृ० ६९-७०

२४७. पत्र: बलवन्तसिंहको

१३ दिसम्बर, १९३८

चि० बल्वतसिंह,

अब तो समझे कि मैंने तो तुमारी वकालत चिमनलालके पास की कि गायोंको दो जगह रखनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वह यह कि सब मिल के गाय और उसका परिवार मिलकर सो तक चला जाय तो उसके लिये क्या खर्च होगा और उसमें से हमको कितनी आमद होगी। मजदूर तो हो लेकिन जब प्लान नहीं है तो जिसको पैसे इकट्ठे करना है उसको तो प्लान चाहीये। इसलिये मैंने कहा यहां जितने है वे मिल कर कुछ बना लेवे तो उस पर मैं विचार कर सकुं। अगर तुमारी और पारनेरकरकी बन जाती तो मेरा रास्ता कुछ खुल सकता था। मैं तो जल्दीसे इस कामको कर लेना चाहता हूं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१५) से।

२४८. तार : पट्टम् ताणु पिल्लैको

वर्धा
१४ दिसम्बर, १९३८

ताणु पिल्लै
राज्य-कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम्

मेरा स्पष्ट विचार है कि मुकदमा चलाये जानेके बावजूद आपको सुनवाई आरम्भ होनेसे पहले ही अपने आरोप वापस ले लेने चाहिए। यदि अदालत कार्रवाई जारी रखे तो भी आपको यह कहते हुए अपना बचाव पेश करनेसे इनकार कर देना चाहिए कि आपको जो परामर्श मिला है और जिसे आप सही मानते है उसके अनुसार आपने निश्चय किया है कि आरोपोको आगे न बढाया जाये क्योंकि वे उत्तरदायी सरकार स्थापित करनेकी व्यापकतर नीतिसे मेल नही खाते।

गांधी

मूल अंग्रेजीसे : पट्टम् ताणु पिल्लै पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२४९. पत्र : भूलाभाई जे० देसाईको

सेगाँव
१४ दिसम्बर, १९३८

भाई भूलाभाई,

नरीमनका पत्र पढा। मुझे तो लगता है, उसके साथ भारी अन्याय हुआ है। यदि इस पत्रसे अलग और कुछ न हो, और मेरी मान्यता ठीक हो, तो कल जब हम बैठे, तब तुम्ही बातको सुधार लो तो अच्छा हो। तुम अपनी ओरसे पहले ही सुझाव रखो, इसलिए यह लिखा है। मैंने वल्लभभाईको मोटरमे से ही लिखा था। लेकिन अब देखता हूँ मुझे तुम्हे लिखना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीसे भूलाभाई देसाई पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२५०. पत्र : सुशीला गांधीको

सेगाँव, वर्धा
१६ दिसम्बर, १९३८

चि० सुशीला,

बा को लिखा तेरा पत्र पढा। तुझे यहाँ घसीटना मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी नही बुलाऊँगा। बारडोलीमे जितने दिन रह सके, रहना। यहाँ मै तो कामके मारे सिर उठा नही सकता, फिर तुझे क्या बुलाऊँ?

तूने जो टीके लगवाये थे, उसकी सूजन अब कम हो गई होगी।

नानाभाईकी तबीयत ठीक होगी। तुम्हारा पहली तारीखको ही मेरे पास आ जाना क्या बहुत जल्दी माना जायेगा?

यहाँ इस बीच लोगोका आना-जाना काफी रहता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९०) से।

२५१. तार : जैनब र० पटेलको[1]

[१६ दिसम्बर, १९३८][2]

जमनालालजीके तारसे यह शोक समाचार मिला। तुम सबके लिए मेरे हृदयमे सवेदना और प्रार्थना है। मै जानता हूँ कि तुम बहादुर हो। आशा है कि डॉक्टरकी परम्पराको परिवार पूरी तरह कायम रखेगा। सप्रेम।

बापू

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-१२-१९३८

१. सुप्रसिद्ध फ्रीमेसन डॉ० रजब अली विश्राम पटेलकी पत्नी। १९२१ के असहयोग-आन्दोलनमें डॉक्टरने ५०,००० रुपया दान दिया था और वह राशि महात्मा गांधीको अपनी इच्छानुसार खर्च करनेके लिए सौंप दी थी।

२. डॉ० रजब अलीका देहान्त १६ दिसम्बर, १९३८को हुआ था।

२५२. तार : पट्टम् ताणु पिल्लैको

वर्धा
[१७ दिसम्बर, १९३८][1]

ताणु पिल्लै
अध्यक्ष राज्य-कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम्

आपको मेरी जोरदार सलाह है कि त्रिवेन्द्रम्के समीप किये जानेवाले सम्मेलन और वाइसरायके आगामी दौरेके समय किये जानेवाले प्रदर्शनोंपर लगाये गये मौजूदा प्रतिबन्धका प्रतिरोध न किया जाये। मेरी यह भी सलाह है कि उत्तेजक प्रतिबन्धोंके बावजूद सविनय अवज्ञाको अस्थायी रूपसे स्थगित कर दिया जाये। स्वतन्त्रतापर लगाये गये कष्टप्रद प्रतिबन्धोंका सहर्ष पालन करना सविनय अवज्ञाकी कला सीखनेका एक पाठ होगा।

गांधी

मूल अंग्रेजीसे : पट्टम् ताणु पिल्लै पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय ।

२५३. तार : पट्टम् ताणु पिल्लैको

वर्धा
१७ दिसम्बर, १९३८

ताणु पिल्लै
अध्यक्ष राज्य-कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम्

[आरोप-पत्र] निम्न प्रकार वापस ले लिया जाये। गम्भीरतासे और प्रार्थनापूर्वक सोच-विचार करके हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि दीवानके खिलाफ जो आरोप-पत्र महाराजा साहबकी सेवामें पेश किया गया है उसे उत्तरदायी सरकार स्थापनाके महत्तर संघर्षके हितमें बिना शर्त वापस ले लिया जाये। अपने आरोप पूर्णतया और स्पष्ट शब्दोंमें वापस लेनेके साथ ही यदि

१. मूल तारमें मात्र '१७' तारीख है। किन्तु ९ जनवरी, १९३९ को वाइसराय त्रावणकोर पहुँचे थे, इस तथ्यको देखते हुए तारकी यह तिथि निर्धारित की गई है।

हम यह नही कहते कि हमने पूरी जिम्मेदारीके साथ और एकपक्षीय प्रमाणपर आधारित कथनकी सचाईमे पूरा विश्वास रखकर ही आरोप लगाये थे तो हम अपने प्रति, अपने महान् उद्देश्यके प्रति और जनताके प्रति ईमानदार नही रहेगे। लगाये गये आरोपोकी सत्यतामे हमारा विश्वास कायम है किन्तु अब हम इस मतपर पहुँचनेपर बाध्य हो गये है कि हमारा उन आरोपोपर डटे रहना त्रावणकोरमे उत्तरदायी सरकार कायम करानेके महान् सघर्षके लिए अहितकर होगा। अत हम उन आरोपोको वापस लेते हैं और जनतासे हमारा अनुरोध है कि वह आरोपोसे या उनमे हमारे विश्वाससे प्रभावित न हो। यदि उक्त प्रत्याहारके बावजूद अभियोजन चलाया जाये तो बादमे अदालतमें निम्न बात भी कहिए। हमे खेद है कि सरकारी वकील आरोपोके हमारे प्रत्याहारसे सन्तुष्ट नही है। हमे जो-कुछ भी दण्ड दिया जाये उसे हम सहर्ष स्वीकार करेगे क्योंकि हमारे बिला शर्त प्रत्याहारका अर्थ ही है कि हमने कानूनी दण्डसे बचनेके लिए नही प्रत्युत उत्तरदायी सरकारके महत्तर उद्देश्यके हित-साधनकी खातिर आरोपोको वापस ले लिया है। अत बचाव पेश करनेका हमारा कोई इरादा नही है और चूँकि हमने आरोपोका प्रत्याहार किया है, हमारे लिए अपनेको दोषी स्वीकार कर लेना सम्भव नही है।

गांधी

मूल अग्रेजीसे पट्टम् ताणु पिल्लै पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२५४. सन्देश : इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र-संघको[1]

[१८ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

मेरा यह विश्वास है कि अहिंसाके सिवा कोई और चीज हमारी कठिनाइयोको दूर नही कर सकती।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-१२-१९३८

१. यह सन्देश विश्वविद्यालय सेनेट हॉलमें गाधीजी के चित्रके अनावरणके समय भेजा गया था।
२. यह सन्देश दिनांक १८ दिसम्बर, १९३८ के अन्तर्गत दी गई रिपोर्टमें छपा था।

२५५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

सेगाँव, वर्धा
१८ दिसम्बर, १९३८

अत्यन्त गोपनीय

प्रिय सुभाष,

मैं यह पत्र बोलकर ही लिखवाऊँगा क्योंकि मैं अभी अपनी आँखोंसे काम नहीं लेना चाहता। मौलाना साहब, नलिनी बाबू[1] और घनश्यामदासजी मुझे यह पत्र लिखवाते सुन रहे हैं। बंगाल-मन्त्रिमण्डलके बारेमें हमारी विस्तृत बातचीत हुई। मेरा यह विश्वास आज पहलेकी अपेक्षा और दृढ़ हो गया है कि हमें मन्त्रिमण्डलको गिरानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसमें हेर-फेर करवानेसे भी कोई लाभ नहीं होगा। और सम्भवतः मन्त्रिमण्डलमें कांग्रेसियोंके शामिल किये जानेसे हमें हानि बहुत होगी। इसलिए मैं यह महसूस करता हूँ कि प्रशासनको अपेक्षाकृत शुद्ध बनाने और निश्चित कार्यक्रम तथा नीतिको चालू रखनेका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम जो भी सुधार चाहते हों, उन्हें हम वर्तमान मन्त्रिमण्डलसे ही सम्पन्न करवानेकी कोशिश करें। जब कोई असली महत्वका प्रश्न उठे और मन्त्रिमण्डल देशके हितोंके विरुद्ध निर्णय ले, तब उसी बिनापर नलिनी बाबूको मन्त्रिमण्डलसे बाहर आ जाना चाहिए, और वे कह रहे हैं कि वे ऐसा ही करेंगे भी। उस हालतमें उनका मन्त्रिमण्डलसे अलग होना शोभाजनक और पूरी तरह न्यायसंगत होगा। मुझे मालूम हुआ है, जहाँ तक म्युनिसिपल-कानूनमें संशोधनका सम्बन्ध है, अनुसूचित वर्गके पृथक् निर्वाचक-मण्डल बनानेकी बात छोड़ दी गई है। मुसलमानोंके पृथक् निर्वाचक-मण्डलका आग्रह अब भी किया जा रहा है। कह नहीं सकता कि विरोधको इस हद तक ले जाना ठीक होगा या नहीं कि समझौतेका कोई रास्ता ही न रह जाये। यदि मुसलमानोंका मत स्पष्ट रूपसे पृथकताके पक्ष में हो तो मेरा विचार है कि बुद्धिमत्ता इसीमें है कि उन्हें सन्तुष्ट कर दिया जाये। मैं नहीं चाहूँगा कि वे इस बातको कांग्रेसके विरोधके बावजूद मनवा लें। उस हालतमें तो यह बात कांग्रेसके खिलाफ जायेगी।

यदि आप मेरी राय मानते हों तो कैदियोंकी रिहाईका मामला आजकी अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान बन जायेगा। और यदि यह राय आपको अच्छी लगती हो तो नई नीतिके बारेमें खुली घोषणा कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि इससे बंगालमें व्याप्त तनावमें कमी आ जायेगी और बंगालमें उत्साहहीनताकी स्थिति स्वतः समाप्त हो

१. नलिनी रंजन सरकार, बंगालके वित्त मन्त्री।

जायेगी। मौलाना साहब इस बातसे पूरी तरह सहमत हैं और नलिनी बाबू तथा घनश्यामदास भी।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७८४) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिडला।

२५६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगांव, वर्धा
[१८ दिसम्बर, १९३८ के पश्चात्][1]

भाई वल्लभभाई,

सारे कागजात[2] पढ लिये। मामला भयंकर है। ठाकुर साहब दृढ रहे तो अभी सब कुछ निपट जाये। पर उनके दृढ रहनेके विषयमें मुझे शक है। कागजोंसे जो कुछ पता चलता है, उसका उपयोग कहाँ तक किया जा सकता है? तुम्हें न्योता मिले तो जरूर जाना। मेरा खयाल है कि यदि तुम जाओ तो तुम्हें रेजिडेंट[3] से भी मिलना चाहिए और साफ बात कर लेनी चाहिए। राजाका निमन्त्रण पूरी तरह गुप्त नही रखा जा सकता। इसलिए अगर इतनी हिम्मत राजाकी न हो, तो राजकोट जानेमें शायद कोई लाभ नही।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
पुरुषोत्तम बिल्डिंग
ऑपेरा हाउसके सामने
बम्बई–४

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३०

१. राजकोटके ठाकुर साहब धर्मेन्द्रसिंहजीने समझौता करानेके लिए वल्लभभाई पटेलके साथ पत्र-व्यवहार किया था। वल्लभभाईने ठाकुर साहबके नाम अपने १८ दिसम्बरके पत्रमें लिखा था कि "आपका पत्र मिलनेपर मैं तुरन्त चला आऊँगा और लोगोंको संघर्ष समाप्त कर देनेके लिए समझाऊँगा।" अतः यह पत्र १८ दिसम्बरके बादका होना चाहिए।

२. वल्लभभाई पटेल और राजकोटके ठाकुर साहबके बीच हुए पत्र-व्यवहारके कागजात।

३. ई० सी० गिब्सन।

२५७. टिप्पणियाँ

कांग्रेसजनोंके खिलाफ शिकायत

मेरे सामने दो पत्र हैं — एक तो रंगूनके खादी-भण्डारका है, और दूसरा कर्नाटकका। इन पत्रोंमें यह शिकायत की गई है कि जिस खादीको अखिल भारतीय चरखा संघने अप्रमाणित कर दिया था उसे हमारे यहाँकी कांग्रेस कमेटियोंने प्रमाणित कर दिया है। शिकायतकी सचाईके बारेमें कोई शक नहीं। दोनों कांग्रेस कमेटियों द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रोंकी नकलें मेरे सामने हैं। कांग्रेस कमेटियों को यह मालूम होना चाहिए कि ये प्रमाणपत्र नियमके खिलाफ हैं। खादीके बारेमें तो प्रमाणपत्र केवल एक ही संस्था दे सकती है, और वह है अखिल भारतीय चरखा संघ। जब तक कांग्रेसका वह प्रस्ताव बदल नहीं जाता जिसके अनुसार चरखा संघका निर्माण हुआ है, तब तक किसी भी कांग्रेस कमेटीको न तो ऐसा करनेका अधिकार है और न यह अधिकार दिया जा सकता है।

'प्रमाणित खादी'-जैसी कोई चीज ही नहीं है। खादीके हरएक थान और हरएक चीजको प्रमाणित करना नामुमकिन है। चरखा संघ द्वारा स्वीकृत खादी बेचनेके लिए केवल दुकानों और व्यक्तियोंको ही प्रमाणपत्र दिये जा सकते हैं। खादी बनानेवाले कारीगरोंको निश्चित रूपसे पर्याप्त मजदूरी दी जायेगी, इस दृष्टिसे खादीकी व्याख्याको विस्तृत कर दिया गया है। जो लोग कोई दूसरी खादी बेचते हैं, वे खादी बनानेवाले मजदूरोंको उस मजदूरीसे वंचित कर देते हैं, जो कि चरखा संघने, अपनी खुशीसे, उनके लिए निश्चित कर दी है। किसी कांग्रेसजन या कांग्रेस-कमेटीके बारेमें यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि चरखा संघ द्वारा संचालित राष्ट्रनिर्माणके उस महान प्रयोगमें उनकी तरफसे दस्तंदाजी की जा रही है, जो भूखसे मरती हुई उन लाखों कत्तिनोंके शरीरमें प्राण डाल रहा है और उनके सूखे चेहरोंको जीवनकी चमक दे रहा है, जिन्हें दो पैसा रोज भी दिलानेका जिम्मा कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए मैं आशा करता हूँ, कांग्रेस कमेटियाँ और कांग्रेसजन न केवल चरखा संघके इस काममें कोई दस्तंदाजी नहीं करेंगे बल्कि उसकी बहुसंख्यक संस्थाओंको, खासकर खादीकी बिक्रीमें, पूरे दिलसे सहयोग देंगे। अगर खादीकी माँग बराबर बढ़ती गई, तो हरएक अकाल-पीड़ित क्षेत्रमें खादी-उत्पादनके इस फायदेमन्द कामका इस्तेमाल किया जा सकता है।

सिर्फ 'हिन्दुस्तानी'

एक मुसलमान मित्र ने, जो अपनेको कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता कहते हैं, लिखा है:

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने अपने १२ सितम्बरके अंकमें आपके 'हरिजन' में प्रकाशित 'कांग्रेसियो, सवाधान!' शीर्षक लेख¹का साराश छापा है। मद्रासमें हिन्दी-विरोधी आन्दोलन तथा दण्ड-विधान संशोधन अधिनियम (क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट)के उपयोगने जो स्थिति पैदा कर दी है उसके वारेमें आपका स्पष्टीकरण काफी जोरदार है। इसमें शक नहीं कि आपने आन्दोलन करनेवालोको जो नेक सलाह दी है उससे उन्हे बहुत-कुछ सन्तोष मिलेगा, और वे इस प्रश्नपर विचार करनेका सही तरीका अपनायेंगे। मगर इस वारेमें मैं आपका ध्यान एक ऐसे गलत प्रयोगकी तरफ खींचना चाहता हूँ जो मालूम होता है हिन्दुस्तानकी 'राष्ट्रभाषा' के सम्बन्धमें लापरवाहीके कारण किया जा रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस विषयके कांग्रेसके प्रस्तावमें 'हिन्दुस्तानी' शब्द रखा गया है, न कि 'हिन्दी'। आपने, खुद अपने तमाम भाषणो और लेखोमें हमेशा 'हिन्दुस्तानी' शब्दका इस्तेमाल किया है। इसलिए यह अफसोसकी वात है कि अधिकांश कांग्रेसजन, कांग्रेसके प्रस्तावके वरखिलाफ 'हिन्दी' शब्दका इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

इस गलत शब्दके इस्तेमालसे कांग्रेसके मुख्तलिफ सदस्योमें बहुत गलतफहमी और तनाजा पैदा हो गया है। मेरे विचारसे न तो वह 'हिन्दी' है, न 'उर्दू'। इसलिए जब कांग्रेसवाले राष्ट्रभाषाका जिक्र करें, तब उन्हें 'हिन्दुस्तानी' शब्दका ही इस्तेमाल करना चाहिए।

मैं इस तजवीजका तहेदिलसे समर्थन करता हूँ। राष्ट्रभाषाका केवल एक ही नाम है, और वह है 'हिन्दुस्तानी'।

सेगाँव, १९ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २४-१२-१९३८

२५८. मद्य-निषेध

कांग्रेसी प्रान्तोंमें मद्य-निषेधका काम जिस तरह हो रहा है, उसमें उस भावनाके दर्शन नहीं होते जो उसके मूलमें थी। इसमें मन्त्रियोंका शायद कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोकमत उतना जोरदार नहीं है, न कांग्रेसी मत ही प्रवल है। कांग्रेसजन इस वातको महसूस करते हुए नहीं मालूम पड़ते कि मद्य-निषेधसे लाखों आदमियोंको नई जिन्दगी हासिल होगी। इससे उन्हें ठोस रूपमें नया नैतिक और आर्थिक वल प्राप्त होगा। वे इस वातको महसूस नहीं करते कि मद्य-निषेधसे कांग्रेसको ऐसी प्रतिष्ठा और इज्जत मिलेगी जैसी और किसी कामसे शायद ही मिले। वे यह नहीं देखते कि मद्य-निषेधके कार्यक्रमको चलाना जनताके जीवनके साथ हमारे तादात्म्य का और इस दृढ़ निश्चयका द्योतक है कि शरावकी आमदनीसे कोई वास्ता नहीं

१. देखिए खण्ड ६७, पृ० ३६०-३।

रखा जायेगा। और तो और, राजाजी-जैसे मद्य-निषेधके पक्के हिमायतीने भी इतना साहस नहीं किया कि शराबसे होनेवाली आमदनी शराबखोरीकी बुराई दूर करनेमे ही लगाते। मेरे खयालमें इस विषयमे वह जरूरतसे ज्यादा सावधान साबित हुए है। कांग्रेसजनोंने यह सीखा है कि आजादी हासिल करनेके लिए कोई भी कीमत चुकाना ज्यादा नही है। लेकिन अगर हम शराब और नशेबाजीके शिकार बने रहे, तो हमारी आजादी गुलामोंकी आजादी होगी। तमाम प्रान्तोमे पूर्ण मद्य-निषेध करनेके लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है?

इतनेपर भी हम देखते है कि मन्त्री लोग मद्य-निषेधके कार्यक्रमोंको विशुद्ध धनिकोंपनकी भावनासे बना रहे है। उन्हे उससे होनेवाली आर्थिक क्षतिका ध्यान रहता है। मुझे ताज्जुब होता है कि अगर सभी शराबी और अफीमची यकायक शराब और अफीमका परित्याग कर दे तो वे क्या करेंगे। शायद यह जवाब दिया जाये कि उस हालतमें आयमे आई कमीकी पूर्तिके लिए कुछ-न-कुछ प्रबन्ध तो वे करेंगे ही। लेकिन वे स्वेच्छापूर्वक क्यों नही कर डालते? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी कामको स्वेच्छापूर्वक करनेमे ही है, मजबूरन करनेमें नही। याद रखना चाहिए कि भूकम्पसे मालाना आमदनीसे ज्यादा नुकसान हो जानेपर भी बिहार सरकारका काम रुक नही गया था। और जब अकाल तथा बाढोंसे लोग तबाह होते है और सरकारी आमदनीमें कमी पडती है, तब प्रान्तीय सरकारे क्या करती है? मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेसी सरकारें आमदनीकी खातिर मद्य-निषेधके काममे देरी करके अपनी प्रतिज्ञा का, शब्दोंमे न सही पर भावनाकी दृष्टिसे, जरूर भग कर रही है।

नये कर लगाकर वे आमदनी कर सकती है और इसके लिए उन्हे ईमानदारीके साथ कोशिश भी करनी चाहिए। शराबखोरी शहरोंमे बहुत ज्यादा है, अत इन इलाकोमे वे नया कर लगा सकती है। मद्यनिषेधसे जहाँ अनेक मजदूर काम करते है उन कारखानोंके मालिकोंको प्रत्यक्ष मदद मिलती है। इन कारखानोके मालिक निश्चय ही आमदनीकी उस कमीको पूरा कर सकते है। अहमदाबादमे कुछ ही महीने मद्य-निषेधका जो काम हुआ है उससे मालिक-मजदूर दोनोको आर्थिक लाभ हुआ है। इसलिए कोई वजह नही कि इस बहुमूल्य सेवाके लिए मालिकोसे क्यों न कुछ वसूल किया जाये? इसी तरह आमदनीके और भी अनेक साधन आसानीसे ढूंढे जा सकते है।

मैंने तो निस्संकोच यह सुझाव भी दिया है कि जहाँ अतिरिक्त आयकी कोई असली सूरत न हो, वहाँ भारत सरकारसे सहायता या कम-से-कम बिना ब्याज कर्ज ही लेनेकी माँग की जाये।

मद्य-निषेध तत्काल न करनेकी वाजिब वजह सिर्फ यह हो सकती है कि इस बारेमे पहलेका कोई अनुभव नही है, और इसलिए इसमे सावधानीकी जरूरत है। सेलमके प्रयोगको मैंने इसी रूपमे लिया था। मद्रास सरकार पहला कदम बहुत सोच-समझकर, पर दृढ़ निश्चयके साथ उठाना चाहती थी और उसकी असफलताका खतरा उठानेके लिए तैयार नही थी। सेलमके प्रयोगमे जो सफलता प्राप्त हुई उससे इस सम्बन्धकी सारी योजनाको पूरी करनेका काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन

हरएक सरकारकी इस इच्छाको समझना असम्भव नही है कि स्थानीय अनुभव हासिल करनेके लिए वे मद्य-निषेधका काम क्रमशः करे। कांग्रेसकी कार्य-समितिने पूर्ण मद्य-निषेधके लिए तीन सालका जो समय रखा उसकी यही वजह थी। यह वक्त तेजीके साथ बीता जा रहा है। और यदि भारतको निश्चित समयके अन्दर इस बुराईसे मुक्त होना है, तो रुपयेकी कमी या आमदनीमें घाटा होनेके भयसे इसमे कोई देरी नही होनी चाहिए। और अगर इस कार्यक्रमको पूरे उत्साहके साथ चलाया जाये, तो इसमे कोई सन्देह नही कि दूसरे प्रान्त और रजवाड़े भी इसका अनुसरण करेंगे।

सेगांव, १९ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २४-१२-१९३८

२५९. जिला बोर्ड

मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि जिला बोर्ड और म्युनिसिपल कौंसिलें कुछ ऐसी अनावश्यक चीजें है कि जिनके लिए लोगोंको व्यर्थ ही कर देना पड़ता है। असहयोग के दिनोंमें मेहमदाबादमें यह बात मुझे अच्छी तरह जँच गई। तब मैंने लोगोंको सलाह दी थी कि अगर वे अपनी कौंसिलका या उसे जो-कुछ भी कहा जाता हो उसका, बहिष्कार कर दें, तो वे अपने यहाँकी सफाई तथा रोशनीका काम खुद ही कर सकते है और बिना किसी ढकोसलेके या ज्यादा खर्चेके अपने स्कूलोंको भी चला सकते है। इतना ही नहीं, इन सवालोंको लेकर सम्बन्धित पक्षोंमें जो बहुत सारा लड़ाई-झगड़ा चलता है उससे भी बच सकते है।

कुछ दिन पहले जब सूरत जिला बोर्डके एक सदस्यने आकर मुझे बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ एक गश्तीपत्र दिखलाया और अपनी योजनापर मेरा आशीर्वाद माँगा, तो अपनी बातकी सचाई मुझे और भी स्पष्ट हो गई। यह योजना बोर्डके सदस्योंके रूपमें उनसे जो-कुछ करनेकी उम्मीद की जाती है उसकी सीमासे आगे जाती थी। बोर्डमें चालीस सदस्य है। मै याददाश्तसे यह लिख रहा हूँ। दरअसल, उन्हें इसके सिवा और कोई काम नही है कि कुछ समयके अन्तरसे बोर्डकी बैठक करके खर्चेकी मदोंपर बहस कर लिया करें। बोर्डमें कांग्रेसका भारी बहुमत है और कुछ सदस्योंको इस बातका बड़ा खयाल है कि हम कुछ काम करें। लेकिन वे यह नही जानते कि जन-सेवाके लिए अपने समयका वे किस तरह उपयोग करें। बोर्डकी आमदनी इतनी नहीं है कि उसके सब महकमों और खासकर सड़कोंको सुव्यवस्थित और ठीक हालतमें रखा जा सके। इसलिए गश्तीपत्रमें इस बातका बड़ा बखान किया गया है कि अप्रैलमें राष्ट्रीय सप्ताहकी अवधिमें बोर्डके सदस्य और कर्मचारी सड़कोंकी मरम्मत वगैरहका काम करेंगे। इस कहावतके अनुसार कि कुछ भी न करनेसे जो-कुछ भी किया जाये वही ठीक है, राष्ट्रीय सप्ताहमें काम करनेका विचार निश्चय ही सराहनीय था। लेकिन इतना अच्छा नही था कि मै भी उसकी प्रशंसा कर देता। इसलिए

मैंने कहा : "अगर आप मेरा आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको अभी काम शुरू कर देना चाहिए, और न केवल एक सप्ताहमें छुट्टीके तौरपर बल्कि अपने पूरे कार्यकालमें इस तरह नियमित रूपसे काम करते रहना चाहिए, जैसेकि वैतनिक कर्मचारियोंसे आशा की जाती है -- हाँ, अपनी घरेलू तथा दूसरी जिम्मेदारियोंका आप जरूर ध्यान रखें। दूसरे शब्दोंमें, आपको राष्ट्रीय सेवक बन जाना चाहिए। सरकारी तौर-पर आप केवल आवश्यक मदोंको स्वीकार-अस्वीकार करनेके लिए ही एकत्र हों, लेकिन छोटी-छोटी नियुक्तियों आदिपर लम्बी बहसों या तू-तू मैं-मैं में कभी न पड़ें। आपका सच्चा और ठोस काम तो पदके दायरेके बाहरका होना चाहिए। आप खुदकी बनाई हुई अव्वल दर्जेकी सड़कोंपर गर्व करें और अपने स्कूलोंका संचालन योग्यतापूर्वक करें। इसका ध्यान रखें कि आपके जिलेको पानी पर्याप्त मिलता है या नहीं, खेतोंमें खाद ठीक तरहसे दी जाती है या नहीं और उन्हीं चीजोंकी खेती होती है या नहीं जोकि राष्ट्रीय दृष्टिसे उपयोगी हैं। लोगोंको आप सफाईका सही तरीका सिखायें और उन्हें शराबखोरीसे रोककर स्वेच्छापूर्वक मद्य-निषेध करें। बड़ी उम्रवालोंके लिए आप रात्रि-शालाएँ चलायें। अगर आप ईमानदारीके साथ अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए इतना काम है कि जिसे करना आपके लिए सहज नहीं है। ऐसा करके आप दूसरे बोर्डोंके सामने भी एक उदाहरण रखेंगे और इस बातको साबित कर देंगे कि आपके निर्वाचकोंने आपका चुनाव ठीक ही किया था। इसका नतीजा यह होगा कि खुद निर्वाचक और दूसरे लोग भी कार्यकर्ताओंका एक ऐसा स्वयंसेवक दल बन जायेंगे जो अपने आसपासके लोगोंके जीवनमें क्रान्तिकारी तबदीली कर देंगे। जो-कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ उसपर अगर आप दिलसे गौर करें तो आपको फौरन इस बातका पता लग जायेगा कि हाथकी कताई, धुनाई और बुनाईके बगैर आप यह सब नहीं कर सकते। इससे ऐसे हरएक लड़के-लड़की, पुरुष और स्त्रीको फुरसतके बाद पूरा काम दिया जा सकेगा, जो यह हलका काम करनेके अयोग्य नहीं हैं, और अपने जिलेकी आमदनीमें आप जल्दी ही कई लाख रुपयेकी वृद्धि कर लेंगे। जब आप इस कार्यक्रमको पूरा कर लेंगे, तब मैं आपको आशीर्वाद दूँगा। बल्कि मैं आपका विज्ञापन करनेवाला एजेंट ही बन जाऊँगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फुरसतके वक्तकी अपनी देशभक्तिका दिखावटी प्रदर्शन करके अपने कामके साथ आप खिलवाड़ न करें।"

मगर मुझे भय है कि हिन्दुस्तानके जिला बोर्ड स्वेच्छापूर्वक सेवाके इस कार्यक्रम को, जिसे कि मैंने ऊपर बतलाया है, पूरी तरह पसन्द नहीं करेंगे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कम-से-कम कांग्रेसी प्रान्त ही इस सम्बन्धमें एक आदर्श कानून बनायें जिसका लक्ष्य म्युनिसिपल, स्थानीय और जिला बोर्डोंको उनकी कार्यक्षमताके आधारपर गठित करना हो। मैं यह तो चाहता हूँ कि ये निर्वाचित हों, लेकिन प्रबन्ध सम्बन्धी कोरा दफ्तरी काम करने लायक स्त्री-पुरुष बहुत कम निकलेंगे। हरेक सदस्यका काम अच्छी तरह निर्धारित कर दिया जायेगा। मैं तो चाहूँगा कि वैतनिक कर्मचारी चुने हुए सदस्योंके साथ-साथ काम करें। इस तरह, चुने हुए सदस्य मालिकके साथ-साथ

उनके साथी कार्यकर्ता भी होंगे। बोर्डोंके कामकी मैंने जो कल्पना कर रखी है, यह उसकी बहुत मोटी रूपरेखा है। कांग्रेस, क्रान्तिकारी शब्दके व्यापक और बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थमे एक क्रान्तिकारी सस्था है। उसका सब काम मौलिक ही होना चाहिए। उसकी सारी हलचलोका उद्गम, उसका ध्येय अहिंसा होना चाहिए। उसका रूप एक ऐसी सुग्रथित शृंखलाका होना चाहिए, जिसमे छोटे-से-छोटा घटक बड़े-से-बडे घटकके साथ एक निश्चित ढगसे जुड़ा हो, जिससे जो कोई चाहे वह यह देख सके कि यह मुख्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए बनी हुई एक कलापूर्ण कृति है। इसके लिए कांग्रेसमें एक मन और एक इच्छाका होना जरूरी है — किसी एक आदमीका मन और इच्छा नही, बल्कि अनेक स्त्री-पुरुषोंके मनो और इच्छाओका एकीकरण।

सेगाँव, १९ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २४-१२-१९३८

२६०. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
१९ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

मैं तुम्हें एक पंक्ति भी लिखकर नही भेज पाया हूँ।

ठीक है, मेरे लिए जो कम्बल बनाया गया है उसे मैं नही छोड़ूँगा। मुझे नही मालूम कि मैं जो कम्बल ओढ रहा हूँ वह पुराना ही है या नया। मैं पूछताछ करूँगा और नया ले लूँगा। पुरानेका मैं क्या करूँ?

औंधका सविधान तैयार हो जायेगा तो तुम्हे भी एक प्रति जरूर भेज दी जायेगी।

यदि क०[1] मे उत्तरदायी सरकार बने तो क्यो न तुम इसकी पहली मन्त्री बनो और अपनी मर्जीके मुताबिक उसके भाग्यका निर्माण करो। जब तुम आओगी तब हम इस विषयपर चर्चा करेंगे।

मुझे लगता है कि मुझे पहली जनवरीको बारडोलीके लिए रवाना हो जाना पडेगा। वहाँ कार्य-समितिकी बैठक ७ को हो रही है, इसलिए तुम्हे अहमदाबाद होते हुए आना चाहिए। यदि तुम ३ को चल पडो तो बारडोली ६ को पहुँच जाओगी। और लिखनेके लिए वक्त नही है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३६५४) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६४६३ से भी।

१. कपूरथला।

२६१. पत्र : अगाथा हैरिसनको

सेगाँव, वर्धा
२० दिसम्बर, १९३८

प्रिय अगाथा,

तुम्हारे सुन्दर पत्रका उत्तर दिये बिना मै कैसे रह सकता हूँ? क्रिसमसका अग्रेजोके लिए क्या अर्थ है, मै जानता हूँ। मेरी समस्त शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है।

मै जानता था कि मीराके पत्रको तुम ठीक समझ लोगी। हाँ, उससे बराबर सम्पर्क रखो। वह ईश्वरके हाथोमे सकुशल है।

जब भी मन करे यहाँ आ जाया करना और जब तक तबीयत हो, बैठना।

आज किसीने तुमसे गपशप नही की होगी। [इसलिए] कुछ इसीके द्वारा सही।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५०६) से।

२६२. पत्र : महादेव देसाईको

२० दिसम्बर, १९३८

चि० महादेव,

यह पत्र तो केवल वह याद दिलानेके लिए लिख रहा हूँ कि मै तुम्हे भूला नही हूँ। मेरी व्यस्तताका पार नही है। लेकिन, लगता है, भगवानको यही मजूर है। मै निर्धारित समयसे अधिक काम नही करता। तुम्हारा वहाँ रहना तो उपयोगी सिद्ध हो ही रहा होगा।

अमतुस्सलाम बहुत बीमार है——मलेरियासे। भीड़ बहुत है। पन्नालाल, गगाबहन, नानीबहन, ये सब आये है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ११६८६) से।

२६३. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२० दिसम्बर, १९३८

चि० ब्रजकृष्ण,

यह है विचित्र[1] का उत्तर। अब क्या किया जाय?

भाई अच्छे होगे।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४५७) से।

२६४. पत्र : एन० एम० जोशीको

सेगांव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

प्रिय जोशी,

तुम्हारे उन दो पत्रोंके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जिनमें तुमने मेरे पत्रका विस्तृत उत्तर दिया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि परुलेकरने थोडी तकलीफ उठाकर अपने भाषणको लिख डाला था। हालांकि चिह्नित अंग भाषणमें नहीं है, लेकिन उसमें काफी आपत्तिजनक चीजें हैं और मेरे द्वारा भेजी गई रिपोर्टमें परुलेकरके मुंहसे जिस किस्मकी बातें कहलाई गई हैं, उनसे काफी-कुछ मिलती-जुलती बातें हैं। निम्नलिखित अंशोंपर ध्यान दो

> वे अकसर ब्रिटिश अफसरशाहीको शैतानशाही कहते थे। मुझे शैतानशाहीसे भी ज्यादा सख्त कोई शब्द खोजना होगा, क्योंकि यह कार्य कहीं ज्यादा शैतानियतपूर्ण है। . . . वे जानते हैं कि विधेयक आपके हितमें नहीं है और इसीलिए वे आपसे भयभीत हैं। उन्हें घबराहट होती है। वे सोचते हैं कि आप उनकी गांधी टोपियां उतार फेंकेंगे। इस 'गांधी-टोपी' सरकारने अपने कार्योंसे दिखला दिया है कि वे गरीबोंके मित्र नहीं हैं। वे अमीरोंके हित-साधनके लिए सरकारमें

१. विचित्र नारायण शर्मा, एक खादी-कार्यकर्ता, जिसने मेरठके गांधी आश्रम चरखा संघसे लिखा था कि अकाल-पीड़ित क्षेत्रमें खादी-कार्य करनेमें हानि अवश्यम्भावी है। विचित्र नारायण शर्माका पत्र १४ दिसम्बर, १९३८ का था।

बैठे है। . . . यदि वे बहसको टालते है तो उन्हे विधेयकके बारेमे बम्बईमें चर्चा करनी पड़ेगी जहाँके लोग राजनीतिक दृष्टिसे ज्यादा जागरूक हैं। बम्बईमें मजदूर लोग विराट प्रदर्शन करेंगे और इतना ज्यादा बावेला खड़ा करेंगे कि इस विधेयकके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें चैनकी नींद हराम हो जायेगी। मजदूरोंकी तुलना सोते हुए शेरसे की जा सकती है। मैं सरकारको आगाह करता हूँ कि वह इसे न जगाये। वे उसके साथ छेड़खानी न करें। वे उस पर हमला न करें। उन्हें समझ लेना चाहिए कि यदि वे उसे उत्तेजित करेंगे, तो श्रमिक वर्गमें इतनी ताकत है कि वह शक्तिशाली-से-शक्तिशाली सरकारको मुँहतोड़ जवाब दे सके। . . . यह विधेयक प्राणलेवा जहरीली गोली है जिसपर चीनी लिपटी हुई है। हमें चीनीकी परत खुरचकर अलग कर देनी चाहिए और जहरको इस विधेयकके बनानेवालोंके निगलनेके लिए छोड़ देना चाहिए।

सोसायटीके एक सदस्यके मुँहसे ऐसी बाते निकले, यह मै नही चाहूँगा।

नागरिक स्वतन्त्रताको खतरेकी आपकी बातका जहाँ तक सवाल है, मै चाहूँगा कि आप मुझे ठोस सुझाव दे ताकि प्रान्तीय सरकारे कम-से-कम जान तो सकें कि लोकनेता क्या सोच रहे है और कर रहे है। अथवा, क्या आपका मतलब यह है कि प्रान्तीय सरकारोको इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए कि लोकनेता क्या कहते और करते है? मै इस समय यह नही सोच रहा हूँ कि जो लोग हिंसा भडकानेवाले या कानूनके खिलाफ जानेवाले भाषण करते है, उनको क्या सजा दी जा सकती है। मै तो शान्तिपूर्ण कार्रवाईकी बात सोच रहा हूँ, जैसेकि बेसमझे अनाप-शनाप बोलनेवाले वक्ताओको चेतावनी देना, और जिन संस्थाओके वे सदस्य है उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना। जहाँ तक परुलेकरका सम्बन्ध है, मै और जाँच-पड़ताल कर रहा हूँ। किसी भी सूरतमे, यह बात मेरे दिमागमे स्पष्ट है कि उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नही होनी चाहिए और यही बात मै खेरको लिखने जा रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजीकी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

२६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

मौलाना साहब काँटोका यह ताज पहनना नही चाहते। यदि तुम फिर कोशिश करना चाहते हो तो कृपया जरूर करो। लेकिन यदि तुम कोशिश नही करते या मौलाना तुम्हारी सुनते नही, तो फिर पट्टाभि ही एकमात्र विकल्प लगते है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३८, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२६६. पत्र : पृथ्वीसिंहको

सेगाँव
२१ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पृथ्वीसिंह,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले है। मै इतना व्यस्त रहा कि तुम्हे इससे पहले पत्र नही लिख सका। परन्तु प्यारेलाल तुम्हारी सारी जरूरतोका ध्यान रखते रहे है। ऊन लिया जा रहा है और मै उसे बुनवा लूँगा तथा बेशक इसका इस्तेमाल खुद करूँगा। हाँ, यदि प्रदर्शनीके लिए इसका ज्यादा अच्छा उपयोग करना तय हुआ तब दूसरी बात है। अभी मैने कोई निश्चय नही किया है।

जब तक तुम्हारी स्थिति कैदीकी है तब तक हो सकता है कि अधिकारियोको तुम्हारे पत्रका प्रकाशन अच्छा न लगे। अत यद्यपि मै फिलहाल इसका प्रकाशन नही करना चाहता फिर भी मै उन लोगोके बीच जो हिंसापर अहिंसाकी अद्वितीय श्रेष्ठताके बारेमे आश्वस्त नही है, इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने जा रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारा अपने मामलेका सम्बन्ध है, तुम आश्वस्त रहो कि जो भी मेरे अधिकारमे है वह मै अवश्य करूँगा। इस विषयमे तुम्हे तब तक कुछ करनेकी जरूरत नही है जब तक कि मै तुम्हे ऐसी सलाह नही देता।

कनु द्वारा लिया गया तुम्हारा बड़ा सुन्दर चित्र मेरे पास है जिसे प्यारेलाल तुम्हारे भाईके पास भेज रहे है। वह अलगसे तुम्हे पत्र लिखेंगे।

महादेव अब बिलकुल ठीक है। अलबत्ता, मै नही चाहता कि वह अपने रोजमर्राके काममें फिरसे लग जाये।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५६३२) से। सी० डब्ल्यू० २९४३ से भी; सौजन्य: पृथ्वीसिंह ।

२६७. पत्र : शामलालको

सेगाँव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

प्रिय लाला शामलाल,

आपके पत्रसे मुझे आश्चर्य हुआ है, क्योकि आपने अपने पिछले पत्रमे यह कहा था कि कैदी सरकारको तो कोई आश्वासन देनेके लिए तैयार नही है किन्तु वे मुझे आश्वासन देनेके लिए तैयार है। अब आप कहते है कि वे मुझे भी कोई आश्वासन नही देंगे। यह परिवर्तन क्यों? कृपया यह बात आप कैदियोके ध्यानमे लाये कि यदि वे मुझे भी आश्वासन नही दे सकते, तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है इसमे मेरा कोई वस नही चलेगा।

आपका,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२८७) से।

२६८. पत्र : जमनालाल बजाजको

सेगाँव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

चि० जमनालाल,

तुम्हारे दोनो पत्र मिले थे। पहलेपर अमल किया गया। दूसरेके लिए आग्रह क्यो हो? जलियाँवाला बाग मीटिंगमे तुम न आ सको तो कोई हर्ज नही। भले ही केशवदेवजी हाजिरी दे। वोटकी तो जरूरत नही होगी। तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसा तुम निश्चय न कर बैठना। तबीयतको आरामकी जरूरत है। वह मिलनेसे ठीक हो जायेगी। तुम हिन्दुस्तानमे या लकामे थोडी यात्रा कर लो तो काफी हो जायेगा। काम मात्रकी चिन्ता छोड दो।

रजब अलीका कारोबार ठीक है क्या? जानकीबहन कैसी है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९६) से।

२६९. पत्र : मनुबहन सु० मशरूवालाको

सेगाँव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

चि० मनुडी[1],

बारडोली आ सके, तो जरूर आ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५७३) से, सौजन्य : मनुबहन सु० मशरूवाला।

१. गांधीजी की पौत्री, हरिलाल गांधीकी पुत्री।

२७०. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
२१ दिसम्बर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

मौलाना तो साफ मना कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमे उनपर ज्यादा दबाव डालना ठीक नही लगता। मुझे लगता है, पट्टाभिके बारेमे विचार करना ही ठीक होगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३०

२७१. सन्देश : अखिल भारतीय महिला सम्मेलनको[1]

[२२ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

महिलाएँ अपना उद्धार केवल आप ही कर सकती है, पुरुष नही कर सकते। महिलाएँ यदि चाहे तो अहिंसाकी सिद्धिमे सहायक हो सकती है। चरखेके द्वारा वे अपनी गरीब बहनोकी सेवा कर सकती हैं। खद्दर पहनकर वे गरीब घरोकी सहायता कर सकती है। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित कर सकती है। वे पर्देको खत्म कर सकती है और अस्पृश्यताके भूतको भगा सकती है।

दिल्लीमे हो रहा महिला सम्मेलन क्या इनमें से किसी कार्यको पूरा करनेकी जिम्मेदारी लेगा?

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-१२-१९३८। अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०३६२) से भी, सौजन्य. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।

१. सम्मेलन दिल्लीमें २८ दिसम्बरको शुरू हुआ था। अमृत कौरने उसकी अध्यक्षता की थी। **बॉम्बे क्रॉनिकल**, २९-१२-१९३८ के अनुसार गांधीजी का यह सन्देश गुजरातीमें था।

२. देखिए अगला शीर्षक।

२७२. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव, वर्धा
२२ दिसम्बर, १९३८

प्रिय पगली,

मैं अभी तो अपना बहुत-सारा काम अपने सहायकोंके जरिये ही कर रहा हूँ। अन्यथा मैं उसे निपटा ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि बारडोलीमें तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

इसके साथ ताईके लिए एक पत्र है और सम्मेलनके लिए एक सन्देश[1] है। तुम्हें जब एक मिला है तो स्वभावतः वह भी एक चाहती है।

आशा है, तुम जब चली थीं तब शम्मीकी तबीयत अच्छी ही रही होगी। मेरा पत्र तुम्हें पसन्द आया, जानकर खुशी हुई।

महादेवको २४ तारीख को वापस आ जाना चाहिए।

सप्रेम,

जालिम

[पुनश्च :]

यहूदियोंकी अपीलके जवावका मसविदा इसके साथ है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९००) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५६ से भी।

२७३. पत्र : मणिबहन पटेलको

सेगाँव, वर्धा
२२ दिसम्बर, १९३८

चि० मणि,

तू और मृदुला ठीक मिली हो। तेरे दोनों पत्र मिल गये। आराम अच्छी तरह लेना। तू कातती है, यह बहुत अच्छा है। खुराक वगैरहका हाल लिखा जा सकता हो तो लिखना। मृदुला समय किस तरह बिताती है?

महादेव ४ दिनके लिए कलकत्तेके पासकी गोशाला देखने गये हैं। २४ तारीख को वापस आनेकी सम्भावना है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बा को वहाँ जानेकी

१. देखिए पिछला शीर्षक।

इजाजत तो अभी नहीं मिली। वह कन्या गुरुकुलके लिए देहरादून जा रही है। मैं पहली जनवरीको बारडोली जा रहा हूँ।

तुझे और मृदुलाको,

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिबहन पटेल
स्टेट जेल
राजकोट — काठियावाड़

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १२३

२७४. पत्र : बलवन्तसिंहको

२२ दिसम्बर, १९३८

चि० बलवंतसिंह,

मैंने तुमारे पत्र पर काफी विचार किया। तुमसे गलती तो हो गई है। लेकिन गलती कौन नहीं करता है? तुमारी सरलता इसमें है कि गलती शीघ्र कबूल भी कर देते हो। जो निर्णय हूआ है उसे कायम रखनेमें गोमाताकी सेवा है तुमारा हम सब का भला है। अगर सचमुच तुमारा क्रोध उतर जायगा तो अंतमें सब कुछ अच्छा ही होगा। तुमारी और पारनेरकरकी परीक्षा हो जायगी। पारनेरकर मांगे सो मदद उसको देते रहो। बाकी कार्य क्या हो सकता है देख कर मुझे बताओ। चित्तकी प्रसन्नता रहनी चाहीये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१३) से।

२७५. भाषण : स्काउटोंकी रैलीमें[1]

सेगाँव

[२२ दिसम्बर, १९३८][2]

आपने कवायदका जो प्रदर्शन किया है, उसके लिए मै आपको वधाई देता हूँ। आपके प्रशिक्षणका यह अनिवार्य अग है। यद्यपि आपकी शुरुआत वहुत अच्छी है, तो भी आपको अभी वहुत लम्वा रास्ता तय करना है।

सामूहिक कवायदका उद्देश्य यह होता है कि लोगोके वड़े-वडे समूहोको कोई भी शारीरिक क्रिया लयके साथ, शीघ्रतासे तथा विलकुल ठीक विधिसे करनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो सके। यदि अपनी सार्वजनिक सभाओ और सार्वजनिक समारोहोमे भी हम वैसा ही कर सके तो राष्ट्रीय समय और शक्तिकी कितनी वचत हो! पुरुषो तथा महिलाओके समूहो द्वारा अनुशासित ढगसे शारीरिक क्रिया करनेमे एक मौन सगीत रहता है। अभी मैंने आप लोगोसे कहा कि आप थोडा पास आ जाये, जिससे मेरी धीमी आवाज आप तक पहुँच सके। यदि अपनी कवायदमे आपने काफी ज्यादा तरक्की कर ली होती तो आप सहज भावसे और विना किसी शोर या अव्यवस्थाके मेरे नजदीक सरक कर आ सकते थे। कवायदमे ऐसी लय और ऐसा सगीत होता है कि क्रिया सहज रूपसे सम्पन्न हो जाती है और इससे थकावट पास नही फटकती। यदि ३० करोड़ लोगोके पूरे राष्ट्रको इस तरह अभ्यास कराया जा सके कि वे एक साथ चले और एक साथ काम करे और जरूरत पडनेपर एक होकर एक साथ मर मिटें तो हम विना एक भी प्रहार किये स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले और ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत करे जो सारे ससारके लिए अनुकरणीय हो।

मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि वर्धाके खोजा वोर्डिंग हाउसने आपकी स्काउट रैलीमे भाग लेनेके लिए अपने यहाँके स्काउट भेजे। होना भी यही चाहिए था। वर्धा शिक्षा योजनामे वाल स्काउटोके प्रशिक्षणकी भी व्यवस्था की गई है। यदि यह प्रशिक्षण पारस्परिक अविश्वास और सन्देह दूर करनेमे सहायक नही होता और विभिन्न वर्गो और जातियोमे सौहार्दकी वह परिपूर्ण भावना नही पनपाती जिसका यद्यपि जाकिर हुसैन समितिकी रिपोर्टमे कोई स्पष्ट उल्लेख तो नही है लेकिन जो इसके वावजूद उस योजनाका अभिन्न अग है, तो इसका कोई मूल्य नही। वर्धा

१. प्यारेलालके "वीकली लेटर" से उद्धृत। इस रैलीका आयोजन वर्धा शिक्षा-योजनाके अन्तर्गत छात्र-अध्यापकों के लिए वर्धामें किए गये स्काउट-कलाके २१ दिनके प्रशिक्षण-क्रमके बाद किया गया था।

२. तारीख **हिन्दू**, २३-१२-१९३८ से ली गई है।

शिक्षा योजनाका उद्देश्य विद्यार्थियोंको मात्र पढने-लिखनेकी शिक्षा देना नहीं है। इसका उद्देश्य इस प्रकारके जीवनकी शिक्षा देना है, जिससे हमारे करोड़ो लोगोकी आवश्यकताओकी पूर्ति होगी। इसके पीछे विचार यह रखा गया है कि यह एक जीवन्त और जीवनदायी प्रयोग बने। इसलिए अध्यापकोको, जिन्हे इस शिक्षाका प्रचारक बनना है, अधिक विस्तृत और व्यापक प्रशिक्षणकी आवश्यकता है। स्काउट-कला उस प्रशिक्षणका महत्वपूर्ण और उपयोगी अग है।

श्रद्धेय मालवीयजी द्वारा सस्थापित पुरानी सेवा-समितिके कार्यके बारेमें मै कुछ जानता हूँ। इसमे पण्डित हृदयनाथ कुँजरूने जो काम किया, मै उसके विषयमे भी जानता हूँ, और मैं समितिके व्यवस्थापक श्री वाजपेयीके सम्पर्कमे भी आया हूँ। इसलिए यदि मै सुझावोके रूपमे कुछ वाते कहूँ तो यह एक मित्र द्वारा की गई वाते मानी जानी चाहिए। मैने ध्वज-वन्दना समारोह देखा तो उसके बारेमे कुछ अयथार्थताका-सा आभास मिला। आपका गीत आडम्बरपूर्ण भाषामे लिखा गया है। उस गीतमे आपने अपने प्राण उस ध्वजके लिए न्योछावर करनेकी तत्परता प्रकट की है जिसके वारेमे आपने कल्पना की है कि वह एक दिन सारे ससारमे लहरायेगा। जब आप वह गीत गा रहे थे, मैंने अपने-आपसे पूछा कि क्या आप गम्भीरतापूर्वक वैसा ही मानते है? मै यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि इस गीतमे जैसी भावनाएँ व्यक्त की गई है, वैसी भावनाओका सम्वन्ध राष्ट्रीय ध्वजके अतिरिक्त अन्य किसी भी झण्डेसे नही होना चाहिए। अन्यथा वे मात्र एक खयाली चीज ही वनकर रह जायेंगी, और उनका आदि और अन्त उस गीत तक सीमित रह जायेगा। लोग बहुत-से झण्डोके लिए अपने प्राण न्योछावर नही कर सकते। यदि आपको अपना अलग झण्डा रखना ही है और ध्वजारोहण समारोह भी करना ही है तो गीतका स्वर धीमा रहना चाहिए। एक वात यह भी है कि मै देख रहा हूँ कि आपका आदर्श-वाक्य झण्डेपर अग्रेजीमे लिखा है। मुझे तो यह बड़ा असगत लग रहा है। आपका आदर्श वाक्य हिन्दुस्तानीमे होना चाहिए। स्काउट-आन्दोलनका उद्देश्य मात्र शारीरिक प्रशिक्षण नही, अपितु दिल और दिमागको प्रशिक्षण देना भी होना चाहिए। यदि यह मात्र वाह्याचार तक ही सीमित रहे और आभ्यन्तरिक गुणोकी उपेक्षा करे तो इस प्रशिक्षणका कोई मूल्य नही।

अव दो शब्द यहाँ एकत्रित छात्र-अध्यापकोसे। इस शिक्षा-योजनाके अन्तर्गत तैयार होनेवाला यह शिक्षकोका पहला दल है, इसलिए उनपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। यह उनकी नही, अपितु इस शिक्षा योजनाकी कसौटी है जिसे वे अंजाम देने जा रहे है। इसलिए उनकी शोभा इसीमे है कि वे छोटी-बड़ी जो भी बात कहे या छोटा-बड़ा जो भी काम करे, वह ठीक विचार करके बिलकुल सही ढगसे कहे और करे। जो भी शब्द वे कहे उसे पहले तौल ले और इस बातका ध्यान रखे कि कोई भी शब्द व्यर्थमे न बोला जाये। वे शिल्पके माध्यमसे सारी शिक्षा देने जा रहे है और यह एक नया प्रयोग है — ऐसा प्रयोग जो पहले कभी नही किया गया। अपने सारे कामोमे बराबर अपनी बुद्धिके ठीक प्रयोग करनेपर ही यह प्रयोग सफल

होगा। यदि मन, वचन अथवा कर्मसे अप्रामाणिकता बरती गई तो वह इसकी सफलताके मार्गमे सबसे बडी बाधा होगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-१२-१९३८

२७६. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
२३ दिसम्बर, १९३८

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

मै देखता हूँ कि कुछ रियासतोंमे वहाँके रेजिडेंट लोग रियासतके शासकको सरदार पटेल आदि जैसे काग्रेसी नेताओके साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रखने से मना करते है। ऐसे दो मामलोके अकाट्य प्रमाण मेरे पास है। इनमें से एकका उल्लेख मै यहाँ करनेको स्वतन्त्र हूँ। यह राजकोटके सम्बन्धमे है। मै उसकी सारी तफसील बताकर आपको परेशान नही करना चाहता। मै आशा करता हूँ कि केन्द्रीय उच्चाधिकारियोका यह मशा नही है कि देशी नरेशोको काग्रेसजनोके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने से मना किया जाये। रियासतोकी जनताने मार्ग-दर्शन और सलाहके लिए हमेशा काग्रेसपर भरोसा किया है। रियासतोकी जनतामे बढती हुई चेतनाको देखते हुए इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही है कि नरेश लोग अपनी प्रजाके साथ होनेवाले विवादोको निपटाने के लिए काग्रेसकी सलाह और सहायता लेते है। नरेशोके लिए रेजिडेटो द्वारा नापसन्दगी जाहिर करनेका मतलब वैसा न करनेके आदेशके समान है। लन्दनमे अभी हालमे जो-कुछ घोषणाएँ की गई है, उनसे प्रकट होता है कि ऐसे मामलोमे उच्च सत्ताका कोई इरादा नरेशोके कार्योंमें दखल देनेका नही है। यदि मेरी यह धारणा ठीक है, और यदि जाँचसे आपको पता चले कि मेरी शिकायत सही है, तो वैसी सूरतमे क्या मै आशा करूँ कि आप सभी रेजिडेटोको आदेश देंगे कि देशी नरेश लोग यदि अपनी कठिनाइयोको हल करनेमे काग्रेसजनोकी सहायता लेना चाहे तो उनके मामलेमें वे दखल न दे?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीसे. लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स: माइक्रोफिल्म नं० १०७, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार।

२७७. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

२३ दिसम्बर, १९३८

प्रिय कु०,

तुम बम्बई गये इसकी मुझे खुशी है। यदि कोई नही जाता तो वह गलती ही होती। निस्सन्देह हमारे उद्देश्यके लिए सर्वोत्तम व्यक्ति तुम्ही थे। मैं चाहूँगा कि यदि सम्भव हो तो तुम जो-कुछ करते रहे हो, उसके बारेमे ३० तारीखको मुझे कुछ और बताओ। लेकिन अगर तुम जरूरी समझो तो उक्त तारीखके और पहले भी मिल सकते हो।

मै चाहूँगा कि सर पी० ३ जनवरीके बाद जल्दीसे-जल्दी बारडोली आ जाये।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४७) से।

२७८. पत्र : सर्वेपल्ली राधाकृष्णनको

सेगाँव, वर्धा
२३ दिसम्बर, १९३८

प्रिय सर राधाकृष्णन,

जैसाकि आप जानते हैं, मेरा उद्देश्य सदा यह रहा है कि प्रान्तोका भाषाओंके आधारपर पुर्नविभाजन किया जाये। इसके लिए सकेत आन्ध्र-आन्दोलनसे मिला था। इसलिए यदि आन्ध्रको इस समय भी प्रान्तका दर्जा मिल जाये तो मुझे बहुत ही खुशी होगी।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महात्मा, खण्ड ६, पृ० ३५२-५३ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

१. इस वक्त डॉ० सर्वेपल्ली राधाकृष्णन सेगाँवमें गांधीजी से यह अनुरोध करने आये हुए थे कि वह राजाजीको मनायें कि मद्रासके स्कूलोंमें हिन्दी अनिवार्य न की जाये; देखिए "पत्र : च० राजगोपालाचारीको", पृ० २६४-५ ।

२७९. पत्र : इन्दु एन० पारेखको

सेगांव, वर्धा
२३ दिसम्बर, १९३८

चि० इन्दु,

तेरा पत्र मिला। पिछला भी मिला था। दोनोंमें भावावेश है। तू धीरजके साथ वहां नौकरी खोज, या फिर मेरे पास बारडोली आ जा। वहां विचार करेंगे। ढीला क्यों पड़ता है? मैं पहली जनवरीको रवाना होकर बारडोली पहुँचूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२५६) से।

२८०. पत्र : बलवन्तसिंहको

सेगांव
२३ दिसम्बर, १९३८

चि० बलवतसिंह,

तुम्हारा पत्र मैं ध्यानसे पढ़ गया हूँ। अच्छा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि गाओंके वियोगको बर्दाश्त हो नहीं सकती है। इतना समजो कि यह वियोग अधिक सेवाके कारण ही होता है। मुझे अनुभव हो जावेगा; तुमको भी हो जावेगा। अभी भी जो हो रहा है उसकी योग्यताका तुमारे दिलमें शक रहा है। यह ठीक बात नही है। क्योंकि शक है तो तुम्हारे त्यागमे ज्ञान नहीं है। कलकी तुम्हारी बातसे मैं यह समजा कि तुम्हारा दिल साफ हो गया है और तुमने समझ लीया है कि जो हो रहा है वह सब तरहसे उचित ही है। तुम्हारी क्षुद्रवृत्तिका तो मुझे ख्याल तक नही है। अहकार की मैंने अवश्य बात की थी और वह भी मैंने तो स्तुतिके रूपमें कहा था। मैंने तो यहा तक कहा कि तुम्हारी गोभक्तिका तो मुकाबला न परनेकर न और कोई कर सकता है। न तुम्हारे जितनी मजदूरी पारनेरकर या और कोई कर सकता है। तुम्हारा अनुभव भी काफी है क्योंकि बचपनसे ही खेती और गोरूका अनुभव मिला है। मैंने यह भी कहा ऐसा होते हुवे तुम्हारा ज्ञान व्यवस्थित नही है, शास्त्रीय नही है इसलीये पशु विज्ञानमें आगे बढ नही सकते है और तुम्हारा क्रोध तुमको और गाईको भी खा जाता है। इसके साथ मैंने परनेकरको अपना दिल देखनेका कहा, और अपनेमे आत्मविश्वास लगे कि वह कब्जा ले सकता है तब ही कब्जा

ले ले। उस शर्तसे और इस हालतमे कब्जा उसको दीया है। नायकमजी से मैंने बाते कर ली हैं। वह तुमसे बात कर लेगा। इस वक्त कोई निश्चित रूपसे काम न लीया जाय। थोडा आराम लो, शान्तिसे जो हुवा है और हो रहा है उसपर ख्याल करो, थोडा वाचन मनन करो, और सहज रूपमे जो-जो आश्रमका कार्य मिल जावे वह करो। चिमनलालसे मिल कर जिस कामके लीये उसको ज्यादा भीड होगी उसे करो। तुम्हारे जैसे-जैसे सेवकके लीये हमारी संस्थामे कामकी कोई कमी हो ही नही सकती है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१४) से।

२८१. पत्र : सरस्वतीको

सेगाँव, वर्धा
२३ दिसम्बर, १९३८

चि० सुरु,

तेरा खत मिला है। मुझे अगले खतोंका कुछ स्मरण नही है तेरे सब खतका उत्तर मैंने भेजा है। मामाके[1] साथ मैंने काफी बाते की है, तुझको मेरे पास भेजने का खूब आग्रह किया है। अब तू विनय करती रहेगी तो शायद तुझे भेज देगें। मुझे लिखा करना। मामा सब चीज जानते है। तुझे निर्भय होकर बात करना चाहीये।

बा आज देहरादून गई है कन्या-गुरुकुल उत्सवमे गई है। हम सब १ ली जानेवारीको बारडोली जाते हैं। वहाँ एक मास रहना होगा। मै तो आशा करूँगा कि तू वहां पहोच जायगी।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। कांतीके खत आते रहते है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१७४) से। सी० डब्ल्यू० ३४४८ से भी; सौजन्य : कान्तिलाल गाधी।

१. जी० रामचन्द्रन।

२८२. अहिंसा ही एकमात्र मार्ग

श्री ग्रेगका यह पत्र[१] पाठकोके लाभार्थ मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। श्री ग्रेगने खादी और अहिंसापर कई पुस्तके लिखी है। उन्होंने ससारकी घटनाओका परिश्रम-पूर्वक और सही अध्ययन किया है। पाठकोको ज्ञात होना चाहिए कि श्री ग्रेग भारतमे काफी दिनो तक रह चुके है और यहाँसे अच्छी तरह परिचित है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २४-१२-१९३८

२८३. निर्देश-पुस्तिकाकी जरूरत

श्री मृदुलाबहनने मुझे एक पत्र भेजा है जिसका अर्थ स्वतन्त्र अनुवाद करने पर इस प्रकार है

> कन्या स्वयंसेविका दल बनानेकी दिशामे काम आरम्भ हो चुका है। स्वाभाविक है कि उन्हे कवायद, झण्डा-अभिवादन, राष्ट्र-गीत आदिमे अभ्यास करवानेकी आवश्यकता है। यदि कोई ऐसी निर्देश-पुस्तिका हो जिसमे ये महत्त्वपूर्ण विषय आ जाये तो इनके सम्बन्धमे सारे भारतमे व्यवहारकी एकरूपता हो सकती है। आजकल तो अराजकता है। हर व्यायामशाला अपनी मनचाही बातें सिखाती है, अपने ही पारिभाषिक शब्दोका उपयोग करती है या अपने ही शब्द गढ लेती है, और बहुत जगह तो आदेश अग्रेजीमे दिये जाते है। जरा सोचिए कि यह कैसी बात है कि गाँवकी लडकियोको, जो अग्रेजी समझती ही नही, अग्रेजीमे आदेश दिये जाये। यह काम अनिवार्य रूपसे केन्द्रीय कार्यालयको सँभालना चाहिए और जल्दीसे-जल्दी निपटा देना चाहिए। मेरे द्वारा सुझाई गई पुस्तक यदि एकदम प्रकाशित कर दी जाये तो यह उस स्वयसेवक दलके प्रशिक्षणके लिए उपयोगी होगी जो महाकोशलमे होनेवाले आगामी काग्रेस-अधिवेशनको ध्यानमे रखकर संगठित किया जा रहा है।

१. पत्र यहाँ नही दिया गया है। रिचर्ड बी० ग्रेगने "युद्धके आधुनिक तरीकों और शस्त्रों" के फलस्वरूप होनेवाली विभीषिकाओंका वर्णन करनेके बाद यह मत व्यक्त किया था कि ऐसी कार्रवाइयोंका लड़कर सामना करनेका नाटक करना बहादुरी नहीं सरासर बेवकूफी है। उन्होंने अपने तर्ककी पुष्टिके लिए रसेल द्वारा लिखित पुस्तक **ह्विच वे टु पीस?** की एक प्रति भी भेजी थी जिसमें कहा गया है कि युद्ध द्वारा युद्धका स्थायी अन्त करना असम्भव है और पूर्ण शान्तिवाद ही उसका एकमात्र व्यावहारिक उपाय है।

मैं केन्द्रीय कार्यालयका ध्यान इस पत्रकी ओर दिलाता हूँ। इस किताबको एक हफ्तेके अन्दर प्रकाशित करना कठिन नहीं होना चाहिए। सामग्री तो उपलब्ध है ही, लेकिन बिखरी पड़ी है। मेरा खयाल है कि इस विषयपर डॉ० हार्डीकरने कुछ साहित्य प्रकाशित किया है। पण्डित मालवीयजीकी संस्थाने भी कोई निर्देश-पुस्तिका निकाली होगी। मुझे मालूम है कि बड़ौदाके प्रो० माणिकरावने हिन्दुस्तानीमें सरल पारिभाषिक शब्द तैयार करनेकी दिशामें बड़ा प्रयत्न किया है। वे शब्द काफी हद तक हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। इस सामग्रीका उपयोग करके प्रामाणिक पुस्तक निकालना आसान काम होना चाहिए।

इस बारेमें मैं महाकोशल स्वागत-समितिको अपने उस सुझावका स्मरण दिलाना चाहूँगा जो मैंने हरिपुरामें दिया था। वह यह था कि कांग्रेसियों और आगन्तुकोंके लिए सफाई आदिके बारेमें सरल हिन्दुस्तानीमें एक निर्देश-पुस्तिका होनी चाहिए। यह पुस्तिका देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियोंमें हो। आम तौरपर आगन्तुकोंको अपनी ही सूझ-समझसे काम लेनेको छोड़ दिया जाता है। उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि जहाँ वे जाना चाहते हैं, वे स्थान कहाँ हैं या उनकी जरूरतकी चीजें उन्हें कहाँ मिलेंगी। कांग्रेस-अधिवेशनमें हर साल शामिल होनेवाले हजारों लोगोंकी सहायताके लिए एक ऐसी निर्देश-पुस्तिका का होना जरूरी है जिसमें कांग्रेस नगरका मानचित्र भी हो।

सेगाँव, २४ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-१२-१९३८

२८४. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेगाँव, वर्धा
२४ दिसम्बर, १९३८

प्रिय सी० आर०,

सर राधाकृष्णन कल यहीं थे। उनका कहना था कि हिन्दी-विरोधी आन्दोलन बढ़ रहा है। उन्होंने तुम्हें यह सुझाव दिया था कि तुम्हें एक नैतिक आपत्तिकी धारा स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिसके अनुसार ऐसे बच्चोंको हिन्दी सीखनेसे मुक्त कर दिया जाये जिनके माता-पिता लिखकर यह कहें कि उन्हें अपने बच्चोंके हिन्दी सीखनेपर नैतिक आपत्ति है। मेरा खयाल है तुम्हें याद होगा कि इस तरहका एक सुझाव आन्दोलनके आरम्भमें ही 'हरिजन' में दिया गया था। मैं समझता हूँ कि इसे कार्यान्वित करनेका अभी भी समय है। इस रियायतका अर्थ यदि एक विवेकहीन आन्दोलनको दी गई छूट भी लगाया जाये, तो भी तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम वही करोगे जो तुम्हें सर्वोत्तम लगेगा।

आन्ध्रको एक प्रान्तके रूपमें अलग करनेके बारेमें क्या राय है? तुमने इस आशयका कोई वक्तव्य दिया था कि तुम उस सिलसिलेमें कुछ कर रहे हो। क्या तुम कुछ कर रहे हो? वैसे तुम्हारा क्या हाल है?

सप्रेम,

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७२) से।

२८५. भेंट : एच० वी० हॉडसनको[1]

[२५ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][2]

श्री हॉडसनने यह राय जाहिर की कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नका समाधान इसलिए कठिन हो गया है कि कांग्रेस, अपने स्वरूपके कारण ही, किसी दूसरे दलको न सहनेवाले एक "सर्वाधिकारवादी दल" का रूप ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति रखती है और अपनेको मुख्य दलोंमें से केवल एक माननेकी बजाय, इस तरह व्यवहार करती है मानो देशमें वही एकमात्र ऐसा दल हो जो महत्वपूर्ण हो।

गांधीजी : कांग्रेसके बारेमें इस तरहका दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही गलत है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल होनेका जरूर दावा करती है जो इस देशकी जनताकी माँगको पूरा कर सकता है। उसका ऐसा दावा करना पूर्णतया उचित है। किसी दलको एक-न-एक दिन उस सीमा तक अपना अधिकार जताना ही होगा। उससे वह दल 'सर्वाधिकारवादी' नहीं हो जाता। कांग्रेसकी यह महत्वाकांक्षा है कि वह केवल किसी खास वर्गकी प्रतिनिधि न होकर पूरे राष्ट्रकी पूर्ण प्रतिनिधि बने, और यह एक ऐसी सराहनीय महत्वाकांक्षा है जो उसकी सर्वोत्कृष्ट परम्पराके अनुरूप है। कांग्रेसके इतिहासका यदि आपने अध्ययन किया हो तो आप देखेंगे कि कांग्रेस आरम्भसे ही देशके सभी वर्गोंकी, बिना किसी पक्षपात या भेदभावके, समान रूपसे सेवा और प्रतिनिधित्व करनेकी कोशिश करती आई है। इसकी स्वागत समितिमें राजा और महाराजा भी रहे हैं और कश्मीर तथा मैसूर-जैसे मामलोंमें इसने सर्वोपरि सत्ता के विरुद्ध रियासतोंके दावेकी वकालत की है। यदि मुस्लिम लीग इसे अपनेमें विलीन करना चाहे तो यह खुशीसे मुस्लिम लीगमें विलीन हो जायेगी या फिर जहाँ तक राजनैतिक कार्यका सवाल है, मुस्लिम लीग को अपनेमें विलीन करना चाहेगी। धार्मिक और सामाजिक कार्योंके लिए अलबत्ता हर सम्प्रदायका अपना अलग संगठन हो सकता है।

१ और २. प्यारेलालके २५-१२-१९३८ के "वीकली लेटर" से उद्धृत। एच० वी० हॉडसन **राउंड टेबिल** पत्रिकाके सम्पादक थे।

हॉडसन: किन्तु कांग्रेस यदि अन्य राजनैतिक संगठनोंको अपनेमें विलीन करनेकी महत्वाकांक्षा रखती है, तो वह एक सर्वाधिकारवादी दल हुए बिना नहीं रह सकती।

गांधीजी: आप उसे सर्वाधिकारवादी कहकर उसे निंद्य ठहरानेकी कोशिश कर सकते है, पर जब देश विदेशी हाथोसे सत्ता छीननेके संघर्षमे जुटा हो तो विलयन अनिवार्य है। अलग-अलग और प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक सगठन वह नही रख सकता। देशकी समूची शक्ति तीसरे अपहर्ता दलको निकाल बाहर करनेमे लगनी चाहिए। भारतमें आज यही हो रहा है। जहाँ कोई ऐसा समान खतरा नही है, जिसका सबको विरोध करना हो, वहाँ विभिन्न विचारधाराओका प्रतिनिधित्व करनेवाले अलग-अलग दल होने चाहिए। आपको यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि कांग्रेस अपनी इच्छा दूसरोपर थोपती नही है। उसके हाथमे जो भी सत्ता है, अहिंसात्मक है।

हॉडसन: यदि मुसलमानोंको साथ लेकर चला जाये, तो क्या पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्राप्त करनेकी दिशामे आप और तेजीसे अग्रसर नहीं होंगे?

गांधीजी: बेशक होंगे। व्यक्तिगत रूपसे मै ऐसी कोई चीज नही चाहता जिसका मुसलमान विरोध करते हो। परन्तु मुझे विश्वास है कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान ज्यादातर लोग जितना सोचते है उससे बहुत जल्दी ही निकल आयेगा। मेरा यह दावा है कि मै पूरी स्थितिको तटस्थ बुद्धिसे देख सकता हूँ। हमारे झगडोमे कोई सार नही है। विभेदके जो मुद्दे है वे सतही है, जोड़नेवाले मुद्दे गहरे और स्थायी है। राजनैतिक और आर्थिक अधीनता सबके लिए समान है। जो जलवायु, जो नदियाँ, जो खेत हम [हिन्दुओ और मुसलमानो] दोनोको वायु, जल और अन्न प्रदान करते है वे एक ही है। इसलिए, नेता, महात्मा और मौलाना चाहे कुछ कहें या करें, सामान्य जनता जब पूरी तरह जाग जायेगी तो अपने अधिकारका दावा करेगी और समान बुराइयोसे लड़नेके लिए एक हो जायेगी।

समाजवादी और साम्यवादी प्रचारका प्रभाव भी दोनों सम्प्रदायोंके जन-साधारण को एक जगह लाता है, क्योंकि वह समान हितोपर जोर देता है। उन लोगोके साथ मेरे मतभेद है, पर जो अंधविश्वास विभिन्न सम्प्रदायोंको अलग किये रखता है उसे मिटानेके उनके प्रयासकी मै सराहना किये बिना नही रह सकता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-१२-१९३८

२८६. सन्देश: त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षको

[२५ दिसम्बर, १९३८ या उसके पूर्व][1]

त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षका तार मिलनेपर गांधीजी ने कहा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दीवानके विरुद्ध लगाये गये व्यक्तिगत आरोप वापस ले लिये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी स्थितिकी नये सिरेसे जाँच करनेके लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी स्थगित कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आरोप वापस ले लेनेकी बातको ध्यानमें रखते हुए राज्य-सरकार मुकदमे वापस ले लेगी और कैदियोंको रिहा कर दिया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-१२-१९३८

२८७. मणिबहन और चरखा

मणिबहन तो अपने नामके अनुसार 'मणि' ही है। अपने पिताके लिए जिसने सहर्ष कुमारिकाका जीवन अपनाया हो और उनकी सेवामे जिसने सर्वस्व अर्पित कर दिया हो, ऐसी भारतमे तो मुझे एक मणि ही दिखती है। पिताके एक ही शब्दपर वह राजकोट चली गई। अपनी इस अनन्य भक्तिसे मणिबहनको आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त हुई है। इस समय तो वह जेलमे है।[2] मुझे पत्र लिखती रहती है। कुछ पत्र प्रकाशित करने योग्य हैं, किन्तु 'हरिजनबन्धु' के लिए इन दिनो मैं लिख ही नही पाता। अवकाश ही नही मिलता। किन्तु जेलसे लिखे हुए उसके अन्तिम पत्रका अन्तिम वाक्य मैं पाठकोंके समक्ष रखे बिना नही रह सकता। इस वाक्यमे चरखेकी स्तुति है। यह रहा वह वाक्य:

> चरखा चलानेका ऐसा निर्विघ्न अवकाश मुझे बहुत समयके बाद मिला। और इस प्रकार शान्तिपूर्वक कातनेका अवसर मिले, तो फिर मुझे किसी और वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं होती। मुझे तो इसमें अद्‌भुत आनन्द मिलता है। मन होता है कि जिन दिनों मैं कात नहीं पाई, उन दिनोंकी कमीकी पूर्ति इसी अवकाशमें कर डालूँ।

१. सन्देशकी रिपोर्ट दिनांक २५ दिसम्बर, १९३८ के अन्तर्गत छपी थी।

२. राजकोट-सत्याग्रहमें भाग लेनेके कारण मणिबहन पटेलको ५ दिसम्बर, १९३८को गिरफ्तार किया गया था।

चरखेका प्यार, त्याग, पितृ-भक्ति और प्रथम श्रेणीका साहस -- इन सब गुणोका सुन्दर मेल जिनमे हो, ऐसे व्यक्ति बहुत कम दिखते है और जब दिखते है तो मेरा मन खुशीसे नाच उठता है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २५-१२-१९३८

२८८. हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा[1]

[२६ दिसम्बर, १९३८के पूर्व][2]

हैदराबाद प्रान्त-कांग्रेसकी कार्यकारिणीने बडे सोच-विचारके बाद यह निश्चय किया है कि सत्याग्रहको अस्थायी तौरपर स्थगित कर दिया जाये। यह सत्याग्रह अभी हाल ही मे चलाया गया था और इसके कारण अब तक ४०० से ज्यादा सत्याग्रही कैदी हो चुके है। सजाओंकी अवधि एक महीनेसे साढे तीन साल तककी है।

जनता यह जानना चाहेगी कि यह निर्णय किन कारणोंसे लिया गया है।

राज्य-कांग्रेसके बारेमे बहुत ज्यादा भ्रामक बाते कही गई है। इसे साम्प्रदायिक संस्था बताया गया है। इसकी गतिविधियो और आर्य सुरक्षा लीग तथा हिन्दू सिविल लिबर्टीज यूनियनकी गतिविधियोको भ्रमवश एक मान लिया गया है। दुर्भाग्यसे आर्यसमाज और हिन्दू महासभाके आन्दोलन राज्य-कांग्रेसके सविनय अवज्ञा आन्दोलनके साथ-साथ ही चले। निर्णायक कारण यहाँ यह रहा है कि गांधीजी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेताओंने यही सलाह दी कि अपनी स्थितिको पूरी तरह स्पष्ट करनेके लिए यह जरूरी है कि हम सविनय अवज्ञाको स्थगित कर दें। उनका कहना है कि आन्दोलनको स्थगित कर देनेसे महामहिम निजामकी सरकारको अवसर मिलेगा कि वह स्थितिका फिरसे जायजा ले। रियासतके अन्दर स्वराज्यका संघर्ष चलानेमे जिन नेताओकी सहानुभूति और समर्थन सदा हमारा एक बड़ा आधार रहा है, उनकी इस सलाहकी अवहेलना हम नही कर सकते थे।

हम इस आशासे सविनय अवज्ञा स्थगित करते है कि इसे फिरसे चलानेकी जरूरत नही पडेगी। परन्तु इसे फिरसे चलानेकी जरूरत होगी या नही और यदि हुई तो कब होगी, इन प्रश्नोका उत्तर पूरी तरह रियासतके अधिकारियोके रुखपर निर्भर करता है। इस वक्त हमारे ४०० से अधिक साथी साढे चार सालसे लेकर दो महीने तककी कैद भोग रहे है। ऐसी स्थितिमे संघर्ष स्थगित कर देना हमारे लिए कोई कम पीडाजनक नही रहा है। सविनय अवज्ञाके लिए हमारी सूचीमे २,००० से अधिक स्वयसेवक है। यह सूची प्रतिदिन बढती जा रही है। हर बार स्वयसेवकोके क़ैद होनेपर सूचीमे बढ़ोतरी हो जाती है। रियासतके बाहरके स्वयंसेवकोने भी संघर्षमे

१. पहले दो अनुच्छेदोंको छोड़कर मसविदा गांधीजी की लिखावटमें है।

२. देखिए "पत्र: अकबर हैदरीको", पृ० २७४।

भाग लेनेकी इच्छा प्रगट करते हुए हमे अपने नाम भेजे है जिससे हम उलझनमे पड गये है। उनके प्रस्तावको अस्वीकार करनेके लिए हमे इसलिए बाध्य होना पडा है कि हम समझते है कि इस आन्दोलनको अहिसात्मक बनाये रखनेके लिए यह जरूरी है कि हम आन्तरिक शक्ति और सहायतापर ही निर्भर रहे।

परन्तु यदि हम बातचीत और अनुनय द्वारा अपने उद्देश्यकी पूर्ति कर सके तो हमें अपनी शक्तिका उपयोग करने और कष्ट उठानेकी कोई इच्छा नही है। इसलिए हम आशा करते है कि सरकार आन्दोलन स्थगित करनेके पीछे शान्ति बनाये रखने और रियासतके प्रति निष्ठा व्यक्त करनेके हमारे उद्देश्यको समझेगी। हमे आशा है कि वह सविनय अवज्ञाके कैदियोको रिहा कर देगी और राज्य-काग्रेस और इसकी गतिविधियोपर से प्रतिबन्ध उठा लेगी तथा एक ऐसी उत्तरदायी सरकार बनानेकी योजना शुरू करनेकी दिशामे पथ प्रशस्त करेगी जिसमे अल्पमतवालोके अधिकारोके लिए उपयुक्त सरक्षणोकी व्यवस्था भी होगी।

यहाँ हम प्रान्तीय काग्रेसके सदस्योका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेगे कि अहिंसात्मक स्वराज्य आन्दोलनके दो पहलू है। एक प्रतिकारात्मक और दूसरा रचनात्मक। सविनय अवज्ञा प्रतिकारात्मक है और इसलिए अस्थायी है। दूसरा रचनात्मक और स्थायी है। हमे आशा है कि लोग स्थायी पहलूको कभी नही भूलेगे। सच तो यह है कि रचनात्मक कार्यक्रममे जितनी तेजी आती है सविनय अवज्ञाके लिए हमारी योग्यता भी उसी परिमाणमे बढ़ती रहती है। रचनात्मक कार्यमे हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और इसी तरहको अन्य उत्पादक प्रवृत्तियाँ, महामहिम निजामकी प्रजाके विविध सम्प्रदायोके बीच दिली एकता बढाना, छूआछूत हटाना, नशीले पदार्थोसे पूरी तरह दूर रहना और इसी तरहके दूसरे सुधार शामिल है। कारण, स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए चलाया जानेवाला अहिंसात्मक आन्दोलन शुद्धीकरण और सामाजिक तथा आर्थिक सुधारकी ही प्रक्रिया है। इसके सिवा वह कुछ और हो भी नही सकता। सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जानेसे कोई यह न सोचे कि उत्तरदायी सरकारके लिए किया जानेवाला आन्दोलन स्थगित किया जा रहा है। सच तो यह है कि इससे हमारे रचनात्मक कार्यमे दुगुना जोर आना चाहिए, क्योकि सविनय अवज्ञाके स्थगित कर दिये जानेसे रचनात्मक कार्यके लिए मन स्वतन्त्र हो जायेगा।

अन्तमे हम उन सब मित्रोका धन्यवाद करना चाहते है जिन्होने हमे अपनी सलाह और ठोस मदद देकर हमारी सहायता की है।

अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०१५२९) से।

२८९. विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक

पंजाबके एक कॉलेजकी लड़कीका एक अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र करीब दो महीनेसे मेरी फाइलमे पड़ा हुआ है। इस लड़कीके प्रश्नका जवाब अभी तक जो नही दिया, इसमे समयके अभावका तो केवल एक बहाना ही था। किसी-न-किसी तरह इस कामसे अपनेको मै बचा रहा था; हालाँकि मै यह जानता था कि इस प्रश्नका क्या जवाब देना चाहिए। इसी बीच मुझे एक और पत्र मिला। यह पत्र एक ऐसी बहनका लिखा हुआ है, जिन्हे जीवनका बहुत अनुभव हैं। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कॉलेजकी इस लड़कीकी जो यह अत्यन्त वास्तविक कठिनाई है, इसका उपाय बताना मेरा कर्तव्य है तथा इसकी अब मै और अधिक दिनो तक उपेक्षा नही कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुस्तानीमे लिखा है। मुझे इस पत्रके साथ, जो उस लड़की की गहरी भावनाका पूर्ण चित्र मेरे सामने प्रस्तुत करता है, यथाशक्ति न्याय करनेका प्रयत्न करना चाहिए। पत्रका एक भाग मै अपने शब्दोमे नीचे दे रहा हूँ:

> लड़कियो और वयस्क स्त्रियोके सामने, उनकी इच्छाके विरुद्ध, ऐसे अवसर आते ही है जब उन्हे अकेले जानेकी हिम्मत करनी पडती है -- या तो उन्हे एक ही शहरमे एक जगहसे दूसरी जगह या एक शहरसे दूसरे शहरको जाना होता है। और जब वे इस तरह अकेली होती है, तब गन्दी मनोवृत्तिवाले लोग उन्हे तग किया करते है। उनके पाससे गुजरते हुए वे वाहियात और गन्दी आवाजे कसते है। और अगर भय न हो, तो इससे भी आगे बढनेमें उन्हे कोई हिचकिचाहट नही होती। मै यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिंसाका उपयोग तो है ही। अगर उस लडकी या स्त्रीमे काफी हिम्मत हो, तो उसके पास जो भी साधन होगे उन्हे वह काममें लायेगी और बदमाशोको सबक सिखा देगी। वे कम-से-कम हल्ला-गुल्ला तो कर ही सकती है, जिससे कि लोगोका ध्यान आकर्षित हो जाये और गुण्डे वहाँसे भाग जाये। मै यह जानती हूँ कि इसके परिणाम-स्वरूप विपत्ति तो टल जायेगी, परन्तु यह कोई स्थायी इलाज नही है। अशिष्ट व्यवहार करनेवाले लोगोको अगर हम जानते हो, तो मुझे विश्वास है कि उन्हे समझाया जा सकता है, प्रेम और नम्रताका उन पर असर होगा। परन्तु उस आदमीके लिए आप क्या कहेगे, जो साइकिलपर चढ़ा हुआ किसी ऐसी लड़की या स्त्रीको देखकर, जिसके साथ कोई पुरुष न हो, गन्दी भाषाका प्रयोग करता है? उसे दलील देकर समझानेका आपको मौका नही है। आपके उससे फिर मिलनेकी कोई सम्भावना नही है। हो सकता है कि आप उसे पहचाने भी नही। आपको उसका पता भी मालूम नही है। ऐसी परिस्थितिमे

वह बेचारी लड़की या स्त्री क्या करे? मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूँ। कल (२६ अक्टूबरकी) रातकी बात है। मैं अपनी एक सहेलीके साथ शामके ७-३० बजेके करीब एक खास कामसे जा रही थी। उस समय किसी पुरुषको साथ ले जाना असम्भव था और कार्य इतना आवश्यक था कि टाला नही जा सकता था। रास्तेमे एक सिख युवक साइकिल पर कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा था। हम सुन सके इतनी दूरी तक उसने गुनगुनाना जारी रखा। हमे यह मालूम था कि वह हमे लक्ष्य करके ही गुनगुना रहा है। हमे उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुई। सडकपर कोई चहल-पहल नही थी। हमारे चन्द कदम जानेसे पहले ही वह लौट पडा। हम उसे फौरन पहचान गई, हालाँकि वह अब भी हमसे काफी फासलेपर था। उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई। ईश्वर जाने, उसका इरादा उतरनेका था, या यो ही हमारे पाससे सिर्फ गुजरनेका। हमे ऐसा लगा कि हम खतरेमें है। हमे अपनी शारीरिक क्षमतामे विश्वास नही था। मै एक औसत लडकीके मुकाबले शरीरसे कमजोर हूँ। लेकिन मेरे हाथमे एक बड़ी-सी किताब थी। एकाएक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आ गई। साइकिलकी तरफ मैंने किताबको जोरसे दे मारा और चिल्लाकर कहा, "छेड़छाड करनेकी तू फिर हिम्मत करेगा?" वह मुश्किलसे अपनेको सँभाल सका और साइकिलकी रफ्तार बढाकर वहाँसे रफूचक्कर हो गया। अब अगर मैंने उसकी साइकिलकी तरफ किताब जोरसे न फेंकी होती, तो वह अन्त तक इसी तरह अपनी गन्दी भाषासे हमे तग करता जाता। यह एक मामूली बल्कि नगण्य-सी घटना है। लेकिन, काश आप लाहौर आते और हम अभागी लडकियोकी मुसीबतोकी दास्तान खुद अपने कानो सुनते। आप निश्चय ही इस समस्याका ठीक-ठीक हल ढूंढ सकते है। सबसे पहले आप मुझे यह बताये कि ऊपर जिन परिस्थितियो का मैंने वर्णन किया है उनमे लडकियाँ अहिंसाके सिद्धान्तका प्रयोग किस तरह कर सकती है और कैसे अपने-आपको बचा सकती है? दूसरे, स्त्रियोको अपमानित करनेकी जिन युवकोको बहुत बुरी आदत पड़ गई है, उनको सुधारनेका उपाय क्या है? आप यह उपाय तो सुझायेंगे नही कि हमे उस नई पीढीके आनेका इन्तजार करना चाहिए जिसने बचपनसे ही स्त्रियोके साथ भद्रोचित व्यवहार करनेकी शिक्षा पाई होगी, और तब तक हमे इस अपमानको चुपचाप बर्दाश्त करते रहना चाहिए। सरकारकी या तो इस सामाजिक बुराईका मुकाबला करनेकी इच्छा नही है या वह ऐसा करनेमे असमर्थ है। और हमारे बड़े-बडे नेताओके पास ऐसे प्रश्नोके लिए समय ही नही हैं। कुछ लोग जब यह सुनते है कि किसी लडकीने अशिष्टतासे पेश आनेवाले नवयुवककी अच्छी तरहसे मरम्मत कर दी है, तो कहते है, 'शाबास, ऐसा ही सब लडकियोको करना चाहिए।' कभी-कभी किसी नेताको हम विद्यार्थियोके ऐसे दुर्व्यवहारके खिलाफ लच्छेदार भाषण करते हुए पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नजर नही आता,

जो इस गम्भीर समस्याका हल निकालनेमे निरन्तर प्रयत्नशील हो। आपको यह जानकर कष्ट और आश्चर्य होगा कि दीवाली और ऐसे ही दूसरे त्योहारोपर अखबारोमे इस किस्मकी चेतावनियाँ निकला करती है कि रोशनी देखने तकके लिए औरतोको घरोसे बाहर नही निकलना चाहिए। इस एक ही बातसे आप जान सकते है कि दुनियाके इस हिस्सेमे हम किस कदर मुसीबतोमे फँसी हुई है। न तो इस तरहकी चेतावनियोके लिखनेवालोको और न पढनेवालोको ही इस बातपर शर्म महसूस होती है कि ऐसी चेतावनियाँ देनी पडती है।

एक दूसरी पजाबी लडकीको मैने यह पत्र पढनेके लिए दिया था। उसने भी अपने कॉलेज-जीवनके निजी अनुभवोके आधारपर इस घटनाकी पुष्टि की। उसने मुझे बताया कि पत्र-लेखिकाने जो-कुछ लिखा है, वैसा ही अनुभव अधिकाश लड़कियोका है।

एक और अनुभवी महिलाने लखनऊकी अपनी सहेलियोंके अनुभव लिखे है। सिनेमा-थियेटरोमे उनके पीछेकी लाइनमे बैठे लडके उन्हे परेशान करते है, उनके लिए वे ऐसी भाषाका प्रयोग करते है जिसे अश्लीलके सिवा और कोई नाम नही दिया जा सकता। लडकियोके साथ किये जानेवाले भद्दे मजाक भी पत्र-लेखिकाने मुझे लिखे है, लेकिन मै उन्हे यहाँ उद्धृत नही कर सकता।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षाका सवाल हो तो इसमे सन्देह नही कि अपनेको शारीरिक दृष्टिसे कमजोर बतानेवाली उस लड़कीने जो इलाज — साइकिलके सवारपर जोरसे किताब मारकर — किया वह बिलकुल ठीक है। यह बहुत पुराना इलाज है। मै 'हरिजन' मे पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति हिसक व्यवहार करनेपर उतारू होना चाहता है, तो उसके रास्तेमे शारीरिक कमजोरी भी रुकावट नही डालती, भले ही उसके मुकाबलेमे शारीरिक दृष्टिसे कोई बलवान विरोधी हो। और हम यह भली-भाँति जानते है कि आजकल तो शारीरिक बलका प्रयोग करनेके इतने ज्यादा तरीके निकल चुके है कि एक छोटी लेकिन चालाक लड़की किसी की हत्या और विनाश तक कर सकती है। जिस परिस्थितिका उल्लेख पत्र-लेखिकाने किया है वैसी परिस्थितिमे लड़कियोको आत्मरक्षाके तरीके सिखानेका रिवाज आजकल बढ रहा है। लेकिन वह लडकी यह भी खूब समझती है कि भले ही वह उस क्षण अपने हाथकी किताबका उपयोग आत्मरक्षाके हथियारके रूपमे कारगर ढंगसे कर सकी हो, लेकिन इस बढती हुई बुराईका वह कोई सच्चा इलाज नही है। अश्लील मजाकके कारण बहुत घबरानेकी जरूरत नही है। लेकिन उसकी ओरसे आँख मूँद लेना भी ठीक नही। ऐसे सब मामले अखबारोमे छपवा देने चाहिए। ठीक-ठीक मालूम होनेपर शरारतियोके नाम भी अखबारोमें छपवा देने चाहिए। इस बुराईका भण्डाफोड़ करनेमे किसीका झूठा लिहाज नही करना चाहिए। इस सार्वजनिक बुराईके विरुद्ध प्रबल लोकमतके समान कोई और इलाज नही है। जैसाकि पत्र-लेखिकाने कहा है, इसमे कोई शक नहीं कि इन मामलोको जनता बहुत उदासीनतासे देखती है। लेकिन सिर्फ जनताको ही क्यो दोष दिया जाये? उसके सामने अभद्रताके ऐसे

मामले आने भी तो चाहिए। चोरीके मामले पता लगाकर छापे जाते है, उनके पीछे पड़ा जाता है तब कही जाकर चोरी कम होती है। इसी तरह जब तक ऐसे अभद्रता के मामले दबाये जाते रहेगे, तब तक इस बुराईका इलाज नही हो सकता। बुराई और पाप भी अपने शिकारको खोजनेके लिए अन्धकार चाहते है। जब उनपर रोशनी पडती है तो वे खुद ही खत्म हो जाते है।

लेकिन मुझे डर यह है कि आधुनिक लडकीको भी अनेक लोगोकी दृष्टिमे आकर्षक बनना प्रिय है। वह दुस्साहसको पसन्द करती है। ऐसा लगता है कि पत्र-लेखिका आम लडकियो-जैसी नही है। आधुनिक लडकी हवा, वर्षा या धूपसे बचनेके उद्देश्यसे नही, बल्कि लोगोका ध्यान अपनी ओर आर्कषित करनेके लिए तरह-तरहके भडकीले कपडे पहनती है। वह पाउडर वगैरहसे अपनेको रँगकर कुदरतको भी मात करना चाहती है और असाधारण सुन्दर दिखना चाहती है। अहिंसात्मक मार्ग ऐसी लडकियोके लिए नही है। मै इन पृष्ठोमे बहुत वार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदयमे अहिंसाकी भावनाका विकास हो इसके लिए भी कुछ निश्चित नियम होते है। यह एक कष्टसाध्य-प्रयत्न है। विचार और जीवनके तरीकोमें यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। यदि पत्र-लेखिका और उसी की तरहके विचार रखनेवाली दूसरी सब लडकियाँ ऊपर बताये गये तरीकेसे अपने जीवनको बिलकुल ही वदल डाले, तो उन्हे जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्कमे आनेवाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थितिमे भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे है। लेकिन यदि उन्हे किसी समय ऐसा लगे, जैसाकि सम्भव है, कि उनके शीलपर हमला होनेका खतरा है, तो उनमे मनुष्यकी पाशविकताके आगे आत्मसमर्पण करनेके बजाय मर जानेका साहस होना चाहिए। कहा गया है कि जिस लड़कीको बाँधकर या मुँहमे कपडा ठूँसकर इस तरह विवश कर दिया जाता है कि वह मुकाबला भी न कर सके, ऐसी लडकी उतनी आसानीसे, जितना कि मै सोचता हूँ, मर नही सकती। फिर भी मै जोरोके साथ यह कहता हूँ कि जिस लडकीमे मुकाबला करनेका दृढ सकल्प है, वह उसे विवश करनेके लिए काममे लाये गये सारे बन्धनोको तोड सकती है। दृढ सकल्प उसे मरनेकी शक्ति दे सकता है।

लेकिन यह साहस उन्हीके लिए सम्भव है, जिन्होने इसका अभ्यास कर लिया है। जिनका अहिंसामे दृढ विश्वास नही है, उन्हे आत्मरक्षाके साधारण तरीके सीखकर कायर युवकोके अश्लील व्यवहारसे अपना बचाव करना चाहिए।

परन्तु बडा सवाल तो यह है कि नवयुवक साधारण शिष्टाचार भी किसलिए छोड दे, जिससे कि भली लडकियोको उनसे सताये जानेका हमेशा डर लगा रहे? मुझे यह जानकर दुःख होगा कि ज्यादातर नवयुवकोमे स्त्री-सम्मान की भावनाका ही लोप हो गया है। इसके विपरीत, उन्हे तो अपने युवक-वर्गको बदनाम न होने देनेकी सावधानी रखनी चाहिए और अपने साथियोमे पाये जानेवाले असभ्यताके ऐसे प्रत्येक मामलेका इलाज करना चाहिए। उन्हे हरएक स्त्रीका अपनी माँ और बहनकी तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वे शिष्टाचार नही सीखेंगे, तो उनकी सारी शिक्षा वेकार है।

और क्या प्रोफेसरों तथा स्कूल-शिक्षकोंका यह कर्तव्य नहीं है कि जिस प्रकार वे अपने विद्यार्थियोंको कक्षामें बैठाकर पाठ्यक्रमके विषय सिखाते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें शिष्टताका पाठ भी सिखायें?

सेगाँव, २६ दिसम्बर, १९३८

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३१-१२-१९३८

२९०. पत्र: अकबर हैदरीको[1]

सेगाँव
२६ दिसम्बर, १९३८

प्रिय सर अकबर,

हैदराबादके मामलोंपर मैंने जान-बूझकर आपको कष्ट नहीं दिया। परन्तु हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने जो निर्णय किया है, उसमें चूँकि मैंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको अवश्य लिखना चाहिए। आशा है, [सविनय-अवज्ञा] स्थगित करने[2] की इस बुद्धिमत्ताकी आप सराहना करेंगे और उनकी कार्रवाईका उत्तर उदार ढंगसे देंगे।

आशा है, अब आप पूर्ण स्वस्थ हो गये होंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८४१) से।

२९१. पुर्जा: जमनालाल बजाजको

२६ दिसम्बर, १९३८

कल हम लोग कुछ समय बात करेंगे, या फिर तुम दो-एक दिन रुक सको तो रुक जाओ। मुझे लगता है, तुम्हारे मर्जका इलाज सरल है। घबराने-जैसी कोई बात नहीं है। अन्ततः तुम्हारा विनाश तो नहीं ही है। किन्तु तुम्हारा दोष मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे सारे अनुभव हो चुके हैं। अभी तो इतना ही कहता हूँ कि यह उलझन यहीं सुलझा लेनेके बाद ही यहाँसे जाना।

१. हैदराबादके दीवान।
२. देखिए "हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा", पृ० २६८-९।

आज रातको ही लिख डालूँगा।[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९७) से।

२९२. पत्र : जमनालाल बजाजको

दोबारा नहीं पढा

सेगाँव
२६ दिसम्बर, १९३८

चि० जमनालाल,

अभी अंग्रेजीकी एक सुन्दर उक्ति देखी थी। उसका अर्थ यह है कि मनुष्यको अपने दोषोका नही, गुणोका चिन्तन करना चाहिए, क्योकि मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा बनता है। इसका अर्थ यह नही है कि दोष देखे ही नही। देखे तो जरूर, लेकिन उनका विचार करके पागल न बने। ऐसा हमारे शास्त्रोमें भी लिखा है। इस कारण तुम्हे आत्मविश्वास रखकर यह निश्चय करना चाहिए कि तुम्हारे हाथो कल्याण ही होनेवाला है। हुआ तो है ही।

तुम्हे अतिलोभ छोडना चाहिए। व्यक्तिगत व्यापार, फिर चाहे उसका उद्देश्य परोपकार करना ही क्यो न हो, खत्म कर देना चाहिए। खत्म न कर सको तो कडी मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रसे भी निकलनेका प्रयत्न करना चाहिए। अगर उसमे रहना ही पड़े और तुम अपनी ही शर्तोपर रह सकते हो तो केवल मध्य प्रान्तके सगठनका कार्य करो। पर तुम्हारा क्षेत्र तो पारमार्थिक व्यापार है। इसलिए तुम फिरसे चरखा-सघमें अपनी सारी शक्तिका उपयोग करो। इस काममे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नीति और तुम्हारी व्यापार-शक्तिका पूरा उपयोग हो सकता है। राजनीतिमे बहुत गन्दगी रहती है। उसके अन्दर तुम्हे सन्तोष मिले, इसकी कम ही सम्भावना है। चरखा-सघ पूर्ण सफल हो जाये तो सहज ही पूर्ण स्वराज मिल सकता है। इसमे तुम कूद पडो, तो ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता-निवारण आदिमे भी थोडा-बहुत ध्यान दे सकते हो। लेकिन वह तो तुम्हारी इच्छापर निर्भर है। यह तो अतिलोभको रोकनेके लिए और तुम्हे मनके मुताबिक पूरा काम मिल सके, इसके लिए सूचित कर दिया है।

दूसरी वस्तु विकार है। यह जरा कठिन है। मै अगर तुम्हे ठीक-ठीक जान पाया हूँ तो मै यह समझता हूँ कि तुम्हे स्त्रियोके द्वारा अपनी परिचर्या करवाना रोक देना चाहिए। सब इसे पचा नही सकते। यह कह सकते है कि हमारे मण्डलमे स्त्री-परिचर्या लेनेवाला प्राय: एकमात्र मै ही हूँ। मेरी सफलता या असफलताका निर्णय मेरी मृत्युके बाद ही निकल सकेगा। मेरे लिए तो यह प्रयोग ही है। मै स्वय भी

१. देखिए अगला शीर्षक।

दावेके साथ नहीं कह सकता कि मैं सफल ही हुआ हूँ। मेरी कामना शुकदेवजीकी स्थितिको पहुँचनेकी है। उस स्थितिसे मैं कई योजन दूर हूँ। अगर तुममें आत्म-विश्वास हो तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन अगर न हो और मेरा समझना ठीक हो तो तुम्हें गहरा आत्मावलोकन करके उचित परिवर्तन करना चाहिए। इसमें स्त्री-सेवा छोड़नेकी बात नहीं है।

इनमें से एक भी चीजकी प्रतिध्वनि यदि तुम्हारे हृदयमें न उठे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। मेरे साथ विचारोंका आदान-प्रदान करते रहना। निराशाकी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम पतित नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठका पतन सम्भव ही नहीं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९८) से।

२९३. पत्र: मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
[२७ दिसम्बर, १९३८][1]

चि० मीरा,

तुम्हारी रोजकी डाक एक ऐसी घटना है जिसकी मैं उत्कंठासे प्रतीक्षा करता रहता हूँ। मेरा हृदय और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा तो तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें खान साहब से जो भी तुम उनसे कहना चाहो सो नम्रतापूर्वक कह सकनेकी कला सीख लेनी चाहिए। तुम्हें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए और वहीं, यानी सीमाप्रान्तमें, रहते हुए ही ठीक रखना चाहिए। मैं तुम्हारी मृत्युका जोखिम उठानेके लिए तैयार हूँ लेकिन यह नहीं चाहूँगा कि अपना स्वास्थ्य सुधारनेके लिए तुम लौटकर सेगाँव आ जाओ। पेशावरमें तुम ठीक रहोगी। यदि उटमंजईमें तबीयत ठीक न रहती हो तो सप्ताहका अन्तिम दिन तुम पेशावरमें बिता सकती हो। तुम्हें तीन चीजोंकी जरूरत है। तुम्हें घूमने-फिरनेके लिए बाहर जानेकी सुविधा होनी चाहिए, इसके सिवा तुम्हारे पास, केवल तुम्हारे ही लिए एक लड़का या लड़की होनी चाहिए। खानसाहबसे कहना कि ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वे तुम्हारे ऊपर खर्च करें; मैं कुछ पैसा तुम्हारे लिए कल ही भेजनेकी उम्मीद करता हूँ।

मैंने अगाथासे कहा था कि वह जार्डिनसे तुम्हें निमन्त्रित करनेको कहे। तुम हिन्दुओंके घरोंमें बेशक जा सकती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिलहाल तुम ऐसा तब तक मत करो जब तक खानसाहब स्वयं तुम्हें ऐसा करनेके लिए न कहें।

१. *बापूज़ लेटर्स टु मीरा* के अनुसार। मूल पत्रमें तारीख नहीं दी गई है।

जो भी हो तुम अच्छी तरह सोच-समझ लो कि तुम्हे मेरा यह सुझाव पसन्द आया है या नही कि तुम्हे वही करना या मरना है। मै निस्सन्देह वहाँ मार्चमे आ रहा हूँ। अलवत्ता यह मार्चके मध्यके पहले नही हो सकेगा, क्योकि कांग्रेसकी बैठक १० मार्चके पहले नही होगी।

महादेव कल लौट आया। कलकत्ताके प्रवासके आखिरी दिन उसके स्वास्थ्यने जवाब दे दिया। वैसे, शरीरसे तो ठीक दिखता है लेकिन उसका दिमाग अच्छी तरह काम नही कर रहा है। उसे विश्रामकी और उपयुक्त आहारकी जरूरत है। गोसावामे उसने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया।

यहाँ मुलाकातियोकी काफी भीड़ है किन्तु मै विभिन्न कामोके लिए निर्धारित अपने समयका ठीक पालन कर रहा हूँ। मुझे पहले जितने सम्पूर्ण रूपसे मौनकी आवश्यकता होती थी उतना अब नही चाहिए। मेरे विषयमे तुम्हे चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मै अपना स्वास्थ्य सचमुच बहुत ठीक रख रहा हूँ, बल्कि लगातार ज्यादा अच्छा होता जा रहा हूँ।

साथमे होम्स[1] का पत्र है। एक पत्र लोदियनका भी आया है जिसके विषयमे मै 'हरिजन' मे लिखूँगा।[2]

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२१) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००१६ से भी।

२९४. भेंट : अमेरिकी अध्यापकोंको[3]

[२९ दिसम्बर, १९३८ के पूर्व][4]

अध्यापक : एक बुजुर्ग और अनुभवी नेताके नाते आप युवकोंको अपना जीवन मानवताकी सेवामें होम देनेकी सलाह कैसे देंगे?

गाधीजी . यह प्रश्न सही ढगसे नही पूछा गया। जब आप सत्याग्रहका अस्त्र अपनाते है तो आप अपना जीवन होम नही देते, अपितु आप अपने-आपको इसके लिए तैयार करते है कि घोरतम सकट और उत्तेजनाका बिना प्रतिशोध मुकाबला करे। इससे आपको अवसर मिलता है कि समय आनेपर आप अपना जीवन समर्पित कर दे। अहिंसात्मक तरीकेसे वैसा कर सकनेके लिए पहले प्रशिक्षणकी आवश्यकता होती है। यदि आप पुराने तरीकेको मानते है तो आप सिपाही बननेकी तालीम लेते है। यही बात अहिंसापर लागू होती है। आपको अपनी पूरी जीवन-पद्धति

१. जॉन हेन्स होम्स।

२. देखिए "अहिंसाका पालन", ६-२-१९३९।

३ और ४. प्यारेलालके २९-१२-१९३८ के "वीकली लेटर" से उद्धृत।

बदलनी होती है और इसके लिए शान्तिकालमें भी उतना ही प्रयत्न अपेक्षित होता है जितना युद्धकालमें। निस्सन्देह यह एक कठिन काम है। आपको अपना सारा मन इसमें लगाना पड़ता है और यदि आप सच्चे हृदयसे यह काम करें तो आपके उदाहरणसे आपके इर्द-गिर्दके लोग भी प्रभावित होंगे। आजकल अमेरिका दूसरी शक्तियोंके साथ मिलकर संसारके तथाकथित कमजोर राष्ट्रोंका शोषण कर रहा है। यह संसारका सबसे अधिक वैभव-सम्पन्न देश बन गया है। जिन तरीकोंको अपनाकर यह वैभवशाली बना है उन्हें देखते हुए यह कोई अभिमान करनेकी बात नहीं है। और फिर इस वैभवकी रक्षाके लिए आपको हिंसाका सहारा लेना पड़ता है। आपको यह वैभव छोड़नेके लिए तैयार रहना होगा। इसलिए यदि आप सचमुच हिंसाको त्याग देना चाहते हैं तो आप यह कहेंगे "हमें हिंसा द्वारा उपार्जित द्रव्यसे कोई वास्ता नहीं है और इसके फलस्वरूप यदि अमेरिका गरीब हो जाता है तो इसकी भी हमें कोई परवाह नहीं।" तब आपको वह योग्यता हासिल होगी जो पवित्र बलिदान दे सकनेके लिए आवश्यक होती है। तैयारीका अर्थ यह है। यदि आपका सारा राष्ट्र पूरी तरह यह सीख जाये कि शान्तिके लिए कैसे जिया जाता है तो शायद चरम बलिदान देनेका अवसर ही न आये। अहिंसाके लिए जीवित रहना उसके लिए मरनेसे ज्यादा कठिन है।

मित्रगण जानना चाहते थे कि क्या गांधीजी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा व्यवहार्य है।

यदि मैंने 'प्रेम' शब्दका प्रयोग किया होता, जो वास्तवमें अहिंसा ही है, तो आपने यह प्रश्न नहीं पूछा होता। परन्तु सम्भवतः प्रेम शब्दसे मेरा अभिप्राय पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं होता। सबसे ज्यादा समीप अर्थवाला शब्द है 'उदारता'। हम अपने मित्रों और अपनी बराबरीके लोगोंसे प्रेम करते हैं। परन्तु एक निर्दय तानाशाहके प्रति हमारे मनमें प्रतिक्रिया हिंसात्मक होनेपर भयकी और अहिंसात्मक होनेपर दयाकी होती है। अहिंसा भय नहीं जानती। यदि मैं सच्चा अहिंसावादी हूँ तो मुझे तानाशाहपर दया आयेगी और मैं अपने-आपसे कहूँगा — "उसे ज्ञान नहीं कि मानव कैसा होना चाहिए। एक दिन जबकि उसका सामना ऐसे लोगोंसे होगा जिन्हें उसका कोई भय नहीं होगा, जो न उसके आगे झुकेंगे और न उसके सामने नाक रगड़ेंगे; और वह चाहे कुछ भी करे, उसके प्रति उनके मनमें कोई दुर्भाव नहीं होगा; तब वह जान पायेगा कि मानव कैसा होता है। आजकल जर्मन लोग जो-कुछ कर रहे हैं उसका कारण यह है कि अन्य सभी राष्ट्र उनसे भयभीत हैं। उनमें से कोई भी राष्ट्र हिटलरके सामने यह भाव लेकर नहीं जा सकता कि उसके हाथ साफ हैं।

अध्यापक: **आज जिस नये भारतका निर्माण हो रहा है, उसमें ईसाई-मिशनोंका क्या स्थान है? इस महान कार्यमें सहायता करनेके लिए वे क्या कर सकते हैं?**

गांधीजी: भारत क्या है और क्या कर रहा है, उसके प्रति वे आदरभाव रखें। अब तक तो वे ऐसे शिक्षकों और धर्मोपदेशकोंकी हैसियतसे आते रहे हैं जिनकी

भारत और भारतके महान धर्मोके प्रति अजीव धारणाएँ रही है। हमे अज्ञ और अन्धविश्वासी नास्तिको, तथा ईश्वरकी सत्ता अस्वीकार करनेवालोका राष्ट्र वताया गया है। उनकी दृष्टिमे, मरडोकके शब्दोमे हम शैतानकी सन्तान है। क्या विशप हेवरने अपने प्रसिद्ध भजन "फ्रॉम ग्रीनलैंड्स आइसी माउटेन्ज" मे भारतको ऐसा देश नही वताया "जिसमे हर दृश्य लुभावना है परन्तु जहाँ आदमी ही घिनौना है"? मै समझता हूँ कि यह ईसा मसीहकी शिक्षाके मर्मका सम्पूर्ण उल्लघन है। इसलिए मेरा निजी दृष्टिकोण तो यह है कि यदि आप ऐसा मानते है कि भारतके पास ससारको देनेके लिए कोई सन्देश है और भारतके धर्म भी सच्चे है, भले ही वे अन्य सभी धर्मोके समान अधूरे हो — क्योकि उनका प्रचार भी मानवके माध्यमसे ही हुआ है और मानव स्वय अपूर्ण है और यदि आप सहायक और सहान्वेषी वनकर भारत आये, तो आपके लिए यहाँ स्थान है। परन्तु यदि आप अन्धकारमे भटकनेवाले लोगोके लिए 'सच्चे धर्मके' प्रचारक वनकर आये तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है आपके लिए यहाँ कोई स्थान नही। हाँ, आप अपने-आपको हमपर जवर्दस्ती अवश्य लाद सकते है।

अध्यापक: संसारके लिए भारतका सही सन्देश क्या है?

गाधीजी. अहिंसा। भारतमे अहिंसाकी यह भावना परिव्याप्त है। भारतने अभी इस भावनाका प्रदर्शन इस सीमा तक नही किया है कि आप इस भावनाके जीते-जागते साक्षी वनकर अमेरिका जाये और वहाँ यह वात कहे। परन्तु आप ईमानदारीसे इतना कह सकते है कि भारत इस आदर्श तक पहुँचनेकी जी-जानसे कोशिश कर रहा है। यदि यह नही तो फिर और कोई ऐसा सन्देश नही जो भारत [विश्वको] दे सके। चाहे आप कुछ भी कहे यह तथ्य तो आपके सामने है ही कि इस सारे उपमहाद्वीपने अपने लिए यह निश्चय किया है कि वह अहिंसाके सिवाय और किसी साधनसे स्वतन्त्रता प्राप्त नही करेगा। किसी दूसरे देशने इस दिशामे प्रयत्न तक नही किया है। मै दूसरे लोगोको इतना भी राजी नही कर सका हूँ कि कम-से-कम अहिंसाका प्रयोग करके तो देखा जाये। निस्सन्देह यूरोपमे भी ऐसा मत जोर पकडता जा रहा है जो अहिसा-रूपी शस्त्रकी सम्भावनाओका महत्व स्वीकार करने लगा है। परन्तु जव भारत इतना अद्भुत प्रयोग कर रहा है, तो मै उसके लिए यदि सम्भव हो तो सारे ससारकी सहानुभूति उपार्जित करना चाहता हूँ। वहरहाल, आप इस प्रयासके साक्षी तभी वन सकते है जवकि आप सचमुच यह महसूस करे कि हम अहिंसाके आदर्शपर पहुँचनेका प्रयत्न ईमानदारीसे कर रहे है, और जो-कुछ हम कर रहे है वह कोई छल-प्रपच नही है। यदि आपका यह काफी गहरा और जाग्रत विश्वास हो तो इससे आपके लोगोके मनमे एक विचार-मथनकी क्रिया शुरू हो जायेगी।

अध्यापक: यह तो वहुत सुन्दर दायित्व सौंप रहे है आप।

गाधीजी: तो फिर यह दायित्व आप अपने साथ लेकर जाइये।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१-१९३९

२९५. पत्र : अमृत कौरको

सेगाँव
[२९ दिसम्बर, १९३८][1]

प्रिय पगली,

तुम्हारी प्यार-भरी पर्चियाँ मिलीं। मुझपर कामका इस वक्त बड़ा बोझ है। पर मैं बिलकुल ठीक हूँ। शारदाके पत्र मैं नहीं पढ़ता। उसमें परेशानीकी बात क्या थी?

तुम कहती हो कि मैंने नागपुरके लिए तुम्हें कोई सन्देश नहीं भेजा। वह तो मुझसे ऐंठ लिया गया था। और यह करिश्मा केवल तुम्हीं कर सकती थीं। लेकिन उस स्थितिमें जब मुझे डाल दिया गया, तो ताईके पाससे माँग आनेपर बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था। मैं तो उसे सिर्फ तुम्हारी ही करतूत कह सकता हूँ।[2]

तुम्हारे स्वास्थ्यकी मुझे चिन्ता है। जितनी जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ उतना ही अच्छा है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९०१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७०५७ से भी।

२९६. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
२९ दिसम्बर, १९३८

चि० मीरा,

तुम्हें जार्डिनका कोई पत्र नहीं मिला, यह हैरानीकी बात है। क्या मैंने तुम्हें खान साहबसे कह देनेको लिखा था कि अगर गवर्नर उन्हें बुलायें तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए? शायद तुम्हें भी बुलाया जाये। मुझे खुशी है कि अब तुम्हारे शिष्य काफी नियमित रूपमें आते हैं।[3] यह एक बड़ा काम हो रहा है।

१. तारीख अमृत कौरके हाथ की है।

२. देखिए "पत्र: अमृत कौरको", पृ० २५५ भी।

३. मीराबहन खुदाई खिदमतगारोंको धुनाई और कताई सिखा रही थीं।

मिलड्रेड आज यहाँ आ गई। वह म्यूरियलके दलसे दो दिन पहले ही आ गई है।

यहाँ अब जाड़ा नही रहा है। इन जाडोमे ठंड प्राय: पडी ही नही। २५ रुपये इसके साथ है।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२२) से; सौजन्य. मीराबहन। जी० एन० १००१७ से भी।

२९७. पत्र : चन्दन पारेखको

सेगाँव, वर्धा
२९ दिसम्बर, १९३८

चि० चन्दन,

शकरको पैसे भेज दिये है। अनन्तभाईको पत्र न लिखा हो, तो आभारका सुन्दर पत्र लिख देना, और उसकी नकल मुझे भेजना। इस पत्रके साथ ह०[1] का पत्र है। उसपर विचार करना। यदि तुम दोनोके निर्दोष होनेकी सम्भावना हो, तो ह० को उसका लाभ देना। यदि न हो, तो जो तुझे लिखना हो, लिख भेजना। पत्र मुझे भेजना और उसकी नकल अपने पास रखना।

तूने मुझे पत्र लिखनेका वचन तो दिया था, लेकिन वचनका पालन नही किया। करती, तो पहुँचते ही पत्र लिखती।[2] वहाँ कैसा-क्या चल रहा है, यह जाननेकी इच्छा रहती ही है। बा के समाचार भी तू ही दे सकती है। बा तो एक प्रकारसे अपाहिज ही है। वह जबतक वहाँ है, तब तक उसकी ओरसे तू लिख सकती है।

सुबहका भूला शाम तक घर वापस आ जाये, तो भूला नही कहलाता। अब भी अपने वचनको पूरा करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९४५) से; सौजन्य : सतीश द० कालेलकर।

१. नाम नहीं दिया गया है।

२. अमेरिकासे लौटनेके बाद चन्दन पारेख लडकियोंको अंग्रेजी पढ़ाने और स्वयं हिन्दी सीखने कन्या गुरुकुल, देहरादून गई थीं। कस्तूरबा और द० बा० कालेलकर उनके साथ गये थे।

२९८. भाषण: मगन संग्रहालय और उद्योग-भवनके उद्घाटन-समारोहमें[1]

वर्धा
३० दिसम्बर, १९३८

मगनलाल गांधी उन थोड़े-से व्यक्तियोंमें एक थे जिन्होंने, दक्षिण आफ्रिकामें जिस समय मैंने स्वैच्छिक गरीबी और सेवाका आदर्श अपनानेके लिए वकालत छोड़नेका निर्णय किया तब, अपना भाग्य मेरे साथ जोड़कर अनिश्चित भविष्यमें छलांग लगाई थी। वे फीनिक्स आश्रमके संस्थापक सदस्योंमें थे और जब 'इंडियन ओपिनियन' को वहांसे डर्बन ले जाया गया तो मुद्रणालयका काम उन्होंने सँभाला था। वे दक्षिण आफ्रिका मुख्यतः धनोपार्जनके लिए गये थे, किन्तु उन्होंने अपनी इस आकांक्षाकी बलि देकर मेरे साथ ही जीने या मरनेका निश्चय किया और उसपर सदा अटल रहे।

उनमें असाधारण प्रतिभा थी, ऐसी मेरी राय है। उनके मस्तिष्कका अनेक विषयोंमें खासा प्रवेश था। उनका जीवन बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासनबद्ध था इसलिए किसी भी नई चीजको वे आसानी और सरलतासे ग्रहण कर सकते थे। उन्होंने यद्यपि यन्त्रशास्त्रकी शिक्षा नहीं पाई थी, फिर भी वे फीनिक्समें छपाईकी मशीनोंके बहुत कम समयमें जानकार बन गये थे। भारत आनेके बाद तो उन्हें लोकसेवाकी ही लगन लग गई। 'वणाट शास्त्र' नामक किताब लिखकर उन्होंने खादी-विज्ञानकी नींव डाली। मगनलालकी मृत्युके बाद खादी-विज्ञानने बहुत प्रगति की है, फिर भी वह पुस्तक आज भी अपने विषयकी एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। अभी ग्रामोद्योग संघने जिन-जिन उद्योगोंको हाथमें लिया है उन सबमें वे प्रवीण तो नहीं थे, लेकिन उनके खादी-प्रवृत्ति-रूपी मध्यबिन्दुसे ही ग्रामोद्योग संघका विकास हुआ है, और इस तरह यह प्रवृत्ति उसकी पुरोगामी बन गई है।

अब दो शब्द इन मकानोंके बारेमें। जैसाकि श्री कुमारप्पाने कहा है, इन मकानोंको इस तरह बनानेका प्रयत्न किया गया है कि वे ग्रामीण जीवनको शोभा दे सकें। फिर भी हमारे देहातोंमें आज जो झोंपड़े देखनेमें आते हैं, उनके मुकाबलेमें तो ये महँगे और आलीशान ही माने जा सकते हैं। ग्रामोद्योग संघ जिस तरहका ग्रामीण भारत बनानेका स्वप्न देख रहा है, उसमें कारीगरोंके घर कैसे होने चाहिए

१. प्यारेलालके "ए ड्रीम फुलफिल्ड" से उद्धृत। इस समारोहमें तीससे ज्यादा अर्थशास्त्री भी उपस्थित थे; ये अर्थशास्त्री नागपुरमें हो रहे एक अर्थशास्त्रीय सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए आये हुए थे। गांधीजीने अपना भाषण हिन्दुस्तानीमें दिया था।

और कैसे होगे, उसकी कुछ झाँकी ये मकान कराते है। मै आपको इस विषयमे इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए वे बनाये गये है, उसके अनुरूप किफायत और सादगी रखनेमे जरा भी ढिलाई नही की गई है। सघके व्यवस्थापकोके बारेमें अधिकसे-अधिक आलोचना यही की जा सकती है कि वे अभी अपना काम जैसा चाहिए वैसा नही समझ सके है। सघ अपनी गलतियोंको माननेके लिए और गलतियोसे भी भविष्यके लिए नये-नये सबक सीखनेके लिए हमेशा तैयार है। उसे डर तो केवल पूर्णताके वेशमे आनेवाले अज्ञानका ही है।

इतना तो हुआ बाह्य वस्तुओके बारेमे। भीतर जानेसे आलोचक शायद यह पूछेगे कि इन पुराने औजारो और उत्पादनकी क्रियाओसे स्वराज्य किस तरह हासिल होगा? ये ग्रामोद्योग तो हमारे पास पहलेसे ही थे। पश्चिमकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धामे क्या ये बाजी मार सकेगे? और पाश्चात्य देश अपने आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारो और इजीनियरीकी कुशलतासे जो उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके है, उन्हे क्या ये प्राप्त कर सकेगे? मेरा जवाब यह है कि ग्रामोद्योग हमारे पास पहलेसे थे तो सही, लेकिन उनमे जो प्रचण्ड शक्तियाँ छिपी हुई है, उनका हमारे पूर्वजोको खयाल नही था और जाग्रत जनसमूहने स्वतन्त्रता-प्राप्तिके साधनके रूपमे उनसे कभी काम नही लिया था। यह बात मै स्वीकार करता हूँ कि हमारे कॉलेजोमे सिखाये और समझाये जानेवाले एक ही साँचेमे ढले हुए प्रचलित अर्थशास्त्रमे और उसके अनुसार चलनेवाले समाजमे, चरखे और ग्रामोद्योगोका शायद स्थान न हो और इस अर्थशास्त्रको सीखनेवालो और उस समाजमे रहनेवाले लोगोको खादी और ग्रामोद्योगका पुनरुद्धार करना शायद मध्ययुगकी तरफ लौटने-जैसा लगे। लेकिन मै तो यह चाहता हूँ कि आप सब मस्तिष्क मे जमे पुराने विचारोको छोडकर इस उद्योग-भवनमे प्रवेश करे। कल्पना कीजिए कि चरखा एक छोटी-सी मिल है जिसकी सहायतासे सतत और सर्वत्र फैली हुई बेकारी और कगालियतसे भरे हुए इस देशमे आदमी घर बैठे दो आना रोज कमा सकता है और अगर यह न हो तो उसे दो पैसे भी नही मिलेगे। इस मिलकी स्थापना लाखो घरोमे हो जाये — और हो सकती है — तो फिर मै ससारमे ऐसी एक भी चीज नही देखता जो इसके साथ प्रतिस्पर्धामे उतर सके।

और फिर यह बात भी नही कि इससे दो आना रोजसे ज्यादा कमाई हो नही सकती। अगर मै अपने बुद्धिजीवियोका सहयोग प्राप्त कर सकूँ, तो मै यह आशा रखता हूँ कि मेरी मृत्युसे पहले ही चरखा उस स्थितिको पहुँच जायेगा कि जिसमे कत्तिने आठ आना रोज कमा सकेगी। दुनियामे आप मुझे दूसरा ऐसा एक भी उद्योग या उद्योग-सघ आज बताये कि जिसने १८ वर्षके कार्यकालमे इतनी कम पूंजीके जरिये लाखो गरीब आदमियोकी जेबमे चार करोड रुपया डाला हो। फिर वह पैसा हिन्दू-मुसलमान, सवर्ण-अवर्ण सबमे बिना किसी भेदभावके तकसीम होता है, और इस तरह उसने उन्हे आर्थिक सम्बन्धके सूत्रसे जोडकर एक-दूसरेसे सयुक्त कर दिया है। इस जीवनप्रद और ऐक्यवर्द्धक प्रवृत्तिको सात लाख गाँवोमे फैला देनेके लिए अगर काफी आदमी काम करनेवाले पैदा हो जाये, तो आप जरा कल्पना

कीजिए कि स्वराज हमारे कितने नजदीक आ जाये। इस औद्योगिक क्रान्तिमें भाग लेनेके लिए बहुत बड़ा इंजीनियर या यन्त्रशास्त्री होनेकी जरूरत नही। कोई भी सामान्य मनुष्य, स्त्री या बालक इसमे सम्मिलित हो सकता है।

मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस संग्रहालय और उद्योग-भवनको एक खिलौनोंकी दुकान नही, बल्कि स्वशिक्षण और अध्ययनका जीवित ग्रन्थ समझें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१-१९३९

२९९. बातचीत : अर्थशास्त्रियोंके साथ[1]

वर्धा
३० दिसम्बर, १९३८

मैं चाहता हूँ कि जो-कुछ आपने यहाँ देखा है, उसकी आलोचना करके मुझे बतलाये कि उनमे आपको क्या-क्या खामियाँ मालूम पड़ती है। खाली प्रशंसासे मुझे कोई मदद नही मिलेगी, क्योंकि मेरी प्रशंसा कहां होनी चाहिए यह मै जानता हूँ। बिना सोचे-विचारे एकदम यह कहनेसे भी काम नही चलेगा, कि यह सब तो असफल ही होना है। कुछ अर्थशास्त्रियोंने ऐसा ही किया है, लेकिन ऐसी निन्दाका मुझपर कोई प्रभाव नही पड़ता। अलबत्ता अगर बारीकीसे सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करके आप कोई खामियाँ पाये, तो उन्हे मुझे बतलाये, उसके लिए मैं आपका आभार मानूंगा।

प्र० : क्या आप बड़े पैमानेपर उत्पादनके खिलाफ है?

उ० : मैंने ऐसा कभी नही कहा। यह विश्वास तो उन गलतफहमियो पर ही आधारित है जो मेरे बारेमें फैली हुई है। मेरा आधा वक्त ऐसी बातोके जवाबमे ही चला जाता है। लेकिन वैज्ञानिकोंसे तो मुझे ज्यादा अच्छी जानकारीकी आशा करनी चाहिए। आपका सवाल तो अखबारी तथा अन्य गैरजिम्मेदार खबरोपर आधारित है। बड़े पैमानेपर उत्पादनके खिलाफ तो मैं उन चीजोके सम्बन्धमें हूँ, जिन्हे गाँववाले ही बिना किसी कठिनाईके पैदा कर सकते है।

प्र० : योजना-आयोगके बारेमें आपका क्या खयाल है?

उ० : उसके बारेमे मै कुछ नही कह सकता, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नही किया है। कार्य-समितिमे मेरे सामने उसपर विचार नही हुआ। मै तो कार्य-समिति को किसी मामलेपर तभी कोई सलाह देता हूँ जब वह मुझसे उसके लिए कहती

१. प्यारेलालके "वीकली लेटर" से उद्धृत। ये अर्थशास्त्री, जिनकी संख्या करीब तीस थी, नागपुरमें हो रहे अर्थशास्त्रीय सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए आये थे; वे गांधीजीसे मिलनेके लिए वर्धा जा पहुँचे थे और मगन संग्रहालयके उद्घाटन-समारोहमें शामिल हुए थे।

है। मतलब यह है कि कार्य-समिति जो-कुछ भी करे उसके लिए यह नही समझ लेना चाहिए कि उस सबमें मेरी छाप है या मेरे सामने उसपर विचार हुआ है। जहाँ तक आम निर्णयोंका ताल्लुक है, मैंने खास तौरसे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नही रखी है।

प्र० : क्या उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है?

उ० जिस चीजको मैं जानता ही नही या जिसमे मेरी कोई दिलचस्पी नही है उसमें मेरे आशीर्वादका क्या मतलब?

प्र० : क्या आप समझते है कि गृह-उद्योगों और बड़े-बड़े उद्योगोंका मेल बैठ सकता है?

उ० . हाँ, बशर्ते कि उनका आयोजन इस तरह किया जाये जिसमे गाँवोंको मदद मिले। जिन प्रधान उद्योगोंकी राष्ट्रको आवश्यकता है, उनका केन्द्रीकरण हो सकता है। लेकिन तब ऐसे किसी उद्योगको मैं प्रधान उद्योगके रूपमे स्वीकार नही करूँगा, जो थोड़े-से संगठनसे गाँववालोंके द्वारा किया जा सकता हो। उदाहरणके लिए, पहले मुझे यह पता नही था कि हाथका बना कागज भी चल सकता है। लेकिन अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अखबारों वगैरहके लिए तो नही, पर मेरे खयालसे हरएक गाँव अपनी जरूरतका कागज तो खुद ही तैयार कर सकता है। फर्ज कीजिए कि कागज बनाने पर सरकारी नियन्त्रण है और वह इस उद्योगका केन्द्रीकरण करती है, तो उस हालतमे मैं यह आशा करूँगा कि सरकार गाँवोंमे बन सकनेवाले सारे कागजका संरक्षण करेगी।

प्र० : गाँवोंके संरक्षणका क्या मतलब है?

उ० · शहरोंके दबावसे उन्हे बचाना। एक वक्त ऐसा था जब शहर गाँवों पर निर्भर थे, लेकिन अब इससे उलटा है। परस्परावलम्बन भी नही है। आज तो शहर गाँवोंका शोषण करके उन्हे चूस जा रहे है।

प्र० : क्या गाँवोंको उन बहुत-सी चीजोंकी जरूरत नहीं है, जो शहरोंमें बनती है?

उ० : मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन जो भी हो मेरी योजना तो यह है कि जो माल शहरोंकी ही तरह गाँवोंमें भी बन सकता हो, उसे शहरोंमें किसी हालतमें तैयार न किया जाये। शहरोंका काम तो यह है कि गाँवोंमे जो-कुछ पैदा हो उसका वे उपयुक्त रूपमें वितरण करे।

प्र० : मिलोंमें बने कपड़ेका क्या हम हाथसे बने कपड़ेके साथ मेल बैठा सकते है?

उ० . जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा जवाब 'नही' में ही हो सकता है। हमे जितने कपड़ेकी जरूरत है वह सब तो गाँवोंमे ही तैयार हो सकता है।

प्र० : लेकिन मिलोंकी तादाद तो बढ रही है।

उ० . यह हमारा दुर्भाग्य है।

प्र० : लेकिन यह तो एक ऐसी बात है जिसको करनेका योजना-आयोगने भी निश्चय किया है।

उ० . यह मेरे लिए नई खबर है। ऐसा हो तब तो कांग्रेसको पहले खादीवाले अपने प्रस्तावको फाड़ फेंकना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१-१९३९

३००. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
३१ दिसम्बर, १९३८

भाई वल्लभभाई,

शम्भुशंकरको तो तुम जानते ही हो। वे पालीताणाके लिए स्वराज्य लेनेकी आशा रखते हैं। दरबारको पत्र तो लिखा ही है। शम्भुशंकर काफी स्वतन्त्र स्वभावके हैं। उन्हें उम्मीद तो यह है कि केवल ईश्वरके भरोसे रहकर वे अपनी मुराद हासिल कर लेंगे, परन्तु बुजुर्गोंके आशीर्वादकी आशा तो रखते ही हैं। मैंने कह दिया है कि यदि वे ऐसी श्रद्धासे लड़ें, और लड़ सकें तो उन्हें आशीर्वाद तो मिलेंगे ही। जो सत्य और अहिंसाके पुजारी हैं, आशीर्वाद तो उनकी जेबमें रहते हैं। परन्तु उन्हें इतनेसे थोड़े सन्तोष हो सकता है? तुम्हारे आशीर्वाद तो उन्हें जरूर चाहिए। उनकी बात सुनकर आशीर्वाद देना।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
पुरुषोत्तम बिल्डिंग
ऑपेरा हाउसके सामने
बम्बई–४

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३१

३०१. पत्र : राधाकृष्ण बजाजको

३१ दिसम्बर, १९३८

"जमनालालजी
पता लिखो[1]
दिल्ली

तार मिला। आदेशके सम्बन्धमें कोई चिन्ता नही। सम्भव हो तो बारडोली आ जाना। बापू।"[2]

चि० राधाकृष्ण,

यह तार कल भेजो[3], खत भी साथमें है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

म्यूरियल लेस्टरके बारेमें प्रबन्धका सन्देशा मिला होगा। उनको ३ बजे कल यहाँ भेजो।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०३९) से।

३०२. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेगांव
३१ दिसम्बर, १९३८

चि० शर्मा,

तुमने ठीक कहा है, समय हमारा शत्रु हो रहा है। विचारश्रेणीमें तुमको अन्तर नही लगता यह मेरे लिये बहुत संतोषजनक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा संतोष

१. राधाकृष्ण बजाजको पता लिखनेके लिए कहा गया था। गांधीजी ने यह आदेश गुजरातीमें लिखा था।

२. यह अंग्रेजीमें है। आगेका अंश हिन्दीमें है।

३. पत्र लिखते समय जमनालाल बजाजका तार मिला था। इसी समय गांधीजी ने प्यारेलालसे कहा कि तुम राधाकृष्ण बजाजसे पहलेके स्थानपर निम्नलिखित तार भेजनेके लिए कहो: "तुम्हारा तार मिला। बारडोलीमें चार तारीखको तुमसे और जयपुरके मित्रोंसे मिलूँगा। बापू" (पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २०८)।

मुझे तुमारे निश्चयसे होता है। तुमारा धर्म घी वेचनेका नही है। तुमारा धर्म नैसर्गिक तथा अन्य लेकिन ग्राह्य उपचारोसे रोगियोको दुरुस्त करना है। और अब शहरमे ऐसे उपचार करके आजीविका पैदा करोगे यह मुझे अच्छा लगता है। "स्वधर्मे निधन श्रेय." यह 'भगवद्गीता' के एक श्लोकका हिस्सा है[1] और उसका अर्थ लाभ यह है कि अपने धर्ममे नाश भी अच्छा है। परधर्ममें तो हमेशा भय ही है कभी नही है।

अगर अच्छा लगे तो छोटी-सी पत्रिका भी निकाल दो। जो निवेदन[2] पुस्तको को छोड़ते समय किया था उसका उल्लेख करके। अब क्या करोगे यह बता दिया जाय। मुझे खबर देते रहो।

एक परीक्षामे तुम्हारे उत्तीर्ण होना होगा। सबके साथ आसानीसे और उनमें भी मेरे साथ रहने वालोके साथ आसानीसे रहनेकी कला हस्तगत करना।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७४-५

३०३. भेंट: टिमोथी टिंगफांग ल्यूको[3]

३१ दिसम्बर, १९३८

रेवरेंड ल्यूने . . . चीनियोंकी सहायताके लिए भेजे गये भारतीय चिकित्सक मिशनके लिए धन्यवाद देते हुए कहा:

"हम इसे चीनके प्रति भारतकी सहानुभूति और सद्भावनाकी अभिव्यक्ति मानते हैं। चीनका यह संघर्ष केवल चीनके लिए नहीं बल्कि पूरे एशियाके लिए है। . . .

"हमें भौतिक विनाशका भय नहीं है, . . . पर सांस्कृतिक विनाशका है। शंघाईमें पहला बम पुस्तकालयपर पड़ा था। हमारे कॉलेज मिटा दिये गये हैं। प्रोफेसर मारे गये हैं। . . .

"इससे भी ज्यादा दुःखदायी चीज नैतिक क्षति है। . . .

१. भगवद्गीता, अध्याय-३, श्लोक ३५।

२. गांधीजी की टीका-टिप्पणियोंके साथ यह १४-१२-१९३४ के हरिजन में प्रकाशित हुआ था। देखिए खण्ड ५९, पृ० ४७५-६।

३. प्यारेलाल लिखित "ए वर्ल्ड इन एगोनी" से उद्धृत। रेवरेंड टिमोथी टिंगफांग ल्यू ताम्बरम्के मिशनरी सम्मेलनमें भाग लेनेवाले चीनी प्रतिनिधिमंडलके सदस्य थे। ल्यू चीनकी विधानसभा 'युआन' के प्रतिनिधि थे। दो अन्य चीनी प्रतिनिधियों, शंघाई-स्थित वाई० एम० सी० ए० के एसोसिएशन प्रेसके सम्पादक वाई० टी० वू० और कन्फ्यूशिअस सम्बन्धी कई ग्रन्थोंके लेखक पी० सी० शू के साथ वे गांधीजी से मिलने सेगाँव आये थे। रोडेशियाके कुछ प्रतिनिधि और जापानके एक प्रतिनिधि भी वहाँ थे। गांधीजी ने उन्हें एक 'छोटी-सी दुनिया' कहा था; देखिए "पत्र: एफ० मेरी बारको", ७-१-१९३९।

हम आपका सन्देश चाहते हैं। . . . हम आपसे आध्यात्मिक मार्गदर्शनकी आशा रखते हैं।"

गाधीजी शान्तिनिकेतनके एक चीनी मित्रने एक वार मुझसे चीनियोके लिए सन्देश देनेको कहा था। मुझे उनसे क्षमा माँगनी पडी। उसके कारण मैंने उन्हे वता दिये थे। यदि मैं इतना ही कहता कि चीनियोके सघर्पमे मेरी उनके साथ सहानुभूति है, तो मेरे-जैसे व्यक्तिके उस कथनका कोई वहुत महत्व नही होता। मैं तो चीनियोसे निश्चित रूपसे यह कह सकनेके योग्य होना चाहता हूँ कि उनकी मुक्ति केवल अहिंसाके ही तरीकेमे सम्भव है। परन्तु मेरे-जैसे व्यक्तिका जो उस लडाईसे बाहर है, ऐसे लोगोने, जो जिन्दगी और मौतके सघर्पमे जुटे है, यह कहना उपयुक्त नही लगता कि "इस तरह नही, उस तरह लडिए।" नये तरीकेको अपनानेकी उनकी तैयारी नही होगी, और पुरानेके वारेमे उनके मनमे दुविधा ऊपरसे पैदा हो जायेगी। मेरा हस्तक्षेप केवल उन्हे डाँवाडोल करेगा और उनके मनमे उलझन पैदा करेगा।

परन्तु सघर्पमे जुटे हुए चीनियोको भेजनेके लिए मेरे पास कोई 'सन्देश' न होते हुए भी मुझे आपके आगे अपना दृष्टिकोण रखनेमे कोई सकोच नही है। मैं आपसे यह पूछने ही जा रहा था कि आपका सास्कृतिक विनाश हो रहा है, इससे आपका क्या आशय है। यह जानकर तो मुझे दुःख ही होगा कि चीनी सस्कृति ईंट और चूनेमे वसती है या उन भारी ग्रन्थोमें बसती है जिन्हे दीमक खा सकती है। किसी राष्ट्रकी सस्कृति उसके लोगोके हृदय और आत्मामें वसती है। चीनी सस्कृति उसी हदतक चीनी है जहाँ तक वह चीनी जीवनका अग बन गई है। इसलिए आपका यह कहना कि आपकी सस्कृति और आपकी नैतिकताके लिए विनाशका खतरा उपस्थित है, मुझे यह सोचनेको मजबूर करता है कि आपके देशका सुधार-आन्दोलन केवल सतही था। जुएकी भावना लोगोके हृदयमे गई नही है। वह कानूनके दण्डसे दवी है, समाज द्वारा पैदा किये गये वातावरणमे नही दवी है। हृदय बरावर जुआ खेलता रहा है। जापान निस्सन्देह दोपी है और वह जो-कुछ कर चुका है या कर रहा है, उसके लिए उसे अवश्य दोप देना चाहिए। परन्तु जापान तो उस समय भेडियेकी तरह है, जिसका काम ही भेडोका खात्मा करना है। भेडियेको दोप देनेसे भेडोको कोई खास मदद नही मिलेगी। भेडोको यह सीखना होगा कि भेड़ियेके पजोमे पड़नेसे कैसे बचा जाये।

यदि आपमे से कुछ लोग भी अहिंसाको अपना ले, तो वे चीनी सस्कृति और नैतिकताके जीवन्त स्मारकोकी तरह अडिग रहेंगे। और तव, चाहे चीन युद्ध-क्षेत्रमे पराजित हो जाये, पर अन्तमे चीनका भला ही होगा, क्योकि वह साथ ही ऐसा सन्देश प्राप्त कर रहा होगा जिसमें आशा और मुक्तिका आश्वासन होगा। जापान सगीनकी नोकसे अनिच्छुक लोगोके गलोमे जवर्दस्ती मादक द्रव्य नही उतार सकता। वह केवल प्रलोभन खडे कर सकता है। आप जापानी शस्त्र-शक्तिका शस्त्र-शक्तिसे जवाब देकर लोगोको इन प्रलोभनोके प्रतिरोधकी शिक्षा नही दे सकेंगे। शस्त्र-शक्ति चाहे और कुछ प्राप्त कर सके या न कर सके, पर वह चीनी नैतिकता और चीनी सस्कृतिकी रक्षा नही कर सकती।

यदि आप मेरे विचारोंके सत्यको अनुभव करते हैं, तो आप चीनके लिए एक जीवन्त सन्देश बन जायेंगे। आप तब चीनियोंसे कहेंगे: "जापान चाहे कितना भी भौतिक विनाश करे, वह चीनका सांस्कृतिक विनाश नहीं कर सकता। हमारे लोगोंको इतना शिक्षित और प्रबुद्ध होना चाहिए कि वे जापान द्वारा सोचे जा सकनेवाले सभी प्रलोभनोंका प्रतिरोध कर सकें। स्मारक और नगर धूलमें मिलाये जा सकते हैं। वे दो दिनका तमाशा हैं, जिनका समय खुद किसी दिन खात्मा कर देगा। यदि जापानी उन्हें नष्ट करते हैं तो वह महज समयके मुँह से निवाला निकालना होगा। जापानी हमारी आत्माको भ्रष्ट नहीं कर सकते। चीनकी आत्मा यदि जख्मी होती है, तो वह जापानके हाथों नहीं होगी।"

चीनी मित्रकी यह राय थी कि जापानकी अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाये तो ही चीनकी रक्षा हो सकती है। वे यह जानना चाहते थे कि भारतमें जापानी मालके बहिष्कारकी क्या सम्भावनाएँ हैं।

गांधीजी: काश, मैं यह कह सकता कि उसकी बहुत आशा है। हमारी सहानुभूतियाँ आपके साथ हैं, पर उन्होंने हमें गहराई तक झकझोरा नहीं है, नहीं तो हमने समस्त जापानी मालका, खासकर जापानी कपड़ेका बहिष्कार कर दिया होता। जापान केवल आपको ही नहीं जीत रहा, वह अपनी मशीनकी बनी सस्ती-कमजोर वस्तुओंसे हमें भी जीतनेकी कोशिश कर रहा है। चिकित्सक मिशनका भेजा जाना मित्रता और सद्भावनाका संकेत है, जो यहाँ प्रचुर मात्रामें हैं। पर मैं उससे बहुत सन्तुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे। आपकी तरह हमारा राष्ट्र भी एक बड़ा राष्ट्र है। यदि हम जापानसे यह कह देते कि 'हम आपका गज-भर भी कपड़ा आयात नहीं करेंगे और न आपको अपनी रुई ही भेजेंगे', तो जापान अपना आक्रमण जारी रखनेसे पहले दो-बार सोचता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१-१९३९

३०४. पत्र: अमतुस्सलामको

[१९३८][1]

चि० अ० स०,

मैं क्या कहूँ! जो करती है उसमें 'मैं' है। उसकी शिकायत नहीं है। कल खा न सकी वही बताता है कि मेरी नहीं चलती है।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१२) से।

1. बापूके पत्र – ८: बीबी अमतुस्सलामके नाम में इस पत्रको इसी स्थानपर रखा गया है।

३०५. पत्र : अमतुस्सलामको

[१९३८][1]

बेटी,

तू तेरी तबीयतको सुधारनेके लिए कुछ भी कर सकती है। बहाना ढूंढ कर कुछ नही कर सकती है। अच्छी हो जायेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१३)से।

३०६. पत्र : अमतुस्सलामको

[१९३८][2]

चि० अ०स०,

मैं तो आज कुछ लिख नही सकता हूँ। सुशीलाने जो कुछ लिखा है ऐसा ही करना। शरीर बिगड़ना नही चाहिए।

बापुकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४) से।

३०७. सुसंस्कृत अराजकता — राजनैतिक आदर्श

मेरी दृष्टिमे राजनैतिक सत्ता हमारा ध्येय नही हो सकता। जिन साधनोंकी बदौलत जीवनके प्रत्येक विभागमें अपनी उन्नति करनेकी लोगोमे शक्ति आती है, उनमे से राजनैतिक सत्ता एक है। राष्ट्रके प्रतिनिधियो द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी शक्तिका ही नाम राजनैतिक सत्ता है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाये कि वह स्वय नियन्त्रित रहे तो प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता ही नही रहती। वह एक सुसस्कृत अराजकताकी अवस्था होगी, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपना ही शासक होगा। वह अपना नियमन आप ही इस तरह करेगा कि जिससे उसके पड़ौसीके हितमें बाधा न हो। आदर्श स्थितिमे राजसस्था ही नही रहेगी तो फिर राजनैतिक सत्ता कहाँसे आयेगी।

१. बापूके पत्र – ८ : बीबी अमतुस्सलामके नाम में इस पत्रको इसी स्थानपर रखा गया है।
२. बापूके पत्र – ८ : बीबी अमतुस्सलामके नाम में इस पत्रको इसी स्थानपर रखा गया है।

इसलिए थोरोने अपने अभिजात सूत्रमे कहा है कि सबसे बढ़िया सरकार वह है जो कमसे-कम शासन करती है।

सर्वोदय, जनवरी, १९३९

३०८. बातचीत: मॉरिस फ्रीडमैनके साथ[1]

[१ जनवरी, १९३९ या उसके पूर्व][2]

फ्रीडमैन: मैं तो यथार्थवादी हूँ इसलिए दुनियामें आज औद्योगीकरणकी जो बाढ़ आ रही है, उसके विषयमें मुझे कैसी वृत्ति रखनी चाहिए? . . . यदि हम उसका केवल विरोध ही करें तो क्या यह शक्तिका अपव्यय नहीं होगा? क्या यह ज्यादा अच्छा न होगा कि हम इसकी दिशा बदलनेकी कोशिश करें?

गांधीजी आप इंजीनियर हैं इसलिए अपनी बात समझानेके लिए मैं यान्त्रिकीसे एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आप वह समझ सकेंगे। जिसे बल-समान्तर चतुर्भुज कहते हैं उससे आपका परिचय है ही। उसमें ये विभिन्न बल एक-दूसरेको काटते नहीं हैं। प्रत्येक बल अपनी निर्धारित दिशामें बिना किसी बाधाके काम करता है और इन सबकी क्रियाके परिणामस्वरूप हमें गतिकी अन्तिम दिशा प्राप्त होती है। आपने जो सवाल उठाया है उसके साथ भी यही नियम लागू होता है। रूसमें औद्योगीकरणकी उपासना हो रही है — बड़े-बड़े यन्त्र-उद्योग वहाँ पराकाष्ठापर पहुँच गये हैं, लेकिन वहाँका जीवन मुझे आकर्षक नहीं लगता। 'बाइबिल' की भाषामें कहूँ तो "यदि मनुष्य सारी दुनियाको जीत ले पर अपनी आत्माको खो दे, उससे उसका क्या श्रेय हो सकता है?" आधुनिक भाषामें कहें तो मनुष्य अपना व्यक्तित्व खो दे और यन्त्रका मात्र एक पुर्जा बनकर रह जाये तो यह चीज उसकी मानवीय गरिमाको शोभा नहीं देती बल्कि उसे घटाती है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समाजका एक पूर्णतः विकसित और जीवन्त सदस्य हो। गाँवोंको स्वावलम्बी होना चाहिए। अहिंसाके मार्ग पर चलना हो तो मुझे इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं दिखता। मेरा तो अब यही विश्वास है। मैं जानता हूँ कुछ लोगोंका विश्वास औद्योगीकरणमें ही है। मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने विश्वासकी सिद्धिमें लगा हुआ हूँ। समजनकी क्रिया चल रही है। जो अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनमें से क्या परिणाम निकलेगा, इसका मुझे पता नहीं। पर जो भी परिणाम आये वह श्रेयस्कर ही होगा।

फ्रीडमैन: लेकिन क्या स्वावलम्बी गाँवोंके आदर्शको जोखिममें डाले बगैर औद्योगीकरणके साथ कुछ समझौता नहीं किया जा सकता?

१. प्यारेलालके "वीकली लेटर" से उद्धृत। डॉ० फ्रीडमैन, जिन्हें भारतानन्द भी कहा जाता था, मूलतः पोलैंडके निवासी थे। वे बंगलौरमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉपके प्रमुख थे। भारतीय राजनीति और दर्शनमें उनकी गहरी रुचि थी।

२. गांधीजीने यह बातचीत फ्रीडमैनसे सेगाँवमें की थी, जहाँपर गांधीजी १ जनवरी तक थे।

गाधीजी किया जा सकता है। रेलवेको ही लीजिए। इसका मैंने त्याग नही कर दिया है। मोटर मुझे अप्रिय लगती है, फिर भी, अनिच्छासे ही क्यो न हो, उसका उपयोग मैं करता ही हूँ। फाउन्टेनपेन मुझे अच्छा नही लगता, पर आज इसीसे काम ले रहा हूँ, हालांकि पेटीमे वर्रुकी कलम भी रखता हूँ। फाउन्टेनपेनमे लिखते वक्त हमेशा मेरा मन मुझे डक-सा मारता है, और पेटीमे पडी हुई वर्रुकी कलमकी याद आ जाती है। ऐसा समझौता तो पग-पगपर होता रहता है। पर हमें इसका खयाल रहना चाहिए कि वह समझौता है, और उचित आदर्श हमेशा नजरके सामने रखना चाहिए और उसका चिन्तन करना चाहिए।

फ्रीडमैन : व्यस्त पश्चिमके साथ जव मैं भारतके गाँवोंकी तुलना करता हूँ, तव ऐसा लगता है, मानो मैं विलकुल ही निराली दुनियामें विचरण कर रहा हूँ। यहाँके गाँव जरा भी आगे बढते हुए नहीं दिखाई देते।

गाधीजी ऊपरी नजरसे आप देखेंगे, तो ऐसा ही प्रतीत होगा। पर जिस क्षण आप उन लोगोंके साथ वात करेंगे, आप देखेंगे कि उनकी जिह्वासे ज्ञान झर रहा है। उनके अन्दर गहरी आध्यात्मिक वृत्ति है। इसे मैं संस्कारिता कहता हूँ। यह चीज आपको पश्चिममे देखनेको नही मिलेगी। यूरोपके किसी किसानके साथ आप वात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ईश्वर या आत्माके वारेमे उसे कोई दिलचस्पी नही होती। भारतके ग्रामीणमे तो युगो-पुरानी संस्कारिता छिपी हुई पडी है। उसकी दरिद्रता और निरक्षरताको आप दूर कर दे, तो आपको उसमे शिष्ट, संस्कारवान, स्वतन्त्र नागरिकका सुन्दर-से-सुन्दर नमूना देखनेको मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१-१९३९

३०९. पत्र : एस० वेलु पिल्लैको[1]

वर्धा
१ जनवरी, १९३९

आपका तार पढकर दुःख हुआ। मैंने अपनी योग्यतानुसार अच्छीसे-अच्छी सलाह दी है। दीवानके प्रति मेरा कोई पक्षपात नही है। जो मित्रजन यहाँ आये थे उन्हे मैंने वार-वार यह वता दिया था कि यदि उन्हे मेरी सलाह विलकुल सही न लगती हो तो उन्हे आरोप वापस लेनेकी जरूरत नही है। मैंने यह कभी नही कहा था कि जनताकी स्पष्ट इच्छाके प्रतिकूल भी वे वापस ले लिये जाये। आखिर आपसे, नेता होनेके नाते, यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि आप जनताकी इच्छा जानते है।

१. यह एस० वेलु पिल्लैके तारके उत्तरमें था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य कांग्रेसने तो आरोप वापस ले लिये लेकिन दीवानने उसका उसी भावनासे उत्तर नहीं दिया, त्रावणकोरकी लड़ाईका कोई नतीजा नहीं निकला, गिरफ्तारियाँ अभी भी जारी हैं, और रियासतमें हर-कहीं असन्तोष है।

आपके तारके बावजूद, मेरी यह धारणा है कि आरोपोंका वापस ले लेना ठीक था। यदि अब मुकदमे जारी रहते है तो आपका रास्ता साफ है। यदि वहाँ असन्तोष है तो आप नेताओको, जो कदम आपने उठाया है उसका औचित्य दिखाकर, असन्तोष दूर कर सकना चाहिए। आन्दोलन यदि सचमुच सही आधारपर खडा है और लोग समझ-बूझकर उसका समर्थन कर रहे है, तो वह अब पहलेसे भी ज्यादा प्रबल होना चाहिए। आरोपोका बोझ हट जानेसे आपका रास्ता बिलकुल साफ हो जाता है, और यदि आप हिंसाकी शक्तियोपर नियन्त्रण रख सके तो आपको सविनय अवज्ञा शुरू करनेमे कोई कठिनाई नही होगी। मेरा अपना अन्त:करण बिलकुल साफ है। मेरी सलाह अभी भी आपके लिए हाजिर है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १६-१-१९३९

३१०. पत्र : सम्पूर्णानन्दको

सेगाँव, वर्धा
१ जनवरी, १९३९

भाई सम्पूर्णानन्दजी,

डा० जाकेर हुसेन कुछ दिनो तक मेरे साथ थे। हिन्दू-मुस्लिम मसलेके बारेमे उन्होने एक यादी तैयार की है। उसमे से यू० पी० के बारेमे जो लिखा है वह आपको भेजता हू।[1] उसमे जो सूचनाए है मुझको तो बहुत अच्छी लगती है। आप उसे देखे, और उनमे से जिसका अमल हो सकता है किया जावे। चाहे तो डॉ० जाकेर हुसेनको सीधा आप पत्र लिख सकते है। मै उन्हे बरसोसे पहचानता हूं। वह सज्जन है।

आपका,
मो० क० गांधी

मूल पत्रसे : सम्पूर्णानन्द पेपर्स, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

१. इसमें जाकिर हुसेनने संयुक्त प्रान्तकी विभिन्न मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओंको सरकारी सहायता देनेका सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि पुस्तकालयों तथा उर्दूमें साहित्यिक कार्य करनेवाली संस्थाओंकी भी मदद की जानी चाहिए।

३११. भेंट : टिमोथी टिंगफांग ल्यू, वाई० टी० वू और पी० सी० शूको[1]

[१ जनवरी, १९३९][2]

चीनी शिष्टमण्डलके सदस्योंने सूक्ष्म प्रश्न पूछे . . . उनमें से एकने पूछा : "क्या यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पहले अपने जीवनमें, अन्य व्यक्तियोंके साथ अपने व्यवहारमें, अहिंसाका पालन करे?"

गांधीजी : अन्यथा सोचना तो भ्रम ही होगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरोंके प्रति अपने निजी सम्बन्धोंमें अहिंसाका व्यवहार नहीं करता और बड़े मामलोंमें इसका व्यवहार करनेकी आशा करता है तो यह उसकी भारी भूल है। उदारताकी तरह ही अहिंसा भी घरसे ही शुरू होती है। परन्तु यदि व्यक्तिके लिए अहिंसामें प्रशिक्षित होना जरूरी है तो राष्ट्रके लिए तो यह और भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने निजी दायरेमें तो अहिंसक रहे और बाहर वह हिंसक हो उठे। अन्यथा वह अपने दायरेमें भी अहिंसक नहीं होगा, उसकी अहिंसा अहिंसाका दिखावा मात्र ही होगी। जब कोई प्रतिद्वन्द्वी विरोधमें खड़ा होता है तभी, उदाहरणके तौरपर किसी चोर या हत्यारेके सामने आनेपर ही, आपकी अहिंसाकी परीक्षा होती है। उस हालतमें आप चोरका सामना उसीके शस्त्रोंसे करनेकी कोशिश करते हैं या आपको वैसी कोशिश करनी चाहिए, अथवा आप प्यारसे उसे निरस्त्र करनेकी कोशिश करते हैं। शालीन लोगोंके बीच रहते हुए अहिंसाकी परीक्षाका अवसर आता ही नहीं, अतः उस स्थितिको अहिंसात्मक नहीं कहा जा सकता। पारस्परिक सहनशीलता अहिंसा नहीं है। इसलिए जैसे ही आपको यह विश्वास हो जाये कि अहिंसा जीवनका नियम है, आपको उनके प्रति अहिंसाका आचरण करने लगना चाहिए जिनका व्यवहार आपके प्रति हिंसात्मक रहा है। यह नियम राष्ट्रों और व्यक्तियोंपर समान रूपसे लागू होता है। निस्सन्देह इसमें प्रशिक्षण जरूरी है। आरम्भ सदा स्वल्पसे ही होता है, परन्तु यदि विश्वास दृढ हो तो शेष बादमें स्वयं होता चलता है।

प्र० : क्या हिंसाके व्यवहारमें यह खतरा नहीं रहता कि व्यक्तिमें 'शहादतकी भाव ग्रन्थि' उत्पन्न हो जाये या इसके कारण उसमें कुछ अभिमान घर कर जाये?

१. प्यारेलालके "ए वर्ल्ड इन एगोनी" से उद्धृत।

२. प्यारेलालके अनुसार ताम्बरम् सम्मेलनके सदस्य "वर्षके अन्तिम दिन तथा नये सालके दिन सेगाँवमें थे"। ल्यू पहले दिन गांधीजी से अलगसे मिले (देखिए पृ० २८८-९०) और "बादमें" उन सभी लोगोंने एक साथ गांधीजी से बातचीत की। ऐसा अनुमान है कि यह जनवरीकी पहली तारीख थी।

उ० : यदि किसीमे वैसा अभिमान और अहमन्यताका भाव हो तो वह अहिंसा नही है। नम्रताके बिना अहिसा आ ही नही सकती। मेरा अपना यह अनुभव है कि जब कभी मैंने अहिसात्मक रूपसे कार्य किया है, मुझे उसकी प्रेरणा किसी अदृश्य शक्तिसे मिली है और उसीके बलपर मै उसमे लगा रहा हूँ। यदि मै अपनी ही इच्छाशक्ति पर निर्भर रहता तो मै बुरी तरह असफल हो जाता। जब मै पहली बार जेल गया तो यह सोचकर कि अब क्या होगा, मेरा दिल धड़कने लगा था। जेल-जीवनके विषयमे मैंने भयावह बाते सुनी थी। परन्तु ईश्वरकी शरणमे मुझे विश्वास था। हमारा अनुभव यह था कि जो लोग प्रार्थनाकी भावनासे जेल गये, वे विजयी होकर वापस लौटे, और जो अपनी ही शक्तिके भरोसे गये, वे असफल हुए। जब आप यह कहते है कि ईश्वर आपको शक्ति देता है तो उसमे आत्मदयाकी भी कोई गुजाइश नही रहती। आत्मदया तभी आती है जब आप कोई ऐसा काम करते है, जिसके लिए आप दूसरोंसे मान्यताकी आशा रखते है। परन्तु यहाँ तो मान्यताका कोई प्रश्न ही नही है।

दूसरे मित्रने अपने मनकी उलझन इस तरह सामने रखी: "मेरा अहिंसापर दृढ़ विश्वास है। आठ साल पहले मैंने आपकी पुस्तक 'एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ' पढ़ी और . . . उसका चीनी भाषामें अनुवाद किया। उसके बाद जापानी आक्रमण हुआ। अहिंसापर मेरे विश्वासकी कड़ी परीक्षा हुई। . . . एक ओर तो मैं यह महसूस करता था कि मैं अपने ही लोगोंको अहिंसाका उपदेश नहीं दे सकता, जिनका . . . यह विश्वास था कि शक्तिसे प्रतिरोध करना ही एकमात्र उपाय है। . . . परन्तु दूसरी ओर जब मैं सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनानेकी कोशिश करता हूँ और ऐसी स्थितिमें कुछ सहायता-कार्य करनेकी कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिसे मैं परम धर्म मानता हूँ . . . उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें मैं नैतिक और भौतिक दोनों तरहका समर्थन दे रहा हूँ।"

गाधीजी : आपकी स्थिति कठिन है। ऐसी कठिनाइयाँ मेरे सामने कई बार आई है। बोअर युद्धमे मैंने ऐम्बुलेस दस्ता तैयार करके अग्रेजोके पक्षमें भाग लिया। तथाकथित जुलू-विद्रोहके वक्त भी मैंने ऐसा ही किया। तीसरी बार महायुद्धके दौरान भी ऐसा ही हुआ। तब मेरा अहिंसामे विश्वास था। मेरा उद्देश्य पूर्णतः अहिंसात्मक था। इस असगत आचरणसे मुझे शक्ति मिली। दूसरे लोग अनुसरणके लिए मेरा उदाहरण नही अपना सकते। इन तीनो अवसरोपर अपने आचरणपर दृष्टिपात करते हुए मुझमे कोई पश्चात्तापकी भावना नही है। मुझे यह भी मालूम है कि इन अनुभवोके कारण मेरी अहिंसात्मक शक्तिमे कोई कमी नही आई है। विशेषकर जुलू-विद्रोहके दौरान जो असली काम मुझे सौपा गया वह बिलकुल लोकोपकारका ही काम था। मुझे और मेरे साथियोको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने जख्मी जुलूओकी मरहम-पट्टी करके उन्हे फिरसे जीवन-दान दिया। यह कहा जा सकता है कि यदि उन्हे हमारी सेवाएँ नही मिलती तो उनमे से कुछ-एक तो मर ही जाते। मै

इस अनुभवका उल्लेख इसलिए नही कर रहा हूँ कि मैंने उसमे चाहे कितने ही अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लिया हो, वह युक्तिसगत था। मै यह उल्लेख यह दिखानेके लिए कर रहा हूँ कि उस अनुभवसे मुझमे अहिंसाका भाव और भी दृढ हो गया और महान जुलू जातिके लिए मेरे मनमे पहलेसे ज्यादा प्रेम-भाव उत्पन्न हुआ। मुझे यह समझनेका अवसर भी मिला कि अश्वेत जातियोके विरुद्ध गोरोके युद्धका क्या अभिप्राय है।

इससे आपको यह सबक सीखना है कि आप अत्यन्त अल्पसख्याकी स्थितिमें है, इसलिए आप अपने लोगोसे हथियार छोड़ देनेके लिए तब तक नही कह सकते जब तक कि उनका हृदय-परिवर्तन न हो जाये और हथियार रख देनेपर वे अपने-आपको ज्यादा उत्साही और बहादुर न महसूस करने लगे। परन्तु लोगोको युद्धमे विमुख करनेकी चेष्टा न करते हुए भी आप निजी तौरपर अहिंसाका पूर्ण पालन कीजिए और युद्धमे किसी तरहसे भी भाग लेना अस्वीकार कर दीजिए। अपने हृदयमे जापानियोके लिए प्यार बढाइए। आप आत्म-निरीक्षण करे कि क्या आप उन्हे सचमुच प्यार करते है? और क्या उनके आपको नुकसान पहुँचानेके बावजूद आपके मनमे उनके प्रति कोई दुर्भाव तो नही है? इतना ही काफी नही है कि उनके गुणोका स्मरण करके उन्हे प्यार किया जाये। उनके बुरे कारनामोके बावजूद आपको चाहिए कि आप उनसे प्यार करे। यदि आपके दिलोमे जापानियोके प्रति वैसा प्यार हो तो आप अपने आचरणमे ऊँचा हौसला दिखायेगे जो सच्ची अहिंसाका उच्चतम मापदण्ड है और जिसे आपके चीनी मित्र अवश्य देख पायेंगे और उसे पहचानेंगे। क्योकि आप जापानियोमे प्यार करते है इसलिए आप जापानी शस्त्र-बलकी विजय नही चाहेगे। इसी प्रकार चीनी शस्त्र-बलकी विजयके लिए भी प्रार्थना नही करेंगे। जब दोनो ओरसे शस्त्रोका प्रयोग हो रहा हो तो यह निर्णय कर पाना कठिन है कि किस पक्षको सफलता मिलनी चाहिए। इसलिए आप केवल यही प्रार्थना करेगे कि सही पक्षकी ही विजय हो। यद्यपि आप अपने-आपको सब तरहकी हिंसामे दूर रखेंगे, फिर भी आप खतरेमे मुँह नही मोडेगे। अपने जीवनकी रत्ती-भर भी परवाह किये बिना आप मित्र और शत्रुकी सेवा समान भावसे करेंगे। यदि कही कोई महामारी फूट पडे या आग बुझाई जानी हो तो वहाँ आप दौड़े हुए जायेंगे और अपने अपरिमित उत्साह और अहिंसापूर्ण बहादुरीसे अपना नाम रोशन करेंगे। परन्तु आप यह नही चाहेगे कि ईश्वर जापानियो का बुरा करे। यदि सयोगवश कुछ जापानी सिपाही या हवाबाज चीनियोके हाथ लग जायें और चीनियोकी क्रुद्ध भीड द्वारा उनका वध कर दिये जानेका खतरा हो या किसी दूसरी तरह उनसे दुर्व्यवहार हो रहा हो तो आप अपने लोगोसे उनके पक्षमे बहस करेंगे और यदि जरूरत पडे तो अपना जीवन देकर भी उनकी रक्षा करेंगे। आप एमिली हॉबहाउसकी कहानी जानते है। वह अग्रेज महिला थी, फिर भी वह साहस-पूर्वक बोअर वन्दी शिविरोमे जाती थी। वह बोअर लोगोको प्रोत्साहित करती थी कि वे हौसला न छोडे, और कहा जाता है कि यदि उसने बोअर महिलाओके दिल उस तरह अपने ही तरीकेसे मजबूत न किये होते तो शायद युद्ध कोई अलग रुख

अख्तियार कर लेता। उसका हृदय अपने लोगोके प्रति रोषसे भरा था, उनके बारेमे एक भी अच्छी बात उसके मुँहसे कभी नही निकली। आप उसके अपरिमित रोषकी नकल मत कीजिए जिसकी वजहसे उसकी अहिंसा कुछ दोषपूर्ण हो गई थी, परन्तु आप 'शत्रुके' प्रति उसके स्नेहकी नकल कीजिए जिसके कारण उसने अपने देशवासियोके बुरे कारनामोकी निन्दा की। आपके उदाहरणका चीनियो पर प्रभाव पड़ेगा। और शायद इससे कुछ जापानियोको शर्म भी आये। वही लोग जापानियोमे आपका सन्देश ले जानेवाले होगे।

सम्भवत. आप कहेगे कि यह प्रक्रिया तो बहुत धीमी है। सम्भवत वर्तमान विपरीत परिस्थितियोमे आरम्भमे तो ऐसा ही होगा। परन्तु आप जैसे आगे बढेगे लगातार उसका वेग अकल्पित गतिसे बढता जायेगा और उसमे तेजी आयेगी। मै एक दुर्दमनीय आशावादी हूँ। मेरा आशावाद मेरे इस विश्वासपर आधारित है कि व्यक्तिमे अहिंसाके विकासके लिए अपरिमित सभावनाएँ है। जितना ज्यादा अपने अन्दर इस अहिंसा-भावनाको विकसित करेगे, उतनी ही यह ज्यादा फैलेगी और अन्तमे यह आपके इर्द-गिर्द सब जगह छा जायेगी और शायद क्रमश सारे ससारमे व्याप्त हो जायेगी।

प्र० : मेरा अहिंसामें विश्वास है; मैं प्रायः अनुभव करता हूँ कि विभिन्न प्रेरणाएँ मुझे एक साथ प्रेरित करती हैं। युद्धमें एक जनरलको भी विभिन्न प्रेरणाएँ प्रभावित करती हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि शत्रुको प्यार करते हुए उसके साथ युद्ध किया जाये? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मनमें प्यार रखते हुए शत्रुको गोली मारे?

उ० : प्राय हम विभिन्न प्रेरणाओसे प्रभावित होते ही है। परन्तु वह अहिंसा नही होगी। हिंसाकी अवस्थाएँ हो सकती है, अहिंसाकी नही। अहिंसाके पुजारीका अनवरत प्रयत्न यह रहता है कि वह तथाकथित शत्रुके प्रति घृणाकी भावना अपने मनसे बिलकुल निकाल बाहर कर दे। प्यारसे शत्रुको गोली मारने-जैसी कोई बात, जैसाकि आप सुझाते है, नही हो सकती।

श्री पी० सी० शूने अन्तमें अपनी समस्या गांधीजी के सामने रखी।

पी० सी० शू : मैं ईमानदारीसे कह सकता हूँ कि मेरे मनमें जापानियोंके प्रति घृणाका भाव नहीं है। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि उनकी सैनिक पद्धति ही बुरी है। . . . मुझे आशा थी कि ताम्बरम्में कदाचित् पारस्परिक सद्भावना और शान्तिके आधारपर दोनों देशोंके बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। परन्तु निराशा ही मेरे हाथ लगी। . . . हमारी कठिनाई यह है: यद्यपि हम ईमानदारीसे अहिंसापर विश्वास करते हैं तो भी इसे प्रभावपूर्ण बनानेका तरीका हम नहीं खोज पाये हैं।

गांधीजी. उससे क्या कोई कठिनाई होनी चाहिए? एक व्यक्ति जो अपने समय की किसी विशेष बुराईको समझता है और देखता है कि यह बुराई उसपर हावी हो रही है तो वह प्रेरणाके लिए अपने हृदयकी गहराईमे प्रवेश करता है और जब उसे प्रेरणा मिल जाती है तब वह दूसरोको भी वैसी प्रेरणा देता है। सभाएँ और

वर्ग-सगठन तो ठीक है। उनसे कुछ मदद मिलती है। परन्तु वह बहुत कम होती है। वे एक ढाँचेके समान है, जिसे वास्तुकार खडा करता है — वह एक अस्थायी और कामचलाऊ उपाय है। वास्तविक महत्व तो उस अजेय निष्ठाका है जिसे कभी दवाया नही जा सकता।

निष्ठा विकसित की जा सकती है। केवल वह साधन, जिसके द्वारा निष्ठाका विकास किया जा सकता है और जिस तरह यह फलवती होती है, हिंसाके लिए अपनाये गये साधनसे भिन्न है। आप प्रार्थना द्वारा हिसाका विकास नही कर सकते। दूसरी ओर निष्ठाको विकसित करनेका प्रार्थनाके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय है ही नही।

अहिंसा तभी सफल होती है जब हमारा ईश्वरमे जीवन्त विश्वास हो। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद अपने-अपने तरीकेसे शान्तिके योद्धा थे। ससारके इन शिक्षको द्वारा अपने पीछे छोडी गई इस परम्पराको हमे समृद्ध करना है। ईश्वर अपनी योजनाएँ अपने आश्चर्यजनक तरीकोसे कार्यान्वित करता है और अपने साधन स्वय जुटाता है। पैगम्बर और अबूबक्र एक गुफामे फँस गये थे। एक मकडीने, जिसने उस गुफाके प्रवेश-द्वारपर ही अपना जाला बुन रखा था, उन्हे आततायियोसे बचा लिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि ससारमे जितने भी धर्म-सस्थापक हुए है उन्होने अपना कार्य शून्यसे आरम्भ किया है।।

प्र० : ईसा-जैसा अन्त.करण रखनेवाले लोग कहीं इक्के-दुक्के मिलते हैं और क्योंकि उनमें भी एकता और संगठन नहीं है इसलिए उनकी बात अरण्यरोदन बनकर रह जाती है। मेरे मनमें यह बात आती है कि क्या प्यार संगठित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे?

उ० पुराने तरीकेसे सगठन तो शायद सम्भव नही होगा। परन्तु यदि सगठित होकर अहिंसात्मक कार्रवाई की जाये तो उसमे कोई बन्धन नही है। मै प्रयोगोकी एक श्रृखला द्वारा यह दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि यह सम्भव है। इसका अपना एक तरीका है।

प्र० : यदि चीन युद्धमें विजयी होता है तो उस विजयके कारण उसकी हालत बेहतर होगी या खराब?

उ० यदि चीन जीत जाये और जापानी तरीकोकी नकल करने लगे तो वह जापानको उसीकी बाजीमे पछाड देगा। परन्तु चीनकी विजयसे ससारको कोई नई आशा नही मिलेगी। क्योकि तब चीन जापानका ही परिवर्तित रूप होगा। परन्तु चीन चाहे जीते या हारे, आपकी कार्रवाईकी दिशा स्पष्ट है। यदि चीन लड़ाई के मैदानमे हार जाये तो भी आपकी अहिसा निर्भय रहेगी और उसका फर्ज पूरा हो चुकेगा। यदि चीन जीत जाता है तो जापानके तरीकोकी नकल करनेसे चीनको रोकनेके प्रयासमें आपको फाँसीके तख्तेपर झूलना होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१-१९३९

३१२. भेंट : एस० एस० तेमाको[1]

[१ जनवरी, १९३९][2]

तेमा : हमारे लोग अपनी कांग्रेसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितना सफल कैसे बना सकते हैं?

गांधीजी : कांग्रेसकी सफलताका सीधा-सादा कारण यही है कि इसका श्रीगणेश ऐसे लोगों द्वारा किया गया था जो उस समयके सबसे अधिक निःस्वार्थ और सुसंस्कृत लोग थे। उन्होंने अपनेको जनताका प्रतिनिधि बनाया और सेवा और आत्मत्याग द्वारा उसका हृदय जीत लिया। वे जनतामें से आये थे और जनताके थे। आपके पास, जहाँ तक मुझे विदित है, ऐसे आफ्रिकियोंका कोई दल नहीं है जो गरीबीमें रहने और काम करनेमें सन्तुष्ट रहे। जो शिक्षित हैं उनमें वैसा पूर्ण निःस्वार्थ-भाव नहीं है। और फिर आपके अधिकांश नेता ईसाई हैं, जबकि बटु और जुलू लोगोंका विशाल जनसमूह ईसाई नहीं है। आपने यूरोपीय वेश-भूषा और तौरतरीके अपना लिये हैं, और इसलिए आप अपने ही लोगोंके बीच अजनबी बन गये हैं। राजनीतिक दृष्टिसे यह एक असुविधा है। इससे आपके लिए जन-साधारणके दिलों तक पहुँचना कठिन हो जाता है। आपको 'बटु' कहलाये जानेका भय नहीं होना चाहिए और 'ऐसगई'[3] लेकर चलने या कमरमें सिर्फ एक छोटा-सा अँगोछा बाँधकर घूमनेमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जुलू या बटुका शरीर काफी सुडौल होता है, इसलिए उसे अपने उघडे शरीरपर शरमानेकी जरूरत नहीं है। उसे आपकी तरहके कपड़े पहननेकी जरूरत नहीं है। आपको एक बार फिर आफ्रिकी बनना होगा।

ते० : कुछ समयसे दक्षिण आफ्रिकामें एक संयुक्त भारतीय-आफ्रिकी अश्वेत मोर्चा बनानेकी कुछ बात चल रही है। आपका इस बारेमें क्या विचार है?

गां० : यह एक गलती होगी। आप इस तरह शक्तिको नहीं, दुर्बलताको इकट्ठा कर देंगे। आपमें से हरएक अपने पैरोंपर खडा होकर ही एक-दूसरेकी ज्यादा-से-ज्यादा सहायता कर सकेगा। दोनों मामले अलग-अलग हैं। भारतीयोंकी संख्या बहुत ही कम है। वे गोरे लोगोंके लिए कभी भी 'खतरा' नहीं बन सकते। दूसरी ओर,

१. प्यारेलालके "ए वर्ल्ड इन एगोनी–२" से उद्धृत। जोहानिसबर्गके डी० आर० मिशनके रेवरेंड एस० एस० तेमा नीग्रो थे और आफ्रिकी कांग्रेसके सदस्य थे। वे ताम्बरम् सम्मेलनके उन प्रतिनिधियोंमें से थे जो सम्मेलनके बाद गांधीजी से मिलने आये थे।

२. प्रतिनिधि ३१ दिसम्बर और १ जनवरीको सेगाँवमें थे। ३१ दिसम्बरको केवल ह्यूने ही गांधीजी से भेंट की थी। तेमा सम्भवतः उनसे १ जनवरीको मिले थे।

३. आफ्रीकियोंका छोटा-सा भाला।

आप उस धरतीकी सन्तान है, आपका उत्तराधिकार छीना जा रहा है। आपको उसका प्रतिरोध करना ही होगा। आपका सवाल बहुत बडा है। उसे भारतीयोके सवालके साथ मिलाना नही चाहिए। इससे इन दोनो जातियोके बीच अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्धोकी स्थापनाका निषेध नही होता। भारतीय कई तरहसे आपके साथ सहयोग कर सकते है। वे आपके साथ सदा ईमानदारीसे व्यवहार करके आपकी सहायता कर सकते है। वे यह कर सकते है कि आपकी न्यायोचित आकाक्षाओका विरोध न करे, अपनेको 'सुसस्कृत' और आपको 'जगली' न बताये, और इस तरह आपको नुकसान पहुँचाकर अपने लिए रियायते हासिल करनेकी कोशिश न करे।

ते० : इन दोनों जातियोमें आप कैसे सम्बन्ध पसन्द करेगे?

गा० · जितने घनिष्ठ हो सकते हो उतने घनिष्ठ। लेकिन जहाँ मैने आफ्रिकी और भारतीयके बीच सभी भेदभाव खत्म कर दिये है, वहाँ उसका अर्थ यह नही है कि मै उनमे कोई भिन्नता ही नही मानता। मानव-समुदायकी विभिन्न नस्ले किसी पेडकी विभिन्न शाखाओकी तरह है। जिस समान मूल स्कन्धसे हम फूटे है, उसे एक बार स्वीकार कर लेनेपर हम मानव-परिवारकी मूल एकताको समझ जाते है, और तब द्वेष और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाके लिए कोई गुजाइश नही रहती।

ते० : हमें अपनी मुक्तिके लिए हिंसाको साधन बनाना चाहिए या अहिंसाको?

गा० हर हालतमे निश्चय ही अहिंसाको। परन्तु आपकी उसमे जीवन्त आस्था होनी चाहिए। आपके चारो ओर जब घटाटोप अँधेरा हो, तब भी आपको आशा नही छोडनी चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसामे विश्वास करता है, वह एक जीवन्त ईश्वरमे विश्वास करता है। वह पराजय स्वीकार नही कर सकता। इसलिए, मेरी सलाह सदा अहिंसाकी ही है, पर वह वीरकी अहिंसा होनी चाहिए, कायर की नही।

ते० : आपके उदाहरणने हमें इतना प्रभावित किया है कि हम सोचते हैं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि हमारे एक-दो युवक, जो हमें आशा है आगे नेतृत्व करनेवाले हैं, आपके पास प्रशिक्षणके लिए आ जायें।

गा० यह एक काफी अच्छा और सही विचार है।

ते० : आपके खयालसे क्या ईसाई धर्म आफ्रिकाको मुक्ति दिला सकता है?

गा० ईसाई धर्म, जिस रूपमे वह आज जाना जाता है और प्रयोगमे लाया जाता है, आपके लोगोको मुक्ति नही दे सकता। मेरा यह विश्वास है कि जो लोग आज अपनेको ईसाई कहते है वे ईसाके वास्तविक सन्देशको समझते नही है। जुलू-विद्रोहके दिनोमे मैने जुलू लोगोपर किये गये कुछ भयानक अत्याचारोको देखा था। क्योकि एक आदमीने, उनके सरदार बाम्बात्ताने, टैक्स देनेसे इनकार कर दिया, इसलिए पूरी जातिको यातनाएँ दी गई। मै [तब] एक ऐम्बुलेस-दस्तेका नायक था। जिन जुलू लोगोको कोडे लगाये गये थे उन्हे इलाजके लिए हमारे पास लाया गया था, क्योकि कोई गोरी नर्स उनकी परिचर्याको तैयार नही थी। उन लोगोकी जख्मी पीठो को मै कभी भूल नही सकूँगा। फिर भी, उन सब जुल्मोको करनेवाले अपने-आपको

ईसाई कहते थे। वे 'शिक्षित' थे, जुलू लोगोसे अच्छे कपड़े पहनते थे, पर वे नैतिक रूपसे उनसे ऊँचे नही थे।

ते० : हमारे बीचमें से जब भी कोई नेता उभरता है, तो कुछ समय बाद ही उसका पतन हो जाता है। उसमें या तो धनकी लालसा भड़क उठती है, या वह मद्यपान या किसी अन्य व्यसनमें डूब जाता है और हम उससे हाथ धो बैठते हैं। इसका इलाज हम कैसे करें?

गा० : यह समस्या कोई खास तौरपर आपके लिए ही नही है। आपका नेतृत्व प्रभावहीन इसलिए सिद्ध हुआ है कि वह जन-साधारणमें से नही उभरा है। यदि आपका सम्बन्ध जन-साधारणसे हो तो आप उन्हीकी तरह रहेगे, उन्हीकी तरह सोचेंगे। तब आपका और उनका ध्येय एक होगा। यदि मै आपकी जगह होऊँ तो एक भी आफ्रिकीसे अपनी वेशभूषा बदलने और अपनेको असाधारण बनानेको न कहूँ। उससे उसका नैतिक स्तर एक इच भी ऊँचा नही होता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-२-१९३९

३१३. राजकोट

राजकोटका संघर्ष जिस शानके साथ शुरू हुआ था उसी शानके साथ अभी हालमे समाप्त भी हो गया है।[1] लेकिन अभी तक उसके बारेमे मैंने शायद ही कुछ कहा हो। मेरी खामोशीकी यह वजह नही थी कि उसमे मेरी दिलचस्पी नही थी। इस राज्यके साथ मेरे गहरे सम्बन्ध रहे है, इसलिए यह तो सम्भव ही नही था। इस रियासतमें मेरे पिता दीवान थे। इसके अलावा स्वर्गीय ठाकुर साहब [वर्तमान ठाकुर साहबके पिता] मुझे अपने पिताकी तरह मानते थे। मेरी खामोशीकी वजह तो यह थी कि सरदार वल्लभभाई इस आन्दोलनकी आत्मा थे, और उनकी या उनके कामकी प्रशसा करना आत्म-स्तुति करनेके समान होगा।

इस सघर्षने यह दिखा दिया कि अगर जनता अच्छी तरहसे उसपर अमल करे, तो अहिसात्मक असहयोग क्या कुछ नही कर सकता है। जनताने जो एकता, दृढ़ता और त्यागकी क्षमता दिखलाई है उसकी मुझे बिलकुल आशा नही थी। लेकिन लोगोने दिखला दिया कि अपने शासककी बनिस्बत वे महान है और अहिंसात्मक कार्यमे एकजुट प्रजाके सामने अग्रेज दीवानकी भी कुछ नही चल सकती।

१. उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके बारेमें समझौता २६-१२-१९३८को हुआ था। उसकी मुख्य शर्तें थीं: (१) सभी दमनकारी कार्रवाइयाँ खत्म कर दी जायें; (२) सभी राजनैतिक बन्दी छोड़ दिये जायें; (३) सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये; (४) संविधानका मसविदा तैयार करनेके लिए दस व्यक्तियोंकी एक समिति बनाई जाये जिनमें से सात व्यक्तियोंकी नियुक्ति वल्लभभाई पटेलके सुझावके अनुसार होनी चाहिए।

ठाकुर साहबने अंग्रेज दीवानकी सलाह और रेजिडेंटकी ज्ञात इच्छाओंको ठुकराकर बागडोर अपने हाथोमे ले ली है, इसके लिए वे बधाईके पात्र है।

मेरे पास जो कागजात है उनपर से मै जानता हूँ कि रेजिडेटके समर्थनसे सर पैट्रिक कैडेलने जो-कुछ किया, वह ठाकुर साहबके नौकरकी हैसियतसे उनके लिए बड़ा अशोभनीय है। उन्होंने तो इस तरहका काम किया मानो वही राज्यके मालिक हों। उन्होंने इस बातका कि वे शासक-जातिके है और उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सत्ताकी मजूरीसे हुई है, बडा दुरुपयोग किया और वे यह मानकर चले कि अपनी मनमानी करनेका उन्हे पूरा इख्तियार है। यह लिखते वक्त तक मुझे यह मालूम नही है कि वे समझदारीसे नौकरीसे रिटायर हो गये है या उनका क्या हुआ है। मेरे पास जो पत्र-व्यवहार है उससे जाहिर होता है कि राजा लोग इस पर गम्भीरताके साथ विचार कर रहे है कि अग्रेज दीवानका रखना कहाँ तक अक्लमन्दी है। केन्द्रीय सत्ताको भी अपने रेजिडेटोपर इस बातकी निगरानी रखनी चाहिए कि उसकी घोपणाओके शब्दो पर ही नही बल्कि उनमे निहित भावनापर भी अमल होता है या नही।

जो राजा लोग रेजिडेटोसे डरते है, वे आशा है राजकोटके उदाहरणसे यह जान जायेंगे कि अगर वे सच्चे है और उनकी प्रजा वस्तुत उनके साथ है, तो उन्हे रेजिडेटोसे डरनेकी कोई जरूरत नही है। निस्सन्देह उन्हे यह महसूस करना चाहिए कि सर्वोच्च सत्ता न तो शिमलामे है, न व्हाइट हॉलमें, उसका निवास तो उनकी प्रजामे ही है। अपनी अहिंसात्मक शक्तिपर भरोसा रखनेवाली जागृत प्रजा तो सशस्त्र शक्तियोके कैसे भी गठजोडके सामने स्वतन्त्र ही रहती है। राजकोटमे तीन महीनेके अन्दर जो हुआ वही हरएक रियासतमें हो सकता है, बशर्ते कि वहाँकी प्रजा भी वैसी ही हो जैसीकि राजकोटकी साबित हुई है।

मै यह दावा नही करता कि राजकोटकी प्रजामे अहिंसा-गुणका वह दुर्लभ स्तर आ गया है, जो किसी भी कठिनाईका मुकाबला कर सकता है। लेकिन राजकोटने यह बतला दिया है कि समस्त प्रजा द्वारा सगठित रूपमे ग्रहण की हुई मामूली अहिंसा भी कितना काम कर सकती है।

राजकोटकी प्रजाका काम निश्चय ही महान है, लेकिन सत्याग्रहीके रूपमे उसकी सच्ची परीक्षा तो अभी होनी है। उसने जिन गुणोसे विजय प्राप्त की है, उसे कायम रखनेके लिए भी यदि वह उन्ही गुणोपर कायम न रही, तो सारा किया-कराया चौपट हो जायेगा। सारे हिन्दुस्तानके कांग्रेसियोने एक लम्बे अभ्यासके बाद सविनय प्रतिरोध करनेकी अपनी क्षमता तो दिखला दी है, लेकिन रचनात्मक अहिंसाकी अपनी क्षमता अभी उन्हे दिखलानी है। सविनय अवज्ञा तो अविनय अर्थात् हिंसासे मिश्रित होनेपर भी काम लायक समझी जा सकती है, लेकिन रचनात्मक कार्य बहुत कठिन है, उसमे हिंसाका आसानीसे पता चल जाता है। और हिंसाका जरा भी समावेश विजयको भी एक जालमे परिणत कर देता है और वह विजय एक भ्रम साबित होती है। क्या जनता आवश्यक नि स्वार्थता और आत्म-त्याग दिखलायेगी? अपना और अपने आश्रितोका स्वार्थ-साधन करनेके प्रलोभनसे क्या वह दूर रहेगी?

सत्ताके लिए किसी भी तरहकी छीना-झपटीसे आम जनताको वह लाभ नहीं होगा जोकि एक दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेतृत्वसे, जिसके आज्ञा-पालनके लिए सब स्वेच्छापूर्वक तैयार हों, और वस्तुत होना भी चाहिए। काठियावाड अन्दरूनी कुचक्रोंके लिए प्रसिद्ध है। उसमें जहाँ वीरोंको पैदा करनेकी खासियत है, वहाँ राजनीतिज्ञोंकी एक ऐसी जाति भी मौजूद है जिसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अगर इन राजनीतिज्ञोंकी चली तो राजकोटमें रामराज्य नहीं होगा। रामराज्यका मतलब तो है सर्वतोमुखी स्वार्थ-त्याग। उसके लिए लोगोंको अपने ऊपर स्वयं अंकुश लगाना चाहिए। जनता अगर रचनात्मक अहिंसाको अमली रूप दे, तो राजकोटका ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि वह आसानीसे एक अनुकरणीय उदाहरण बन जायेगा।

इसलिए विजयके इस अवसरपर आत्मसन्तोष करने और व्यर्थकी खुशियाँ मनानेके बजाय, विनम्रता, आत्म-निरीक्षण और प्रार्थनासे काम लेना चाहिए। मैं सब-कुछ उत्सुकताके साथ देखता रहूँगा और ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा।

बारडोली जाते हुए ट्रेनगाड़ीमें, २ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१-१९३९

३१४. क्या अहिंसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता?

अपने ऊपर हुई इस आलोचनाका कि यहूदी तो पिछले २,००० वर्षोंसे अहिंसक ही रहे हैं, मैंने जो जवाब[1] दिया था, उसपर एक सम्पादकीय लेखमें 'स्टेट्समैन'ने लिखा है:

> पास्टर नीमोलर[2] और लूथरन चर्चपर हुए अत्याचारोंकी बात सारी दुनियाको मालूम है; अनेक पास्टरों (पादरियों) और साधारण ईसाइयोंने 'जनता'की अदालतों, हिंसा और धमकियोंके कष्टोंको बहादुरीके साथ बरदाश्त किया और बदले या प्रतिहिंसाका विचार लाये बिना वे सत्यपर कायम रहे। लेकिन जर्मनीमें कौन-सा हृदय-परिवर्तन नजर आता है? बाइबिल सरचर्स लीगके जिन सदस्योंने नाजी सैनिकवादको ईसाके शान्ति-सन्देशका विरोधी मानकर अस्वीकार किया, वे आज जेलखानों और नजरबन्द कैम्पोंमें पड़े सड़ रहे हैं और पिछले पाँच सालोंसे उनकी यही दुर्दशा हो रही है। कितने जर्मन ऐसे हैं, जो उनके बारेमें कुछ जानते हैं या जानते भी हैं तो उनके लिए कुछ करते हैं?

१. देखिए "आलोचनाओंका जवाब", पृ० २११-३।

२. नाजी विरोधी प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्रविद् मार्टिन नीमोलर गेस्टापो द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे और उन्हें एक नजरबन्दी कैम्पमें कैद करके रखा गया था।

अहिंसा, चाहे वह निर्बलकी हो या बलवान की, किन्हीं अत्यन्त विशेष परिस्थितियोको छोड़कर सामाजिकके वजाय व्यक्तिगत प्रयोगकी ही चीज मालूम पड़ती है। मनुष्य अपनी मुक्तिके लिए क्या करे, यह सम्बन्धित व्यक्तिके विचारका विषय है। पर राजनीतिज्ञोका सम्बन्ध तो कारणो, सिद्धान्तो और अल्पसंख्यकोसे है। श्री गाधीका कहना है कि हिटलरको उस साहसके सामने झुकना पड़ेगा जो उसके "तूफानी दस्तो द्वारा प्रदर्शित साहससे निश्चित-रूपेण श्रेष्ठ है।" अगर ऐसा होता, तो वॉन ओसिट्स्की[1]-जैसे मनुष्यकी उसने जरूर तारीफ की होती। मगर नाजियोके लिए साहस उसी हालतमें गुण मालूम पडता है जबकि उनके अपने ही समर्थक उससे काम ले; अन्यत्र यह 'मार्क्सवादियो-यहूदियोके धृष्टतापूर्ण उत्तेजक कार्य' हो जाता है। बडे-बड़े राष्ट्र इस विषयमें अभी तक कुछ भी नहीं कर पाये, यह देखकर श्री गाधीने अपना नुस्खा पेश किया है। बड़े राष्ट्रोकी यह ऐसी असमर्थता है जिसके लिए हम सबको अफसोस है और हम सब चाहते हैं कि यह दूर हो। यहूदियोको श्री गांधीकी सहानुभूतिसे तसल्ली मिल सकती है, लेकिन उनके उत्थानमें इससे ज्यादा मदद मिलनेकी सम्भावना नहीं है। ईसामसीहका उदाहरण अहिंसाका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और उन्हें जिस बुरी तरह मारा गया, उससे हमेशाके लिए यह सिद्ध हो गया है कि सांसारिक और भौतिक रूपमें यह बड़ी बुरी तरह असफल हो सकती है।

मैं तो नही समझता कि पास्टर नीमोल्लर और दूसरे व्यक्तियोका कष्ट-सहन बेकार साबित हुआ है। उन्होने अपने स्वाभिमानको कायम रखा है और यह साबित कर दिया है कि उनकी श्रद्धा किसी भी कष्ट-सहनसे विचलित नहीं हो सकती। हिटलरके दिलको पिघलानेके लिए वे काफी साबित नही हो सके, उससे केवल यही जाहिर होता है कि हिटलरका दिल पत्थरसे भी अधिक कठोर चीजका बना हुआ है। मगर, सख्त-से-सख्त धातु भी पर्याप्त गर्मीसे पिघल जाती है, उसी प्रकार सख्तसे-सख्त दिल भी अहिंसाकी गर्मीसे पिघल जायेगा और गर्मी उत्पन्न करनेकी अहिंसाकी ताकतकी तो कोई सीमा ही नही।

हरएक कार्य बहुत-सी ताकतोका परिणाम है, चाहे वे एक-दूसरेके विरुद्ध असर करनेवाली ही क्यो न हो। ऊर्जा कभी जाया नही होती। यह हम यान्त्रिकी की किताबोमें पढते हैं। मनुष्यके कामोमे भी यह उसी तरहसे लागू है। अन्तर यह है कि पहले मामलेमें हमे आमतौरपर यह मालूम होता है कि वहाँ कौन-कौनसी ताकतें काम कर रही है और ऐसी हालतमें हम हिसाब लगाकर उसका नतीजा भी पहले ही से बता सकते हैं। जहाँ तक मनुष्यके कामोका ताल्लुक है, वे

१. कार्ल वॉन ओसिट्स्की (१८८९-१९३८), जर्मन शान्तिवादी और लेखक। उन्हें राज्यके शत्रुके रूपमें गिरफ्तार करके जेलमें डाल दिया गया था। जेलमें रहते हुए उन्हें शान्तिका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हिटलर इस बातसे इतना नाराज हुआ कि उसने जर्मनोंके लिए ऐसे पुरस्कार स्वीकार करनेकी मनाही कर दी थी।

ऐसी ताकतोंके संयोगका परिणाम होते हैं जिनमें से बहुत-सी ताकतोंकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन हमें अपने अज्ञानको इन ताकतोंकी क्षमतामें अविश्वास करनेका कारण नहीं बनाना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि अज्ञानके कारण हमारा इनमें और भी ज्यादा विश्वास हो जाये। चूँकि अहिंसा दुनियाकी सबसे बड़ी ताकत है और काम भी यह बहुत छुपे ढंगसे करती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा रखनेकी जरूरत है। जिस तरह ईश्वरमें हमारा विश्वास श्रद्धा पर आधारित है, उसी तरह अहिंसामें हमारा विश्वास श्रद्धा पर आधारित होना चाहिए।

हिटलर मात्र एक आदमी ही तो है और उसकी जिन्दगी एक औसत आदमीकी स्वल्प जिन्दगीसे बड़ी नहीं है। अगर जनता उसका साथ देना छोड़ दे, तो वह एकदम अशक्त हो जाये। मैंने यह आशा नहीं छोड़ी है कि मानव-समाजके कष्ट-सहनका चाहे इन कष्टोंका कारण वह स्वयं ही हो उसके हृदयपर असर पड़ेगा। मगर, यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि जर्मनोंके पास दिल नहीं है या संसारकी दूसरी जातियोंकी अपेक्षा वे कम सहृदय हैं। अगर समय रहते उसकी आँखें नहीं खुलीं तो वे एक-न-एक दिन अपने इस नेताके खिलाफ, जिसकी वे इतनी पूजा कर रहे हैं, विद्रोह कर देंगे। और जब उसकी आँखें खुलेंगी या वे विद्रोह करेंगे तब हम देखेंगे कि पास्टर नीमोलर और उसके साथियोंकी मुसीबतों और कष्ट-सहनने इस जागृतिको पैदा करनेमें कितना काम किया है।

सशस्त्र संघर्षसे जर्मनोंकी शस्त्र-शक्तिको नष्ट किया जा सकता है, पर जर्मनीके दिलको नहीं बदला जा सकता। पिछले महायुद्धमें उनकी पराजय हुई थी पर उससे भी उनके दिल तो नहीं बदले थे। उसने एक हिटलर पैदा किया, जो विजयी राष्ट्रोंसे बदला लेनेपर तुला हुआ है। और यह बदला कैसा भयानक है। इसका जवाब वही होना चाहिए जो स्टीवेन्सनने अपने साथियोंको दिया था, जो गहरी खाईको पाटनेसे हताश हो गये थे और जिसको भरनेके बाद ही पहली रेलवे-लाइनका निकलना मुमकिन हो सका था। उसने अपने साथियोंसे, जिनमें विश्वासकी कमी थी, कहा कि "विश्वास बढ़ाओ और गढ़ेको भरे चले जाओ। वह अथाह नहीं है और इसलिए वह जरूर भर जायेगा।" इसी तरह मैं भी इस बातसे मायूस नहीं हुआ हूँ कि हिटलर या जर्मनीका दिल अभी तक नहीं पिघला है। इसके बरखिलाफ, मैं यही कहूँगा कि मुसीबतों-पर-मुसीबतें सहते चले जाओ, जब तक कि अन्धेको भी यह नजर न आने लगे कि दिल पिघल गया है। जिस तरह पास्टर नीमोलरने मुसीबतें बरदाश्त करके अपनी महिमा बढ़ाई है, उसी तरह अगर एक यहूदी भी बहादुरीके साथ डटकर खड़ा हो जाये और हिटलरके हुक्मके आगे सर झुकानेसे इनकार कर दे, तो उसकी शान भी बढ़ जायेगी और वह अपने भाई यहूदियोंके लिए मुक्तिका रास्ता साफ कर देगा।

मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक सामाजिक गुण भी है जिसे कि दूसरे गुणोंकी तरह विकसित करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि समाज अपने आपसके कारोबारमें अहिंसाका प्रयोग करनेसे ही व्यवस्थित होता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि इसे एक बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमानेपर काममें लाया जाये।

'स्टेट्समैन' द्वारा जाहिर की गई इस रायसे मुझे आश्चर्य हुआ है कि ईसा-मसीहकी मिसालने हमेशाके लिए यह साबित कर दिया है कि अहिंसा सासारिक बातोमे नाकामयाब साबित होती है। हालाँकि मै साम्प्रदायिक अर्थमें अपने-आपको ईसाई नही कह सकता, मगर ईसामसीहने अपनी कुर्बानीसे जो उदाहरण कायम किया है, उससे अहिसामे मेरी अखड श्रद्धा और भी बढ गई है और अहिंसाके इसी सिद्धान्तके अनुसार ही मेरे तमाम धार्मिक और सांसारिक काम होते है। मुझे यह भी मालूम है कि सैकड़ो ईसाई ऐसे है, जिनका ऐसा ही विश्वास है। अगर ईसा-मसीहसे हमे अपने सम्पूर्ण जीवनको विश्व-प्रेमके सनातन सिद्धान्तके अनुसार ढालनेकी शिक्षा नही मिली, तो उनका जीवन और बलिदान बेकार है।

बारडोली जाते हुए रेलगाडीमें, २ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१-१९३९

३१५. तार : च० राजगोपालाचारीको

[४ जनवरी, १९३९ या उसके पश्चात्][1]

श्री रमण मेननके असामयिक निधनपर उनके शोक-संतप्त परिवारको कृपया मेरी ओरसे हार्दिक सवेदना प्रकट करे। सेठ जमनालाल बजाज भी अपनी सवेदना प्रकट करते है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-१-१९३९

३१६. तार : कृष्णस्वामीको[2]

५ जनवरी, १९३९

तार पुनर्प्रेषित। मेरी रायमें ऐसे उम्मीदवार अयोग्य, लेकिन आपको प्रान्तीय कमेटीसे अधिकृत निर्णय प्राप्त करना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. रमण मेननका देहान्त ३ जनवरीको हुआ था। जमनालाल बजाज बारडोलीमें, जहाँ गांधीजी उस समय थे, ४ जनवरीको आये थे।

२. कृष्णस्वामीने तार द्वारा पूछा था कि क्या अप्रमाणित खादीके उत्पादक और बुनकर त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशनके लिए प्रतिनिधियोंके चुनावमें खड़े हो सकते है।

३१७. पत्र : शुएब कुरेशीको

बारडोली
५ जनवरी, १९३९

प्रिय शुएब,

जाकिर हुसेन चार-पाँच दिन मेरे साथ रहे। उनसे बातचीतके दौरान मुझे पता चला कि भोपालसे जामिया मिलियाको जो सहायता मिलती थी वह बन्द कर दी गई है। क्या पैसेकी तंगीके सिवा सहायता बन्द करनेका कोई और कारण है? अगर नहीं, तो मैं चाहूँगा कि जामियाकी खातिर तुम कुछ छँटनी करनेकी बातपर विचार करो। जामिया एक ऐसी संस्था लगती है जिसकी जरूरत है। ऐसा लगता है कि यह एकमात्र ऐसी मुस्लिम संस्था है जिसके कार्यकर्ता आत्म-त्यागी हैं और पक्के मुसलमान होनेके साथ ही पक्के राष्ट्रवादी भी हैं।

मेरे मनपर जो बोझ रखा हुआ था, उसे कहकर उतार देनेके बाद अब मैं मामलेको तुम्हारे हाथोंमें सौंपता हूँ।

आशा है, गुलनार और बच्ची ठीक-ठाक हैं।

तुम सबको प्यार सहित,

बापू

जनाब शुएब कुरेशी साहब
भोपाल

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३१८. पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको

बारडोली
६ जनवरी, १९३९

आदरणीय भाई,

आपका पत्र मिला। आप जो लिखते हैं, बिलकुल सच है। सच्ची परीक्षा तो अब आगे होनी है।[1] सरदारको आपका पत्र दिखा दिया है। वे अभी बम्बई रवाना हो गये। कहते गये कि आपको जो भय है, वह निराधार है।

१. यहाँ संकेत राजकोट सत्याग्रहकी ओर है; देखिए "पत्र : रणछोड़लाल पटवारीको", पृ० १८०-१।

मेरा अहमदाबाद जाना तो कार्यक्रममें नहीं है।

मोहनदासके साष्टांग दण्डवत

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१२३) से। सी० डब्ल्यू० २७८९ में भी, सौजन्य छगनलाल गांधी।

३१९. तार : पट्टम् ताणु पिल्लैको

बारडोली
७ जनवरी, १९३९

अध्यक्ष, राज्य कांग्रेस
त्रिवेन्द्रम्

प्रसन्नता है कि प्रदर्शन रद कर दिये गये और मद्यनिषेध कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मुकदमे वापस ले लिये जानेका हर्ष है।[1]

गांधी

मूल अंग्रेजीसे पट्टम् ताणु पिल्लै पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

३२०. तार : जी० रामचन्द्रनको

[७ जनवरी, १९३९][2]

तुमने कुछ क्यों नहीं लिखा। प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स : सौजन्य प्यारेलाल।

१. यह कार्यकारी अध्यक्ष आर० शंकरके ३ जनवरी, १९३९ के तारके जवाबमें था। अपने तारमें आर० शंकरने गांधीजीको सूचित किया था कि मद्य-निषेध आन्दोलन शुरू किया जा चुका है।

२. यह तार उसी पृष्ठ पर लिखा गया था जिसपर पट्टम् ताणु पिल्लैके नाम तारका मसविदा लिखा गया था। देखिए पिछला शीर्षक।

३२१. तार: घनश्यामदास बिड़लाको[1]

७ जनवरी, १९३९

जयपुर रियासतको लिखे जमनालालजीके पत्रमें आपके १२ अक्टूबरके तारका उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि सीकरके बाकी कैदी १३ तारीखको छोड़ दिये जायेंगे। इसमें आपके नामका उल्लेख नहीं है। लेकिन चुनौती दी जाये तो आपका नाम प्रगट करनेकी जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको कोई आपत्ति है? बारडोलीके पते पर तार कीजिए।

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २०९

३२२. जमनालाल बजाजके लिए समाचारपत्रोंको दिये जानेवाले वक्तव्यका मसविदा[2]

बारडोली

७ जनवरी, १९३९

जयपुरकी रियासतमें — जो मेरा जन्मस्थान है और पूर्वजोंसे चला आ रहा घर है — अपने प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाये जानेके बारेमे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बारेमे कई अफवाहे फैल रही हैं। यह प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे मित्रोको भी आश्चर्यमे डालनेवाला है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे मैंने अपना सारा जीवन शान्तिके ही कार्योंमें लगाया है। कांग्रेसजनोके लिए अहिंसाका और चाहे जो अर्थ हो परन्तु मेरा तो यह धर्म है और मैं यथाशक्ति इसका पालन करनेकी कोशिश करता हूँ। मैं रियासतोका दुश्मन नही हूँ। मेरा उनके प्रति सदा मित्रताका रुख रहा है। मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि भारतमे जो नई जागृति आई है उसके प्रति रियासतोकी प्रतिक्रिया अनुकूल हो सकती है। इस प्रतिबन्धके पीछे क्या रहस्य छिपा है यह जाननेके लिए मैं अब पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। आदेशके शब्द किसी भी अर्थमे मुझपर लागू नही होते। मैं जल्दबाजीमें कोई काम नही करना चाहता। जयपुर रियासतके अधिकारियों को उलझनमे डालनेका भी मेरी कोई मंशा नही है। परन्तु प्रतिबन्ध हटवानेकी

१. यह तार पिलानी भेजा गया था।

२. मसविदा गांधीजी की लिखावटमें था।

दिशामे किया गया प्रत्येक सम्मानजनक प्रयास यदि असफल हो जाता है तो जनता को भरोसा होना चाहिए कि मै अपने कर्तव्यका पालन करूँगा।

मेरा तात्कालिक उद्देश्य अभी तो जयपुर रियासतमे दुर्भिक्ष-पीडितोको मण्डल[1] की मार्फत राहत पहुँचाना है। मुझे आशा है कि प्रतिबन्ध भावी दान-कर्त्ताओके आडे नही आयेगा। मै सभी सम्भावनाओको ध्यानमे रखते हुए प्रबन्ध कर रहा हूँ। इसमें कोई सन्देह नही कि मेरे जयपुर जानेका मुख्य कारण दुर्भिक्षसे राहत दिलानेके उपाय करना था।

मेरी चिन्ताका दूसरा विषय इस समय यह है कि हालके संकटके दौरान सीकरमे जिन नौ व्यक्तियोको कैदमे डाल दिया गया है उन्हे रिहा करानेकी कोशिश की जाये। उनमे से एकको सजा दी जा चुकी है और बाकी आठपर अभी मुकदमा चलाया जायेगा। मेरे पास ऐसी आशा करनेका सारा आधार था कि उन्हे आम माफी दे दी जायेगी। मै उन्हे मात्र यही आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक मैं स्वतन्त्र हू, मैं उन्हे रिहा करवानेमे कोई कसर उठा नही रखूंगा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०७७) से।

३२३. जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा[2]

कैम्प बारडोली
७ जनवरी, १९३९

अध्यक्ष
प्रशासन परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट), जयपुर

श्रीमान्,

गत १६ दिसम्बरका सलग्न आदेश मुझे उसी मासकी २८ तारीखको सवाई माधोपुरमे जयपुर जाते समय मिला था।

इस आदेशसे मुझे दुःख भी हुआ और आश्चर्य भी। श्री एफ० एस० यंग, आई० जी० पी०, से मेरी स्टेशनपर एक घंटेसे भी अधिक बातचीत हुई, जिसमें वे मुझे आदेशका उल्लंघन न करनेकी बात समझाते-बुझाते रहे। वैसे मुझे यह सब समझाने-बुझानेकी जरूरत नही थी, क्योंकि जब मैं उस तरहका कोई आदेश मिलनेकी सम्भावना पर गाधीजी के साथ विचार-विमर्श कर रहा था तो उन्होने मुझे यह सलाह दी थी कि मैं इस आदेशको तुरन्त न तोडूँ, बल्कि कोई अन्तिम कदम उठानेसे पहले सारी परिस्थितिपर उनके साथ सलाह-मशविरा कर लूं।

१. जयपुर राज्य प्रजा-मण्डल।

२. यह मसविदा गाधीजी द्वारा तैयार किया गया था और दो बार संशोधित किया गया था। गांधीजी के हाथका लिखा पहला मसविदा जी० एन० ३०७६ में उपलब्ध है।

इसलिए मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और मैं दिल्ली चल दिया। मित्रो, साथी कार्यकर्ताओ और अतमे गाधीजीसे विचार-विमर्श करनेके बाद, मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि यह आदेश अगली १ फरवरीसे पहले बिना शर्त रद न किया जाये तो उस दिन मुझे इसका उल्लघन करना चाहिए।

अधिकारियोको यह मालूम है कि गत १ नवम्बरको मैंने जयपुर रियासत प्रजामण्डलकी ओरसे, जिसका कि मैं प्रधान हूँ, एक सार्वजनिक अपील जारी की थी। उसमे यह कहा गया था कि क्योकि शेखावाटी और अन्य इलाके अकालग्रस्त है, इसलिए मण्डलको और सब कार्य छोडकर सहायता-कार्यकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि एक समाचारपत्रमे यह खबर छपनेपर कि जयपुरमे सत्याग्रह शुरू होनेवाला है, मैंने उसका साफ-साफ खण्डन किया था।

मुझे पता नही कि १६ दिसम्बरको या उससे पहले ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जयपुर रियासतमे मेरे प्रवेशका पूर्वानुमान कर यह आदेश पारित किया गया। मैंने देखा कि उसी दिन रियासतके गजटमें इस आशयकी एक अधिसूचना प्रकाशित हुई थी कि "एक आपत्कालीन स्थिति पैदा हो गई है जिसमे लोगोको गैरकानूनी रूपसे कई देनदारियोकी अदायगी न करनेके लिए भडकाया जा सकता है, और उसके खिलाफ कदम उठाना आवश्यक है।" इस चीजको देखते हुए कि मेरे प्रवेशके खिलाफ आदेश उसी दिन पारित किया गया, यह मानना युक्तियुक्त होगा कि अधिकारियोकी रायमे मेरा सम्बन्ध कर-बदीके आशकित अवैध आन्दोलनसे है। यदि अधिकारियोको यह भय था कि मै इस तरहके आन्दोलनका नेतृत्व करनेवाला हूँ, तो उन्हे कम-से-कम मुझसे यह मालूम करना चाहिए था कि उनके पास जो सूचना है वह सही भी है या नही। वे मुझे इतना तो जानते ही थे कि यह विश्वास कर सकते कि मै सचाईको उनसे छिपाऊँगा नही।

वस्तुत:, अधिकारियोको यह मालूम है कि सीकरके हालके सकटमे मैंने, लोगोके प्रति अपने दायित्वको निभाते हुए, उनकी भी सहायता की थी। वे यह जानते है कि मेरा प्रभाव पूर्णतया शातिके लिए ही प्रयुक्त किया गया था।

इसीलिए उस आदेशसे जब मैंने यह जाना कि "आपकी (मेरी) उपस्थिति और गतिविधियोसे शांति-भंग होनेकी संभावना है" और यह कि, इस कारण, "सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे तथा लोगोमे अमन कायम रखनेके लिए जयपुर-रियासतमे आपके (मेरे) प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया है", तो मुझे कितना आश्चर्य हुआ होगा, इसकी आप स्वय अच्छी तरह कल्पना कर सकते है। मेरे लिए उसका ठीक तरह वर्णन करना सम्भव नही है। मै निस्संकोच कह सकता हूँ कि यह अधिसूचना मेरे पूरे सार्वजनिक जीवनको झूठा ठहराती है।

इस आदेशमे मुझे वर्धाका निवासी बताया गया है। मेरे खयालसे, ऐसा शायद गलतीसे ही लिखा गया है। क्योकि जयपुर-रियासतके लिए तो निश्चय ही मैं जयपुरका निवासी हूँ। वर्धा और दूसरे स्थानोमे मेरा कारोबार है इसका यह अर्थ नही हो सकता कि मैं जयपुरका निवासी नही रह गया।

रियासतमे हमारी स्थिति क्या है, यह आज मेरे और मेरे सहकर्मियोके लिए एक विचारणीय गम्भीर प्रश्न बन गया है।

प्रजामण्डल जुलाई १९३१ मे शुरू किया गया था और नवम्बर १९३६ मे उसका पुनर्गठन हुआ था। उसका एक सविधान है। जयपुर रियासतके बहुत-से प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके सदस्य है। उसने अपनी गतिविधियाँ अभी तक जयपुरके कानूनकी सीमाओके अन्दर ही रखी है और सभाओ व जुलूसोपर लगाये गये कष्टप्रद तथा अनुदार प्रतिबन्धोका पालन किया है।

परन्तु मुझे दिये गये इस आदेशसे मण्डलकी आँखे खुल गई है। वह अब इस निष्कर्षपर पहुँचा है कि यदि नागरिक स्वतन्त्रता नही मिलती है और ऐसी सभाओ, जुलूसो और सस्थाओके सगठनकी यदि बेरोकटोक अनुमति नही मिलती है जिनमे अहिसाका कडाईसे पालन होता हो, तो उसे अवश्य सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए।

मै यह बता दूं कि हमारी गतिविधिका क्षेत्र क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हम महाराजाकी सरक्षतामे उत्तरदायी सरकार चाहते है। इसलिए हमे लोगोको यह बताना होगा कि उत्तरदायी सरकार क्या होती है और उसके योग्य बननेके लिए उन्हे क्या करना चाहिए। परन्तु हमारा इरादा इसके लिए सत्याग्रह करनेका नही है। लेकिन हमे जनताके सभी वर्गोकी शिकायते दूर करानेकी कोशिश करनी है, हमे रचनात्मक और शिक्षात्मक गतिविधियाँ चलानी है। फिर भी मण्डलकी इच्छा इस समय करबन्दीका प्रचार करनेकी कतई नही है। यदि हमे अपनी गतिविधियोमे, जो मूल रूपसे शांतिपूर्ण और जीवनका निर्माण करनेवाली है, रियासतका सहयोग मिलता है, और स्वीकृत शिकायतोको दूर करानेमे सहयोग मिलता है, तो करबन्दीका सहारा लेनेकी कभी जरूरत नही पडेगी। पर यदि दुर्भाग्यसे वह जरूरी हो गया, तो मण्डल रियासतके अधिकारियोको वैसा करनेके अपने इरादेकी पर्याप्त सूचना देगा। क्योकि मण्डल खुले, सम्मानित और पूर्णतया अहिंसात्मक तरीकोके पक्षमे है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मण्डलको अपनी पूर्णतया वैध और अहिसात्मक गतिविधियाँ बेरोकटोक चलानेकी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु यदि यह युक्तियुक्त प्रार्थना इस महीनेकी ३१ तारीखसे पहले स्वीकार नही की गई तो मै, न चाहते हुए भी, इस आदेशके बावजूद रियासतमे घुसनेका प्रयास करनेको बाध्य होऊँगा और मण्डल अपनेको ऐसे कदम उठानेके लिए स्वतन्त्र मानेगा जो उसे मानव-गरिमाके अनुरूप अपनी अभिव्यक्तिके लिए आवश्यक लगते है।

मेरी ऐसी धारणा है कि इससे कम कुछ करना सामाजिक आत्महत्या होगा। मुझे विश्वास है कि रियासतकी परिषद् मेरी और मण्डलकी वफादारीपर असह्य दबाव नही डालेगी।

भवदीय

[अंग्रेजीसे]

पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३९३-६ से। जी० एन० ३०७६ से भी।

३२४. पत्र : एफ० मेरी बारको

वारडोली,
७ जनवरी, १९३९

चि० मेरी,

बेशक, तुम्हारे पत्र कारोबारी पत्र हैं, पर यदि कारोबार भगवानके प्राणियोकी सेवा ही हो, तो कारोबारी पत्र भी प्रेमपत्र वन जाते है। इसलिए तुम्हे अपने पत्रोके कारोबारी होनेपर, क्षमायाचनाकी कोई आवश्यकता नही है।

तुमने जिस कार्यका उल्लेख किया हैं, उसके लिए उपयुक्त कोई महिला मेरे ध्यानमे नही आ रही है।

म्यूरियल १८ व्यक्तियोका एक दल लायी थी। मैंने उस दलको एक लघु विश्व की संज्ञा दी।[1]

यद्यपि यह एक औपचारिकता है, फिर भी तुम्हारी तरह मै भी इस वर्षके लिए तुम्हें शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

तुम्हे और मीराको प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०७४) से। सी० डब्ल्यू० ३४०४ से भी; सौजन्य : एफ० मेरी बार।

३२५. पत्र : बलवन्तसिंहको

वारडोली
७ जनवरी, १९३९

चि० बलवन्तसिह,

तुम्हारा कैसे चल रहा है? क्या करते हो? चित्त प्रसन्न है? मुझे सब लिखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१६) से।

१. देखिए पादटिप्पणी ३, पृ० २८८।

३२६. पत्र : प्रभुदयाल विद्यार्थीको

बारडोली
७ जनवरी, १९३९

चि० प्रभुदयाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे पैर आशा है अब तक अच्छे हो गये होंगे।

बस्तीके बारेमें तुमने जो लिखा है, उस विषयमें वहाँ खत भेजा था। पूरी तहकीकात हो गई है। वहाँसे कुछ जवाब भी आ गया था। जब हम वापिस लौटेंगे तो पूछ लेना। यदि खत कहीं पड़ा होगा तो तुम्हें बता दूंगा।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११६८८)से।

३२७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

७ जनवरी, १९३९

उड़ीसाकी रियासतोंके पोलिटिकल एजेंट मेजर आर० एल० बजलजेटकी हत्या[1] अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हमें बड़ा सदमा पहुँचा है। मैं शोकाकुल परिवारको अपनी सहानुभूति भेजता हूँ। मुझे आशा है कि मृतकके साथ जो सूबेदार गया था, उसके घाव अच्छे हो जायेंगे। मैं प्रजा-मण्डलसे यह आशा करता हूँ कि वह कड़ाईके साथ इस घटनाकी पूरी छानबीन करेगा और हत्याके कारणका पता लगा लेगा। इससे सभी कार्यकर्ताओंको चेतावनी मिल जानी चाहिए कि वे सामूहिक आन्दोलन चलानेमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अहिंसासे रत्तीभर भी डगमगानेसे स्वाधीनता आन्दोलनको, चाहे वह रियासतोंमें चल रहा हो या सारे भारतमें, हानि ही होगी।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१-१९३९

१. उड़ीसाकी रामपुर रियासतमें ५-१-१९३९ का एक भीड़के द्वारा बजलजेटकी हत्या कर दी गई थी।

३२८. अप्रमाणित खादी-विक्रेता[1]

तमिलनाडुके चरखा-सघके मन्त्रीने हमारे पास एक शिकायत भेजी है, जिसके बारेमे उन्हे चरखा-सघकी केरल-शाखाने लिखा है। शिकायतमे इस बातका निश्चित प्रमाण है कि तिरुपुरके कुछ व्यापारी "शुद्ध खादी" के नामसे कपड़ा वेच रहे है, और चरखा-सघके नामका भी दुरुपयोग कर रहे है। संघके मन्त्रीने हमारे पास दो लेवल भेजे है, जिन्हे ये विक्रेता इस तरह वेचे जानेवाले कपड़ेपर चिपका देते है। इनपर 'एस० मरियासुसाई चेट्टियार, खद्दर स्टोर, तिरुपुर' और 'एम० के० चिदम्बरम् चेट्टियार एण्ड ब्रदर ए० पालानिअप्पा मुदालियर, खद्दर-स्टोर तिरुपुर' और कपड़ेके विवरणके तौरपर 'अ० भा० चरखा-सघ द्वारा प्रमाणित शुद्ध खादी' छपा हुआ है।

एस० मरियासुसाई चेट्टियारको चरखा-सघने खादीका कारोवार करनेका प्रमाणपत्र कभी नही दिया, और ए० पालानिअप्पा मुदालियरका प्रमाणपत्र लगभग चार साल हुए रद कर दिया गया था। ऐसी धोखेबाजीके लिए साधारण भारतीय दण्ड-विधानके तहत निश्चय ही सजा दी जा सकती है। वहरहाल, इन व्यापारियोके लिए तथा जनताके लिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि खादीकी माँगसे इस तरह अनुचित फायदा न उठाया जाये और जिन व्यापारियोको प्रमाणपत्र चरखासंघकी ओरसे नही मिला है, वे ऐसे कारोवारसे अपनेको अलग ही रखे या कम-से-कम छलपूर्वक चरखा संघके नामका दुरुपयोग तो न करे।

वारडोली, ८ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१-१९३९

३२९. सरदार पृथ्वीसिंह[2]

सरदार पृथ्वीसिंहने मुझे पत्र लिखकर वताया है कि वे स्वस्थ है और उनकी आवश्यकताएँ सरकार और मित्र, जैसा भी मौका हो, पूरी कर रहे है। मेरा उनसे वराबर पत्र-व्यवहार होता रहता है। वे बताते है कि वहुत-से मित्र उनसे मिलनेकी इच्छा रखते है। वे चाहते है कि मैं उन सबको धन्यवाद दूँ, पर साथ ही यह भी वता दूँ कि उन्हे उनसे मिलनेके लिए इतनी दूर रावलपिण्डी जानेका कष्ट उठानेकी जरूरत नही है। और यदि वे ऐसा करना चाहे, तो भी [मुलाकातके लिए] तुरन्त

१ और २. ये "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत छपे थे।

कोई दिन निश्चित न होनेपर निराश न हो। मुलाकातके दिन आम तौरपर काफी मुलाकाती उनसे मिलने आते हैं। वे चाहते हैं कि जो भी मित्र उनसे मिलनेकी इच्छा रखते हैं, वे सब मुझसे पत्रव्यवहार करें ताकि मैं उनका मार्गदर्शन कर सकूँ। उनकी यह इच्छा मैं भावी मुलाकातियों तक पहुँचा रहा हूँ और प्यारेलाल, या महादेवको जैसे ही उसको पूरा काम करनेकी अनुमति मिलेगी, खुशीसे इसका प्रवन्ध करेंगे। परन्तु ऐसा केवल कुछ व्यक्तियोंके लिए ही हो सकेगा, क्योंकि अधिकारियोंसे पत्र-व्यवहार किये बिना कुछ सम्भव नहीं होगा। और इस तरह जो व्यक्ति आज मेरी अस्वस्थतामें मेरी सहायता कर रहे हैं, उनपर कामका इतना बोझ पड़ जायेगा कि वे शायद ही वहन कर सकें।

बारडोली, ९ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१-१९३९

३३०. त्रावणकोर

त्रावणकोर से एक ईसाई मित्र लिखते हैं:

त्रावणकोरके ईसाई क्षेत्रोंमें आपके बारेमें यह भारी गलतफहमी है कि आप ईसाइयोंके हितोंके पूर्णतया विरोधी हैं, और यह तबसे पैदा हुई है जबसे आपने महाराजाके नाम लिखे अभ्यावेदन वापस लेनेपर जोर देना शुरू किया है। जनमतका रुझान, जैसाकि बहुत-से मित्रोंने मेरे आगे व्यक्त किया है, कुछ इस प्रकार है:

त्रावणकोरकी महारानी और सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरके प्रभावसे, आपके मनमें यह गलत धारणा बैठ गई है कि त्राणवकोरका वर्तमान आन्दोलन त्रावणकोरके हिन्दुओंपर आधिपत्य जमानेके लिए ईसाइयोंके एक अभियानके सिवा और कुछ नहीं है। त्रावणकोर-आन्दोलनके विरुद्ध आप आज जो-कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे आपके मनकी यही धारणा काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरने मन्दिर-प्रवेशकी सुप्रसिद्ध घोषणा कर पूरे हिन्दू-समाजकी महान सेवा की है, इसलिए उनकी त्रुटियाँ चाहे कैसी भी हों, आप उन्हें हर तरहके लांछन और व्यक्तिगत आरोपसे बचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्यको दृष्टिमें रखते हुए आप राज्य-कांग्रेस पर अपना अभ्यावेदन वापस लेनेके लिए इतना दबाव डाल रहे हैं। अन्यथा, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे आप राजकोटके प्रति एक तरहकी और त्रावणकोरके प्रति दूसरी तरहकी नीति अपनायें। राजकोटके मामलेमें वल्लभभाई पटेल और बहुत-से अन्य लोगोंने दीवानके खिलाफ कितने ही व्यक्तिगत आरोप लगाये थे, और

हाल ही में तो वल्लभभाईने वर्तमान दीवानको हटानेके लिए एक और लड़ाई छेड़ने तककी धमकी दी थी। आप इस सबका समर्थन करते हैं। लेकिन त्रावणकोरके मामलेमें यद्यपि इतनी दूर होनेके कारण आपके लिए यहाँकी परिस्थितिको समझना पूर्णतया असम्भव है, फिर भी आप अभ्यावेदनके प्रश्नपर अपनी शर्तें रख रहे हैं और सरकारके सभी न्यायविरोधी कार्योंपर चुप्पी साधे हुए हैं। अभ्यावेदनको वापस लेनेके बाद भी नेता अभी तक जेलमें हैं, बड़ी संख्यामें बराबर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और यद्यपि आन्दोलन एक तरहसे मर चुका है फिर भी रियासत-भरमें लोगोंको आतंकित किया जा रहा है। आप चुपचाप यह सब देख रहे हैं और एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। त्रावणकोर-सरकारके प्रति आपके पक्षपातका यह एक और प्रमाण है।

इसी तरहके, पर और ज्यादा तीखे शब्दोंवाले दूसरे भी कई पत्र मुझे मिले हैं। इन आरोपोंका यदि मैं उत्तर दूँ तो वातावरण थोड़ा साफ हो सकता है। मेरा अंत करण बिलकुल साफ है। मेरा कहना यह है कि जितनी दिलचस्पी मैंने त्रावणकोर के आन्दोलनमे ली है उतनी किसी और रियासतके आन्दोलनमे नही ली है। और इसका सीधा-सादा कारण यह है कि साबरमती आश्रमके श्री जी० रामचन्द्रनने, जिनकी बुद्धिमत्ता, हिम्मत, लगन और अहिंसापर मेरा बहुत विश्वास है, मुझसे ऐसा करनेके लिए बड़ा आग्रह किया था। मेरी स्वीकृति मिलनेके बाद उन्होंने अपनेको सघर्षमें झोक दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि सभी वर्ग सघर्ष चाहते हैं। उनके कहनेपर ही मैंने राजकुमारी अमृत कौरसे त्रावणकोर जाने और जो-कुछ बातचीतसे सम्भव हो, वह सब करनेकी प्रार्थना की थी।

उत्तरदायी सरकारके लिए चल रहे संघर्ष को दीवान के खिलाफ आरोपोंसे जोड़ा जाये, मैं इस बातके विरुद्ध रहा हूँ। लेकिन, साथ ही, मैं इसपर भी जोर देता आया हूँ कि अगर नेताओ को मेरी सलाह माकूल न लगे तो उन्हें आरोप वापस लेनेकी जरूरत नही है, क्योंकि जन-साधारणने यदि विरोध किया तो उसका वार तो आखिर उन्हीको झेलना पड़ेगा। और वे यदि अपनी बात दृढ़ विश्वासके साथ नही रख सके, तो ऐसा नही कर सकेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि वे बर्खास्तगीको ही एकमात्र सवाल बना ले तो इन आरोपोपर डटे रहना और आगेकी कार्रवाई करना न्यायोचित होगा। परन्तु यदि उनका जोर उत्तरदायी सरकार पर है, तो इन आरोपोंको लेकर कोई कार्रवाई करनेका कोई अर्थ नही है। इससे देशका ध्यान बँटेगा और यदि अभियोग चला तो उन्हे अपना समय और साधन आरोपोंको सिद्ध करनेमें ही लगाने होंगे। दूसरी ओर, यदि वे उत्तरदायी सरकार प्राप्त कर लेते है, जो कि एकता तथा अहिंसा और सत्यमे दृढ़ आस्था होनेसे वे अवश्य प्राप्त कर लेंगे, तो उनका वर्तमान और भावी सभी दीवानोंपर नियन्त्रण कायम हो जायेगा। अतः आरोप इसी-लिए वापस लिये गये कि आरोप वापस लेनेकी सलाह नेताओंको पूरी तरह जँच गई थी। अभी-अभी मुझे कार्यवाहक प्रधानका जो व्यक्तव्य मिला है, उससे भी मुझे यही पता चलता है।

राजकोटके साथ इस मानलेकी तुलना अनभिज्ञताकी द्योतक है। वहाँ मैंने आदोलनका कभी भी मार्गदर्शन नही किया। मेरे मार्गदर्शनका अवसर ही नही था। सरदारको उसकी जरूरत नही थी। यदि उन्हे जरूरत होती तो वह उनके लिए सदा उपस्थित था। दीवानकी बर्खास्तगीका वहाँ कोई सवाल नही था। यदि लडाई उत्तरदायी सरकारके लिए होती, तो सरदार आरोपोके साथ कोई भी सरोकार रखनेसे दृढतापूर्वक इनकार कर देते। यह ठीक है कि उन्होने सघर्षका विरोध करनेवाले सभी तरहके लोगोकी भर्त्सना की थी, पर वह किसी अधिकारीकी बर्खास्तगीको सघर्षका आधार बनानेसे बिलकुल जुदा चीज थी।

त्रावणकोरके सघर्षमे मेरे मार्गदर्शनकी कभी कमी नही रही। परन्तु आलोचकोंको यह समझ लेना चाहिए कि मै इस सघर्षका संचालन नही कर रहा हूँ। मुझसे जब सलाह माँगी जाती है तो मै दे देता हूँ। मेरी सारी सलाह और मेरे सारे कामको सर्वसाधारणके आगे रखनेकी न तो जरूरत है और न वैसा सम्भव ही है। मेरा ज्यादातर काम पर्देके पीछे है। वह गुप्त नही है। मेरे पास छिपानेको कुछ नही है। परन्तु बहुतसे काम, अपने ध्येयके हितको दृष्टिमें रखते हुए, चुपचाप करने होते है, गुप्त रूपसे भी (इन शब्दोके सही अर्थोमे) करने होते है।

अतमे मेरे आलोचकोको यह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान दीवान अपने पदपर कायम रहें इसमे मेरी कोई दिलचस्पी नही है। दीवानके साथ यदि मेरा पत्र-व्यवहार रहा है तो वह केवल ध्येयके लिए रहा है, जिसमें न्यायके लिए वकालत की गई है। जहाँ तक महारानीका सवाल है, पूरे सघर्षमं उनके साथ मेरा कोई पत्र-व्यवहार नही हुआ है। मेरा यह कहना है कि मै पक्षपातसे अलग हूँ और सदा रहा हूँ। ईसाइयो और गैर-ईसाइयोमे, राजनैतिक दृष्टिसे, मै कोई भेद नही मानता। धर्मकी दृष्टिसे जरूर मानता हूँ, और उसमे भी मै ईसाई धर्म और अन्य धर्मोका उतना ही आदर करता हूँ जितना कि अपने धर्मका।

बारडोली, ९ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१-१९३९

३३१. जमनालालजी पर प्रतिबन्ध

जमनालालजी पर जो प्रतिवन्ध लगाया गया है, वह वड़ा अजीव है। उन्हें मिला हुक्म इस प्रकार है:

वर्धा (मध्यप्रान्त) के सेठ जमनालाल बजाज,

चूँकि जयपुर सरकारको यह मालूम हुआ है कि जयपुर-राज्यमें आपकी मौजूदगी और हलचलोंसे अमनमें खलल पड़नेकी सम्भावना है, लिहाजा सार्वजनिक हित और सार्वजनिक शान्ति वनाये रखनेके लिए जयपुर-राज्यके अन्दर आपके प्रवेशकी मनाही करना आवश्यक मालूम पड़ता है।

इसलिए आपको चाहिए कि जब तक कोई और हुक्म न मिले, आप जयपुर-राज्यमें न आयें।

बहुक्म, प्रशासन परिषद्
(ह०) एम० अलताफ ए० खेरी
सचिव, प्रशासन परिषद्, जयपुर

दरअसल जमनालालजी ऐसे आदमी हैं जिनकी उपस्थितिसे कहीं कोई खतरा होनेकी संभावना नहीं हो सकती। लोग हमेशा उन्हें शान्ति करानेवालेके रूपमें ही जानते रहे हैं। सरकारी अधिकारियोंके साथ उनके सम्वन्ध वहुत ही अच्छे रहे हैं। उनके गुणोंकी कद्र भी इतनी हुई है कि १९१६ या उसके आसपास उन्हें रायवहादुरका खिताव दिया गया, जिसे असहयोगके दिनोंमें उन्होंने छोड़ दिया। व्यापारकी दुनियामें वे एक वहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वहुत वड़े व्यापारी होनेके अलावा, वैंकर भी हैं। यों तो वे वड़े उत्साही कांग्रेसी हैं, मगर 'आन्दोलनकारी' के रूपमें वे कभी प्रसिद्ध नहीं रहे। हाँ, रचनात्मक कार्य और समाज-सुधारमें वे सवसे आगे हैं। यह जरूर सच है कि अपनी अन्तरात्माके अनुसार चलनेका उनमें साहस है और उसके लिए वे कई वार अपने सर्वस्वकी भी वाजी लगा चुके हैं। जेलसे वे कभी नहीं डरते। जमनालालजी पर तामील किये गये हुक्ममें जो-कुछ कहा गया है, स्पष्टतः वह गलत है और उनपर विलकुल लागू नहीं होता। शायद यह कहा जाये कि हुक्मकी शब्दावली तो सिर्फ औपचारिकताके लिए है, क्योंकि विना उसके कानूनन उनपर ऐसा हुक्म तामील नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है, तो इससे निश्चित रूपसे ही सिद्ध होता है कि यह कानून जमनालालजी-जैसे लोगोंपर लागू करनेकी मन्शासे हरगिज नहीं वना था। जमनालालजी-जैसे व्यक्तिको जयपुर या देशके किसी अन्य भागमें न आने देनेके लिए इसका प्रयोग तो कानूनका विलकुल स्पष्ट दुरुपयोग है।

और इसमे भी मजेदार वात वह है कि जमनालालजीको 'वर्धा निवासी' कहा गया है। वे दरअसल तो जयपुर राज्यके ही निवासी है, वहाँ उनकी जायदाद हैं और वहाँ उनके अनेक सगे-सम्बन्धी रहते हैं।

ऐसे हुक्मके आगे मेरी ही सलाहपर जमनालालजीने सिर झुकाया है। ऐसी अफवाह थी कि अगर उन्होने जयपुरमे दाखिल होनेकी कोशिश की, तो शायद उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इसलिए उन्होंने मुझसे सलाह ली कि अगर इस तरहका हुक्म उनपर तामील हो तो उनका क्या कर्तव्य होगा। जयपुरके उनके साथी कार्यकर्ताओका यह मत था कि ऐसा कोई आदेश हो तो वे वही फौरन उसे भंग करे। लेकिन मेरा मत इससे भिन्न था, और अपनी रायपर पछतानेकी मुझे कोई वजह मालूम नही पड़ती। मैने अपने मनमे सोचा कि ऐसा हुक्म देना तो पागलपन होगा और जो पागल है उनकी वातो पर ज्यादा ध्यान नही देना चाहिए, बल्कि उन्हे शान्त होनेका मौका देना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि गिरफ्तारीके खयालसे वडी-वडी तैयारियाँ की गई थी। अत जो लोग गिरफ्तार करनेके लिए आये थे, उन्हे अपना शिकार न पाकर एक तरहकी निराशा जरूर हुई होगी।

इन्तजार करनेमे और अधिकारियोको यह समझानेकी कोशिश करनेमे[1] कि उन्होने जल्दवाजी की है और गलत काम किया है, जमनालालजीका कोई नुकसान नही हुआ है। जयपुरकी प्रजा और एक जिम्मेदार आदमी होनेके नाते, शायद यह उनका फर्ज ही था कि वे अधिकारियोको अपने निश्चयपर फिरसे विचार करनेका मौका दे। फिर भी वे ध्यान न दे और जमनालालजी यह आदेश भग करनेका निश्चय करे, जैसाकि उन्हे करना ही होगा, तो वह ऐसा और भी ज्यादा नैतिक शक्ति और प्रतिष्ठाके साथ करेगे। और अहिसात्मक कार्यमे तो नैतिक शक्ति ही महत्वपूर्ण है।

यह स्मरण रहे कि महाराजा तो अपने मन्त्रियोके हाथोकी कठपुतली मात्र है, और वे सव वाहरी आदमी है, बल्कि उनमे से कुछ तो अग्रेज है। वहाँकी प्रजा, अथवा वहाँके प्रदेशके वारेमे वे कुछ नही जानते। वे तो एक तरहसे उनपर जवर्दस्ती थोपे गये है। जयपुरके स्थानीय लोगोको राजकाजके लिए अयोग्य माना जाता है, हालांकि विदेशियोके आनेसे पहले भी, किसी-न-किसी रूपमे, जयपुर राज्यका काम चल ही रहा था। पिछले सप्ताह मुझे वताना पड़ा था कि अपने बहुत सक्षिप्त कार्यकालमे राजकोटमे अग्रेज दीवानने अपने-आपको कितना अयोग्य सिद्ध किया था। इसमे कोई शक नही कि जयपुर परिषद्का, जिसमे बाहरी आदमी ही भरे हुए है, कम-से-कम यह कृत्य उसकी गैर-जिम्मेदारी और अयोग्यताका एक दु खद प्रदर्शन है। एक आदमीका निर्वासन, फिर वह आदमी चाहे कितना ही वडा क्यो न हो, नगण्य-सी बात मालूम पड़ सकती है। लेकिन आगेकी घटनाओसे यह कार्रवाई मूर्खतापूर्ण और महँगी सिद्ध हो सकती है। पाठकोको शायद यह पता न हो कि जयपुरमे प्रजामण्डल भी है, जो पिछले छ. सालसे जमनालालजीकी प्रेरणासे काम कर रहा है। इस समय जमनालालजी ही उसके अध्यक्ष है। मण्डल एक शक्तिशाली

१. देखिए "जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा", पृ० ३११-३।

संस्था है, जिसके सदस्य जिम्मेदार आदमी हैं, और उसने काफी रचनात्मक कार्य किया है। अगर यह प्रतिबन्ध न उठा, तो मण्डलको भी अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा क्योंकि यह प्रतिबन्ध, ऐसा कहा जाता है, मण्डलके रचनात्मक और वैध कार्योंको रोकनेकी पेशबन्दी भी है। अधिकारी ऐसी संस्थाके बढ़ते हुए प्रभावको बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका उद्देश्य महाराजाकी छत्रच्छायामें जयपुरमें उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है, फिर उसके साधन चाहे कितने ही खरे क्यों न हों। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिन संस्थाओंकी किसी भी रूपमें कोई राजनीतिक आकांक्षा है, उनकी हलचलोंको रोकनेकी क्रूर नीतिकी यह पेशबन्दी है। और अफवाह तो यह भी है कि राजपूतानेकी सभी रियासतों द्वारा ग्रहण की जानेवाली यह एक संयुक्त नीति है। यह नीति सिर्फ जयपुरकी ही हो या अन्य सभी रियासतोंकी भी हो, वह काफी अनिष्टकारी है और जमनालालजी तथा जयपुरकी जनताके लिए अपनी पूरी शक्तिके साथ इसका प्रतिरोध करना आवश्यक है। यह जरूर है कि वह प्रतिरोध कांग्रेसके सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तके अनुरूप होना चाहिए।

बारडोली, ९ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१-१९३९

३३२. तार: अकबर हैदरीको[1]

बारडोली
९ जनवरी, १९३९

सर अकबर हैदरी
हैदराबाद, दक्षिण

तारके लिए, जिसमें कुछ रिहाइयोंकी सूचना दी गई है, धन्यवाद। पत्र अभी नहीं मिला।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९४) से; सौजन्य: आन्ध्र प्रदेश सरकार।

१. इस तारकी फोटो-नकल १९६९-७० में नई दिल्ली में आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनी में दिखाई गई थी।

३३३. पत्र : जमनालाल बजाजको

[९ जनवरी, १९३९][1]

चि० जमनालाल,

घ० का तार मिल गया है।[2] वे राजी हो गये हैं। पत्र रजिस्टर्ड डाकसे भेज दिया गया।[3]

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९९९) से।

३३४. औंधका संविधान[4]

औंध-राज्यके लिए जो नया संविधान हालमें बनाया गया है उसमें कितनी ही चौंका देनेवाली चीजें हैं। पर यहाँ तो मैं मताधिकारके लिए अयोग्यताएँ और न्यायालय, इन दो विषयोंके बारेमें ही लिखना चाहता हूँ।

अब तक मैं यह मानता और कहता आया हूँ कि हरएक वयस्क आदमीको — फिर वह निरक्षर हो या साक्षर — मत देनेका अधिकार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस-विधानको जिस तरह अमलमें लाया जा रहा है उसको देखकर मेरी राय बदल गई है। अब मैं यह मानने लगा हूँ कि मताधिकारके लिए अक्षरज्ञानका होना आवश्यक है। इसके दो कारण हैं। मत एक खास अधिकार माना जाना चाहिए, और इस कारण उसके लिए कुछ योग्यता भी आवश्यक समझी जानी चाहिए। सबसे सरल और सीधी योग्यता साक्षरताकी — लिखना, पढना आ जानेकी — है। और साक्षरतापर आधारित मताधिकारके प्रयोगसे बना हुआ मन्त्रि-मण्डल यदि मताधिकारसे वंचित निरक्षर प्रजाजनोंके हितकी चिन्ता रखनेवाला होगा, तो इस वांछित अक्षरज्ञानका प्रसार तो देखते-देखते हो जायेगा। औंधके संविधानमें प्राथमिक शिक्षाको निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया है। श्रीमन्त अप्पा-साहबने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे इस बातकी कोशिश करेंगे कि औंध-राज्यमें छह महीनेके अन्दर निरक्षरता समाप्त हो जाये। इसलिए मुझे आशा है कि मताधिकारके

१. तारीख गांधीजीके हाथ की नहीं, किसी औरके हाथ की लिखी है।

२. देखिए "तार: घनश्यामदास बिड़लाको", पृ० ३१०।

३. आशय अनुमानतः कौंसिल ऑफ स्टेट, जयपुरके अध्यक्षको लिखे पत्रसे है; देखिए "जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा", पृ० ३११-३।

४. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत छपा था।

लिए अक्षरज्ञानकी जो योग्यता निश्चित की गई है, उसका औंध-राज्यमें कोई विरोध नहीं होगा।

प्रचलित प्रथामें दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि निम्न श्रेणीकी अदालतमें न्यायप्रणालीको मुफ्त और बहुत सादा बना दिया गया है। लेकिन आलोचक न्यायके मुफ्त और सादा होनेसे तो नहीं, पर एक दूसरी बातसे शायद नाराज होंगे। वह यह कि बीचकी तमाम अदालतोंको उड़ा दिया गया है, और विवादियों तथा अभियुक्तोंका भाग्य मात्र उच्च न्यायालयके हाथमें सौंप दिया गया है और उसमें एक ही न्यायाधीश है। पौन लाखकी जनसंख्यामें बहुत-से न्यायाधीशोंका होना अनावश्यक है और अशक्य भी है। और अगर योग्य मनुष्यको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाये, तो यह सम्भव है कि वह बड़ी-बड़ी तनख्वाहवाले न्यायाधीशोंकी न्यायापीठ जितना ही शुद्ध न्याय दे सके। न्यायका स्वरूप इतना सादा कर देनेमें कल्पना यह रही है कि अदालतोंकी बोझिल और लम्बी-चौड़ी कार्य-विधि समाप्त कर दी जाये, और कानूनोंके बड़े-बड़े पोथे और ब्रिटिश अदालतोंमें काममें आनेवाली रिपोर्टोंका उपयोग भी खत्म कर दिया जाये।

बारडोली, १० जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१-१९३९

३३५. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

बारडोली

[११ जनवरी, १९३९][1]

चि० काका,

तीन दिनका मौन चल रहा है, इसलिए पत्रोंके उत्तर दे पा रहा हूँ।

संजीव कामतके सम्बन्धमें जो चाहिए उसे इस पत्रके साथ रख रहा हूँ।

शंकरका पत्र तुम्हारे देखनेके लिए है। उसे फिर लिखना। मैंने नानावटीको पत्र लिख दिया है। अधिक विचार करनेके बाद मैंने उसे यह सुझाव दिया है कि रात सेगाँवमें बिताये और दिन तुम्हारे पास। लेकिन अगर सफरमें भी उसकी जरूरत हो, तो भले वह बराबर तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी जरूरत पूरी करना मुझे अधिक महत्वका काम मालूम होता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे वहाँ आनेमें अभी और समय लगेगा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१७) से।

१. तारीख किसी औरके हाथकी लिखी है।

३३६. पुर्जा : वल्लभभाई पटेलको

वारडोली
११ जनवरी, १९३९

मेरा सदासे यह निश्चित मत रहा है (और इस समय भी यह मेरे मनपर हावी है) कि प्रत्येक प्रान्तमे एक-दो चुने हुए नेताओके सिवाय वाकी सव कार्यकर्ताओ को चुप रहना चाहिए। और यदि यह सभव न हो तो उन्हे सभाओमें पहलेसे अच्छी तरह सोचे हुए, सक्षिप्त, सादे, लिखे हुए भाषण पढ देने चाहिए। सवको याद रखना चाहिए कि अव लोगोके हाथ अधिकाधिक सत्ता आती जा रही है। ऐसी स्थितिमे लोकनायकोके मुँहसे ऐसा एक भी शब्द नही निकलना चाहिए जिसपर पहलेसे विचार न कर लिया गया हो।

[गुजरातीसे]
वापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३२

३३७. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

वारडोली
१२ जनवरी, १९३९

चि० काका,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र पढा। क्या मेरी नीति वदल गई है? कलकत्तेमें जो हुआ सो हुआ। हमे इस कक्षासे हाथ खीच लेना चाहिए। वामनचन्दका वेतन तो वह आज देगा न? अभी नई कक्षा न खोलना ही शायद वेहतर होगा। मैं आऊँगा, तव इस वातकी चर्चा करेंगे। मुझे डर है, हम लोग कही आपसमें ही न लड़ने लगे।

कलका मेरा पत्र[1] मिला होगा।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

साथका पत्र श्रीमनके लिए है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१८) से।

१. देखिए पृ० ३२४।

३३८. पत्र : कृष्णचन्द्रको

वारडोली
१२ जनवरी, १९३९

चि० कृष्णचंद्र,

मेरे पास एक भी मिनिट नहीं रहती। यह भी कष्टसे लिख रहा हूँ।

ब्रह्मचर्यके लिये बलवान साधन चित्त शुद्धि है। उसमें बाह्य साधन कुछ अंश तक सहायक होते हैं।

प्रार्थना अनजान पनमें भी चलती है उसका मतलब यह है कि जब मनुष्य उसीमें रत रहता है तो उसे पता नहीं है कि वह प्रार्थना करता है। जैसे घाढ़ निशमें सोता हूआ मनुष्यको निद्राका पता नहीं रहता है। रामनामका विस्तृत अर्थ यह कृष्ण नाम भी आया, चर्खा चलाना भी रामनाम हो सकता है: आज तो इतना ही।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३०९) से। एस० जी० ७२ से भी।

३३९. बातचीत: तोयोहिको कागावाके साथ[1]

[१४ जनवरी, १९३९][2]

अब गांधीजीसे उनकी बातचीतको लेते हैं।

आपकी ख्याति यहाँ आपसे पहले ही पहुँच चुकी है, डॉ० कागावा।

इन शब्दोंके साथ गांधीजी डॉ० कागावाके अभिनन्दनके लिए उठे। . . . प्रारम्भिक प्रश्न दक्षिण भारतके सूखे, अकालों और सहकारी आन्दोलनके बारेमें थे। [उन्होंने पूछा:] क्या यह आन्दोलन भारतमें फूल-फल रहा है?

गांधीजी: फूल-फल रहा है, यह तो मैं नहीं कह सकता। जैसे-तैसे चल रहा है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह भीतरसे नहीं उठा, बल्कि

१. महादेव देसाई लिखित "डॉ० कागावाज विज़िट" से उद्धृत। कागावा एक जापानी समाज-सुधारक, इवेंजेलिस्ट और लेखक थे और ताम्बरम् सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए भारत आये थे।

२. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

लोगोपर ऊपरसे थोपा गया। इसकी व्यवस्था एक घिसे-पिटे नमूनेपर की गई है, इसलिए इसमें समयकी आवश्यकताओंके अनुरूप विकासकी गुंजाइश नहीं है। पर आपके यहाँ, मुझे मालूम है, एक बृहत् सहकारी आन्दोलन है।

कागावा : हाँ, वह दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादकोंकी ही ३,५०,००० सहकारी समितियाँ हैं जो खुद उन्हींके द्वारा संगठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सहकारी समितियाँ हैं, फसल-बीमा सहकारी समितियाँ हैं और गोदामोंमें माल का संग्रह करनेवाली सहकारी समितियाँ हैं।

गा० युद्धके बारेमें जापानमें लोगोंकी भावनाएँ क्या हैं?

का० : मेरी स्थिति तो जापानमें एक विधर्मीकी-सी है। अपने विचार व्यक्त करनेकी बजाय, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि यदि आप मेरी स्थितिमें हों तो क्या करेंगे।

गां० : अपने विचार व्यक्त करना मेरी धृष्टता होगी।

का० : नहीं, मैं यह जाननेको बहुत उत्सुक हूँ कि आप क्या करेंगे।

गा० मैं अपने ऊपर सिद्धान्तोंकी घोषणा करूँगा और गोलीका शिकार हो जाऊँगा। मैं सहकारी समितियों और आपके सारे कामको एक पलड़ेमें रखूँगा, और आपके राष्ट्रके सम्मानको दूसरेमें। और यदि आपको लगे कि राष्ट्रका सम्मान बेचा जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जापानके विरुद्ध अपने विचारोंकी घोषणा कीजिए और ऐसा करके अपनी मृत्यु द्वारा जापानको जीवित रखिए। परन्तु इसके लिए आन्तरिक विश्वास आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम कि यदि मैं आपकी स्थितिमें होता तो जो-कुछ मैंने कहा है, वह सब कर सकता या नहीं, पर क्योंकि आपने मेरी राय माँगी है इसलिए वह तो मुझे देनी ही है।

का० : विश्वास तो है। परन्तु मित्र मुझसे रुकनेको कह रहे हैं।

गा० आपके अन्दरका मित्र जब कहता है, "यह करो", तो उन मित्रोंकी बात मत सुनो। मित्र, चाहे कितने ही अच्छे हों, कभी-कभी हमें धोखा दे सकते हैं। उनका तर्क अन्यथा हो ही नहीं सकता। वे तो आपसे जीवित रहने और अपना काम करनेको ही कहेंगे। मैंने जब जेल जानेका फैसला किया तो मुझसे यही अनुरोध किया गया था। परन्तु मैंने मित्रोंकी बात नहीं सुनी, जिसका फल यह हुआ कि जेलकी ठोस चारदीवारीमें बंद हो जानेपर मुझे स्वतन्त्रताका आलोक मिला। मैं एक अँधेरी कोठरीमें था, पर यह महसूस करता था कि उन दीवारोंके अन्दरसे मैं सब-कुछ देख सकता हूँ, जबकि बाहर रहकर कुछ नहीं देख सकता था।

का० : क्या आपके यहाँ भारतमें कुछ सिंचाई सहकारी समितियाँ हैं?

गा० मेरे खयालसे नहीं हैं। निस्सन्देह आपके यहाँ ये सब चीजें हैं। आपने शानदार काम किये हैं, और हमें आपसे बहुत-सी बातें सीखनी हैं। परन्तु चीनको जिन्दा निगलना, उसे मादक विषसे मूर्च्छित करना और कितनी ही अन्य भयानक बातोंको, जो पंडित जवाहरलाल द्वारा दी गई एक पुस्तक 'व्हाट वार मीन्स' में मैंने

पढ़ी है, हम कैसे समझें। ये सब अत्याचार आप कैसे कर सके? और आपके महाकवि इसे मानवताका युद्ध और चीनके लिए एक वरदान कहते हैं!

डॉ० कागावा धर्मोंके अध्येता हैं। वे यह जानना चाहते थे कि गांधीजीकी अहिंसाकी शिक्षाका 'भगवद्गीता' से कैसे मेल बैठता है। गांधीजी ने कहा कि इसपर इतने थोड़े समयमें कोई चर्चा नहीं हो सकती, पर मैं कहूँगा कि आप 'गीता' पर मेरी भूमिका पढ़ें, जहाँ मैंने इस प्रश्नका उत्तर दिया है। वह उत्तर मुझे अपने अनुभवमें से ही मिला था और वह व्याख्या मेरे खयालसे जरा भी बनावटी नहीं है।

का० : मैंने सुना है आप 'भगवद्गीता' का प्रतिदिन पाठ करते हैं?

गां० : हाँ, हम एक सप्ताहमें पूरी 'गीता' का पाठ कर लेते हैं और हर सप्ताह करते हैं।

का० : परन्तु 'गीता' के अंतमें कृष्ण हिंसाका उपदेश देते हैं।

गां० : मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भी लड़ रहा हूँ। यदि मैं हिंसात्मक ढंगसे लड़ता तो प्रभावशाली ढंगसे नहीं लड़ सकता था। 'गीता' का संदेश 'गीता' के दूसरे अध्यायमें मिलता है जहाँ कृष्ण स्थितप्रज्ञता और समत्वकी बात करते हैं। 'गीता' के दूसरे अध्यायके अन्तिम १९ श्लोकोंमें कृष्ण यह समझाते हैं कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। वे हमें बताते हैं कि यह अपने समस्त विकारोंको नष्ट करके प्राप्त की जा सकती है। अपने समस्त विकारोंको नष्ट कर देनेके बाद आपके लिए अपने भाईको कत्ल करना सम्भव ही नहीं है। जिसमें कामनाएँ नष्ट हो गई हैं, जो सुख और दुःखके प्रति उदासीन है, जो उन तूफानोंमें भी अक्षुब्ध रहता है जो मरणशील मानवको उद्विग्न कर देते हैं — ऐसा कोई आदमी हत्या करे, तो उस आदमीको मैं देखना चाहूँगा। यह सारी बात ऐसी भाषामें समझाई गई है जिसका सौन्दर्य अनुपम है। ये श्लोक यह दिखाते हैं कि कृष्ण जिस युद्धकी बात कर रहे हैं, वह आध्यात्मिक युद्ध है।

का० : परन्तु तब वास्तविक लड़ाई हो रही थी। आपकी यह व्याख्या आपकी अपनी विशिष्ट व्याख्या है।

गां० : यह मेरी हो सकती है, पर मेरी व्याख्याके रूपमें तो इसका कोई मूल्य नहीं है।

का० : साधारण बुद्धिको तो ऐसा ही लगता है कि वह वास्तविक लड़ाई थी।

गां० : उस सबको आप शान्तचित्त होकर उसके सही सन्दर्भमें पढ़ें। युद्धका एक बार उल्लेख होनेके बाद फिर कोई उल्लेख नहीं है। शेष तो आध्यात्मिक उपदेश है।

का० : क्या किसीने उसकी आपकी तरह व्याख्या की है?

गां० : हाँ। वहाँ युद्धका उल्लेख जरूर है, पर वह युद्ध अन्दर चल रहा है। पाण्डव और कौरव सत और असतकी आन्तरिक शक्तियाँ हैं। वह युद्ध मानव-हृदयमें चलनेवाला देवों और असुरोंका युद्ध है, ईश्वर और शैतानका युद्ध है। इस व्याख्याके

पक्षमे आन्तरिक प्रमाण स्वय उस रचनामें है और महाभारतमे है जिसका कि 'गीता' एक लघु अश है। यह दो परिवारोके आपसी युद्धका इतिहास नही है, बल्कि मनुष्यका इतिहास है — मनुष्यके आध्यात्मिक सघर्षका इतिहास है। अपनी व्याख्याके लिए मेरे पास ठोस कारण है।

का० : इसीलिए मै कहता हूँ कि यह आपकी व्याख्या है।

गा० पर उससे कुछ नही होता। प्रश्न यह है कि यह व्याख्या युक्तियुक्त है या नही, यह बुद्धिको जंचती है या नही। यदि ऐसा है, तो इससे कोई फर्क नही पडता कि यह मेरी है या किसी क ख ग की है। यदि ऐसा नही है, तो मेरी होनेपर भी इसका कोई मूल्य नही है।

का० : मुझे तो अर्जुनके विचार अद्भुत लगते है। कृष्णने उसके लिए कुछ बहाना ढूंढ लिया है, और ईसाई धर्म से पहले यह स्वाभाविक और आवश्यक था।

गा० यह व्याख्या तो ऐतिहासिक दृष्टिसे भी गलत है। बुद्ध ईसाके कालसे बहुत पहले मौजूद थे, और उन्होने अहिंसाका उपदेश दिया था।

का० : परन्तु अर्जुनके विचार मुझे कृष्णके विचारोंसे अच्छे लगते है।

गा० तो आपके अनुसार, शिष्य गुरुसे बडा था!

का० : परन्तु आप जो कहते है मै उससे, अहिंसाकी आपकी शिक्षासे सहमत हूँ। आपकी व्याख्याको ध्यानमें रखते हुए मै 'गीता'को फिर पढूँगा। . . .

डॉ० कागावा फिर अपने कृषि और सहकारिताके विषय पर आ गये जिसका उन्होंने बहुत ही सावधानीसे अध्ययन किया है। वे बोले, "आपके यहाँ हर दस सालमें एक बार अकाल पड़ जाता है।"

गा० हमारे यहाँ वह हर साल पडता है, अकाल हमारा स्थायी मित्र है।

का० : तब आपको ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ईंधन और मवेशियोंके चारेके लिए और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चावल और जौ ही काफी नहीं है, आपको प्रोटीनवाले पेड़ोंकी ज्यादा जरूरत है।

गा० नही, हमे शासन-प्रणालीमे परिवर्तनकी जरूरत है!

यह बड़े खेदकी बात थी कि डॉ० कागावाको उसी दिन शामको बम्बई जाना था। . . . अपने सहकारिताके कार्यक्रमपर विस्तारसे विचार-विमर्श करनेके लिए ही क्यो न हो, वे भारतके प्रमुख व्यक्तियोके पास शायद और ज्यादा दिन ठहर सकते थे। पर गांधीजीने उनसे जो अपीलकी वह एक और ही आधारपर थी।

गा० शातिनिकेतनको देखे बिना आप भारतमे कैसे जा सकते है?

का० : मैने कविवरकी कविताएँ पढ़ी है और मुझे वे प्रिय है।

गा० परन्तु आपको कविवरसे प्रेम करना है।

का० : यदि मै 'गीतांजलि' का प्रतिदिन पाठ कर सकूँ तो मै कविवरको प्रतिदिन देख सकता हूँ, और मुझे क्या उनसे प्रेम नहीं है? शायद वे अपनी कविताओंसे अधिक महान है।

गा० कभी-कभी सचाई इससे उल्टी होती है। पर कविवरका जहाँ तक सवाल है, वे अपनी महान कविताओंसे कहीं ज्यादा महान है। अब, एक प्रश्न और। अपने कार्यक्रम मे क्या आपने पाडिचेरीको भी रखा है? यदि आप आधुनिक भारतका अध्ययन करना चाहते है, तो आपको शांतिनिकेतन और अरविन्द घोषका आश्रम दोनों देखने चाहिए। पता नही आपकी इस यात्राके सलाहकार कौन है। काश कि इस मामलेमें आपने मुझे अपना सलाहकार बनाया होता।

का० : नहीं, आप तो जीवनके एक अच्छे मार्गदर्शक है।

डॉ० कागावाने गांधीजीसे पूछा कि वे और कौन-सी पुस्तकें नित्य पढ़ते है। गांधीजीने 'रामायण' का उल्लेख किया और कहा कि ऐसा माना जाता है कि उसमें काफी युद्ध और रक्तपात आदि है "पर मेरे लिए नहीं है।" डॉ० कागावाने कहा कि सीताकी कथाके कारण, जो पवित्रताका आदर्श है, वह मुझे भी प्रिय है।

गा० . पर उस अनुपम काव्यमें और भी सुन्दर चीजें है। मैंने मूल नही पढ़ी है जो महान है। परन्तु जो हिन्दीमें है वह एक महान भक्तकी रचना है और वह भारतके जन-साधारणका धर्मग्रंथ है। उत्तर भारतमें तुलसीकृत रामायण चार सौ सालोंसे हजारों परिवारोंके लिए प्रेरणाका स्रोत रही है।

डॉ० कागावाने शंकराचार्य और रामानुजकी चर्चा की और गांधीजीने शंकराचार्यके प्रति, उनकी सीधी और गजबकी तार्किक पद्धतिके प्रति अपना विशेष अनुराग व्यक्त किया। परन्तु गांधीजी फिर उनके यात्रा-कार्यक्रमकी बातपर आ गये और उन्होंने इस बातपर बड़ा अफसोस प्रकट किया कि रेवरेंड हॉजने, जिनकी कार्यक्रम बनानेकी जिम्मेदारी रही है, उनके (गांधीजीके) प्रति पक्षपातके कारण, बारडोलीको तो उसमें शामिल कर लिया पर शांतिनिकेतनको नहीं किया! [उन्होंने कहा:]

आप कलकत्ता जा रहे है और शांतिनिकेतन नही जा रहे! यह बड़े अफसोसकी बात है। आप कहते है कि मैं गोसाबा जा रहा हूँ। देखिए, गोसाबा, गोसाबा है, पर शांतिनिकेतन भारत है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-१-१९३९

३४०. जयपुर

मालूम होता है कि जयपुरके अधिकारी उस समय तक खुश न होंगे, जब तक कि वे जयपुरके देशभक्तोंके होसहवास अच्छी तरह दुरुस्त न कर देंगे। अब उन्होंने जयपुर राज्य प्रजामण्डलको, जिसके कि अध्यक्ष जमनालालजी है, गैरकानूनी घोषित कर दिया है। जमनालालजीने राज्य परिषद्के अध्यक्षके नाम अपना पत्र[1] प्रकाशित कर दिया है। यह पत्र इसी अंकमें अन्यत्र मिलेगा। उम्मीद थी कि वह पत्र अधिकारियोंको अपना हुक्म वापस लेनेकी प्रेरणा देगा। मगर जयपुर परिषद्, जिसके बारेमें भूलसे पिछले सप्ताह मैंने यह लिखा था[2] कि उसमें सब बाहरके ही आदमी है, मगर अब मुझे मालूम हुआ है कि उसके चार सदस्य राज्यके ही है, इस बातपर आमादा लगती है कि उन सब कार्योंका अस्तित्व ही मिटा दिया जाये, जिनसे जमनालालजी और उनके सहयोगियोंका सम्बन्ध है, फिर वे कार्य चाहे सामाजिक हों, या मानव-सेवाके अथवा कोई और।

अधिकारियोंका ऐसे लोगोंसे जिनको वे पसन्द नहीं करते, पेश आनेका यह एक नया तरीका है। मैं केवल यह आशा ही कर सकता हूं कि जयपुरके अधिकारी अखिल भारतीय संकट उत्पन्न करनेसे बाज आयेंगे। ऐसे तीन कारण हैं जिनसे जयपुरका सवाल वैसा रूप धारण कर सकता है। जमनालालजी खुद ही एक संस्था हैं। उसके अलावा वे कांग्रेसके कोषाध्यक्ष और उसकी कार्य-समितिके सदस्य भी है। जयपुरमें जो तरीका अपनाया जा रहा है, वह इतना भीषण है कि पूरी शक्तिके साथ उसका मुकाबला करना ही चाहिए। उसका मुकाबला यदि नहीं किया गया तो रियासतोंमें होनेवाली ऐसी हरेक हलचलका, जिसका प्रजाकी न्यायोचित राजनीतिक आकांक्षाओंसे जरा भी सम्बन्ध हो, सर्वथा अन्त हो जायेगा।

जयपुरके बारेमें विचित्र बात यह है कि वहां असली शासन महाराजाका नहीं बल्कि एक ऊंचे अंग्रेज अधिकारीका[3] है। क्या इसका मतलब यह है कि वे केन्द्रीय सत्ताकी इच्छानुसार चलते हैं? अगर ऐसा है, तो हालकी घोषणाओंका क्या हुआ? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई अंग्रेज दीवान ऐसी नीतियाँ शुरू कर सकता है, जो अन्तमें खुद राज्यके लिए विनाशक हों? मैं समझता हूँ कि जयपुरका खजाना इतना भरा-पूरा है कि सर्वनाशके आधुनिक हथियारोंका सहारा लेनेके बावजूद यदि प्रजा आत्मसमर्पण न करे और लगातार बहिष्कार करती रहे, तो भी उसमें हर हालतमें राज्यका काम चलता रहेगा। लेकिन यह वक्त है कि राजा लोग और केन्द्रीय

१. देखिए "जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा", पृ० ३११-३।
२. देखिए "जमनालालजी पर प्रतिबन्ध", पृ० ३२०-२।
३. सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉन, जयपुर रियासतके प्रधानमंत्री।

सरकार इस सम्बन्धमें अपनी कोई समान नीति बना ले। या जैसाकि कुछ लोग कहते हैं, यह समझा जाये कि जयपुरने जो तरीका अपनाया, वही उनकी समान नीति है? मैं तो केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है।

बारडोली, १६ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-१-१९३९

३४१. मेथिलेटेड स्पिरिट पीना[1]

पत्र-लेखक लिखते हैं:[2]

मद्य-निषेधके काममें लगे हुए लोगोंको पत्र-लेखकके पत्रपर ध्यान देना चाहिए।

बारडोली, १६ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-१-१९३९

३४२. हिंसा बनाम अहिंसा

हिन्दुस्तानमें आज जगह-जगह हिंसा और अहिंसाकी पद्धतिके बीच एक द्वन्द्व चल रहा है। हिंसा तो पानीके प्रवाहकी तरह है। पानीको निकलनेका रास्ता मिलते ही वह प्रबल वेगमें बहने लगता है। अहिंसा पागलपनसे काम कर ही नहीं सकती। वह तो अनुशासनका सारतत्त्व है। किन्तु जब वह सक्रिय बन जाती है, तब फिर हिंसाकी कोई भी शक्ति उसे कुचल नहीं सकती। अहिंसा सोलहों कलाओंमें वहीं उदित होती है, जहाँ उसके नेताओंमें कुन्दनकी शुद्धता और अटूट श्रद्धा होती है इसलिए द्वन्द्वमें यदि अहिंसा हारती हुई दिखाई दे तो ऐसा नेताओंकी श्रद्धा कम होनेसे या उनकी शुद्धतामें कमी आ जानेसे अथवा दोनों ही कारणोंसे होगा। यह होते हुए भी अन्तमें हिंसापर अहिंसाकी ही विजय होगी, यह माननेका कारण मालूम होता है। जो घटनाएँ घट रही हैं, उनका रुख ऐसा है कि हिंसाकी व्यर्थता कार्यकर्ता खुद ही समझ जायेंगे। पर एक प्रसिद्ध कार्यकर्ताने लिखा है:[3]

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत छपा था।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि मद्य-निषेध लागू होनेके साथ शराबियोंने हलकी मेथिलेटेड स्पिरिट पीनी शुरू कर दी है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इसकी बिक्रीपर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

३. केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

"सत्याग्रहका मुकाबला करनेका रियासतोंका तरीका ब्रिटिश सत्ताके तरीकेसे भिन्न मालूम होता है। कुछ रियासतोंमें जो तरीके अख्तियार किये गये हैं वे बहुत ही अमानुषिक और बर्बर हैं। क्या ऐसे बर्बर तरीकोंके विरुद्ध अहिंसा सफल हो सकेगी है? . . .,

उड़ीसाके पोलिटिकल एजेंटकी हत्याके सम्बन्धमें आपने जो विचार प्रकट किये हैं[1], उन्हें मैंने कई बार पढ़ा है। अफसोसकी बात यह है कि उड़ीसाके देशी राज्योंकी प्रजापर जो अत्याचार हुए हैं उनका आपने उल्लेख नहीं किया। . . . अगर भीड़ने पोलिटिकल एजेंटके विरुद्ध हिंसासे काम लेनेमें गलती की, तो क्या पोलिटिकल एजेंटका गोली चलाना और इस तरह भीड़को उत्तेजना दिलानेका काम उचित था? . . .

. . . सत्य और अहिंसाके आप-जैसे महान उपदेशकने भारत-सरकारके पोलिटिकल विभागको — और खासकर पूर्वी रियासतोंकी एजेंसीको — क्यों चेतावनी नहीं दी कि देशी राज्योंकी प्रजाके साथ पेश आनेमें वे ऐसे जंगली तरीके इख्तियार न करें? इस एजेंसीकी कार्रवाई सचमुच ही भयंकर रही है और पोलिटिकल एजेंटकी हत्या पूर्वी रियासतोंकी एजेंसीकी पाशविक दमन-नीतिकी पराकाष्ठाका परिणाम है। . . . और यदि एजेंटके लिए हमदर्दी जाहिर की जाती है, तो उसी जगह जो दो आदमी सम्भवतः पुलिसकी हिंसाके परिणाम-स्वरूप मारे गये, उनके लिए सहानुभूति क्यों न जाहिर की जाये? . . .

निस्सन्देह, आत्मरक्षाका अधिकार हर किसीको है, और इसी तरह सशस्त्र विद्रोह करनेका अधिकार भी है। पर गहराईसे विचार करनेके बाद कांग्रेसने जान-बूझ कर दोनोंका ही त्याग कर दिया है और ठोस कारणोंसे किया है। अहिंसामें यदि बड़ी-से-बड़ी उत्तेजनाके आगे भी डटे रहनेकी ताकत न हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं। चाहे जितनी उत्तेजनाके सामने टिके रहनेकी शक्तिमें ही उसकी सच्ची कसौटी है। स्त्रियोंका सतीत्व लूटा गया हो और उसे अपनी आँखों देखनेवाले अहिंसात्मक रहे हों, तो वे जीवित क्यों हैं? और सतीत्व लूटनेकी घटनाओंका पीछेसे पता लगा, तो उस वक्त फिर हिंसक बलके प्रयोगका अर्थ ही क्या रहा? अहिंसाका तरीका तो पीछे भी कारगर हो सकता है। अत्याचारियोंपर मामला चलाया जा सकता है, या उनके कृत्योंको जनताकी अदालतमें रखा जा सकता है। अपराधियोंको क्रुद्ध भीड़के हवाले कर देना तो बर्बरता होगी।

एजेंटकी हत्यासे सम्बन्ध रखनेवाली दलील प्रस्तुत विषयके लिए अप्रासंगिक है। मुझे एक तरफ राजा तथा पोलिटिकल एजेंट, और दूसरी तरफ लोगोंकी कार्रवाईका औचित्य कुछ तोलना तो था नहीं। एजेंटकी हत्याकी साफ-साफ शब्दोंमें

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० ३१५।

निन्दा करना, और वह भी सिर्फ सहानुभूतिकी भावनासे नही, वल्कि कांग्रेसकी मौलिक नीतिका भग करने और अनुशासनहीन कृत्यके लिए — इतना ही मेरे लिए काफी था। राजाओके दुष्कृत्योपर मैंने 'हरिजन" मे अकसर प्रकाश डाला है, पर इसलिए नही कि लोग उनपर अपना गुस्सा उतारे, वल्कि लोगोको मात्र यह वतानेके हेतुसे कि वे उन दुष्कृत्योका अहिंसक ढगसे मुकावला किस प्रकार कर सकते है। उडीसामे खासा सुन्दर काम चल रहा था, इस वातके मै काफी प्रमाण दे सकता हूँ। इस हत्याने वहाँके आन्दोलनमे, जो ठीक तरहसे चल रहा था, खलल डाल दिया है। रणपुरमे आज भयानक वीरानी छा गई है। निर्दोष और दोषी सभी भाग-भाग कर इधर-उधर छिप रहे है। दमनसे वचनेके लिए वे घर-वार छोड-छोड कर गाँवोको वीरान करते जा रहे है, कारण, ऐसा तो नही है कि केवल वास्तविक अपराधी ही दमनकी चक्कीमे पिसेगे। किसी-न-किसी रूपमे वहाँ आतक फैलाया जा रहा है, और सारे हिन्दुस्तानको लाचार होकर आज यह सव देखना पड़ रहा है। सत्ताधारी अपने अफसरोकी — खास कर गोरे अफसरो की — हत्या होने पर उससे निपटनेका इससे भिन्न कोई दूसरा तरीका जानते ही नही। नया तरीका जाननेके लिए तो अहिंसाके मार्गकी उन्हे धीरे-धीरे शिक्षा लेनी है। पर मुझे अपनी दलीलको वहुत विस्तार देनेकी जरूरत नही। हाथ-कगनको आरसीकी जरूरत ही क्या? दोनो ही मार्गोकी हिन्दुस्तानमे आज परीक्षा हो रही है। कार्यकर्ताओको दोनोमे से एक मार्ग चुन लेना है। मै जानता हूँ कि भारतवर्ष केवल अहिंसाके ही मार्गसे स्वतन्त्र होगा। जो कार्यकर्ता कांग्रेसमे रहकर इससे अन्यथा विचार रखते है, अथवा उलटी रीतिसे काम लेते है, वे अपने प्रति तथा कांग्रेसके प्रति अन्याय कर रहे है।

वारडोली, १६ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१-१९३९

३४३. पत्र : मीरावहनको

वारडोली
१६ जनवरी, १९३९

चि० मीरा,

इन दिनो कामका इतना वोझ रहा है कि मै एक भी पत्र नही लिख सका हूँ। आज मै 'हरिजन' के लिए सायं ५ वजेके वाद तक काम करता रहा। अभी सन्ध्याकी प्रार्थनाके लिए जानेसे पहले मेरे पास एक-दो मिनटका समय है।

तुम जुरावको उसके कामके लिए [पारिश्रमिक], जैसा तुमने लिखा है, उस हिसावसे अवश्य दे देना। यदि तुम्हे उसके कामसे पूरा सन्तोष हो तो उसे उतना ही या उससे अधिक भी दे दिया जाये तो कुछ अनुचित नही होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारे अभी हालके पत्र आशाप्रद रहे है। यदि वे निराशाजनक होते तो चाहे एक-आध पक्ति ही लिखनेके लिए मै समय जरूर निकालता।

सुशीला तुम्हे प्रतिदिन पत्र लिखती ही रही है। इस तरह तुम्हे मेरी सेहतके बारेमे सब-कुछ पता है। मै महसूस तो बहुत अच्छा करता हूँ।

घटनाएँ बडी तेजीसे घट रही है। 'हरिजन' के अगले अकमे तुम देखोगी कि क्या हो रहा है।

मुझे आशा है कि तुम्हे जैसा भोजन चाहिए वह अब मिल रहा है।

देवदास और लक्ष्मी अभी यहाँ है। रामदास कल आया था। वह कल पूना जा रहा है। कैलेनबैक जहाजसे शनिवारको आ पहुँचेगे।

यहाँ असख्य मुलाकाती है। सेगाँव-जैसी शान्ति यहाँ नही है। परन्तु सरदार अवाछित दर्शनार्थियोसे मुझे बचाये रखते है।

रामदासकी तबीयत बहुत अच्छी तो नही मालूम होती। प्रेमाबहन आज आई है। मृदुला पिछले चार दिनोसे यहाँ है।

आगा खाँ मिलने आये थे। उस मुलाकातके बारेमे बतानेके लिए कुछ है नही। वह चाहते है कि यदि जरा भी सम्भव हो तो काग्रेस जिन्नाके साथ मामला तय कर ले।

सप्रेम,

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२४) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००१० से भी।

३४४. पुर्जा : अमृतलाल वि० ठक्करको

बारडोली
१६ जनवरी, १९३९

इसे हरिजन फडमे दाखल किया जाय। मुझे रसीद भेजी जाय।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ११८१) से।

३४५. पत्र : सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉनको

बारडोली
१८ जनवरी, १९३९

प्रिय मित्र,

पहले मेरा विचार था कि साथका यह पत्र प्रकाशित कर दूँ, जिसमे सेठ जमनालालजीके जयपुर-रियासतमे प्रवेशपर प्रतिबन्ध-सम्बन्धी आपके रुखका स्पष्टीकरण किया गया है। लेकिन दूसरी वार विचार करनेपर मुझे लगा कि श्री चुडगर[1] के पत्रकी प्रति आपको भेजकर उसपर आपकी राय जाननेसे मेरा प्रयोजन अधिक सिद्ध होगा। मेरा उद्देश्य राजा-महाराजाओ और उन लोगोके बीच सद्भावना बढाना है जिन्हे ऐसे मामलोके सिलसिलेमे जिनमे मैत्रीपूर्ण वार्ताके जरिये न्याय दिलवासा सम्भव हो, किसी-न-किसी तरह उनके सम्पर्कमे आना पडता है। और अब चूँकि मुझे आपके साथ पत्र-व्यवहार करना ही पड़ रहा है इसलिए कि श्री चुडगरके पत्रके बारेमे आपकी राय जो भी हो, मै आपको यह सुझाव देना चाहूँगा कि आपको सेठ जमनालालजी और उनके संगठनपरसे प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिए। इससे जयपुर-रियासतमे शान्तिको खतरा नही होगा। सच तो यह है कि मै ऐसा मानता हूँ कि प्रतिबन्धोसे निश्चय ही शान्तिको खतरा है।[2]

हृदयसे आपका,

सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉन
दीवान, जयपुर-राज्य, जयपुर

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३९७-८। सी० डब्ल्यू० ७८०९से भी; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

१. सीकरके राव राजाके वकील और कानूनी सलाहकार; देखिए "जयपुर" ३०-१-१९३९।
२. सर बीकमके उत्तरके लिए, देखिए "जयपुर", ३०-१-१९३९।

३४६. पत्र : चन्दन पारेखको

वारडोली
१८ जनवरी, १९३९

चि० चन्दन,

तेरा पत्र मिला। ह० को तूने जो पत्र लिखा है, वह मैं उन्हें भेजे देता हूँ। मेरा पत्र पाकर ह०ने दक्षिणामूर्तिको छोड दिया है। नानाभाई मुझसे मिल भी गये हैं। इस प्रकार ह० ने पहला विकल्प ही स्वीकार कर लिया है। अपनी निर्दोषताके बारेमें तो वे दृढ ही हैं। लेकिन जब उन्होंने दक्षिणामूर्तिको छोड दिया है और स्त्री-शिक्षाके क्षेत्रसे अलग हो गये हैं, तब और कुछ करनेको नहीं रह जाता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४६) से, सौजन्य : सतीश द० कालेलकर।

३४७. पत्र : रवीन्द्र आर० पटेलको

वारडोली
१८ जनवरी, १९३९

चि० रवीन्द्र,

तेरा पत्र मिला। वहांके अनुभवमें तू वहांसे उकता जाये, और धनवान बननेका लोभ सर्वथा छोडकर, गरीबीके साथ देशसेवामें मस्त हो जाये, तो उसे मैं सफलता ही मानूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७४५५) से।

३४८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

वारडोली
१८ जनवरी, १९३९

वापा,

आपको ५,००० रु० का एक चेक सीमा-प्रान्तसे भेजा गया था। श्री जसाराम लिखते हैं कि वह खादी-कार्यके लिए था, इसलिए आप इतने रुपये डॉ० गोपीचन्द को भेज दीजिएगा। मैं जब फिर सीमा-प्रान्त जाऊँगा, तब इसी व्यक्तिसे हरिजन-कार्यके लिए भी पैसा प्राप्त करनेकी आशा करता हूँ।

बापू

[पुनश्च :]

उड़ीसा-सम्बन्धी आपका पत्र अभी मिला। सरदारका वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। राजेन्द्र बाबू तो जायेंगे ही। यहाँसे भी वे काम चला रहे हैं। क्या आप खान-देशको मद्यनिषेधके कामके लिए १५ दिन दे सकते हैं? डॉ० गिल्डरने वचन दिया है कि आप आये, तो वे १२ दूकानें बन्द करवा देंगे। आ सकें, तो झटपट आ ही जाइए। तार करना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११८२) से।

३४९. पत्र : बलवन्तसिंहको

वारडोली
१८ जनवरी, १९३९

चि० बलवंतसिंह,

तुम्हारा पुराना खत वापिस करता हूं। अक्षर पहिले से ठीक तो है। परन्तु सुधारके लीये काफी जगह है। ठूस ठूस कर लिखना नहीं चाहीये। बायें बाजु पर हमेशा जगह होनी चाहीये। परन्तु शब्द-शब्दके बीचमे भी जगह रखी जाये। कलम की नोक पतली होनी चाहिये। और यह सब सुधारना भी गोमाताके निमित्त करना यह संकल्प करना। संकल्पकी महिमा तो जानते हैं न।

जो हिसाब तुमने भेजा है वह तो अच्छा है ही है। तुम्हारी प्रमाणिकताके बारेमे, तुम्हारी निस्वार्थ बुद्धिके बारेमें कभी शंका थी ही नहीं।

शान्तिसे रहते है वह अच्छा ही है। शरीर मजबूत कर लो, हिन्दी ज्ञानमें वृद्धि करो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१७) से।

३५०. प्रेम एक सार्वभौम गुण

एक भारतीय ईसाई सज्जन लिखते हैं:[1]

आपके लेख "यहूदी लोग"[2] पर कई तरहकी और काफी टीका-टिप्पणी हुई है। मैं अपनेको यहाँ इस आलोचना तक ही सीमित रखना चाहता हूँ कि ईसा मसीहने जिस प्रेमका उपदेश दिया, वह सामाजिक या सामूहिक नहीं, बल्कि वैयक्तिक गुण था।

इस बातसे इनकार करना कि ईसा मसीहकी जीवन-प्रणाली जितनी व्यक्तिके लिए थी उतनी ही पूरे समुदायके लिए भी थी, निश्चय ही ईसाई धर्मके मूल सत्यको नकारना है। वे प्रचलित व्यवस्थासे बिलकुल असन्तुष्ट थे। फरीसियो और धर्मशास्त्रियोके पाखंड और घमंडसे उन्हें इतनी चिढ़ थी कि उन्हें वे "साँपोकी औलाद" और "पाखंडी" कहते थे। उन्होंने सराफोके काले कारनामोका भण्डा फोड़कर और उनपर अपने घरको "चोरोंका अड्डा" बनानेका आरोप लगाकर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारका खुल्लम-खुल्ला विरोध किया था। उन्होंने जाति-बहिष्कृतोके साथ भोजन किया और वेश्याओसे सांत्वनाके शब्द कहे और इस प्रकार अस्पृश्यताके पापकी भर्त्सना की।

उनके उपदेश क्रान्तिकारी और सार्वभौम होनेके कारण लोगोके रोषको जगाते थे; अन्यथा सत्ताधिकारी एक ऐसे आदमीको, जिसमें उनका न्यायाधीश तक कोई 'पाप' नहीं देख पाया था, गिरफ्तार करने और मृत्यु-दण्ड देनेकी बात भला क्यों सोचते?

उनके उपदेशोमें उन्हें [सत्ताधिकारियोको] एक ऐसी शक्तिकी गन्ध मिली थी जिसका उपयोग करके उनमें [ईसा मसीहमें] आस्था रखनेवाले निश्चय ही उनके समाजके पूरे ढाँचेको गिरा सकते थे। 'जो तुम्हारे एक गालपर चाँटा मारे उसके आगे दूसरा गाल कर देना', 'शत्रुसे प्रेम करना', 'कष्टमें आनन्द अनुभव करना', 'अपने पड़ोसीसे वैसा ही प्रेम करना जैसा तुम्हें अपने-आपसे है', 'दूसरेके दोषकी ओर इशारा करनेसे पहले अपने दोषको देखना', 'जो तुम्हें यंत्रणा देते हैं उनके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करना', 'अपराधीको

१. पत्रके केवल कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

२. देखिए पृ० १५३-७।

बार-बार क्षमा करना', 'गरीबोंकी सेवा करना', 'सब-कुछ छोड़कर ईसाका अनुसरण करना'— यह सब उस सार्वभौम सिद्धान्तका सार है जिसके लिए वे जिये और मरे थे। इसका पर्याप्त प्रमाण कि अपने शिष्योंसे उन्होंने कहा था कि स्वयं अपने उदाहरणसे वे विश्वको यह सन्देश प्रत्यक्ष करके दिखायें, और उनके शिष्योंने खुद एक नई व्यवस्थाके पुनर्निर्माणका आह्वान अनुभव किया था कि हमें प्रारम्भिक चर्चमें मिलता है, जिसकी रचना उन [शिष्यो]के बलिदानोंसे हुई थी और जिसे ईसाका शरीर कहा गया है। 'न्यू टेस्टामेंट' का एक अत्यन्त सुन्दर अंश, '१-कॉरिन्थियन्स' का १३ वाँ परिच्छेद, सन्त पॉलने उस समय लिखा था जब कॉरिन्थका चर्च आन्तरिक विवादोंके कारण छिन्न-भिन्न होने लगा था। उसमें जो प्रेमका सन्देश है वह सामूहिक कार्यका सन्देश था। 'जंगजू चर्च' [चर्च मिलिटेन्ट] नामसे अभिहित यह चर्च निश्चय ही, उस ईसाई समाजका प्रतीक है जो 'सर्वविजयी' प्रेमके द्वारा बुराईकी ताकतोंके खिलाफ लड़नेकी कोशिश करता है।

हमारे मनमें साहस और आस्थाका अभाव होनेके कारण, ईसाई धर्मकी मुख्य शिक्षाको केवल वैयक्तिक आचारका नियम कहकर टाल देना हमारे लिए सुविधाजनक तो हो सकता है, पर यह एक खतरनाक सिद्धान्त है जिससे तथाकथित ईसाई राष्ट्रोंकी स्थिति आज शोचनीय हो गई है।

यह ठीक है कि अहिंसाका परिणाम चर्म-चक्षुओंको सदा दिखाई नहीं देता। यह भी सच है कि प्रेमकी राह पर चलना — अहिंसा अपार प्रेमके सिवा और क्या है — कोई आसान बात नहीं है। परन्तु प्रेमको एक सामाजिक गुण न मानना न केवल ईसाई धर्मके अस्तित्वको, बल्कि विश्वके सभी बड़े धर्मोंके अस्तित्वको नकारनेके समान होगा और उस भयकी भावनाके आगे घुटने टेकनेके समान होगा जो आज सारे विश्वपर छाया हुआ है।

अहिंसाको अभी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर काफी आजमाया नहीं गया है। गांधीजी ने जहाँ इसे आजमाया है वहाँ यह सफल रही है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धान्तका गुलाम होकर यूरोप क्या ईसाकी शिक्षाको बिलकुल झुठला नहीं रहा है? ईसाई जगतके सामने आज यही प्रश्न है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या शक्तिका प्रतिरोध शक्तिके साधनोंसे कर सकनेमें है, या उसका उच्चतम और शाश्वत रूप उस रक्तमें से उभरेगा जो किसी एक राष्ट्र या अनेक राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छासे बहाया जायेगा?

सलीब रे, तूने मुझ,
गिरे हुएको, सँभाला,
तेरे पाससे भागनेकी
फिर मैं कैसे करूँ कामना।

धूलमें पड़ा था,
बुझ गई थी जीवन-ज्योति।
और धरती से फूट रहा है
—जीवनका रक्त-सुमन,
जिसे कभी नहीं है मुरझाना।

इस पत्रसे सच्चे मसालुओंको यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ईसाने जिस प्रेमका उपदेश दिया था और जिस प्रेमको अपनाया था, वह मात्र वैयक्तिक गुण नहीं था, बल्कि तत्वत सामाजिक और सामूहिक गुण था। ईसासे छ सौ साल पहले बुद्धने भी यही उपदेश दिया था और यही मार्ग अपनाया था।

बारडोली, २० जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-३-१९३९

३५१. पत्र : अकबर हैदरीको

बारडोली
२० जनवरी, १९३९

प्रिय सर अकबर,

मुझे आपके तार मिले और उसी माहकी ५ तारीखका पत्र भी। संलग्न दस्तावेज भी मिल गये जो बादमें आये। ये दो दस्तावेज वर्धासे पता बदलकर भेजे गये थे और उससे पहले कि मैं उत्तर भेज सकता, मुझे राज्य-कांग्रेसके अपने मित्रोंसे मुलाकात करनी थी। इसलिए देर हो गई है, तदर्थ आप क्षमा करें।

सबसे पहले मैं आपके पत्रके मित्रतापूर्ण स्वरके लिए आपको धन्यवाद दे दूं। आपसे इससे भिन्न या उससे कमकी आशा भी नहीं थी।

फिर भी इस पत्रसे मुझे सन्तोष नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थनासे सम्बद्ध बात एक ही थी और वह थी सविनय अवज्ञा आन्दोलनको वापस लेते हुए राज्य-कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणापत्र[1] तथा उसकी भाषा। यदि इससे सारी अपेक्षाएँ पूरी हो जाती तो इसका परिणाम तत्काल यह होना चाहिए था कि उन सब कैदियोंको रिहा कर दिया जाता, जिन्होंने अन्दर रहते हुए और राज्य-कांग्रेसके सदस्योंके रूपमें सत्याग्रह किया था।

श्री काशीनाथराव वैद्यका वक्तव्य भी अप्रासंगिक था। राज्य-कांग्रेसका घोषणापत्र उनके सामने नहीं था। यदि उन्हें घोषणापत्रके फलितार्थोंका ज्ञान होता तो वह कभी जेल नहीं जाते। तो भी राज्य-कांग्रेसके घोषणापत्रके आधारपर ही

१. देखिए "हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा", पृ० २६८-९।

उनके मामलेमे माफी दे दी जानी चाहिए। श्री काशीनाथराव वैद्यका वक्तव्य पढनेपर आपके पत्रके आशयकी पुष्टि नही होती। मै उनके वक्तव्यको सौम्य और नम्रतापूर्ण मानता हूँ। उसमे धमकी की कोई बात नही है। उन्होने सयत ढगसे और तर्कपूर्वक राज्य-काग्रेसकी स्थितिको स्पष्ट करनेकी कोशिश की है और अपनी सजा सुनाये जानेकी तारीख तककी घटनाओको पेश किया है। यह ध्यानमे रखने योग्य है कि उन्होने सविनय-अवज्ञा स्थगित किये जानेकी बात स्वीकार कर ली है और राज्य-काग्रेसके सदस्योसे अनुरोध किया है कि वे सविनय अवज्ञा न करे।

आर्यन लीग और हिन्दू महासभाके कार्योको राज्य-काग्रेसकी गतिविधियोसे अलग करके देखना चाहिए। राज्य-काग्रेसका उनके साथ एकीकरणका इरादा कभी नही था।

क्या आप यह चाहते है कि मै इस बातका पता लगाऊँ कि सरदार पटेल, श्री देव या श्री भूलाभाईने क्या कहा या क्या किया? सच तो यह है कि यद्यपि मै फिलहाल सरदारके साथ ही रह रहा हूँ, मैने आपका पत्र उन्हे नही दिखाया है। यह बात नही कि मै आपका पत्र उन्हे दिखाना नही चाहूँगा, लेकिन बात यह है कि उनके पास उनका अपना निश्चित काम है जैसाकि मेरे पास अपना है। तथापि यदि इन लोगोकी रायका मेरे उद्देश्य या इस चर्चासे कोई सम्बन्ध होता तो मै इस बातका पता लगा सकता हूँ कि उन्होने क्या कहा था। वहरहाल, यदि आप चाहते है कि मै इसका पता लगाऊँ तो मै ऐसा खुशीसे करूँगा।

मैने किसीको गुप्तरूपसे हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच समझौतेके प्रयत्नोके खिलाफ सलाह दी थी, इस बातको आपने अपने मनसे निकाल दिया, वह ठीक किया। श्री नरसिंह रावको अपने साथ वावा लाया था। मौलवी वहादुर यार जग भी उस दलमे शामिल होनेवाले थे। परन्तु वह आ नही सके। वहाँ गतिरोध की स्थिति आ गई थी। इसलिए मैने उन्हे सलाह दी कि वे आगे न बढे अपितु मौलाना अबुल कलाम आजादकी सलाहका इन्तजार करे और उनके निर्देशनमे काम करे। मौलाना साहब इस वक्त आपसे पत्र-व्यवहार कर रहे है।

अब 'वन्देमातरम' के बारेमे। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये जरूर थे। मैने उनसे कहा कि 'वन्देमातरम' धार्मिक प्रार्थना नही है तो भी उन्हे पूरा अधिकार है कि वे इसे अपने कमरोमे या अपने प्रार्थना-कक्षमे गाये। मैने उनसे यह भी कहा कि यदि वे अपनी बात [अधिकारियोके समक्ष] रीतिपूर्वक पेश करे तो उनकी शिकायत दूर हो जानी चाहिए, और जबतक शिकायत दूर न हो तबतक, यदि कही और नही जा सकते, अपनी पढाई वन्द रखे। उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण मैने देखा है। उससे मुझे सन्तोष नही हुआ है। मेरा यह विचार जरूर है कि यह ऐसा मामला है जिसे आपको जल्दी ही सुलझा लेना चाहिए। पूरे तथ्य मेरे पास नही है। इसलिए यदि मैने गलती की हो तो कृपया आप मेरी भूल दुरुस्त कर दे। परन्तु कहनेकी जरूरत नही कि यह सवाल एक अलग और स्वतन्त्र सवाल है।

मैंने इस मामलेमें कोई दिलचस्पी नही ली है। मैं विद्यार्थियोंका मार्गदर्शन नही कर रहा हूँ। जो मेरे पास आये थे उनसे मैंने कह दिया था कि यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि उनका यह प्रश्न महत्वपूर्ण है परन्तु उसका अध्ययन करनेके लिए मेरे पास वक्त नही है।

आपका कहना है कि शराबी और इस तरहके दूसरे लोग सत्याग्रह करके जेल गये है। मुझे सूचना देनेवालोंका कहना है कि यदि ऐसे लोग जेल गये है तो उन्हे ऐसा करनेका अधिकार नही दिया गया था और राज्य-कांग्रेससे उनका कोई सम्बन्ध नही था।

मेरा विश्वास है कि आपके पत्रके सभी मुद्दोंका जवाब इसमें आ गया है।

यदि मेरे तर्कमें कुछ सार हो तो मैं वही प्रार्थना फिरसे दोहराता हूँ कि राज्य-कांग्रेसके सभी कैदी रिहा कर दिये जाये और राज्य-कांग्रेसको, राजनीतिक या दूसरी तरहकी जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ है, उन्हे चालू रखनेकी अनुमति दे दी जाये।

आशा है, आप पूर्ण स्वस्थ होंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८४६) से।

३५२. पत्र : ना० र० मलकानीको

बारडोली
२० जनवरी, १९३९

प्रिय मलकानी,

तुमने बैंकर[1] को जो पत्र लिखा है उससे मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी जो प्रति मुझे मिली है उसे मैं साथ सलग्न कर रहा हूँ। क्या एजेंसीके विषयमें तुम्हारी धारणा इतनी खराब और खादीका महत्व इतना कम है कि तुम वैसी बाते लिखनेको बाध्य हो गये? खादीके प्रति जैसा तिरस्कार तुमने दिखाया है, उसे सहन करनेकी अपेक्षा मैं यह बात ज्यादा पसन्द करूँगा कि खादी सिन्धमें नष्ट ही हो जाये। निस्सन्देह तुम्हारे लिए खादी-कार्यका स्थान पहला होना चाहिए और दूसरे किसी भी काम का उसके बाद। मैं नही चाहता कि तुम तपाकसे यह उत्तर दो कि चोइथराम और यहाँ तक कि जयरामदाससे तुम्हारी जो अपेक्षा थी, उनका काम उससे भी ज्यादा खराब रहा है। तब वह मजबूरीकी बात थी।

१. शंकरलाल बैंकर, सचिव, अखिल भारतीय चरखा संघ।

मुझे गहरी चोट पहुँची है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३०) से।

३५३. पत्र: मीराबहनको

बारडोली
२० जनवरी, १९३९

चि० मीरा,

तुम्हारे सारे पत्र, संक्षिप्त हों या लम्बे, कला-कृतियाँ होते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हारी जॉनके साथ अच्छी पट रही है। अगर धीरज रखोगी तो तुम देखोगी कि पठानके लिए तुम्हारे दिलमें आदर बढ़ता जाता है। वह बहुत बढ़िया आदमी होता है—एक बार उसे तुमपर विश्वास हो जाये तो खुले दिलसे व्यवहार करता है।

मेरे स्वास्थ्य की तुम्हें चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। जितनी सावधानी रख सकता हूँ, रख रहा हूँ। जितना आराम सम्भव है, ले रहा हूँ। रक्तचाप काबूमें है। मुझे डर है कि जब तक मैं बनवासी न बन जाऊँ और समस्त बाह्य गतिविधियाँ न छोड़ दूँ, यह जरूर घटता-बढ़ता रहेगा। लेकिन वह तो गलत होगा। मुझे ऐसी कला खोजनी होगी, जिससे मैं दीर्घजीवी होते हुए अन्त तक काम करता रहूँ। युवावस्थामें अपनी बहुत-सी जिन्दगी व्यर्थ गँवानेके कारण मैं वह कला पूरी तरह तो कभी सीख नहीं सकूँगा। अब जो भी जिन्दगी बची है, उसमें परमात्मा मुझे जो भी दे, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२५) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००२० से भी।

३५४. पत्र : अमृतलाल टी० नानावटीको

बारडोली
२० जनवरी, १९३९

चि० अमृतलाल,

काकासाहबका पत्र तुम्हे कल भेजा था। तुम्हे जाना पडेगा, यह सुनकर यहाँ सब लोगोको दु ख हो रहा है। सगीत वहाँकी एक स्थायी चीज मानी जाती थी, वह अब बन्द हो जायेगा। यह बात किसीको अच्छी नही लगती। मुझे भी यह बात अखरती जरूर है। अगर तुम्हारा शरीर साथ दे, तो मेरा यह सुझाव है। तुम्हे रोज सवेरे फल और दूधका नाश्ता करके ६ बजे पैदल चल देना चाहिए। तुम आरामसे काकासाहबके पास सवा-सात बजे पहुँच जाओगे। साढे-सातसे काम शुरू किया जा सकता है। रोज पाँच बजे या साढे चार बजे काम बन्द करो और छ या साढे-छः बजे सेगाँव पहुँचो। ऐसा कर सको, तो दोनो पक्ष सध जाये। स्वस्थ शरीरवालेके लिए इतनी मेहनत कुछ भी नही है। दक्षिण आफ्रिकामे मै अपने ऑफिससे सात मील दूर रहता था, और रोज या तो पैदल या बाइसिकिलसे आया-जाया करता था। लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे अधिक बोझ नही डालना है। विचार करके देखना। यह पत्र काकासाहबको दिखाना और जो उचित हो सो करना। काकासाहबके पास तो जाना ही है, इतना निश्चित मानकर बाकी विचार करना। काकासाहब २४ घटे तुम्हारी हाजिरी चाहते हो, ऐसा मै नही समझता। लेकिन अगर ऐसा हो, तो फिर प्रश्न नही उठता। यदि वे तुम्हे अपने साथ सफरमे भी ले जाना चाहे, उस दशामे भी फिर सेगाँवमे सेवा करना सम्भव नही रह जाता। मैने यह कुछ-कुछ अँधेरेमें लिखा है।

बाकी सब ठीक चल रहा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७८३) से।

३५५. तार : बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'को

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

बालकृष्ण
'प्रताप' कार्यालय
कानपुर

पूरा ध्यान दे रहा हूँ।[१] मेहताव[२] मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

३५६. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

प्रिय जयरामदास,

तुम्हें स्वय नही लिखना चाहिए, बल्कि किसी औरसे लिखनेको कहना चाहिए। न जाने क्यो मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद जाना गलत है। माताएँ प्राय. समझदार कम और स्नेहमयी अधिक होती है। परन्तु यदि उनकी इच्छा पूरी न करनेसे तुम्हारा मन उद्विग्न होता है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें जरूर हैदराबाद चले जाना चाहिए। क्या इन्दौर जाना सम्भव नही है? माथेरान क्यो नही? नासिक या देवलाली अच्छे स्थान है। इस दृष्टिसे सिंहगढ़ भी अच्छा है। और वहाँ तुम्हे दिनशा मेहताकी भी सहायता मिल सकती है। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम शीघ्र ही कोई निश्चय कर लो।

लिखना नही।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२५३) से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम।

१. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने अपने तारमें गांधीजीका ध्यान ढेंकानाल सत्याग्रह शिविरमें शरणार्थियों की दुर्दशाकी ओर आकृष्ट किया था।

२. हरेकृष्ण मेहताब।

३५७. पत्र : सुशीला गांधीको

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

चि० सुशीला,

तेरा पत्र अभी मिला। मेरा मौन चल रहा है, इसलिए जवाब तुरन्त दे पाता हूँ। अगर तुझे रोकनेका कारण ममता मात्र हो, तो तेरा दक्षिण आफ्रिका चले जाना ही ठीक होगा। तेरे जानेसे मणिलालको मदद भी मिलेगी। सीताकी तुझे चिन्ता रहती है, मुझे नहीं। वहाँ भी वह कुछ तो सीखेगी ही। अत. मेरी राय यह है अगर अकोलामे तेरी सेवाकी जरूरत न हो, तो तू मजेसे दक्षिण आफ्रिका चली जा। यह करना तेरा कर्तव्य है। लेकिन अब तू ठहर ही गई है, तो मणिलालको लिखकर उसकी राय भी जान ले, यही बुद्धिमानी है।

सीताको जो पुस्तक मिली थी, वह उसे पढती है क्या?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९१) से।

३५८. पत्र : चन्दन पारेखको

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

चि० चन्दन,

तेरा पत्र मिला। मैंने तुझे रुपये भेजे या नही? कनु यहाँ नही है। मुझे याद है कि मैंने उससे कह दिया था।

ह० के जो पत्र मेरे पास पडे है, भेज रहा हूँ। तू ही इन्हे रखना। अब इन्हे प्रगट करनेकी जरूरत नही रही। उसने दक्षिणामूर्ति छोड दिया, स्त्री-शिक्षा भी छोड दी। यही हमारी माँग थी। इन पत्रोका तुझपर क्या असर होता है, मुझे बताना। अब ह० को तेरे लिखनेकी कोई जरूरत नही रही। फिर भी, अगर तेरी इच्छा हो, तो लिखना और पत्र मुझे भेजना। मुझे उचित लगेगा, तो भेजूंगा। अब ह० काण्डका बोझ तेरे मनपर नही रहना चाहिए।

अपने अध्ययनमें जुट जाना। तबीयत बिगड़ने न देना। रोज खूब चलनेका ध्यान रखना। वहाँ फल मिलते है या नही? मसालो और तेलसे बचना।

अपने अक्षर सुधारना। गुजराती भाषामे भी सुधारकी गुजाइश है। अग्रेजीमे तो है ही। मुझे लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

शंकरका सुन्दर पत्र पैसोंकी पहुँचके बारेमे था।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४७)से; सौजन्य: सतीश द० कालेलकर।

३५९. पत्र: पुरुषोत्तम के० जेराजाणीको

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

भाई काकुभाई,

सरकारको कम दामपर बेचनेका जो तुमने कारण बताया है वह यहाँ लागू नही होता। बडा आर्डर मिलनेपर हमें दाम तो कम बताने ही चाहिए, क्योकि ऐसा करनेमे खर्च भी कम होता है। अब तुमने जो लिख दिया सो ठीक है। मैने तो भविष्यके लिए सुझाव दिया है। मेरे सुझावके औचित्य-अनौचित्यके विषयमे शंकरलालके साथ बातचीत करना। अन्तमें तुम्हारे अनुभवके सामने मेरी राय तो गौण ही बैठती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०८४०) से; सौजन्य. पुरुषोत्तम के० जेराजाणी।

३६०. पत्र : सर डब्ल्यू० वीकम सेंट जॉनको

वारडोली
२२ जनवरी, १९३९

प्रिय मित्र,

मेरे १८ तारीखके पत्रका तुरन्त उत्तर देनेके लिए आपको धन्यवाद।

भेटके बारेमे यदि आप श्री चुडगरके विवरणको नही मानते तो मुझे आशा थी कि आप अपना विवरण मुझे भेजेगे। यह मामला इतना महत्त्वपूर्ण है कि मै इसे यो ही छोड नही सकता। यदि आप चाहे तो चुडगर द्वारा दिये गये विवरणके साथ मै आपका विवरण भी खुशीसे छाप दूंगा।[1]

हृदयसे आपका,

सर डब्ल्यू० वीकम सेंट जॉन
दीवान, जयपुर-राज्य, जयपुर

[अंग्रेजीसे]

पांचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३९९। सी० डब्ल्यू० ७८०९ से भी; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

३६१. पत्र : ना० र० मलकानीको

वारडोली
२२ जनवरी, १९३९

प्रिय मलकानी,

महादेव अभी काम नही कर रहे है। और खजाची कनु[2] मे अभी इतना बचपना है कि वह भार उठा नही सकता। वह लडका भला है, पर यदि कोई अपने कर्तव्य पर ध्यान न दे तो कोरी भलमनसाहत किस काम की? चाँदवानीका चेक आते ही मैने उसे तुम्हारे पास भेजनेको दे दिया था। वह उसे भेजना भूल गया। फिर छुट्टीपर चला गया। आज पूछनेपर उसने निर्लज्जतासे बताया कि उसकी उसे बिलकुल याद ही नही रही। कसूर उसका नही मेरा है। मैने उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित नही किया है।

कृपया क्षमा करना। चेक इस पत्रके साथ ही है।

१. सर वीकमके उत्तरके लिए, देखिए "जयपुर", ३०-१-१९३९।
२. कनु गांधी।

यदि तुम ग्राम-पुनर्निर्माण कार्य पर एकाग्रतासे ध्यान न दे सको, तो इसे लौटा देना। मुझे चाँदवानीके प्रति ईमानदार रहना है। यदि तुम इस कार्यपर अपना सारा ध्यान नही लगा सकते तो मुझसे हर महीने रुपयोंकी आशा मत रखो। वैसे हर हालतमे मै तुम्हे तीन महीने तो रुपये भेजूँगा ही।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३१) से।

३६२. पत्र : सुशीला गांधीको

बारडोली
२२ जनवरी, १९३९

चि० सुशीला,

मणिलालका पत्र मै कल ही पूरा पढ पाया। वह पत्र इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। लगता है, सीधा आ गया है। इस पत्रको पढकर मुझे यही लगा कि तुझे जो पहला स्टीमर मिले उससे भागना चाहिए। कलका लिखा मै रद करता हूँ। मणिलालका यह पहला पत्र है, जिससे मुझे सन्तोष हुआ है। तुम दोनोके पत्रोमे सामान्यतः कुछ होता नही। पत्र ऐसे होने चाहिए कि उनमें लिखनेवालेके जीवनकी झलक मिले। यह पत्र मुझे इतना भाया है कि मुझे वापस चाहिए। बा की राय तो है ही कि तुझे तुरन्त मणिलालके पास जाना चाहिए। मै जब यह राय दे रहा हूँ तब मुझे अकोलाकी जरूरतका भान भी है ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९२) से।

३६३. पत्र : मनुबहन सु० मशरूवालाको

वारडोली
२२ जनवरी, १९३९

चि० मनुडी,

तुझे मैं खुद पत्र न लिखूं, वल्कि दूसरेसे लिखाऊँ, तो ठीक होगा न? कल शारदासे लिखाया। इसपर दादी नाराज हो गई और बोली, "मनुको पत्र लिखने जितना भी समय तुम्हे नही मिलता, और वह लडकी तुम्हारे लिए मरी जाती है।" अब तू मरी जाती है या नहीं, यह तो तू जाने, लेकिन ले यह पत्र। अपने समाचार तो तू बिलकुल नही लिखती, न सुरेन्द्रको लिखती है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५७४) से, सौजन्य मनुवहन सु० मशरूवाला।

३६४. पत्र : रामीवहन के० पारेखको

वारडोली
२२ जनवरी, १९३९

चि० रामी,

तेरी लिखावट कई महीनो (या शायद वर्षो) बाद देखी। तू लिखती रहे तो अच्छा लगे। मैं तो काममें लगा रहता हूँ, न भी लिखूं, तब भी तुझे लिखना ही चाहिए। बच्चो-सहित तुम दोनो मजेमें होगे।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७२७) से।

३६५. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

बारडोली
२२ जनवरी, १९३९

भाई डाह्याभाई,

तुम्हारा पत्र मिला था। नैतिक दृष्टिसे तो तुम्हारे कामकी सफाई नहीं दी जा सकती। तुम किसान नही माने जा सकते। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है, कि किसान न होते हुए भी, तुमने किसान माने जानेके लिए जाल रचा। लेकिन अपने इस काममें तुम्हे अनीतिकी गंध नही आई, तो अभी तो कुछ करने-जैसा नहीं लगता। जल्द-से-जल्द बोर्डसे अलग हो जाओ, यह शायद उचित होगा। इस सम्बन्धमें कानूनको ठीक समझनेवाले किसी वकीलसे पूछ कर, वह जैसा कहे वैसा करो। यही सबसे अच्छा उपाय मालूम होता है।

शिकायत करनेवालेको मैं कोई जवाब नही देना चाहता। वह इन बारीकियोंको नही समझेगा।

रामजीभाईके बारेमें समझा।

चमड़े और मरे ढोरोके बारेमें तो मुझे याद नहीं है। महत्वकी बात हो, तो फिर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७१०) से; सौजन्य: डाह्याभाई म० पटेल।

३६६. पत्र : अमतुस्सलामको

बारडोली
२२ जनवरी, १९३९

प्यारी बेटी,

तेरी चिट्ठी मिली। मै क्या कहूं? बा दु:खी है सही। वह चाहती है तू जल्दी आ जा। मैं नही चाहता। मैं चाहता हूं कि वहां तेरा काम है तो नहीं आना। भाइयोंके पास भी जाना चाहीये। मेरे सिवाय नहीं रह सकती वह पागलपन है। फिर तो जैसा चाहे सो कर।

मेरे शकके बारेमें क्या लिखुं? मेरे निकालनेसे नहीं निकलेगा। वखत ही निकाल सकता है। अपने आप घुसा है और जाना है तो अपने आप जायगा। तू

स्थिर हो जायगी। अपना फर्ज अदा करेगी तो शक निकल ही जायगा। कोई न कोई खत तो तुझे मिला करेगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४११) से।

३६७. पत्र : व्रजकृष्ण चांदीवालाको

बारडोली
२१ जनवरी, १९३९

चि० व्रजकृष्ण,

तुमारे दोनो खत मिले।

भाईको अच्छा होगा, दिल्लीके ...[1]के बारेमें समजा।

दिल्लीके नजदीक डा० गोपीचंद काम करे तो भले करे।

प्रार्थना भवनमें ज्यादा पैसा हरिजन आश्रम देवे उसमें क्या हानि हो सकती है? यह तो स्वीकार्य मानना चाहीये। उसमें विचार करनेकी आवश्यकता नही है।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। यहा काफीसे अधिक काम रहता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७६) से।

३६८. देशी राज्य

देशी राज्योमें स्वतन्त्रताका आन्दोलन एक नया रूप धारण करता जा रहा है। इतिहासकी पुनरावृत्ति होनेवाली है। तालचेर और ढेकानालने दमनमें सबसे बाजी मार ली है। तालचेरकी कुल ७५,००० की आबादीमें से २६,००० आदमी तालचेर छोडकर ब्रिटिश उडीसामें चले गये है। यह कोई मामूली बात नही है। इन शरणार्थियोको जो तकलीफे बरदाश्त करनी पड रही है, प्रो० रंगाने उनका हृदय-विदारक विवरण प्रकाशित किया है। महान समाज-सुधारक और परोपकारी ठक्कर बापाने भी, जो कहीसे भी आर्तवाणी सुनाई पडते ही सहायताके लिए पहुँच जाते है, उनकी बातोका समर्थन किया है। कोई दो महीनोसे वे लोग निर्वासित है। मैंने आशा की थी कि वे अपने घरोंको लौट गये होंगे। लेकिन मालूम पड़ता है कि इन लोगोके भाग्यमें अभी भी शान्ति नही बदी है।

१. मूलमें शब्द स्पष्ट नहीं हैं।

अकेले उड़ीसाके लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इनकी सहायताका काम सँभाल ले। उड़ीसाकी सरकारके पास इतना रुपया नहीं, जो इनके लिए खर्च कर सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी शरणार्थियोंके लिए कोई काम ढूँढ़कर उनकी सहायताका भार अपने ऊपर ले लेगी।

राणपुरमें पोलिटिकल एजेंटकी हत्या हो गई है।[1] इसलिए पुलिस और फौज निर्दोष स्त्री-पुरुषोंके ऊपर मनमाने जुल्म कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उड़ीसाकी सरकार परिस्थितिका दृढ़तासे मुकाबला करेगी और साम्राज्यीय सत्ताको मनमानी न करने देगी। साम्राज्यीय सत्ता तो अपने वर्गके किसी आदमीको उन परिस्थितियोंमें खोते ही अपनी बुद्धि खो बैठती है, जिन परिस्थितियोंमें मेजर बजलगेटकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई है। इस हत्यासे हमको यह जान लेना चाहिए कि ऐसे कृत्योंसे जनताको कोई लाभ नहीं हो सकता।

जयपुर रियासत जयपुरियोंको ऐसी शिक्षा देना भी बरदाश्त नहीं करती जिससे वे उत्तरदायी शासनकी माँग करें, उसके योग्य बनें, और अब वह अपने ही एक सर्वोत्तम पुत्रको जिन्दा ही दफना देना चाहती है।

राजकोटके ठाकुरसाहब जो बात कह चुके, उसीसे उनको मुकरवाने और प्रजाको गम्भीरताके साथ दिये उनके वादेको तुड़वानेमें उनके सलाहकारोंको कोई पशोपेश नहीं होता। इस सम्बन्धमें मेरे पास जो सबूत हैं, यदि उनपर विश्वास किया जाये, तो पश्चिमी रियासतोंके रेजिडेण्ट खुद ही इस वचन-भंगमें शामिल हैं। उसके लिए तो कांग्रेस और सरदार एक बला हैं। राजकोटमें हिन्दू-मुसलमानों तथा आम जनता और भायातोंके बीच झगड़े करानेके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। यों इनमेंसे कोई भी अभी तक आपसमें नहीं लड़ा है। आशा है कि मुसलमान और भायात खुद अपनी मुक्तिके दुश्मन साबित नहीं होंगे। सुधारकोंका काम तो स्पष्ट है। उन्हें सभी तरहके संघर्षोंको रोकना चाहिए और मौका पड़नेपर अपने ही आदमियोंके हाथों मरनेके लिए तैयार रहना चाहिए। अहिंसात्मक असहयोगके हथियारका प्रयोग उन्होंने अद्भुत सफलताके साथ किया है। अब भी चुपचाप बैठे हुए वे पूरी तरह इसको अपना सकते हैं। असली मालिक तो प्रजा ही है, राजा और राज्याधिकारी तो उसके नौकर हैं, जिनका काम अपने मालिकोंकी इच्छाका पालन करना है। जागृत और सचेत प्रजाके लिए, जो एकमतसे सोचना और काम करना जानती है, यह बात अक्षरशः सत्य है।

अन्य रियासतोंकी प्रजासे मैं प्रार्थना करूँगा कि वह आगे बढ़नेमें जल्दबाजीसे काम न ले। वह धैर्य और संयमसे काम लेगी, तो स्वतन्त्रता उसे मिलकर रहेगी। उसे चाहिए कि आपसमें मिल-जुलकर रहे और अपनी शक्तिको समझे। आपसी मतभेद उसमें नहीं रहने चाहिए। फूट डालकर शासन करनेकी अनुत्तरदायित्वपूर्ण भेद-नीतिका किस तरह मुकाबला किया जाये, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। सुधारक अहिंसाकी कलामें प्रवीण हों तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है।

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० ३१५।

त्रावणकोरवाले जरा सावधान रहे। इस बातका मेरे पास काफी सबूत मौजूद है कि वहाँ हिन्दुओ, ईसाइयो और एजवाओमे फूट डालनेकी कोशिश हो रही है। उन्हे उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है, तो इस बात को भूल ही जाना होगा कि वे भिन्न-भिन्न जातियोके है। उन्हे यह सीखना होगा कि वे एक और अखण्ड राजनैतिक इकाई है और हिंसाकी सभी शक्तियोपर नियन्त्रण रखना होगा। यदि उन्हे अहिंसात्मक उपायोमे स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो सारे त्रावणकोरमे पुलिसकी मददके बगैर शान्ति बनाये रखनेकी जिम्मेदारी भी उन्हे उठानी होगी। अज्ञानी जनतामे प्रचार करनेके लिए सभा और जलूस आवश्यक है। लेकिन नागरिकताके अपने कर्तव्यको समझनेवाली जागृत जनताके लिए उनकी कोई जरूरत नही है। स्वराज्य जागृत जनताके ही लिए है, निद्राग्रस्त और अज्ञानी जनताके लिए नही है।

बारडोली, २३ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१-१९३९

३६९. अन्दरकी गन्दगी

मेरा और मेरे साथियोका बहुत-सा वक्त कांग्रेसजनोमे व्याप्त भ्रष्टाचारकी शिकायतो पर ध्यान देनेमे जाता है। इस तरहके पत्रोका एक ताजा नमूना बम्बईके एक कांग्रेसीने भेजा है। वह लिखते है :[1]

> पिछले इतवारको बम्बईमें त्रिपुरी-कांग्रेसके लिए प्रतिनिधियोका चुनाव हुआ था। मतदान सवेरे ८ बजेसे शुरू होनेवाला था। मैं कोई पौने नौ बजे कांग्रेस-भवन पहुँचा, लेकिन यह जानकर तो मैं हैरतमें आ गया कि इस ४५ मिनटके थोड़े-से समयमें ही कोई मेरे नामसे मतदान कर चुका था। और भी बहुतो को ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने इसका पता लगानेकी कोशिश की और यद्यपि (जैसी आशा थी) ऐसा करनेवालेका तो मैं पता नहीं लगा सका, मगर मुझे मालूम हुआ कि दूसरोके नामसे मतदान करनेका यह काम नियमित रूपसे संगठित था और मतदान शुरू होते ही सामूहिक रूपसे शुरू हो गया था। ऐसी हालतमें यह स्वाभाविक ही था कि जो लोग आध घंटेकी भी देरीसे आये, उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि इस बीच उनके नामसे मतदान हो चुका था।
>
> इस गन्दगीको रोकनेके लिए अनेक उपाय आपको सुझाये जा चुके है, लेकिन मेरी नम्र सम्मतिमें जब तक हम मतदाताओंको मतकी पर्ची देनेसे पहले अपनी सदस्यताके कार्ड पेश करनेकी और उनपर बाकायदा मुहर लगवानेकी पद्धति न डालेंगे, तब तक इस बारेमें कुछ नही हो सकता। . . .

१. यहाँ पत्रका एक अंश ही उद्धृत किया जा रहा है।

इस पत्रमें सुझाई हुई बात बिलकुल ठीक है। मेरा तो यही खयाल था कि अपनी शिनाख्तका कार्ड पेश करनेपर ही हरएक मतदाताको मत देने दिया जाता है।

मगर उपर्युक्त पत्रको उद्धृत करनेमे मेरा मंशा सिर्फ यही नही है कि बम्बईमें होनेवाली जालसाजीकी ओर ध्यान आकर्षित करके उसको रोकनेका उपाय बताये। यह पत्र तो एक तरहका सकेत है। जाली मत देनेके अलावा कांग्रेस-रजिस्टरोंमें भी पूरी गड़बड़ की जाती है और उनमे जाली नाम दर्ज रहते है। इन रजिस्टरोकी वही कीमत है जो जाली सिक्कोसे भरी हुई तिजोरीकी हो सकती है। काग्रेसके चुनावोंमें झगड़ा होनेकी बात आम होती जा रही है। काग्रेसजनोकी अनुशासनहीनता हर जगह बढती ही जा रही है। उनमे से अनेक तो ऐसे भाषण देते है जिनमे न केवल उत्तरदायित्वकी भावना नही होती बल्कि जो हिंसात्मक भी होते है। बहुत-से सदस्य हिदायतोका पालन नही करते। बिहारका उदाहरण इस समय उल्लेखनीय है। बिहारके किसान कांग्रेसी समझे जाते हैं। उनके नेता कांग्रेसी है। लेकिन बिहारके मन्त्रियोको किसानोके विद्रोह तथा प्रदर्शनका सदा भय बना रहता है। अभी दो दिन पहलेकी बात है, जब खानदेशसे एक सुप्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ताके नेतृत्वमे कलेक्टरके बंगलेपर किसानोके प्रस्तावित कूचकी तार द्वारा खबर मिली थी। इसी तरहके और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

रोमके पतनसे बहुत पहले उसका ह्रास शुरू हो गया था। जिस काग्रेसकी परवरिश पचास सालसे अधिक वर्ष तक देशके सर्वोत्तम मस्तिष्कवाले लोग करते रहे हैं, वह अपने अन्दर ह्रास शुरू होते ही नष्ट नही हो जायेगी। और अगर भ्रष्टाचारका वक्त पर ही मुकाबला कर लिया जाये, तब तो उसके नष्ट होनेकी कोई जरूरत ही नही है।

मेरी रायमे कांग्रेसके सामने सबसे बड़ा काम इस चतुर्मुखी ह्रासका मुकाबला करना है। अपने लक्ष्यसे अभी भी हम बहुत दूर हैं। जब तक कि हमे अपने साधनो और उनके अर्थ तथा फलितार्थोका ही ठीक निश्चय न हो तब तक उसकी ओर हम बढ़ ही नही सकेंगे। और जब परीक्षाकी घड़ी सचमुच आयेगी तब हम उसके लिए तैयार नही मिलेंगे। उस हालतमे अगर मुझे सत्याग्रहियोंकी किसी सेनाका नेतृत्व करनेके लिए कहा गया तो मैं उस बोझको नही उठा सकूँगा। यह एक बहुत बड़ी बातको स्वीकार करना है। लेकिन मैं अगर ऐसा न करूँ तो मैं कायर ही नही बल्कि उससे भी बड़ा अपराधी ठहराया जाऊँगा। जनसाधारणमे तो अहिंसाका भाव काफी परिमाण मे मौजूद है, लेकिन जिन्हें जनसाधारणका संगठन करना है उनमे वह काफी परिमाण में नही है। और जिस तरह अपनी तिजोरीमें कुछ न होनेपर कोई बैंकर बैंक नही चला सकता, उसी तरह जब तक बिना टालमटोल आज्ञा-पालन करनेवाले सैनिक न हों, तब तक कोई सेनापति किसी लड़ाईका सचालन भी नही कर सकता।

किसी कांग्रेसीको मुझे इस तरह सोचनेके लिए दोष नही देना चाहिए। कांग्रेसमे न होते हुए भी मैंने उससे अपना सम्बन्ध नही तोड़ा है। कांग्रेसवाले अब भी मुझसे उम्मीद करते है कि जब मेरी रायमें कुछ करनेका अवसर आये तब मैं

उनको आह्वान करूँ। यही नही, यदि ईश्वर चाहेगा तो मै समझता हू कि मैंने अबतक जो लडाइयाँ लड़ी है उनसे भी ज्यादा जबरदस्त लडाईका नेतृत्व करनेकी मुझमे शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन रास्तेमे बडे-बडे रेगिस्तान है। उनमें से एकका मैंने यहाँ उल्लेख किया है जिसे कांग्रेसवाले देख सकते है, जिसमे निपट सकते है। मेरे परदा उठाकर इस गन्दगीको लोगोके सामने ले आनेसे कांग्रेसका कोई नुकसान नही होगा। हाँ, यदि इस बातको जानते हुए भी मै लोगोसे छिपाऊँ, तो जरूर नुकसान होगा।

इस समय कांग्रेसकी जो हालत है उसमें मुझे देशके अन्दर अराजकता और सर्वनाश फैलनेके सिवा और कुछ होता नजर नही आता। क्या त्रिपुरीमे हम इस कठोर सत्यका सामना करेंगे?

बारडोली, २३ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१-१९३९

३७०. 'कितने भगवत्परायण!'

कुमारी म्यूरियल लेस्टर, जो दुनिया घूमी हुई है, और गोलमेज सम्मेलनके दिनोंमे [लन्दनके] ईस्ट एण्डमे मेरी मेजबान थी, आजकल सीमाप्रान्तमे है। बादशाह खानसे मिलनेके बाद वे उनके बारेमे लिखती है.

> **अब मुझे खान अब्दुल गफ्फार खाँको भलीभाँति जान लेनेके बाद, मै ऐसा महसूस करती हूँ कि जहाँ तक अद्भुत व्यक्तियोसे मिलनेका सवाल है, इस तरहका सौभाग्य मुझे अपने जीवनमें शायद कोई और नहीं मिलनेवाला है। वे 'न्यू टेस्टामेंट'की सौम्यतासे युक्त, 'ओल्ड टेस्टामेंट'के राजकुमार है। वे कितने भगवत्परायण है! आपने उनसे हमारा परिचय सम्भव कराया, इसके लिए मै आपकी आभारी हूँ।**
>
> **वे कल हमें उटमंजई ले जा रहे है। मोरासे फिर भेंट करके खुशी होगी।**

यह वैयक्तिक प्रमाण-पत्र यदि मुझे एक असन्तुलित मनकी अतिरंजना लगता, तो मै इसे कभी प्रकाशित न करता। यह सच है कि म्यूरियल लेस्टर जिससे मिलती है, तुरन्त उसके उज्ज्वल पक्षको देख लेती है। यह कोई दोष नही, बल्कि एक गुण है। कोई भी व्यक्ति, भगवत्परायण मनुष्य भी, दोषसे मुक्त नही है। वह भगवत्परायण इसलिए नही है कि वह दोषमुक्त है, बल्कि इसलिए है कि वह अपने दोषोको जानता है, उन्हे दूर करनेका प्रयास करता है, वह उन्हे छिपाता नही है और अपने-आपको सुधारनेके लिए सदा तैयार रहता है। खानसाहब, जो अपनेको खुदाई खिदमतगार कहनेमे गर्वका अनुभव करते है, ऐसे ही है। वे एक निष्ठावान मुसलमान है जिनकी नमाजो और रोजोमे कभी कोई नागा नही होता। 'कुरान'की उनकी व्याख्या इतनी उदार है जितनी मैंने अब तक नही देखी थी। खुदाई खिदमतगारोमे कताई

आदि चालू करनेके लिए मैने उन्हे जिन कार्यकर्ताओकी सेवाएँ पेश की उनमे से उन्हे एकको चुनना था। उन्होने जानबूझकर मीराबाई, मेडेलीन स्लेड,को चुना। वह अभी तक उसी घरमे रह रही थी जिसमे खानसाहब रहते है और अब खानसाहबके घरसे लगे कमरोमे रह रही है। वहाँ वह अपनी कक्षा चलाती है। वह मुझे प्रायः नित्य पत्र लिखती है। यद्यपि वह जिनसे प्रेम करती है उन्हे वह जानती नही, फिर भी मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि म्यूरियल लेस्टरके मन पर इस महामना फकीरकी जो पहली छाप पडी है, उसकी उसके [मीराके] पत्रोसे भी पुष्टि होती है। फिर भी अंग्रेज अधिकारियोके लिए इस व्यक्तिका कोई उपयोग नही है। वे इससे डरते है और इसपर अविश्वास करते है। यह अविश्वास वैसे मुझे बुरा न लगता, पर इससे प्रगतिमे बाधा पड़ती है, इससे भारत और इग्लैडकी हानि होती है और इस तरह विश्वकी भी होती है।

बारडोली, २३ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१-१९३९

३७१. इस्लामी संस्कृति

एक महान मुसलमान सज्जनने मुझसे उस दिन कुछ ऐसे प्रश्न पूछे, जो मुझे अजीब-से मालूम हुए। अजीब इसलिए कि मेरा तो यह खयाल था कि हरएक मुसलमान जो मुझे जानता है — और यह महान मुसलमान सज्जन भी मुझे जानते है — वह मेरे बदले उनका जवाब दे सकता था। वह सवाल-जवाब यह है:

प्र० : मुसलमानोके लिए क्या आप अब भी वही है, जोकि दक्षिण आफ्रिकामें थे — यानी उनके मित्र, पिता और रहनुमा।

उत्तर: मैने दक्षिण आफ्रिकामे उनका या और किसीका पिता होनेका कभी दावा नही किया। उनका रहनुमा और दोस्त मै बेशक था। (मै यहाँ यह कह दूँ कि वहाँ मुसलमान और दूसरे लोग मुझे 'भाई' कहकर पुकारते थे।) चौबीस साल पहले दक्षिण आफ्रिकामे मै उनके लिए जो था आज भी बिलकुल वही हूँ। दूसरे भारतवासियोकी तरह मुसलमानोको भी मै सहोदर भाई समझता हूँ। जिन आम और खास अधिकारोंके अन्य भारतवासी हकदार है, उनका मुसलमानोको भी हक है।

प्र० : तो जिस तरह आप अपनी हिन्दू-संस्कृतिकी उन्नति चाहते है, उसी तरह क्या आप उनकी संस्कृतिकी भी तरक्की चाहते है?

उत्तर: बेशक। इसके विपरीत मै कुछ और कर ही नही सकता, क्योकि मेरा विश्वास है कि इस्लाम और दूसरे महान धर्म उतने ही सच्चे है, जितना सच्चा कि मेरा अपना धर्म है। इस्लाम और ईसाई धर्म अपने साथ जो संस्कृतियाँ यहाँ लाये, उनसे भारत और समृद्ध हुआ है। मौजूदा परस्पर-विरोधकी भावनाएँ, मेरी रायमे, टिकनेवाली नहीं है।

प्र० : आपकी इजाजत से मैं जरा साफ बात करूँगा। अकबर जो सपना देखा करता था, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। वह सब मजहबोंको मिलाकर एक नया धर्म स्थापित करना चाहता था। क्या आपका भी वैसा ही कोई ध्येय है?

उत्तर मुझे पता नही कि अकबर कैसा सपना देखा करता था। सब मजहबोंको एक बनानेका मेरा कोई इरादा नही है। हरएक धर्मका मानवीय विकासमे अपना खास योगदान है। संसारके बड़े-बड़े धर्मोको मैं एक ही वृक्षकी अनेक शाखाएँ मानता हूँ। हालांकि ये निकली एक ही वृक्षसे है, पर एक शाखा दूसरी शाखासे भिन्न है।

प्र० : आप मुझे बतायेंगे कि हिन्दुस्तानी जबानसे आपका क्या मतलब है? क्या आप एक सामान्य शब्दकोशके पक्षमें हैं?

उत्तर जरूर। मेरा ख्याल है कि मौलवी अब्दुल हक साहबने एक ऐसा शब्दकोश तैयार किया है जिसमे उर्दूके उन तमाम शब्दोको ले लिया गया है जो काशीके शब्द-सागरमें मिलते है, और हिन्दीके उन शब्दोंको लिया है, जो उस्मानिया लुगतमे पाये जाते है। मौलवी साहबके शब्दकोशको स्वीकार कर लेनेके लिए मैंने कांग्रेससे सिफारिश की है। और नये शब्द दाखिल करनेके लिए मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेन्द्रबाबूका एक बोर्ड बना देनेकी तजवीज रखी है।

प्र० : सरहदी जनजातियोंके बारेमें आपका क्या खयाल है? आपको यह तो मालूम ही है कि वे लोग ब्रिटिश हुकूमतके नीचे रौंदे जा रहे हैं? क्या आप इस पक्षमें हैं कि हिन्दुस्तानसे उनके सम्बन्धोका नियमन सीमाप्रान्तकी इच्छाके अनुसार हो?

उत्तर : अवश्य। इस दिशामे मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने तो कई बार सार्वजनिक रूपसे कहा है कि हिन्दुस्तानको उनके साथ विश्वास और मित्रताका सम्बन्ध जोड़ना चाहिए, उन्हें उसे अपना कुदरती दुश्मन नही समझना चाहिए। मै उनके बीचमे खुद जानेकी कोशिशमें हूँ और बादशाह खानके लिए भी इजाजत लेनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

उन्होंने कुछ और भी प्रश्न पूछे, पर वे सर्वसाधारणके लिए उतनी दिलचस्पीके प्रश्न नही है, जितने कि वे प्रश्न जिनके जवाब मैंने ऊपर दिये है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनमें वाद-विवादकी भी कोई बात नही है। मुझे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि साम्प्रदायिक एकतामे मेरा जो विश्वास था वह अब भी है। मेरा जीवन अब भी उसके लिए अर्पित है। यद्यपि कोई-न-कोई राजनीतिक समझौता तो होना ही है, पर बगैर हृदयकी एकताके मुझे उससे सन्तोष नही होगा। और स्थायी मित्रता या भ्रातृत्वका आधार अगर अहिंसा नही होगी, तो हृदयकी एकता की कल्पना भी नही की जा सकती।

बारडोली, २३ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१-१९३९

३७२. तार : जमनालाल बजाजको

बारडोली
२३ जनवरी, १९३९

जमनालाल बजाज
मार्फत कानोडिया
कलकत्ता

समय निश्चित कर रखा गया है।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१०

३७३. पत्र : अमतुस्सलामको

बारडोली
२३ जनवरी, १९३९

प्यारी बेटी,

तेरा खत मिला। कैसा खत? दूर बैठी भी काटती है। तेरी चिंता मैं क्यों करूं। भगवान सबकी करता है।

ताज्जुबी है मृदुलाबहन नहीं मिली।

मेरी तबीयत अच्छी है। १६०/९४ दोपहरको था।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१२) से।

३७४. पत्र : रामेश्वरी नेहरूको

वारडोली
२३ जनवरी, १९३९

प्रिय भगिनि,

तुमारे दोनों खत मिले हैं। लेख 'हरिजन' में प्रगट होंगे।[1] मैंने ही तो मांगे थे ना? मैं दूसरेकी राह देख रहा था। वह अच्छी होगी। बा अच्छी है।

बापुके आशीर्वाद

रामेश्वरी नेहरू
पाकपट्टन
पंजाब

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९८७) से। सी० डब्ल्यू० ३०८३ से भी; सौजन्य : रामेश्वरी नेहरू।

३७५. भेंट : 'टाइम्स ऑफ इंडियाके प्रतिनिधि'को

वारडोली
२४ जनवरी, १९३९

प्रतिनिधि द्वाराके यह पूछनेपर कि पिछले सप्ताहके 'हरिजन' में आपके इस कथनका[2] क्या अभिप्राय है कि "यदि जयपुरके अधिकारी इस जिदपर अड़े रहे कि सेठ जमनालाल बजाजको रियासतमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा तो अखिल भारतीय संकट खड़ा हो जायेगा," गांधीजी ने कहा :

सेठ जमनालाल जयपुरकी प्रजा होते हुए भी अखिल भारतीय स्तरके आदमी हैं। वे कांग्रेस-कार्यसमितिके सदस्य भी हैं और यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि वे मूलतः एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। वे उस संगठनके प्रधान हैं जो पिछले कुछ सालोंसे जयपुरमें कार्य करता आ रहा है और जिसे काम करनेकी अनुमति भी दी गई है। इसकी गतिविधियोंमें कभी कुछ भी गुप्त नहीं रहा है। इस संगठनमें गम्भीर प्रकृतिके

१. इन्हें १८-३-१९३९, १-४-१९३९, १५-४-१९३९, २९-४-१९३९, ६-५-१९३९, और २०-५-१९३९ के **हरिजन** में प्रकाशित किया गया था।
२. देखिए "जयपुर", पृ० ३३१-३२।

प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनोंके बीच काफी ज्यादा रचनात्मक कार्य किया है। जयपुरमें शासन-तन्त्रकी बागडोर एक प्रसिद्ध राजनैतिक-सैनिक-अधिकारीके हाथमें है, जमनालालजी और उनके संघ अर्थात् जयपुर राज्य प्रजा मण्डलके विरुद्ध घोषित प्रतिबन्धके बारेमें रियासतकी नीतिका निर्धारण और संचालन वही कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि जयपुरके प्रधानमन्त्री, सर बीकम सेंट जॉन, इस सम्बन्धमें जो भी कर रहे हैं, केन्द्रीय सत्ताकी कम-से-कम मौन स्वीकृतिके बिना नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी अनुमतिके बिना वह जयपुर-जैसी महत्त्वपूर्ण रियासतके प्रधानमन्त्री भी नहीं बन सकते थे।

यदि जयपुरके अधिकारियोंकी कार्यवाहीमें एकाएक प्रथम श्रेणीका संकट पैदा हो जाये तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सारा भारत उदासीन भावसे चुपचाप देखता रहे और वहाँ जमनालालजी बिना किसी अपराधके जेलमें बन्द कर दिये जायें और प्रजामण्डलके सदस्योंसे भी ऐसा ही व्यवहार किया जाये। ताकत होते हुए भी कांग्रेस यदि इसका उपयोग नहीं करती और जयपुरकी जनताको इस प्रकार अपने समर्थनके लाभसे वंचित करके उनकी भावनाका दमन होने देती है तो वह अपने कर्तव्यकी अवहेलना करेगी। मेरे इस कथनका कि जयपुर या राजकोटमें जो-कुछ हो रहा है, उससे अखिल भारतीय संकट पैदा हो सकता है, यही अर्थ है।

मेरी तो राय यह है कि कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप न करनेकी नीति तब तक राजनीतिमत्ताका श्रेष्ठ उदाहरण मानी जा सकती थी जब तक कि रियासतोंके लोगोंमें जागृति नहीं आई थी। लेकिन इस समय जब रियासतोंके लोगोंमें चहुँमुखी जागृति है और अपने न्यायसंगत अधिकारोंको स्थापित करनेके लिए वे लम्बी अवधि तक कष्ट सहनेको तैयार हैं तो अब वह नीति कायरताकी द्योतक होगी। यदि एक बार यह चीज समझ ली जाये तो सारे भारतमें जहाँ भी कहीं स्वतन्त्रताके लिए संघर्ष होता है, वह सारे भारतका संघर्ष माना जायेगा। जहाँ कहीं कांग्रेस ऐसा समझती है कि उसका हस्तक्षेप करना उपयोगी होगा वहाँ उसे हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए।

गांधीजी से एक और प्रश्न पूछा गया: एक संस्थाके रूपमें कांग्रेसका और विभिन्न प्रान्तोंके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंका एक ऐसे मसलेपर संकट खड़ा करना कहाँ तक उचित माना जा सकता है जिसका सम्बन्ध महज एक रियासतसे ही है? इसके उत्तरमें गांधीजी ने कहा:

मान लीजिए कि ब्रिटिश भारतके किसी खास जिलेमें जिलाधीश उस जिलेके लोगोंकी हत्या कर दे तो क्या कांग्रेसके लिए हस्तक्षेप करना और अखिल भारतीय स्तर पर संकट खड़ा कर देना उचित नहीं होगा? यदि इसका उत्तर 'हाँ' हो तो हस्तक्षेपके विषयमें कांग्रेसके आचरणकी जाँच करनेके लिए जयपुरके मामलेमें भी यही बात लागू होती है। यदि कांग्रेसने ऐसा प्रस्ताव न किया होता कि वह [रियासतोंमें] हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वास्तवमें यह सवाल ही न उठता। इसलिए बिना सोचे-समझे बात करनेवाले लोग मुझपर बहुत बार यह आरोप लगाते हैं कि मैंने यह क्यों कहा

था कि भारतीय रियासतें सवैधानिक दृष्टिसे हमारे लिए विदेशी राज्यो-जैसी है। मै यह आरोप स्वीकार नही करता। मै रियासतोमे घूमता रहा था और मुझे ठीक पता था कि रियासतोके लोग अभी तैयार नही है।

जिस क्षण वे लोग तैयार हो गये, कानूनी, सवैधानिक और कृत्रिम सीमाएँ नष्ट हो गई। यह बहुत बडा नैतिक प्रश्न है। कानूनी या सवैधानिक औचित्य और इसी तरहकी दूसरी चीजे अपने-अपने क्षेत्रमे तो सही है परन्तु मानव-मनके इन कृत्रिम बन्धनोको तोडकर ऊपर उठते ही ये चीजे मानव-प्रगतिमे बाधक बन जाती है। मै अपनी आँखोके सामने आज यही चीज होते देख रहा हूँ। किसी बाहरी प्रेरणाके बिना ही मुझे यह सूझा कि समय आ गया है जब काग्रेसको इस तरहका हस्तक्षेप करना चाहिए जैसाकि आप देख रहे है। और यदि काग्रेसने नैतिक शक्तिका जो दर्जा हासिल किया है उसे वह कायम रखती है, दूसरे शब्दोमे, यदि काग्रेस अपनी अहिसाकी नीतिका पालन कर पाती है, तो यह हस्तक्षेप मजिल-दर-मजिल बढता ही जायेगा।

लोग कहते है कि मैने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और जो-कुछ मैने सालो पहले कहा था अब मै उससे उल्टा कहता हूँ। सच्चाई यह है कि मै वही हूँ परन्तु परिस्थितियाँ बदल गई है। मेरी बातें और कार्य सामयिक परिस्थितियो द्वारा प्रेरित होते है। मेरे वातावरणमे क्रमश: विकास होता रहा है और एक सत्याग्रहीके रूपमे मै उससे प्रभावित हुआ हूँ।

प्रतिनिधिने गांधीजी का ध्यान राजकोट और बड़ौदाकी हालकी घटनाओकी ओर दिलाया जहाँ अल्पमतवाले लोग काग्रेसके हुक्म चलानेके रवैयेके खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं। गांधीजी ने उत्तरमें कहा कि इन घटनाओसे वे विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा :

चूंकि इस वक्त साम्प्रदायिक मनमुटाव है इसलिए स्वतन्त्रता-आन्दोलन वापस ले लिया जाये या उसे फिलहाल रोक लिया जाये, ऐसा नही हो सकता। मुझे दिखाई दे रहा है कि इतिहास अपने-आपको दुहरा रहा है और सत्ताधारी, जिन्हे कि पीछे हटना पड रहा है, अपना होश खो बैठे है और [जनतामे] अन्दर-ही-अन्दर झगडे खड़े कर रहे है और मतभेद उभार रहे है। उन्हे आशा है कि वे इन मतभेदोके द्वारा अपनेको जैसे-तैसे सत्तामे बनाये रख सकेगे। यदि लोगोको यह पता हो कि अहिंसाकी पद्धति किस तरह काममे लाई जाती है तो इस तरह काम करनेवाली शक्तियाँ हतबुद्धि हो जायेगी और जनताकी विजय होगी।

उदाहरणके लिए, यदि राजकोटके लोगोको स्वतन्त्रता मिल जाये तो वहाँके मुसलमानोको सब प्रकारसे लाभ ही होगा। आज वे वहाँके शासकोकी नही अपितु उनके सलाहकारोकी मर्जी पर निर्भर है। कल वे जनताके साथ उसके अधिकारोमे हिस्सेदार होगे, क्योकि वे भी तो प्रजा ही है। लेकिन मै सचमुच ऐसा नही मानता कि राजकोटमें मुसलमान वास्तवमे विरोध कर रहे है। यह बात मै निजी अनुभवके आधारपर जानता हूँ कि हिन्दुओंके साथ उनके बहुत अच्छे सम्बन्ध है। तीन महीनेके

संक्षिप्त किन्तु शानदार संघर्षके दौरान राजकोटके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें कोई मतभेद नहीं रहा। चाहे मुसलमान ज्यादा संख्यामें जेल न गये हों, लेकिन सामूहिक रूपसे उन्होंने संघर्षका समर्थन किया।

बड़ौदाका यह दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ा सचमुच मेरी समझमें नहीं आता। मैं अभी इतना हतप्रभ हूँ कि वस्तुस्थितिको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस मामलेमें भी मैं यही कहूँगा कि यदि बड़ौदामें स्वायत्त शासन हो जाता है तो महाराष्ट्रीयोंको क्या हानि हो सकती है? उनमें इतनी ताकत है कि वे अपने अधिकारोंकी रक्षा कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि तथाकथित बहुसंख्यक गुजराती उन्हें कुचल डालेंगे और यदि बहुसंख्यक लोगोंको रियासतकी नौकरियोंमें अपने हिस्सेके चन्द टुकड़े मिल भी जायें, तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण महाराष्ट्रके लोग स्वतन्त्रताके संघर्षमें भाग नहीं लें। इसलिए यद्यपि मैं इस झगड़ेकी तह तक नहीं जा सका हूँ तो भी जब तक सुधारक अहिंसक बने रहते हैं और महाराष्ट्रीयोंकी कार्रवाईकी वजहसे उनके प्रति अपने मनमें कोई दुर्भाव नहीं लाते हैं तब तक मुझे इसमें कोई खतरा नहीं लगता। जहाँ तक बड़ौदाका सम्बन्ध है, जब यह बात ध्यानमें आती है कि २,५००,००० की आबादीमें से कुछ-एक हजार ही महाराष्ट्रीय हैं और वे भी ज्यादातर बड़ौदा शहरमें ही हैं, तब इस प्रश्नका कोई महत्व नहीं रह जाता।

[अंग्रेजीसे]
टाइम्स ऑफ इंडिया, २५-१-१९३९, और हरिजन, २८-१-१९३९

३७६. पत्र : मणिलाल गांधीको

बारडोली
२५ जनवरी, १९३९

चि० मणिलाल,

इस पत्रके साथ १०० पौंडका चेक है। यह पुस्तकालयकी इमारतकी मरम्मतके लिए है न? ज्योतिषीकी भविष्यवाणीका क्या डर? मेरे कूच करनेका वक्त तो अब है ही। कल मेरे चले जानेका समाचार सुनो, तो रोना मत। मेरा काम तुम दोनों करना, और मेरे उत्तराधिकारियोंके रूपमें अपनेको शोभान्वित करना। बल्कि उस उत्तराधिकारमें वृद्धि करना। पैसा तो हाथका मैल है, लेकिन अगर मुझमें कुछ गुण रहे हों, तो वे ही तुम्हारी विरासत हैं। उनमें इजाफा करना और सुखी होना। इस विरासतमें सबका हिस्सा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९३) से।

३७७. पत्र : सुशीला गांधीको

बारडोली
२५ जनवरी, १९३९

चि० सुशीला,

तेरा पत्र तेरे ही योग्य है। यह मुझे ६·३० पर मिला। इस समय ७·५० हुए हैं। मैं तो केवल तुम लोगोका श्रेय ही सोचता हूँ, वर्ना बाप कैसा? सपनेसे या भविष्यवाणीसे डर कर रुक जाना अनुचित माना जायेगा। भविष्यवाणी सच्ची हो, तो भी कर्तव्यसे चूकना उचित नही। मै मर जाऊँ या अकोलामे कोई मर जाये, तो तेरे यहाँ नही रहनेसे क्या हर्ज होगा? अगर तेरी हाजिरी यहाँ सेवाके लिए जरूरी होती, तो यहाँ रहना तेरा कर्तव्य होता, अन्यथा तेरा स्थान मणिलालके बाजूमे है। तू उसकी वामागी है। वामाग याने बायाँ बाजू। तू उसकी अर्द्धांगिनी है। जहाँ मणिलाल, वहाँ तू। बिना सकोचके और हलके मनसे जा। यही तेरा कर्तव्य है।

साथका पत्र मणिलालके लिए है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९४) से।

३७८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

बारडोली
२६ जनवरी, १९३९

गोपनीय

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

पिछले महीनेकी २३ तारीखके मेरे पत्रके उत्तरमें इसी महीनेकी ४ तारीखका आपका जो स्पष्ट पत्र मिला उसपर से मै आपका ध्यान अमुक घटनाओकी ओर, मै उन्हे जिस तरह देखता हूँ उसके अनुसार, आकर्षित करनेका साहस कर रहा हूँ।

उड़ीसामे हालत सबसे खराब लगती है।[1] वहाँ जनमत अन्य स्थानोकी तरह शक्तिशाली नही है और रणपुरमे मेजर बजलजेटकी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हत्यासे परिस्थिति और जटिल हो गई है। उड़ीसा सरकारने, जैसाकि सरकारी तौरपर स्वीकार

१. देखिए "देशी राज्य", पृ० ३५३-५५।

भी किया गया है, जो भी सहायता वह दे सकती थी, दी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण काण्डके अलावा, तालचेरकी कुल ७५,००० की आबादीमें से २६,००० व्यक्ति ऐसे कष्टोके कारण जो अवर्णनीय बताये जाते है, ब्रिटिश उड़ीसामे चले आनेको बाध्य हुए है।

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस देशान्तरणके कारणोकी छानबीन करवाना और लोगोकी शिकायते दूर करना रेजीडेंटका कर्तव्य है।

काठियावाड़के रेजीडेंटने, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, राजकोटके ठाकुर साहबको प्रजाके साथ हुए अपने पवित्र समझौतेको, जो एक सरकारी अधिसूचना[1] के रूपमे प्रकाशित हुआ था, तोडनेके लिए प्रेरित किया है। राजकोटमे इसलिए संघर्ष फिर शुरू हो गया है।

जयपुरके अंग्रेज प्रधानमन्त्रीने, कहते है, सुप्रसिद्ध बैंकर, परोपकारी और समाज-सुधारक सेठ जमनालाल बजाजको और उस सामाजिक-राजनैतिक संगठनको, जिसके कि वे प्रधान है, कुचल डालनेकी प्रतिज्ञा की है।[2] उनका अपराध यही है कि वे महाराजाके अधीन उत्तरदायी सरकार चाहते है।

मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि यह जानकारी विश्वसनीय है, तो केन्द्रीय सरकार उसकी जिम्मेदारीसे बच नही सकती।

इसका अर्थ यह है कि रियासतके लोगोको केवल अपने शासकोसे ही नही लड़ना है, जो स्वयं अपनी प्रजाका प्रतिरोध करनेमे असमर्थ है, बल्कि उन्हे केन्द्रीय सरकारके अदृश्य और अति शक्तिशाली हस्तक्षेपसे भी लड़ना है।

इस भयानक समस्याको मैं आपके आगे रखनेका दुस्साहस कर रहा हूँ। भयानक मैं इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे नही मालूम कि यह केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस दोनोको कहाँ तक उलझायेगी—उस कांग्रेसको जिसका रियासतके लोगोके प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। मैं यह बात समझ सकता हूँ कि सर्वोच्च सत्ता पर रियासतोको बाहरी खतरे और भीतरी अराजकतासे बचानेके संधिजन्य दायित्व है। परन्तु क्या इसीसे जुड़ी हुई यह बात भी उतनी ही सत्य नही है कि यदि रियासते अपनी प्रजाका दमन करती है तो सर्वोच्च सत्ताको उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। क्या कोई रियासत भाषण, सभाओ और इसी तरहकी अन्य स्वतन्त्रताओका दमन कर सकती है, और इसके बावजूद वह सर्वोच्च सत्तासे यह अपेक्षा रख सकती है कि यदि उसकी प्रजा अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रताके लिए, जिसका कि किसी भी अच्छे समाजमे हर मानव-प्राणी को अधिकार होता है, अहिंसात्मक संघर्ष करे तो उसके दमनमे वह उसकी सहायता करेगी?

जब तक कि मुझे बतानेके लिए कोई खास बात न हो, मुझे अपने इस पत्रके उत्तरकी अपेक्षा नही है। मैं जानता हूँ कि आप हर समय कितने व्यस्त रहते है।

१. देखिए "देशी राज्य", पृ० ३५३-५५।
२. देखिए पृ० ३३१-३२।

मेरे लिए यह जान लेना ही काफी है, जैसाकि मैं जानता भी हूँ, कि मेरे पत्रों पर आप स्वय ध्यान देते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी मुद्रित प्रतिकी माइक्रोफिल्मसे : लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ४०१-२ से भी।

३७९. पत्र : चन्दन पारेखको

बारडोली
२६ जनवरी, १९३९

चि० चन्दन,

तुझे ३० रुपये भेज देनेको मैंने कनुसे कहा है। यह भेजना रह गया था, इसका मुझे खेद है।

अगर तेरा मामला ह० के खिलाफ नही होता, तो वे जानेवाले नही थे, इतना तू निश्चित समझ? अपने पहले पत्रका उद्देश्य तू मत भूल। ह० से तुझे स्त्री-शिक्षा छुड़वानी थी, वह छूट गई है। अब और कुछ करना निर्दयताकी सीमामें आयेगा। तेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। तुझे मैं दोषी नही मानता। तू मुझसे यही न्याय चाहती थी न? जमनालालजी आदिको ये पत्र सौंपूँ और वे तुझे दोषी ठहराये, तो क्या तू अपने-आपको दोषी मानेगी? क्या तू इतनी मूर्ख है? तेरे पत्रका तो यही अर्थ है, क्योंकि तू लिखती है कि "अगर वे लोग मुझे दोषी ठहराये तो मै दोषी हूँ।" यह वाक्य बुद्धिमत्तापूर्ण नही है। मै तुझे निर्दोष ठहराऊँ, उसके बाद तेरे लिए और क्या करनेको रह जाता है? लेकिन मैंने तो तुझे इससे अधिक दिलाया है। तुझे निर्दोष ठहराया है, और ह० से दक्षिणामूर्ति और स्त्री-शिक्षा छुड़ाई है। ह० के मुँहसे उनका दोष स्वीकार करानेसे तुझे और क्या मिलेगा? कैदीको दण्ड दिया जाता है, लेकिन कैदीसे जबरदस्ती अपराध स्वीकार नही कराया जाता। सचमुच तू मूर्खता प्रदर्शित कर रही है। तुझे कहने जितना अधिकार तूने मुझे दिया है या नही? स्वस्थ होकर जवाब लिखना। तू कहेगी, तो मै जरूर जमनालालजी आदिको कष्ट दूँगा।

मेरी सलाह है कि तू ह० को भूलकर अपने काममे ध्यानावस्थित हो जा। भोजन अनुकूल न पड़े, तो स्वय पकाना। कुकरमे बनानेमें १५ मिनट लगेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४८) से; सौजन्य : सतीश द० कालेलकर।

३८०. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२६ जनवरी, १९३९

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमको मेरा खत मिला होगा। तुमारा प्रश्न यथार्थ है। इसमें क्या हूआ यह कहनेसे औषध नही मिलेगा। क्यों हूआ वह जानना चाहीये। आर्यन लीगमे काफी हिंसा है, उसको कौन पहूचेगा, तुमारे वर्णनका अर्थ यह निकलता है कि मुसलमान हिंसाशास्त्र ज्यादा जानते हैं, दो हिंसक युध्ध करे तव अहिंसक क्या करे? जव कुछ नही कर सकता हे तव वह प्रार्थना करे, वलवासे दूर रहे। और वलीदान देनेका मौका ढूंढे।

हि० टाइम्सके वारेमे तुमारे देवदाससे वात करना।

दगा का वयान यहांके अखवारमे तो कुछ नही है। स्टेट्समेन कुछ था?

कृपलानीका खत मैंने पढा नही है। प्या०[1] को दिया है। कृ०[2] को भेजेगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४७५) से।

३८१. भाषण : किसानोंकी सभामे[3]

बारडोली
२६ जनवरी, १९३९

जो प्रस्ताव आपने पास किये हैं, उन्हे मैंने यहाँ आनेसे पहले ही पढ लिया था। जो निर्णय आपने किये है, उनके लिए मै दोनो पक्षोको धन्यवाद देता हूँ। सरदारने

१. प्यारेलाल।

२. आचार्य जे० बी० कृपालानी।

३. इस सभामें लगभग दस-पन्द्रह हजार भूपति और 'हाली'— खेतिहर मजदूर —या 'दुबला' लोग उपस्थित थे। सभाका आयोजन किसानों और ग्राम-कार्यकर्ताओंकी उस समितिकी सिफारिशोंको स्वीकार करनेके लिए किया गया था जो पिछले वर्ष हालियोंका उनकी अवदशासे उद्धार करनेके सवालपर विचार करनेके लिए नियुक्त की गई थी। समितिकी सिफारिशें निम्नलिखित थीं: (१) प्रत्येक हालीको २६ जनवरी, १९३९ से साढे चार आना प्रति पुरुष और तीन आना प्रति स्त्री मजदूरी दी जाये; (२) ऐसा प्रत्येक हाली जो अपने मालिकके खेत पर १२ या उससे ज्यादा वर्ष काम कर चुका हो, मालिकके कर्जसे मुक्त माना जायेगा; (३) जिन्होंने १२ से कम वर्ष तक काम किया हो, उनका कर्ज, कर्जकी कुल रकमका बारहवाँ हिस्सा प्रतिवर्षके हिसाबसे कम हो जायेगा; (४) ऐसे हालियोंकी दैनिक मजदूरीसे एक आना प्रतिदिन तबतक काटा जाता रहेगा जब तक पूरा कर्ज अदा नहीं हो जाता; स्त्रियोंकी मजदूरीसे कुछ नहीं काटा जायेगा; (५) १२ वर्षकी अवधि पूरी होनेपर प्रत्येक

आपसे कहा कि यह निर्णय आप ईश्वरको साक्षी मानकर कर रहे हैं। जो मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है, उसका क्या हाल होता है, इसका थोडा-बहुत अनुभव आप लोगोको हो चुका है। मै आशा करता हूँ कि आप अपने इन निर्णयोका पूरी तरह पालन करेगे। कई वार ऐसा होता है कि लोग स्वेच्छासे ऐसा नही करते। तव उन्हे कानूनकी प्रेरणासे करना पडता है और उसके पीछे दण्डका भय भी होता है। आपने ये निर्णय स्वेच्छासे किये, यह वहुत अच्छी वात है। 'दुवला' जातिके लोग इन निर्णयोके वाद अव 'दुवला' नही रहे, वे वन्धनसे मुक्त हो गये। यह कोई छोटी उपलब्धि नही है। वैसे, इन निर्णयोको वारीकीसे देखने पर तो मुझे यह लगता है कि यहाँके किसान वडे कुशल व्यापारी है। कारण, इन निर्णयोके द्वारा तो आपने एक लाभका सौदा किया दीखता है। पहले 'दुवला' लोगोसे आप अपनी इच्छाके अनुसार काम लेते थे। अव इसके वदले आप उनसे पूरा काम लेंगे और उन्हें समुचित मजदूरी देगे। तो, इस निर्णयसे आपने कोई वडा कार्य किया है, ऐसा नही है। मै इससे वहुत प्रभावित नहीं हुआ। मेरी राय तो यह है कि स्त्री हो या पुरुष, यदि वह आठ घटे काम करे, तो उसे कम-से-कम आठ आना अवश्य मिलना चाहिए। ईश्वरकी इच्छा होगी, तो किसी दिन मेरे जीते-जी यह स्थिति होगी। आठ आने आपको शायद ज्यादा मालूम होते होगे, लेकिन सच पूछो तो ये ज्यादा नही है और आपने तो स्त्रीके तीन आने ही ठहराये है, जवकि स्त्रीसे काम तो पुरुष जितना ही लिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसके साथ यह भी कहा कि इस सौदेमे आपको लाभ भी है।

मै आपसे आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्तावका आप अक्षरार्थ न करे। ऐसा न माने कि साढे चार आने और तीन आनेसे ज्यादा दिया ही नही जा सकता। 'दुवला' लोगोको आपने वन्धन-मुक्त किया, इसका अर्थ यह है कि वे जहाँ चाहे वहाँ मजदूरी कर सकते है और जितनी चाहे उतनी मजदूरी पा सकते है। लेकिन इस निर्णयका रहस्य तो इस वातमें है कि वे जहाँ है वहाँ रहेगे और इस निर्णयके कारण आपके और उनके सम्वन्ध पवित्र वनेगे। हमने कहा है कि 'दुवला' लोगोको अव 'हलपति' का दरजा मिल गया है। इसका अर्थ यह नही कि किसान हल नही चलायेगे। हलपति तो किसान ही होगे। 'दुवले' उनके लिए ही हल चलायेगे। अलवत्ता, सच्ची वात तो यही है कि जो जमीन जोतता है, वही हलपति है और आदर्श स्थिति यह होगी कि किसी दिन किसान और 'दुवले', दोनो ही हलपति हो जायेंगे। एक वात और। प्रस्तावका यह अर्थ नही है कि किसी वार साल अच्छा आये और फसल वढिया हो, तो भी आप उन लोगोको साढे चार आने ही दे। यदि आपने ऐसा किया, तो मै कहूँगा कि आपने प्रस्तावका पालन नही किया है।

हाली, कर्ज पूरा अदा हुआ हो या न हुआ हो, कर्जसे मुक्त हो जायेगा; (६) कर्जदारकी मृत्यु हो जानेपर कर्ज समाप्त माना जायेगा। (७) प्रत्येक 'दुबला' को ८० रु० वार्षिक मजदूरी दी जायेगी और यदि उसपर कोई कर्ज हो तो इस मजदूरीमें से कर्जकी अदायगीके लिए १५ रु० काटे जा सकेंगे। (८) कर्जसे सम्बन्धित सारे प्रश्नोंका निपटारा करनेके लिए ग्राम-पच नियुक्त किये जायेंगे।

आप लोगोंने १९२१ में आजादीकी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञाके अधिकांशका पालन आपने अभी तक नहीं किया है। जो आपने आज किया है, वह तो १९२१ में करना चाहिए था। अनेक वर्ष पूर्व जो करना चाहिए था, उसे आज आपने इतनी देरमें किया है। तथापि, यह पुण्य-कार्य है और आप धन्यवादके पात्र हैं।

खेती हमारा मुख्य धन्धा है किन्तु सही खेती करना हमें आता नहीं है और खेतीका काम बारह माह तो होता नहीं है। इसके सिवा उससे पेट भी नहीं भरता। इसीलिए मैंने चरखेको "अन्नपूर्णा" का नाम दिया है। और चरखेके जितने गीत मैं पहले गाता था, उतने ही आज भी गाता हूँ। अतः यदि हलपतियोंको आगे बढ़ना है, तो उन्हें चरखा चलाकर अपनी कमाईमें वृद्धि करनी चाहिए। अपना काम करनेके बाद जो भी समय बचे, उसमें आपको चरखा चलाना चाहिए।

मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों पक्ष इस प्रस्तावका पूरा-पूरा पालन करेंगे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १९-२-१९३९

३८२. पत्र: सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉनको

वारडोली
२७ जनवरी, १९३९

प्रिय मित्र,

इसी माहकी २५ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

मुझे डर है कि आपकी हिचकिचाहटसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। श्री चुडगरने जो रिपोर्ट भेजी है, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि अवश्य छपनी चाहिए। मुझे चिन्ता केवल यह थी कि मैं ऐसी रिपोर्ट न छापूँ जिसकी सचाईपर कोई उँगली उठा सके।

मेरा श्री चुडगरसे पत्र-व्यवहार जारी है और अगर वे सेठ जमनालालजीको दी गई अपनी रिपोर्ट पर जमे रहते हैं, तो मुझे जयपुरकी जनताके हितमें उसे प्रकाशित करना पड़ सकता है।

श्री चुडगरके विवरणको प्रकाशित करनेपर आप जो "उचित कार्रवाई" करनेवाले हैं, उसका अर्थ मेरी समझमें नहीं आया।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ४००-१। सी० डब्ल्यू० ७८०९ से भी; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

३८३. पत्र : अमतुस्सलामको

२७ जनवरी, १९३९

चि० अमतुल सलाम,

मैं हैरान हूँ मैंने मनाइ नही की है। मैंने तो मेरी हालत बताई। तूने कहा और मैंने पसद कीया। तेरा ठिकाना ही नही है और जब तुझे स्पर्श न मिले तो भी फिकर नही है कि और तेरी फिकर मौलानाके इनकारकी तो क्यो स्पर्शकी बातसे खत भरा है। लेकिन अब इस झगडे में पड़ना नही चाहता हूँ। मृदुलाके पास जानेकी कुछ भी जरूरत नही है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६९) से।

३८४. तार : विश्वनाथदासको

[२८ जनवरी, १९३९ के पूर्व][1]

मुख्यमन्त्री,
कटक

ठक्करबापा कहते हैं कि तालचेरके शरणार्थी भूखो मर रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। चिकित्सीय सहायता चाहते हैं। कृपया राहत पहुँचायें।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. तालचेरके शरणार्थियोंकी दुर्दशाके जिक्रके आधारपर; देखिए "देशी राज्य", पृ० ३५३-५।

३८५. तार : जानकीदेवी बजाजको

बारडोली
२८ जनवरी, १९३९

जानकीदेवी बजाज
वर्धा

अभी तब तक जयपुर न जाओ, जब तक कि डॉक्टर और मैं यह न कह दें कि तुम बिलकुल स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हो।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१०

३८६. जमनालाल बजाजके लिए वक्तव्यका मसविदा[1]

बारडोली
२८ जनवरी, १९३९

ऐसा पता चला है कि जयपुरके प्रधानमन्त्रीने जयपुर राज्य प्रजा मण्डलको और मुझे कुचल डालनेकी प्रतिज्ञा की है। उस नीतिका अनुसरण करते हुए अपने विचारसे उन्होंने मेरे लिए ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे उनके लिए कोई खतरा न रह जाये। शीघ्र ही मण्डलके सदस्योंके साथ भी यही होना है। परन्तु यदि हम अपने प्रति और उस दायित्वके प्रति जो हमने स्वयं अपने ऊपर लिया है, सच्चे हैं तो चाहे हमारे शरीर बन्दी हो जायें या किसी और तरह आहत हो जायें, पर हमारी आत्मा स्वतन्त्र रहेगी।

अब जब मेरी आवाज जबर्दस्ती बन्द की जानेवाली हैं, मैं एक बार फिर यह बता दूँ कि हम किसलिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य महाराजाके अधीन उत्तरदायी सरकारकी स्थापना है परन्तु सविनय अवज्ञा हमने इसलिए शुरू नहीं की है कि दरबार पर उत्तरदायी सरकार देनेके लिए दबाव डाला जाये। सविनय अवज्ञाका उद्देश्य तो अहिंसाके दायरेमें रहते हुए बोलने, लिखने, सभाएँ करने, जुलूस निकालने, संगठन बनाने आदिकी स्वतन्त्रताके उस मूल अधिकार पर जोर देना है, जो सभी

१. यह जमनालाल बजाज द्वारा अपनी गिरफ्तारीके समय जारी किया जाना था। जी० एन० ३०७८ में गांधीजी के हाथका लिखा मसविदा उपलब्ध है।

समाजोको प्राप्त है। हम सविनय अवज्ञा करनेको इसलिए वाध्य हुए हैं कि यह मूल अधिकार हमसे छीन लिया गया है। जैसे ही यह अधिकार वापस मिल जायेगा सविनय अवज्ञा वन्द कर दी जायेगी।

इसलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा या करवन्दी आन्दोलनका अभी कोई सवाल नही है।

इस चीजको देखते हुए कि मण्डल एक तरहसे अवैध सस्था घोपित कर दिया गया है, हमे अपने मौजूदा रजिस्टरको रद्द ही मानना चाहिए। यदि सम्भव हो तो रियासतके अन्दर, और यदि आवश्यक हो तो रियासतके वाहर एक नया रजिस्टर खोला जाना चाहिए। जो लोग यह जानते हैं कि आज मण्डलका सदस्य वनने तकमे खतरा है केवल वही अब सदस्य वनेंगे। फिर भी, आशा है कि रियासतके अन्दर या वाहर रहनेवाले जयपुरिये वडी सख्यामे मण्डलके सदस्य वनेगे और कम-से-कम इसी तरह इस प्रतिवन्धके प्रति अपने विरोधका प्रदर्शन करेंगे।

इन सदस्यो के नाम, पते और व्यवसाय पजीकृत किये जायेगे, और समय-समय पर प्रकाशित किये जायेंगे।

मण्डलके कार्योका प्रवन्ध मेरी अनुपस्थितिमें . . .[1] करेंगे और वे मण्डल और अध्यक्षके अधिकारोका उसी तरह उपयोग करेंगे मानो सविधान चालू हो। पाँच व्यक्तियोकी इस परिपद्को इनके स्थानपर अन्य व्यक्तियोको रखनेका अधिकार होगा। सविनय अवज्ञाके सभी मामलोमें आवश्यक होने पर परिपद् गाधीजीकी सलाह लेगी और उसके अनुसार चलेगी।

[अग्रेजीसे]
पांचवे पुत्रको वापूके आशीर्वाद, पृ० ४०३-४। जी० एन० ३०७८से भी।

३८७. वातचीत: नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोंके प्रतिनिधियोंके साथ[2]

वारडोली
२८ जनवरी, १९३९

उनका पहला सवाल कर लगानेके प्रश्नसे सम्वन्धित था।

कांग्रेसने करका वोझ कम करनेकी नीति स्वीकार की है। फिर जव कांग्रेसजन स्थानीय मण्डलों और नगरपालिकाओमें जाते हैं तो उन्हें नगरपालिकाओंसे सम्वन्धित कल्याण कार्योंके कार्यक्रमको लागू करनेके लिए ज्यादा पैसेकी जरूरत होती है। नये

१. साधन-सूत्रमें यह स्थान खाली छोड़ा हुआ है।

२. प्यारेलाल के "म्युनिसिपल सर्विस ऐण्ड नॉन-वायलेन्स" से उद्धृत। नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोंके लगभग २०० प्रतिनिधि अपने प्रतिदिन के कामकी विभिन्न जटिल समस्याओंपर विचार-विमर्श करनेके लिए गाधीजीसे मिले थे।

कर लगाये बिना यह कैसे किया जा सकता है? और लोग तो स्वभावतः नये कर नहीं देना चाहते। यह दुविधा कैसे सुलझाई जा सकती है?

उ० : यदि किसी स्थानीय मण्डल या नगरपालिकाके अधिकारक्षेत्रमें मैं करदाता होता तो अतिरिक्त करके रूपमे मैं एक पाई तक नही देता और दूसरोको भी ऐसी ही सलाह देता कि जब तक हमारा दिया हुआ पैसा हमें चौगुना होकर वापस न मिले, तब तक कोई नया कर न दिया जाये। जो लोग लोगोके प्रतिनिधि बनकर स्थानीय मण्डलो या नगरपालिकाओमे जाते है वे वहाँ मान प्राप्त करने या आपसी प्रतिद्वन्द्विताओमे पडनेके लिए नही अपितु प्रेम-भावसे सेवा करनेके लिए जाते है और यह सेवा पैसे पर नही निर्भर होती। हमारा देश गरीब है। यदि हमारे नगरपालिकाओंके सदस्य सच्चे सेवाभावसे अनुप्राणित हो तो वे बिना तनख्वाहके काम करनेवाले सफाई-कर्मचारी, भगी और सडक बनानेवाले मजदूर बन जायेंगे और इस काममे गर्व अनुभव करेंगे। वे अपने साथी पार्षदोको भी, जो कांग्रेसके टिकट पर न आये हो, अपने साथ आनेके लिए कहेगे और यदि उन्हे अपने-आपमे और अपने मिशनमे निष्ठा होगी तो उनके उदाहरणकी उचित प्रतिक्रिया अवश्य होगी। इसका अर्थ है कि नगरपार्षदोको अपना सारा वक्त अपने काममे देना होगा। उनका अपना कोई स्वार्थ नही होगा। अगला कदम यह होगा कि नगरपालिका या स्थानीय मडलके अधिकार-क्षेत्रकी सारी वयस्क जनसंख्याका जायजा ले लिया जाये। सबको यह कहा जाये कि वे नगरपालिकाके काममे अपना हाथ बँटाये। एक नियमित रजिस्टर बना लिया जाना चाहिए। जो इतने गरीब हैं कि पैसेका सहयोग तो नही दे सकते, परन्तु हृष्टपुष्ट हैं, उन्हे बिना पारिश्रमिक लिये परिश्रम करनेको कहा जा सकता है। सच्चा भारत कुछ-एक बड़े शहरो नही अपितु सात लाख गाँवोमे रहता है। भारतकी वास्तविक समस्याओंका सामना और समाधान गाँवोमे किया जाना है। हमे गाँवोके लिए बेहतर सड़कें, बेहतर सफाई और बेहतर पेय जलकी पूर्तिकी आवश्यकता है।

यदि हम पैसेको आधार बनाकर चले तो हम इस भगीरथ कार्यको अशमात्र भी नही निपटा सकेंगे। परन्तु भारतके पास जनशक्तिका अपार भडार है। यदि हम इस जनशक्तिको संगठित कर सके, तो बहुत ही कम समयमे देशका रूप बदल सकते हैं।

अपने श्रम-साधनोंको जुटानेके लिए चरखेसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यह अहिंसाका स्वाभाविक प्रतीक-चिह्न भी है जोकि समस्त जीवनदायी सामूहिक क्रिया-कलापकी आत्मा है। नगरपालिकाकी किसी भी योजनामें चरखेके प्रचारका स्थान निश्चित होना चाहिए — वह योजना चाहे गाँवोंकी बेकारी दूर करनेसे सम्बन्धित हो, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्याका अधिकांश गरीबीमे तथा भयावह परिस्थितियोंमे अपने दिन काट रहा है, या वह उन गन्दी बस्तियोंका जीवन सुधारनेसे सम्बन्धित हो जो हमारे बड़े-बड़े शहरोके लिए कलंक-स्वरूप हैं।

परन्तु इसके लिए चरखेमे हमारा जीवन्त विश्वास होना चाहिए—ऐसा विश्वास जिससे कि हमे कताई-शास्त्र और इससे सम्बन्धित सारी प्रक्रियाओंका सूक्ष्म अनुशीलन करने और इनमे पारंगत होनेकी प्रेरणा मिले। आज तो स्थिति यह है कि सिनेमा

जाने और यहाँ तक कि बेकारकी बातोंमे अपना समय नष्ट करना हमे अच्छा लगता है। बिना काम किये पैसा बनानेका धन्धा हमे रुचिकर लगता है, चरखा नही। फिर भी, मेरा तो यह विश्वास है कि हम अपने अहिंसाके उद्देश्यकी ओर उसी सीमा तक आगे बढ सकेंगे जिस सीमा तक हम चरखेका व्यापक प्रचार करनेमे सफल होगे।

उपर्युक्त योजनाका अनुसरण करके हम करदाताको उसके द्वारा दिया गया कर अत्यन्त उन्नत सेवाओ और नागरिक सुविधाओके रूपमे कई गुना करके लौटा सकेंगे और तब यदि अतिरिक्त कर लगाना अनिवार्य हो जाये तो वह उसका बुरा नही मानेगा।

जम्बुसर नगरपालिकाके एक सदस्यने पूछा : "हमारी नगरपालिकामें सत्रह सदस्य हैं जिनमें से आठ कांग्रेस टिकटपर और शेष नौ गैर-कांग्रेसी हैं। वे हमेशा ही हमें बहुमतसे हरा सकते हैं और हमारी योजनाओंको उलट सकते हैं। ऐसी स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए?"

गाधीजी . यह कोई समस्या नही है। अगर वे पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं और भाषण देने और इस तरहके अन्य कामोमे लगे रहना चाहते है तो आपको उनकी नकल करनेकी या उनकी तरह वक्त बरबाद करनेकी जरूरत नही है। आप इन बैठकोमे हाजिर तो हो जाये परन्तु व्यर्थके वाद-विवादमे अपना समय नष्ट न करे। इसके बदले आप अपना सारा वक्त अपने हाथोमे बाल्टी और झाड़ू पकड़कर, फावड़ा और टोकरीसे काम करके, बीमार और अस्वस्थ लोगोकी परिचर्या करके तथा उन्हे डाक्टरी मदद दिलाकर, अशिक्षित करदाताओको पढाकर, उनके बच्चोको लिखना-पढना सिखाकर करदाताओकी उपयोगी सेवा करनेमे लगायें। उसके परिणामस्वरूप दो बाते हो सकती हैं। या तो आपके उदाहरणकी छूत आपके विरोधियोको भी लगेगी और वे स्वय आपके साथ हो जायेंगे और तब विवादका कोई सवाल ही नही रहेगा। या फिर करदाता खरे और खोटेमे अन्तर करना सीख जायेगा और अगले चुनावोमे सारे सत्रह स्थान कांग्रेसियो द्वारा ही भरे जायेगे। विरोधका अन्त करनेका यह अहिंसात्मक तरीका है। इससे सघर्ष और झगडा मिटता है और दूसरा दल चाहे कुछ करे या नही, हमारा रास्ता साफ हो जाता है।

प्र० : गुजरातमें कई जगह राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस सिलसिलेमें लोगोंको ग्राम-सुधार अथवा नगर-सेवाकार्यमें भाग लेनेके लिए आमन्त्रित किया जा रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इस समारोहकी तारीख बदलकर शुक्ल पक्षमें कर दी जाये? इससे सामूहिक कार्य रात हो जानेके बाद भी जारी रह सकता है और रोशनीके खर्चेमें कमी की जा सकती है।

उ० देशके विभिन्न भागोमे विभिन्न पचाग प्रचलित है। परन्तु राष्ट्रीय पर्वके लिए सर्वसामान्य पचागका ही अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि आपका नगर-सेवा-सम्बन्धी उत्साह दिखावा मात्र नही है जो राष्ट्रीय सप्ताहके आरम्भके साथ शुरू होकर उसका अन्त होते ही समाप्त हो जायेगा तो राष्ट्रीय सप्ताहके अलावा भी

आपको नगर-सेवाके ऐसे अनेक सप्ताह मनाने चाहिए। इन सप्ताहोंकी तारीखे किसी स्थानके लिए जो प्रवृत्ति चुनी जाये उसकी आवश्यकताओको ध्यानमे रखते हुए नियत की जा सकती है।

प्र० : सूरत नगरपालिकाके एक सदस्यने पूछा, "नगरपालिकाके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, किस प्रकारका कर लगाना बेहतर है?"

गा० : करदाता अप्रत्यक्ष कर ज्यादा पसन्द करते है, क्योकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव नही किया जाता। परन्तु प्रत्यक्ष कर का शिक्षणात्मक महत्व ज्यादा है और जब इसका उद्देश्य करदाताको नगरपालिकाके प्रति अपने कर्तव्योके विषयमे ज्यादा जागरूक करना हो तो प्रत्यक्ष कर इसके लिए उपयुक्त सिद्ध होगे।

खेड़ा जिलेके एक सज्जनकी शिकायत थी: "स्थानीय मण्डलों द्वारा संचालित प्रारम्भिक स्कूलोंमें हम बुनियादी शिक्षाकी वर्धा-योजनाको चलाना चाहते है। स्थानीय मण्डल इसके लिए रजामन्द है। परन्तु शिक्षा-विभागका निरीक्षक-वर्ग और शिक्षा-विभागके उच्च अधिकारियोंका अभी वही पुराना दृष्टिकोण है। वर्धा योजनाके सिद्धान्तोंमें अभी उनका विश्वास नहीं है। हम इस कठिनाईको कैसे दूर करें?"

गां० : यह मेरे लिए आश्चर्यकी बात नही है। मुझे आश्चर्य तो तब होता जब उच्च शिक्षाधिकारियोंका वर्धा शिक्षा-योजनामे एकदम विश्वास हो गया होता। विश्वास अनुभवसे आयेगा। फिलहाल मै इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मै नही समझता कि शिक्षा-मन्त्रीके लिए शिक्षा निदेशकको यह अनुदेश देनेमे कोई वैध कठिनाई हो सकती है कि जो स्कूल वर्धा शिक्षा-योजनाको कार्यान्वित करना चाहे उनकी हर मुमकिन तरीकेसे मदद की जाये। शिक्षा विभागको अपने पथका अनुसरण करानेमे मध्यप्रदेश मन्त्रि-मण्डलको कोई कठिनाई नही हुई। परन्तु यदि कोई वैध या प्राविधिक कठिनाई सामने आती है तो वह वैध तरीके से दूर भी की जा सकती है।

प्र० : प्रौढ़ शिक्षा योजनामें हमारा उद्देश्य साक्षरता-प्रसार होना चाहिए या 'उपयोगी ज्ञान' का प्रसार? स्त्री-शिक्षाके विषयमें क्या किया जाना चाहिए?

उ० : धन्धेमे लगे हुए वयस्क लोगोकी मूलभूत आवश्यकता यह है कि उन्हे पढ़ना-लिखना आना चाहिए। व्यापक निरक्षरता भारतके लिए पापरूप और लज्जास्पद है। निरक्षरताका अन्त होना ही चाहिए। अलबत्ता, साक्षरता-प्रसारकी अथ और इति वर्णमाला सीखनेमे ही नही हो जानी चाहिए। इसके साथ-साथ उपयोगी ज्ञानका प्रसार भी किया जाना चाहिए। परन्तु नगरपालिका सस्थाओको एक ही समयमे दो नावोपर पैर रखनेके प्रयाससे बचना चाहिए। अन्यथा उनकी असफलता निश्चित है।

जहाँ तक महिलाओमे व्याप्त निरक्षरताका सम्बन्ध है, इसका कारण पुरुषोमे व्याप्त निरक्षरताकी तरह मात्र सुस्ती या निष्क्रियता नही है। अधिक प्रबल कारण तो उनकी वह हीन स्थिति है जिसे अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आ रही परम्पराने उन पर थोप दिया है। यह उनके प्रति किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है। पुरुषने

उसे अपनी सहयोगिनी और अर्धांगिनी बनानेके बजाय घरका काम करनेवाली परि-चारिका और सुखोपभोगका साधन-मात्र बना लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा समाज लुजपुज हो गया है। स्त्रीको मनुष्य जातिकी जननी कहा जाता है और यह ठीक ही है। हमारा उसके प्रति और अपने प्रति भी यह कर्तव्य है कि हमने उसके साथ जो महान् अन्याय किया है उसका परिमार्जन करें।

खेड़ा जिलेके कपड़वंजसे आये हुए एक मित्रने पूछा, "आपने कुछ विषयोंपर अलग-अलग अवसरोंपर विभिन्न मत प्रकट किये हैं। हमारे विरोधी हमारी वर्तमान नीतियोंका विरोध करनेके लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसी परिस्थितियोंमें हमें क्या करना चाहिए?"

गा० उन कथनोंमें जो विरोध है वह ऊपरी है और इसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। निरापद नियम यही है कि समयके क्रममें जो बात सबसे बादमें कही गई हो उसे पिछली सब बातों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परन्तु पहले या बादका मेरा कोई भी कथन, यदि वह आपके हृदय और मस्तिष्कको प्रभावित नहीं करता, तो आप उसे माननेके लिए बाध्य नहीं हैं। उसका यह अर्थ नहीं होगा कि मेरा दृष्टिकोण गलत है। परन्तु ऐसे किसी दृष्टिकोणको स्वीकार कर लेना गलत होगा जिसकी सचाई आप देख नहीं पाते या जिसे आप आत्मसात् नहीं कर सकते।

प्र० : ऐसे लोगोंसे कैसे निबटा जाये जो हर किसी जगहको शौचादिके लिए इस्तेमाल करते हैं और गन्दगी फैलाते हैं? वे इसके पक्षमें यह तर्क देते हैं कि उनके धर्मका यही विधान है। इसके अलावा मक्खियों, मच्छरों, पागल कुत्तों, बन्दरों आदिका उपद्रव कैसे शान्त किया जा सकता है? कुछ लोग अहिंसाकी आड़ लेकर उन्हें नष्ट करनेका विरोध करते हैं।

उ० जहाँ तक शौचादिका सम्बन्ध है इस समस्याका समाधान करनेके दो तरीके हैं — एक, बाहरी तौर पर जोर-जबरदस्तीका और दूसरा, अहिंसाका। सफाईके नियमों का भंग करनेवाले लोगोंको कानूनी दण्ड दिया जा सकता है। मैंने उसके लिए "बाहरी तौर पर जोर-जबरदस्ती" शब्दोंका उपयोग जानबूझ कर किया है। स्वतन्त्रताकी तरह ही जब धार्मिक स्वतन्त्रताका उपभोग दूसरेके स्वास्थ्य और सुरक्षाकी कीमत पर या शालीनता और नीतिकी अवहेलना करते हुए किया जाता है तब वह स्वेच्छाचार बन जाती है। यदि आप अपने लिए अप्रतिबन्धित और पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप समाजसे सन्यास लेकर एकान्तवास करें। जहाँ कहीं भी शौचादि करनेकी आदतको, जिसमें दूसरोंकी सुविधा और स्वा-स्थ्यका ध्यान नहीं रखा जाता, मैं अहिंसाकी विडम्बना मात्र मानता हूँ। जहाँ कहीं गन्दगी हो, चाहे वह शारीरिक हो या नैतिक, वहाँ अहिंसा नहीं रह सकती।

दूसरा तरीका यह है कि इस तरहकी गन्दगी फैलानेवाले सम्प्रदायोंके धर्माचार्योंको खोज निकालना चाहिए और धीरजसे तर्क द्वारा उनके हृदयको प्रभावित करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

जहाँ तक मक्खियों, मच्छरों, आवारा कुत्तो और बन्दरो आदिका सम्बन्ध है, मैं निजी तौर पर तो इसे सहन कर लूँगा, परन्तु सारा समाज, यदि उसे जीवित रहना है, तो इस स्थितिको सहन नही कर सकता। ये हानिकर जीवजन्तु हमारे दुष्कृत्योका ही परिणाम है। यदि मै किसी सार्वजनिक स्थान पर बन्दरोका पोषण करूँ और इस तरह दूसरोका जीवन दूभर कर दूँ तो मै ही हिंसा करता हूँ और समाजके लिए सिवाय इसके और कोई चारा नही है कि वह मेरी हिंसा द्वारा पैदा किये गये इन हानिकर जीवोको नष्ट कर दे। अमुक कार्यमे अहिंसा है या नही, इसकी कसौटी उस कार्यके पीछे छिपी मनोवृत्ति है, स्वयं वह कार्य नही। ऐसा नागरिक जो जीवदयाकी गलत भावनामे पड़कर दूसरो पर हानिकर जीव छोड़ता है, हिंसाका अपराधी है।

अहमदाबादमे महिलाओंके उद्धार और स्वतन्त्रताके लिए स्थापित संस्था, ज्योति संघकी संस्थापिका और समाजसेविका श्रीमती मृदुला साराभाईने गांधीजीसे समाजमें महिलाओंकी स्थितिके बारेमें चन्द महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछे: "महिलाओंमे नागरिक और राजनीतिक चेतनाके जागृत होनेसे उनके परम्परागत गृहस्थीके कार्य और समाजके प्रति उनके कर्तव्यके बीच संघर्ष पैदा हो गया है। यदि कोई महिला सार्वजनिक कार्यमें मन लगाती है तो उसे अपने बच्चों या अपने घरबारकी उपेक्षा करनी पड़ती है। इस उलझनको कैसे सुलझाया जाये?"

'गीता' के प्रसिद्ध श्लोकको अपने उत्तरका आधार बनाते हुए गांधीजी ने कहा कि सहज-प्राप्त स्वधर्मको छोड़कर दूरके ढोल सुनकर उनके पीछे जाना हमेशा गलत होता है। प्रस्तुत कर्तव्यकी उपेक्षा करना विनाशका मार्ग है। सवाल यह है कि क्या अपना सारा समय घरके काममें लगा देना ही महिलाओंका कर्तव्य है? बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओंका समय घरके आवश्यक कामोंमें नहीं अपितु अपने पतिके लिए आमोद-प्रमोद जुटाने और अपने ही शौकोंको पूरा करनेमें लगता है।

गाधीजी मैं समझता हूँ कि महिलाओकी यह घरकी दासता हमारे जंगलीपन की निशानी है।

मेरे मतमे रसोईघरकी गुलामी मुख्यतः हमारे जगलीपनका ही अवशेष है। यह बहुत उपयुक्त अवसर है कि हमारा महिला-समाज इस दुःस्वप्नसे मुक्ति पा जाये। महिलाओका सारा वक्त घरके काममे ही नही लग जाना चाहिए।

मृदुलाबहन: चुनावके दौरान आपके कांग्रेसजन हमसे सब तरहकी सहायताकी आशा करते हैं। परन्तु जब हम उनसे कहते है कि वे अपनी पत्नियों और पुत्रियोंको घरसे बाहर हमारे साथ भेजें तो वे कई तरहके बहाने बनाते है और उन्हें घरकी चार-दीवारीके अन्दर बन्दी बनाकर रखना चाहते है। आप इसका क्या उपाय सुझाते हैं?

गा०: ऐसे सब प्रागैतिहासिक नमूनोके नाम 'हरिजन' में प्रकाशनके लिए मेरे पास भेज दो।

सेगाँव, ७ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-२-१९३९

३८८. पत्र : जनरल शिन्देको

वारडोली
२९ जनवरी, १९३९

प्रिय जनरल शिन्दे,

आपके इसी २५ तारीखके पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं महाराष्ट्रीय और गुजराती लोगोंके बीच एकता चाहता हूँ। उनके बीच दरार पैदा होनेका कोई भी कारण नहीं है।

अगर आपके पास सरदार वल्लभभाई द्वारा भद्रन और एनामें दिये गये भाषणोंकी प्रतियाँ हों,[1] तो मैं उन्हें देखना चाहूँगा। सरदार इन दोनों समुदायोंमें फूट पैदा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल।

३८९. पत्र : मैसूरके महाराजाको

वारडोली
२९ जनवरी, १९३९

प्रिय महाराजा साहब,

श्री रंगास्वामीके हाथों आपने कृपापूर्वक जो ऊनी शाल भेजा था, उसके लिए मैं बहुत दिनोंसे आपको धन्यवाद देना चाह रहा था। मुझे आशा है कि रियासत और प्रजाके बीच सुखद सम्बन्ध है, और आगामी सुधारसे शान्ति और समृद्धिके एक नये युगका सूत्रपात होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मैसूरके महाराजा

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल ।

१. जनरल शिन्देने अपने पत्रमें सरदार पटेल पर आरोप लगाया था कि भद्रन और एनामें दिये गये अपने भाषणों और अपने प्रेस-वक्तव्यों द्वारा सरदार पटेलने महाराष्ट्रियों और गुजरातियोंके बीच मनमुटाव पैदा करनेकी कोशिश की थी। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया था कि वे सरदार पटेलको वैसा करनेसे रोकनेके लिए अपने प्रभावका इस्तेमाल करें।

३९०. पत्र : अमतुस्सलामको

२९ जनवरी, १९३९

प्यारी बेटी,

तेरे दो खत मिले।

मैं क्या हुक्म करुं। मैंने कह दिया है जो चाहे वह कर सकती है क्योंकि मैं नहीं जानता हूं किसमें तेरा श्रेय है। ऐसी हालतमें मेरा कुछ भी कहना बेहूदापन सा लगता है। अच्छा यही है कि जैसा तुझे अच्छा लगे वही करना। मैं उसीमें राजी हूंगा। यह मैं न दु:खमें लिखता हूं न रोषमें। सिर्फ तेरा भला समझकर लिखता हूं।

वहां सब खुश होंगे? तेरी तबीयत अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१३)से।

३९१. भाषण: किसानोंकी सभामें[1]

बराड

[२९ जनवरी, १९३९][2]

यह एक अत्यन्त शुभ अवसर है, इस विषयमें दो मत नहीं हो सकते। जब जमीनें जानेका समय आया और वे गईं, तब हम अपने भाषणोंमें कहते थे कि ये जमीनें सरकारको पचेंगी नहीं; ये हमें वापस मिलेंगी। और अब वे हमें वापस मिल गई हैं। ऐसा न समझना कि इसमें किसीका पुरुषार्थ काम आया है। ऐसा मानोगे, तो बड़ी भूल करोगे। जिस हद तक हमने अहिंसा और सत्यका पालन किया है, उस हद तक हमें सफलता मिली है। छीता पटेल[3] अपनी बात पर दृढ़ रहे, वे बराड अन्त तक नहीं आये और इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाका पूरा पालन किया।

१. जब्त हुई जमीनें वापस मिलनेके अवसर पर; भाषणका पाठ महादेव देसाईकी "बारडोली" शीर्षकसे गुजराती और अंग्रेजीमें लिखित तत्सम्बन्धी विवरणसे लिया गया है।

२. गांधीजीनी दिनवारीके अनुसार।

३. छीता पटेलने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जब्त की हुई जमीनें वापस नहीं मिलतीं तब तक वे ब्रिटिश प्रदेशमें पाँव नहीं रखेंगे।

ऐसी प्रतिज्ञा केवल छोताभाईने ही नही की, भारतमे जगह-जगह ऐसे अनेक व्यक्ति पडे हुए है और उन्हीके पुण्य-प्रतापसे हमे आज ये जमीने वापस मिल गई है।

किन्तु वापस मिली हुई अपनी ये जमीने हमे पुन खोना आना चाहिए। जमीनो की प्राप्तिका आप यह अर्थ न लगाये कि स्वराज्य मिल गया है और हम इस स्वराज्यका भोग करने योग्य हो गये है। यदि हमने ऐसा माना तो हम पापके भागी होगे। उनके मिलनेसे इतना ही सूचित होता है कि जिस मार्ग पर हम आज तक चलते आये है, उसी मार्ग पर चलकर अन्तमे हम स्वराज्य प्राप्त करेगे। इसलिए अब हमे कुछ भी करनेके लिए नही रह गया, ऐसा माननेकी भूल हम न करे। यदि हम अपने स्वार्थ-साधनमे लगे रहे, पैसा कमाते रहे और जुआ खेलते रहे, तो हम यह जीती हुई बाजी हार जायेगे, इतनी चेतावनी मै आपको देना चाहता हूँ।[1]

आज हम प्रभुसे यह याचना करे कि आज तक उसने हमे जितना बल दिया, उससे सौ-गुना अधिक बल दे। अभी तक तो हमने अपना घर-बार खोनेकी, जेल जानेकी ही शक्ति प्रकट की है, अब हमे फाँसी पर चढने अथवा आगमे जलकर भस्म हो जानेकी शक्ति प्राप्त करनी है। यदि हमने इस शक्तिका विकास किया और उसे प्रकट किया, तो स्वराज्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किन्तु यदि हम यह भूल गये, तो हम अपनी सारी अर्जित सम्पत्ति खो बैठेगे और हमे दिवाला निकालना होगा। मेरी आपसे विनय और प्रार्थना है कि हममे से कोई भी परीक्षाकी घडीमे ऐसा दिवाला न निकाले।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २६-२-१९३९, और हरिजन, १८-२-१९३९

३९२. राजकोट

राजकोटके सघर्षमें मेरी व्यक्तिगत दिलचस्पी है। वही मैंने मैट्रिक तककी अपनी शिक्षा पाई, और अनेक वर्षो तक मेरे पिता वहाँ दीवान रहे। वहाँके लोगोको जो तमाम मुसीबते उठानी पड रही है, उन्हे मेरी पत्नी इतना ज्यादा महसूस करती है कि मेरी ही तरह वृद्ध और जेल-जीवनकी कठिनाइयोको बहादुरीके साथ बर्दाश्त करनेमें मुझसे कम समर्थ होते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि उसे राजकोट जाना ही चाहिए। और सम्भवत. पाठकोके हाथोमे यह लेख पहुँचनेसे पहले वह वहाँ चली भी गई होगी।[2]

लेकिन मै तो इस सघर्ष पर तटस्थ रूपसे ही विचार करना चाहता हूँ। इस सम्बन्धमें अन्यत्र उद्धृत सरदारका वक्तव्य[3] इस दृष्टिसे एक कानूनी दस्तावेज है कि

१. इसके बादका अनुच्छेद **हरिजन** से लिया गया है।

२. कस्तूरबा गाधीको ३ फरवरीको सत्याग्रहके लिए रियासतमें प्रवेश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था।

३. देखिए परिशिष्ट १ ।

एक भी शब्द फालतू नही है और न उसमें ऐसी कोई बात है जिसका असंदिग्ध सबूतसे समर्थन न होता हो। और उस सबूतका अधिकाश उन लिखित दस्तावेजो पर आधारित है जो वक्तव्यके साथ परिशिष्टके रूपमे सलग्न हैं।

यह इस बातका सबूत पेश करता है कि राजकोटके शासक और उनकी प्रजा के बीच जो पवित्र समझौता हुआ था, वह जानबूझकर तोडा गया।[1] और समझौते को तोड़नेका काम ब्रिटिश रेजिडेंट[2] की, जिसका वाइसरायसे सीधा सम्बन्ध है, प्रेरणासे और उसके आदेशपर हुआ।

जो समझौता हुआ उसमें एक ब्रिटिश दीवान[3] भी शरीक था। उसे इस बात पर गर्व था कि वह ब्रिटिश सत्ताका प्रतिनिधि है। उसने शासक पर शासन करनेकी उम्मीद की थी। इसलिए वह इतना मूर्ख नही था कि सरदारके फन्देमे आ जाता। अतएव समझौता दुर्बल शासकसे जबर्दस्ती नही ऐंठा गया था। ब्रिटिश रेजिडेंटको कांग्रेस और सरदारसे इसलिए नफरत थी कि वे ठाकुर साहबको दिवालिया होने और शायद गद्दी छिननेसे बचाना चाहते थे। कांग्रेसके प्रभावको वह सह नही सका। इसलिए ठाकुरसाहब अपनी प्रजासे किये हुए वायदेको पूरा करें, उससे पहले ही उसने उनसे उसे तुड़वा दिया। सरदारको राजकोटसे जो समाचार मिल रहे हैं उनपर विश्वास किया जाये, तो रेजिडेंट ब्रिटिश सिंहके खूनी पजे दिखाकर प्रजासे मानो यह कह रहा है कि 'तुम्हारा शासक तो मेरे हाथका खिलौना है। मैंने उसे गद्दी पर बैठाया है और उतार भी सकता हूँ। वह भलीभाँति जानता था कि उसने मेरी इच्छाके विरुद्ध काम किया है। इसलिए अपनी प्रजाके साथ समझौता करनेके उसके कामको मैंने चौपट कर दिया है। तुम जो कांग्रेस और सरदारसे सम्बन्ध रखते हो, उसके लिए मै तुम्हे ऐसा सबक दूँगा जिसे तुम अगली पीढी-तक भी नही भूलोगे।'

शासकको एक तरहसे कैदी-सा बनाकर उसने राजकोटमे दमन-चक्र शुरू कर दिया है। सरदारको मिले एक ताजा तारमे कहा गया है:

> **बेचरभाई जसानी और दूसरे स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गये। २६ स्वयंसेवकोंको रातके वक्त एजेंसीकी सीमामें एक दूरकी जगह ले जाकर बुरी तरह पीटा गया। गाँवमें भी स्वयंसेवकोंके साथ इसी तरहका व्यवहार हो रहा है। एजेंसीकी पुलिस स्टेट-एजेंसीका नियन्त्रण कर रही है और गैर-फौजी सीमामें निजी मकानोंकी तलाशी ले रही है।**

ब्रिटिश भारतमे सविनय अवज्ञाके दिनोमे ब्रिटिश अधिकारी जो कुछ करते थे, उसीकी ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पुनरावृत्ति कर रहा है।

मै जानता हूँ कि यदि राजकोटकी जनता इस सब पागलपनका खुद पागल हुए बगैर मुकाबला कर सके और अपने पर होनेवाली क्रूरताओको विनम्रता मगर दृढ़ता

१. देखिए "पत्र: लॉर्ड लिनलिथगोको", पृ० ३६५-६७, और "देशी राज्य", पृ० ३५३-५।
२. ई० सी० गिब्सन।
३. सर पैट्रिक आर० कैडेल।

और बहादुरीके साथ बर्दाश्त कर सके, तो वह विजयी ही नही होगी बल्कि ठाकुर साहबको भी आजाद करा सकेगी। वह यह सिद्ध कर देगी कि काग्रेसकी प्रभुताके अधीन वही सच्ची शासक है। लेकिन अगर वह पागल हो गई और दुर्बल प्रतिशोध की बात सोचने और हिसात्मक कामोका सहारा लेने लगी, तो उसकी हालत पहलेसे भी बदतर हो जायेगी और तब काग्रेसकी प्रभुताका कोई असर नही पडेगा। काग्रेसकी प्रभुता तो केवल उन्हीके काम आती है जो अहिसाके झडेको अपनाते है जैसेकि ब्रिटेनकी प्रभुता 'जिसकी लाठी उसकी भैस' के सिद्धान्तको माननेवालोके ही काम आती है।

राजकोटकी प्रजा का जब शासक और रियासतके छोटे-से पुलिस दस्तेसे नही, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यके अनुशासित सैनिकोसे मुकाबला है, तब ऐसी स्थितिमे काग्रेसका कर्तव्य क्या है?

पहली और स्वाभाविक बात यह है कि राजकोटकी प्रजाकी सुरक्षा और सम्मान-रक्षाकी जिम्मेदारी काग्रेसी मन्त्रिमण्डल अपने ऊपर ले ले। यह सच है कि भारत सरकार अधिनियम मन्त्रियोको रियासतोके बारेमे कोई अधिकार नही देता। लेकिन वे एक ऐसे शक्तिशाली प्रान्तके शासक है, जिसमे राजकोट तो एक छोटा-सा टुकडा मात्र है। इस हैसियतमे भारत सरकार अधिनियमके दायरेसे बाहर भी उनके अधिकार और कर्तव्य है, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। फर्ज कीजिए कि भारतमे जितने भी गुण्डे है वे सब राजकोटमे जा बसे, और वहाँसे वे हिन्दुस्तान-भरमे उत्पात मचाये, तो स्पष्टतया मन्त्रियोका यह अधिकार और कर्तव्य होगा कि बम्बईमे रहनेवाले ब्रिटिश प्रतिनिधिकी मार्फत वे सर्वोच्च सत्तासे राजकोटकी स्थिति सुधारनेकोक हे। और सर्वोच्च सत्ताका यह फर्ज होगा कि वह या तो ऐसा करे या मन्त्रियोसे हाथ धोये। क्योकि हरएक मन्त्रीपर ऐसी हरएक बातका असर पडे बिना नही रह सकता, जो उसके प्रान्तकी भौगोलिक सीमामे होती है, फिर वह चाहे उसके कानूनी दायरेके बाहर ही क्यो न हो, खासकर जब वह बात उसकी शालीनताको भी चोट पहुँचाती हो। उन भागो मे उत्तरदायी शासन है या नही, यह देखना चाहे मन्त्रियोका काम न हो, लेकिन अगर उन भागोमे प्लेग फैले या मार-काट मचे तो उसपर ध्यान देना उनका काम जरूर है। नही तो उनका शासन मात्र दिखावा और धोखा ही है। इस प्रकार उडीसाके मन्त्री अगर तालचेरके २६,००० शरणार्थियोको उनकी रक्षाका और भाषणकी तथा सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर मिलने-जुलनेकी आजादीका पूरा आश्वासन देकर उनके घर भेजनेमे कामयाब न हो, तो वे आरामसे अपनी कुर्सियो पर बैठे नही रह सकते। जो काग्रेस आज ब्रिटिश सरकारके साथ मिलकर काम कर रही है, वह ब्रिटिश सरकारके अधीनस्थ देशी राज्योके अन्दर दुश्मन और विदेशी मानी जाये, यह बात तो असह्य है।

राजकोटमे ब्रिटिश रेजिडेटकी प्रेरणासे प्रजाकी आजादीके फरमानको धृष्टतापूर्वक तोड़ा गया है। यह ऐसी गलती है जिसको यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी दुरुस्त करना ही चाहिए। यह ऐसा जहर है जो सारे शरीरमे व्याप्त हो रहा है। क्या वाइसराय महोदय राजकोटके महत्वको समझकर इस जहरको दूर करेगे?

बारडोली, ३० जनवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ४-२-१९३९

३९३. आधुनिक लड़की

मुझे ११ लड़कियोंकी तरफसे लिखा हुआ एक पत्र मिला है। उनके नाम और पते मेरे पास भेज दिये गये हैं। मैं उस पत्रमे सिर्फ इतना परिवर्तन करके नीचे दे रहा हूँ जिससे वह अधिक पठनीय बन जाये, लेकिन उसके अर्थमे कोई परिवर्तन नही कर रहा हूँ:

'हरिजन' के ३१ दिसम्बर, १९३८ के अंकमें "विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक"[1] शीर्षकसे प्रकाशित एक छात्राके पत्रपर की गई आपकी टिप्पणी विशेष ध्यान देने योग्य है। मालूम होता है कि आधुनिक लड़कीने आपको इतना ज्यादा चिढ़ा दिया है कि आपने उसके बारेमें यहाँ तक कह डाला कि उसे तो अनेक भँवरोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय है। आपका यह वचन, जिससे स्त्रियोंके बारेमें आपकी सामान्य धारणा प्रगट होती है, बहुत उत्साह-वर्धक नहीं है।

इन दिनों जब स्त्रियाँ चारदीवारीसे बाहर निकलकर पुरुषोंकी सहायता के लिए आगे आ रही हैं और जीवनका भार वहन करनेमें समान भाग ले रही हैं, यह सचमुच आश्चर्यकी बात है कि उनके साथ पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार होनेपर भी दोष उन्हींको ही दिया जाता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, जिनमें दोनों पक्षोंका एक-सा दोष हो। कुछ लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिन्हें अनेक भँवरोंकी दृष्टिमें आकर्षक बनना प्रिय हो। परन्तु ऐसी घटनाओंसे यह तो सिद्ध होता ही है कि फूलकी खोजमें सड़कोंपर मँडरानेवाले अनेक भँवरे मौजूद हैं। और यह तो कभी नहीं माना जा सकता और न माना जाना चाहिए कि सभी आधुनिक लड़कियाँ ऐसी होती हैं और सभी आधुनिक नौजवान भँवरे होते हैं। आप खुद बहुत-सी आधुनिक लड़कियोंके सम्पर्कमें आये हैं और आपको उनके दृढ़ संकल्प, त्याग और अन्य उत्तम स्त्रियोचित गुणोंका परिचय मिला होगा।

जहाँ तक आपकी पत्र-लेखिकाके बताये हुए दुर्व्यवहारोंके खिलाफ लोकमत तैयार करनेका सवाल है, यह काम लड़कियोंके करनेका नहीं है। इसका कारण उनकी झूठी शर्म नहीं, बल्कि उनकी असमर्थता है।

१. देखिए पृ० २७०-४।

परन्तु आपके जैसे जगद्वंद्य महात्माका ऐसा कथन यह सिद्ध करता है कि आप भी इस दकियानूसी और अशोभनीय कहावतका समर्थन करते हैं कि 'नारी नरककी खान है।'

परन्तु उपरोक्त वातोंसे आप यह निष्कर्ष न निकालें कि आधुनिक लड़कियोंमें आपके लिए आदर नहीं है। वे आपका उतना ही आदर करती हैं, जितना हरएक नौजवान करता है। लेकिन उन्हें यह वहुत वुरा लगता है कि कोई उनसे घृणा करे या उनपर दया दिखाये। अगर वे सचमुच दोषी हों, तो वे अपना तौर-तरीका सुधारनेको तैयार हैं। उन्हें दोष देनेसे पहले उनका कोई दोष हो, तो वह पूरी तरह सावित किया जाना चाहिए। इस वारेमें वे न तो स्त्रियोंके प्रति विशेष सुविधाके नियमोंकी शरण लेना चाहती हैं और न यह चाहती हैं कि वे चुपचाप खड़ी रहे और न्यायाधीश मनमाने तौरपर उनको दोषी ठहरा दें। सचाईका सामना करना चाहिए; और आधुनिक लड़की सचाईका सामना करनेका काफी साहस रखती है।

मेरी पत्र-लेखिकाओको शायद यह पता नही कि मैंने ४० वर्षसे भी पहले दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय स्त्रियोकी सेवा आरम्भ की थी, जव शायद इनमे से किसीका जन्म भी नही हुआ होगा। मेरा यह विश्वास है कि मै स्त्री-जातिके लिए कोई अपमानजनक वात लिख ही नही सकता। स्त्री-जातिके लिए मेरा आदर इतना अधिक है कि वह मुझे उनका वुरा सोचने ही नही दे सकता। जैसाकि अग्रेजीमे कहा गया है, स्त्री पुरुपका उत्तम अर्धांग है। और मेरा लेख विद्यार्थियो की वेहयाईकी कलई खोलनेके लिए लिखा गया था, न कि लडकियोकी दुर्वलताओका विज्ञापन करनेके लिए। परन्तु सही उपचार वता सकनेके लिए यह आवश्यक था कि मै रोगका निदान करते समय वीमारी पैदा करनेवाले सभी कारणोका उल्लेख करूँ।

'आधुनिक लडकी' शब्दका विशेष अर्थ है। इसलिए अपनी वातका दायरा कुछ लड़कियो तक सीमित रखनेका कोई सवाल नही था। परन्तु जो लडकियाँ अग्रेजी शिक्षा पाती है, वे सव आधुनिक लडकियाँ नही है। मै वहुत-सी ऐसी लड़कियोको जानता हूँ, जिनमे 'आधुनिक लड़की' की कोई वू नही है। परन्तु कुछ लड़कियाँ ऐसी है जो आधुनिक लडकियाँ वन गई है। मेरे शब्दोका अर्थ भारतीय छात्राओको यह चेतावनी देनेका था कि वे आधुनिक लड़कीकी नकल करके उस समस्याको, जो एक गम्भीर खतरा वन गई है, पेचीदा न वनाये। कारण, जिस समय मुझे उपरोक्त पत्र मिला उसी समय आन्ध्रकी एक छात्राका पत्र भी मिला था, जिसमे आध्रके विद्यार्थियोके व्यवहारकी सख्त शिकायत की गई थी। वर्णनसे लगता है कि यह व्यवहार उससे भी अधिक अशोभनीय है जिसका लाहौरवाली लड़कीने वर्णन किया है। आन्ध्रकी इस पुत्रीका कहना है कि उसकी सहेलियोके सादे वेशसे उनकी रक्षा नही होती। परन्तु उनमे इतना साहस नही है कि जो लड़के अपनी संस्थाके लिए कलंक-स्वरूप है, उनके जगलीपनका भंडाफोड़ कर सके। मै विश्वविद्यालयके अधिकारियोसे इस शिकायतपर ध्यान देनेका अनुरोध करता हूँ।

इन ११ लड़कियोंसे मेरा अनुरोध है कि वे विद्यार्थियोंके असभ्य व्यवहारके खिलाफ एक जिहाद शुरू कर दें। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लड़कियोंको पुरुषोंकी गुंडागर्दीसे अपनी रक्षा करनेकी कला सीखनी ही चाहिए।

बारडोली, ३० जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-२-१९३९

३९४. जयपुर

जयपुर तथा राजकोटके संघर्षका अन्तर पाठकोंको समझा देना जरूरी है।

राजकोटका संघर्ष स्पष्टतः इसलिए है कि राज्यके अन्दर उत्तरदायी सरकार कायम की जाये, और अब इसलिए कि राजाने अपनी प्रजाको जो वचन दिया था, उसका पालन कराया जाये। राजकोटके हरएक मर्द और औरतमें अगर कुछ जान होगी, तो वहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंटके अपमानजनक व्यवहारका मुकाबला वे मरते दम तक करेंगे।

किन्तु जयपुरका संघर्ष एक बहुत छोटे प्रश्नको लेकर है। राज्यकी एक राजनीतिक संस्थाको उत्तरदायी शासनकी माँग करनेके अपराधमें एक तरहसे गैर-कानूनी करार दे दिया गया है; और उसके अध्यक्ष पर, जो खुद जयपुरके निवासी हैं, पाबन्दी लगा दी गई है। जिस क्षण ये पाबन्दियाँ उठा ली जायेंगी, और आजादीके साथ मिलने-जुलने, सभा वगैरह करनेका अधिकार दे दिया जायेगा, उसी क्षण सविनय अवज्ञा बन्द हो जायेगी। पर यहाँ भी ब्रिटिश सिंहने अपना भयंकर पंजा बढ़ाया है। सीकरके रावराणाके कानूनी सलाहकार बैरिस्टर चूड़गरकी जयपुरके अंग्रेज प्रधानमन्त्रीके साथ बातचीत हुई थी। बातचीतके सारांशकी निम्नलिखित रिपोर्ट श्री चूड़गरने जमनालालजीके पास भेज दी:

> आपको यह जतला देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जयपुरके प्रधान मन्त्री सर बीकम सेंट जॉनसे गत ९ जनवरीको ११ बजे मैं नटानीका बाग स्थित उनके बंगलेपर सीकरके बारेमें मिला था। उस समय जयपुरके मामलेपर भी हमारी थोड़ी-सी चर्चा हुई थी, जिसका सार यह है:
>
> मैंने सर बीकमसे कहा कि जयपुर राज्यकी हदमें जमनालालजीके प्रवेश पर जो पाबन्दी लगाई गई है, उससे सारे हिन्दुस्तानमें लाखों आदमियोंको दुःख और आश्चर्य हुआ है — खासकर इसलिए कि जमनालालजी एक शान्तिप्रिय व्यक्तिके रूपमें अच्छी तरह प्रसिद्ध हैं, और इस वक्त तो उनका उद्देश्य राज्यके अकाल-पीड़ित इलाकेमें सहायता-कार्यकी देखरेख और उसका निर्देशन ही था। इसके जवाबमें सर बीचमने यह तो स्वीकार किया कि आप शान्तिप्रिय

व्यक्ति है, पर उनका ऐसा खयाल था कि आप और आपके आदमी अकाल-पीड़ित इलाकोंकी आम जनताके सम्पर्कमें आयेंगे; और यह उन्हें चन्द स्पष्ट राजनीतिक कारणोंसे पसन्द नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि जमनालालजी अनिश्चित काल तक इस आदेशको माननेवाले नहीं हैं इसलिए राज्य तथा प्रजाके हितकी दृष्टिसे यह बेहतर होगा कि यह आदेश मिलनेके बाद जमनालालजीने पत्रोंमें जो वक्तव्य प्रकाशित कराया है, उसे ध्यानमें रखते हुए आदेश वापस ले लेना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक संकट टल जाये। सर बीकम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होने कहा कि जमनालालजी अगर आदेशकी अवज्ञा करते हैं, तो उनके ऐसा करनेसे पैदा होनेवाली किसी भी स्थितिका मुकाबला करनेके लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसवाले अहिंसक संघर्ष द्वारा क्रान्ति करनेपर उतारू हैं, पर अहिंसा तो शक्तिमें हिंसासे किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि उसमें हिंसा से भी प्रबल शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दुस्तानी लोग अंग्रेज जातिकी स्वभावगत मानवीय भावनाओंका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अंग्रेजोंकी जगह हिन्दुस्तानमें अगर जापान या हिटलरका शासन होता तो अहिंसा कभी भी इतनी कारगर नहीं हो सकती थी।

इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विचारके बाद इस रायपर पहुँचा हूँ कि अहिंसा चाहे कितनी ही शुद्ध हो, उसका जवाब हिंसासे ही देना चाहिए। और, जयपुरके अहिंसक आन्दोलनका जवाब मैं 'मशीनगन' से दूँगा। मैंने सर बीकमको ध्यान दिलाया कि सब अंग्रेज इस प्रकार नहीं सोचते हैं और अंग्रेज जाति भी, एक राष्ट्रके रूपमें, उनके विचारोंसे सहमत नहीं होगी। उन्होने कहा कि "सहमत हो या न हो", पर मेरी खुदकी तो ऐसी ही राय है कि अहिंसा और हिंसामें कोई अन्तर नही है, और अहिंसाका जवाब हिंसासे देनेमें कुछ भी अनुचित नहीं है।

अगर आप या महात्माजी इस वक्तव्यका कोई उपयोग करना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं तो यह पढकर हक्का-बक्का रह गया। मुझे यह इतना आश्चर्यजनक लगा कि मैंने यह वक्तव्य जयपुरके प्रधानमन्त्रीको अपने निम्नलिखित (१८-१-१९३९) पत्रके साथ भेज दिया.[1] प्रधानमन्त्रीने (२०-१-१९३९ को) मुझे उस पत्रका यह जवाब दिया :

आपका १८ तारीखका कृपापूर्ण पत्र प्राप्त हुआ। साथ ही श्री चुडगरके उस पत्रकी नकल भी मिली जो उन्होंने सेठ जमनालाल बजाजको लिखा था। उस पत्रमें जो-कुछ लिखा है, उसकी सचाईकी जाँच करनेसे पहले आपने उसे प्रकाशित करनेमें झिझक दिखाई, यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, जिसकी मैं निजी

१. पत्रके लिए देखिए पृ० ३३६।

तौरपर इसलिए बहुत कद्र करता हूँ क्योंकि अब मैं आपको यह बतला सकता हूँ कि इस पत्रमें दिया हुआ मेरे विचारोंका बयान बिलकुल गलत है। समझमें नहीं आता कि श्री चुडगर मेरे कथनको इतना गलत कैसे समझे। इस घटनासे भविष्यमें ऐसी मुलाकातें देनेके सम्बन्धमें मेरी झिझक और पक्की हो गई है।

अब चूँकि हकीकत आपको मालूम हो गई है, इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे पत्रको प्रकाशित करनेकी आपकी अनिच्छा और पुष्ट हो जायेगी। लेकिन अगर आप विपरीत निर्णयपर पहुँचे, तो जितनी जल्दी हो सके, कृपया मुझे उसकी खबर दे दें, ताकि मैं उचित कार्रवाई कर सकूँ।

आपने मेरे ऊपर जो कृपा दिखाई उसके लिए पुनः धन्यवाद।

इसका जवाब मैंने इस प्रकार दिया (२२-१-१९३९):[1]

उसका जवाब (२५-१-१९३९ को) यह आया:

आपके इसी २२ ता० के पत्रके लिए अनेक धन्यवाद।

मुझे विश्वास है कि निजी तथा व्यक्तिगत समझी जानेवाली मुलाकातको कलमबन्द करनेमें मेरी स्वाभाविक हिचकिचाहटके प्रति आप सहानुभूति दिखायेंगे — खासकर जबकि मुलाकात लेनेवाला गलत रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी धमकी दे चुका है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि ऐसी कार्रवाईसे केवल कटुता ही बढ़ेगी, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कोई उपयोगी हेतु पूरा नहीं होगा।

लेकिन अगर श्री चुडगर अपनी गलत रिपोर्ट प्रकाशित कर देना उचित ही समझें तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे आगाह कर देंगे ताकि मैं, जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस सम्बन्धमें उचित कार्रवाई कर सकूँ।

इसका जवाब मैंने (२७-१-१९३९ को) नीचे लिखे अनुसार भेजा:[2]

यह सारा पत्र-व्यवहार मैंने श्री चुडगरको दिखाया और उन्होंने इस सम्बन्धमें (२८-१-१९३९ को) श्री जमनालालजीको जो पत्र लिखा था, उसकी निम्नलिखित नकल मेरे पास भेज दी:

महात्माजी और सर डब्ल्यू० बीकम सेंट जॉनके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है और जिसका अन्त महात्माजीके २७ तारीखके पत्रसे होता है, उसे मैं पढ़ गया हूँ। आपको मैंने १५ तारीखको जो पत्र लिखा था उसे मैंने फिर एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं कहता हूँ कि 'उसमें जो बयान मैंने दिया है, वह मेरे और सर बीकमके बीच हुई बातचीतकी बिलकुल सही रिपोर्ट है।

१. पत्रके पाठके लिए देखिए पृ० ३४९।
२. पत्रके पाठके लिए देखिए पृ० ३७०।

प्रधानमन्त्रीके पत्र बड़े ही विचित्र हैं। मैंने उनसे माँगी तो थी रोटी, पर उन्होंने दिया मुझे पत्थर! अब अगर वे अपना बयान देनेमें असमर्थ हों और इस स्थितिमें मैं श्री चुडगरके बयानको सच्चा मान लूँ, तो वे (सर बीकम) मुझे क्षमा करें। उनका महज इनकार करना और साथ ही धमकी देना, कोई महत्व नहीं रखता।

कांग्रेस, ताकत रखते हुए भी, इन्तजार करती रहे और चुपचाप देखती रहे, और जयपुरकी प्रजाको मानसिक तथा नैतिक भूखसे मरने दे — खासकर जबकि प्राकृतिक अधिकारपर लगाई गई ऐसी पाबन्दीके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यकी ताकत हो — यह सम्भव नहीं है। अगर प्रधानमन्त्री जो कुछ कर रहे हैं उसे करनेका उन्हें अधिकार नहीं है तो कम-से-कम उन्हें उस पदसे तो हटा ही देना चाहिए।

बारडोली, ३० जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-२-१९३९। (सी० डब्ल्यू० ७८०९) से भी; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

३९५. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

बारडोली
३० जनवरी, १९३९

चि० कान्ति,

मैंने तुझे कई सन्देश भेजे थे। बा, मैं और सब लोग चिन्तामें रहते हैं कि तेरे पत्र क्यों नहीं आते। आज तेरा पत्र मिला। मेरी तबीयत ठीक ही है। तुझे हफ्तेमें एक कार्ड लिखना तो नहीं ही भूलना चाहिए।

रामचन्द्रनके साथ मेरी खूब बात हुई है। उसका पत्र अभी ही आया। अब उसे विश्वास हो गया है। सरस्वतीको भेजनेके लिए उसे मना तो रहा हूँ। इसमें सरस्वतीकी मदद चाहिए।

अब प्रार्थनाका समय हो गया, इसलिए बस।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं पहलीको सेगांव जाऊँगा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५७) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

३९६. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

३० जनवरी, १९३९

चि० कान्ति,

इन दिनो मै कोई सुझाव अपनी ओरसे पेश नही करता। प० का नाम मेरे आगे रखा गया था, और वही एक नाम था। दूसरी बार चुने जानेके खिलाफ मैंने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।

कलका मेरा पत्र मिला होगा।

सरस्वतीके पत्र मेरे पास कभी-कभी आते है।

अपनी तबीयतका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५६) से; सौजन्य : कान्तिलाल गाधी।

३९७. "लताड़ और प्यार"

अभी हालमे बम्बईमे हुई नरेन्द्र मण्डलकी बैठकका निम्नलिखित विवरण, जिसे प्रामाणिक बताया गया है, पढने मे पाठकोको दिलचस्प मालूम होगा — साथ ही इसे पढ़ते हुए उन्हे दु:ख भी होगा:

> बीकानेरके महाराजा साहबने राजकोटकी घटनाओंका विवरण देते हुए चर्चा आरम्भ की। उन्होंने कहा कि वहाँकी अशान्तिका कारण यह है कि वहाँ प्रभावशाली जागीरदारोंका अभाव है, निजी खर्च और राज्यके खर्चमें भेद नही रखा गया है और काठियावाड़की रियासतें छोटी हैं। कांग्रेस इसे एक आजमाइशी लड़ाई मानती है और राजकोटको उसने कई कारणोंसे चुना है। उसमें मुख्य कारण ये हैं: राजकोट छोटी और सीमित साधन-सामग्रीवाली रियासत होनेके कारण कांग्रेसके हमलेका सामना देर तक नही कर सकेगी, और ऐसे हमलेके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। काठियावाड़में कांग्रेस सशक्त और सक्रिय है, और फिर लड़ाईका संचालन करने तथा अभियान चलाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल पास ही बैठे हुए हैं। इसके बाद, बीकानेरके महाराजा साहबने यह सुझाव दिया कि कई-एक रियासतोंके लिए संयुक्त पुलिस रखी जाये, क्योंकि अलग-अलग रियासतोंके — विशेषकर छोटी

रियासतोंके -- साधन-सामग्री सीमित हैं और इसलिए इस खतरेका सामना करनेके लिए, जो हम सबपर समान रूपसे आया हुआ है, वे काफी नहीं हैं। सर्वोच्च सत्ता और उसके प्रतिनिधियोंका भी ऐसा ही संकेत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रदेशोंसे मिलनेवाली सहायता और सहयोगपर भी अब ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वहां कांग्रेसका ही बोलबाला है और स्वभावतः वे लोग भारतीय रियासतोंकी मदद नहीं करना चाहेंगे। उल्टे मौन या मुखररूपसे उनकी सहानुभूति तो भारतीय रियासतोंकी प्रजा अथवा बाहरी आन्दोलनकारियोंके साथ है। उड़ीसाकी रियासतोंमें जब इसी तरहका उपद्रव हुआ और उन्होंने उड़ीसा सरकारसे मदद मांगी तो उड़ीसा सरकारके रुखसे वास्तवमें यही बात प्रकट हुई थी।

अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय रियासतों की ओर अब अधिकाधिक ध्यान देगी। अब तक कांग्रेसकी नीति, जैसाकि कांग्रेसके हरिपुरा-अधिवेशनके प्रस्तावमें और उससे पहले बताया गया था, यह थी कि वह रियासतोंके मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और रियासतोंकी प्रजासे यही कहा गया था कि वे अपने बलबूतेपर ही सब काम करें। कारण स्पष्ट है। कांग्रेस सक्रिय रूपसे ब्रिटिश भारतकी समस्याओंमें व्यस्त थी और भारतीय रियासतोंकी जनतामें शक्ति पैदा करना और उनमें आत्म-निर्भरताकी भावना पोषित करना चाहती थी। कांग्रेस ब्रिटिश भारतमें अपना दबदबा लगभग कायम कर चुकी है, अतः यह स्वाभाविक है कि अब वह अपनी शक्ति और प्रभावका उपयोग भारतीय रियासतोंके मामलेमें करे।

एक दूसरी बात भी है: कांग्रेसजनोंमें जो मतभेद पैदा हो रहे हैं उनकी ओरसे लोगोंका ध्यान हटाने के लिए लड़ाईकी योजनाएँ सामने लाना जरूरी है। राजनीतिका यह एक सूक्ष्म किन्तु छोटा सिद्धान्त-वाक्य है। इटली द्वारा अबीसीनियाकी विजय और आस्ट्रिया और सूडेटेन लैंडके विरुद्ध जर्मनीकी मुहीमोंके कारणोंमें एक यह भी है। इससे इन शक्तियोंको दलगत फूटसे लोगोंका ध्यान हटाने और अपने अनुयायियोंमें उत्साह पैदा करनेमें सहायता मिलती है। हमें सर्वोच्च सत्ताका रुख भी ध्यानमें रखना है। इस सम्बन्धमें इस विषयपर अभी हालमें श्री गांधीने जो-कुछ कहा उसे हमें ध्यानमें रखना है। मेरी रायमें किसी बाहरी शक्तिकी बनिस्बत, हमें अपनी ही ताकतपर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए; क्योंकि बाहरी सहायता मिल भी सकती हो तो वह अनिश्चित और अपर्याप्त ही होगी।

राजकोटके मामलेके विहंगावलोकनके पश्चात महाराजाने राजपूतानाकी रियासतोंकी समस्याकी चर्चा की और राजाओंको उन्होंने उस नीतिकी रूपरेखा बताई जिसका अनुसरण वह अपनी रियासत बीकानेरमें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने १९१३ में राज्य विधानसभा शुरू की थी और यह सभा

तबसे सरकारी व्ययपर चर्चा करती आई है। बीकानेरमें 'राजपत्र'—सरकारी गजट—प्रकाशित होता है। बाहरसे आनेवाले आन्दोलनकारियों और उन आन्दोलनकारियोंमें भेद करते है जो राज्यके ही प्रजाजन है। उन्होंने कहा कि यह अन्तर बहुत महत्त्वपूर्ण है और सदा ध्यानमें रखा जाना चाहिए। बाहरी आन्दोलनकारी, जिनकी रियासतकी भलाईमें कोई आर्थिक दिलचस्पी नहीं है, और जो मात्र नेता कहलाने और जनताकी नजरोंमें आनेके लिए यह भूमिका अपनाते हैं उन्हें तो तत्काल निकाल बाहर करना चाहिए। उनका कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। उनकी गतिविधियाँ जारी रहना रियासतके लिए संकट-रूप है और वहाँ उनकी उपस्थिति खतरनाक है। इसका उपाय है कि उनको रियासतसे बाहर कर दिया जाये और उनके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। यद्यपि रियासतके अन्दरके आन्दोलनकारी भी रियासतके लिए और रियासतकी शान्ति-सुव्यवस्था तथा प्रगतिके लिए उतने ही हानिकर हैं, परन्तु उनकी स्थिति कुछ भिन्न है। राज्यमें उनकी थोड़ी-बहुत जमीन-जायदाद होती है, उससे उनके कुछ हित-सम्बन्ध होते हैं। वेकभी-कभी शायद ऐसी तकलीफोंकी भी शिकायत करते हैं जो किसी सीमा तक सही होती हैं और ऐसी तकलीफें जहाँ तक हो सके दूर कर देनी चाहिए ताकि उस आन्दोलनमें जोर न रह जाये जिसका कि वे समर्थन और पोषण करते हैं। जहाँ तक सम्भव हो सही शिकायतें दूर कर दी जानी चाहिए और आन्दोलन दबा दिया जाना चाहिए। यदि आन्दोलनकारी प्रामाणिक किस्मके हों और शिक्षित बेकारोंके वर्गमें से हों तो रियासतमें उन्हें उपयुक्त नौकरी देकर उनके मुँह बन्द करनेकी कोशिश की जानी चाहिए। कहावत है कि "कौर डालकर मुँह बन्द कर देना ज्यादा अच्छा है।"

उसके बाद प्रजा-मण्डलोंके प्रश्नपर चर्चा हुई। इस चर्चामें बीकानेरके महाराजा, सर कैलाश नारायण हकसर, जयपुरके रा० ब० पण्डित अमरनाथ अटल, उदयपुरके पण्डित धर्मनारायण और अलवरके मेजर हार्वेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। बूँदीके श्री राबर्टसन और सिरोहीके श्री मैकग्रेगरने कुछ प्रश्न पूछे। श्री अटलने जयपुरमें प्रजामण्डलकी उत्पत्ति और विकासका सविस्तार वर्णन किया। उससे यह स्पष्ट था कि इन प्रजा-मण्डलोंके संस्थापक और उन्नायक प्रजाके असन्तुष्ट लोग और रियासतकी नौकरीसे बरखास्त किये गये छोटे अधिकारी होते थे। सबको सावधान और सचेत रहने के लिए आगाह किया गया। इस बातपर सहमति प्रकट की गई कि इन लोगोंपर कड़ी निगरानी रखी जाये और उनकी गतिविधियोंकी पूरी खबर दी जाये चाहे वे कितनी ही सीमित या व्यापक क्यों न हों। यह कहा गया कि इन प्रजा-मण्डलोंको तत्काल कुचल दिया जाये और उन्हें शक्ति या प्रभाव प्राप्त नहीं करने दिया

जाये। यदि उन्होंने कुछ शक्ति या प्रभाव प्राप्त भी कर लिया हो तो चतुराईसे उनकी गतिविधियोंको शारदा-कानून जैसे सामाजिक कार्योंकी ओर मोड देनेका प्रयास किया जाये। दूसरी ओर यह सुझाव दिया गया कि रियासतोंकी जनता की प्रामाणिक और निर्दोष सलाहकार संस्थाएँ बनाने को प्रोत्साहन दिया जाये, जो रियासतोंमें तथाकथित उत्तरदायी सरकारके विषयमें लोगोंको प्रशिक्षण देने के कामकी शुरुआत करे। रियासतोंसे बाहरके प्रजामण्डलोंकी उपेक्षा की जाये।

सर्वश्री गांधी और पटेल-जैसे कांग्रेसके नेता रियासतोंमें जिस उत्तरदायी शासनकी वकालत कर रहे हैं उसके बारेमें सामान्य राय यह थी कि रियासतों की प्रजा इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं है और इसलिए ऐसा शासन देना रियासतों और प्रजाके लिए हानिकर और व्यवस्थित प्रगति तथा शान्तिके लिए घातक होगा। इस सभाकी रायका सार इस सूत्रमें आ जाता है कि 'लोगोंकी शिकायतों आदिपर ध्यान दो परन्तु उन्हें उत्तरदायी शासनकी बात मत करने दो।' बीकानेरके महाराजाने कांग्रेसके प्रति अपनी नीति दृढ़तापूर्वक बताई। उन्होंने जो-कुछ कहा उसका सार यह था कि 'न्याय दो परन्तु दृढ बने रहो। लॉर्ड मिंटोके सन् १९०८ में लिखित प्रसिद्ध पत्रमें सुझाई गई दमन और समझौते की, 'लताड़ और प्यार' की, नीतिका अनुसरण करो। कब नरमी बरती जाये और कब कठोरता दिखाई जाये और दोनोंका मिश्रण कैसे किया जाये, इन सबमें तालमेल रखना होगा और इसके लिए काफी चतुराई और विवेक-बुद्धिकी आवश्यकता होगी। निर्णय इस बातपर निर्भर करेगा कि रियासत-को जिस स्थितिका सामना करना पड रहा है वह कैसी है और प्रस्तुत समस्या किस प्रकार की है। बहरहाल उनकी चर्चामें यह बात बिलकुल साफ थी कि प्रजा-मण्डलोंको ऐसी सामान्य संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओंके रूपमें रियासतोंमें स्थापित नहीं होने देना चाहिए और यदि वे पहलेसे कायम हों तो उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए और उनपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए, और उनकी गतिविधियोंपर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उनका दमन कैसे किया जाये, इसके लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। अलग-अलग रियासतें अपनी योजनाएँ बनायेंगी और काम करने के अपने ढंग निश्चित करेंगी।

निम्नांकित अस्थायी निर्णय लिये गये: १. रियासतोंके लिए संयुक्त पुलिस रखी जाये; २. प्रजा-मण्डलोंको तत्काल कुचल दिया जाये; ३. प्रजाकी उचित शिकायतें दूर की जायें; ४. बाहरी आन्दोलनकारियोंके साथ सख्ती बरती जाये और उन्हें बाहर निकाल दिया जाये; ५. सामाजिक गतिविधियोंको प्रोत्साहन दिया जाये किन्तु राजनीतिक गतिविधियोंको नहीं; ६. रियासतके प्रजाजनोंकी प्रामाणिक सलाहकार समितियोंको प्रोत्साहन दिया जाये; ७. 'दमन और समझौते' की तथा 'न्याय दो पर दृढ बने रहो' की नीतिका पालन किया जाये।

यदि इस रिपोर्टमें सम्मेलनमे दिये गये भाषणोंका यह सार सही है तो इससे पता चलता है कि कुछ रियासतोमे अन्तत स्वतन्त्रताका जो आन्दोलन चल पडा है, उसे कुचलने का कुचक्र चल रहा है। लताड़ और प्यार साथ-साथ चलनेवाले हैं। इससे मुझे एक लैटिन कहावत याद आती है जिसका अर्थ है: "मुझे यूनानियोंसे डर लगता है खासकर जब वे भेंट लाते है!" आगेसे शासकोंके अनुग्रहको सन्देहकी दृष्टिसे ही देखना होगा। जब-कभी सुधार किये जायेंगे, वे लोगोंकी सुख-समृद्धिके लिए नही अपितु कौर डालकर मुँह बन्द करनेके लिए किये जायेंगे। परन्तु मनुष्यकी योजनाएँ, वह चाहे राजा ही क्यों न हो, प्रायः उलट जाती देखी गई हैं। ईश्वरको अक्सर मनुष्यकी योजनाओको उसकी अपेक्षासे भिन्न बिलकुल दूसरा ही मोड़ देते पाया गया है। यदि लोग भयसे मुक्त हो गये हैं और उन्होने आत्मबलिदानकी कला सीख ली है तो उन्हे किसीके अनुग्रहकी कोई आवश्यकता ही नही है। लताड़से वे कभी नही डरेंगे। जिस चीजकी उन्हे जरूरत होगी, उसे वे ले लेंगे और उसे आत्मसात् कर लेंगे।

बारडोली, ३१ जनवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-२-१९३९

३९८. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

३१ जनवरी, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

श्री क० मा० मुन्शी, सर पुरुषोत्तमदास और अब श्री घनश्यामदास बिडलाने भी मुझे बताया है कि रियासतोंके बारेमे और विशेषकर जयपुरके बारेमे 'हरिजन' मे प्रकाशित मेरे लेखोसे आपको बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने सलग्न लेख[1]का प्रकाशन स्थगित कर दिया हैं। वैसे, मैं यह लेख पूनामे 'हरिजन'के प्रबन्धकको भेज चुका था।

यह कहनेकी जरूरत नही कि मेरी यह कतई इच्छा नही है कि मैं ऐसा कोई काम करूँ जो आपको परेशानीमें डालनेवाला हो। यदि यह मेरे बसके ही बाहर हो तब दूसरी बात हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि सम्बन्धित प्रजाको न्याय मिले।

मैंने अपने पिछले पत्रमे[2] जिन तीन मामलों का जिक्र किया है, उनके बारे मे आप कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई कर सकें तो कितना अच्छा हो!

१. देखिए "जयपुर", पृ० ३८६-९।

२. देखिए पृ० ३६५-७।

क्या मैं यह आशा रखूं कि आप मुझे एक पंक्ति लिखकर यह बतायेंगे कि इस लेखका, जिसका प्रकाशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, मैं क्या करूँ?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८०६) से; सौजन्य. घनश्यामदास बिड़ला।

३९९. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

बारडोली
३१ जनवरी, १९३९

चि० पुरुषोत्तम,

ये रहे पण्डितजी के बारेमें दो शब्द।[1]

तेरी तबीयत ठीक रहती होगी।

कभी-कभी कुसुम, मनु वगैरहके समाचार भी देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

४००. नारायण मोरेश्वर खरेकी स्मृतिमें[2]

बारडोली
३१ जनवरी, १९३९

पण्डितजीके बारेमें लिखना मुझे अच्छा लगता है। उनके अनेक मधुर संस्मरण मेरे मस्तिष्कमें भरे पड़े हैं। लेकिन उन्हें लिखनेका समय बिलकुल नहीं है। सारे संस्मरणोंका सार यह है कि पवित्रता और संगीतका मेल मैंने बहुत थोड़े व्यक्तियों में देखा है, और यह मेल पण्डितजीमें बड़ी मात्रामें था। गुजरातमें अच्छे संगीतके प्रति रुचि उत्पन्न करनेवाले पण्डितजी ही थे। इसके लिए गुजरात सदैव उनका ऋणी रहेगा।

मो० क० गांधी

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. इनका ६ फरवरी, १९३८को हरिपुरामें निधन हो गया था।

४०१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको[1]

बारडोली
३१ जनवरी, १९३९

श्री सुभाष बोसने अपने प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार डॉ० पट्टाभि सीतारामैयापर निर्णायक विजय प्राप्त की है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शुरूसे ही कुछ कारणोंवश, जिनमें इस समय जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं निश्चित रूपसे उनके दोबारा चुने जानेके विरुद्ध था। इस चुनावके सम्बन्धमें उन्होंने जो वक्तव्य जारी किये हैं, उनमें दी गई दलीलों या तथ्योंसे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे खयालमें तो उन्होंने अपने सहयोगियोंके बारेमें जो-कुछ कहा है, वह अनुचित और अशोभनीय है। तो भी मैं उनकी विजयसे खुश हूँ और चूँकि मौलाना अबुल कलाम् आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले लेनेके बाद डॉ० पट्टाभिको चुनावसे पीछे न हटनेकी सलाह मैंने दी थी, इसलिए यह हार उनसे ज्यादा मेरी है। अगर मैं अमुक निश्चित नीति और सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसके प्रतिनिधि उन सिद्धान्तोंको और उस नीतिको मान्य नहीं करते, जिनका कि मैं प्रतिपादन करता हूँ।

इस हारसे मैं खुश हूँ। इससे मुझे उस बातको अमलमें लानेका अवसर मिला है, जिसकी सलाह मैंने दिल्लीमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें अल्पसंख्यक गुटवालोंके सभासे उठकर चले जानेपर एक लेख[2] लिखकर दी थी। सुभाष बाबू अब उन लोगोंकी कृपाके सहारे अध्यक्ष नहीं बने जिन्हें वे दक्षिण पंथी कहते हैं, बल्कि चुनावमें जीतकर अध्यक्ष बने हैं। इससे वह अपने ही समान विचारवाली कार्य-समिति चुन सकते हैं और बिना किसी बाधा या अड़चनके अपना कार्यक्रम अमलमें ला सकते हैं।

एक बात तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों गुटोंको मान्य है; दोनों ही कांग्रेसकी आन्तरिक शुद्धि चाहते हैं। 'हरिजन' में प्रकाशित मेरे लेखोंसे यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस तेजीसे एक भ्रष्ट संगठन बनती जा रही है, क्योंकि उसके रजिस्टरोंमें बहुत बड़ी संख्यामें जाली नाम दर्ज हैं।[3] पिछले कई महीनोंसे मैं यह सलाह देता आ रहा हूँ कि कांग्रेसके इन रजिस्टरोंका संशोधन किया जाये और उन्हें नये सिरेसे लिखा जाये। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि इस समय इन नकली मतदाताओंके कारण जो प्रतिनिधि चुने गये हैं, छानबीन करनेपर वे प्रतिनिधि

१. यह साधन-सूत्रमें "आइ रिजॉयस इन दिस डिफीट" शीर्षकके अंतर्गत प्रकाशित हुआ था तथा **बॉम्बे क्रॉनिकल**, ३-२-१९३९, **हिन्दू**, ३१-१-१९३९, और **हिन्दुस्तान टाइम्स**, १-२-१९३९ तथा अन्य अनेक समाचारपत्रोंमें भी प्रकाशित हुआ था।

२. देखिए खण्ड ६७, पृ० ४४६-७।

३. देखिए "अन्दर की गन्दगी", पृ० ३५५-७।

नही रहने पायेंगे। लेकिन मैं ऐसा कोई उग्र कदम उठानेका सुझाव नही दे रहा हूँ। इतना ही काफी होगा कि रजिस्टरोसे जाली मतदाताओंके नाम निकाल दिये जायें और ऐसी व्यवस्था की जाये कि भविष्यमे ऐसा करना सम्भव न रह जाये।

अल्पसंख्यकोको हतोत्साह होनेकी जरूरत नही। अगर वे कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रममे विश्वास रखते है तो उन्हे मालूम हो जायेगा कि उसके अनुसार काम किया जा सकता है, फिर चाहे वे अल्पमतमें हो अथवा बहुमतमे और कांग्रेसके बाहर हो या अन्दर।

मौजूदा परिवर्तनसे केवल संसदीय कार्यक्रममें फर्क पड सकता है, और किसीमें नही। मन्त्रिमण्डलोंका चुनाव उन लोगोने किया है जो अभी तक बहुमतमें थे और उन्होंने ही उसका कार्यक्रम बनाया है। लेकिन संसदीय कार्यक्रम कांग्रेस-कार्यक्रमका एक छोटा-सा अंग है। कांग्रेसी मन्त्रियोंको आखिरकार यही समझकर चलना है कि उन्हे अपना पद किसी भी दिन छोड़ना पड सकता है। कांग्रेसी मन्त्रियोंके लिए इस बातका कोई महत्व नही है कि उनसे किसी ऐसे मुद्देपर पद-त्याग करनेको कहा जाता है जिसके विषयमे वे कांग्रेसकी नीतिसे सहमत है अथवा वे स्वयं इस कारण त्यागपत्र देते है कि वे कांग्रेसकी नीतिसे सहमत नही है।

सुभाष बाबू देशके दुश्मन तो है नही। उन्होने उसके लिए कष्ट सहन किये है। उनकी रायमें उनका कार्यक्रम और उनकी नीति दोनो अत्यन्त अग्रगामी है। अल्पसंख्यक उनकी सफलता ही चाहेंगे। लेकिन यदि वे उनके अनुसार न चल सकें, तो उन्हे कांग्रेसके बाहर आ जाना चाहिए। उनसे बन पड़ा तो वे बहुमतकी शक्ति बढ़ायेंगे।

वे किसी भी स्थितिमे बाधक न होंगे। यदि वे सहयोग न कर सकें, तो उन्हे अलग हो जाना होगा। कांग्रेसजनोंको मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग कांग्रेस-मनोवृत्ति रखते हुए भी सोच-समझकर कांग्रेससे बाहर है, वे उसका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए जो लोग कांग्रेसके भीतर रहनेमे असुविधा अनुभव करते हों, वे बाहर आ सकते है, लेकिन दुर्भावनासे नही, बल्कि ज्यादा सेवा करनेकी भावना से।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-२-१९३९

४०२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

बारडोली
३१ जनवरी, १९३९

मुझसे अपीलें की जा रही है कि देशी रियासतोके मामलेमे मै जल्दबाजी न करूँ। इन अपीलोकी कोई जरूरत नही है। राजकोटके लोगो द्वारा तीन-महीने तक अहिसात्मक संघर्ष करनेके बाद सपरिषद् ठाकुर साहब और प्रजाका प्रतिनिधित्व करनेवाले सरदार पटेलके बीच एक सम्मानजनक समझौता हुआ था और सर्वत्र हर्षोल्लासके साथ वह संघर्ष समाप्त हुआ था। मगर ब्रिटिश रेजिडेटने ठाकुर साहब और प्रजा द्वारा किये गये इस सुन्दर कार्य पर पानी फेर दिया है।[2]

इज्जतका तकाजा था कि लोग उस समझौतेको बहाल करानेके लिए मरते दम तक लड़े जो ठाकुर साहब और उनकी प्रजामें हुआ था। अब यह संघर्ष राजा और उनकी प्रजाके बीच नही, बल्कि असलमे काग्रेस और ब्रिटिश सरकारके बीच है, जिसके प्रतिनिधि रेजिडेट है। खबर है कि वे सगठित गुडागर्दीसे काम ले रहे है। वे उन बेकसूर स्त्री-पुरुषोका हौसला पस्त करनेकी कोशिश कर रहे है, जो विश्वास-भंगके कारण नाराज है और सही नाराज है।

यह कहना भ्रमात्मक है कि राजकोट आजमाइशी मामला बनाया गया है।[3] काठियावाड़की रियासतोके बारेमे कोई योजनाबद्ध कार्य नही किया जा रहा है। यही हो रहा है कि जो लोग अपनेको कष्ट सहनेके लिए तैयार समझते है, वे सरदार से सलाह लेने आते है और सरदार उनको राह बताते है। राजकोट तैयार जान पड़ा, इसीलिए वहाँ लड़ाई शुरू हुई।

जयपुरका मामला बहुत ही सीधा और राजकोटसे भिन्न है। अगर मुझे मिली खबर सही है, तो वहाँके अंग्रेज प्रधानमन्त्री इस बातपर तुले हुए है कि उत्तरदायी शासनकी भावनाको लोगोमें फैलाने तकका कोई आन्दोलन वहाँ न चलने दिया जाये।[4] इसलिए जयपुरमें सविनय अवज्ञा उत्तरदायी शासनके लिए नही, बल्कि प्रजामण्डल और उसके अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाजपर लगाये गये प्रतिबन्धको हटानेके लिए की जा रही है।[5]

१. यह वक्तव्य "राजकोट ऐण्ड जयपुर" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था तथा **हिन्दू**, **हिन्दुस्तान टाइम्स** और **बॉम्बे क्रॉनिकल** में भी छपा था।

२. इसका भारत सरकारने जो उत्तर दिया उसके लिए देखिए परिशिष्ट २।

३. देखिए "लताड़ और प्यार", पृ० ३९०-४।

४ और ५. देखिए "जयपुर", पृ० ३८६-९।

मेरी रायमें वाइसरायका कर्तव्य है कि वे राजकोटके रेजिडेंटसे कहे कि वह उस समझौतेको बहाल करे और जयपुरके अग्रेज प्रधानमन्त्रीसे कहे कि वह प्रतिबन्ध हटा ले। वाइसरायके ऐसा करनेसे किसी भी हालतमे यह नही समझा जा सकता कि उन्होने देशी रियासतोके मामलोमे अनावश्यक हस्तक्षेप किया है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-२-१९३९

४०३. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

वर्धागंज
२ फरवरी, १९३९

घनश्यामदास बिड़ला
नई दिल्ली

बिलकुल ठीक हूँ। जरूरी आराम कर रहा हूँ। चिन्ता की कोई बात नही है।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८०२) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

४०४. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

सेगाँव
२ फरवरी, १९३९

प्रिय कु,

मैं आज ही यहाँ आया हूँ। संलग्न लेख-सामग्री[1] को तैयार करनेमें मुझे इतना अधिक समय नही लेना चाहिए था। असलमे मैं पूरी पुस्तक पढ जाना चाहता था, पर वह असम्भव था। और अब तो मैं खाटपर पड गया हूँ। मतलब यह कि डॉक्टरोका कहना है कि यदि मैं आत्महत्या करना नही चाहता तो मुझे बिस्तरपर लेटे रहना चाहिए और यथासम्भव कम-से-कम काम करना चाहिए। पूर्ण मौन रखनेको कहा गया है। इसलिए इसे मैं अत्यन्त आवश्यक हो जानेपर ही तोड़ूँगा। इन परिस्थितियोमें मैंने सोचा कि कुछ शब्द तुम्हे तुरन्त भेजने चाहिए। हजार क्षमायाचनाओं सहित वे यहाँ प्रस्तुत हैं।

१. देखिए अगला शीर्षक।

आशा है, तुम्हारी समिति ठीक प्रगति कर रही होगी और सीता[1] अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही होगी।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४८) से।

४०५. प्राक्कथन

सेगाँव, वर्धा
२ फरवरी, १९३९

'व्हाई द विलेज मूवमेण्ट' का तीसरा संस्करण निकालना पड रहा है। यह एक शुभ लक्षण है। यह पुस्तक एक ऐसी जरूरतको पूरा करती है जो काफी महसूस की जा रही थी। आन्दोलनकी आवश्यकता और व्यावहारिकता के बारेमे जितनी भी शंकाएँ प्रकट की गई है, प्रोफेसर जे० सी० कु[मारप्पा]ने प्राय: उन सभीका समाधान किया है। कोई भी देहात-प्रेमी इस पुस्तिकाको लिये बिना नही रह सकता। किसी भी शकालुकी शकाएँ इससे मिट सकती है। यह पुस्तिका उन लोगोके लिए बेकार है जो यह मान बैठे है कि अगर कोई आन्दोलन जरूरी है तो वह गाँवोको मिटाने और भारतमे जगह-जगह ऐसे बड़े शहर कायम करनेका आन्दोलन होना चाहिए जहाँ अत्यन्त केन्द्रीकृत उद्योग हो और हरएकके पास पर्याप्तसे भी अधिक चीजे हो। सौभाग्यसे विनाशकी इस विचारधाराके अनुयायी अभी बहुत नही है। मै सोचता हूँ कि जिसे देखकर भविष्यके विषयमें निराशा होने लगती है, ऐसी इस प्रवृत्तिके प्रसारको रोकनेके लिए क्या ग्राम-आन्दोलन बिलकुल सामयिक नही है? यह पुस्तिका इस प्रश्नका उत्तर देनेका एक प्रयास है।

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१४९) से।

१. जे० सी० कुमारप्पाके छोटेभाई भारतन कुमारप्पाकी धर्मपत्नी।

४०६. पत्र : मीराबहनको

सेगाँव, वर्धा
२ फरवरी, १९३९

चि० मीरा,

मैंने कई दिन तक तुम्हारी उपेक्षा की है, परन्तु सुशीलाको हिदायत है कि तुम्हें रोज पत्र लिखती रहे। मुझे शारीरिक-श्रमसे तो पूर्ण विश्राम लेना ही है, परन्तु जितना हो सके, मानसिक श्रमसे भी विश्राम लेना है। चिन्ता न करना। अपने काममें डूब जाओ।

बा को राजकोट जाना है इसलिए वह वहीं[1] रह गई।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२६) से, सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००२१ में भी।

४०७. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
२ फरवरी, १९३९

बा,

तू क्यों चिन्तित होती है? मेरी चिन्ता मत कर। अपनी तबीयत ठीक कर। रामनाम ले। यह मान कर चल कि अनेकोंके पुण्यसे हम यह लड़ाई जीतेंगे। उसमें तेरे पुण्य भी हैं ही।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३१

१. बारडोलीमें।

४०८. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेगाँव, वर्धा
२ फरवरी, १९३९

चि० शर्मा,

बारडोलीमें इतने काममें फंस गया था कि बीमार होकर आज आया। यही कारण है तुमारे खतका देरसे उत्तर भेजना का। चिंताकी बात नहीं है ठीक हो जायगा।

३ फरवरी, १९३९

लेकिन मैं किसीको एक लाइन भेजनेका कह सकता था कि उत्तर जल्दी नहीं भेजा जायगा यह नही किया क्योंकी शीघ्र उत्तर भेजनेकी आशा बनी रही।

डिस्ट्रकशन कन्स्ट्रकशन साथ चलाने वाली चीज हैं। तुमारा डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि उसकी तुम बर्दाश्त न कर सको। आज एक करें और कल दूसरा ऐसे न बनने पाय।

पत्रिका मैं नही लिख सकता हूँ। तुमने ही कहीं लिखा है कि जब तक कनस्ट्रक्शन शरु नही हूआ तब तक सब बात बेकार है। जो चल रहा है उसमें पत्रिकाको शायद स्थान भी नही है।

तुमारे अगले खतमे कुछ सिद्धांतकी बात थी कि समाज और कुटुंब अलग बात है और होनी चाहीये। अगर दोनों एक समजते हो लेकिन आज वहां तक नही पहोंचते हो तो कहना क्या?

मेरे साथ रहनेवाले और तुममें भेद नही है यह बात अमलमे बता दोगे तब मेरा काम हो गया समजुंगा।

कुत्ताकी मिसाल तो कठोर है। लेकिन बात सही है। यों तो हम सब कुत्तेके जैसे हैं सहिष्णुता नही है। लेकिन समाजमें रहना और असहिष्णु रहना बड़ी विपरीत बात है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १७७-८ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

४०९. पत्र : सम्पूर्णानन्दको

[२ फरवरी, १९३९ के पश्चात्][1]

भाई सम्पूर्णानन्दजी,

आपका पत्र मिला था। शीघ्र स्वीकृति न भेज सका। जो बात मुझको लिखी है वही डॉ० जाकिर हुसेनको लिखी होगी।

झंडा और वन्दे मातरम्के विषयमें आपका खत मुसाफरीमें मिल गया था। आपने लिखा वह सही था। उसी दिशामें मैं काम कर रहा हूं।

कौंसिल इत्यादिमें जानेवालोंकी स्थितिका मसला दिन प्रति दिन कठिन होता जाता है। लेकिन यह हमारी व्याधिका एक लक्षण ही है। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि कांग्रेसकी अवनति हो रही है। स्वार्थ, खटपट, असत्य, हिंसा इत्यादिका जोर काफी बढ रहा है। मुझे डर है कि हम अन्दरूनी त्रुटियोंके कारण मिट रहे हैं। देखें ईश्वरकी क्या इच्छा है।

आपका,
मो० क० गांधी

मूल पत्रसे सम्पूर्णानन्द पेपर्स, सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार।

४१०. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

सेगाँव
३ फरवरी, १९३९

भारत सरकार तथा जयपुरकी सरकारने राजकोट और जयपुरके बारेमें मेरे वक्तव्यों[3] के जवाबमें जो विज्ञप्तियाँ[4] निकाली हैं, वे इस अर्थमें उल्लेखनीय हैं कि उनमें बहुत-सी बातें छोड दी गयी हैं, बहुत-सी दबा दी गयी हैं और बहुत-सी अपनी ओरसे मिला दी गयी हैं।

१. यह पत्र सम्पूर्णानन्दके नाम लिखे १-२-१९३९ के पत्रसे सम्बद्ध प्रतीत होता है। गांधीजी इस तारीखको वापस सेगाँव पहुँचे थे।

२. यह "नॉट ए वार ऑफ वर्ड्स" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था तथा ४-२-१९३९ के हिन्दू, बॉम्बे क्रॉनिकल, और हिन्दुस्तान टाइम्समें भी प्रकाशित हुआ था।

३. देखिए "राजकोट", पृ० ३०२-४ और ३८१-२ तथा "जयपुर", पृ० ३३१-२ और ३८६-९।

४. भारत सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तिके लिए देखिए परिशिष्ट २।

कमेटीके सदस्योके चुनावके बारेमें ठाकुर साहबने जो पत्र भेजा था, उसे प्रकाशित करना सरदार वल्लभभाई पटेलका कर्तव्य नही था। कमेटीके सदस्योंके चुनावके सम्बन्धकी शर्तें एक अलग पत्रमे ठाकुर साहबकी सुविधाके लिए बतलाई गई थी। नाजुक वार्ता करनेमे इस प्रकारकी कार्रवाईका किया जाना कोई नई बात नही है। ठाकुर साहबने जो पत्र भेजा था उसके दो अर्थ किसी हालतमें नही निकाले जा सकते, और इसमे कोई सन्देह नही कि अपने पत्रका वे जो अर्थ कर रहे है वह इस प्रसगमे बिलकुल ही अप्रस्तुत है।

मेरा यह कहना है कि ठाकुर साहबने अपने पत्रका जो अर्थ लगाया है वह पत्र लिखते समय उनके मस्तिष्कमे नही था, बल्कि बादमे आया है और यह अर्थ उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेटको खुश करनेके लिए ढूँढ निकाला है, क्योकि ब्रिटिश रेजिडेंट इस बातसे सख्त नाराज हो गये थे कि ठाकुर साहबने उन्हे कोई सूचना दिये बिना एक कांग्रेसी से बातचीत करने तथा उसे पत्र लिखनेका साहस किया। जो लोग इन ब्रिटिश रेजिडेंटो और देशी राज्योके बारेमे कुछ भी ज्ञान रखते होगे, उन्हे यह अवश्य मालूम होगा कि देशी राज्योके नरेश रेजिडेटके सचिव और चपरासियोंसे भी कितना अधिक डरते है। ऐसा मै अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर लिख रहा हूँ।

आन्दोलनके फिरसे आरम्भ होनेके बारेमे सरदार वल्लभभाई पटेलने जो वक्तव्य[1] दिया है, उसके परिशिष्टोमे इस बातका काफी प्रमाण है कि सारा झगडा रेजिडेंटकी नाराजीकी वजहसे हुआ है। यह कहना बिलकुल गलत है कि कमेटीके सदस्योंके नामों में परिवर्तन करनेसे इनकार करनेके कारण सरदार पटेलने नही बतलाये। इन परिशिष्टोमे से एक मे उनके पत्रका अनुवाद दिया गया है।

सरदार वल्लभभाई पटेलने जिन लोगोको कमेटीमें रखे जानेकी सिफारिश की थी उन्हें कमेटीमे नामजद करनेपर जब ठाकुर साहब राजी हुए तो उनकी दृष्टिमे मुसलमान और भायात भी थे। किन्तु यह बात दोनो पक्षोंको मान्य थी कि सुधारोंके अन्तर्गत सभी अधिकारोको सुरक्षित किया जायेगा। उपयुक्त कार्यवाही तो यह होती कि कमेटीके सामने शहादत दिलवाई जाती। मेरा तो यह कहना है कि जैसा हिन्दुस्तानके हरएक स्थानपर होता है, मुसलमानो तथा भायातोने कमेटीके सदस्योके चुनावपर जो आपत्ति की, उसके लिए बादमें उकसाया गया।

मैंने यह नही कहा कि ठाकुर साहबसे अमुक-अमुक काम करनेके लिए कहा जाये। उनकी कोई स्वतन्त्र इच्छा नही है। उनकी इच्छा तो वही होगी जो रेजिडेटकी होगी। एक बार ठाकुर साहबने रेजिडेटकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेका साहस किया। नतीजा यह हुआ कि उनकी गद्दी जाते-जाते बची। मेरी माँग यह है कि ब्रिटिश रेजिडेट समझौतेको फिरसे प्रतिष्ठापित करे और उसे कार्यान्वित करनेमें मदद पहुँचायें। अगर अमुक पक्षोको संतुष्ट करनेके लिए केवल कमेटीके सदस्योमे परिवर्तन किये जानेका सवाल हो, तो मै सरदार वल्लभभाई पटेलको

१. देखिए परिशिष्ट १।

राजी करनेके लिए तैयार हूँ, किन्तु शर्त यह है कि बाकी सब बाते पूर्णरूपसे पूरी कर दी जाये।

किन्तु विज्ञप्तिमे प्रस्तुत प्रश्नसे सम्बद्ध इस अत्यन्त महत्वपूर्ण बातका कोई जिक्र नही किया गया है कि कमेटीके कार्यक्षेत्रमे भी इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि उसकी शक्ल ही बदल गई है। कमेटीके इस कार्यक्षेत्रका निर्धारण सपरिपद् ठाकुर साहबकी सहमतिसे हुआ था और परिषद्का एक सदस्य ब्रिटिश दीवान भी था। जिसपर राजाकी ओरसे हस्ताक्षर किये गये हो, ऐसे किसी समझौतेका इस प्रकार भग किया जाना मैने कभी नही देखा था। मै यह अवश्य कहूँगा कि राजकोटके सम्बन्धमे रेजिडेटने, जिसे अपने क्षेत्रके नरेशोके सम्मानका रक्षक होना चाहिए, ठाकुर साहबका नाम मिट्टीमें मिला दिया है।

सुसगठित गुण्डागर्दीका आरोप मैं फिर दुहराता हूँ। ब्रिटिश एजेन्सीकी पुलिस राजकोटमे कार्य कर रही है। सरदार वल्लभभाई पटेलके पास जो तार आये है उनसे यह जाहिर होता है कि सत्याग्रह करनेवाले सुदूर स्थानोपर ले जाये जाते है और वहाँ पर वे नगे करके पीटे जाते है, और बादमे वहीपर बिना किसी सहारेके छोड़ दिये जाते हैं। इन तारोसे यह भी प्रकट होता है कि रेडक्रॉसके डाक्टरो तथा एम्बुलेस-दलोको हालेन्डामें हुए लाठी-चार्जमे घायल लोगोको किसी प्रकारकी सहायता पहुँचानेसे मना कर दिया गया है। इसीको मैं सुसगठित गुण्डागर्दी कहता हूँ। ये आरोप अगर अस्वीकार किये जाते है तो उनके बारेमें निष्पक्ष जाँच करवाई जाये।

मै प्रश्नको साफ-साफ प्रस्तुत कर दूँ। मै राजकोटके अन्दरूनी मामलोमे कोई हस्तक्षेप नही करना चाहता। मै यह चाहता हूँ कि राजकोट स्थित रेजिडेट अपना हस्तक्षेप रोके। राज्य और प्रजाके बीच इस समय जो तनातनीका सम्बन्ध है उसके लिए रेजिडेट प्रत्यक्षरूपसे जिम्मेदार है। सर्वोच्च सत्ताका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि जो भी समझौता हुआ है, उसका पूरी तौरसे पालन किया जाये।

मुसलमानो और भायातोके प्रतिनिधित्वको लेकर जो आपत्ति की गई है, यदि वह वास्तवमे सचाई और ईमानदारीके साथ की गई हो तो उसे दूर किया जा सकता है। मै एक बार फिर वाइसरायसे अपील करता हूँ कि वे प्रश्नका अध्ययन ज्यादा गहराईके साथ करे। ऐसा न हो कि दिल्लीके सचिवालयमे जब दोषोपर परदा डालनेवाली विज्ञप्तियाँ तैयार की जा रही हो, उस बीच कोई गम्भीर दुखद घटना हो जाये। यह वाग्युद्ध नही है। यह युद्ध ऐसा है जिसमे कि वे लोग, जो अब तक कभी जेल नही गये है और जिन्होने न कभी लाठियोकी मार ही खाई है, सभी मुसीबतो और खतरोका सामना करनेके लिए तैयार हो गये है और उन्हे झेल रहे हैं।

जयपुरके बारेमे मुझे केवल एक शब्द कहना है। मै अच्छी तरह जानता हूँ कि वहाँके अग्रेज प्रधानमन्त्री[1] जयपुर राज्य परिषद्के एक सदस्य है। मेरा कहना यह है कि वही सब-कुछ है। उन्होने प्रजा-मण्डल तथा सेठ जमनालाल बजाजसे बदला

१. सर डब्ल्यू० बीकम सैंट जॉन।

चुकानेकी शपथ ले ली है और मैं दावेके साथ कहता हूँ कि प्रजा-मण्डलके सम्बन्धमें राज्य जो कार्रवाई कर रहा है, उसके बारेमें वह चाहे जो शब्दाडम्बर रचे, वस्तुत: प्रजा-मण्डलको गैरकानूनी संस्था घोषित किया जा चुका है। अगर प्रजा-मण्डल गैरकानूनी संस्था नहीं घोषित की गई है, तो अधिकारियोंको चाहिए कि वे सेठ जमनालाल बजाजको जयपुर-राज्यमें प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता दे दें और उन्हें तथा मण्डलको बगैर किसी प्रकारकी छेड़खानी किये प्रजाको उत्तरदायी शासनके सम्बन्धमें शिक्षा देने दें। और अगर वे प्रत्यक्ष रूपसे या अप्रत्यक्ष रूपसे हिंसाका प्रचार करें, तो अधिकारीगण उन्हें सजा भी दें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ११-२-१९३९

४११. तार: जमनालाल बजाजको[1]

[३ फरवरी, १९३९ या उसके पूर्व][2]

अपनी योजनापर डटे रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ५-२-१९३९

४१२. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

वर्धा
३ फरवरी, १९३९

घनश्यामदास
बिड़ला हाउस
अल्बुकर्क रोड
नई दिल्ली

सूजन बहुत घट गई है। एक तरहसे पूर्ण विश्राम ही कर रहा हूँ। रक्तचाप कल रात १५६/९८ था। अधिकारी जब तक लिखित

१. जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजा-मंडलके अध्यक्ष थे और एक आदेश द्वारा जयपुर रियासतमें उनके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। उस आदेशकी अवज्ञा करके वे रियासतमें प्रवेश करनेवाले थे। उन्होंने ३ फरवरीको गांधीजी को तार दिया था: "घनश्यामदास प्रवेशमें विलम्ब करनेके लिए जोर डाल रहे हैं।" गांधीजी ने स्पष्टत: इसीके जवाबमें यह तार भेजा था।

२. जमनालाल बजाजने ३ फरवरीकी अपनी डायरीमें लिखा है कि उन्हें गांधीजीका एक तार मिला। सम्भवत: वह यही तार था।

रूपमें उनसे ऐसी प्रार्थना न करे, जमनालालजीको प्रतीक्षा नही करनी चाहिए।[1] मैं इस आशयका एक वक्तव्य दे चुका हूँ कि जयपुर सरकारकी विज्ञप्ति सर्वथा असन्तोषजनक है।[2]

वापू

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८०३) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिडला।

४१३. पत्र : मीरावहनको

सेगांव, वर्धा
३ फरवरी, १९३९

चि० मीरा,

तुम्हारा पेशावरसे भेजा गया पत्र समाचारोंसे भरा है। तुम अब घटनाओंके वीचमें रह रही हो। तुम्हे हर तरहसे अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करनी ही चाहिए। पैरोको अच्छी तरह ढँककर रखो। जिस खुराककी तुम्हे जरूरत हो, उसका आग्रह रखो। उसमे अति न करो। अपने वूतेसे वाहर भी न जाओ। फिर सव ठीक हो जायेगा।

मेरी कोई चिन्ता न करो। जव तक ईश्वरको मेरी जरूरत है, वह मुझे पृथ्वी पर रखेगा। मैं यहाँ होऊँ या और कही, दोनो ठीक है। हमारी नही, उसकी इच्छा पूरी हो।

सप्रेम,

वापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२७) से; सौजन्य : मीरावहन। जी० एन० १००२२ से भी।

१. यह घनश्यामदास बिड़लाके तारके उत्तरमें था जिसमें यह सुझाया गया था कि जमनालाल बजाज जयपुर लौटनेके लिए एक पखवाड़े और प्रतीक्षा कर सकते हैं।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

४१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
३ फरवरी, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

चुनाव[1] के बाद और जिस ढंगसे वह लड़ा गया, उसे देखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें शरीक न होकर देशकी सेवा करूँगा। इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कृपया मुझपर उपस्थित होनेके लिए दबाव मत डालना।

आशा है, तुम्हें और इन्दुको खालीमें आराम करनेसे लाभ हुआ होगा। इन्दुको चाहिए कि मुझे पत्र लिखे।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय; **ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स**, पृ० ३०७ से भी।

४१५. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

३ फरवरी, १९३९

चि० काका,

कवि खबरदार[2] के लिए प्रबन्ध हो गया है। अम्बालालभाई उसे हर महीने २०० रुपये या तो स्वयं या उगाह कर देंगे।

बुक उसके बारेमें ज्यादा जानकारी चाहता है। छातीका एक्स-रे भी माँगता है। वह ज्यादा मदद कर सकेगा, इसकी आशा कम है। क्या तुमने पार्वतीको पत्र लिखा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९१९) से।

१. कांग्रेस-अध्यक्ष का।
२. अर्देशर फरामजी खबरदार।

४१६. पत्र : दत्तात्रेय बा० कालेलकरको

३ फरवरी, १९३९

चि० काका,

मैं अब अपनेको बिलकुल निकम्मा महसूस कर रहा हूँ। तुम आना, किन्तु मैं क्या कर सकूंगा, यह समझमें नहीं आता। ३ या ४ तारीख तक तो [बुनियादी] तालीमवाले प्रशिक्षणार्थी यहाँ हैं ही। आशा करता हूँ कि रोमन लिपि[1] के बारेमें लिख पाऊँगा। हिन्दी-प्रचारकोंके सम्बन्धमें जो उचित हो सो करना। मुझे कोई रास्ता साफ-साफ सूझ नहीं रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९२०) से।

४१७. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव

[३ फरवरी, १९३९ के पश्चात्][2]

बा,

तेरा पत्र मिला। तू तो अब राज्यकी मेहमान हो गई। अपनी तबीयतका ध्यान रखना। मणि[3] तेरे साथ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, तेरे पत्र मुझे मिलने चाहिए। तेरी बात मैं याद रखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३२

१. देखिए "रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि", पृ० ४२०-१।
२. ३ फरवरी, १९३९ को कस्तूरबा गांधी राजकोटमें प्रवेश करनेपर गिरफ्तार कर ली गई थीं।
३. मणिबहन पटेल।

४१८. बातचीत : अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियोंके साथ[1]

३/४ फरवरी, १९३९

आजकल अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी बहुत चर्चा चलती है। इसलिए आज मै अग्रेजीमे बोलूँगा यद्यपि केवल अग्रेजी समझनेवालोकी सख्या यहाँ बहुत ही कम है।[2] लेकिन मै आपको आगाह करता हूँ कि अगली सभामें मै यह नही करूँगा। आपको हिन्दुस्तानी सीखनेका दृढ संकल्प करके यहाँसे वापस जाना चाहिए। यदि हमारी बुद्धि अंग्रेजी माध्यमके द्वारा ही काम कर सकती है तो बुनियादी तालीमकी कल्पनाको कार्यान्वित करना असम्भव है और हमारे करोडों लोगोकी शैक्षणिक आवश्यकताओकी पूर्ति तो बुनियादी तालीम ही कर सकती है।

प्रतिनिधियोंने गांधीजी से कितने ही प्रश्न किये। पहले प्रश्नसे यह शंका प्रकट होती थी कि वर्धा-योयना भविष्यकी कसौटीपर टिक सकेगी, या वह महज एक अस्थायी चीज है? बहुत-से बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्रियोंका तो यह मत है कि एक-न-एक दिन व्यापक औद्योगीकरणके लिए दस्तकारियोंको स्थान खाली करना ही होगा। एक ऐसा समाज जिसने कि वर्धा-योजनाके अनुसार शिक्षा पाई होगी और जो न्याय, सत्य और अहिंसापर आधारित होगा, क्या औद्योगीकरणके प्रबल प्रवाहमें टिक सकेगा?

गांधीजी . यह कोई व्यावहारिक प्रश्न नही है। हमारे तात्कालिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर नही पडेगा। हमारे सामने प्रश्न यह नही है कि आगे आनेवाले जमानेमे क्या होने जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि हमारे गाँवोमे जो करोडों लोग रहते है, उनकी सच्ची आवश्यकता इस बुनियादी तालीमकी योजनासे पूरी हो सकेगी, या नही। मेरा खयाल यह नही है कि हिन्दुस्तानमे इस हद तक कभी औद्योगीकरण हो जायेगा कि गॉव रहेगे ही नही। हिन्दुस्तानका अधिकाश भाग तो हमेशा गॉवोंका ही रहेगा।

"हालमें कांग्रेसके अध्यक्षका जो चुनाव हुआ है, उसके फलस्वरूप अगर कांग्रेसकी नीतिमें परिवर्तन हुआ, तो बुनियादी तालीमकी योजनाका क्या होगा?" यह दूसरा प्रश्न था।

१. प्यारेलाल के "वर्धास्कीम अंडर फायर" से उद्धृत। पूरे भारत से लगभग ७५ प्रतिनिधि वर्धाके अध्यापन प्रशिक्षण केन्द्रके तीन सप्ताहके शिविरमें एकत्रित हुए थे। अपने-अपने प्रान्तोंमें जानेसे पहले वे गांधीजीसे मिले थे।

२. आशा देवी के कहने पर गांधीजीने हिन्दी में बोलना आरम्भ किया था लेकिन कुछ प्रतिनिधि उनकी बात समझ नही रहे थे।

गांधीजी ने जवाब दिया कि यह भय अकारण है। कांग्रेसकी नीतिमें अगर कोई हेरफेर हुआ, तो वर्धा-योजनापर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

उसका असर अगर पड़ेगा ही, तो ऊँची राजनीतिक बातों पर ही पड़ेगा। आप लोग यहाँ तीन हफ्तेके अभ्यासक्रमका शिक्षण लेनेके लिए आये हैं, जिससे कि आप अपने-अपने प्रान्तमें जाकर अपने विद्यार्थियोंको वर्धा-योजनाके अनुसार तालीम दे सकें। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि इस शिक्षा-पद्धतिसे हमारी आवश्यकताएँ जरूर पूरी होंगी।

औद्योगीकरणकी भारी-भारी योजनाएँ भले पेश की जायें, पर कांग्रेसने आज अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह देशका औद्योगीकरण नहीं है। बम्बईमें कांग्रेसने जो प्रस्ताव[1] पास किया था, उसके अनुसार उसका ध्येय तो ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार है। किसानोंके हितोंको ध्यानमें रखनेवाली औद्योगीकरणकी किसी लम्बी-चौड़ी योजनाके जरिये आप लोक-जागृति नहीं कर सकते। इन योजनाओंसे उनकी आमदनीमें एक पाईकी भी वृद्धि नहीं होगी; जबकि अ० भा० चरखा संघ और अ० भा० ग्रामोद्योग संघ एक सालके ही अरसे में उनकी जेबोंमें लाखों रुपये पहुँचा देंगे। कांग्रेस कार्य-समिति या मन्त्रिमण्डलोंमें चाहे जो परिवर्तन हों, मुझे तो ज़ाती तौर पर कांग्रेसकी रचनात्मक प्रवृत्तियोंके लिए कोई खतरा मालूम नहीं होता। हालाँकि इन प्रवृत्तियोंकी शुरुआत कांग्रेसने ही की थी, पर एक लम्बे अरसेसे वे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुए हैं और अपनी उपयोगिता उन्होंने पूरी तरह साबित कर दी है। बुनियादी तालीम इनकी एक शाखा है। शिक्षा-मन्त्री भले ही बदल जायें, पर यह तो रहेगी ही। इसलिए जो लोग बुनियादी तालीममें दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें कांग्रेस की राजनीतिके बारेमें परेशान होनेकी जरूरत नहीं। शिक्षाकी इस नई योजनामें कोई अपने गुण होंगे तो वह जीवित रहेगी, न होंगे तो आप ही खत्म हो जायेगी।

लेकिन इन प्रश्नोंसे मुझे सन्तोष नहीं होगा। इनका बुनियादी तालीमकी योजनासे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये प्रश्न हमें उस दिशामें जरा भी आगे नहीं ले जाते। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस योजनासे सीधा सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न पूछें; जिससे मैं एक विशेषज्ञकी तरह आपको सलाह दे सकूँ।

सभामें जानेसे पहले एक भाईने गांधीजीसे पूछा था: क्या इसके पीछे असली मुद्दा यह है कि तकलीके साथ जिसका सम्बन्ध न साधा जा सके, ऐसी कोई बात शिक्षक विद्यार्थीसे न कहे? इसका उत्तर आम सभामें देते हुए गांधीजीने कहा:

यह तो मेरे ऊपर लांछन लगाना है। यह सच है कि सारी शिक्षाका किसी बुनियादी उद्योगके साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए, ऐसा मैंने कहा है। आप जब किसी उद्योग द्वारा ७ या १० वर्षके बालकको ज्ञान देते हों, तब शुरुआतमें उस दस्तकारीके साथ जिनका मेल नहीं बैठाया जा सके, ऐसे सब विषय आपको छोड़ देने चाहिए। ऐसा

१. देखिए खण्ड ५९, पृ० २३२।

करते हुए शुरू-शुरूमें छोडी हुई ऐसी बहुत-सी वस्तुओंको दस्तकारीके साथ जोड़नेके रास्ते आप ढूँढ निकालेंगे। यदि आप शुरूमे इस तरह काम लेगे तो अपनी खुदकी और विद्यार्थियोकी शक्ति बचा सकेंगे। आज तो [जो तरीका ऊपर बताया गया है] उसके अनुसार चलने के लिए कोई पुस्तके नही है, न हमे रास्ता दिखानेवाली मिसाले ही मौजूद हैं। इसलिए हमे धीरे-धीरे चलना है। मुख्य बात यह है कि शिक्षकको अपने मनकी ताजगी बनाये रखनी चाहिए। जिसका दस्तकारीके साथ मेल न बैठाया जा सके, ऐसा कोई विषय आनेपर आप निराश न हों, खीझ न उठें, बल्कि उसे छोड़ दे और जिसका मेल बैठा सके, उसे आगे चलाये। सम्भव है कि कोई दूसरा शिक्षक सही रास्ता ढूँढ़ निकाले और यह बता सके कि उस विषयका दस्तकारीके साथ कैसे मेल बैठ सकता है। और जब आप बहुत-से लोगोके अनुभवोका सग्रह करेंगे, तो बादमे आपको रास्ता बतानेवाली पुस्तके भी मिल जायेंगी, जिससे आपके पीछे आनेवालोंका काम अधिक सरल बन जायेगा।

आप पूछेंगे कि जिन विषयोंका मेल न बैठाया जा सके, उनको छोडनेकी क्रिया कितने समय तक की जाये? मै तो कहूँगा कि जिन्दगी-भर। आखिरमे आप देखेंगे कि बहुत-सी चीजें जो आप पहले शिक्षाक्रममें से छोड़ चुके थे, उनका आपने उसमे समावेश कर लिया है तथा जितनी चीजे समावेश करने लायक थी, उन सबका समावेश हो चुका है और आपने आखिर तक जिनको छोड़ दिया था, वे बहुत अनावश्यक थी और उन्हें छोड़ना ही बेहतर था। यह मेरा जीवनका अनुभव है। मैंने यदि बहुत-सी चीजे छोड़ न दी होती, तो मै जितनी चीजें कर सका हूँ, वह नही कर पाता।

हमारी शिक्षामें आमूल परिवर्तन होना ही चाहिए। दिमाग को हाथके काम द्वारा शिक्षा मिलनी चाहिए। मै कवि होता तो हाथकी पाँच उँगलियोंकी अद्‌भुत शक्तियोके बारेमे कविता लिख सकता। दिमाग ही सब-कुछ है और हाथ-पैर कुछ नही, ऐसा आप क्यो मानते है? जो अपने हाथको शिक्षा नही देते, जो शिक्षाकी सामान्य रूढ़िमे से होकर निकलते है, उनका जीवन नीरस बन जाता है। उनकी सारी शक्तियोका विकास नही होता। केवल पुस्तकीय ज्ञानमे बालकको इतना रस नही आता कि उसका सारा ध्यान उसीमें लगा रहे। दिमाग खाली शब्दोंसे थक जाता है और बच्चेका मन दूसरी जगह भटकने लगता है। हाथ न करने लायक काम करते है, आँखे न देखने लायक चीजे देखती है, कान न सुनने लायक बातें सुनते है और उनको क्रमश. जो-कुछ करना, देखना और सुनना चाहिए, उसे वे करते, देखते और सुनते नही है। उन्हें सही चुनाव करना नही सिखाया जाता। और इससे उनकी शिक्षा कई बार उनका विनाश करनेवाली सिद्ध होती है। जो शिक्षा हमे अच्छे-बुरेका भेद करना और अच्छेको ग्रहण करना तथा बुरेको त्यागना नही सिखाती, वह शिक्षा सच्ची शिक्षा ही नही है।

श्रीमती आशादेवीने पूछा कि हाथ द्वारा मनको किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है, यह आप समझायेंगे?

गांधीजी : स्कूलमें चलनेवाले सामान्य पाठ्यक्रममें एकाध दस्तकारी जोड़ देना, यह पुरानी कल्पना थी। अर्थात् उसमें दस्तकारीको शिक्षासे बिलकुल अलग रखकर सिखलानेकी बात थी। मुझे यह एक गम्भीर भूल लगती है। शिक्षकको दस्तकारी सीख लेनी चाहिए और अपने ज्ञानको उस दस्तकारीके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे वह खुद पसन्द की गई दस्तकारीके द्वारा यह सारा ज्ञान विद्यार्थियोंको दे सके।

कताईका उदाहरण लीजिए। जब तक मैं गणित नहीं जानता, तब तक मैंने तकलीपर कितने गज सूत काता या उसके कितने तार हुए या मेरे काते हुए सूतका अंक कितना है, यह मैं नहीं बता सकूँगा। यह करनेके लिए मुझे अंक सीखने चाहिए और जोड़, बाकी, गुणा तथा भाग भी सीखने चाहिए। अटपटे हिसाब गिननेमें मुझे अक्षरोंका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अतः इससे मैं बीजगणित सीखूँगा। इसमें भी मैं रोमन अक्षरोंके बजाय हिन्दुस्तानी अक्षरोंके उपयोगका आग्रह रखूँगा।

फिर ज्यामिति लीजिए। तकलीकी चकतीसे वृत्तका अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है? इस प्रकार मैं यूक्लिडका नाम लिये बिना ही विद्यार्थीको वृत्तके बारेमें सब-कुछ सिखा सकता हूँ।

फिर आप शायद पूछें कि कताई द्वारा बालकको इतिहास, भूगोल किस तरह सिखाये जा सकते हैं? थोड़े समय पहले 'कपास——मनुष्यका इतिहास'[1] नामक पुस्तक मेरे देखनेमें आई थी। उसे पढ़नेमें मुझे बहुत ही आनन्द आया। वह एक उपन्यास जैसी लगी। उसके शुरूमें प्राचीन कालका इतिहास दिया गया था। फिर कपास पहले-पहल किस प्रकार और कब बोई गई, उसका विकास किस तरह हुआ, अलग-अलग देशोंके बीच रुईका व्यापार कैसे चलता है, आदि वस्तुओंका वर्णन था। जब मैं अलग-अलग देशोंके नाम बालकोंको सुनाऊँगा, तब साथ ही स्वाभाविक रीतिसे उन देशोंके इतिहास-भूगोलके बारेमें भी कुछ कहता जाऊँगा। अलग-अलग समयमें अलग-अलग व्यापारिक सन्धियाँ किस-किसके राज्य-कालमें हुईं? कुछ देशोंमें बाहरसे रुई मँगानी पड़ती है और कुछ में कपड़ा बाहरसे मँगाना पड़ता है, उसका क्या कारण है, हरएक देश अपनी-अपनी जरूरतके मुताबिक रुई क्यों नहीं उगा सकता? यह चर्चा मुझे अर्थ-शास्त्र और कृषिशास्त्रके मूल तत्वों पर ले जायेगी। कपासकी अलग-अलग जातियाँ कौन-सी हैं, वे किस तरहकी जमीनमें उगती हैं, उन्हें कैसे उगाया जाये, वे कहाँसे प्राप्त की जा सकती हैं, वगैरह जानकारी मैं विद्यार्थियोंको दूँगा। इस तरह तकली कातनेकी बात परसे मैं ईस्ट इंडिया कम्पनीके सारे इतिहासपर आऊँगा। वह कम्पनी यहाँ कैसे आई, उसने हमारे कताई-उद्योगको किस तरह नष्ट किया; अंग्रेज आर्थिक उद्देश्य से हमारे यहाँ आये और फिर राजनीतिक सत्ता जमानेकी आकांक्षा वे क्यों रखने लगे; यह वस्तु मुगल और मराठोंके पतनका, अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाका और फिर हमारे जमानेमें लोक-जागरणका कारण कैसे हुई, यह सब भी मुझे वर्णन करके बताना पड़ेगा। इस तरह इस नई योजनामें शिक्षा देनेकी अपार गुंजाइश है। और

१. कॉटन — दि स्टोरी ऑफ मैनकाइंड।

बालक यह सब दिमाग और स्मरण-शक्तिपर अनावश्यक बोझ पडे बिना ही बहुत जल्दी सीखेगा।

इस बातको अधिक विस्तारसे समझा दूँ। जैसे किसी प्राणिशास्त्रीको अच्छा प्राणिशास्त्री बननेके लिए प्राणिशास्त्रके अलावा दूसरे बहुत-से शास्त्र सीखने चाहिए, उसी प्रकार बुनियादी 'तालीमको यदि एक शास्त्र माना जाये, तो वह हमे ज्ञानकी अनन्त शाखाओमे ले जाता है। तकलीके ही उदाहरणका विस्तार किया जाये, तो जो शिक्षक-विद्यार्थी केवल कातनेकी यान्त्रिक क्रियापर ही अपना ध्यान एकाग्र नही करेगा (इस क्रियामे तो बेशक वह निष्णात होगा ही) बल्कि इस वस्तुका तत्व ग्रहण करनेकी कोशिश करेगा, वह तकली और उसके अग-उपागका अभ्यास करेगा। तकलीकी चकती पीतलकी और सीक लोहेकी क्यो होती है, यह प्रश्न वह अपने मनसे पूछेगा। प्रारम्भिक तकलीकी चकती तो चाहे-जैसी बनाई जाती थी। इससे भी पहलेकी प्राचीन तकली मे बाँसकी सीक और पत्थर या मिट्टीकी चकती उपयोगमे लाई जाती थी। अब तकलीका शास्त्रीय ढगसे विकास हुआ है और जो चकती पीतलकी और सीक लोहेकी बनाई जाती है, वह सकारण है। यह कारण विद्यार्थीको ढूँढ निकालना चाहिए; उसके बाद विद्यार्थीको यह भी जाँचना चाहिए कि इस चकतीका व्यास इतना ही क्यो रखा जाता है, कम-ज्यादा क्यो नही रखा जाता ? इन प्रश्नोका सन्तोषजनक हल ढूँढनेके बाद और इस वस्तुका गणित जान लेनेके बाद आपका विद्यार्थी अच्छा इजीनियर बन जाता है। तकली उसकी कामधेनु बनती है। इसके द्वारा अपार ज्ञान दिया जा सकता है। आप जितनी शक्ति और श्रद्धासे काम करेंगे, उतना ज्ञान इसके द्वारा दे सकेंगे। आप यहाँ तीन सप्ताह रहे है। इतने समयमे इस योजनाके पीछे मर-मिटने तकको तैयार होनेकी श्रद्धा आप लोगोमे आ गई हो, तो आपका यहाँ रहना सफल माना जायेगा।

मैंने कताईका उदाहरण विस्तारसे बतलाया है, इसका कारण यह है कि मुझे उसका ज्ञान है। मै बढ़ई होता तो अपने बालकको ये सब बाते उसी कलाके द्वारा सिखाता। अथवा कार्डबोर्डका काम करनेवाला होता, तो उस कामके जरिये सिखाता।

हमे असली जरूरत तो ऐसे शिक्षकोकी है, जिनके विचार मौलिक हो, जिनमे सच्चा उत्साह और जोश हो और जो हर रोज यह सोच सके कि आज विद्यार्थियोको क्या सिखाया जाये। शिक्षकको यह ज्ञान पुरानी पोथियोमे से नही मिलेगा। उसे अपनी निरीक्षण और विचार करनेकी शक्तिका उपयोग करना है और हस्त-उद्योगकी मददसे शब्दो द्वारा बालकको ज्ञान देना है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा-पद्धतिमे क्रान्ति होनी चाहिए, शिक्षककी दृष्टिमे क्रान्ति होनी चाहिए। आज तक आप निरीक्षकोकी रिपोर्टोंसे मार्गदर्शन पाते रहे है। आपने, निरीक्षकको जो पसन्द आये, वही करनेकी इच्छा रखी है, ताकि आपकी सस्थाके लिए अधिक पैसे मिले अथवा आपकी अपनी तनख्वाहमें वृद्धि हो। पर नया शिक्षक इस सबकी परवाह नही करेगा। वह तो कहेगा, यदि मै अपने विद्यार्थीको अधिक अच्छा मनुष्य बनाऊँ और वैसा करनेमे

अपनी सब शक्ति लगा दूँ, तो मानूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मेरे लिए इतना ही काफी है।

प्र० : इस अध्यापन-मन्दिरमें आनेवाले विद्यार्थी-शिक्षकोंको पहले कोई दस्तकारी सिखाई जाये और फिर उस दस्तकारी द्वारा शिक्षा किस तरह दी जाये, इसका ठोस और स्पष्ट विवेचन उनके सामने किया जाये तो क्या ज्यादा ठीक न होगा? अभी तो उन्हें यह कहा जाता है कि अपनेको सात बरसका लड़का मानिए और हरएक विषय दस्तकारीके माध्यमसे फिरसे सीखिए। इस तरह नई पद्धतिमें कुशल बनकर शिक्षक बननेमें तो उन्हें कई वर्ष लग जायेंगे।

गा० नहीं, बरसों नहीं लगेंगे। कल्पना कीजिए कि शिक्षक जब मेरे पास आता है, तब उसको गणित, इतिहास और दूसरे विषयोंका कामचलाऊ ज्ञान होता है। मैं उसको कार्डबोर्डकी पेटी बनाना या कातना सिखाता हूँ। उसी समय मैं उसको बताता हूँ कि उस दस्तकारी द्वारा गणित, इतिहास और भूगोलका ज्ञान वह किस प्रकार पा सकता है। इस तरह वह सीखता है कि अपने ज्ञानका दस्तकारीके साथ कैसे मेल बैठाया जाये। ऐसा करनेमें उसे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। दूसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि मैं अपने सात वर्षीय लड़केके साथ बुनियादी तालीमके स्कूलमें जाता हूँ। हम दोनों कातना सीखते हैं और मैं अपने सारे पूर्वज्ञानका कताईके साथ मेल बैठा लेता हूँ। उस लड़केके लिए यह सब नया-नया है। ७० वर्षके पिताके लिए यह सब दोहराना-भर है, पर वह अपना पुराना ज्ञान नये ढंगसे जमा लेगा। क्रियामें उसे थोड़े सप्ताहसे अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इस तरह यदि शिक्षक इस ७ वर्षके बालक-जितनी ग्रहण-शक्ति और उत्कंठा नहीं रखेगा, तो वह अन्तमें केवल यान्त्रिक कतैया ही बन जायेगा और इससे उसमें नई पद्धतिका शिक्षक बननेकी योग्यता नहीं आयेगी।

प्र० : मैट्रिक-पास लड़केको आज कॉलेजमें जानेकी इच्छा हो तो वह जा सकता है। जो बालक बुनियादी तालीमके पाठ्यक्रमको पढ़कर निकलेगा, वह भी क्या ऐसा ही कर सकेगा?

गा० : मैट्रिक पास होनेवाला लड़का और बुनियादी तालीम पाया हुआ लड़का — इन दोनोंमें से दूसरा अधिक कार्यक्षम होगा, क्योंकि उसकी शक्तियोंका विकास हो चुका होगा। कॉलेजमें जाते वक्त मैट्रिक-पासको आमतौरपर जैसी लाचारी महसूस होती है, वैसी उसे नहीं होगी।

प्र० : कहा गया है कि बुनियादी तालीमके स्कूलमें दाखिल होनेके लिए बालककी उम्र कम-से-कम सात वर्षकी होनी चाहिए। यह उम्र काल-मर्यादासे नापी जाये या मानसिक विकाससे?

गां० : कम-से-कम औसत उम्र सात वर्षकी होनी चाहिए। पर कुछ बालक इससे अधिक उम्रके और कुछ कम उम्रके भी होंगे। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारकी उम्रका विचार करना पड़ता है। किसी बालकका ७ वर्षकी उम्रमें इतना

शारीरिक विकास हो जाता है कि वह हस्त-उद्योग चला सकता है। दूसरा बालक शायद ७ वर्षमें उतना न कर सके। अतः इस बारेमें कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। सब बातोंका विचार करके निर्णय करना पड़ेगा।

आपके बहुत-से प्रश्नोंसे मालूम होता है कि आपमें से अधिकांशके मनमें शंकाएँ भरी पड़ी हैं। यह काम करनेका गलत तरीका है। आपके मनमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे करोड़ों बालकोंको जीवनकी शिक्षा देनेके लिए वर्धा-योजनाके अन्तर्गत दी जानेवाली शिक्षा ही सच्ची आवश्यक वस्तु है ऐसी जो प्रतीति मेरे मनमें है वह आपके मनमें हो तो आपका काम चमक उठेगा। ऐसा विश्वास आपमें न हो तो आपके अध्यापकोंमें कुछ कमी अवश्य है। वे आपको और कुछ दे सकें या न दे सकें, पर इतना विश्वास आपके मनमें पैदा करनेकी शक्ति तो उनमें होनी ही चाहिए।

प्र० : बुनियादी तालीमकी योजना गाँवके लिए है, ऐसा माना जाता है। क्या शहरवालोंके लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या उन्हें पुरानी पद्धतिसे ही चलना पड़ेगा?

गां० : यह सवाल प्रासंगिक है और अच्छा है, पर मैं इसका जवाब 'हरिजन' में दे चुका हूँ। जितना काम हाथमें लिया है, उतना पूरा कर दें तो बहुत है। हमने जो काम उठाया है, वही काफी बड़ा है। ७ लाख गाँवोंकी शिक्षाका प्रश्न हम हल कर सकें, तो अभीके लिए इतना काफी है। बेशक, शिक्षा-शास्त्री शहरोंके लिए भी विचार कर रहे हैं। पर हम गाँवोंके साथ-साथ शहरोंका प्रश्न भी उठायेंगे, तो हमारी शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जायेगी।

प्र० : मान लीजिए कि किसी गाँवमें तीन स्कूल हैं और हरएकमें अलग-अलग दस्तकारीका प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि एक स्कूलमें दूसरेकी अपेक्षा शिक्षाकी अधिक गुंजाइश हो, तो बालकको उनमें से किस स्कूलमें जाना चाहिए?

गां० : एक गाँवमें अनेक दस्तकारियोंका प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर गाँव इतने छोटे हैं कि उनमें एकसे अधिक स्कूल रखना ठीक नहीं रहेगा। बड़े गाँवमें एकसे अधिक स्कूल हो सकते हैं। पर वहाँ दोनोंमें एक ही दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए। फिर भी इसके बारेमें मैं कोई अटल नियम नहीं बनाना चाहता। ऐसी बातोंमें अनुभवके अनुसार चलना ही उत्तम तरीका है। विभिन्न दस्तकारियोंमें विद्यार्थियोंकी कितनी रुचि है और वे विद्यार्थियोंकी शक्तिका कितना विकास कर सकते हैं, उसका निरीक्षण करना चाहिए। मुद्दा यह है कि आप जो भी दस्तकारी पसन्द करें, उससे बालककी शक्तियोंका पूर्ण और एक समान विकास होना चाहिए। वह कोई ग्रामोद्योग होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए।

प्र० : बड़ा होनेपर यदि बालकका व्यवसाय दूसरा ही होनेवाला हो, तो वह सात वर्ष किसी हस्त-उद्योगको सीखनेमें क्यों बिगाड़े? उदाहरणके लिए, सराफका लड़का, जो बड़ा होनेपर सराफ होनेवाला है, सात बरस तक कताई करना क्यों सीखे?

गां० : यह प्रश्न नई शिक्षा-योजनाके बारेमे घोर अज्ञान प्रदर्शित करता है। बुनियादी तालीममे लड़का केवल दस्तकारी सीखनेके लिए स्कूल नही जाता। वह स्कूलमे दस्तकारीकी मार्फत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनेके लिए, अपने मनका विकास करनेके लिए जाता है। मेरा यह दावा है कि जिस बालकने ७ वर्षका प्राथमिक शिक्षाका नया पाठ्यक्रम पूरा किया होगा, वह किसी सामान्य स्कूलमें ७ वर्ष तक पढे हुए बालककी अपेक्षा अधिक अच्छा सर्राफ बन सकेगा। सामान्य स्कूलमे जानेवाला बालक सराफीके स्कूलमे जायेगा, तो वह उसे अच्छा नही लगेगा, क्योकि उसकी सब शक्तियोका विकास नही हुआ होगा। पुराने वहम, जो जड़ जमाकर बैठे होते है, निकलने मुश्किल है। इस नई शिक्षा-योजनाका अर्थ तनिक अक्षर-ज्ञान और थोडी दस्तकारी -- इन दोका मिश्रण नही है। यदि यह मुख्य बात मै आप लोगोके मनमें बिठा सकूं, तो मेरा आजका काम सफल माना जायेगा। दस्तकारीके माध्यमसे पूरी प्राथमिक शिक्षा देना ही इस नई योजनाका ध्येय है।

प्र० : प्रत्येक स्कूलमें एकसे अधिक दस्तकारियाँ सिखाना क्या ठीक नहीं है? सम्भव है कि हर माह और हर साल एक ही दस्तकारी सीखनेमें बालक उकता जाये।

गा० : यदि मुझे कोई शिक्षक ऐसा मिले जिसके विद्यार्थियोको एक महीना कातनेके बाद उसमे दिलचस्पी न रह जाये, तो मै उस शिक्षक को हटा दूंगा। जैसे एक ही वाद्यपर संगीतके नये-नये स्वर निकल सकते है, वैसे ही शिक्षकके हरएक पाठमे नवीनता होनी चाहिए। कभी एक दस्तकारी और कभी दूसरी हाथमे लेनेसे बालककी स्थिति एक शाखासे दूसरी शाखापर कूदनेवाले और कही भी स्थिर न बैठनेवाले बन्दर-जैसी हो सकती है। पर मैने अपनी चर्चामें बताया है कि शास्त्रीय तरीकेसे कताई सिखानेमे कताईके अलावा दूसरे अनेक विषय सिखाने पडते है। शीघ्र ही बालक को अपनी तकली और अटेरन बनाना सिखाया जायेगा। अर्थात् शुरूमें कही हुई बात मै फिर कहता हूँ कि यदि शिक्षक दस्तकारीका काम शास्त्रीय वृत्तिसे करेगा, तो वह अपने विद्यार्थियोको अनेक और विविध चीजें सिखायेगा और ये सब विद्यार्थियोकी सभी शक्तियोके विकासमे मदद करेगी।

सेगांव, ९ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १८-२-१९३९ तथा ४-३-१९३९

४१९. तार : महादेव देसाईको[1]

वर्धा
[४ फरवरी, १९३९][2]

महादेव देसाई
बिड़ला हाउस
नई दिल्ली

हालाँकि पूरी बात न जाननेके कारण तुम्हारा सुझाव मुझे नहीं जँचता, ता भी मैं जमनालालजीको सलाह दे रहा हूँ कि वे तुम्हारी हिदायतों पर चलें। स्वास्थ्य अच्छा है।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१२

४२०. तार : जमनालाल बजाजको

[४ फरवरी, १९३९][3]

जमनालाल
मार्फत लकाइंस्पोर, आगरा

तुम्हारा तार मिला। महादेवने तुमको तारसे कुछ सुझाव भेजे हैं। उनका पालन करो। स्वास्थ्य अच्छा है। बा, मणिबहन गिरफ्तार हो गईं, राज्यकी मेहमान हैं।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ४०४

१. महादेव देसाईने ४ फरवरीको नई दिल्लीसे अपने तारमें कहा था: "जमनालालजी की निगरानी करनेवाले पुलिस-अधिकारीने उनसे जबानी यह प्रार्थना की है कि वे अधिकारियोंको पुनर्विचारके लिए कुछ समय दें। इसलिए क्या मैं जमनालालजीसे यह कह सकता हूँ कि अधिकारियोंको एक पत्र लिखें, जिसमें पुलिस-अधिकारीकी प्रार्थनाका उल्लेख हो, विज्ञप्तिकी असंगति दिखाई जाये और उन्हें आठ तकका समय दे दिया जाये। पत्रके लिए उपयुक्त मसविदा मैं उन्हें भेज रहा हूँ। यदि आप सहमत हों तो आप उन्हें पत्र भेजनेकी सलाह दे दें।"

२. देखिए अगला शीर्षक।

३. साधन-सूत्रके अनुसार।

४२१. पत्र : इन्दिरा नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
४ फरवरी, १९३९

चि० इंदु,

अव तू मुझे क्यो याद करेगी? आलमोडामें तुझे लाभ हुआ सुनकर मुझे आनंद हुआ। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि तू बिलकुल अच्छी हो जा।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९८०१) से; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४२२. पत्र : जनरल शिन्देको

सेगाँव
४ फरवरी, १९३९

प्रिय जनरल शिन्दे,

आपके पत्र तथा संलग्न कागजातके लिए अनेकानेक धन्यवाद।[1]

आपने जो उद्धरण मुझे भेजे है उनमें मुझे कोई आपत्तिजनक वात नहीं दिखाई पड़ती।

जहाँ तक छपे हुए परिपत्रकी वात है, यदि उसमे कही गई बात सच है तो यही कहूँगा कि वह एक दुःखद स्थितिकी सूचक है। सचाईका पता चलानेकी जिम्मेदारी वडौदाके समझदार लोगोपर है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल।

१. देखिए "पत्र : जनरल शिन्देको", पृ० ३७९।

४२३. पत्र : शारदा चि० शाहको

४ फरवरी, १९३९

चि० बबुड़ी,

तू मुझसे दूर नहीं रह सकती तो विवाहके बाद भी यहाँ रह सकती है। मैंने तो जल्दी इसलिए की कि तेरी इच्छा भी थी ही। फिर, मेरा कोई ठिकाना नहीं। शरीर भी कमजोर है। इसलिए मैंने सोचा कि यह काम मेरे हाथसे ही हो जाये, तो इस ऋणसे छुटकारा पा जाऊँ। तू कुछ दिन ससुरालमें रहकर भी तुरन्त वापस आ सकती है। तबीयत ठीक न रहे, तब तो आ ही जाना। जो तुझे ठीक लगे वह कर सकती है। मेरी यह भी इच्छा है कि तू बारडोलीके काममें शामिल हो जाये।

कपड़ा कहाँ है? लेकिन मैं जो कपड़े पहनता हूँ, उनमें से कोई नया कपड़ा तू ले ले, क्या यह ठीक नहीं होगा? ऊपर ओढ़नेके लिए ठीक होगा या सायेके लिए; जहाँ भी सफेद कपड़ा ठीक लगे? चरखा कैसा? पुस्तकें सब मिलेंगी। सूत्र तो तैयार ही हैं।

दूर रहकर भी तू मेरी सेवा, मेरा काम करेगी।

कलके पत्रका उत्तर सरदारके पत्रमें नहीं दिया जा सका। मेरी सलाह है कि तू सरदारको इस सम्बन्धमें अपने विचार बता।

धार्मिक वाचनके बारेमें फिर दूसरी बार पूछना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००३) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला

४२४. रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि[1]

मुझे मालूम हुआ है कि असममें कुछ जन-जातियोंको देवनागरीकी जगह रोमन लिपिमें लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है। मैं अपनी यह राय जाहिर कर ही चुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तानमें सर्वमान्य हो सकनेवाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है, फिर चाहे उसे सुधरे रूपमें स्वीकार किया जाये या वह जैसी अब है उसी रूपमें। जब तक मुसलमान स्वेच्छासे शुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टिसे देवनागरीकी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तबतक उर्दू या फारसी लिपि जरूर जारी रहेगी। मगर मौजूदा समस्याके लिए यह बात अप्रासंगिक है। इन दो

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

लिपियोके साथ-साथ रोमन लिपि नही चल सकती। रोमन लिपिके समर्थक तो इन दोनो ही लिपियोको रद कर देनेकी राय देगें। किन्तु विज्ञान तथा भावना, दोनो ही दृष्टियोसे रोमन लिपि नही चल सकती। रोमन लिपिमे अच्छाई केवल यह है कि छापने और टाइप करनेमे वह आसान पड़ती है। किन्तु उसे सीखनेमे करोडो लोगोको जो मेहनत पडेगी, उसे देखते हुए इस लाभका हमारे लिए कोई मूल्य नही है। लाखो-करोडो लोगोको तो देवनागरीमे या अपने-अपने प्रान्तकी लिपिमे ही अपना साहित्य पढना है, इसलिए उन्हे रोमन लिपि जरा भी सहायता नही पहुँचा सकती। करोडो हिन्दुओ और मुसलमानोके लिए भी देवनागरी सीखना आसान है, क्योकि अधिकाश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरीसे ही निकली है। मैंने इसमे मुसलमानोका समावेश जान-बूझकर किया है। मसलन, बगालके मुसलमानोकी मातृभाषा बंगला है, और तमिलनाडुके मुसलमानोकी तमिल। उर्दू-प्रचारके वर्तमान आन्दोलनका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान-भरके मुसलमान अपनी-अपनी मातृ-भाषाके अलावा उर्दू भी सीखें। हर हालतमे 'कुरानशरीफ' पढनेके लिए उन्हे अरबी सीखनी ही पडेगी। मगर करोड़ो हिन्दू-मुसलमानोके लिए रोमन लिपिका प्रयोजन तो अग्रेजी सीखनेके सिवा दूसरा कुछ भी नही है। इसी तरह हिन्दुओको अपने धर्म-ग्रन्थ मूल भाषामे पढनेके लिए देवनागरी सीखनेकी जरूरत पड़ती है, और वे उसे सीखते ही है। इस तरह देवनागरी लिपिको सर्वमान्य बनानेके लिए एक ठोस आधार है। अगर हम रोमन लिपिको लागू करे, तो वह ऊपरसे थोपी हुई ही होगी और कभी लोकप्रिय नही हो सकेगी। जब सच्ची लोक-जागृति आयेगी, तो ऊपरसे थोपी गई कोई भी चीज टिक नही सकेगी। और यह लोक-जागृति ज्ञात कारणोसे कोई जितनी आशा कर सकता है, उससे कही ज्यादा जल्दी आनेवाली है। फिर भी लाखो-करोड़ो लोगोको जगानेमे वक्त लगेगा। जागृति कोई ऐसी चीज तो है नही जो साँचेमें ढालकर बनाई जा सकती हो। यह तो रहस्यमय ढंगसे आती है या आती हुई प्रतीत होतीहै। राष्ट्रीय कार्यकर्ता जन-मानसको पहलेसे समझकर उस प्रक्रियाको केवल तेज कर सकते हैं।

सेगाँव, ५ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-२-१९३९

४२५. क्षमायाचना नहीं

यहूदी मित्रोंसे मुझे दो पत्र मिले है जिनमे यहूदी समस्यापर 'हरिजन' मे प्रकाशित एक वार्तालापमें मेरे एक कथनपर विरोध प्रकट किया गया है। उनमे से एक पत्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

> मेरा ध्यान २४ दिसम्बर, १९३८ के 'हरिजन'के एक अनुच्छेद[1] की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें रिपोर्टके अनुसार आपने यह कहा है कि "यहूदियोंने यह कामना की है कि जर्मनोंको सारी मानवजातिका शाप लगे और वे यह चाहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड उनकी ओरसे जर्मनीसे लड़ें।" मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपकी बात गलत ढंगसे रखी गई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस तरहका कथन उचित ठहराया जा सके। फिर भी इन शब्दोंसे मुझे बड़ी व्यथा पहुँची है, इसलिए आपकी ओरसे आश्वासनके दो शब्द पाकर मुझे खुशी होगी।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जो आश्वासन माँगा गया है वह मैं नही दे सकता। क्योंकि श्री प्यारेलालने जो शब्द मुझसे कहलवाये है वे मैंने कहे थे। पश्चिमसे मुझे जो पत्र मिलते हैं प्राय उन सभीमे यहूदियोके कष्टोंका वर्णन रहता है और जनतन्त्रीय देशोसे जर्मन अत्याचारोंका बदला लेनेकी माँग होती है। मै यह भी कह दूँ कि इस रुखमे मुझे कोई बुराई भी नही दिखती। यहूदी कोई फरिश्ते नही है। मेरा आशय यह था कि मैं अहिंसाका जो अर्थ करता हूँ उस अर्थमे वे अहिंसक नही हैं। उनकी अहिंसामे प्रेम न तो था और न है। वह निष्क्रिय है। वे प्रतिरोध इसलिए नही करते क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हे प्रतिरोधमे कोई सफलता नही मिलेगी। यदि मुझमें सक्रिय अहिंसा न हो, तो उनकी जगह मैं भी निश्चय ही अपने उत्पीडकोपर ईश्वरका कोप पड़नेकी कामना करूँगा। मुझे पत्र लिखनेवालोने यह दावा नही किया है कि जर्मन यहूदी यह नही चाहते कि इंग्लैंड, अमरीका और फ्रास जैसी बड़ी शक्तियाँ इन अत्याचारोको रोके और यदि जरूरी हो तो इसके लिए जर्मनीके विरुद्ध युद्ध तक करें। एक यहूदी मित्र मेरे साथ रह रहे है। उनका अहिंसामें बौद्धिक विश्वास है। परन्तु वे कहते है कि वे हिटलरके लिए प्रार्थना नही कर सकते। जर्मन अत्याचारोंपर उनमे इतना रोष है कि उनकी चर्चा करते हुए वे अपनेपर नियन्त्रण नही रख पाते है। उनके इस रोषपर मैं उनके साथ झगड़ता नही हूँ। वे अहिंसक होना चाहते है, परन्तु अपने यहूदी भाइयोके कष्टोंको बरदाश्त नही कर पाते हैं। जो बात उनके बारेमें सच

१. देखिए पृ० २२४।

है, वह उन हजारो यहूदियोके बारेमे भी सच है जिन्होने "शत्रुसे भी प्रेम करने" की बात कभी सोची नही है। उनके लिए, और लाखो लोगोके लिए, "प्रतिशोध मधुर है, क्षमा दिव्य है।"

सेगाँव, ५ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १८-२-१९३९

४२६. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

सेगाँव
५ फरवरी, १९३९

प्रिय सुभाष,

आशा है, तुम्हे मेरा निजी पत्र और कल भेजा हुआ पत्र[1], दोनो मिल गये होगे।

मुझे मौलाना साहबका तार मिला है जिसमे यह सुझाव है कि वे और दूसरे लोग कार्य-समितिसे अलग हो जायें।[2] मैंने उसको यह उत्तर दिया है कि इससे शायद तुम्हे [सुभाषको] परेशानी होगी। अब राजेन बाबूका पत्र आया है। उसमे भी वही सुझाव है और उसका इस तर्क द्वारा समर्थन किया गया है कि यदि इस्तीफे तुम्हारे हाथमे हो तो इससे तुम्हे मदद ही मिलेगी। इससे तुम एक अस्थायी कार्य-समिति चुन सकने हो जो भावी कार्यक्रम बनानेमें तुम्हारी मदद करेगी। राजेन बाबूका तर्क मुझे सही लगता है। मेरी समझके अनुसार पुराने साथी, जिन्हे तुम दक्षिणपथी मानते हो, कार्य-समितिमें काम नही करेगे। यदि तुम्हारे लिए यह ज्यादा सुविधाजनक हो तो तुम उनके इस्तीफे अभी ले सकते हो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए और उनके लिए भी उचित नही होगी। तुम्हे अपना कार्यक्रम गढनेके लिए स्वतन्त्र रहना चाहिए और दक्षिणपथियोसे (मैं चाहता हूँ तुम्हारी कल्पनामे जो दल है उनके लिए कोई ज्यादा अच्छे और देसी नाम चुनो) यह आशा रखनी चाहिए कि जहाँ तक उनसे बन पड़ेगा, वे तुम्हे समर्थन देगे और जहाँ वे तुमसे सहमत नही होगे, वहाँ तुम्हारे काममें रोड़ा अटकाये बिना तटस्थ रहेगे।

अपने वक्तव्य[3] के उत्तरमें दिया गया तुम्हारा वक्तव्य[4] मैंने अभी-अभी पढ़ा है। यद्यपि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसका उत्तर नही दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरा बस चले, मैं तुम्हारे साथ सार्वजनिक विवादमें नही पडना चाहता।

१. ये पत्र उपलब्ध नहीं हैं।
२. कार्य-समितिके सदस्योंके इस्तीफेके पत्रके लिए देखिए परिशिष्ट ३।
३. देखिए पृ० ३९६-७।
४. देखिए परिशिष्ट ४।

यदि जरूरी समझो तो यह पत्र तुम मित्रोको दिखा सकते हो। मैं इसकी प्रतियाँ मौलाना साहब आदिको भेज रहा हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

५ फरवरी, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

यह प्रति[1] तुम्हारे सूचनार्थ है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे : गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४२८. पत्र : जानकीदेवी बजाजको

[५ फरवरी, १९३९][2]

चि० जानकीबहन,

कल तो नानाभाई और मनुभाई आते हैं। उनको सेगाँव आने देना अच्छा होगा। आजकल यहां भीड नही है। और उनको लेनेके लिये पुन्नालाल जाते हैं तो खाली क्यों तुमको तकलीफ दूं? मंगलवारको शायद पांच आदमी आवेंगे। उनको भी सेगाँव लाना तो चाहता हूं। कुछ परिवर्तन करना होगा तो देख लूगा। जमनालाल पकडे गये सो अच्छा ही हूआ है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

विवाह विधि नानाभाई करेंगे। व्यासजी भले आवे।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३००२) से।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. यह तारीख जमनालालजीकी गिरफ्तारी तथा मंगलवार, दिनांक ७ फरवरी, १९३९ को सम्पन्न हुए विजया पटेल और शारदा शाहके विवाहके उल्लेखके आधारपर निश्चित की गई है।

४२९. पुर्जा : अमृत कौरको

[५ फरवरी, १९३९ या उसके पश्चात्][1]

विरोधाभासवाली बात बिलकुल लागू नहीं होती। मेरा मतलब यह है कि साधारण मनुष्य यदि यह कामना करता है कि ईश्वर अत्याचारीको दण्ड दे, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। अहिंसा नई चीज है। अहिंसामें आस्था रखनेवालेके लिए किसीके ऊपर ईश्वर अथवा मनुष्यके प्रकोपकी कामना करना गलत होगा। परन्तु यदि कोई उत्पीड़ित मनुष्य प्रत्याक्रमण करता है और उसमें दूसरोंकी सहायता चाहता है, तो अहिंसामें आस्था रखनेवालोंको यह गलत नहीं लगना चाहिए। इस तर्कको समझनेकी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४२०९) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७८४५ से भी।

४३०. भेंट : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय विद्यार्थियोंको[2]

बारडोली
[६ फरवरी, १९३९ के पूर्व][3]

विद्यार्थियोंने गांधीजीसे पूछा: "दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए हम लोग अपने अभिगृहीत देशमें भारतीय संस्कृतिको सुरक्षित रखनेके लिए क्या करें? अंग्रेजीके अलावा अन्य कौन-सी भाषाएँ आप हमें सीखनेके लिए कहेंगे?"

गांधीजीने पहले तो उन्हें अंग्रेजीको प्रथम स्थान देनेके लिए झिड़का और फिर यह सलाह दी कि उन्हें उसके बजाय हिन्दुस्तानी सीखनी चाहिए जिसमें संस्कृत और फारसी या अरबी मूलके वे सब शब्द हों जिन्हें आम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दू लोग संस्कृतके अध्ययनकी और मुसलमान अरबीके अध्ययनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। केवल इसीलिए नहीं कि उनके लिए इन भाषाओंका अध्ययन अपने-अपने धार्मिक ग्रन्थोंको मूल भाषामें पढ़नेके लिए अनिवार्य है, अपितु इसलिए भी कि इन दोनों भाषाओंमें संसारकी सर्वोत्तम कविताका सृजन किया गया है। उन्होंने अन्तमें कहा:

१. यह पुर्जा एक तारके पृष्ठभाग पर लिखा हुआ है, जो दामोदरकी ओरसे बच्छराज, वर्धाको ५-२-१९३९ को भेजा गया था।

२ और ३. प्यारेलालके "ए वर्ल्ड इन एगोनी–२" ६-२-१९३९ से उद्धृत। ये विद्यार्थी भारतमें डॉक्टरी शिक्षा पानेके लिए आये थे और वे चाहते थे कि मेडिकल कॉलेजोंमें प्रवेश पानेके लिए गांधीजी उनकी सहायता करें।

सबसे ज्यादा ध्यान रखनेकी बात यह है कि आप सादगी और अध्यात्म-भावनाको, जो भारतीय संस्कृतिकी विशिष्ट पहिचान है, निष्ठापूर्वक बनाये रखें।

विद्यार्थियोंका दूसरा प्रश्न यह था कि वे दक्षिण आफ्रिकामें अपने अधिकारोंके लिए संघर्षको सत्याग्रह द्वारा जारी रखें या वैधानिक आन्दोलन द्वारा।

गाधीजी : मैं कहूँगा कि यदि दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंमें साहस हो तो वे सत्याग्रह द्वारा ही सघर्ष जारी रखे और विश्वास रखे कि इसमे उनकी जीत अवश्य होगी। मुझे आशा है कि किसी दिन दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे युवकोमेसे कोई ऐसा अवश्य निकलेगा जो वहाँ बसे हुए अपने देशवासियोके अधिकारोंका पक्ष लेगा और उन अधिकारोंको सिद्ध करना अपने जीवनका लक्ष्य बनायेगा। उसका आचार-व्यवहार इतना विशुद्ध, सुसंस्कृत, सच्चा और गरिमा-युक्त होगा कि वह सारे विरोधको निरस्त कर देगा। गोरी जातियाँ तब कहेगी, "यदि सभी भारतीय इस-जैसे हों तो उन्हे अपने समान दर्जा देनेमे हमे कोई आपत्ति नही है।" परन्तु वह उत्तर देगा: "इतना ही काफी नही है कि भारतीय लोगोके एक ही प्रतिनिधिको आप अपनी बराबरीका माननेके लिए तैयार हो जाये। मै जो-कुछ हूँ वही मेरे दूसरे देशवासी भी हो सकते है, बशर्ते कि उन्हे बुरा-भला कहने और उन पर अनेक प्रकारकी निर्योग्यताएँ लादनेके बजाय आप उन्हे उदारतापूर्वक शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरी सुविधाएँ प्राप्त करनेका अवसर दे। आज उन्हे उन सुविधाओसे वंचित रखा जाता है। जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति निकल आयेगा, तब उसे मेरी सीखकी जरूरत नही होगी। वह अपनी चारित्रिक प्रतिभासे अपनी शक्ति और योग्यता स्वयं ही प्रमाणित कर देगा और सफलता प्राप्त करेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १८-२-१९३९

४३१. महात्माकी मूर्ति[1]

कांग्रेस-नगरमें २५,००० रुपयेकी लागतसे महात्माकी मूर्ति बनानेकी खबरको लेकर उसके विरोधमें मेरे पास लोगोके पत्र-पर-पत्र आ रहे हैं। इस मूर्तिके बारेमें मुझे कुछ भी पता नही है। इस सम्बन्धमे मैंने पूछताछ की है। मगर इस खबरकी पुष्टि होने तक मै इन्तजार नहीं करना चाहता। यह मानकर कि ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है, मै अपने पत्र-लेखकोके विरोधका जोरदार समर्थन करता हूँ और उनकी इस बातसे सहमत हूँ कि एक मनुष्यकी आकृतिकी मिट्टी या धातुकी प्रतिमा बनानेपर २५,००० रुपये खर्च करना निश्चय ही पैसेकी बरबादी है — एक ऐसे मनुष्यकी प्रतिमा पर, जो कि खुद ही मिट्टीका बना हुआ है और जो उस काँचकी चूड़ीसे भी अधिक नाजुक है जिसे यदि ठीक तरहसे रखा जाये, तो वह हजारों साल तक सुरक्षित रखी

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

रह सकती है, जबकि मानव-काया तो रोजरोज क्षीण होती रहती है और निश्चित आयु पूरी होनेपर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अपने मुसलमान दोस्तोसे, जिनके बीचमे मेरी जिन्दगीका सबसे अच्छा हिस्सा गुजरा है, मैंने अपनी मूर्तियो और तसवीरोके प्रति अपनी नापसन्दगी सीखी है। और अगर यह खबर सच है, तो मै चाहूँगा कि स्वागत-समिति इस बेकार चीजको बनानेका इरादा छोड दे। जितना पैसा स्वागत-समिति बचा सके उतना उसे बचा लेना चाहिए। अगर यह खाली अफवाह ही है, तो मेरी ये पक्तियाँ उन लोगोके लिए चेतावनी-स्वरूप होनी चाहिए, जो मेरी आकृति की प्रतिमा और तसवीरें बनवाकर, जिन्हे कि मै दिलमे नापसन्द करता हूँ, मेरा सम्मान करना चाहते है। जो लोग मुझमे विश्वास करते है अगर वे कृपा कर उन प्रवृत्तियोको, जिनके लिए कि मै लड रहा हूँ, आगे बढायेगे और कमसे-कम उस रुपयेको, जिसे कि वे प्रतिमाओ और तसवीरोपर खर्च करना चाहते है, हरिजन सेवक सघ, अ० भा० ग्रामोद्योग सघ, अ० भा० चरखा-सघ या हिन्दुस्तानी तालीमी-सघके काममे लगायेगे, तो मै उसे अपना काफी सम्मान समझूँगा।

सेगाँव, ६ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ११-२-१९३९

४३२. कस्तूरबा गांधी राजकोट क्यों गई?[१]

राजकोटकी लडाईमे अपनी पत्नीके शरीक होनेके बारेमे मै कुछ भी नही कहना चाहता था। लेकिन उनके शरीक होनेके बारेमे कुछ ऐसी निष्ठुर टीकाएँ मेरे देखनेमे आई है कि स्पष्टीकरण देना जरूरी हो गया है। मुझे यह कभी नही सूझा था कि उसे लडाईमे जाकर शामिल होना चाहिए। उसका एक कारण तो यही था कि वह इतनी वृद्ध हो गई है कि सविनय अवज्ञाकी लड़ाईकी मुसीबते उनसे अब बरदाश्त नही हो सकती। आलोचकोको भले ही इसमे ताज्जुब हो, लेकिन उन्हे मेरी इस बात पर जरूर यकीन कर लेना चाहिए कि हालाँकि वह बेचारी बहुत पढी-लिखी नही है, मगर जो वह करना चाहती है, उसे करनेके लिए वह बिलकुल स्वतन्त्र है और वर्षोसे रही है। जब उन्होने दक्षिण आफ्रिका या हिन्दुस्तानकी आजादीकी लड़ाईमे भाग लिया, तो ऐसा उसने अपनी आन्तरिक प्रेरणासे ही किया था। और राजकोट की लडाईमे भी ऐसा ही हुआ है। मणिबहनकी गिरफ्तारकी बात सुनने पर वह अपनेको काबूमे न रख सकी और मुझसे बोली, मै उन्हे राजकोट जाने दूँ। मैने उनसे कहा कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है। दिल्लीमे हाल ही मे वह स्नानगृहमे बेहोश हो गई थी, और देवदासने प्रत्युत्पन्नमतिसे काम न लिया होता तो उनकी वही मृत्यु हो जाती। लेकिन उन्होने कहा कि इसकी चिन्ता नही थी। इसके बाद मैंने

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

उन्हे सरदारसे सलाह लेनेके लिए कहा। उन्होने भी इनके आग्रहको अमान्य कर दिया।

पर इस बार तो सरदारको पिघल ही जाना पड़ा। रेजिडेंटके उकसानेपर ठाकुर साहब द्वारा वचन-भंग किये जानेसे मुझे जो वेदना हुई उसे उन्होंने देखा था। पाठकोंको यह जानना चाहिए कि राजकोटके साथ मेरा पैतृक सम्बन्ध है और वर्तमान ठाकुर साहबके पिताके साथ तो मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ थे। कस्तूरबा राजकोटकी लड़की है। उन्हें यह व्यक्तिगत आह्वान जैसा लगा। राजकोटकी दूसरी पुत्रियाँ वहाँ की प्रजाके स्वातन्त्र्य-युद्धमें कष्ट झेलती रहे और वह चुपचाप बैठी रहे यह उन्हें सहन न हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानके नक्शेपर राजकोट एक तुच्छ स्थान है। किन्तु मेरे और मेरी पत्नीके लिए वह तुच्छ नहीं है। उनका जन्म यद्यपि पोरबन्दरमें हुआ था, पर लालन-पालन तो राजकोटमें ही हुआ। और फिर जो युद्ध अहिंसापर आधारित हो और जिसमें इतने तमाम विश्वसनीय साथी कार्यकर्ताओंने भाग लिया हो, उससे कस्तूरबा या मैं कोई ताल्लुक न रखूँ, यह कैसे हो सकता है?

स्वातन्त्र्य-युद्धमे राजकोटकी लड़ाईकी सफलता एक अगली मंजिलका काम करेगी। और जब यह लड़ाई सफलताके साथ समाप्त होगी — जल्दी या देरीसे सफल यह जरूर होगी — तब मैं आशा करता हूँ कि कस्तूरबाका उसमें भाग लेना उस स्वातन्त्र्य-यज्ञमें एक तुच्छ योगदान माना जायेगा। सत्याग्रहकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, जिसमे अगर दिल मजबूत हो तो, वृद्ध-से-वृद्ध और कमजोर-से-कमजोर शरीरवाला भी हिस्सा ले सकता है।

सेगाँव, ६ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ११-२-१९३९

४३३. अहिंसाका पालन

'हरिजन' के हालके अंकोंको और यूरोपके संकट और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके बारेमें आपने जो-कुछ लिखा, उसे मैं बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ता रहा हूँ। लेकिन अहिंसाकी समस्यामें एक बात ऐसी है, जिसके बारेमें अगर समय होता तो मैं सेगाँवमें ही आपसे बातचीत करता,[1] क्योंकि उसका उल्लेख आप या तो कभी करते ही नहीं, या कभी-कभार ही करते हैं। आप कहते हैं कि अहिंसात्मक असहयोग, जिस रूपमें आपने उसे विकसित किया है, उस हिंसाका जवाब है जो अब सारे संसारका ध्वंस करनेपर उतारू है। ऐसी भावना और

१. लॉर्ड लोथियन १८ जनवरी से २० जनवरी, १९३८ तक सेगाँवमें थे; देखिए खण्ड ६६, पृ० ३८३-४।

ऐसे कामका महान प्रभाव हो सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन शत्रु-मित्र सबके लिए एक समान निःस्वार्थ प्रेमकी अहिंसात्मक भावनाको सफल होनेके लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि जहाँ वह प्रकट हो वहाँ शासन उदार, लोकतन्त्रात्मक और वैधानिक होना चाहिए? कानून और सरकारके बगैर समाज कायम नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि विभिन्न राष्ट्र वैधानिक शासनकी एक ऐसी पद्धतिको स्वीकार न कर ले जो उन्हें एकता और कानून प्रदान करके अराजकताका खात्मा कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि किसी-न-किसी दिन ईश्वरीय कानून मनुष्योंके दिल और दिमागपर इस प्रकार अंकित हो जायेगा कि उसका पालन करनेके लिए किसी मानवी कानून या शासनकी कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि व्यक्तिगत रूपमें वे खुद ही उसके अभिव्यंजक बन जायेंगे। लेकिन वह तो चरम स्थिति है। इस दिव्य लक्ष्यकी ओर बढ़नेका आरम्भ इस रूपमें होना जरूरी है कि सबसे पहले विविध जातियाँ, धर्म और राष्ट्र एक ऐसे विधानके अन्तर्गत एक होनेको रजामन्द हों, जिसके द्वारा उनकी एकता और पारस्परिक सदस्यता कायम रहे। जिन कानूनोंके मातहत वे रहें, वे सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद और किसी-न-किसी रूपमें बहुमतके निश्चयसे जारी होने चाहिए और जहाँ उनका पालन स्वेच्छापूर्वक न हो, वहाँ समझाने-बुझाने और उदाहरण पेश करनेसे काम न चलनेपर, उनका पालन युद्ध द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा कराया जाये। सर्वप्रभुतासम्पन्न राष्ट्रोंके बीच रचनात्मक अहिंसाकी भावनाको काममें लानेसे हम संघ-शासन [फेडरेशन] के किसी-न-किसी रूपपर ही पहुँचेंगे। क्योंकि ऐसा किये बगैर वह सफल नहीं हो सकती। वह प्रभावकारी रूपमें कायम है, इसका सबूत संघात्मक पद्धतिका उभरना ही होगा। इस प्रकार यूरोपकी समस्याका एकमात्र सच्चा हल यही है कि वहाँके २५ राष्ट्रोंका एक लोकतन्त्रीय संविधानके मातहत संघ बनाया जाये, जो ऐसी सरकारका निर्माण करे जो यूरोपको प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी राष्ट्रोंका एक समूह मानकर नहीं, बल्कि स्वायत्त भागोंवाली एक पूर्ण इकाई मानकर उसकी समस्याओंपर विचार करे और उनके लिए कानून बनाये। इसी प्रकार भारतीय समस्याका एकमात्र हल यह है कि ग्रेट ब्रिटेनके नियन्त्रणके स्थानपर वहाँ लोकतन्त्रीय संविधान कायम किया जाये। और जो बात यूरोप तथा भारतके लिए ठीक है, कालान्तरमें वही सारी दुनियाके लिए भी ठीक है और युद्धको रोकनेका एकमात्र अन्तिम साधन है।

हो सकता है कि दिल और दिमागमें ऐसा परिवर्तन लानेका, जिससे कि विभिन्न राष्ट्र संघीय लोकतन्त्रीय संविधानको स्वीकार कर सकें, अहिंसात्मक असहयोग सर्वोत्तम — शायद एकमात्र — साधन हो। लेकिन लोकतन्त्रीय संघ-

शासनकी प्राप्ति आवश्यक है, उसीसे इसकी (अहिंसात्मक असहयोग की) सफलता निश्चित होती है, उसके बिना यह सफल नहीं हो सकती। इस बातपर मैं हमेशा उत्सुकतासे ध्यान देता रहा हूँ और आश्चर्य करता रहा हूँ कि आप यह सोचते मालूम पड़ते हैं कि अहिंसात्मक असहयोग खुद अपनेमें ही काफी है, और आप यह कभी नहीं कहते कि इसका लक्ष्य मनुष्यों, जातियों, धर्मों और राष्ट्रोंको मिलानेवाली लोकतन्त्रीय शासन-पद्धतिकी स्थापना ही होना चाहिए, हालांकि उसकी प्राप्ति हृदयके आध्यात्मिक परिवर्तनके द्वारा ही सम्भव है, बल या हिंसा अथवा चालाकीसे उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

मैं यह सब भारतीय संविधानके पक्षमें परोक्ष रूपसे तर्क करनेके लिए नहीं लिख रहा हूँ, हालाँकि उस समस्यासे भी स्पष्ट ही इसका सम्बन्ध है। भारत सरकार अधिनियम लोकतन्त्रीय संघ-शासनके सिद्धान्तका स्पष्टतः एक बहुत अपूर्ण रूप है, और यदि उसको चलाना है तो तेजीके साथ उसका विकास होना आवश्यक है। उसके लिए जो खास दलील हमेशा मैंने दी वह यह है कि मौजूदा हालातमें प्रान्तों, रियासतों, मुसलमानों और हिन्दुओंको एक सूत्रमें पिरोनेवाले एकमात्र वैधानिक समझौतेका वही ऐसा आधार है जिसको अमली रूप दिया जा सकता है। और उसमें आमतौरपर जितने समझे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा विकासके बीज मौजूद हैं। अगर आपका आध्यात्मिक सन्देश लोगोंमें घर कर जाये, तो इसका विकास शीघ्रतासे और आसानीके साथ हो सकता है। मेरा उद्देश्य इस वैधानिक समस्याके बारेमें आपकी कोई राय प्राप्त करना नहीं है, लेकिन इस पत्रके पूर्व भागमें जो वृहत्तर प्रश्न उठाया गया है, उसका मैं जरूर जवाब चाहता हूँ।

लॉर्ड लोथियनका यह पत्र मुझे जनवरीके शुरूमें मिला था, लेकिन आवश्यक कार्योंके कारण इससे पहले मैं इसमें उठाये गये महत्वपूर्ण सवालकी चर्चा नहीं कर सका।

सोच-समझकर अहिंसापर आधारित समाजमें शासनका रूप क्या हो, इस बारेमें कुछ लिखनेसे मैं जान-बूझकर बचता रहा हूँ। अहिंसा सारे समाजकी एकताको उसी प्रकार कायम रखे हुए है जिस प्रकार कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीको उसकी स्थितिमें कायम रखे हुए है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षणके नियमका पता लगा, तो उस खोजसे ऐसे परिणाम निकले, जिनका हमारे पूर्वजोंको कुछ ज्ञान न था। इसी प्रकार जब सोच-समझकर अहिंसाके नियमानुसार समाजका निर्माण होगा, तो उसका ढाँचा खास-खास बातोंमें आजसे भिन्न होगा। लेकिन पहलेसे ही मैं यह नहीं कह सकता कि सम्पूर्णतया अहिंसापर आधारित शासनका रूप कैसा होगा।

आज तो जो हो रहा है, वह यह कि अहिंसाके नियमकी उपेक्षा करके हिंसाको सर्वोच्च स्थान प्रदान कर दिया गया है मानो वह एक शाश्वत नियम हो। इसलिए इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांसमें जिन लोकतान्त्रिक प्रणालियोंको हम जान करते

हुए देखते हैं, वे नाम मात्रको ही लोकतान्त्रिक हैं, क्योंकि वे भी हिंसापर नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली या सोवियत रूससे कुछ कम निर्भर नही हैं। फर्क सिर्फ यह है कि पिछले तीन देशोमें हिंसा लोकतन्त्रीय देशोकी वनिस्वत कही ज्यादा अच्छे रूपमें संगठित है। फिर भी हम देखते हैं कि शस्त्रास्त्रोके मामलेमे एक-दूसरेसे आगे वढनेकी आज पागलोकी-सी होड मची है। और सघर्ष होनेपर, जिसका कि एक दिन होना अनिवार्य है, अगर इन लोकतन्त्रोकी विजय हुई तो वह सिर्फ इसलिए होगी कि उनके पीछे यह सोचनेवाली प्रजाओका सहारा होगा कि अपने यहाँके शासनमे हमारी भी आवाज है। जवकि हो सकता है कि अन्य तीन राष्ट्रोमे वहाँकी प्रजाएँ ही अपने यहाँकी तानाशाहियोके खिलाफ विद्रोह कर दे।

मै यह मानता हूँ कि अहिंसाको राष्ट्रीय पैमानेपर स्वीकृत किये वगैर वैधानिक या लोकतन्त्रीय शासन-जैसी कोई चीज नही हो सकती। इसीलिए अपनी शक्ति मै इस वातको प्रतिपादित करनेमें लगाता हूँ कि अहिसा हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवनका नियम है। मै समझता हूँ कि मैने प्रकाश देख लिया है, हालाँकि देखा है कुछ धुँधले रूपमें ही। सावधानीके साथ मै इसलिए लिखता हूँ क्योकि मै यह दावा नही करता कि मैने उस सारे नियमको जान लिया है। जहाँ अपने प्रयोगोकी सफलताओको मै जानता हूँ, वही अपनी असफलताओका भी मुझे ज्ञान है। मगर सफलताएँ इतनी है कि मेरे अन्दर एक अमर आशा पैदा हो गई है।

मै अकसर कहता रहा हूँ कि अगर साधनोकी फिक्र रखी जाये तो ध्येय अपनी फिक्र खुद कर लेगा। अहिंसा साधन है, और ध्येय है हरएक राष्ट्रके लिए पूर्ण स्वाधीनता। अन्तर्राष्ट्रीय संघ तभी होगा जवकि उसमें शामिल होनवाले वडे-छोटे सभी राष्ट्र पूरी तरह स्वाधीन हो। राष्ट्र अहिंसाको जितना आत्मसात् करेंगे, स्वाधीनता उतनी ही अधिक होगी। एक वात निश्चित है। अहिंसापर आधारित समाजमें छोटे-से-छोटा राष्ट्र भी अपनेको वड़े-से-वडे राष्ट्रके वरावर मानेगा। वड़े-छोटेका भाव विलकुल समाप्त हो जायेगा।

इससे यह परिणाम निकलता है कि भारत सरकार अधिनियम तो सिर्फ काम-चलाऊ चीज है, जिसका स्थान एक ऐसे अधिनियमको लेना चाहिए जो खुद राष्ट्रके द्वारा ही वनाया जाये। जहाँ तक प्रान्तीय स्वराज्यका सम्बन्ध है, किसी हद तक उसको सँभालना सम्भव पाया गया है। वैसे उसके अमलका मेरा अपना जो अनुभव है, वह किसी भी प्रकार सुखद नही है। कांग्रेसी सरकारोका जनतापर वैसा अहिंसात्मक प्रभाव नही है जिसकी मैने उनसे आशा की थी।

लेकिन संघ-शासनका ढाँचा तो मेरे लिए सोचनेके लायक भी नही है, क्योकि उसमें असमानोकी साझेदारीकी कल्पना की गई है, फिर वह चाहे शिथिल ढंगकी ही क्यो न हो। रियासते कितनी असमान हैं, इसका जिस वुरे रूपमें प्रदर्शन किया जा रहा है उसके लिए मै तैयार नही था। इसलिए भारत सरकार अधिनियममे जिस सघ-शासनकी कल्पना है, उसे मैं विलकुल असम्भव मानता हूँ।

इस प्रकार अपने-आप यह परिणाम निकलता है कि जव तक अहिंसाको खाली नीतिके वजाय एक जीवित शक्ति, एक अलघ्य सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार नही किया

जायेगा, तब तक मुझ-जैसोके लिए, जो अहिंसाके हामी है, वैधानिक या लोकतन्त्रीय शासन एक दूरका स्वप्न ही रहेगा। यद्यपि मैं विश्वव्यापी अहिंसाकी हिमायत करता हूँ, पर मेरा प्रयोग हिन्दुस्तान तक ही सीमित है। यहाँ उसे सफलता मिली, तो संसार बिना किसी प्रयत्नके उसे स्वीकार कर लेगा। मगर इसमे एक बड़ा 'लेकिन' मौजूद है। पर विघ्नोंकी मुझे चिन्ता नही। अन्धकार जितना ही अभेद्य होता है, मेरा विश्वास भी उतना ही प्रखर होता है।

सेगाँव, ६ फरवरी, १९३९

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ११-२-१९३९

४३४. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
६ फरवरी, १९३९

बा,

इसके साथ अकोलासे आये पत्र रख रहा हूँ। तू मजेमें होगी। कल दोनो लड़कियों[1] का विवाह है। तेरी गैरहाजिरी सबको अखर रही है। कन्यादान मुझे करना है, और वह भी तेरी गैरहाजिरी में।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३१

४३५. पत्र : जानकीदेवी बजाजको

७ फरवरी, १९३९

चि० जानकीबहन,

तुम्हें चिन्ता नही करनी है। जो चिन्ता करता है वह योद्धा नही कहलाता। जयपुर जानेमे कुछ सार नही है। इसलिए यही बैठे धर्मपालन करना है। ईश्वरको जो करना होगा, वह होगा।

टेलीफोनसे आई हुई सूचनाएँ अपने पास रखता हूँ।[2] कुछ वक्तव्य निकालनेकी इच्छा है। मोटर नही रोकता।

१. ७ फरवरीको विजया पटेलका विवाह मनुभाई पंचोलीसे और शारदाबहन शाहका विवाह गोरधनदास चोखावालासे हुआ था।

२. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ८-२-१९३९।

अपनी आजकी हालतमें तुम यहाँ किसलिए आना चाहती हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०००) से।

४३६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
७ फरवरी, १९३९

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिल गया। लीम्बडीमें जो-कुछ हो रहा है, वह भयानक है। परन्तु हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसी घटनाएँ तो होंगी, उनसे भी भयानक होंगी। उन्हींमें प्रजाकी परीक्षा होगी। हमारा मार्ग सीधा है। उसपर कुछ लिखनेकी सोच रहा हूँ। चूँकि अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए सब-कुछ करता हूँ इसलिए सब चीजोंको जिस तरह मैं चाहता हूँ, उस तरह नहीं निपटा पाता। सुभाषबाबू जो कर रहे हैं, वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ, हम बच गये। राजेन्द्रबाबूके बारेमें देख लेना।

जब भी मिलना हो मैं तैयार हूँ।

मणिका पत्र आया है सो साथमें है। दोनों लड़कियोंके विवाह करके अभी लिखने बैठा हूँ। सादगीका कोई पार न था। किसीको नहीं बुलाया गया। गाँवके हरिजन वगैरह थे। बहुत अच्छा लगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३२-३

४३७. तार : चंद्रभाल जौहरीको[1]

[७ फरवरी, १९३९ या उसके पश्चात्]

जमनालालजी जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं।[2] वक्तव्य प्रकाशित करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे सूचित करते रहो।

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१३

१. यह चंद्रभाल जौहरीके ६ फरवरी, १९३९ के तारके उत्तरमें था जो ७ तारीखको गांधीजीको मिला था। जमनालाल बजाज ५ फरवरी, १९३९ को गिरफ्तार हुए थे और जयपुर सरकारने यह नहीं बताया था कि वे कहाँ ले जाये जा रहे हैं। जौहरीने अपने तारमें इस बातपर चिन्ता व्यक्त की थी।

२. जमनालालको भरतपुर रियासतमें ले जाकर ७ फरवरीको रिहा कर दिया गया था।

४३८. तार : राजेन्द्रप्रसादको

[७ फरवरी, १९३९ या उसके पश्चात्][1]

रा[जेन्द्र प्रसाद]
सदाकत आश्रम
पटना

सम्मेलन नही बुलाया है। मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या आप सम्मेलन चाहते हैं?

अंग्रेजीकी प्रतिसे : जमनालाल बजाज पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४३९. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

[७ फरवरी, १९३९ के पश्चात्][2]

चि० बबुड़ी,

तेरे दो पत्र मिले। यदि तू पत्रके ऊपर 'निजी' आदि लिख दे, तो तेरा पत्र कोई नही पढ़ेगा। और मैं पढ़कर फाड़ डालूँगा।

तू घबरा मत। छुट्टी लेकर झटपट मेरे पास आ जा। यहाँ मन भरके बातें करेंगे। तेरा अनुभव कोई नया नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यदि साथके पत्र[3] का उपयोग करना चाहे तो कर लेना।

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००२१) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

१. यह तथा पिछला शीर्षक चन्द्रलाल चौधरी से प्राप्त तारकी पीठपर लिखा गया था; देखिए पिछला शीर्षक।

२. स्पष्ट है कि यह पत्र शारदाका विवाह, जो ७ फरवरीको सम्पन्न हुआ था, होनेके कुछ दिन बाद लिखा गया था।

३. देखिए अगला शीर्षक।

४४०. पत्र : गोरधनदास चोखावालाको

सेगाँव, वर्धा
[७ फरवरी, १९३९ के पश्चात्][1]

चि० गोरधनदास,

शारदाको अटपटा लगता हो, तो अभी उसे मेरे पास भेज दो। कभी घरसे बाहर नहीं निकली, इसलिए सम्भव है उसे वहाँ सब नया-नया-सा लगता हो।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १००८८) से, सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

४४१. तार : लीम्बड़ी प्रजा मण्डलको

[८ फरवरी, १९३९ के पूर्व][2]

इन घटनाओंमें यदि लोग अहिंसक और बहादुर बने रहे, उत्पीड़न तथा सम्पत्ति, शरीर और जीवनकी हानि सहन करते रहे तो विजय उनकी होगी। मुझे जानकारी देते रहिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १०-२-१९३९

१. देखिए पिछला शीर्षक।
२. इस तारकी रिपोर्ट दिनांक ८ फरवरीके अन्तर्गत छपी थी।

४४२. तार : जेठानन्दको

वर्धा
८ फरवरी, १९३९

रायबहादुर जेठानन्द
डेराइस्माइलखाँ

दंगोंके लिए गहरा दुःख है। मैं लाचार हूँ, हालाँकि मुख्यमंत्रीको तार[1] भेज रहा हूँ। अखबारोंमें जैसा कहा गया है, क्या मुसलमान मारे गये हैं।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल।

४४३. तार : डॉ० खानसाहबको

वर्धा
८ फरवरी, १९३९

डॉ० खानसाहब
पेशावर

डेराके दंगोंके बारेमें क्या आप कोई प्रभावकारी कदम उठा रहे हैं।

बापू

अंग्रेजीकी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य · प्यारेलाल।

१. देखिए अगला शीर्षक।

४४४. पत्र : मोतीलाल रायको

सेगाँव, वर्धा
८ फरवरी, १९३९

प्रिय मोतीबाबू,

सीधे अ० भा० च० स० को किस्त भेजना बेहतर होगा।

दीक्षान्त भाषण अभी नही मिला है।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (जी० एन० ११०५३) से।

४४५. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
८ फरवरी, १९३९

बा,

तुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जो भी असुविधा हो, उसकी खबर जरूर देना। तू दुःख सहन करनेके लिए ही जन्मी है, इसलिए तेरी तकलीफोकी बात सुनकर मुझे कोई अचम्भा नही होता। सरकारको तार तो मैंने किया है। तेरी तकलीफोके बारेमे अखबारमे कुछ नही देना चाहता। भगवान तो वहाँ भी तेरे पास बैठे ही है; जो उन्हे करना होगा, सो करेंगे।

कानम मजेमें है। रातको तुझे याद करता है। बिलकुल चिन्ता न करना। अमतुस्सलाम यहाँ है। वह कानमको सँभालती है।

चि० मणि, तू वहाँ है, यह कितनी अच्छी बात है!

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३१

४४६. पत्र : कृष्णचन्द्रको

८ फरवरी, १९३९

चि० कृष्णचंद्र,

लबा खतकी आशा न की जाय। ब्रह्मचारी वही है जो दूसरोंकी शादी निश्चेट होकर कर सके। जिसको देखनेमे क्षोभ है वह न देखे। मैंने किसीको नही बुलाये थे।

अ० ब० को दूरसे प्रणाम करो बाकी भूल जाओ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३१०) से। एस० जी० ७३ से भी।

४४७. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

वर्धा

८ फरवरी, १९३९

सेठ जमनालाल बजाजके बारेमें निम्नांकित टेलीफोन रिपोर्ट मिली है।[2] सेठ जमनालालजी जब दुबारा कैद किये गये तब उनका पुत्र, उनका सचिव और एक नौकर उनके साथ थे।

> सेठ जमनालालजीको जयपुरसे ५० मील दूर अजमेर रोड स्टेशनपर रोका गया और वहाँ उन्हे डाक बँगलेमें रखा गया। श्री यंग स्वयं सेठजीके पास गये और उनसे अपनी कारमे बैठनेके लिए कहा। सेठजीने यह कहकर मना कर दिया कि "आप मुझे जयपुर रियासतकी सीमासे बाहर करना चाहते है। मै जयपुरमे दाखिल होना चाहता हूँ। मै आपके साथ नही जाऊँगा।" इसपर श्री यगने कहा, "हम आपको जयपुर ले जा रहे है। हमारे साथ आइए।"

१. वक्तव्य ९ फरवरीके *हिन्दू* में और *बॉम्बे क्रॉनिकल* में प्रकाशित हुआ था, और किंचित् परिवर्तित रूपमें "बारबेरस विहेवियर" शीर्षकसे ११ फरवरीके *हरिजन* में भी प्रकाशित हुआ था। किन्तु बादमें ऐसा प्रगट हुआ कि जिस रिपोर्टके आधारपर गांधीजीने वक्तव्य दिया था, वह पूरी तरह सही नहीं थी। देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १२-२-१९३९।

२. रिपोर्ट हिन्दीमें थी; गांधीजीने इसका अनुवाद किया था; देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १२-२-१९३९।

सेठजीने उत्तर दिया, "मै आपकी वातपर यकीन नही कर सकता।" तव श्री यंगने कहा, "मुझे आदेश हुआ है। आपको मेरे साथ आना ही होगा।" सेठजीने आदेश दिखानेके लिए कहा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश श्री यगके पास नही था। अन्तमे श्री यगने सेठजीसे फिर कहा कि उन्हे जयपुर ले जाया जायेगा। "यदि हम आपको वहाँ नही ले जाते तो आप अखबारोमें यह छपवा सकते है कि जयपुर ले जानेकी प्रतिज्ञा करके हम आपको दूसरी जगह ले गये।" सेठजी उनकी किसी भी वातका विश्वास करनेको तैयार नही थे। उन्होने कहा, "मै अपनी मर्जीसे आपके साथ नही जाऊँगा। यदि आप चाहे तो जवरदस्ती मुझे ले जाये।"

इस वातचीतमें लगभग एक घण्टा लग गया। अन्तमे पाँच जनोने सेठजीको जवरदस्ती कारमे डाला और उन्हे ले गये। इस तरह ताकत इस्तेमाल किये जानेमे सेठजीको आँखके नीचे वाये गाल पर चोट आई। उन्हे अलवर रियासतमे ले जाया गया। यहाँ सेठजीने कहा कि "आप इस तरहकी हरकत नही कर सकते। आप मुझे किसी दूसरी रियासतमे नही छोड सकते। यदि आप ऐसा करेगे तो मै आपके खिलाफ मुकदमा चला ऊँगा।" इसपर श्री यग सेठजी को फिर जयपुर रियासतमे ले आये परन्तु उनके वर्तमान ठौर-ठिकानेका हमें कोई पता नही है।

मै यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यह व्यवहार वर्वरतापूर्ण है। शरीरकी पवित्रता, कानूनी प्रक्रिया और स्वतन्त्रताको ताकपर रख दिया गया है। एक अग्रेज पुलिस महाधीक्षक इस तरह धोखेवाजी करे, और अपने कैदीको शारीरिक चोट पहुँचाए — इसी वातको मै सगठित गुण्डागर्दी कहता हूँ। परन्तु मुझे मालूम है कि जमनालालजी का आत्मवल कभी नही टूटेगा। वह जयपुर रियासतमे दाखिल अवश्य होगे—चाहे स्वतन्त्र नागरिकके रूपमे दाखिल हो या कैदीके रूपमे।

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-२-१९३९

४४८. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

वर्धागंज
९ फरवरी, १९३९

घनश्यामदास बिड़ला
लकी
कलकत्ता

मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा यही होगा कि जमनालालजीके मनको जो ठीक लगे, उन्हें करने दिया जाये। नोटिस भेजना मैं अच्छा नहीं समझता। यदि अनिवार्य हो तो हम उन्हें कष्ट उठाने दें।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८०४) से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

४४९. तार: जवाहरलाल नेहरूको

वर्धागंज
९ फरवरी, १९३९

जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन
इलाहाबाद

सारी बातोंको देखते हुए मैं समझता हूँ कि बुद्धिमत्ता इसीमें होगी कि लुधियाना सम्मेलन कांग्रेस [का अधिवेशन] होने तक स्थगित रखा जाये। मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता विभिन्न रियासतोंमें चल रहे संघर्षमें लगे हुए हैं।

बापू

अंग्रेजीसे: गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४५०. पत्र : ना० र० मलकानीको

सेगाँव, वर्धा
९ फरवरी, १९३९

प्रिय मलकानी,

मैंने तुम्हारा पत्र समझ लिया।[1] मै इससे सन्तुष्ट हूँ। किशोरलालके लौटते ही मै तुम्हे २०० रु० भेज दूँगा। तुम ३०० रु०के चेकसे काम चालू रखो।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३२) से।

४५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
९ फरवरी, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो विश्लेषण किया है उसे मै समझता हूँ। सुभाषने तार दिया है कि वह वर्धा आना चाहते हैं। देखे क्या होता है। बेशक मैं जल्दबाजीमे कोई निर्णय नही करूँगा। मुझे खुशी है कि सरूप[2] जल्दी आ रही है। मुझे आशा है, सेगाँवका शान्त वातावरण उसके लिए अनुकूल रहेगा।

सप्रेम,

वापू

अग्रेजीसे. गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३९; सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१. देखिए "पत्र : ना० र० मलकानीको", पृ० ३४३-४ और ३४९-५० भी।

२. विजयलक्ष्मी पडित।

४५२. पत्र : हरेकृष्ण मेहताबको

सेगाँव, वर्धा
९ फरवरी, १९३९

प्रिय मेहताब,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम इसी १६ तारीखको आ सकते हो।[1]

तुम्हारा,
बापू

मूल अंग्रेजीसे: एच० के० मेहताव पेपर्स; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४५३. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव, वर्धा
९ फरवरी, १९३९

चि० ववुड़ी,

विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए वह भोगके लिए नही, बल्कि संयमके लिए है। हमारे यहाँ चार आश्रम हैं, उनमें से गृहस्थाश्रम दूसरा है। गृहस्थ-जीवनमे वैभवके लिए स्थान नही है, लेकिन सेवाके लिए बहुत स्थान है, और सेवा तथा सन्तति-जनन साथ-साथ नही चल सकते। फिर भी दाम्पत्य जीवनमें सन्तानके लिए स्थान तो है ही। लेकिन सन्तानोत्पत्तिकी जव उत्कट इच्छा हो, तभी पति-पत्नी संयोग कर सकते है। यह सयोग विचारपूर्वक किया जाना चाहिए, आकस्मिक उत्तेजनाके वशीभूत होकर नही। इस धर्मको स्वीकार कर लिया जाये, तो पति-पत्नी एक बिछौने पर नही सोयेंगे। अनेक प्रकारके हाव-भाव नही करेंगे। ऐसी कोई बात नही करेंगे, जिससे संयोग करनेकी ओर मन दौड़े। इस जमानेमें यह धर्म कठिन है, किन्तु इसका पालन करनेकी शक्ति भगवान तुम दोनोको दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००४) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

१. हरेकृष्ण मेहताब उड़ीसाकी देशी रियासतोंके मामले पर चर्चा करनेके लिए गांधीजीसे मिलना चाहते थे।

४५४. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
९ फरवरी, १९३९

बा,

तेरा पत्र मिला। तू वीमार रहती है, यह मुझे अच्छा नही लगता। लेकिन अब तो हिम्मतसे काम लेना। सुविधाएँ तो मिल ही जायेगी, और न भी मिले तो क्या? मणि ठीक गा न सकती हो, तो भी तुझे 'रामायण' सुनाये। राम और सीताके दु खके आगे हमारा दु ख किस गिनतीमे है? तू चिन्तित मत होना। फिलहाल तो मैंने लडकियोसे सेवा कराना छोड दिया है। तू चिन्ता मत करना। देखूंगा क्या करना चाहिए। सुशीला तो मेरी सेवा करती ही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
वापुना बाने पत्रो, पृ० ३१-२

४५५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

वर्धा
९ फरवरी, १९३९

हालमें राजकोट और जयपुर पर मैंने जो कई लेख लिखे है, उनके सम्वन्धमे आलोचकोने मुझे मिथ्याचार और हिंसा का दोषी ठहराया है। ऐसे आलोचकोको जवाव देना मेरा फर्ज है। इस किस्मके आरोप पहले भी, या वास्तवमे जवसे मैंने सार्वजनिक जीवनमे प्रवेश किया है तभीसे, मुझपर लगाये गये है। मगर मै यह सहर्ष कह सकता हूँ कि वादमे मेरे अधिकतर आलोचको को यह कवूल करना पडा कि मै असत्यपूर्ण और उत्तेजना फैलानेवाली भाषा इस्तेमाल करनेका दोषी नही था, और मेरे वक्तव्योका आधार उनमे मेरा विश्वास होता था, तथा द्वेषकी भावना उनमे कभी नही होती थी।

१. यह वक्तव्य **बॉम्बे क्रॉनिकल** और **हिन्दू** में १० फरवरीको तथा १८ फरवरीके "नॉट गिल्टी" शीर्षकके अन्तर्गत **हरिजन** में भी छपा था।

आज भी ठीक वही बात है। मैं अपनी जिम्मेदारी भली-भाँति समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अनेक देशवासी मेरे वक्तव्योंमें असन्दिग्ध श्रद्धा रखते हैं। मेरे वक्तव्योंके समर्थनमें मुझसे प्रमाण माँगे गये हैं। मैंने प्रमाण पेश भी कर दिये हैं।

सरदार पटेलने राजकोटके बारेमें जो वक्तव्य[1] दिया है, उसमें रेजिडेंटके उन शब्दोंको भी उन्होंने उद्धृत कर दिया है, जो उसने कांग्रेस और उनके बारेमें कहे थे। रेजिडेंट, ठाकुर साहब और उनके सलाहकारोंके बीच, जिनमें सर पैट्रिक कैडेल भी थे, जो बातचीत हुई थी, उसका विवरण मेरे पास है। वह इतना लम्बा है कि प्रकाशित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जरूरत समझी गई तो उसे मौका आनेपर प्रकाशित कर दिया जायेगा।

संगठित गुण्डाशाहीके सम्बन्धमें तथ्य प्रकाशित कर दिये गये हैं।[2] मैं मानता हूँ कि उनमें रेजिडेंटका हाथ है, क्योंकि उसीने रियासतमें एजेंसीकी पुलिसको भेजा है। अतः उसके एजेन्टोंकी कारगुजारियोंकी जिम्मेदारी उसपर होनी ही चाहिए।

इसी तरह, जयपुरमें जो-कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी जयपुरके ब्रिटिश प्रधानमन्त्री पर है। सेठ जमनालाल बजाज जब भी अपनी जन्मभूमिमें प्रवेश करनेके अपने अधिकारका प्रयोग करते हैं, तभी उन्हें फुटबालकी तरह ठोकर मारकर जयपुरसे बाहर निकाल दिया जाता है। यह निश्चय ही निहायत अनुचित कार्रवाई है।

अगर मैं बुरे कामको बुरा बताऊँ तो मुझे हिंसक भाषा प्रयोग करनेका दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हिंसाका दोषी तो मैं तब होऊँगा, जब मैं काठियावाडके रेजिडेंट या जयपुरके प्रधानमन्त्रीके खिलाफ अपने मनमें कोई द्वेषभावना रखूँ। मैं नहीं जानता, लेकिन सम्भव है, कि वे बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हों, पर उनका आदरणीय होना राजकोट या जयपुरकी प्रजाके लिए किस कामका? सत्य और अहिंसाका पुजारी होनेके नाते, मेरा काम तो यह है कि मैं अन्यायकर्ताओंके प्रति द्वेष रखे बिना बगैर किसी भयके जो नग्न सत्य हो, उसे जाहिर कर दूँ। मेरी अहिंसाको कटु सत्यपर मुलम्मा चढ़ानेकी जरूरत नहीं। इसलिए मुझपर यह इल्जाम नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं गोरोंसे द्वेष करता हूँ।

नग्न सत्यको छिपाकर या उसपर मुलम्मा चढ़ाकर मैं लोगोंको हिंसाके पथसे हटानेमें सफल नहीं हो सकता। हाँ, यह कहकर या इससे भी अधिक खुद अपने आचरणके द्वारा यह दिखाकर कि घोर-से-घोर अन्याय करनेवालोंका भी भला चाहना न केवल उचित है, बल्कि लाभकारी भी है,- मैं प्रजाको हिंसा-पथसे हटानेकी जरूर आशा करता हूँ।

नरेशोंकी रक्षा करना सर्वोच्च सत्ताका फर्ज है, मगर उनके अधीन रहनेवाली प्रजाकी रक्षा करना भी निश्चय ही उसका उतना ही आवश्यक फर्ज है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च सत्ताका यह भी फर्ज है कि वह उस समय नरेशोंकी सहायता करना

१. देखिए परिशिष्ट १।

२. देखिए पृ० ४०५।

छोड़ दे जब यह साबित हो जाये कि अमुक राजाने अपनी प्रजाके साथ विश्वासघात किया है, जैसाकि राजकोटमे हुआ है, या जब यह साबित हो जाये कि अमुक राजा अपनी प्रजाको साधारण नागरिक-अधिकार देनेके लिए भी तैयार नही है और उसके एक नागरिकको इधर-से-उधर भटकाया जा रहा है, और अदालतमे भी उसे पैर नही रखने दिया जाता, जैसाकि जयपुरमे हो रहा है।

हिन्दुस्तानमे रियासतोकी घटनाओपर मैं जितना ही अधिक विचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर सर्वोच्च सत्ता इन दुखद घटनाओको असहाय दृष्टिसे देखती रही, तो इस अभागे देशका भविष्य अन्धकारमय ही समझना चाहिए। कारण, राजकोट और जयपुरकी घटनाओसे हमे पता चल सकता है कि दूसरे राज्योमे भी क्या-क्या होनेवाला है। महाराजा बीकानेरने नरेशोको सलाह तो यह ठीक ही दी है कि उन्हे मिलकर काम करना चाहिए,[1] पर नेतृत्व उन्होने गलत दिशामे दिया।

लताडने और प्यार करनेकी नीतिसे नरेशोको कुछ हासिल नही होगा। इससे तो कटुता और सघर्ष ही पैदा हुआ है। सम्भव है रियासतोकी प्रजा, नरेशोकी तरह, मिलकर काम न कर सके, पर नरेश लोग अन्य रियासतोकी प्रजा या ब्रिटिश भारतके लोगोके साथ विदेशियोका-सा व्यवहार नही कर सकेगे। आज तमाम नरेश मिल भी जाये, तब भी प्रजामे इतनी जागृति पैदा हो चुकी है कि उनके द्वारा किये जानेवाले सयुक्त दबावका भी वह डटकर मुकाबला कर लेगी।

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १०-२-१९३९

४५६. तार : जमनालाल बजाजको

[९ फरवरी, १९३९ या उसके पश्चात्][2]

जमनालालजी
सैनिक, आगरा

आपका तार मिला। मेरे बयानमे निश्चित संशोधन करके भेजिए। तब सशोधित रूप प्रकाशित करायेगे। मेरा स्पष्ट मत है कि आपको एक छोटे-से दलके साथ बिना सूचना दिये अगर सम्भव हो तो पैदल सरहद पार करनी चाहिए। जानकीदेवीको वर्धा नही छोडना चाहिए। वह शरीरसे कमजोर है और कमलाका प्रसूति-काल निकट है, इसलिए उनका वर्धा छोडना खतरनाक है। अगर वह

१. देखिए "लताड़ और प्यार", पृ० ३९०-४।
२. यह तार जमनालाल बजाजके ९ फरवरी, १९३९ के तारके उत्तरमें भेजा गया था। देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १२-२-१९३९।

गई तो संघर्षमें जरूर भाग लेगी और [उसके] समाप्त होनेके पहले कभी वापस न लौट सकेंगी। मेरा पक्का मत है कि अभी उनके लिए ऐसा करनेका समय नहीं आया है। वह यदि स्वस्थ होती और वर्धा स्वतन्त्रतासे छोड सकती तो भी मैं उनके वर्धा छोडनेको प्रोत्साहन न देता बल्कि उन्हें भविष्यके लिए रोककर रखता जबकि संघर्ष पूरे जोरपर होता।

[अंग्रेजीसे]
पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१४

४५७. पत्र : एफ० मेरी बारको

सेगाँव
११ फरवरी, १९३९

चि० मेरी,

तुम हमेशा दूसरोंका ध्यान रखती हो। लेकिन यदि तुम आ जाती तो तुम्हारे आनेसे मुझे कोई परेशानी न होती। हाँ, यदि मैं कांग्रेसकी बैठकमें भाग लेनेके लिए गया तो तुम वहाँ मेरे साथ ही ठहरोगी।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३५) से। सी० डब्ल्यू० ३४०५ से भी; सौजन्य : एफ० मेरी बार।

४५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सेगाँव, वर्धा
११ फरवरी, १९३९

तुम्हारा तार मिला और पत्र भी। सम्मेलन और कार्य-समितिके बारेमें तुम्हारी जो स्थिति है, वह मैं समझता हूँ। किसी ध्येयके लिए काम करनेवाले लोगोंका विचार किये बिना मैं उस ध्येयके बारेमें नहीं सोच सकता। मुल्तवी करनेकी बात, मैंने बलवन्तराय मेहतासे जो-कुछ सुना था, उसके आधारपर लिखी थी। वे काठियावाड़के संघर्षमें फँसे हैं। अचिन्तराम उनके बिना कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें तार दिया। लुधियानाकी स्थितिकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

सरूपके लिए अफसोस है। मैं तो यह आशा कर रहा था कि वह कुछ दिन मेरे साथ बितायेगी।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीसे गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३९, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४५९. पत्र : एल० एम० पाटिलको

सेगाँव, वर्धा
११ फरवरी, १९३९

प्रिय पाटिल,

तुम्हारा पत्र मिला। किसी कम्पनीके डाइरेक्टर भारतीय हैं और कम्पनीके प्रबन्धमें उनकी चलती है, और वह कम्पनी भी पूरी तरह भारतके हितमें है, तो उस कम्पनीको मैं स्वदेशी कहूँगा, भले ही उसकी सारी पूंजी विदेशी ही क्यों न हो। मसलन, यदि एक हाथ-कताई कम्पनीका पूरा नियन्त्रण मेरे हाथमें हो, लेकिन मैं अपने अधीन कुशल गोरे कर्मचारी रखूं और ब्याज या बिना ब्याजकी यूरोपीय पूंजी भी उसमें लगाऊँ तो मेरा दावा होगा कि वह कम्पनी पूरी तरह स्वदेशी है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल।

४६०. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेगाँव, वर्धा
११ फरवरी, १९३९

प्रिय सी० आर०,

मैं चाहूँगा कि विरोधी आलोचनाके बावजूद रोजगारके बारेमें आप जो-कुछ कर रहे हैं, करते रहें। हमें किसीकी नकल करनेकी जरूरत नहीं है।

हिन्दी-विरोधी प्रचारके पीछे यह महिला कौन है?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७३) से।

४६१. पत्र : कान्तिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा
११ फरवरी, १९३९

चि० कान्ति,

कहा जा सकता है कि मैं सही अर्थमें बीमार हूँ। प्रभा तुझे लिखेगी। सरस्वती के पत्र अगर मैं रामचन्द्रनको नहीं दिखा सकता, तब तो उसे यहाँ बुलाना मुश्किल होगा। जो अपना दुःख छिपाता है, उसे कैसे बचाया जा सकता है? मैंने यों तो सरस्वतीको भेजनेके लिए रामचन्द्रनको लिखा है। लेकिन यह बात और है, तथा उसे गाली-गलौज, मार-पीटसे बचानेके लिए बुलाना और है। इसलिए तुझे मुझे पूरी छूट देनी चाहिए। जो हो, तू अपने मनकी शान्ति मत खो देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७३५८) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

४६२. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
११ फरवरी, १९३९

बा,

तेरे स्थानान्तरणकी बात अखबारमें पढ़ी। जहाँ भी रखें, निश्चिन्त होकर रहना। चिन्ता मत करना। भगवान तो, तू जहाँ होगी, वहाँ तेरे साथ है ही। डॉक्टर मेरी परीक्षा करने आये हैं। आराम करनेको कहते हैं। कर तो रहा हूँ। यहाँसे तुझे पत्र रोज भेजे गये हैं।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३२

४६३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
११ फरवरी, १९३९

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारे भेजे हुए कागजात मुझे मिल गये।

मणिको बा से अलग रखनेकी बातपर विश्वास नही होता।

२२ तारीखको कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक यहाँ हो तो बारडोलीका क्या होगा? जमनालाल लिखते हैं कि २२ तारीखको बैठक यहाँ है। तुम अभी यही रहो तो कैसा रहे?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

नायका पत्र पहुँचा देना।

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३३

४६४. पत्र : कृष्णचन्द्रको

११ फरवरी, १९३९

चि० कृष्णचंद्र,

जबतक समभाव पैदा नही हुआ है तब तक मैंने कहा है वही मर्यादा उचित है। इसका यह अर्थ हरगीज़ नही है कि उसकी आवश्यक सेवा भी नही हो सकती है या कारणवशात बोला भी नही जा सकता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ४३११) से। एस० जी० ७४ से भी।

४६५. हैदराबाद

हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं। चूँकि वे मेरी सलाहपर चल रहे हैं, इसलिए उनमें से कुछ मेरे पास आये और कहने लगे: "आपके और दूसरे नेताओंके कहनेपर हमने सत्याग्रह स्थगित किया है। आपने यह आशा बँधाई थी कि हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे, तो बहुत मुमकिन है कि कैदियोंको रिहा कर दिया जायेगा और राज्य-कांग्रेसको मान्यता दे दी जायेगी। लेकिन दोमें से कोई भी बात नहीं हुई। जबकि हमारे साथी रियासतकी जेलोंमें पड़े मुसीबतें उठा रहे हैं, हम कब तक चुपचाप बाहर बैठे रहें? आपकी रायमें हमें क्या करना चाहिए?"

चूँकि इन मित्रोंको अपने बहुत-से साथियोंको जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैंने इन्हें जो जवाब दिया, उसका सार यहाँ दे देना ठीक होगा। मैंने कहा:

आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। लेकिन सत्याग्रह कोई मामूली चीज नहीं है। वह तो जीवनका एक तरीका है। उसके लिए अनुशासनकी जरूरत है। वह अपार धीरज और ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट सहनेकी क्षमता माँगता है। सविनय अवज्ञा तो सत्याग्रहका महज एक अंग है, जिसे स्थगित करना ही होगा, फिर चाहे साथियोंकी गिरफ्तारी, जेल-जीवनकी कठिनाइयाँ और इससे भी बदतर कष्ट क्यों न उठाने पड़ें। और यह सब उन्हें शालीनताके साथ, प्रसन्नतापूर्वक और जिनके कारण उन्हें कष्ट सहने पड़े, उनके प्रति कोई दुर्भाव रखे बिना बर्दाश्त करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि जेल चले जानेवालोंकी बनिस्बत जेलके बाहर रहनेवाले सच्चे सत्याग्रहीको ज्यादा मानसिक कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। कारण, जेल जानेवाले तो फिलहाल अपना काम पूरा कर चुकते हैं और उनकी फिक्र खत्म हो जाती है। उनका तात्कालिक उद्देश्य तो बस इतनेसे पूरा हो जाता है कि वे आदर्श कैदीकी तरह रहें और जो भी तकलीफें उठानी पड़ें उन्हें प्रसन्नताके साथ बर्दाश्त करें। इसके विरुद्ध बाहर रहनेवालोंको लड़ाईकी व्यवस्थाका बोझ उठाना पड़ता है, रोज-रोजकी योजनाएँ बनानी पड़ती हैं और ऊपरसे जो आदेश आयें, उनका पालन करना पड़ता है।

मुझे तो आपसे यही कहना है कि अपने आन्दोलनको अभी आप स्थगित ही रखें। इसकी वजह बिलकुल साफ और निश्चित है, क्योंकि दो और संस्थाएँ भी सत्याग्रह कर रही हैं, जिनके उद्देश्य चाहे कितने ही अच्छे हों फिर भी आपसे बिलकुल भिन्न हैं। आर्यसमाजका सत्याग्रह बिलकुल धार्मिक कोटिका है, क्योंकि वह सत्याग्रह अपने धर्मकी रक्षाके लिए किया जा रहा है। हिन्दू महासभा भी, मेरा खयाल है, आर्यसमाजका समर्थन कर रही है। इसलिए इस आन्दोलनने साम्प्रदायिक रूप अख्तियार कर लिया है। आप यदि सत्याग्रहको फिरसे शुरू करें तो आपके लिए

अपने राष्ट्रवादी रूपको बनाये रखना बड़ा मुश्किल होगा। आपको अनावश्यक सन्देहका शिकार बनना पड़ेगा, और फिर आपके तरीके भी शायद दूसरोंके जैसे न हो। ऐसी हालतमें अपने उद्देश्यपर आगे बढे बगैर उल्टे आप एक अटपटी हालत पैदा कर देगे।

परिस्थितिको सावधानीसे सँभालनेकी जरूरत है। मेरा विश्वास है कि आपके आत्मसयमसे आपके प्रति जो सन्देह है वह काफी हदतक मिट जायेगा और उस हद तक आप अपने ध्येयकी ओर निश्चित रूपसे आगे बढेगे। इस बीच मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मित्रोंके द्वारा जो-कुछ हो सकता है, वह किया जा रहा है और बराबर किया जाता रहेगा। मेरी दलीले सुननेके बाद, आपको जो ठीक लगें वह करे। मेरी सलाह अगर आपके दिल और दिमागको अच्छी न लगती हो तो आप उसे अवश्य अस्वीकार कर दें। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करें तो याद रखिए कि प्रत्येक सदस्यसे, जैसाकि मैंने आपको बताया है, पूरी तरह रचनात्मक कार्यक्रममे लगनेकी आशा की जायेगी।

सेगाँव, १२ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १८-२-१९३९

४६६. पत्र: लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा, म० प्र०
१२ फरवरी, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

बारडोलीसे पुनर्प्रेषित किया गया इसी माहकी ५ तारीखका आपका पत्र मुझे मिल गया है।

आपने अपनी स्थिति विस्तारपूर्वक साफ-साफ और ईमानदारीके साथ स्पष्ट करनेका जो कष्ट किया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बड़े सोच-विचारके बाद मुझे लगा कि आपने जो लेख वापस भेजा है उसे प्रकाशित कर देना मेरा कर्तव्य है। श्री चुडगर सर बीकम सेट जॉन के बारेमे जान-बूझकर या अनजानमे गलतबयानीके दोषी हो,[1] तब भी सत्यका निश्चय तो पत्र-व्यवहारको प्रकाशित कर देनेसे ही हो सकता है। चूंकि श्री चुडगरकी रिपोर्टके सही होनेका मुझे यकीन है इसीलिए मैंने सोचा कि उसको जनताके सामने प्रकट न करना गलत होगा। इस प्रसगमे मैं यह भी कह दूं कि मैंने जयपुरके दीवानसे कहा था कि यदि वे श्री चुडगरके विवरणको अस्वीकार करते है तो वे अपना विवरण दे, परन्तु उन्होंने वैसा नही किया।[2] लेकिन जयपुर, राजकोट और उडीसामें जो दु:खद घटनाएँ घट रही है, उनको

१. देखिए "जयपुर", पृ० ३८६-९।
२. देखिए पृ० ३४९ और ३७०।

देखते हुए अब इस सवालका कोई महत्त्व नही रह गया है कि इस पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करना बुद्धिमानी होगी अथवा नही।

यद्यपि आपने अपने पत्रमे इसके गलत होनेकी सम्भावना व्यक्त की है, तो भी इन स्थानोंपर जो-कुछ हो रहा है उससे मेरा वह विश्वास दृढ़ हुआ है जो मैंने आपको लिखे अपने गत मासकी २६ तारीखके पत्रमें अभिव्यक्त किया है।

यदि आप समझते है कि आपसे मिलनेपर आप मेरे मनकी इस अशान्तिको दूर कर सकेगे और दिखा सकेगे कि मेरा विश्वास गलत है तो मै खुशीसे दिल्ली दौड़ा आऊँगा। हालाँकि मेरे डॉक्टर मित्रोने मुझे हिदायत दी है कि अपने शरीरको बिलकुल जवाब देनेसे बचानेके लिए मुझे कुछ समयतक पूर्ण विश्राम करना चाहिए। किन्तु यदि मुझे मेरी गलती बताई जा सके या मै आपको विश्वास दिला सकूँ कि आपकी ओरसे कार्रवाईमें देरी करना खतरनाक हो सकता है तो मै सहर्ष अपना स्वास्थ्य संकटमें डालनेके लिए तैयार हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० १०३८८) से; सौजन्य: प्यारेलाल।

४६७. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
१२ फरवरी, १९३९

बा,

तेरा पत्र मिला। तुझे सारे समाचार तो दिये ही जाते है। चिन्ता बिलकुल मत करना। एनीमा तुझे मिल गया है, यह मालूम हुआ। दवा यहाँसे कौन-सी भेजी जाये? अब तो वहाँ डॉक्टर आता है। कोई जरूरत मालूम पड़े, तो उसकी दवा ले लेना। यहाँसे पत्र तो तुझे रोज लिखा ही जायेगा। खूब हिम्मतसे काम लेना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३२

४६८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१२ फरवरी, १९३९

भाई वल्लभभाई,

चुडगर मेरे लिए जो लेख लिखनेवाले थे उसका क्या हुआ? वह मुझे जल्दी चाहिए। वाइसरायका लम्बा पत्र आया है। उसका मैंने जो जवाब[1] दिया है, उसकी नकल मैं तुम्हारे पास भेजूंगा।

साथकी अधिसूचनामें उल्लिखित 'प्रिसेज प्रोटेक्शन ऐक्ट'की एक प्रति मुझे भेज देना।

मणिको पहले ले क्यो गये और फिर बा के पास वापस क्यों ले आये, यह बात कुछ समझमे नही आई। डॉक्टर कौन है? नर्स कौन है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३४

४६९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

वर्धा
१२ फरवरी, १९३९

सेठ जमनालालने जयपुर रियासतसे उनके द्वारा निकाल दिये जानेपर समाचारपत्रोको दिये गये मेरे वक्तव्यको पढकर मुझे निम्नलिखित तार भेजा है:

> इसी माहकी ९ तारीखको मैंने देखा कि श्री यंगके बारेमें मैंने जो विवरण दिया है, उसके बारेमें आपका वक्तव्य टेलीफोन द्वारा भेजे गये सन्देशमें कुछ गड़बड़ होनेके कारण गलत हो गया है। सही विवरण ८ और ९ तारीखके 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में निकला था।[3] आशा है कि आप आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

१. देखिए पृ० ४५१-२।

२. यह वक्तव्य १८-२-१९३९ के हरिजन में "माई अपॉलॉजी" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था; यही वक्तव्य १३-२-१९३९ के बॉम्बे क्रॉनिकल में तथा दूसरे समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था।

३. यह दामोदरदास द्वारा दिये वक्तव्यके रूपमें ट्रिब्यून, ८-२-१९३९ में भी प्रकाशित हुआ था और उससे यह स्पष्ट होता था कि यंगने जमनालाल बजाजको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि उन्हें जयपुर राज्यके बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

तब तक मैने सेठजी द्वारा उल्लिखित 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित विवरण नही देखा था। अब मैने इन दोनो तारीखोके अक देखे है और मै पाता हूँ कि मैने समाचारपत्रोको दिये गये अपने वक्तव्यमे श्री यगके प्रति अन्याय किया है। मैने उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होने सेठजीसे धोखा किया है। मैने यह आरोप टेलीफोन द्वारा प्राप्त उस सन्देशके आधारपर लगाया था जो वर्धामे उनके पुत्रको मिला था। अपने वक्तव्यमे मैने इस सन्देशका अक्षरश: अनुवाद दिया था। सेठजीके पुत्रको टेलीफोन द्वारा प्राप्त सन्देशके वारेमे रत्तीभर भी सन्देह नही था। परन्तु अनजान ही मे मुझसे जो गलती हो गई उसकी सफाई न तो यह कहकर दी जा सकती है कि उन्होने सन्देशका विलकुल सही विवरण दिया था और न ही यह कहकर दी जा सकती है कि मैने तो सन्देशका हूबहू अनुवाद किया था। इसलिए मै श्री यंगसे बिना शर्त क्षमा-याचना करता हूँ और आगेसे मै टेलीफोनके सन्देशोंका उपयोग करनेमे बहुत अधिक सावधानी बरतूँगा।

अब मुझे पता चला है कि न केवल श्री यंगने कोई धोखेबाजी नही की, वल्कि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उच्च अधिकारियोके आदेशका पालन करते हुए वे एक दु:खद कर्तव्य निभा रहे थे। और उस कर्तव्यका पालन करते हुए उन्होंने उन परिस्थितियोमे यथासम्भव सावधानी और सौजन्यसे काम लिया।

इस भूल-सुधारके बाद मै यह कहूँगा कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्टसे, जिसका सेठजीने समर्थन किया है, पता चलता है कि उनके प्रति किया गया दुर्व्यवहार टेलीफोनके सन्देशमे जो-कुछ कहा गया था, उससे भी वदतर था। राजपूतानेकी सर्दीमें रातकी वह सारी यात्रा अनावश्यक यन्त्रणा थी। जयपुरमे शान्ति बनाये रखनेके लिए उनका वाहर निकाला जाना यदि आवश्यक था, तो भी रातकी यात्रा और ताकतका इस्तेमाल टाला जा सकता था।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-२-१९३९

४७०. अखबारोंमें असत्य

देशी रियासतके एक अधिकारी लिखते है:

> **कांग्रेसकी सामान्य गतिविधियोंके बारेमें और विशेषकर वह रियासतोंमें जो-कुछ कर रही है, उसके बारेमें 'हरिजन' में लिखे आपके कई लेख मैंने पढ़े। इनमें से एक लेख[1] कांग्रेसियोंमें फैले भ्रष्टाचार और कम-से-कम भावार्थकी दृष्टिसे उन अवांछनीय प्रवृत्तियोंके बारेमें है जो उस भावनाके विपरीत है जिसे आपने कांग्रेस-कार्यकर्ताओंमें सामूहिक स्तरपर भरनेकी कोशिश की है।**
>
> **उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि इस बातकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँ कि कुछ अखबार ऐसे है जो सत्यकी हत्या करके आपके दिलमें जो**

१. देखिए पृ० ३५५-७।

उद्देश्य है, उसको चोट पहुँचा रहे हैं। गाली-गलौजपर ही ये जिन्दा रहते हैं और जो निरा झूठ उनमें प्रकाशित होता है, उसके लिए वे तथाकथित 'कांग्रेस कार्यकर्ताओंपर' ही निर्भर करते हैं।

जहाँ तक रियासतोंकी टीकाका सवाल है, असंदिग्ध प्रमाणोंपर आधार रखनेवाली वाजिब आलोचना अच्छी हो सकती है और वह सहायक भी होगी। बहरहाल इस बातको आप मानेंगे कि केवल सचाई ही प्रकाशित होनी चाहिए।

लेकिन, दरअसल, हो क्या रहा है कि कुछ लोग, जो ऐसा मानते हैं कि उनके साथ उस रियासतने जिसमें वे किसी समय रहते थे, सद्-व्यवहार नहीं किया, उस रियासतमें जाते हैं और जब उनकी आपत्तिजनक प्रवृत्तियोंके कारण वहाँकी सरकार उन्हें रियासतसे बाहर जानेके लिए बाध्य करती है तो उससे बदला लेनेकी कोशिश करते हैं और इसके लिए कांग्रेसमें शामिल होकर वे समझते हैं कि अब उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। जिन अखबारोंमें वे रियासतोंके खिलाफ लिखते हैं वे अखबार इन निन्दात्मक लेखोंपर पनपते हैं और स्वयं इन लोगोंको अपने अन्दर इकट्ठा हुआ जहर उगलनेका एक वांछित साधन मिल जाता है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह होता है कि देशी भाषाओंके ये पत्र अज्ञानी जनताको भड़कानेमें कितने ही कामयाब क्यों न हो जायें मगर जिम्मेदार लोगोंपर इनकी निन्दाओंका कोई असर नहीं पड़ता।

यह दुःखका विषय है कि कुछ ऐसी बातें जिन्हें रियासतोंके शासनमें अपने कर्तव्योंके प्रति जागरूकता पैदा करनेकी शुद्ध भावनासे प्रकाशमें लाया जा सकता है, वे जानकारीके अभावमें कभी प्रकाशित ही नहीं होतीं। जो-कुछ प्रकाशित होता है वह या तो व्यर्थकी बातोंको खूब बढ़ा-चढ़ाकर लिखा हुआ होता है, या जैसाकि अकसर होता है, निरी कल्पनासे काम लेकर बिलकुल झूठी बातें लिखी जाती हैं।

आपकी मौजूदा नीति यह मालूम पड़ती है कि जहाँ लोगोंमें अपनी व्यवस्था स्वयं करनेकी इच्छा हो वहाँ उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उनकी मदद करना कांग्रेसका फर्ज है। मैं यह सोचनेकी हिम्मत करता हूँ कि हिन्दुस्तान-भरमें उत्तरदायी शासनके आदर्शकी प्राप्तिके लिए लोगोंके सन्तोषको असन्तोषमें बदल देनेकी आपकी नीति नहीं है।

विशेषतः मेरे खयालमें आपकी नीति सत्यके प्रचार और प्रसार तथा असत्यके विरुद्ध सतत युद्धकी है। इसी विश्वासके आधारपर, मैं आपको यह सुझानेकी हिम्मत करता हूँ कि आप अगर 'हरिजन' में एक-दो लेख कांग्रेस-कार्यकर्ताओंके ऊपर ही निर्भर रहनेवाले अखबारों और उन कार्यकर्ताओंकी जिम्मेदारीके बारेमें लिखेंगे, तो उससे कांग्रेस-आन्दोलनको कुछ विनाशक

कीटाणुओसे मुक्त कर सकेंगे तथा इस प्रकार उसे दलित-पीड़ित जनताके उद्धार तथा देशके सर्वोच्च ध्येयकी सेवा, इन दोनों कामोंके लिए अधिक प्रभावशाली भी बना सकेंगे।

पत्र-लेखककी इस बातसे सहमत होनेमें तो मुझे कोई कठिनाई नही है कि जो अखबार झूठी या अतिरजित बाते लिखते है, वे जिस उद्देश्यके समर्थनका दावा करते है, उसको नुकसान ही पहुँचाते है। यह भी मै मानता हूँ कि कितने ही अखबारोमे इतना असत्य मिलता है कि इस सम्बन्धमे कुछ करना जरूरी मालूम होता है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जो अखबार ऐसी नीतिसे ही अपना गुजारा करते हैं उनकी कितनी ही सार्वजनिक टीका क्यो न की जाये, उनकी नीतिपर कोई असर नही पड़ेगा।

मगर पत्र-लेखकको तथा रियासतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले इन जैसे दूसरे लोगोको मैं बतलाना चाहता हूँ कि अपनेको सुरक्षित समझनेके भ्रममे पडकर अगर राज्याधिकारी असत्यका निराकरण या वस्तुस्थितिका स्पष्टीकरण करना मुनासिब न समझेंगे, तो झूठी बातोपर विश्वास करनेके लिए जनताको हरगिज दोष नही दिया जा सकता। फिर कभी-कभी जब वे सफाई देनेका कष्ट करते है, तो उनकी सफाई अखबारोके झूठसे भी ज्यादा झूठी होती है। इस सम्बन्धमे तालचेरका उदाहरण ताजा है। वहाँसे भागे हुए शरणार्थियोंका जो अत्यन्त प्रभावोत्पादक चित्र 'स्टेट्समैन' में निकला था उस तकको वहाँके शासकने झूठा बतलाया। इस बातपर 'स्टेट्समैन' के सम्पादकने उनकी जो भर्त्सना की वह ठीक ही है। मेरे पास ठक्कर बापाका भेजा हुआ तालचेरका एक बुलेटिन है, जिसपर मुझे हँसी आती है और रोना भी। उसमे दी हुई बातोसे इनकार करना शर्मनाक झूठ है। मेवाड़के बारेमे इस अकमे मै एक हैरतमे डालनेवाली खबर[1] प्रकाशित कर रहा हूँ।

मै चाहूँगा कि या तो इस खबरका प्रामाणिक रूपसे प्रतिवाद किया जाये, या अगर पुलिसने उसे दी गई हिदायतोकी परवाह न कर मनमानी की हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। लेकिन अखबारोके झूठको किसी प्रकार दरगुजर करनेके लिए मै यह नही लिख रहा हूँ। मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि यदि अखबार अपने प्रत्येक शब्दको अच्छी तरह तोलकर ही छापे तो इससे रियासतोकी अथवा अन्य स्थानोकी बुराइयाँ जल्दी दूर की जा सकेगी।

सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १८-२-१९३९

१. देखिए पृ० ४६०-१।

४७१. त्रावणकोर

त्रावणकोरके बारेमें यों ऊपरसे तो मैं चुप मालूम होता हूँ, पर कार्यकर्ता यह विश्वास रखें कि मैं उसके सम्बन्धमें लापरवाही नहीं बरतता रहा हूँ। मौन कभी-कभी वाणीसे अधिक प्रभावकारी होता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा मौन सोद्देश्य रहा है। मुझे इस बातका दुःख है कि वहाँकी हालतें अच्छी नहीं रही हैं। मुझे आशा थी कि राज्य-कांग्रेसने दीवानके विरुद्ध जो आरोप लगाये थे, उनके वापस ले लिये जानेसे रास्ता साफ हो जायेगा, और उत्तरदायी शासनका आन्दोलन त्रावणकोरमें निर्विघ्न रीतिसे चलने दिया जायेगा।[1] लेकिन हम अन्यत्र जो बुलेटिन[2] छाप रहे हैं उससे पता चलता है कि त्रावणकोर-निवासियोंकी शनिकी दशा अभी समाप्त नहीं हुई है। त्रावणकोर विधान-सभाके १९ प्रमुख सदस्योंके सदस्यतासे वंचित कर दिये जानेके पीछे द्वेषभाव दिखाई देता है।[3] सदस्योंने क्या कोई अप्रतिष्ठापूर्ण काम किया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया।

मेरे पास एक पत्र है, जिसमें श्रीमती अक्कम्मा चेरियन नामक एक राजनीतिक बन्दिनीके साथ किये गये दुर्व्यवहारका वर्णन किया गया है। इन बहनने अदालतके सामने जो-कुछ कहा है, अगर वह सच है, तो उनके साथ किया गया बरताव सचमुच बहुत नीचतापूर्ण था। वे एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत महिला हैं। वे एक स्कूलकी प्रधान अध्यापिका थीं। स्कूलसे इस्तीफा देकर वे आजादीकी लड़ाईमें शरीक हुईं। त्रावणकोर राज्य तो इस बातका अभिमान करता है कि उसके महाराजा बड़े प्रबुद्ध हैं और उतनी ही प्रबुद्ध महाराजाकी माता महारानी साहिबा हैं तथा वहाँके दीवान बहुत अनुभवी हैं। लेकिन ऐसे उन्नत राज्यमें भी असभ्य दमन-नीतिके द्वारा स्वतन्त्रताका गला घोंटा जा रहा है, यह सोचकर हृदयको बड़ा आघात पहुँचता है।

लेकिन एक अन्य पत्रमें कहा गया है कि त्रावणकोरमें यह दमन हिन्दू-धर्मके नामपर और एक हिन्दू रियासतको बचानेके लिए किया जा रहा है। उस पत्रके अनुसार इरादा ईसाइयोंको पूरी तरह दबा देनेका है, क्योंकि वे ही इस स्वतन्त्रता-आन्दोलनमें प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं।

१. देखिए "बातचीत: त्रावणकोर राज्य-कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ", पृ० १४६-९ और "त्रावणकोर", पृ० ३१७-९।

२. जी० रामचन्द्रन द्वारा लिखा "त्रावणकोर बुलेटिन"।

३. ये सदस्य राज्य-कांग्रेससे सम्बन्धित थे और इनकी सदस्यता इस आधार पर समाप्त कर दी गई थी कि उन्हें फौजदारी कानून संशोधन विनियमके अधीन सजा हुई थी।

आजके जमानेमें हिन्दू राज्य और मुसलमानी राज्यकी बात सचमुच बहुत पुरानी हो गई है। और इसके लिए कसौटी क्या है? क्या कश्मीर इसलिए हिन्दू राज्य है कि वहाँका नरेश एक हिन्दू है, यद्यपि अधिकांश आबादी मुसलमानोंकी है? या हैदराबाद इसलिए मुसलमान राज्य हो गया कि यद्यपि वहाँ अधिकाश आबादी हिन्दुओकी है, लेकिन एक मुसलमान शासक उनका भाग्य-विधाता है? मै तो इस तरहकी बातोको हमारी राष्ट्रीय भावनाके लिए लाछन-रूप समझता हूँ। हिन्दुस्तान क्या इसलिए एक ईसाई राज्य है, कि उसका भाग्य-विधाता एक ईसाई सम्राट है? राज्य चाहे कोई भी कर रहा हो, फिर भी भारत तो भारतीय राज्य ही है। इसी तरह देशी राज्य भी केवल भारतीय ही है, फिर भले ही उनके शासक किसी भी कौमके हों। और वर्तमान नरेशगण और उनके उत्तराधिकारी जाग्रत प्रजाका सद्भाव प्राप्त करके ही राज्य कर सकेंगे। प्रजामें जो जागृति आई है वह स्थायी है। दिन-प्रति-दिन उसकी रफ्तार बढ़ती ही जायेगी। नरेशगण और उनके सलाहकार चाहे थोडे दिनोके लिए अपनी प्रजाके मनोबलको दवा देनेमें सफल हो जायें, लेकिन वे उसको समाप्त करनेमे कदापि सफल नही होगे। इसमें उनके सफल होनेका अर्थ है भारतीय जनताके मनोवलको समाप्त कर देनेमे सफल होना। भारतमें क्या कोई इतना अदूरदर्शी है, जो स्वतन्त्रताका पदरव न सुन रहा हो? और क्या इस बातकी कल्पना भी की जा सकती है कि स्वतन्त्र भारत अपनी सीमाके अन्दर किसी भी जगह, चाहे वह जगह कितनी ही वड़ी हो या कितनी ही छोटी और मामूली हो, एक क्षणके लिए भी दमन-नीति सहन करेगा। मेरी कल्पनाके स्वतन्त्र भारतमे देशी राज्योके लिए गुजाइश है, लेकिन इस शर्तपर कि उनके राजाओकी स्थिति सवैधानिक न्यासियोकी-सी होगी, जैसीकि औधके राजाकी है।[१] अग्रेजोके लिए भी गुजाइश हो सकती है, लेकिन वे प्रजाके सेवकके वतौर रहेगे, वतौर मालिकके कदापि नही। इसलिए देशी राजाओंके लिए स्वतन्त्र भारतमे वने रहनेका एकमात्र रास्ता यही है कि वे समयके स्वरको पहचाने, उसको सिर-माथे ले, और उसीके अनुसार आचरण करे। त्रावणकोरके हिन्दू राजा, हिन्दू राजमाता तथा हिन्दू दीवान ऐसा आचरण करें जिससे वे इस बातपर गर्व कर सकें कि उनके मनमे कभी भी अपने ईसाई प्रजाजनोका कोई भय नही रहा। मान लीजिए कि त्रावणकोरमें उत्तरदायी शासन हो जाता है, तो ईसाई, हिन्दू या मुसलमान क्या करेगे? चाहे जो भी लोग विधायक हो, उन्हे मतदाताओंकी हरएक बातका जवाब देना पड़ेगा। इसमे भयके लिए गुजाइश ही कहाँ है, कोई रुकावट कहाँ है? लेकिन मौजूदा दमन-नीति भय और आशंकाओसे भरी हुई है और उसमें बाधाएँ भी अनेक है।

सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १८-२-१९३९

१. देखिए पृ० १००।

४७२. शिष्टाचारका सवाल

एक मित्रका कहना है कि राजकोटके ठाकुरसाहब और सर पैट्रिक कैडेलके बीच हुए गुप्त पत्र-व्यवहार और सपरिषद् ठाकुरसाहबके साथ होनेवाली रेजिडेटकी बातचीत के उद्धरण प्रकाशित[1] करके मैंने शायद मर्यादाका उल्लघन किया है। लेकिन मुझे ऐसा बिलकुल महसूस नही होता। मै दावा करता हूँ कि जहाँ मर्यादाकी कोई बात हो वहाँ मै बडा भावुक हूँ। यहाँ तक कि मेरी सबसे अधिक बुराई करने-वालोने भी मुझे इस बातका श्रेय दिया है कि अपने प्रति लोगोके विश्वासको मै सदा निबाहता हूँ और मुझे बताई गई गुप्त बातोको प्रकट न करनेकी मुझमे काफी क्षमता है। लेकिन इसे मैंने अपना फर्ज कभी नही समझा कि मै वादाखिलाफियोको जाहिर न करूँ, या जिन अपराधोका मुझे साधारण सूत्रोसे पता लगे उन्हे छिपा लूं। हाँ, जो बाते मुझपर विश्वास रखकर कही जाये उनको मै जरूर गुप्त रखता हूँ, जैसेकि रौलट ऐक्ट आन्दोलनके वक्त अहमदाबादमे हुए दुर्भाग्यपूर्ण दगेमे अदालतसे सजा की धमकी मिलनेपर भी मैंने अपराधियोके नाम नही बताये थे। लेकिन इस मामलेमें तो मर्यादाका कोई सवाल ही नही है। सत्यकी खातिर और लोकहितके लिए उस पत्र-व्यवहार और उन उद्धरणोको प्रकाशित करना पडा है। जो कागजात प्रकाशित किये गये, वे साधारण रूपमे सरदारको मिले थे और उन्हे उन लोगोने दिया था, जिनके कि पास कानूनन वे थे। इसलिए, जहाँ तक मै समझ सकता हूँ, उनको प्राप्त करनेमे कोई बेईमानी नही हुई और, जैसाकि मैंने कहा है, उनको प्रकाशित करनेमें भी कोई गलती या बेईमानी नही हुई है। उसे प्रकाशित किये बगैर जनताका पक्ष सिद्ध नही किया जा सकता था।

सेगाँव, १३ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १८-२-१९३९

१. देखिए परिशिष्ट १।

४७३. मेवाड़

एक पत्र-लेखकने केवल कामकी बातोंको बहुत ही व्यवस्थित ढंगसे पेश करते हुए मुझे निम्नलिखित विवरण भेजा है:[1]

पहली घटना: घटनाकी तिथि: १४ दिसम्बर, १९३८। घटना-स्थल: देवली कस्बेके ब्रिटिश इलाकेके रास्तेका एक पुल, जहाँसे मेवाड़का इलाका कोई १२ गजके फासलेपर है।

. . . प्रजामण्डलके एक कार्यकर्ता श्री मथुराप्रसाद वैद्य पर, जो . . . प्रजामण्डलकी ओरसे देवलीमें प्रचार-साहित्य बाँट रहे थे, . . . मेवाड़के ऊँचा थानेके दो सिपाहियोंने अचानक हमला किया। उनमें से एकने उनके पास जो साहित्य था उसे छीन लिया . . .। दूसरेने उन्हें जमीनपर पटक दिया और फिर दोनों उन्हें अर्धचेतनावस्थामें घसीटते हुए नजदीकके मेवाड़ी इलाकेमें, जो वहाँसे केवल लगभग १२ गज दूर है, ले गये . . .। वैद्य मथुराप्रसादको ऊँचा थाने ले जाते हुए उन सिपाहियोंने बुरी तरह पीटा। अब उन्हें नौ महीनेकी कैदकी सजा दे दी गई है।

दूसरी घटना: घटनाकी तारीख: २ फरवरी, १९३९। घटना-स्थल: ब्रिटिश इलाकेमें देवली कस्बेकी सीमापर।

. . . शामके साढ़े छः बजेके करीब कस्बेकी सीमापर मेवाड़-पुलिसके १५ आदमियोंने मेवाड़ प्रजामण्डलके सचिव श्री माणिकलाल वर्मा और उनके चार अन्य साथियोंपर एकाएक लाठियोंसे हमला किया। पाँचों आदमी बुरी तरह घायल हो गये। इसके बाद वे माणिकलालजी को काँटों और झाड़ियोंमें बड़ी निर्दयताके साथ घसीटते हुए मेवाड़के इलाकेमें ले गये, जो वहाँसे कम-से-कम कुछ सौ गज के फासलेपर तो था ही। इस खींचातानीके बीच देवलीकी पुलिस को खबर की गई, लेकिन उसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और थानेका दीवान तो काफी तलाश करनेपर भी नहीं मिला, मानो सारी कार्रवाई पूर्व-योजनाके अनुसार की गई थी। इसके बाद माणिकलालजी को गिरफ्तार करके मेवाड़के ऊँचा थानेमें ले गये।

पत्र-लेखकने आगे लिखा है:

श्री माणिकलालजी बिजौलियाके हैं। पिछले बीस सालसे वे किसानोंकी सेवामें लगे हुए हैं। एक साल पहले प्रजामण्डलकी स्थापना उन्होंने ही की थी।

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये हैं।

लेकिन कुछ ही दिनोके अन्दर उसे गैर-कानूनी करार दे दिया गया। इसलिए कुछ महीने पहले उन्होंने सविनय अवज्ञा शुरू की। यह विवरण मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि रियासतोंके मामलेमें आपने खुले आम लिखना शुरू कर दिया है। क्या आप हम कार्यकर्ताओको भी यह बतलायेंगे कि ऐसी परिस्थितियोमें हमें क्या करना चाहिए?

यह खबर यदि सच हो तो बडी अजीब है। यह समझमें नही आता कि पुलिसने इन कार्यकर्ताओको मेवाडके इलाकेमे ही क्यो नहीं गिरफ्तार किया। या कि बात ऐसी थी कि ये कार्यकर्ता मेवाडके इलाकेमें अपना काम करनेसे बच रहे थे? जो भी हो, ये गिरफ्तारियाँ मुझे गैरकानूनी मालूम पडती है। घसीटना तो हमला ही हुआ। इस बारेमे मैं सिर्फ यही सलाह दे सकता हूँ कि यह तो कानूनी कार्रवाई करनेके लायक मामला है। अत प्रजामण्डलको यह कार्रवाई करनी चाहिए।

लेकिन रियासतोंके सत्याग्रहियोको यह याद रखना चाहिए कि असली लडाई तो अभी आनेवाली है। छोटी-बडी सभी रियासते एक ही नीतिपर चल रही मालूम पडती है। ब्रिटिश भारतमे सत्याग्रह-आन्दोलनके समय अग्रेज जो उपाय काममें लाये थे, उन्हीकी वे नकल कर रही है, और हो सकता है, त्रास फैलानेमें वे ब्रिटिश हुकूमतसे भी आगे निकल जायें। वे समझती है कि उनके लिए लोकमतसे डरनेकी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि रियासतोमे सामान्यत कोई सगठित लोकमत होता ही नही। लेकिन सच्चे सत्याग्रहियोका मार्ग तो किसी भी तरहका त्रास नही रोक सकता।

सेगांव, १३ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १८-२-१९३९

४७४. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

वर्धा

१३ फरवरी, १९३९

घनश्यामदासजी

लकी

कलकत्ता

गिल्डर .[और] जीवराजने कल जाँच की। परन्तु डॉ० राय[1] को जब चाहे तब आनेका हक है।

बापू

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८०५) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

१. डॉ० विधानचन्द्र राय।

४७५. पत्र : मीराबहनको

[१३ फरवरी, १९३९][1]

चि० मीरा,

तुम्हारे सब पत्र अच्छे और कलापूर्ण हैं। मुलाकातका तुम्हारा वर्णन चित्रवत् है। हमें आशा रखनी चाहिए कि इसका फल निकलेगा।

आशा है, रुपया तुम्हें समयपर मिल गया होगा।

मैं यथाशक्ति जल्दी आनेका प्रयत्न करूँगा।

बाकी सुशीला लिखेगी।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२८) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००२३ से भी।

४७६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१३ फरवरी, १९३९

बा,

अब तो तुझे अकेले रहनेका भी खासा अनुभव हो गया। लेकिन मैं भूलता हूँ। तू अकेली थी ही कहाँ? रामजी तो हमेशा तेरे साथ हैं ही न? और जहाँ वे हों, वहाँ और दूसरे हों या न हों, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब तो मृदु और मणि, दो हो गईं। खुश रहना। वे दोनों भी लिखें।

तुम सबको,

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृ० ३२

१. डाककी मुहरसे।

४७७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१३ फरवरी, १९३९

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारे पत्र मिल गये। गरासिये ऐसे कहाँ है कि अपना माना हुआ 'गरास'[1] झट छोड देनेके लिए तैयार हो जाये? हम चुपचाप सहन कर लेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा।

बा का मामला जल्दी निपट गया। मणि चतुर लडकी है। कब क्या करना है इसकी कला उसने हस्तगत कर ली है।[2] अपना नाम चरितार्थ कर रही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० २३४

४७८. पत्र : हीरालाल शर्माको

सेगाँव, वर्धा
१३ फरवरी, १९३९

चि० शर्मा,

तुमको तार भेजा था सो मिला था? यहाँ तो उत्तर मिला था "यहाँ अनेक शर्मा हैं। तार ठिकाने पहुँचाया नही जा सका।"[3]

एक ही बातका उत्तर देना है ना? नैसर्गिक उपचारका इतना गहेरा अर्थ न किया जाय। ऐसा अर्थ करनेका उसीको अधिकार है जो उसकी प्रसिद्ध अर्थको अमलमें ला सका हो। हम सब अहं ब्रह्मास्मि थोडे कह सकते हैं? जेल जानेका तुमारा समय आवेगा तब भगवान रास्ता खुल्ला कर देगा। यो भी मैं जो कल्पना कर रहा हूँ वह जेल जानेकी नही है। इसलिए अपने कर्ममे रत रहो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० २७८-९ के बीच प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

१. राजवंशियोंको राज्यकी ओर से दी जानेवाली जमीन।

२. कस्तूरबा से अलग कर दिये जानेके बाद मणिबहनने तब तक भोजन ग्रहण नहीं किया था जब तक उन्हें फिरसे कस्तूरबाके पास नहीं ले जाया गया।

३. मूलमें ये दो वाक्य अंग्रेजीमें हैं।

४७९. बातचीत : डॉ० चेस्टरमैनके साथ[1]

सेगाँव

१३ फरवरी, १९३९

. . . उन्होंने कहा कि भारतीय समस्याओंकी पेचीदगीको देखकर मेरा दिमाग चक्कर खाने लगता है। स्वभावतः चिकित्सा-सम्बन्धी समस्याएँ मेरे मनमें सबसे पहले आती हैं। जब मैंने सुना कि प्रतिवर्ष दो लाख स्त्रियाँ प्रसूता होनेपर मर जाती हैं, एक लाख लोग चेचकसे तथा ३६ लाख तरह-तरहके बुखारोंसे मर जाते हैं, १० लाख कोढ़ी हैं और ६ लाख अन्धे हैं, तो निरोधक तथा उपचारात्मक, दोनों तरहके चिकित्सा-कार्यकी विशालताका अनुमान लगाकर मैं सचमुच डर गया। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि पता नहीं आप यह जानते हैं या नहीं कि भारतमें मिशनके २६६ अस्पताल और ५०० औषधालय हैं, जिनमें २५४ यूरोपीय और ३६० भारतीय डॉक्टर तथा ३०० यूरोपीय और ४०० भारतीय नर्सें काम करती हैं। इन अस्पतालोंमें प्रतिवर्ष २० लाख बीमार देखे जाते हैं और ५० लाखका इलाज होता है। सारे देशमें तपेदिककी चिकित्साका आधा और कोढ़ियोंकी चिकित्साका सारा काम मिशनके हाथों होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि धर्म-परिवर्तनका काम भी होता है और इसके बारेमें मैं आपका मत जानता हूँ, तथापि मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मिशनोंका तीन-चौथाई चिकित्सा-कार्य उन क्षेत्रोंमें होता है जहाँ धार्मिक शिक्षाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। . . . इसलिए मैं इस बारेमें आपकी राय जानना चाहता हूँ कि यह काम सफलतापूर्वक आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और हम लोग आपकी सहायता और सहयोगपर कहाँ तक निर्भर रह सकते हैं।

उत्तरमें गांधीजीने कहा कि इसका उत्तर कठिन तो है लेकिन साथ ही सरल भी है।

चिकित्साका सही कार्य क्या है, इस विषयमें मेरे विचार कुछ विचित्र-से हैं। सालों पहले मैंने ये विचार सशक्त शब्दोंमें व्यक्त किये थे। और तबसे लेकर अबतकके लम्बे अनुभवके दौरान मेरे उन विचारोंके सारमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। परन्तु इन विचारोंकी आपके समक्ष व्याख्या करनेकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने मिशनके

१. अमृत कौर द्वारा लिखित "ए गुड समेरिटन" से उद्धृत। डॉ० चेस्टरमैन इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनके चिकित्सकीय मन्त्री थे और ताम्बरम्‌में होनेवाली इन्टरनेशनल मिशनरी कान्फ्रेंसमें भाग लेने तथा मिशन द्वारा संचालित अनेक अस्पताल देखनेके लिए भारत आये थे।

बहुत-से अस्पताल देखे हैं। कोढ़ियोंके बीच मिशनरियोंका अद्‌भुत कार्य देखा है। इस काममें उनका एकाधिकार माना जा सकता है। कोढ़ियोंकी सेवा उनकी अपनी विशिष्टता है; कारण, इस कामको करनेके लिए और कोई सामने नहीं आया है। कटकका 'लेपर होम' (कोढ़ी-सेवा भवन) मैंने देखा है। मैंने पुरुलियाके कोढ़ियोंके अस्पतालमें काफी वक्त गुजारा है और वहाँका काम देखकर प्रभावित हुआ हूँ। मैंने इलाहाबादमें श्रीमती हिगिनबॉटमका काम देखा है, कई दूसरी जगहोंका भी देखा है, क्योंकि कोढ़ियोंके लिए बने आश्रमोंमें जाना मुझे बहुत भाता है। लेकिन चिकित्साके क्षेत्रमें मिशनरियोंके कामके लिए मेरे मनमें प्रशंसाका जो भाव है, उसके बावजूद मैं उनके काममें दोष भी देखता रहा हूँ और मेरे मनमें आलोचनाका भाव भी रहा है। मैंने यह महसूस किया है कि इन सज्जन और सद्‌भाव-सम्पन्न मिशनरियोंने इस विशाल प्रश्नकी बाहरी परतको भी नहीं छुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोढ़ियों, अन्धों, तपेदिकके रोगियों और दूसरे रोगियोंके लिए काफी काम किया गया है, परन्तु यह सहायता इस विशाल देशके करोड़ों रोगपीड़ितों तक नहीं पहुँच पाई है। यह चिकित्सा-सहायता मुख्य रूपसे उन लोगोंको पहुँची है जो शहरोंमें या शहरोंके पास रहते हैं जबकि भारतकी बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको अछूता छोड़ दिया गया है। ग्रामीणोंकी चिकित्सा-सम्बन्धी जरूरतोंको देखकर प्रान्तीय सरकारें, यहाँ तक कि कांग्रेस सरकारें भी भयभीत हो उठी हैं। वे किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई हैं और विभिन्न प्रयोगोंके बावजूद अभी कुछ नहीं किया गया है। इसलिए यदि मुझे मिशनरियोंको सलाह देनेके लिए कहा जाये तो मैं उनसे कहूँगा कि वे सारी पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतिको भारतमें प्रतिरोपित न करें। हम इसके लिए साधन नहीं जुटा सकते। देशी जड़ी-बूटियों और औषधियोंके अध्ययनसे बहुत लाभ उठाया जा सकता है परन्तु इस दिशामें लगभग कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। हमारे मैदानों और वनोंमें जाने और इन औषधियोंकी खोज करनेकी बात किसीको सूझी ही नहीं। परिणामस्वरूप बहुत-सारी देशी प्रतिभा, क्योंकि इसे मौलिक और वैज्ञानिक नहीं माना जाता, व्यर्थ जा रही है। मैं आपको आज ही की एक घटना बताता हूँ। आपको शायद मालूम होगा कि कुछ दिनोंसे मेरे एक पैरमें थोड़ी सूजन है। डॉक्टर डर रहे हैं। उन्होंने इसे इस बातका लक्षण समझा है कि दिल और गुर्दे क्षीण होने लगे हैं। मेरे सहयोगियोंमें से एक — आप उन्हें लगभग निरक्षर ही कह सकते हैं — बहुत चिन्तित हो उठे जैसाकि मेरे बारेमें सभी हो जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछली रात बिलकुल सो नहीं सके। आज सुबह वह एक हरा पत्ता लाये और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पिताजीको भी ऐसी ही तकलीफ थी और इससे वह ठीक हो गये थे। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं भी इसका प्रयोग करके देखूँ। उनका प्रस्ताव माननेमें मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन यदि किसी उच्च-शिक्षा प्राप्त डॉक्टरने मुझे हैरानीमें डालनेवाला कोई लम्बा-चौड़ा नुस्खा बताया होता तो उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही न होती। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्रामीणजनोंको इन साधारण तरीकोंसे राहत

मिल सकती हैं। मेरा यह कहना नही है कि यह पत्ती इस तकलीफको दूर कर देगी। परन्तु ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो निश्चयपूर्वक यह बता सके कि ये जड़ी-बूटियाँ क्या है और उनके गुण क्या है।

गांधीजी ने स्पष्ट किया कि उनके मनमें पश्चिमी चिकित्सा या डॉक्टरोके खिलाफ कोई पूर्वग्रह नही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक दक्षिण आफ्रिकी मित्र, श्री कैलेनबैकके लिए, जो यहाँ मलेरियासे बीमार पड़े हुए हैं, आज ही ग्लूकोज़ मँगवाया है। वह कुनैन लेनेसे इनकार कर रहे हैं यद्यपि मेरा इस औषधिमें पूरा विश्वास है।

यहाँ डॉ० चेस्टरमैनने बीचमें कहा कि कुनैन तो देशी औषधि ही है। गांधीजी ने उत्तर दिया कि देशी औषधि होते हुए भी इसपर एकाधिकार है और इसलिए यह बहुत महँगी और ग्रामीणजनोंकी पहुँचसे बिलकुल बाहर है।

इसलिए मैं चाहूँगा कि मिशनरी गाँवमे दवाफरोशोंका काम करें और जहाँ तक सम्भव हो वे अपने-आपको देशी दवाइयों तक सीमित रखें। यह महत्वपूर्ण अनुसन्धान-कार्य करनेके लिए उनको सरकारकी ओरसे सोनेके तमगे या खिताब नही मिलेगे। परन्तु मेरी रायमे उन्हे ईसा मसीहकी ओरसे खिताब जरूर मिलेगा जो कही ज्यादा मूल्यवान होगा।

आगे बोलते हुए गांधीजी ने कहा कि बहुत समयसे वह महसूस करते रहे हैं कि भारतमें चिकित्सा-संकायको ग्रामीण कार्यकर्ताओंके लिए प्रशिक्षणका छोटा-सा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, और कई साल पहले उन्होंने बम्बईके सर्जन-जनरल हूटनसे यह बात कही भी थी। गाँवोंके स्कूलोंके शिक्षकोंका इस उद्देश्यके लिए उपयोग किया जा सकता है। वे स्वास्थ्यके विषयमें सारे गाँवको अपने अधिकार-क्षेत्रमें मानें और वहाँके निवासियोंको स्वास्थ्य-विज्ञान और रोग-निवारणके सीधे-सादे नियम बतायें। साधारण रोगोंके लिए आम दवाइयाँ बाँटनेके लिए स्कूलोंका औषधालयोके रूपमें उपयोग किया जा सकता है। इस सन्दर्भमें उन्होंने अपने ही जीवनसे एक उदाहरण दिया। दक्षिण आफ्रिकामें उन्होंने छः हफ्तोंका उपयोगी प्रथमोपचार-प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसके बाद ही उन्हें बोअर युद्धके दौरान घायलोंकी सेवाके लिए अपना एक दल बनाने और उसका नेतृत्व करनेकी अनुमति मिली थी।

. . . इसके बाद डॉक्टर चेस्टरमैनने गांधीजी से अस्पतालोंकी इमारतोंके ऊपर होनेवाले खर्च और उनके लम्बे-चौड़े साज-सामानके बारेमें उनकी राय पूछी। गांधीजीने उत्तर देते हुए कहा कि वह कभी इसके पक्षमें नहीं रहे हैं और उनकी प्रायः यह कोशिश रही है कि लोगोंको अनावश्यक चीजोंपर खर्च करनेसे रोका जाये। जब तात्कालिक जरूरतोंको पूरा करनेके लिए पैसेकी कमी है तब ऐसा करना अनुचित ही कहा जायेगा। बड़े-बड़े अस्पताल कुल मिलाकर गरीब आदमीकी मदद नहीं करते, क्योंकि वे उसे इस बातकी कोई शिक्षा नहीं देते कि अस्पताल छोड़नेके बाद उसे अपने स्वास्थ्यका ध्यान कैसे रखना है।

डॉ० चेस्टरमैन : चिकित्सा-क्षेत्रमें कार्य करनेवाले मिशनरी लोग चिकित्सा-व्यवसायका नैतिक स्तर ऊँचा उठानेमें क्या योगदान दे सकते हैं ?

गाधीजी वे सहायता कर सकते है, परन्तु मुझे ऐसा नही लगता कि वे मेरे मानदण्डके अनुसार ज्यादा-कुछ कर सकते है। आप मुझे अनुदार मान सकते है परन्तु जब तक यह आशका मनमें है कि चिकित्सा-कार्य करनेवाले मिशनरी अपने सारे रोगियो और सारे सहयोगियोसे यह अपेक्षा करते है कि वे धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बन जायें, तब तक सच्चा भाईचारा आनेमें अड़चन बनी रहेगी। इसके अलावा एक और अड़चन यह है कि वे शासक-वर्गके लोग है और इसी कारण वे अलग-थलग रहते है। मिशनरियोने "जैसा देश, वैसा भेष" वाली कहावत नही सीखी है। वे अपने दैनिक जीवनमें हर बातमें पश्चिमका ही अनुकरण करते है और यह भूल जाते है कि वस्त्र तथा भोजन और जीवन-चर्या जलवायु और आसपासके वातावरणके अनुरूप होनी चाहिए और इसलिए उनमें तदनुसार परिवर्तन करना जरूरी है। दिल जीतनेके लिए झुकना होता है, जो उन्होने नही किया है। फलत. पारस्परिक अविश्वासकी खाई बनी हुई है और चिकित्साके क्षेत्रमें काम करनेवाले मिशनरियो और यही कार्य करनेवाले भारतीयोमें सहज सम्पर्क नही है।

डॉ० चेस्टरमैनने इस बातका प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि मिशनरियोंके प्रति पर्याप्त सद्भाव भी है। वह बम्बईमें एक हिन्दू मित्रसे मिले थे जिन्होने उन्हें निश्चित आश्वासन दिया था कि मिशनके अस्पतालोकी जरूरत बनी हुई है, क्योकि सरकारी चिकित्सा-संस्थाओंकी अपेक्षा वहाँ लोगोंको ज्यादा ध्यानसे रखा जाता है और वहाँ उन्हे ज्यादा सहानुभूति मिलती है।

सरकारी अस्पतालोमें यद्यपि फीस नहीं ली जाती, किन्तु वहाँके अधीनस्थ कर्मचारी मरीजोसे प्रायः अवांछित तरीकोसे पैसा ऐंठते हैं। इसके विपरीत मिशनके अस्पतालोमें यदि उन लोगोसे फीस ली जाती है जो फीस दे सकते हैं तो यह उचित है अथवा नहीं, इस प्रश्नके उत्तरमें गाधीजीने कहा कि फीस न लेनेका कोई कारण उन्हें नजर नहीं आता।

डॉ० चेस्टरमैनने अन्तिम प्रश्न यह पूछा कि धर्म-परिवर्तनके बारेमें आपकी आपत्ति क्या कोड हिल्स-जैसे क्षेत्रोके बारेमें भी लागू होती है जहाँकी आदिवासी जातियाँ पत्थरो और वृक्षो आदिकी पूजा करती हैं। गांधीजीने निस्संकोच भावसे उत्तर दिया :

अवश्य लागू होती है, क्योकि मै जानता हूँ कि यद्यपि इन जातियोको पत्थरो और वृक्षो आदिकी पूजा करनेवाली बताया जाता है, ये जातियाँ अविस्मरणीय कालसे हिन्दू-धर्ममे शामिल रही है। वे देशी औषधियोकी तरह इसी धरतीकी उपज है और उनकी जडे यहाँ बडी गहरी है। परन्तु आप इसका समर्थन तभी कर सकते है जब आप यह महसूस करते हो कि हिन्दू-धर्म भी उतना ही सच्चा है जितना ईसाई धर्म। मेरा विश्वास है कि सभी धर्म सच्चे है परन्तु मनुष्य द्वारा

प्रतिपादित किये जानेके कारण अपूर्ण भी है और उनपर मानवीय अपूर्णताओ और कमजोरियोकी छाप है। मिशनरियोसे मेरा झगड़ा इस वातपर है कि वे समझते है ईसाई धर्मके अलावा और कोई धर्म सच्चा नही है।

गांधीजीसे विदा लेते हुए डॉ० चेस्टरमैनने गांधीजी का इस वातके लिए आभार माना कि उन्होंने उन्हें इतना समय दिया। उन्होंने आशा प्रकट की कि वातचीतसे उन्हें ज्यादा थकावट नहीं हुई होगी और प्रार्थना की कि वे उनकी [ईसाइयोंकी] उदात्त भावनाओंको जगाते ही रहें। गांधीजी का उत्तर जिससे डॉ० चेस्टरमैन बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, यह था:

मै तो यह अपील हृदयके अन्तरतमसे निरन्तर कर रहा हूँ। उसका महत्व लिखित शब्दोसे कही ज्यादा है यद्यपि मै लिखनेका काम भी करता रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-२-१९३९

४८०. पत्र: नारणदास गांधीको

सेगाँव
१४ फरवरी, १९३९

चि० नारणदास,

क्या तुम्हारा काम ठीक ढंगसे चल रहा है? वीमार कैसे पड़ गये थे?

इस पत्रके साथ शेख चाँदभाईके लिए एक पत्र है।

मेरे जानने लायक कुछ हो, तो लिखना।

कह सकते है कि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नही है, वैसे फिलहाल तो चिन्ताकी कोई बात नही है।

क्या तुम्हे या गोकीवहनको बा से मिलनेकी इजाजत मिल सकती है?

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८५५५ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी।

४८१. पत्र: गुलाम रसूल कुरेशीको

सेगाँव, वर्धा
१४ फरवरी, १९३९

चि० कुरेशी,

अमतुस्सलामने मुझसे बात की थी, किन्तु मैं तुम्हे लिखना भूल गया। सार्व-जनिक सेवाके लिए पैसे लेनेमे सकोच करनेकी कोई जरूरत नही। मैंने तो बात कर ली है। जब इत्रका धन्धा छोड सको तबसे ही तुम बेशक पैसे लेना शुरू कर दो। याद रखना कि तुम्हे कर्ज नही चढाना है।

बच्चोके बारेमे तो मैंने समझाया ही है न? घरमें उनको धार्मिक शिक्षा मिले, और बाकी सामान्य शिक्षण वे दूसरे बच्चोके साथ ग्रहण करे। सुलताना तो शायद दूसरी लड़कियोकी ही तरह हरिजन आश्रममे पढ सकती है। मै नरहरिसे पूछ नही पाया कि आश्रममे तुम्हारे लिए जगह हो सकेगी या नही, और बादमें बात रह गई। अब मैं उससे भी पुछवाऊँगा।

बापूकी दुआ

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १०७६५) से; सौजन्य: गुलाम रसूल कुरेशी।

४८२. पत्र: सुरेशसिंहको

सेगाँव, वर्धा
१४ फरवरी, १९३९

भाई सुरेश,

मैंने कानून भंगका तो अब तक कुछ नही सोचा है न मै ऐसी आबोहवा पाता हू।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६९१) से। सी० डब्ल्यू० २८९३ से भी; सौजन्य: सुरेशसिंह।

४८३. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव, वर्धा
१५ फरवरी, १९३९

चि० बबुड़ी,

तेरा दूसरा पत्र मिला था। समय सब ठीक ही कर देगा। धीरज रखना चाहिए। सब नया-नया है, इसलिए अटपटा तो लगेगा ही। अन्तमें सब ठीक हो जायेगा। हिम्मतसे काम लेना। मेरा पत्र तुझे मिला होगा।

श्री कैलेनबैक काफी बीमार हो गये थे, लेकिन अब ठीक हैं। तेरी गैरहाजिरी यहाँ अकसर महसूस होती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००९) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

४८४. पत्र : विजयाबहन म० पंचोलीको

सेगाँव, वर्धा
१५ फरवरी, १९३९

चि० विजया,

तेरे बिना अभीसे ही सूना लगने लगा। प्रार्थनामें ही तेरी आवाज गायब थी। लेकिन संसार ऐसे ही चलता है। मिलना, जुदा होना, फिर मिलना, फिर जुदा होना। यह चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा और यह जानकर हमें निश्चिन्त रहना चाहिए।

तू अपने धर्मको समझ ले। दाम्पत्य-धर्म सरल है, कठिन भी है। जो समझता है, उसके लिए सरल है। तुझे मनुभाईमें समा जाना है, मनुभाईको तुझमें। लेकिन इसमें लेन-देनको स्थान नहीं होता। धर्ममें लेन-देन नहीं होता। धर्मका पालन तो स्वयं ही करना पड़ता है। अतः मनुभाई तुझमें समायें या न समायें, तुझे उनमें समा ही जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुझे अपनी सारी आध्यात्मिक सम्पत्ति उन्हें सौंप देनी चाहिए। अतः तुम दोनों परस्पर एक-दूसरेको उत्तरोत्तर ऊँचे उठाओ, नीचे कभी न गिराओ। जैसे यहाँ तू अपने आनन्दसे घरको भर देती थी, वैसे ही वहाँ भी वातावरणको भर देना। यदि तूने 'गीता' के मर्मको समझ लिया है, तो तू जिस स्थितिमें भी होगी, उसीमें खुश रहेगी।

शालाके काममे ठीक जुट जाना। तुझे गये अभी दो घटे भी नही हुए, इसलिए समाचार तो क्या दिये जा सकते है? लेकिन कल प्रभा आयेगी। यह पत्र भी कल ही भेजा जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४५९९) से, सौजन्य: विजयाबहन म० पंचोली।

४८५. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

[१६ फरवरी, १९३९ के पूर्व][1]

बा,

तेरा और मणि का, दोनो पत्र मिले। सभी परीक्षाओको पार करना। यहाँसे पत्र तो तुझे भेजे गये है। वहाँके अधिकारीसे पूछना। कैलेनबैक बीमार पड़ गये है, बीमारी कठिन है। लीलावती सोमवारको उपवास करती है। मणिको अलगसे नही लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३३

४८६. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

सेगाँव, वर्धा
१६ फरवरी, १९३९

प्रिय सी० आर०,

यदि तुम दे सकते हो तो मेरे द्वारा चिह्नित अशोके बारेमे उन्हे नोटिस दे दो और उनसे माफी माँगने तथा भविष्यमे फिर ऐसा न करनेका वचन देनेकी माँग करो। पर तुम्हारा उनपर सीधे मुकदमा चलाना भी ठीक होगा।

ताताचारके सलग्न पत्रको पढना। केवल भावनाहीन तर्कसे तुम शासन नही कर सकते। पर मौकेपर तो तुम्ही हो। तुम्हे मेरी नही, अपनी समझसे काम करना चाहिए।

१. देखिए "पत्र: कस्तूरबा गांधीको", पृ० ४७२, जिसमें कहा गया है कि "कैलेनबैक अब अच्छे हैं।"

कताईकी कीमतकी क्षतिपूर्तिकी कृपया मुझसे माँग न करो। जो तुमसे अपनी सेहतका खयाल रखनेको कहते हैं उनकी बातपर ध्यान दो।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१७४) से।

४८७. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

१६ फरवरी, १९३९

चि० बबुड़ी,

मैं तुझे पत्र लिखूँ, फिर भी वह तुझे न मिले, तो यह भी क्या मेरा दोष है? अब तू शान्त हो गई होगी। विजया कल गई, रो रही थी। और दूसरे बहुत लोग अभी आये हैं। उनमें यशोदा भी है, सरूपबहन हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००५) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

४८८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१६ फरवरी, १९३९

बा,

तुझे पत्र रोज लिखा जाता है, फिर भी अगर न मिले, तो उसका क्या उपाय है? जैसे तेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है, वैसे ही मेरी चिन्ता करनेकी जरूरत तो कभी थी ही नहीं। सुभाष बाबू आ गये। और भी लोग आ-जा रहे हैं। श्री कैलेनबैक अब अच्छे हैं। कानम मजेमें है। वह मेरे साथ खाता है और दोपहरको सोता भी मेरे साथ ही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृ० ३३

४८९. पत्र : मणिबहन पटेलको

सेगाँव, वर्धा
१६ फरवरी, १९३९

चि० मणि,

तेरा लम्बा पत्र और दूसरे पत्र मिल गये। तूने जो-जो कदम उठाये उनसे मैं तो मुग्ध हो गया हूँ। कही दोष निकालने-जैसी बात नही। मैं देखता हूँ कि तू सत्याग्रहका शास्त्र अच्छी तरह समझ गई है। इसलिए मैं बिलकुल निश्चिन्त हूँ।

मुझे राज्यकी ओरसे रोज तार नही मिलता। दो-तीन आये थे। यहाँसे रोज पत्र गये हैं। तूने जो पता दिया था पहले तो मैंने उसपर लिखे थे। फिर मैंने राज्यने शिकायत की कि मेरे पत्र क्यो नही मिलते, तब मुझे तार दिया गया कि पत्र प्रथम सदस्यकी मारफत भेजे जाये। अब मैं वैसा ही करता हूँ।

तुम्हारी तरफसे तो रोज पत्र मिलते ही हैं। इसलिए सन्तुष्ट हूँ।

मृदुको अलग पत्र नही लिखता। वह चिन्ता न करे। क्या वहाँका भार कम है जो वह कांग्रेसका उठायेगी ?

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती मणिबहन पटेल
राज्य बन्दी
मार्फत परिषद्के प्रथम सदस्य
राजकोट (काठियावाड)

[गुजरातीमे]
बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १२४

४९०. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव, वर्धा
१७ फरवरी, १९३९

चि० बबुड़ी,

तू बम्बईका पता दे, वहाँ तुझे पत्र लिखूं और वह न मिले, तो इसमें दोष तेरा है या मेरा? मेरे पास तो तारीखें दर्ज हैं। अब तू यहाँ आ जाये, तो ज्यादा अच्छा हो। बीमार पड़ना ठीक नहीं। मेरा बारडोली जाना अभी रद हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तेरे पत्र मैं ही खोलता हूं।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००६) से; सौजन्य: शारदाबहन गो० चोखावाला।

४९१. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

वर्धा
१८ फरवरी, १९३९

घनश्यामदास बिड़ला
लकी
कलकत्ता

विधानको बताना बारडोली कार्यक्रम रद हो गया है। चिन्ता न करें।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७८०८) से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

४९२. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव
१८ फरवरी, १९३९

चि० ववुडी,

तेरा पत्र मिला। तुझे मैंने प्राय रोज पत्र लिखे है या लिखाये है। तू भुलाई नही जाती। तेरे सोनेकी जगहपर रोज नजर पडती है, लेकिन किस काम की ? तुझे जीर्ण ज्वर रहता है, यह ठीक नही। यदि यह चलता रहे, तो तुझे समय रहते मेरे पास आ जाना चाहिए। अगर तू मच्छरदानी न लगाती हो, तो अव वरावर उसका उपयोग करना। मै तो विलकुल मजेमे हूँ, लेकिन तू कही मुझे अपने वारेमे चिन्तामे न डाल देना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००७) से, सौजन्य : शारदावहन गो० चोखावाला।

४९३. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
१८ फरवरी, १९३९

वा,

तुझे यहाँसे रोज डाक गई है। अव वहाँ पत्र न मिले, तो उनका क्या किया जाये ? मेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नही है। लेकिन मेरी हालत चिन्ताजनक हो जाये, तव भी मै तो तुझसे इस प्रकारके उत्तरकी आशा करता हूँ : "हम दोनोके वियोगमे ही उनकी मृत्यु वदी होगी तो वैसा ही होगा, लेकिन मै तो वहाँ पड़ी हूँ जहाँ मेरे वच्चोपर अत्याचार हो रहा है। मुझे जेल भेजो, तो मै इससे भी अधिक प्रसन्न होऊँगी। ठाकुर साहव अपने वचनका पालन करे, इसमे तुम सव मेरी मदद करो। यदि तुम मेरा उपयोग नही करोगे तो मेरी इच्छा है कि मै राजकोटकी सीमाके भीतर ही मर जाऊँ।" चूँकि तू स्वय अपनी विशेप इच्छाके कारण वहाँ गई है, तो यदि तेरे हृदयमे इस प्रकारके उद्गार उत्पन्न हो, तो उन्हे प्रगट करना। अपने मनमे भी ऐसी ही धारणा रखना।

तू रोज लिखती है कि 'लड़कियोसे सेवा लो'। लेकिन फिलहाल तो वह बन्द ही है। सुशीला मालिश करती है, लेकिन आखिर वह भी तो वन्द करना है न?

हाँ, अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक नहीं बन्द कर पाया। मेरी चिन्ता इस सम्बन्धमें भी मत करना। मेरा निबाह करनेवाले तो अन्तमें भगवान ही हैं न?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३३

४९४. पत्र: विजयाबहन म० पंचोलीको

सेगाँव, वर्धा
१८ फरवरी, १९३९

चि० विजया,

अब तेरा मन बिलकुल शान्त हो गया होगा और तू आनन्द कर रही होगी। अगर तू वहाँ जरा भी दुखी रही, तो मुझे अच्छा नही लगेगा और मेरे शिक्षणपर भी कलंक लगेगा। तुम दोनोको एक-दूसरेके अनुकूल होनेमे जरा भी अड़चन नही आनी चाहिए। मुझे ब्योरेवार पत्र लिखना। किस प्रकार रहती हो? रहने और घूमने-फिरनेकी व्यवस्था कैसी है?

आज अमृतलालको थोड़ा ज्वर आ गया है। जरा भी कुछ रद्दोबदल हो, तो उसपर उसका प्रभाव पड़े बिना नही रहता। फिर भी चिन्ता करने-जैसा तो कुछ नहीं है। श्री कैलेनबैक वैसे ठीक कहे जा सकते है, यद्यपि बुखार पूरी तरह उतरा नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

बा को पत्र लिखना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०८) से; सी० डब्ल्यू० ४६०० से भी; सौजन्य: विजयाबहन म० पंचोली।

४९५. पत्र : मणिबहन पटेल और मृदुला साराभाईको

सेगाँव
१८ फरवरी, १९३९

चि० मणि और मृदुला,

तुम दोनो वहाँ हो, यह ईश्वरका अनुग्रह है। तुम तीनों सबके साथ रहो, यह मुझे अच्छा लगेगा। परन्तु ईश्वर जैसे रखे वैसे रहना।

सुभापबाबू वगैरहके बारेमें तुम्हे कुछ नही सोचना है। जहाँ तक इसका सवाल है, तुम तो जेलमें हो। ईश्वर मुझे जैसी बुद्धि देगा वैसा करता रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–४ : मणिबहेन पटेलने, पृ० १२५

४९६. टिप्पणियाँ

जयपुर

आखिरकार जयपुर दरबारको जमनालालजी को गिरफ्तार करना ही पड़ा। कहते है कि उनके रहनेका इतजाम अच्छा है पर उन्हें एक अलग-थलग जगहमें रखा गया है और उनपर कडा पहरा है। हर बातको रहस्य बनाकर रखा जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि अधिकारियोको उनका पता-ठिकाना, उन्हे दी जानेवाली सुविधाएँ तथा उनके साथ पत्र-व्यवहार और मुलाकात करने-सम्बन्धी पाबदियाँ प्रकाशित कर देनी चाहिए। क्या उन्हे डॉक्टरी सहायता सुलभ है?

मगर शेखावटीके बारेमे जो खबरे सुनाई पड़ती है, वे अगर सत्य है तो उनके आगे जमनालालजी की नजरबन्दी और उनके साथ किया जानेवाला बरताव मामूली चीज है। राज्यकी ओरसे तफसीलवार खबरे प्रकाशित न होनेसे जनता अखबारोमें आनेवाली तरह-तरहकी खबरोको ही सत्य मानेगी।

सेगाँव, २० फरवरी, १९३९

सच्चा स्वदेशी

अगर मैं स्वदेशीके पहले 'सच्चा' विशेषणका प्रयोग करूँ, तो आलोचक मुझसे पूछ सकते है कि 'क्या झूठा स्वदेशी भी होता है?' दुर्भाग्यवश मुझे यह

जवाब देना पड़ेगा कि 'हाँ, होता है।' चूँकि खादी की प्रवृत्तिके आरम्भसे ही स्वदेशीके सम्बन्धमे मेरा मत प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए पत्र-लेखकोने मेरे सामने इसके बारेमे अनगिनत गुत्थियाँ रखी हैं। फलतः मुझे स्वदेशीके दोनों प्रकारोंका परिचय देनेके लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर विदेशी पूँजीको स्वदेशीके साथ मिला दिया जाये, या विदेशी हुनरको स्वदेशीके साथ, तो उसके फलस्वरूप तैयार होनेवाली चीज क्या स्वदेशी रहेगी? और भी प्रश्न हैं। लेकिन हाल ही मे एक मन्त्रीको मैंने जो परिभाषा बताई थी उसको उद्धृत कर देना मै बेहतर समझता हूँ। वह परिभाषा इस प्रकार थी: "ऐसी कोई भी चीज स्वदेशी है जिससे करोड़ो देशवासियोंका हित-साधन होता हो। यदि वह चीज विदेशी हुनर और विदेशी पूँजीसे बनी हो तो भी वह स्वदेशी ही है, बशर्ते कि उस पूँजी और हुनरपर भारतीयोंका प्रभावकारी नियन्त्रण हो।" इस प्रकार चरखा सघकी परिभाषापर खरी उतरनेवाली खादी सच्ची स्वदेशी है, भले ही सारी पूँजी विदेशी हो और भारतीय बोर्ड द्वारा नियुक्त खादी-विशेषज्ञ भी पाश्चात्य हो। इसके विपरीत, बाटाके रबड़के या दूसरे जूते विदेशी माने जायेंगे, भले ही उसमे सब कारीगर हिन्दुस्तानी हों और पूँजी भी हिन्दुस्तानने ही जुटाई हो। वे जूते दोहरे विदेशी होंगे, क्योंकि एक तो उन्हें बनानेकी पूरी व्यवस्थाका नियन्त्रण विदेशियोंके हाथोंमे होगा, और दूसरे, वे चाहे जितने सस्ते हो, लेकिन वे गाँवोके चमड़ा कमानेवालोंमे से अधिकांशको और मोचियोमे से तो सबको बेरोजगार बना देंगे। बिहारके मोची तो इस घातक प्रति-स्पर्धाको महसूस भी करने लग गये हैं। बाटाके जूते भले ही यूरोपके लिए निजात हों, पर हमारे गाँवके मोचियो और चमड़ा कमानेवालोके लिए तो उनका अर्थ विनाश ही होगा। मैंने ये दो स्पष्ट उदाहरण दिये है, और ये दोनों आंशिक रूपसे कल्पित है। कारण, चरखा संघमे सारी पूँजी स्वदेशी ही है और कारीगर भी सब देशी है। हालाँकि मेरे हृदयके किसी कोनेमें यह विश्वास जमा हुआ है कि हमारे देशके कारीगरोने अपने कौशलसे जो सुधार किये हैं, वे किसी भी तरह नगण्य समझे जाने लायक नहीं है, मगर मै यह पसन्द करूँगा कि हमे पाश्चात्य इंजीनियरीका हुनर ऐसा ग्रामोपयोगी चरखा बनानेके लिए मिल सके जो तमाम मौजूदा चरखोंसे बाजी मार ले जाये। पर यह तो मै विषयान्तर कर गया। मुझे पूरी आशा है कि मन्त्री या दूसरे लोग, जो जनताको मार्ग दिखाते है या उसकी सेवा करते है, सच्चे और झूठे स्वदेशीके अन्तरको पहचाननेकी आदत डालेंगे।

सेगाँव, २० फ़रवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २५-२-१९३९

४९७. फिर त्रावणकोर

श्री रामचन्द्रनने राजकुमारी[1] को जो पत्र लिखा है, उसका निम्नलिखित अंश मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ:

> मैं यह जानता हूँ कि अपने ध्येयके लिए जब तक हम शान्ति और सचाईके साथ अपनेको कुर्बान न कर दें, तब तक हम किसी सुफलकी आशा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा राज्य-कांग्रेसकी कार्य-समितिकी पिछली बैठकमें हमने सविनय प्रतिरोध कार्यक्रमको शुरू करनेके लिए छः सप्ताहकी मियाद नियत की। हम शान्तिके लिए उत्सुक हैं, इस बातका ईश्वर साक्षी है। लेकिन नौ जगहोंपर होनेवाले गोली-काण्डोंकी कोई जाँच नहीं हुई है। पिछले आन्दोलनमें भाग लेनेवाले अनेक वकीलोंको दो सालके लिए वकालत करनेसे रोक दिया गया है। राज्य-कांग्रेसके १९ विधायकोंको विधान-सभाका वर्तमान अधिवेशन शुरू होनेके ठीक पहले उसमें भाग लेनेके अयोग्य करार दे दिया गया है। सरकारके पास इस बातके लिए काफी वक्त था कि वह पहले ही उन्हें अयोग्य करार देकर नये चुनावकी घोषणा कर देती। अब १९ निर्वाचनक्षेत्र बिना प्रतिनिधित्वके रहेंगे। जुर्मानोंकी रकमें वापस नहीं मिली हैं। जब्त की हुई सम्पत्ति लौटाई नहीं गई है। अखबारों पर लगी हुई पाबन्दियाँ भी बदस्तूर कायम हैं। स्वभावतः लोग ऐसा सोचते थे कि महाराजाके जन्म-दिनके अवसरपर क्षमादानकी घोषणामें ये सब बातें शामिल होंगी। इसके बजाय, एक दूसरे शरारत-भरे विनियमके जरिये राज्य-कांग्रेसके स्वयंसेवक-संगठनको नष्ट करनेका सुनियोजित ढंगसे प्रयत्न किया जा रहा है। यह विनियम खास तौरपर इसी उद्देश्यसे लागू किया गया है। इस समय यहाँ २०० से अधिक राजनीतिक कैदी हैं। गुण्डोंके खिलाफ मुकदमा चलानेकी व्यवस्था करनेवाली ९०वीं धाराके मातहत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। सदर-जेलमें कैदियोंको रखनेकी गुंजाइश बढ़ाई गई है। विशेष पुलिस-दलमें १००० से अधिक लोग भरती किये गये हैं। इसमें बदमाश किस्मके लोगोंको रखा गया है और उनकी तनख्वाह देखकर तो चकित रह जाना पड़ता है — प्रति व्यक्ति सिर्फ ५ रुपये माहवार! क्या इससे बड़ा अजूबा हो सकता है? और मानो त्रावणकोरकी पुलिसपर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह ऐसा गन्दा काम करेगी, इसलिए पुलिसके बहुत-से सिपाही त्रावणकोरके बाहरसे भरती किये गये हैं। सरकारकी दमन-नीति

१. राजकुमारी अमृतकौर।

बराबर जारी है। अलबत्ता इसमें कोई शोर-शराबा नहीं होने दिया जा रहा है और आमने-सामने खुले संघर्षकी स्थिति नहीं आने दी जा रही है। यही कारण है कि हम छः सप्ताहकी मियाद नियत करनेके लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने बापूको जो कागजात भेजे हैं उनका आप सावधानीके साथ अध्ययन करें — खासकर उन दो प्रस्तावोंका जिन्हें कार्य-समितिकी पिछली बैठक में हमने पास किया है। मुझे इस बातपर बड़ा दुःख है कि सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरकी नीति शासक और प्रजाके बीच गहरी खाई बना देगी।

इस पत्रमें जिन प्रस्तावों और भूमिकाका जिक्र किया गया है उन्हें मैंने यहाँ नही दिया है। राज्य-कांग्रेस क्या कर रही है, यह जाननेके लिए पाठक उन्हें सामने रखें तो ठीक होगा। उन्हें हम अन्यत्र दे रहे हैं।

इन कागजातोंको पढकर बड़ा दु.ख होता है। महाराजा साहबके जन्म-दिनपर दिये गये इस क्षमादानको उदारतापूर्ण क्षमादानकी सज्ञा दी गई थी लेकिन उसके बादसे जो-कुछ हुआ है उसने वह सारी शोभा नष्ट कर दी है जो ऐसे क्षमादानके साथ अवश्य ही जुड़ी होनी चाहिए। यह सदाशयताका एक स्वत.-स्फूर्त संकेत था, लेकिन बादकी घटनाओसे लगता है कि उसमे कोई उदारता नही थी, बल्कि वह एक चाल थी, जिसे अधिकारियोने त्रावणकोर दरबारके खिलाफ उठ रहे आन्दोलनको शान्त करने और त्रावणकोरकी जनताके बीच विभेद डालनेके लिए अपनाया था। यदि श्री रामचन्द्रन द्वारा दी गई जानकारी सही हो तो दूसरा उद्देश्य तो बिलकुल नही पूरा हुआ, लेकिन पहला अंशतः सधा। कारण, कैदियोकी रिहाईके बाद भारतीय अखबारोको ऐसा लग रहा था कि संघर्ष समाप्त हो चुका है।

वैसे यह सोचकर मेरे मनको सुख मिलेगा कि उस आंशिक क्षमादानके पीछे कोई दुराशयता नही थी। यदि बात ऐसी हो तो मुझे लगता है कि राज्य-कांग्रेसको आसानीसे सन्तुष्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर अधिकारियोका उद्देश्य मेलजोल और शान्ति स्थापित करना नही, बल्कि कांग्रेसको कुचलना हो तो बात और है। यदि क्षमादानका कार्य और सुधार-समितिकी नियुक्ति राज्य-कांग्रेसकी सलाहसे सम्पन्न की जाये तो राजा और प्रजाके बीच शान्ति-सुलह कायम होनेमे कोई सन्देह ही नही है।

लेकिन शायद राजा या प्रजा किसीका भी ऐसा सद्भाग्य नहीं हो। उस हालतमें, राज्य-कांग्रेसवालोको यह याद रखना चाहिए कि सत्याग्रह अगर ससारकी सबसे बड़ी ताकत है, तो इसके लिए दिलमें क्रोध और दुर्भाव रखे बगैर अधिक-से-अधिक कष्ट-सहनकी क्षमता भी आवश्यक है। अत्याचारीकी करतूतोकी खबरें प्रकाशित करना तो ठीक है, लेकिन सत्याग्रहियोके लिए यह भी आवश्यक है कि उनमें अपार कष्टसहनकी असीम क्षमता हो और साथ ही अन्ततः सत्यके विजयी होनेकी ज्वलन्त श्रद्धा भी।

कांग्रेसने छः हफ्तेकी मियाद रखकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर उसे लगे कि मनुष्यके लिए जहाँ तक सम्भव है वहाँ तक अहिसाका पालन हो सके और

रचनात्मक कार्य जारी रह सके, इस दृष्टिसे लोगोको तैयार करनेके लिए इतना समय पर्याप्त नही है तो उसे इस अवधिको और बढा देना चाहिए। यह उसके लिए लज्जा नही, वल्कि और भी श्रेयकी वात होगी। यदि विवेकहीन लोग और अनुदार आलोचक अवधि बढानेको कमजोरीकी निशानी मानें तो सत्याग्रहियोको ऐसे दोषारोपणकी परवाह नही करनी चाहिए। आखिर यह वात तो सिपाही ही जानता है कि उसे कब अपने हाथ रोक रखने है और कब आगे बढना है। वह जानता है कि अक्सर तथाकथित निष्क्रियतामें भी सक्रियता हुआ करती है और विवेकशून्य सक्रियता सच्ची निष्क्रियतासे भी बदतर है। और कमजोर वह नही है, जिसे कमजोर कहा जाता है, बल्कि वह है जो ऐसा महसूस करता है कि मैं कमजोर हूँ। कार्य-समितिके सदस्य इस वातको समझ लें कि अहिंसात्मक सघर्षके लिए यह जरूरी है कि हिंसात्मक प्रवृत्तिपर — फिर चाहे वह प्रवृत्ति किसी प्रकार और किसीके भी द्वारा उभारी जाये — आम और प्रभावकारी नियन्त्रण कायम किया जाये। यदि सघर्ष फिर कभी आरम्भ किया जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे तारोंके उत्तरमें मुझे यह नही सुननेको मिलेगा कि इस हिंसाके लिए — यदि हिंसा भड़क उठे तो — काग्रेस जिम्मेदार नही है। क्या उत्तरदायी शासनका मतलब यह नही है कि जनताके समस्त कार्योंके लिए सर्वोच्च सत्ता द्वारा नियुक्त तानाशाह नही, बल्कि स्वय जनता ही जिम्मेदार है? उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि यदि हिंसा जरा भी बड़े पैमानेपर भड़की तो वह शायद सत्याग्रहको पुन स्थगित करनेका सकेत हो सकती है, बल्कि कदाचित् होगी ही। ऐसी परिस्थितिमें बारडोलीमें सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा था, हालाँकि जो हिंसा हुई थी वह बारडोलीसे बहुत दूर चौरीचौरामें हुई थी।[1]'

सेगांव, २० फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-२-१९३९

४९८. लीम्बड़ीमें अंधेरगर्दी

लीम्बडी काठियावाडकी एक रियासत है। उसकी इस वातके लिए शोहरत थी कि वह एक प्रगतिशील राज्य है। वहाँके बहुत-से कार्यकर्ताओको मैं जानता हूँ। वे बुद्धिमान, त्यागी और परिश्रमी हैं। अन्य अनेक राज्योकी तरह लीम्बडीकी प्रजामे भी काफी जागृति आई। वहाँके कार्यकर्ता अक्सर इस वातका गर्व किया करते थे कि उनके युवराज प्रगतिशील हैं। लेकिन अब उन्हे पता लगा है कि उन्होने पश्चिमके तानाशाहियोके कुछ अजीव रवैये अख्तियार कर रखे है। वे छोटे-से लीम्बडी नगरमें तो सुधारकोको चाहे जो करने देते है, लेकिन गाँवोमें उनका जाना उन्हे बिलकुल मजूर नही है। गाँवोमें वे बीचमें किसीको आने दिये बगैर खुद अपने

१. देखिए खण्ड २२, पृ० ३९९-४००।

ही प्रयोग करनेवाले थे। लीम्बड़ीके सुधारकोंने सोचा कि गाँववालोंके बीच काम करनेका उन्हें भी उतना ही हक है जितना कि युवराजको है — खासकर उस हालतमें जबकि वे उनके साथ पहले ही अपना सम्बन्ध कायम कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने गाँवोंमें जानेकी हिम्मत की। इसका जो नतीजा हुआ, वह नीचे दिये हुए तारसे मालूम होगा :

> ५ तारीखकी आधी रातको लाठियों, धारियों, देशी बन्दूकों, तलवारों और फरसोंसे लैस कम-से-कम अस्सी आदमियोंने पंसीना गाँवपर धावा बोल दिया। गाँवमें घुसनेके रास्तोंपर तीनसे लेकर पाँच आदमियों तकके जत्थोंका पहरा बिठा दिया गया। बीस आदमियोंके दो जत्थे गाँवमें गये और प्रजा-मण्डलके कार्यकर्ताओं तथा उनसे सहानुभूति रखनेवालोंके मकान उन्होंने डकैतीके लिए चुन लिये। सबसे पहले वे प्रजामण्डलके दफ्तरमें गये और बाहरसे उसकी साँकल चढ़ा दी, ताकि स्वयंसेवक बाहर न जा सकें। इसके बाद एक जत्था एक प्रमुख व्यापारी और प्रजामण्डलके कार्यकर्ता छोटालालके मकानपर पहुँचा और उन्हें तथा उनकी पत्नीको बुरी तरह मारा-पीटा। इस मार-पीटमें उनकी पत्नीको बुरी तरह चोट आई, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगोंमें भी चोट आई। प्रजामण्डलकी स्थानीय शाखाके प्रमुखपर तलवारसे हमला किया गया, जिससे उनके फेफड़ेमें जख्म हो गया। कोई तीस आदमी बुरी तरह घायल हुए। प्रजामण्डलके सक्रिय सदस्योंके दस-बारह घरोंसे लगभग साठ हजार रुपये कीमतके जेवर, नकदी तथा माल लूटा गया। डाकू कोई दो घंटे तक हवामें तथा मकानोंपर बराबर गोलियाँ चलाते रहे। इसके बाद वे रालोल नामके दूसरे गाँवमें गये, जो पंसीनासे दो मील दूर है। वहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ जन-आन्दोलनसे सहानुभूति रखनेवाले तीन सुनार और एक बनिया बुरी तरह घायल हुए और दस हजार रुपये कीमतका माल डाकू लूटकर ले गये। जयचन्द वालजी नामक एक बनियेपर आज सियानीमें चाकूसे हमला हुआ। चार जगह चाकू भोंककर उसे लूट लिया; उसकी बहनको भी मारा-पीटा। लोगोंके सामने ऐसा शक करनेके ठोस कारण मौजूद हैं कि डकैतीमें सरकारी अधिकारियोंका हाथ है। कुछ डाकू तो राज्यके पागी तथा पासायत ही बताये जाते हैं। सच तो यह है कि प्रजामण्डलके कार्यकर्ताओं और उनसे सहानुभूति रखनेवालोंको पिछले सप्ताहसे राज्यके पागी-पासायत इस बातकी धमकी भी दे रहे थे कि तुम्हें लूटा और मारा-पीटा जायेगा। लूटका माल कोई आठ मोटरों तथा दो बसोंमें रखकर ले जाया गया, जो खानगी जगहोंसे नहीं मिल सकती थीं। डाकू दो घंटे तक बराबर हवामें गोलियाँ चलाते रहे। इतने सारे कारतूस खानगी लोगोंसे नहीं मिल सकते थे। राज्यकी पुलिसने अभी तक कोई तहकीकात शुरू नहीं की है। यहाँ तक कि पंचनामे भी नहीं बनाये

गये हैं। राज्यने राजधानीसे कोई डॉक्टरी सहायता भी नहीं भेजी है। ठाकुर-साहबसे शिकायत करनेपर भी उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। राज्यके पासायत दूसरे गाँवोंमें भी ऐसे ही डाके डालनेकी धमकियाँ दे रहे हैं। पहलेकी गुण्डागर्दीकी घटनाओंसे इस सन्देहकी और पुष्टि होती है। जाम्बूमें मुखीके आदमियों द्वारा भक्तिबाकी मोटरगाड़ीपर किया गया हमला, सियानीमें प्रजामण्डलकी मोटरगाड़ीका तोड़ा जाना और ड्राइवर तथा कार्यकर्ताका पीटा जाना, रसका गाँवमें प्रजामण्डलके सदस्योका पीटा जाना, सियानीमें स्वयंसेवकोंके प्रमुखको पासायतों द्वारा मार देनेकी धमकी देना, सियानीमें लगभग तीस गुण्डोका लाठियो, धारियों और चाकुओसे लैस हो खुले आम घूमना और ऐसी ही अन्य कई घटनाओके कारण यहाँके लोगोंके मनमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि यह संगठित गुण्डागर्दी राज्यने हालमें छिड़े जन-आन्दोलनको दबानेके लिए शुरू कराई है। इन घटनाओंकी ओर ठाकुरसाहबका ध्यान वार-वार आकर्षित किया गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पिछली डकैतीके विरोध स्वरूप नगरसेठ लालचन्दभाई और दुर्लभजी उमेदचन्द और अमूलख अमीचन्द जैसे प्रमुख नागरिकों सहित कोई ४००-५०० लोगोंने भूख-हड़ताल शुरू कर दी है और वे दिन-रात महलके बाहर धरना दिये बैठे हैं। कोई तीन हजार और लोग भी आज सवेरे उनमें शामिल हो गये हैं। राज्यके खिलाफ लोगोंमें भारी क्षोभ है। लोग पूरी तरह अहिंसात्मक बने हुए हैं और हरएक मुसीबतका सामना करनेके लिए तैयार हैं।

उन्होंने अपनी परिषद्की एक सभा करनेकी घोषणा करनेका भी साहस किया तो उसका जो परिणाम हुआ है, वह मुझे भेजे निम्नलिखित सन्देशसे स्पष्ट हो जायेगा:

प्रजा-परिषद्की बैठक कल करनेकी व्यवस्था की गई है। प्रजा-परिषद्को भंग करनेके लिए लीम्बड़ीमें बहुत-से गुण्डे लाये गये हैं। लोगोंको शक है कि इसमें सरकारी अधिकारियोंका हाथ है। ऐसा शक करनेके सबल कारण हैं। लाठियों, नंगी तलवारों, बन्दूकों, धारियोंसे लैस गुण्डोंका जलूस सारे दिन कस्बेमें घूमता रहा। उनमें से कुछने कुछ स्त्रियोंको मारने-पीटनेकी भी कोशिश की। बम्बईके एक प्रमुख व्यापारी सेठ अमूलख अमीचन्दने बीचमें पड़कर कहा कि स्त्रियोंके बजाय तो मुझे मार लो तो ठीक होगा। सेठ दुर्लभजी उमेदचन्द और भगवानलाल हरखचन्द छः पुरुष स्वयंसेवकोंके साथ तुरन्त घटनास्थलपर पहुँचे। पुरुष स्वयंसेवकोंको निर्दयताके साथ लाठियोंसे पीटा गया। एक दूसरी जगह गुण्डोंने भावनगरके वकील प्रह्लादराय मोदीको पकड़ लिया और तभी छोड़ा, जब उन्हें यह मालूम हो गया कि वे प्रजा-मण्डलके कार्यकर्ता नहीं हैं। भोगीलाल गांधीको नंगी तलवार लिए एक गुण्डेने मार डालनेकी धमकी दी। मनुभाई ठाकरपर लाठीकी मार पड़ी। गुण्डे

प्रजामण्डलके दफ्तरके बाहर शोर मचा रहे हैं। सियानीके तपुभा नामक व्यक्ति, जो एक सरकारी मुलाजिम है और जिसने दो दिन पहले सियानीमें प्रजामण्डलके स्वयंसेवकोंको पीटा था, के नेतृत्वमें गुण्डोंका एक जत्था स्थानकवासी भोजनशालाके बाहर, जहाँ गाँवोंसे आये हुए किसान सो रहे हैं, आ डटा है। जो भी आदमी बाहर निकलता है उसे वे मार डालनेकी धमकी देते हैं। सड़कोंपर गुण्डोंके अनेक जत्थे घूम रहे हैं। लगभग फौजी नाकेबन्दीकी-सी स्थिति है, जो एक तरहसे राज्य द्वारा फौजी कानून लागू कर दिये जानेके समान है। लोगोंका खयाल है कि इस सबमें राज्यका हाथ है। गण्यमान्य लोगोंने पुलिस-अधीक्षक नरुभाको इनमें से कुछके साथ बातें करते देखा है। बहुत-से किसानोंको जबरदस्ती गाँवोंसे लाकर इन गुण्डोंके नेतृत्वमें जलूस बनाकर गली-सड़कोंपर घूमनेके लिए विवश किया जा रहा है। लोग पूरी तरह अहिंसात्मक रुख अपनाये हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि परिषद्‌की बैठक करनेके अपने हकके लिए जो भी मुसीबत सहनी पड़ेगी, उसे वे सहेंगे।

अब मुझे मालूम हुआ है कि जिन लोगोका इस सन्देशमें वर्णन किया गया है उन्होने बादमे दरबार गोपालदास देसाई और उनकी पत्नी भक्तिबाको घेर लिया। दोनोके ही हलकी चोटे आई। गुण्डोको भी थोड़ी देरके लिए यह सन्तोष मिला कि उन्होने परिषद्‌की बैठक नही होने दी।

इन सन्देशोमें घटनाओका वर्णन इतने ब्योरेवार ढंगसे किया गया है कि वे सहज ही विश्वसनीय लगती हैं और इन सन्देशोमे अविश्वास करनेका मुझे कोई कारण नही दिखाई देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि सन्देश ऐसे लोगोने भेजे है जिनके बारेमे मेरी मान्यता है कि वे न तो कोई बात बढ़ा-चढाकर कह सकते है और न झूठमूठ गढ़कर ही।

सुधारकोमे अगर मर-मिटनेकी हिम्मत है और वे सचमुच प्रजाकी इच्छाओंका ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस सब अन्धेरगर्दीके बावजूद उनकी जीत जरूर होगी। बाहरके लोग भी उनकी मदद करेगे। सर्वोच्च सत्ता भी सधिकी शर्तोके अनुसार उनकी मदद करनेके लिए बँधी हुई है। प्यारेलालने ली वार्नरकी पुस्तकसे उद्धरण देकर यह बात भलीभाँति सिद्ध कर दी है। लेकिन सत्याग्रहियोंको यह जान लेना चाहिए कि मुक्ति किसी बाहरी सहायता से नही, बल्कि खुद अपने अन्दरकी शक्तिसे ही मिलती है। अगर वे अपनी आत्माकी रक्षा करना और स्वतन्त्रता जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, प्राप्त करना चाहते है तो उन्हे अपना सब-कुछ न्योछावर कर देना पड़ेगा।

सेगाँव, २० फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-२-१९३९

४९९. पत्र : शारदाबहन गो० चोखावालाको

सेगाँव, वर्धा
२० फरवरी, १९३९

चि० बबुडी,

तेरा पत्र मिला। लगता है, तू होशियार होती जा रही है। धीरजसे सब ठीक हो जायेगा। बुखारसे पिंड छुड़ाया, यह अच्छा किया। अब काममें भी जुट जाना। खाने-पीनेमें जो माफिक आये, सो खाना।

मेरा सीमा-प्रान्त जाना, हो सकता है, १२ के बाद हो। मेरी तबीयत अच्छी है। बहुत करके तो मैं कांग्रेसके अधिवेशनमें नहीं जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०००८) से; सौजन्य : शारदाबहन गो० चोखावाला।

५००. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
२० फरवरी, १९३९

बा,

सावधान रहना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। सब आ गये हैं, इसलिए अब अधिक नहीं लिखता। आज नानावटी काकाके पास रहने चले गये।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३४

५०१. पत्र : विजयाबहन म० पंचोलीको

सेगाँव, वर्धा
२० फरवरी, १९३९

चि० विजया,

मेरे पत्र मिले होंगे। तू कितनी खराब है! इस तरह चक्कर क्यों आने चाहिए? अपने घर जानेमें इतना दुःख क्यों? सावधान हो जा और उल्लासपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन कर। [इस तरह] तेरा बार-बार बीमार पड़ते रहना चलेगा नहीं। बा को पत्र लिखना। पतेकी जगह मार्फत प्रथम सदस्य लिखना। औरोंको भी लिखना।

आज अमृतलाल काकासाहबके पास रहने चले गये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७११०) से। सी० डब्ल्यू० ४६०२ से भी; सौजन्य : विजयाबहन म० पंचोली।

५०२. पत्र : बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' को

सेगाँव, वर्धा
२० फरवरी, १९३९

भाई बाल कृष्ण शर्मा,

कानपुरमें कया किया? कयों इतनी अशांति[1]? कोई गणेश शंकर विद्यार्थी[2] ने बलीदान दिया?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७५१६) से। सी० डब्ल्यू० ४९९३ से भी; सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा।

१. ११ फरवरी से १३ फरवरी, १९३९ तक कानपुरमें साम्प्रदायिक दंगे हुए थे।

२. **प्रताप** के सम्पादक; वे मार्च १९३१ में कानपुरके हिन्दू-मुस्लिम दंगेके दौरान मारे गये थे।

५०३. तार: अकबर हैदरीको[1]

सेगाँव, वर्धा
२१ फरवरी, १९३९

सर अकबर हैदरी
हैदराबाद दकन

जवाबमें आपका तार शोलापुरसे मिला। अनुमति मिल जानेके बाद हमारे प्रतिनिधि सुन्दरप्रसादने सत्रहको गुलबर्गा जेलमें नारायणस्वामीसे भेट की[2] . . . कैदियोकी वर्दी और पैरमें बेडी पहने हुए थे।

गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९७) से; सौजन्य: आन्ध्रप्रदेश सरकार।

५०४. पत्र: अकबर हैदरीको[3]

सेगाँव, वर्धा
२१ फरवरी, १९३९

प्रिय सर अकबर,

आर्य समाज सत्याग्रहके बारेमें एक पत्र इसके साथ है। उनकी माँग मुझे युक्ति-युक्त लगती है। पर आपकी बात सुननेसे पहले मैं सार्वजनिक रूपसे कुछ कहना नही चाहता।

राज्य-कांग्रेसके बारेमें अपने पत्र[4] के उत्तरकी मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९६) से; सौजन्य: आन्ध्रप्रदेश सरकार।

१. इस तारकी फोटो-नकल नई दिल्लीमें आयोजित १९६९-७० की गांधी दर्शन प्रदर्शनीमें दिखाई गई थी।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द अस्पष्ट है।

३. इस पत्रकी फोटो-नकल नई दिल्लीमें आयोजित १९६९-७० की गांधी दर्शन प्रदर्शनीमें दिखाई गई थी।

४. देखिए पृ० ३४१-३।

५०५. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
२१ फरवरी, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

आपके सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट पत्रके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।[1] इन परिस्थितियोंमें मैं उस समयकी प्रतीक्षा करूँगा जो आपके विचारमें हमारी भेंटके लिए उपयुक्त होगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे. लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार। सी० डब्ल्यू० ७८१० से भी।

५०६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
२१ फरवरी, १९३९

बा,

तेरे पत्र बराबर मिलते हैं। मेरी डाक यहाँसे तो ठीक जाती है, लेकिन वहाँ समयपर क्यों नहीं मिलती, इसकी जाँच करूँगा। अपनी तबीयतका अच्छी तरह

१. लॉर्ड लिनलिथगोने १९ फरवरीके अपने पत्रमें अपने नाम गांधीजीके १२ फरवरीके पत्रका उल्लेख किया था और कहा था कि "जिस लेखको आपने मुझे दिखा देनेकी कृपा की थी उसे प्रकाशित करनेके आपके फैसलेके बारेमें मुझे जरा भी गलतफहमी नहीं है। (यह सम्भवत: ३०-१-१९३९ का "जयपुर" शीर्षक लेख था, जिसके बारेमें गांधीजीने लॉर्ड लिनलिथगोको ३१-१-१९३९ के अपने पत्रमें यह लिखा था कि मैं इसे प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ, और जिसे, जाहिर है, बादमें उन्होंने प्रकाशित करनेका फैसला कर लिया।) गांधीजीके उनसे भेंटके सुझावके विषयमें उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी यदि आप समझते हैं कि हमारी भेंट होनी चाहिए तो मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। पर मैं चाहूँगा कि वह मेरी राजपूतानाकी यात्राके बाद हो।

ध्यान रखना। मुझे ब्योरेवार समाचार मिलने ही चाहिए। बाकी प्रभा लिखेगी। सुशीलाकी खुराककी देखभाल मैं आजकल नहीं कर पाता। तूने ठीक जताया।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३४

५०७. बातचीत : हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ[1]

सेगाँव
२१ फरवरी, १९३९

सत्याग्रही, सेनापतिकी तरह, लड़ाईके लिए समय और स्थानका चुनाव सदा स्वयं करता है। अपने ध्येयको आगे बढ़ानेके अन्य सभी साधन जब तक चुक न जायें, सत्याग्रहको प्रयोगमें नहीं लाना चाहिए। सशस्त्र युद्ध तक में लड़ाई स्थगित कर देना और पीछे हटना सामरिक दाँव-पेंचोंके अंतर्गत माने जाते हैं।

[सत्याग्रह] स्थगित करनेका अर्थ यह नहीं है कि यदि लोगोंको न्यायोचित, शान्तिपूर्ण और रचनात्मक गतिविधियोंमें भाग लेते हुए गिरफ्तार किया जाये, तो भी गिरफ्तारीका सामना न करो। ये गतिविधियाँ सविनय अवज्ञा नहीं होगी। [सत्याग्रह] स्थगित करनेका आपका फैसला बुद्धिमत्तापूर्ण है। इससे आपने कुछ भी खोया नहीं है। परिस्थितिकी फिर माँग होनेपर और ऐसे पर्याप्त कारण उपस्थित होनेपर जो सत्याग्रह फिर शुरू करनेको बाध्य करते हों, आप सत्याग्रह फिर आरम्भ कर सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो उस हालतमें आपको उससे रोक सके।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २२-२-१९३९

१. हैदराबाद राज्य-कांग्रेसका एक प्रतिनिधि-मण्डल २१-२-१९३९ को गांधीजीसे मिलने आया था और उसने उन्हें अपने इस फैसलेकी सूचना दी थी कि सत्याग्रह कुछ और समय तक स्थगित रहेगा। सत्याग्रह २६-१२-१९३८ को या उसके आसपास स्थगित किया गया था। देखिए "पत्र : अकबर हैदरीको", पृ० २७४ और "हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा", पृ० २६८-९।

५०८. शरारतपूर्ण सुझाव

एक पत्र-लेखकने मुझे 'बॉम्बे क्रॉनिकल' की एक कतरन भेजी है, जो निम्न प्रकार है :

'मैनचेस्टर गार्जियन' को लिखे एक पत्रमें श्री रशब्रुक विलियम्सने कहा है कि पिछले वर्षके कुछ अन्तिम महीनोंके दौरान कांग्रेस हाई कमानके दक्षिण-पंथी लोग निश्चित रूपसे ऐसा रुख अपनाते जा रहे थे जिसपर से महात्मा गांधी चाहते तो केन्द्रीय सरकारके सम्बन्धमें अधिकारियोंसे कुछ वैसी ही बातचीत चला सकते थे जैसी बातचीत उन्होंने प्रान्तीय सरकारोंके सम्बन्धमें सफलतापूर्वक चलाई थी। तब जो चीज कांग्रेसको संघ-व्यवस्थाकी स्थापना जैसी जान पड़ी उसके कारण उसे अपनी शक्तिका हिसाब-किताब लगाना आवश्यक हो गया। उसे मुसलमानोंका बहुत कम समर्थन प्राप्त था और उनके समर्थनसे वंचित रहकर — जिसका कारण मुस्लिम लीग थी — वह केन्द्रमें तब तक सरकार नहीं बना सकती जब तक कि उसे नये मित्र न मिल जायें। इसलिए देशी राज्योंपर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी था, ताकि राज्योंके प्रतिनिधियोंके रूपमें केन्द्रीय विधान-सभामें ऐसे लोग आ सकें जो कांग्रेस-कार्यक्रमके प्रति सहानुभूतिका रुख रखते हैं।

वे आगे कहते हैं : "यह बात कुछ कम महत्वकी नहीं है कि डॉ० पट्टाभि सीतारामय्याका देशी राज्य प्रजा परिषद्से निकटका सम्बन्ध है, लेकिन श्री बोसके [कांग्रेस-अध्यक्ष] चुने जानेसे दक्षिण पक्षको भारी धक्का लगा है और इसके कारण, हाई कमानके मनमें अधिकारियोंसे जो और जैसा भी मेल-मिलाप कायम करनेकी बात थी, वह भविष्यके लिए टल गया है। श्री बोसको देशी राज्य पसन्द नहीं हैं, लेकिन साथ ही उन्हें संघ-व्यवस्था भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए नई केन्द्रीय संस्थाओंपर कांग्रेस-प्रभुत्व कायम करनेकी तैयारीके सिलसिलेमें राज्योंको मित्र बनानेकी कोशिशके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। बात यह है कि ब्रिटिश भारतके भाग्यका निबटारा ब्रिटिश भारत ही करे, इस दृष्टिसे वे देशी राज्योंको अभी पास नहीं फटकने देना चाहते। वैसे उनके मनमें यह मनसूबा तो है ही कि अन्ततः देशी नरेशोंको स्थान-च्युत करके देशी राज्योंको अपनी कल्पनाके स्वशासित भारतमें शामिल कर लें।"

श्री विलियम्स एक पुराने 'शत्रु' हैं। असहयोग आन्दोलनके दिनोंमें उन्होंने एक सरकारी अब्द-कोश (इयर-बुक) का सम्पादन किया था। उसमें उन्होंने अपनी

कल्पनाकी खीचतानके वलपर वहुत-सी वाते लिखी, और जिन तथ्योके उल्लेखसे वे किसी तरह वच नही सकते थे, उन्हे उन्होने विलकुल अपने ही रंगमे रँगकर पेश किया। और अगर यह मान ले कि उपर्युक्त पत्रमे उनकी वाते सही-सही उद्धृत की गई है तो कहना होगा कि 'मैनचेस्टर गार्जियन' को लिखे अपने पत्रमे उन्होने फिर वही भूमिका दोहराई है। यह कहना विलकुल गलत है कि काग्रेस हाई कमानके दक्षिणपथी लोग निश्चित रूपसे या किसी रूपमे वैसा रुख अपनाते जा रहे थे जिसकी कल्पना श्री विलियम्सने की है। मुसलमानोके समर्थनके सम्वन्धमे कही गई वात दुष्टतापूर्ण है। मेरे मनमे क्या है, मै जानता हूँ, और जहाँ तक कांग्रेसके मनकी वात मै जानता हूँ वहाँ तक कह सकता हूँ कि न तो काग्रेसने और न मैने ही कभी भी इस वातकी कल्पना की है कि मुसलमानोके समर्थनके विना भी सघ-व्यवस्था कायम हो सकती है। सच तो यह है कि जव तक मुसलमान सघ-व्यवस्थाका विरोध कर रहे है तव तक काग्रेसको उस व्यवस्थाके आनेकी कोई फिक्र करनेकी जरूरत ही नही है। इसलिए जव तक पूर्ण साम्प्रदायिक एकता स्थापित नही हो जाती तव तक कोई भी काग्रेसी सघ-व्यवस्थाकी — चाहे वह सरकारी टकसालमे तैयार की गई हो या विशुद्ध स्वदेशी साँचेमे — वात न सोच सकता है, न कर सकता है।

डॉ० पट्टाभिके वारेमे तो सारा हिन्दुस्तान जानता है कि जव मौलाना साहवने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली तव अन्तिम क्षणमे उनकी उम्मीदवारीका खयाल आया और सो भी इसलिए कि तव सुभाष वावूके अलावा केवल वही एक उम्मीदवार रह गये थे। राज्य प्रजा परिषद्से उनके सम्वन्धके कारण श्री विलियम्सको एक ऐसा तथ्य जरूर मिल गया जिसके सहारे वे अपनी काल्पनिक दलीलका महल खड़ा कर पाये।

रही सुभाष वावूके सम्वन्धमे श्री विलियम्स द्वारा कही गई व्यग्योक्तियाँ, सो सुभाष वावू अपना बचाव स्वय कर सकनेमे समर्थ है। लेकिन उनके साथ एक सालमे मेरा जो गहरा सम्पर्क रहा है उसके दौरान मैने उन्हे कभी भी देशी राज्योके वारेमे वैसा विचार व्यक्त करते नही सुना जैसा विचार रखनेका आरोप उनपर श्री विलियम्स लगाते है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि देशी राज्य अपनी-अपनी प्रजाके साथ उचित वरताव करनेके वारेमे कांग्रेसके साथ किसी समाधानपर पहुँच जायें तो सुभाष वावू किसी भी अन्य काग्रेसी-जैसी उत्सुकतासे उनके साथ सौदा पटानेको तैयार हो जायेंगे। लेकिन वे संघ-व्यवस्थाकी स्थापनाका खयाल करके ऐसा नही करेगे।

देशी राज्योके आन्दोलनसे मेरा सम्वन्ध प्रसगवश ही जुड गया है। देशी राज्योमे उत्तरदायी शासनकी स्थापना अपने-आपमे एक लक्ष्य है और सघ-व्यवस्थासे — जिसकी स्थापना शायद कभी हो ही नही — उसका कोई सम्वन्ध नही है। जव तक काग्रेस और मुसलमान दोनो उस व्यवस्थाके लिए तैयार नही हो जाते तव तक तो वह स्थापित होगी ही नही। लेकिन देशी राज्योकी प्रजाको स्वतन्त्रता

तो हर हालतमे मिलनी है। ऐसा नही हो सकता कि जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है, वह तो स्वतन्त्र हो जाये और देशी राज्योकी प्रजा जंजीरोंमे जकड़ी रहे।

सेगाँव, २३ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-३-१९३९

५०९. तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[1]

[२३ फरवरी, १९३९][2]

राइट ऑनरेबिल शास्त्री
मद्रास

मुझे कतई खबर नही थी कि आपके विश्वविद्यालयमे कोई गम्भीर संकट था। कल मिलनेवाले विस्तृत पत्रसे धक्का लगा और मेरा मन आपके पास दौड़ गया। मुझे उन छात्रोंपर तरस आता है जो आपके नेतृत्वके इतने अयोग्य सिद्ध हुए है।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल।

५१०. पत्र: कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
२३ फरवरी, १९३९

बा,

तेरी शिकायत है कि मैं तुझे पत्र नहीं लिखता, लेकिन आज तेरा पत्र नही आया; क्या बात है? यहाँ सब ठीक ही चल रहा है। चिन्ता करनेकी कोई बात नही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३४

१. श्रीनिवास शास्त्री इस समय अण्णामलै विश्वविद्यालयके उप-कुलपति थे।
२. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० ४९४।

५११. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

२३ फरवरी, १९३९

राजकोटमें कैदियोके और गाँवोके अन्यान्य लोगोके प्रति अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है और इसके खिलाफ कैदी भूख-हडताल कर रहे है, इस आशयके तार मेरे पास रोज आ रहे है। राजा साहबके वचन-भगके फलस्वरूप जबसे सघर्ष दुबारा शुरू हुआ है तबसे राजकोटका मामला प्रतिदिन अधिकाधिक गम्भीर होता जा रहा है। पूछताछ करनेवाले, जो इस बातपर बहुत उद्विग्न है, यह जान ले कि मै रियासतके अधिकारियोसे तारोके आदान-प्रदान द्वारा बातचीत चला रहा हूँ। ऐसी आशा करता हूँ कि शीघ्र ही मै सब लोगोको वस्तुस्थितिसे अवगत करा सकूँगा। इस दौरान सत्याग्रहियोको यह समझ लेना चाहिए कि उन्हे सबसे पहले जो गुण प्रकट करना है वह है — प्रसन्नतापूर्वक और किसीके भी प्रति राग और द्वेष रखे बिना कष्ट सहनेकी अपरिमित क्षमता।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-२-१९३९

५१२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

२३ फरवरी, १९३९

लॉर्ड ब्रैबोर्नकी मृत्युके समाचारसे मुझे गहरा शोक हुआ है।[2] मुझे उनसे घनिष्ठ मित्रताका सौभाग्य प्राप्त था।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २४-२-१९३९

१. यह **हरिजन**, ४-३-१९३९ में भी "गांधीजीज स्टेटमेंट ऑन राजकोट" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. लॉर्ड ब्रैबोर्नका, जो बम्बई तथा बंगालके गवर्नर रह चुके थे, २३ फरवरीको कलकत्तामें निधन हो गया था।

५१३. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

२३ फरवरी, १९३९

अण्णामलै विश्वविद्यालयसे अपने एक साथीके नाम भेजा हुआ एक पत्र[2] मैंने कल देखा। इसमें विद्यार्थियोकी हड़तालका सविस्तार विवरण है। पत्रके अनुसार हड़ताली छात्र हड़तालमें शामिल न होनेवाले छात्रोंको कक्षाओमे जानेसे रोकनेके लिए प्रवेशद्वारोके सामने जमीनपर लेट जाते है और जब कक्षाएँ लगती है तो वे कक्षाओके कमरोमे दाखिल हो जाते है, चिल्लाते है और दूसरे तरीकोसे कक्षाओंका चलना असम्भव बना देते हैं। पत्रके अन्तमे कहा गया है कि यदि हड़तालियोंको यह पता चल जाये कि उनके द्वारा अपनाये गये तरीके मेरी रायमे अहिंसाके सिद्धान्तके विपरीत है तो वे शायद हड़ताल बन्द कर दे।

मैंने जो विवरण उद्धृत किया है यदि वह सही है तो मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नही है कि हड़तालियों द्वारा अपनाये गये तरीके अहिंसात्मक तो है ही नही अपितु वे निश्चित रूपसे हिंसात्मक है। मैं हड़तालियोंसे प्रार्थना करूँगा कि वे जो तरीके अपना रहे हैं उनसे बाज आ जायें और जो छात्र कक्षाओमें जाना चाहते हैं उन्हें बिना किसी रुकावटके जाने दे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-२-१९३९

५१४. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

२४ फरवरी, १९३९

वाइसरायके निजी सचिव
नई दिल्ली।

राजकोटके प्रथम सदस्यको निम्नांकित तार भेजा है :[3]
कृपया इसे वाइसराय महोदयके आगे प्रस्तुत कीजिए।

गांधी

अंग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७८११) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

१. यह **हरिजन**, ४-३-१९३९ में "स्टुडेन्ट्स स्ट्राइक ऐट अण्णामलै" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

२. देखिए "क्या यह अहिंसा है?", पृ० ५०७-१०।

३. तारके पाठके लिए देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० ४९८-५०२।

५१५. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

सेगाँव
२४ फरवरी, १९३९

बा,

अब तो तुझे पत्र मिलते रहते होगे। लडकियोसे जितनी सेवा ली जा सकती है, उतनी तो लेता हूँ। धीरज और हिम्मतसे काम लेना। सभी ठीक होकर रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० ३४

५१६. बातचीत : एक आश्रमवासीके साथ[1]

सेगाँव
२४ फरवरी, १९३९

कौन जानता है? परन्तु लगता है, वैसा नही होगा। मुझे आशा है कि यह यात्रा बहुत थोडे समयकी होगी। राजकोटके राज-परिवारसे मेरे सम्बन्ध ऐसे है कि मै उनसे साफ-साफ बातचीत कर सकता हूँ। या तो ठाकुर साहब इकरारनामेको बहाल करेगे या मुझसे रेजिडेटसे बात करनेको कहेगे और उनके साथ यह मामला निबटानेमे मुझे देर नही लगेगी। मामला इतना स्पष्ट है कि मुझे किसी गम्भीर प्रतिरोधकी आशका नही है। इसमे मेरी अहिंसाकी कसौटी भी होगी। लोग सोच सकते है कि बुढापेमे मुझपर यह क्या सनक सवार हो गई है कि मै राजकोट-जैसी छोटी-सी रियासतको इतना महत्व देता हूँ। परन्तु मेरे मनकी रचना ऐसी ही है। जब मेरी नैतिक भावनापर आघात होता है तब मै चुप नही बैठा रह सकता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-३-१९३९

१. प्यारेलालके "द राजकोट फास्ट" से उद्धृत। राजकोट जानेका गाधीजीका निर्णय सुननेपर एक आश्रमवासीने उनसे पूछा था कि उनके कबतक वापस आनेकी आशा है और क्या राजकोटमें कस्तूरबाकी तरह उनके भी "राज्यका मेहमान" बनाये जानेकी सम्भावना है।

५१७. पत्र : विजयाबहन म० पंचोलीको

[२५ फरवरी, १९३९ के पूर्व][1]

चि० विजया,

अब तो मैं तेरे नजदीक आ रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोनो को राजकोट आना चाहिए। अपना स्वास्थ्य ठीक करना। बीमार मत पड़ना। अब तो आनन्दमें होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१०५) से।

५१८. दानकी जगह काम[2]

जो भूखे और बेकार हैं उन्हे भगवान केवल एक ही विभूतिके रूपमें दर्शन देनेकी हिम्मत कर सकते हैं; वह विभूति है काम और अन्नके रूपमे वेतनका आश्वासन।

नंगोको जिनकी जरूरत नही है ऐसे कपड़े देकर मैं उनका अपमान नही करना चाहता। मैं उसके बदले उन्हें काम दूँगा क्योंकि उसीकी उन्हे सख्त जरूरत है। मैं उनका आश्रयदाता बननेका पाप कभी नही करूँगा। लेकिन यह महसूस करनेपर कि उनको तबाह करनेमे मेरा भी हाथ रहा है, मैं उन्हे समाजमे सम्मानका स्थान दूँगा। उन्हे जूठन या उतरन तो हरगिज नही दूँगा। मैं उन्हे अपने अच्छेसे-अच्छे खाने और कपड़ेमें हिस्सेदार बनाऊँगा और उनके परिश्रममें खुद योग दूँगा। बिना प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंगे मनुष्यको मुफ्तमें खाना देना मेरी अहिंसा बरदाश्त ही नही कर सकती। अगर मेरा वश चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है ऐसा प्रत्येक 'सदावर्त' या 'अन्नछत्र' मैं बन्द करा दूँ। उनकी बदौलत राष्ट्रका पतन हुआ है, और आलस्य, सुस्ती, दंभ तथा गुनहगारीको बढ़ावा मिला है।

हरिजन-सेवक, २५-२-१९३९

१. २५ फरवरीको गांधीजी राजकोटके लिए रवाना हो गये थे।

२. मूल रूपमें यह लेख गांधी सेवा संघकी मासिक पत्रिका **सर्वोदय** में प्रकाशित हुआ था।

५१९. पत्र : लॉर्ड लिनलिथगोको

सेगाँव, वर्धा
२५ फरवरी, १९३९

प्रिय लॉर्ड लिनलिथगो,

राजकोट रियासतके नाम मेरे तारका पाठ आपको कल रात तारसे भेजा गया था।[1] तथापि, मैं उसकी एक प्रति, साथ ही राजकोट का उत्तर और उसपर मेरे जवाबकी प्रतियाँ भी सलग्न कर रहा हूँ।

मेरे लिए राजकोटका प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न बन गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझते है और हर प्रकारसे आप मेरी सहायता करेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे : लॉर्ड लिनलिथगो पेपर्स; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार।

५२०. पत्र : अकबर हैदरीको[2]

सेगाँव, वर्धा
२५ फरवरी, १९३९

प्रिय सर अकबर,

आपके इसी माहके पत्रोंके लिए, जिनमें से दो १६ तारीखके और एक २१ तारीखका है, आभारी हूँ।

राज्य-कांग्रेसके बारेमें अभी फिलहाल तो हमें मान लेना चाहिए कि इस विषयमें हमारा मतभेद है। राज्य-कांग्रेसको दी गई मेरी सलाह आपने देखी ही होगी।[3] लेकिन इस बातको और ज्यादा सुनिश्चित करनेके लिए मैं सम्बन्धित कतरन

१. देखिए "तार : वाइसरायके निजी सचिवको", पृ० ४९४ और "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० ४९८-५०२।

२. पत्रकी फोटो-नकल १९६९-७० में नई दिल्लीमें आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनी, आन्ध्र प्रदेशके मण्डपमें प्रदर्शित की गई थी।

३. देखिए पृ० २६८-९।

इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ। आपने राज्य-काग्रेसका वह घोषणापत्र भी देखा होगा जिसमे मेरी सलाह मानी गई है। आप शायद यह कहेगे कि सलाह मानना भी काफी नही है। तथापि, मै आशा रखता हूँ कि किसी दिन आप मुझसे सहमत हो जायेगे और राज्य-काग्रेसके कैदियोको रिहा कर देगे और उसे सामान्य रूपसे कार्य करने देगे।

जहाँ तक महात्मा नारायणस्वामीका सम्बन्ध है, आपने जो-कुछ कहा है वह मैं समझता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इस मामलेका जिक्र आपसे किया।[1] अब मैं अपने सूचना देनेवालोको इस बातपर राजी करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि वे उस गलतीको सुधार ले जो मै समझता हूँ उनसे बिलकुल अनजानेमे हो गई है।

कैदियोके बारेमे आपके पत्रोके सन्दर्भमे मै आपकी इस बातसे सहमत नही हो सकता कि घी भी विलासकी वस्तु है। परन्तु मै आपका सुझाव ध्यानमें रखूँगा और किसी ऐसे व्यक्तिका नाम अवश्य सोच निकालूँगा, जिससे मै जाकर आपकी जेलोको देखनेके लिए कह सकूँ।

मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गये है और प्रस्तावित सुधारोंपर काम कर रहे है। वे प्रस्ताव, मुझे आशा है, समयकी भावनाके अनुकूल होंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १००९८) से; सौजन्य: आन्ध्रप्रदेश सरकार।

५२१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको[2]

२५ फरवरी, १९३९

मेरे और राजकोटकी राज्य परिषद्के प्रथम सदस्य[3] के बीच निम्नलिखित तारोंका व्यवहार[4] हुआ है:

> सुना है कि सरधारमें बन्दियोके साथ अमानुषिक बर्तावके कारण राजकोटकी जेलमे सत्याग्रही राजबन्दी अनशन कर रहे। क्या आप इसपर कुछ प्रकाश डाल सकते है? — गांधी (दिनांक २०-२-१९३९)
>
> आपका तार मिला। मै कल खुद सरधार गया था। कैदियोंके साथ दुर्व्यवहार किये जानेकी बात बिलकुल असत्य है। —परिषद्का प्रथम सदस्य (दिनांक २२-२-१९३९)

१. देखिए पृ० ४८७।

२. यह वक्तव्य **हरिजन**, ४-३-१९३९ में "गांधीजीज स्टेटमेंट ऑन राजकोट" शीर्षकके अन्तर्गत भी छपा था।

३. खान बहादुर फतेह मोहम्मद खान।

४. यहाँ उद्धृत तार किसी अन्य सूत्रसे प्राप्त नहीं हो सके।

तारके लिए धन्यवाद। अनशनके बारेमे आपके तारमे कुछ नही लिखा है। ज्यादतियोके बारेमे एक और लम्बा तार आया है, जिसपर विश्वास न करना मेरे लिए मुश्किल है। दिनो-दिन यह इच्छा प्रबल होती जा रही है कि मै खुद कूद पड़ूँ। ठाकुर साहबके वचन-भगका कष्ट अब आतकपूर्ण कार्योकी अधिकाधिक खबरे मिलनेके कारण असह्य हो गया है। ठाकुर साहब या परिषद् को झमेलेमे डालनेकी मेरी बिलकुल इच्छा नही है। मै चाहता हूँ कि आप इस बूढेकी बात सुन ले, जो राजकोटका मित्र होनेका दावा करता है।
—गाधी (दिनाक २१-२-१९३९)

सरधारके बन्दियोके साथ दुर्व्यवहार किये जानेके आरोपोंमें जरा भी सचाई नहीं है। सारी कहानी कपोल-कल्पित है। राजकोटके जैसी ही दैनिक खाने-पीने और सोनेकी व्यवस्था वहाँ भी है। इसी आशयकी सूचना मैंने स्थानीय जेलके उन बन्दियोंको, जो अनशनपर हैं, लिखकर दे दी है। इसपर भी वे अविचारपूर्वक अनशन करनेपर तुले हुए हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि [कैदियोके साथ] उचित बर्ताव हो, इसके लिए जो-कुछ सम्भव है वह सब किया जा रहा है। कृपाकर फिक्र न कीजिए। —प्रथम सदस्य (दिनांक २३-२-१९३९)

अगर सब समाचार कपोल-कल्पित ही है, तो मेरे और मेरे सहकर्मियोके लिए यह बडी गम्भीर बात है। अगर इनमें सच्चाई है, तो यह राज्यके अधिकारियोके लिए बुरी बात है। इधर, अनशन भी जारी है। मेरी चिन्ता असह्य है। इसलिए, मै तो कल रातको राजकोट रवाना होनेका विचार कर रहा हूँ। मेरे साथ एक चिकित्सा सहायक, सचिव और टाइपिस्ट रहेगे। मै सत्यकी खोजमे और शान्ति स्थापित करनेवालेके रूपमे राजकोट आ रहा हूँ।

मेरी गिरफ्तार होनेकी इच्छा नही है। मै खुद सारी बाते जानना चाहता हूँ। अगर सहकर्मियोपर बाते गढनेका दोष साबित हो जायेगा, तो मै उसका पर्याप्त प्रायश्चित्त करूँगा। ठाकुर साहबसे भी प्रार्थना करूँगा कि उन्होने प्रजाके साथ जो वचन-भग किया उसका वे परिमार्जन कर दे। मै प्रजासे कहूँगा कि वह कोई प्रदर्शन न करे और सरदारसे कह रहा हूँ कि मेरे शान्ति-प्रयत्नोके दौरान राजकोटमे स्थानीय या बाहरी लोगो द्वारा जो सत्याग्रह चल रहा है, उसे मुल्तवी रखा जाये।[1] अगर सद्भाग्यसे ठाकुर साहब और परिषद् समझौतेको इस शर्तके साथ ही सही फिरसे ज्यो-का-त्यो मान लें कि सुधार-कमेटीके सदस्योमे [दोनो पक्षोकी सहमतिसे] कुछ हेरफेर किया जा सकेगा, और राजबन्दी फौरन छोड़ दिये जाये तथा जुर्माने वापस कर दिये जाये, तो मै अपनी प्रस्तावित यात्रा रद कर दूँगा। सुधार-कमेटीके सदस्योके बारेमे समझौता करनेके लिए पूरे अधिकार देकर बातचीत की खातिर आप किसी अधिकारीको यहाँ भेज सकते है। सरदार पटेल द्वारा नामजद किये गये

१. २५ फरवरी, १९३९ को वल्लभभाई पटेलने एक वक्तव्य द्वारा सत्याग्रह मुल्तवी कर दिया था।

सदस्योंका बहुमत रहनेकी शर्त है। ईश्वर ठाकुर साहब और उनकी परिषद्के सदस्योंका मार्ग-दर्शन करे। क्या मैं एक्सप्रेस तारसे जवाबकी आशा करूँ? — गांधी (दिनांक २४-२-१९३९)

अपने तारके बाद आपको मालूम हुआ होगा कि कल रातको अनशन भंग कर दिया गया। श्री नानालाल जसाणी और श्री मोहनलाल गढ़ादावालाके तारसे आपको विश्वास हो गया होगा कि अनशनका कोई औचित्य नहीं था। ठाकुर साहब ऐसा नहीं समझते कि उनकी तरफसे वचन-भंग किया गया है और इस बातके लिए वे बहुत उत्सुक हैं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई प्रतिनिधि-कमेटी शान्त परिस्थितिमें अपना कार्य शुरू करे, ताकि जहाँ तक हो सके जल्दी-से-जल्दी वे कमेटीकी सिफारिशोंपर विचार करके जिन सुधारोंको ठीक समझें, लागू कर दें। ठाकुर साहबका विचार है कि ऐसी हालतमें आप भी मानेंगे कि आपके अभी आनेसे कोई फायदा नहीं हो सकता। वे एक बार फिर आपको आश्वासन देते हैं कि न तो कोई ज्यादती या आतंकपूर्ण कार्रवाई करने दी गई है, और न करने दी जायेगी। — प्रथम सदस्य (दिनांक २४-२-१९३९)

आपका तार मेरी हार्दिक प्रार्थनाका कोई जवाब नहीं है। मैं अपने शान्तिके मिशनपर आज राजकोटके लिए रवाना हो जाऊँगा। — गांधी (दिनांक २५-२-१९३९)

ये तार अपनी कहानी खुद कहते हैं। मुझे खुशी है कि अनशन तोड़ दिया गया है। इससे चिन्ताका एक कारण दूर हो गया है। लेकिन दुर्व्यवहारके समाचार बनावटी होनेका उनका आरोप कायम है। राजकोटके कई कार्यकर्ताओंको मैं खुद जानता हूँ। अगर उन्होंने अधिकारियोंके खिलाफ ज्यादतियोंके आरोप गढ़नेके लिए झूठका सहारा लिया है, तो मुझे और उन साथियोंको इसका पूरा परिमार्जन करना पड़ेगा। दूसरी रियासतोंके संघर्षोंकी तरह राजकोटका संघर्ष भी भारतकी स्वतन्त्रताके संघर्षका ही एक हिस्सा है। एक-दूसरेपर कीचड़ उछालनेसे कभी काम नहीं बनता। सत्यका जरूर पता लगाना चाहिए।

राजकोट राज्य-परिषद्के प्रथम सदस्यका तार इस बातसे इनकार करता है कि कोई वचन-भंग किया गया है। इससे मैं चकरा गया हूँ और मेरी समझमें नहीं आता कि इस खण्डनके क्या मानी हैं। समझौतेकी सूचना और उसके बाद सरदार पटेलसे मतभेद होनेकी सूचना, इन दोनोंको पढ़ा जाये तो उनमें साफ विरोध देखा जा सकता है।

मैंने यह कहा है कि इस वचन-भंगके लिए राजकोटका रेजिडेंट जिम्मेदार है।[1] मुझसे यह कहा गया है कि मैंने आरोप लगानेमें जल्दी की है और इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर ऐसा है, तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उसे जानूँ। मैं उनसे मुलाकात करनेकी कोशिश करूँगा और अगर मुझे यह मालूम हुआ कि मैंने उनके साथ

१. देखिए पृ० ३८१-६ और ४०३-६।

गैर-इन्साफी की है, तो मैं सार्वजनिक रूपसे माफी माँगूंगा। मैं समझता हूँ कि एक-दूसरेपर दोषारोपण होते रहनेकी हालतमे तकलीफे जारी रहने देना अनुचित है। इस बारेमे मैं जो कम-से-कम कर सकता हूँ, वह यह है कि मैं राजकोट जाऊँ और सत्यका पता लगाकर ठाकुर साहबको इस बातके लिए आमन्त्रित करूँ कि जो प्रत्यक्ष ही वचन-भग है उसे वे दुरुस्त करे। अलबत्ता, यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि इस आरोपका खण्डन किसी प्रकार उचित ठहराया जा सकता है तो और बात है।

अगर कार्यकर्ताओ द्वारा लगाये गये आरोप सच है, तो इस बातका प्रयत्न किया जायेगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये, जिससे कि मनुष्यके सबसे निकृष्ट भावोका ऐसा प्रदर्शन न हो सके। उसको उसकी निकृष्ट भावनाओसे बचाया जाना चाहिए। स्वातन्त्र्य युद्ध अगर अहिंसक है तो उसका यह भी काम है कि चाहे अधिकारियोमे गुण्डे हो या प्रजामे, उनको सुधारा जाना चाहिए। राजकोट आकर मुझे अपना पूरा जोर लगाकर समाजके गुण्डोसे निपटनेका रास्ता खोजना है। इस मामलेमे राजकोटका मामला एक आजमाइश है। मैं इसलिए राजकोट जा रहा हूँ कि मैं, जैसाकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अब भी रियासतोका वही पुराना मित्र हूँ।

इस बातसे मुझे बहुत तकलीफ होती है कि किन्ही परिस्थितियोसे —— जिन्हे मं शायद सर्वांशमे नही जानता —— लाचार हो जानेके कारण राजकोटके ठाकुर साहबको प्रजाको दिये गये वचनका उल्लघन करना पडा। मेरी रायमे अगर हिन्दुस्तान-भरके नही तो कम-से-कम काठियावाडके राजाओ और उनके सलाहकारोका यह कर्तव्य है कि वे इस गलतीको, अगर यह गलती ही हो तो, दुरुस्त कराये। यदि विश्वासकी कोई कीमत ही न रहे, तो फिर कोई सम्मानपूर्ण आपसी समझौता असम्भव हो जाता है। जब मैं विश्वास-भग होते देखता हूँ, जैसाकि इस मामलेमे हुआ है, तो मुझे जीवन भार-सा मालूम होने लगता है। यह बताना अनुचित न होगा कि समझौतेका मसविदा[1] मैंने ही बनाया था, जिसपर मामूली हेरफेरके बाद ठाकुर साहबने दस्तखत किया था। मै यह जानता हूँ कि सरदार वल्लभभाई पटेलने इस बातमे कोई कोशिश उठा न रखी थी कि अच्छी तरह सोच-समझकर ही उसपर दस्तखत किये जाये।

चूंकि मै शान्तिके सन्देशवाहकके रूपमें ही राजकोट जा रहा हूँ, अत· मैंने सरदार पटेलसे कहा है कि जब तक मै प्रभुके मार्गदर्शनमे कष्ट दूर करनेके लिए अपना विनम्र प्रयत्न कर रहा होऊँ तब तकके लिए राजकोटमे सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित रखे। शरीर इन दिनो अस्वस्थ है इसलिए जनताको चाहिए कि वह स्टेशनो पर कोई प्रदर्शन न करे। आन्दोलन स्थगित रखनेकी अवधिमे राजकोटवासियोको अधिकारियोकी बात माननी चाहिए। समझौतेकी बातचीतके दौरान मुझे कोलाहलसे बचे रहनेकी जरूरत है। जिनका प्रार्थनामे विश्वास है, मैं उनकी मूक प्रार्थना-भर चाहता हूँ। हालाँकि हिन्दुस्तानके मानचित्रमे राजकोट एक बिन्दुके समान है, तो भी

१. देखिए "राजकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्यका मसविदा", पृ० १५०-१।

जिस सिद्धान्तकी प्रतिष्ठाके लिए मैं राजकोट जा रहा हूँ, वह ऐसा है जिसके बगैर समाज छिन्न-भिन्न होनेसे बच नहीं सकता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-२-१९३९

५२२. पत्र : मणिलाल गांधीको

सेगाँव, वर्धा

२५/२६ फरवरी, १९३९

चि० मणिलाल,

तेरा पत्र कल मिला। तू बांचनेवाला कमालका है, श्लेसिन भी कमाल की है। 'मा' पढ़नेके बदले 'एम० ए०' क्यों नहीं पढ़ा? किसी स्त्रीको भेजनेकी बात ही कहाँ थी? मैंने तो श्लेसिनके सुझावके अनुसार काम किया। जिस आदमीको भेजना है, वह महादेवकी बहन निर्मलाके पतिका भाई है। तुझे तार करके पूछना चाहिए था।

२६ फरवरी, १९३९

लेकिन मैं आशा करता हूँ कि महादेवने तुझे सारा विवरण लिख दिया होगा। न लिखा हो तो भी अब तो तू समझ गया होगा। इसका वेतन अगर तू वहाँसे न दे सके, तो यहाँसे देनेकी व्यवस्था है। गुजराती, अंग्रेजी वगैरहका काम सँभाल सकता है। तुझपरसे बड़ा बोझ उतर जायेगा। अब तुझे जैसा करना हो, वैसा तार करना। यदि तुझे इसे बुलानेकी अनुमति न मिले, तो वैसा तार करना।

मि० कैलेनबैक अच्छे हो गये हैं। यों अभी सावधानीकी जरूरत तो है ही। मैं राजकोट जा रहा हूँ। इसकी चिन्ता मत करना। आशा करता हूँ कि काम निबटा कर ही वापस लौटूंगा। भगवानकी प्रेरणासे जा रहा हूँ। जो वे करायेंगे सो करूँगा। बा भी मजेमें है। कांग्रेसके बारेमें भी चिन्ता मत करना। तू अपने काममें डूबा रहे, इतना ही काफी है।

मेरे साथ प्यारेलाल, सुशीला और कन्हैया हैं। रामी, मनु वगैरह आकर मिल गये। राजकुमारी सेगाँवमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८९५) से।

५२३. वचनकी रक्षाका प्रश्न

बम्बईके रास्ते राजकोट जाते हुए मुझे सारा दिन काठियावाड मेलके लिए इन्तजार करना पड रहा है। यह वक्त मैं 'हरिजन' के लिए लिखनेमे लगा रहा हूँ और मैंने निम्नांकित टिप्पणी पढी :

बम्बई-कर्नाटक प्रदेशकी छोटी-सी रियासत रामदुर्गको, जिसका क्षेत्रफल १६९ वर्गमील, आबादी ३३,९९७ और राजस्व २,६९,००० रुपये है, दुर्भिक्ष तथा पिछले कुछ-एक सालोंमें कीमतोंमें गिरावटके फलस्वरूप मंदी आ जानेके कारण बड़ी कठिन स्थितिका सामना करना पड़ा। २० मार्च, १९३८ को कुछ किसान गाँवोसे निकलकर महलके सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा साहबसे प्रार्थना की कि वे भू-राजस्वके बारेमें उन्हें कुछ छूट दें। महलके सामने इकट्ठे हुए लोगोकी ओरसे यह आरोप लगाया गया कि उन लोगोंको रामदुर्गकी पुलिस ने लाठीचार्ज करके तितर-बितर किया। दूसरी ओर, रियासतके अधिकारियोंने इन आरोपोंका खण्डन किया। ऐसा लगता है कि लोगोंकी ओरसे कोई निश्चित माँगें नहीं रखी गई थीं, न ही उनकी ओरसे बातचीत करनेवाली कोई संस्था ही थी। कुछ समय बाद रियासतके कुछ लोग श्री यालगीके पास, जो कांग्रेसी है और कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सचिवोंमें से एक है, गये और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वयं रामदुर्ग जाकर वहाँकी स्थितिका निरीक्षण करें। इसके मुताबिक श्री यालगी अप्रैलमें रामदुर्ग गये और उन्होंने वहाँके लोगोंको सलाह दी कि वे अपनी माँगें अधिकारियोंके समक्ष प्रस्तुत करनेके लिए एक समिति संगठित करे। उनकी सलाहके मुताबिक रामदुर्ग संस्थान प्रजा संघकी स्थापना हुई और इस संघकी ओरसे माँगें तैयार करके राजा साहबके आगे प्रस्तुत की गई।

दकनकी रियासतोंकी जनताका एक सम्मेलन सांगलीमें २२ मई, १९३८ को सरदार वल्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें हुआ। २२ को वह सांगलीसे रवाना हो गये। परन्तु सम्मेलन श्री गंगाधरराव देशपाण्डेकी अध्यक्षतामें चलता रहा।

२३ ता० को रामदुर्गका सवाल विचारार्थ लिया गया और यह निश्चय किया गया कि रामदुर्गके मामलेकी जाँच-पड़ताल करके रिपोर्ट देनेके लिए निम्न-लिखित सदस्योंकी एक समिति बनाई जाये: (१) कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, (२) कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्य श्री शंकरराव देव, (३) रामदुर्ग प्रजा संघके अध्यक्ष श्री मुनोली, (४) दक्षिणी

राज्य प्रजा परिषद् के सचिव श्री कानाबूर, (५) श्री अदानेप्पा डोड्डमेटी, सदस्य विधानसभा, (६) श्री के० एस० पाटिल, सदस्य विधानसभा, और (७) रामदुर्ग राज्यके एक नागरिक और हुबलीके वकील श्री आरी। इस दौरान रामदुर्ग दरबारने स्वयं अपनी ओरसे एक सरकारी विज्ञप्ति जारी करके कुछ छूट देनेकी घोषणा कर दी। परन्तु इससे लोगोंको सन्तोष नहीं हुआ और आन्दोलन गम्भीर रुख अख्तियार करने लगा। . . .

इसके बाद सांगलीमें बनाई गई समितिके सदस्य ५ जून, १९३८ को रामदुर्ग गये और उन्होंने जाँच शुरू की। समिति और रामदुर्ग प्रजा संघ दोनोंने महसूस किया कि मात्र जाँच करने और रिपोर्ट दे देनेसे काम पूरा नहीं होगा। इसलिए संघने समितिसे प्रार्थना की कि रामदुर्ग दरबारको प्रस्तुत की गई माँगोंके बारेमें समझौता करनेकी व्यवस्था की जाये।

मामलेपर दो घंटे बहस होती रही और ६ जूनको श्री देवको पूरा अधिकार दे दिया गया कि वे मतभेदोंको तय कर लें। उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए श्री देवने लोगोंके सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग जो-कुछ कर रहे हैं, उसके क्या-क्या फलितार्थ होंगे। समितिकी ओरसे श्री देवने माँगें तैयार कीं और राजासाहबके आगे रखीं। कुछ विचार-विनिमयके बाद राजासाहबकी इच्छासे यह मामला मुल्तवी कर दिया गया। तथापि, अधिकांश सुझाव थोड़े-बहुत संशोधनों सहित राजा साहबने मान लिये। श्री देशपाण्डेने जो-कुछ भी हुआ था, उसके बारेमें सरदारको लिखा। उन्होंने सरदारको बताया कि प्रजा संघकी माँगें क्या थी और राजा साहबने उनमें से कितना-कुछ स्वीकार किया है। उत्तरमें सरदारने ११ जूनको श्री देशपाण्डेको लिखा कि राजासाहबने समझौतेकी जो शर्तें अपनी ओरसे करनी हैं, वे बहुत अच्छी हैं और लोगोंको सलाह दी जाये कि वे उसे मान लें।

यद्यपि श्री देवको शर्तें तय करनेके लिए पूरा अधिकार दिया गया था तो भी उन्होंने २१ जूनको श्री मुनोली और प्रजा संघकी प्रबन्ध समितिके सभी सदस्योंको करार की शर्तोंसे अवगत कराया और लम्बी बातचीतके बाद राजा साहब और अपने बीच तय की गई शर्तोंके बारेमें उनकी सहमति प्राप्त की। श्री शास्त्रीको, जो अनुपस्थित थे, छोड़कर सांगली-सम्मेलन द्वारा नियुक्त समितिके बाकी सभी सदस्य भी इससे सहमत थे। शर्तोंकी स्वीकृतिकी सूचना राजा साहबको दे दी गई। उसी शामको महलमें दरबार लगा जिसमें प्रजा संघके अध्यक्ष और प्रतिनिधि तथा रामदुर्गके प्रमुख व्यक्ति आमन्त्रित किये गये। राजा साहबने अपने प्रारम्भिक भाषणमें अपने शासनके इतिहासका विहंगावलोकन करते हुए समझौतेकी शर्तोंकी रूपरेखा बताई। तब राज्यके दीवान राव बहादुर प्रधानने घोषणापत्र पढ़कर सुनाया जिसमें समझौतेकी शर्तें स्पष्ट की गई थी। उसके बाद संघकी

ओरसे, प्रजा संघके अध्यक्षने राजा साहबका यथोचित धन्यवाद किया। दरबार समाप्त होनेपर श्री देव और दूसरे लोग सार्वजनिक सभामें गये। सभामें १२,००० से ज्यादा लोग उपस्थित थे। प्रजा संघके अध्यक्षने सभा की अध्यक्षता की। जब श्री गंगाधरराव देशपाण्डे समझौतेकी शर्तोंका स्पष्टीकरण कर रहे थे तब सभाके एक कोनेमें थोड़ी-सी गड़बड़ नजर आई। यह पता लगा कि वे लोग सुरेबनके जुलाहे थे। श्री अंदानप्पा दोड्डामेति उस कोनेमें गये और शान्ति स्थापित करनेमें सफल हुए। श्री देशपाण्डेके बाद श्री अंदानप्पा एक घंटेसे ज्यादा देर तक बोले और उन्होंने शर्तोंको विस्तारसे समझाया और उनका जोरदार समर्थन किया। उनके भाषणसे श्रोताओंको शर्तोंके औचित्यका पूरा विश्वास हो गया और उनका भाषण तुमुल हर्षध्वनिके साथ समाप्त हुआ। श्री देवने भी छोटा-सा भाषण दिया और उन्होंने लोगोंसे कहा कि वे स्वीकृत सुधारोंको कार्यान्वित कर अपनी स्थितिको मजबूत बनायें। अध्यक्ष श्री मुनोलीने अपने अत्यन्त मार्मिक समापन भाषणमें समझौतेकी सभी शर्तोंका समर्थन किया और वहाँ उपस्थित लोगोंसे उन्होंने पूछा कि आपका मुझपर विश्वास है या नहीं। श्रोताओंने एक स्वरमें 'हाँ' कहा। तब उन्होंने उनसे शर्तें मान लेनेके लिए कहा और वे सहमत हो गये। सभाकी समाप्तिपर रियासतका एक अधिकारी अध्यक्षके हस्ताक्षर करवानेके लिए उनके पास एक कागज लाया, जिसमें समझौतेकी शर्तें लिखी हुई थीं। अध्यक्ष मुनोलीने उपस्थित लोगोंसे फिर पूछा कि वे उसपर हस्ताक्षर कर दें या नहीं। उन्होंने न केवल उपस्थित जनसमुदायकी ही अपितु प्रजा संघके प्रतिनिधियोंकी भी सहमतिसे उस दस्तावेजपर दस्तखत कर दिये।

कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेसकी प्रबन्धक समितिने निम्नांकित प्रस्ताव पारित किया :

"समिति रामदुर्ग, जामखण्डी, मीरज (बड़ा), मीरज (छोटा) और मुधोलके लोगोंको इस बातकी बधाई देती है कि उन्हें अपनी शिकायतें दूर करवानेके लिए किये गये संघर्षमें सफलता मिली है। समितिको विश्वास है कि वे निकट भविष्यमें पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण उपायोंसे अपने संगठनोंको मजबूत बनायेंगे।

"यह समिति प्रजाकी माँगोंको तत्काल मान लेनेके लिए उपर्युक्त रियासतोंके शासकोंके प्रति प्रशंसाका भाव अभिव्यक्त करती है और विश्वास करती है कि दोनों पक्ष जल्दी ही समझौतेकी शर्तोंको कार्यान्वित कर देंगे। यह समिति कर्नाटककी सभी रियासतोंसे प्रार्थना करती है कि वे उपर्युक्त रियासतों द्वारा अपनाई गई उदार नीतिका अनुसरण करें।

"किन्तु, इस समितिको यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि कुछ लोग, विशेषकर कुछ कांग्रेस-जन यह तर्क देकर विरोधी प्रचार कर रहे हैं कि जनता और रामदुर्गके राजाके बीच यह समझौता कतिपय प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओंके प्रयत्नोंसे हुआ है। यह समिति उनसे विरोधी प्रचार न करनेकी प्रार्थना करती है और उसका यह निश्चित मत है कि केवल समझौतेका पालन करनेसे ही लोगोंकी भलाई हो सकती है।"

मैंने इसमें से कुछ अंश, जिसका मेरे उद्देश्यसे सम्बन्ध नहीं था, निकाल दिया है। ऐसा लगता है कि रामदुर्ग प्रजा संघकी ओरसे ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि राजाको आतंकित करके उन्हें और ज्यादा छूट[1] देनेके लिए विवश किया जाये। राजा साहब कांग्रेसकी सहानुभूति खोनेके डरसे शरारत करनेवालोंके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि समझौतेसे सम्बन्धित कांग्रेसजनोंको क्या करना चाहिए। यह मानते हुए कि मुझे जो सूचना मिली वह सही है, मेरा बिलकुल साफ उत्तर यह है कि उन्हें प्रान्तीय समिति द्वारा किये गये समझौतेका पालन तो हर हालतमें करना ही है। मैं राजकोटके ठाकुर साहबसे यह प्रार्थना करने राजकोट जा रहा हूँ कि वे अपने वचनका पालन करें। उन्होंने जो-कुछ किया है उसे मैं वचन-भंग मानता हूँ और उससे बहुत विक्षुब्ध हूँ। कांग्रेसके बारेमें भी मेरा यही जवाब है। राजकोट देशी राजाओंका प्रतिनिधित्व करता है। उसका यश या अपयश सभी राजाओंका यश या अपयश है। यदि कोई प्रतिनिधि कांग्रेसजन अपना वचन तोड़ता है तो सारी कांग्रेसकी प्रतिष्ठापर आँच आती है। यदि प्रान्तीय कांग्रेस समिति अपने वचनका पालन नहीं कर सकती तो प्रतिष्ठाकी कितनी बड़ी हानि होगी? कांग्रेस सारे राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करती है। इसका आचरण अनिन्दनीय होना चाहिए।

जागृतिके इन दिनोंमें सब तरहकी शक्तियाँ उठेंगी ही। कांग्रेसमें नये-नये लोगोंके प्रवेशसे कई प्रकारकी माँगें पेश की जायेंगी और उनमें से कुछ तो अनुचित तक होंगी। यदि कांग्रेसको अपनी साख बढ़ानी है तो ये माँगें, अगर वे कांग्रेस द्वारा किये गये वायदेसे ज्यादा हों तो, रोकी जानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि रामदुर्ग प्रजा संघ क्या चाहता है? यह हो सकता है कि उसकी माँग अपने-आपमें ठीक हो। परन्तु समझौतेके कागजकी स्याही सूखनेसे भी पहले वे अपनी माँगको हुल्लड़बाजी मचाकर और डरा-धमकाकर नहीं लाद सकते। कर्नाटकके प्रतिनिधि कांग्रेसजनोंको चाहिए कि रामदुर्गके राजाका साथ दें और उनका प्रयत्न होना चाहिए कि वहाँके लोग समझौतेका पालन करें, भले ही इस कोशिशमें लोगोंके साथ उनका संघर्ष हो और उसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाये।

बम्बई, २६ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-३-१९३९

१. देखिए खण्ड ६९, "रामदुर्गमें सामूहिक हिंसा", २४-४-१९३९।

५२४. अकालसे राहतके लिए खादी

इस पत्र[1] से स्पष्ट है कि अकाल-पीडित क्षेत्रोमे खादीसे कितनी राहत मिल सकती है। इसलिए जिस खादीसे अकाल-पीड़ितोको राहत मिलती है, उसे खरीदने-वाले अकाल-पीड़ितोकी और साथ ही अपनी भी सहायता करते है। इसके अलावा, वे भीख नही अपितु मजदूरी देते है। और यह मजदूरी खादी-उत्पादनमे कताईके लिए निश्चित दरसे दी जाती है जो किसी भी अन्य राहत-कार्यकी दरसे अधिक है। इसलिए मुझे आशा है कि इस अपीलका लोग उदारतापूर्वक स्वागत करेगे।

बम्बई, २६ फरवरी, १९३९

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ४-३-१९३९

५२५. क्या यह अहिंसा है?

नीचे अण्णामलै विश्वविद्यालयके एक शिक्षकके भेजे पत्रका एक अश दे रहा हूँ :[2]

गत नवम्बरकी बात है, पाँच-छः विद्यार्थियोंने मिलकर योजनापूर्वक विश्व-विद्यालय संघके मन्त्री पर, जो उनका एक साथी विद्यार्थी है, हमला किया। विश्वविद्यालयके उपकुलपति श्री श्रीनिवास शास्त्रीने सख्तीसे काम लिया और उस मण्डलीके नेताको विश्वविद्यालयसे निकाल दिया तथा बाकीको इस अध्ययन-सत्रके अन्त तक पढ़ाईमें शामिल न करनेकी सजा दी।

इसपर सजा पानेवाले विद्यार्थियोसे सहानुभूति रखनेवाले उनके कुछ मित्रोंने कक्षाओंसे गैरहाजिर रहकर हड़ताल करनी चाही। . . .

दूसरे दिन कोई २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ने नहीं आये, लेकिन बाकी ८० प्रतिशत बदस्तूर हाजिर रहे। यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि इस विश्वविद्यालयमें कुल ८०० के करीब विद्यार्थी हैं।

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने कहा था कि कोयम्बटूर जिलेके कुछ तालुकोंमें सूखा पड़ने और खेती खराब हो जानेके कारण वहाँके किसानोंने कताईका काम शुरू कर दिया है और इसलिए तमिलनाडुमें खादीका अतिरिक्त भडार हो गया है। उसने गाधीजीसे प्रार्थना की थी कि वह **हरिजन** के पाठकोंसे यह अपील करें कि वे सूखाग्रस्त इलाकोंमें तैयार की गई खादी खरीदें।

२. यहाँ पत्रके कुछ अंश ही दिये गये हैं।

अगले दिन वह निष्कासित विद्यार्थी हड़तालका संचालन करनेके लिए छात्रावास आया। हड़तालको नाकामयाब होते देख उसने शामको दूसरे साधनोंका सहारा लिया। उदाहरणके लिए, कुछ लोग छात्रावाससे निकलनेके चार मुख्य रास्तोंपर लेट गये, कुछने दरवाजोंको बन्द कर दिया, कुछ छोटे लड़कोंको उनके कमरोंमें बन्द कर दिया। . . . इस प्रकार तीसरे पहर कोई पचास-साठ लोगोंने बाकी विद्यार्थियोंको छात्रावाससे बाहर आनेसे रोक दिया।

अधिकारियोंने इस तरह दरवाजे बन्द देखकर बाड़में से रास्ता खोलना चाहा। जब विश्वविद्यालयके नौकरोंकी मददसे वे बाड़को तोड़ने लगे, तो हड़तालियोंने उन रास्तोंपर भी पहुँच कर दूसरोंको उधरसे निकल कर कॉलेज जानेसे रोक दिया। . . . परिस्थितिको अपने काबूसे बाहर पाकर अधिकारियोंने पुलिससे उस निष्कासित विद्यार्थीको छात्रावासकी हदसे हटानेकी प्रार्थना की . . . जिसपर पुलिसने उसे वहाँसे हटा दिया। इसपर स्वभावतः कुछ और विद्यार्थी भी खीज उठे और हड़तालियोंके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। . . . इसपर श्री श्रीनिवास शास्त्रीने २९ नवम्बरसे १६ जनवरी तक, डेढ़ महीनेकी लम्बी अवधिके लिए विश्वविद्यालय बन्द कर लिया। अखबारोंमें एक वक्तव्य देकर उन्होंने विद्यार्थियोंसे अपील की कि वे छुट्टीके बाद घरसे शान्त और प्रसन्न मनसे पढ़नेके लिए आयें।

लेकिन कॉलेजके फिरसे खुलनेपर इन विद्यार्थियोंकी हलचल और भी तेज हो गई, क्योंकि छुट्टियोंमें इन्हें . . .[1] से और सलाह मिल गई थी। मालूम पड़ता है कि वे राजाजीके पास भी गये थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया और उनसे उप-कुलपतिका हुक्म माननेके लिए कहा। . . .

धरना देना अभी भी जारी है। . . . हड़तालियोंकी तादाद ३५-४५ के करीब है। और लगभग पचास विद्यार्थी ऐसे है जो इनसे सहानुभूति रखते हैं, किन्तु सामने आकर हड़ताल करनेका साहस नहीं रखते। वे अन्दर-ही-अन्दर गड़बड़ मचाते रहते है। वे रोज इकट्ठे आते है और कक्षाओंके दरवाजोंपर तथा पहली मंजिलकी कक्षाओंको जानेवाले जीनेपर लेट जाते है और इस तरह विद्यार्थियोंको कक्षाओंमें जानेसे रोकते हैं। लेकिन शिक्षक जगह बदल-बदल कर ऐसी जगहोंमें जाकर कक्षाएँ लगाते है जहाँ वे धरना देनेवालोंसे पहले पहुँच जाते है। . . .

कल एक नई बात हुई। हड़ताली कक्षाओंके अन्दर घुस आये, फर्शपर लेट गये और चिल्लाने लगे। और कुछ हड़तालियोंने तो, मैंने सुना, शिक्षकके आनेसे पहले ही ब्लैक बोर्डोंपर लिखना भी शुरू कर दिया। जिन शिक्षकोंके

१. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

वारेमें ऐसा माना जाता है कि वे दब्बू किस्मके हैं, उन्हें कुछ हड़ताली डराते-धमकाते भी हैं। सच तो यह है कि उन्होंने उप-कुलपतिको भी यह धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी माँगें मंजूर नहीं कीं, तो 'हिंसा और रक्तपात' का सहारा लिया जायेगा।

एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको बता देनी चाहिए। वह यह है कि हड़ताली बाहरी लोगोंकी भी मदद लेते हैं, और विश्वविद्यालयके हाते और इमारतोंमें प्रवेश करके वहाँ काम-काजमें बाधा डालनेके लिए गुण्डोंकी भी सहायता लेते हैं। . . .

अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि हम सब, यानी बहुत-से शिक्षक और काफी बड़ी तादादमें विद्यार्थी भी महसूस करते हैं कि ये प्रवृत्तियाँ सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक नहीं हैं और इसलिए सत्याग्रहकी भावनाके विरुद्ध हैं।

मुझे विश्वस्त रूपसे मालूम हुआ है कि कुछ हड़ताली विद्यार्थी इसे अहिंसक कार्रवाई ही कहते हैं। उनका कहना है कि अगर महात्माजी यह घोषणा कर दें कि यह हिंसात्मक कार्रवाई है, तो वे इन प्रवृत्तियोंको बन्द कर देंगे।

यह पत्र १७ फरवरीका है और काका कालेलकरको लिखा गया है, जिन्हें पत्र लिखनेवाले शिक्षक अच्छी तरह जानते हैं। इसके जिस अशको मैंने नही छापा उसमे इस बारेमे काका साहबकी राय पूछी गई है कि विद्यार्थियोके इस आचरणको क्या अहिंसात्मक कहा जा सकता है। इसके अलावा उसमे भारतके कितने ही विद्यार्थियोमे अवज्ञाकी जो भावना आ गई है, उसपर अफसोस जाहिर किया गया है।

पत्रमें उन लोगोके नाम भी दिये गये हैं, जो हडतालियोंको अपनी जिद पर अडे रहनेके लिए उत्तेजित कर रहे है। हडतालके बारेमे मेरी राय[1] प्रकाशित होनेपर किसी ने, जो अनुमानत कोई विद्यार्थी ही था, मुझे एक गुस्सेसे भरा हुआ तार भेजा, जिसमे लिखा था कि हडतालियोका व्यवहार पूर्णत अहिंसात्मक है। लेकिन ऊपर जो विवरण मैंने उद्धृत किया है वह अगर सच है तो मुझे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि विद्यार्थियोका व्यवहार सचमुच हिंसात्मक है। अगर कोई मेरे घरका रास्ता रोक दे, तो निश्चय ही उसकी वह कार्रवाई उतनी ही हिंसात्मक होगी, जितनी कि यदि वह मुझे धक्का देकर दरवाजेसे हटा दे, तब होगी।

विद्यार्थियोको अगर अपने शिक्षकोके खिलाफ सचमुच कोई शिकायत है, तो उन्हे हडताल करनेका, बल्कि अपने स्कूल या कॉलेजपर धरना देनेका भी हक हो सकता है, लेकिन धरना इसी हद तक दिया जा सकता है कि जो विद्यार्थी वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ है, उन्हे वे विनम्रताके साथ समझा कर उनसे कक्षाओमे न जानेकी प्रार्थना करे। बोलकर या परचे बाँटकर वे ऐसा कर सकते है। लेकिन उन्हे रास्ता नही

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", पृ० ४९४।

रोकना चाहिए, और न उन छात्रोंपर अनुचित दवाव ही डालना चाहिए जो हड़ताल नहीं करना चाहते। और हड़ताल विद्यार्थियोंने की किसके खिलाफ है? श्री श्रीनिवास शास्त्री भारतके श्रेष्ठतम विद्वानोंमें से हैं। शिक्षकके रूपमें उनकी तभीसे ख्याति रही है जव इनमें से वहुतेरे विद्यार्थी या तो पैदा ही नहीं हुए थे या वच्चे थे। उनकी महान विद्वत्ता और उनके चरित्रकी श्रेष्ठता दोनों ऐसी चीजें हैं जिनके कारण संसारका कोई भी विश्वविद्यालय उन्हें अपना उप-कुलपति वनानेमें गौरवका अनुभव करेगा।

काकासाहवको पत्र लिखनेवालेने अगर अण्णामलै विश्वविद्यालयकी घटनाओंका सही विवरण दिया है, तो मुझे लगता है कि शास्त्रीजीने जिस तरह परिस्थितिका मुकावला किया है, वह विलकुल ठीक है। मेरी रायमें विद्यार्थी अपने आचरणसे खुद अपनी ही हानि कर रहे हैं। मैं तो उन पुराने विचारके लोगोंमें से हूँ जो शिक्षकोंके प्रति श्रद्धा रखनेमें विश्वास करते हैं। यह तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस स्कूलके शिक्षकों के प्रति मेरे मनमें सम्मानका भाव न हो उसमें न जाऊँ, लेकिन अपने शिक्षकोंकी वेइज्जती या उनकी अवज्ञाकी वात मैं नहीं समझ सकता। ऐसा आचरण तो असज्जनता है और असज्जनता-मात्र हिंसा है।

वम्बई, २६ फरवरी, १९३९

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-३-१९३९

५२६. तार : राधाकृष्ण बजाजको

राजकोट
२६ फ़रवरी, १९३९

राधाकृष्ण वजाज
जयप्रजा
आगरा

जयपुर शहरमें हड़ताल न हो।

बापू

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१४

५२७. पत्र : महादेव देसाईको[1]

२६ फरवरी, १९३९

तुम्हे उद्विग्न नही होना चाहिए। इस यात्रामे तुम्हारा अभाव मुझे खटक रहा है। मै वहाँ जा रहा हूँ क्योकि ईश्वर मुझे वहाँ ले जा रहा है। अपने अन्तरमे आनन्द और आशाका अनुभव कर रहा हूँ। कौन जाने यह आशा कही मृगतृष्णा ही न हो। मुझे मालूम है कि मै राजकोटसे निराश नही लौटूँगा।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ११-३-१९३९

५२८. पत्र : सतीश द० कालेलकरको[2]

२६ फरवरी, १९३९

चि० शंकर,[3]

तेरे पत्रका उत्तर देनेकी फुर्सत ही नही थी। तेरा पत्र मुझे अच्छा लगा। चन्दन शान्त है, मजेमे है। वह निर्दोष सिद्ध हुई। यानी सच्ची सिद्ध हुई; इतना काफी होना चाहिए। हमे किसीको अपराधी सिद्ध करनेमे रस नही लेना चाहिए। . . .[4] जब तक स्वय स्वीकार न करे, तब तक उनके बारेमे अन्तिम निर्णय कर लेना उचित नही मालूम पड़ता। अब वे निन्यान्वे प्रतिशत निर्दोष नही रहे। मै समझता हूँ कि अब वे तुम्हारी निन्दा नही करेगे। अब उनके बारेमे और कुछ करना मरेको मारने-जैसा होगा। तू इस किस्सेको भूल जाये, यह तो ठीक है, लेकिन अगर तू यह मान ले कि मेरी राय ठीक है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे।

अपना स्वास्थ्य सँभालना।

चन्दन बेचारी राजकोट जानेको आई थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि कौन जाने कही उसके बदले ही तो मै नही जा रहा हूँ। यह पत्र मै ट्रेनमे लिख रहा

१. महादेव देसाईके "ए गॉड-गिवन फास्ट" से उद्धृत। यह पत्र जो अनुमानत: गुजरातीमें था, किसी दूसरे साधन-सूत्रसे उपलब्ध नहीं है।

२. यह पत्र उस पत्रके नीचे लिखा गया था, जो चन्दनबहनने सतीश कालेलकरको, जिनसे बादमें उनका विवाह हुआ, लिखा था।

३. दत्तात्रेय बा० कालेलकरके पुत्र, जिन्होंने आगे चलकर अपना नाम बदलकर 'सतीश' रख लिया था।

४. नाम छोड़ दिया गया है।

हूँ। चन्दन साथमें ही है। यह वीरमगामसे भावनगर जायेगी। क्या होता है, वहाँ इसकी राह देखेगी।

ऊपर जो चन्दनने लिखा है, वह, सच पूछो तो, उसकी परीक्षा थी। वह मेरे कहे अनुसार आचरण कर सकी है या नहीं, यह देखना था। परीक्षामें उसे ३३⅓ अंक मिले, ऐसा कहा जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४९) से; सौजन्य: सतीश द० कालेलकर।

५२९. पत्र: अमृत कौरको

२७ फरवरी, १९३९

प्रिय पगली,

यात्रा अभी तक काफी सुखद रही है और विशिष्ट कुछ नहीं घटा। यह पत्र मैं वीरमगाँव पहुँचनेपर लिख रहा हूँ। तूने जुदा होते समय काफी साहस दिखाया। वैसा ही साहस बराबर रहना चाहिए। यह आश्चर्यकी बात है कि सचिव-कार्यकी जिम्मेदारी इस तरह अचानक अकेली तुझपर ही आ जाये। तूने तो इसकी आशा नहीं की थी। आज या कल तुझे राजकोटसे तार मिलेगा।

शरीर और मन दोनोंसे तुझे स्वस्थ रहना है।

सप्रेम,

जालिम

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९०३) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७२१२ से भी।

५३०. पत्र: मीराबहनको

वीरमगाँव
२७ फरवरी, १९३९

चि० मीरा,

हम दिनके लगभग २ बजकर ५० मिनटपर राजकोट पहुँचेंगे। गाड़ी जा रही है, इसलिए विदा।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४२९) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००२४ से भी।

५३१. पत्र: महादेव देसाईको[1]

२७ फरवरी, १९३९

ईश्वरका विधान कितना विचित्र है! राजकोटकी यह यात्रा स्वयं मुझे भी आश्चर्यमें डालनेवाली है। मैं क्यो जा रहा हूँ? कहाँ और किसलिए जा रहा हूँ? इन बातोके बारेमे मैंने कुछ नही सोचा है। यदि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करता है तो मैं क्या सोचूँ और क्यो सोचूँ? उसके पथ-प्रदर्शनमे यह चिन्तन भी बाधा बन सकता है।[2]

तथ्य यह है कि चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न नही करना पड़ता। विचार आते ही नही है। मेरा मन शून्य हो गया है, ऐसी बात नही है, परन्तु मेरा अभिप्राय इतना ही है कि अपने इस मिशनके बारेमे मेरे मनमे कोई विचार नही है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-३-१९३९

५३२. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

२७ फरवरी, १९३९

राजकोट पहुँचनेसे कुछ मिनट पहले महात्मा गांधीने अपने साथ ही यात्रा कर रहे एसोसिएटेड प्रेसके विशेष प्रतिनिधिको बताया कि "राजकोटमें शान्ति-स्थापनाके मिशन" के बारेमें उनके पास कोई सुनिश्चित योजना नहीं है।

यह पूछनेपर, कि राजकोटमें वे कब तक ठहरेंगे, महात्मा गांधीने कहा:

मुझे सचमुच पता नही कि मैं यहाँ कब तक ठहरूँगा। जब तक मेरा कार्य समाप्त नही हो जाता, मुझे यहाँ रुकना ही होगा।

प्रश्न: क्या इसका यह मतलब है कि आप त्रिपुरी-कांग्रेस नहीं जा सकेंगे?

उत्तर. देखिए, अगर राजकोटके अपने कामकी वजहसे मुझे रुकना पडा तो मुझे डर है कि शायद मैं त्रिपुरी न जा पाऊँ।

१. महादेव देसाईके "द गॉड-गिवन फौस्ट" से उद्धृत। यह पत्र, जो अनुमानतः गुजरातीमें था, किसी भी अन्य साधन-सूत्रसे उपलब्ध नहीं है।

२. इस पर रमण महर्षिकी टिप्पणीके लिए देखिए परिशिष्ट ५।

यह बतानेपर कि राजकोट रियासतमें सत्याग्रह स्थगित हो जानेके बाद भी अधिकारीगण बराबर गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं और जुर्माना वसूल करनेके लिए मकान नीलाम कर रहे हैं, महात्मा गांधीने कहा:

मैंने खुद ट्रेनमे अभी-अभी इस प्रकारकी खबरें सुनी है। अगर यह सच है तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-२-१९३९

५३३. तार: अमृत कौरको

राजकोट

२७ फरवरी, १९३९

राजकुमारी

मगनवाड़ी

वर्धागंज

यात्रा अच्छी तरह तय हुई। बातचीत शुरू हो गई है। तुम्हे प्यार। प्रथम सदस्यको भेजा गया आखिरी तार यहाँ नही पहुँचा। पूछताछ करना।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३९०२) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ७२११ से भी।

५३४. तार: मीराबहनको

राजकोट

२७ फरवरी, १९३९

मीराबहन

मार्फत बादशाहखान

चारसद्दा,

यात्रा अच्छी तरह तय हुई। बातचीत शुरू हो गई है।

सप्रेम।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६४३०) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० १००२५ से भी।

५३५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

२७ फरवरी, १९३९

मैं तो जन्मजात आशावादी हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजकोटकी मेरी यात्रासे कोई सम्मानजनक समझौता हो जायेगा।

खान साहब फतह मुहम्मद और दरबार वीरावालासे मेरी मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे जेलोमे जाने, कैदियोसे मिलने और गाँवोमे जानेकी सारी सुविधाएँ देनेका वचन दिया है। मैं कल तीसरे पहर कैदियोसे मिलने जाऊँगा। मुसलमानो और गिरासियो (जमीनके मालिको)ने मुझसे भेटके लिए समय माँगा है और मुझे आशा है कि मैं कल उनसे मिल सकूँगा।

समझौता-वार्तामे कुछ दिन लग सकते हैं। त्रिपुरी-काग्रेसमे सम्मिलित होनेकी यद्यपि मेरी बड़ी इच्छा है, पर मुझे डर है कि राजकोटके काममे कुछ समय लग जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २८-२-१९३९

५३६. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको

२७ फरवरी, १९३९

. . . मैं नही जानता कि मुझे यहाँ कब तक रुकना पडेगा। मेरी कोई सुनिश्चित योजना नही है। परिस्थितिको मैं समझना चाहता हूँ और शासक और श्री गिब्सनसे भेट करके प्रशासन और प्रजा परिषद्के बीच हुए समझौतेको कायम रखनेकी भरसक कोशिश करना चाहता हूँ। त्रिपुरीकी मेरी यात्रा सदिग्ध ही है। अगर मैं अपना कार्य समयपर पूरा कर सका तो त्रिपुरी जाऊँगा। अन्यथा, सम्भव है मुझे विचार छोडना पडे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २७-२-१९३९

५३७. तार: राधाकृष्ण बजाजको[1]

[२७ फरवरी, १९३९ या उसके पश्चात्]

वाइसरायके आनेपर हड़ताल बन्द कर दी जानी चाहिए। पर इसका आखिरी फैसला तुम लोगोंको ही करना चाहिए।

बापू

[अंग्रेजीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० २१५

५३८. बातचीत: मुसलमान प्रतिनिधियोंके साथ[2]

२८ फरवरी, १९३९

लेकिन, निश्चय ही, आप सुरक्षित स्थानोंके बिना तो पृथक् निर्वाचक मण्डल चाहते नहीं हैं। उनके बिना पृथक् निर्वाचक मण्डलका कोई अर्थ ही नहीं रहता। इसलिए वे भी आपको मिलने ही चाहिए। इस एकतरफा पेशकशके बाद मैं आपसे यह कहनेकी इजाजत चाहूँगा कि यदि आप परिषद्को आपके हितोंका प्रतिनिधित्व करने दें, तो परिषद् आपके धर्म और आपकी संस्कृतिकी अवश्य रक्षा करेगी और मुसलमानोंके हर न्यायोचित हितको संरक्षण देगी। लेकिन मैं इस बातसे सहमत हूँ कि जब तक वातावरण परस्पर अविश्वास एवं सन्देहसे दूषित है, आपको पृथक् निर्वाचक मण्डलकी माँग करनेका अधिकार है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-३-१९३९

१. यह राधाकृष्ण बजाजके २७ फरवरीके उस तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्होंने यह सूचित किया था कि वाइसरायके आगमनके विरुद्ध जयपुरमें स्वतः ही हड़ताल हो गई और वह जारी है। हम हड़तालके पक्षमें हैं। आप उसके खिलाफ हों तो तार देकर सूचित करें।

२. प्यारेलाल द्वारा लिखित "द राजकोट फास्ट" से उद्धृत। प्यारेलालने लिखा है: "मुस्लिम कौंसिल ऑफ ऐक्शन" के प्रतिनिधि गांधीजीसे प्रातः ७ बजे मिले। उन्होंने कहा कि राजकोटके पिछले सत्याग्रह-आन्दोलनमें मुसलमानोंने अपना निष्क्रिय सहयोग दिया था। गांधीजीने बातचीतके आरम्भमें ही उन्हें यह कहकर निश्चिन्त कर दिया कि समितिमें उनके दो प्रतिनिधि हों, यह बात मुझे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार होगी। उन्होंने पृथक् निर्वाचक मण्डलकी माँग पर भी जोर दिया। गांधीजीने वह बात भी मान ली।"

५३९. बातचीत : गिरासियोंके शिष्टमण्डलके साथ

२८ फरवरी, १९३९

मुस्लिम शिष्टमण्डलकी तरह, गांधीजीने उन्हे भी आरम्भमें ही यह कहकर निश्चिन्त कर दिया कि समितिमें उनके एक प्रतिनिधिको सम्मिलित किया जायेगा। उनके अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें उन्होने कहा कि अबतक आप जिन विशेषाधिकारोंका उपभोग करते आये हैं, यदि उन सबके बारेमें हमेशाके लिए आश्वासन चाहते हैं, तब तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह न तो उचित है और न सम्भव ही है। भारतके असंख्य दीन-हीन जनोंकी दशा यदि सुधारनी है, तो विशेषाधिकार-युक्त वर्गको दरिद्रनारायणकी भलाईके लिए अपने कुछ विशेषाधिकारोंका त्याग करना ही होगा। अगर गिरासिया लोग समयकी पुकारको ठीकसे समझ ले, श्रमजीवी जनताके साथ घुल-मिल जायें और उसके भलेमें अपना भला मानें, तो उनके न्यायोचित हितोंपर तनिक भी आँच नहीं आयेगी। इसलिए, मैं आपको वही परामर्श दूँगा जो मैंने नरेशोंको दिया है, अर्थात् आप जनताके सच्चे सेवक बनें और उसपर अत्याचार करना छोड़ दें। आपको अपनी सम्पत्तिको ऐसा न्यास मानना चाहिए जिसे जनताकी भलाईके लिए समझ-बूझकर इस्तेमाल करना है। आपको उचित आयका अधिकार है, किन्तु केवल अपनी सेवाओंके बदलेमें।

"कांग्रेसियोंके एक वर्ग द्वारा हमारी कटु आलोचना की गई है, हमें गालियाँ तक दी गई हैं। क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे?"

आपको यह मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसमे आज एक काफी बडा और दिन-प्रतिदिन बढता ऐसा वर्ग है जो सभी निहित स्वार्थके तत्त्वोको बिलकुल नष्ट कर देना चाहता है, क्योंकि उनके सुधारकी उन्हें कोई आशा नहीं है। इसलिए, न्यासीका जो आदर्श मैंने आपके सम्मुख रखा है, यदि आप उसे अपनाये और उसके अनुरूप बने, तभी मैं आपको सुरक्षा देनेमे समर्थ हो सकूँगा। जब तक आप मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकूँगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-३-१९३९

१. प्यारेलाल द्वारा लिखित "द राजकोट फास्ट" से उद्धृत।

५४०. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको

राजकोट
२८ फरवरी, १९३९

गांधीजीने भेंटके दौरान बताया कि दिनकी शुरुआत मुस्लिम प्रतिनिधियोंके साथ सौहार्दपूर्ण विचार-विनिमयसे हुई।[1]

मुस्लिम प्रतिनिधियोसे मुलाकातके बाद मैं रेजिडेंटके बँगलेपर गया और वहाँ हम दोनोमे अत्यन्त मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। दिनमे २ बजे मैं गिरासिया संघके प्रतिनिधियोंसे मिला[2] और उनके साथ भी मेरी बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। तत्पश्चात् मैं कर्नल डेली, लेफ्टिनेंट कर्नल एस्पिनल और खान साहब फतह अहमद मुहम्मदके साथ रियासतकी जेलोंको देखने गया। वहाँ कैदियोके साथ मुलाकातके समय ये सब भी उपस्थित थे। राजकोट-जेलमे मैंने लगभग एक घंटा सत्याग्रही पुरुषों और महिलाओंसे मिलनेमे बिताया और उसके बाद मैं सरधार-जेल गया और वहाँ डेढ़ घंटे रहा।

इन दो जेलोंमें कैदियोंसे हुई बातचीतके बारेमें जब उनकी राय पूछी गई तो गांधीजीने खान साहब फतह मुहम्मदके साथ विचार-विमर्शसे पहले अपना कोई निश्चित अभिमत प्रकट करनेसे इनकार कर दिया। अपनी बात जारी रखते हुए गांधीजीने कहा :

सरधार-जेलसे मैं त्रौम्बा गया और वहाँ कस्तूरबा, मृदुलाबहन और मणिबहनसे मिला। वही मैंने खाना खाया। राजधानी वापस आनेपर मैं ठाकुर साहबसे मिलने गया और लगभग डेढ़ घंटा मैंने उनके साथ बिताया।

उनके त्रिपुरी जानेकी सम्भावनाके बारेमें पूछनेपर गांधीजीने कहा :

मुझे अब भी उम्मीद है कि कोई सम्मानजनक समझौता हो जायेगा और मैं जल्दी-से-जल्दी त्रिपुरी जानेकी भरसक कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु मेरे लिए यह कहना कठिन है कि सप्ताहान्तसे पूर्व मैं यहाँसे जा सकूँगा या नही।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १-३-१९३९

१. देखिए पृ० ५१६।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एक पवित्र समझौतेकी निर्मम अवहेलना

सरदार वल्लभभाई पटेलने २५ जनवरीको निम्न वक्तव्य जारी किया:

अत्यन्त खेदके साथ मुझे घोषणा करनी पड रही है कि राजकोटका संघर्ष, जो सुखद ढंगसे समाप्त हो गया लगता था, अब पुन. आरम्भ करना होगा। राज्यकी इज्जत और राजकोटकी जनताके आत्मसम्मानकी रक्षाकी खातिर यह पुनरारम्भ हमारा कर्तव्य हो गया है।

जनताको याद होगा कि राजकोट-राज्यके २६ दिसम्बरके राजपत्रमें जिस समझौतेकी घोषणा[1] की गई थी, वह ठाकुर साहब तथा उनकी परिषद्——जिसके सदस्य सर पैट्रिक कैंडेल, राव साहब माणेकलाल पटेल और श्री जे० जोवनपुत्रा थे——के बीच हुए विचार-विमर्शका परिणाम था। यह विचार-विमर्श २५ दिसम्बरकी शामको शुरू होकर लगभग आठ घंटे चलता रहा और रातके १-४२ पर समाप्त हुआ। समझौतेके दिन ठाकुर साहबने मुझे निम्नलिखित पत्र दिया:

अमरसिंहजी सचिवालय, राजकोट राज्य
२६ दिसम्बर, १९३८

यह तय किया गया है कि आजकी राजकीय घोषणाकी धारा २ मे उल्लिखित सात सदस्योके नामकी सिफारिश सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा होगी और हम उन्हे नामजद करेंगे।

(ह०) धर्मेन्द्रसिंह
ठाकुर साहब, राजकोट

यहाँ याद रखा जाये कि मैं ठाकुर साहबके आमन्त्रणपर राजकोट गया था। समझौतेके बाद ही सर पैट्रिक कैंडेलने अवकाश ग्रहण कर लिया। . . .

मुझे बहुत अनिच्छापूर्वक कहना पड़ रहा है कि ठाकुर साहबका नमक खानेवालोने उनकी कुसेवा की है। दरबार वीरावाला उनके सबसे बुरे सलाहकारोमे से एक रहे हैं। उन्होने राज्यका सत्यानाश कर डाला है और अपनी घोर कुव्यवस्थाके फलस्वरूप खजानेको खाली कर दिया है। उन्होने ठाकुर साहब पर ऐसा जादू फेर रखा है

१. देखिए पृ० ३८१।

कि वे चाहे तव भी उस पाशसे छूट नही सकते। सर पैट्रिक कैंडेलको राजकोट लानेवाले वही थे। किन्तु जव उन्होने [पैट्रिक कैंडेलने] समझ लिया कि दरवार वीरावाला ही राज्यके अनिष्टकारी राहु है तो उन्होने लगभग सवसे पहला काम यह किया कि एजेन्सी की मदद लेकर उन्हे राजकोटसे निर्वासित कर दिया। यदि सर पैट्रिक कैंडेलने शासक-जातिके सदस्यके रूपमें अपनी प्रतिष्ठाका अनुचित लाभ न उठाया होता तो उनके राजकोटसे जानेकी नौवत न आती। जिस दीवानने उनको निर्वासित करा दिया था, उसकी मौजूदगीको दरवार वीरावाला वर्दाश्त नही कर सकते थे।

निर्वासित होनेके वावजूद वह वागसरासे ही गुप्त रूपसे दाँवपेच चलाते रहे। उनका पुत्र भोजवाला और भतीजा वालेरवाला अभी भी ठाकुर साहवके पास है। दरवार वीरावाला समझ गये कि प्रस्तावित समझौतेके विरुद्ध तो वह सफल हो नही सकते, अतः उन्होने एक मित्र जैसी भूमिका अपनाई और समझौतेमें सहायक प्रतीत हुए। समझौतेके शीघ्र वाद जव सर पैट्रिक कैंडेल जानेवाले थे, दरवार वीरावाला राजकोट पहुँच गये और उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जो अभी तक जारी है। रेजिडेंटका पत्र और पोलिटिकल एजेंटका पत्र पढ़नेमें दिलचस्प है।

मुझे कुछ दिनोका समय आवश्यक था जिससे कि मै आन्दोलनके संचालकोंसे परामर्श करके समझौतेकी शर्तोंके अनुसार वनाई जानेवाली समितिके लिए सात नाम चुन सकूँ। ४ जनवरीको मैंने निम्नांकित सात नाम भेज दिये :

१. श्री पोपटलाल धनजीभाई मालवीय
२. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा
३. श्री मुल्लाँ वलीजी अब्दुलअली
४. डॉ० डी० जे० गज्जर
५. श्री जमनादास खुशालचन्द गांधी
६. श्री व्रजलाल मायाशंकर शुक्ल
७. श्री उच्छृंगराय नवलशंकर ढेवर

तदुपरान्त फौरन ही समितिकी नियुक्तिकी विज्ञप्ति निकल जानी चाहिए थी, किन्तु कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ।

२८ दिसम्वरको सपरिषद् ठाकुर साहवका रेजिडेंट महोदय से विचार-विमर्श हुआ। इस मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा तैयार वार्ताका एक प्रामाणिक संक्षिप्त विवरण मेरे पास है। रेजिडेट द्वारा कांग्रेस तथा मेरे विषयमें कही गई वातें पढ़नेमें दिलचस्प हैं। समझौते, कांग्रेस या मेरे प्रति अपनी नापसन्दकीको वह छिपा नहीं पाये।

ऐसा मालूम होता है कि ठाकुर साहव द्वारा अपनी प्रजाको गम्भीरतापूर्वक दिये गये वचनके भंगके लिए रेजिडेंट महोदय तथा दरवार वीरावाला जिम्मेदार हैं। ठाकुर साहव पर दरवार वीरावालाका कितना अधिक प्रभाव है, उसका सवूत मेरे नाम ठाकुर साहवका पत्र है जो पढ़नेमें रोचक है।

हालमे निकाली गई एकतरफा विज्ञप्तिकी तुलना समझौतेकी शर्तोके अनुसार निकाली गई विज्ञप्तिसे करना आवश्यक है। दूसरी विज्ञप्तिमे मेरे दिये गये चार नाम रद हो गये है। इसके अलावा, समिति जिन विपयो पर विचार करनेवाली थी, दूसरी विज्ञप्तिमे उन्हे भी निकाल दिया गया है। इस विज्ञप्तिकी भापा भी गोलमोल है, जवकि पहली विज्ञप्तिकी भापा विलकुल स्पष्ट और असन्दिग्ध थी। पहली विज्ञप्तिमे कहा गया था कि इसी ३१ तारीखसे पहले ही समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जायेगी, और ठाकुर साहव उसपर अमल भी करेगे। परन्तु इस दूसरी विज्ञप्तिमे रिपोर्टके लिए कोई मियाद नही रखी गई है।

पिछली घोपणासे पूर्व मुझे राव साहव माणेकलाल पटेलसे एक पत्र प्राप्त हुआ था। ध्यान देने योग्य है कि जहाँ उस पत्रमे मेरे मनोनीत किये हुए नामोमे से चार नामोको स्वीकार किया गया था, वहाँ नई विज्ञप्तिमे केवल तीन नाम स्वीकार किये गये है। इस सम्वन्धमे मैने गुजरातीमे एक उत्तर भेजा है जिसका अनुवाद भी उपलब्ध किया गया है।

ठाकुर साहव पर दरवार वीरावालाके प्रभाव और उनकी दखलन्दाजीके वारेमे मैने इतना-कुछ सुन रखा था कि मुझे अपने इस पत्रमे कहना ही पडा कि दरवार वीरावाला किसी भी हालतमे समितिमे शामिल नही किये जा सकते। मै किसी भी वहानेके लिए गुंजाइश नही रहने देना चाहता था।

एक पवित्र समझौतेके इस घोर भगसे राजकोटकी जनताके सामने एक ही रास्ता रह गया है। अव मेरा काम है कि मै राजकोटकी जनताका आह्वान करूँ कि वह स्वतन्त्रताकी रक्षाकी खातिर और राजकोट तथा ठाकुर साहवको सर्वनाशसे वचानेके निमित्त स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत कष्ट-सहनका मार्ग फिरसे अपनाये। वुरे-से-वुरे परिणामकी पूर्व-कल्पना कर लेना और उसके लिए प्रवन्ध कर लेना सर्वोत्तम है। वुरे-से-वुरा तो यह हो सकता है कि घोरतम आतक फैलाया जाये, लोगोको कठोर यन्त्रणाएँ दी जाये जो काठियावाड़मे कोई अपरिचित वात नही है, और लोगोमे आन्तरिक झगडे पैदा किये जाये। पिछली वातका प्रमाण है हमारे मुसलमान भाइयोका भड़काये जाने पर आन्दोलन करना। हमे अपने आचरण द्वारा उन्हे दिखा देना होगा कि प्रजा द्वारा सुशासित प्रशासनके अन्तर्गत जितना फायदा दूसरोको मिलेगा, कम-से-कम उतना ही उन्हे भी मिलेगा। आत्यन्तिक कुव्यवस्था और रिश्वतखोरीने राजकोटको दिवालिया वना दिया है। यदि अधिकतर लोग एकता रखे, कितना ही कष्ट हो या कितने ही दिन तक उसे सहना पडे, उसको सहनेकी क्षमता दिखाये, और आर्थिक हानिके वावजूद अहिंसापूर्ण असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमपर अमल करनेकी योग्यताका प्रदर्शन करे तो छोटे-मोटे झगड़े इस आन्दोलनको लम्बा तो कर सकते है, किन्तु हमारे लक्ष्यसे हमे वचित नही कर सकते। लेकिन छात्रोको किसी भी हालतमे सविनय अवज्ञा या हडतालोमे भाग नही लेना है। यदि उन्हें रचनात्मक-कार्यमे विश्वास हो तो उसे कर सकते है, और करना भी चाहिए। छात्रगण घर-घर जाकर लोगोके कष्टोका परिहार कर सकते है, क्योकि जैसे-जैसे आन्दोलन वढ़ेगा, लोगोको अनिवार्यत. कष्ट होने ही है।

मन, वचन तथा कर्मसे अहिंसाका पालन करना होगा। विपक्षियों तथा तटस्थ लोगोंके साथ तथा अपने सहयोगियोंके साथ भी अहिंसाका पालन होना चाहिए, जेलके भीतर भी और बाहर भी। जिस हद तक हम अहिंसाका पालन करेंगे उसी हद तक हम सफल होंगे। हमें इस सम्भावनापर आस्था रखनी होगी कि हमारी अहिंसाके परिणामस्वरूप ठाकुर साहबका मन अपनी प्रजाके लिए पसीज जायेगा। आज तो वह केवल नाममात्रके ही शासक हैं। उनकी प्रजामें से हरएक व्यक्तिको यह बात चुभ रही होगी कि इस नौजवान शासकने अपनी प्रजाके साथ किया गया पवित्र समझौता जान-बूझकर भंग कर दिया है।

मैंने दरबार वीरावालाके बारेमें कटु प्रतीत होनेवाले वचन कहे हैं। किन्तु सत्य कई बार कटु और कठोर हो जाता है। मैंने उनके सम्बन्धमें ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसमें मेरा विश्वास न हो। परन्तु उनके साफ खटकनेवाले दोषोंके बावजूद हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और हम यह आशा रखें कि हमारा प्रेम उनका तथा उनके प्रभावमें तथा उनके निर्देशानुसार काम करनेवालोंका हृदय-परिवर्तन कर देगा।

मुझे दुःख है कि राजकोटकी जनताकी नीति तथा कार्यक्रम बनानेमें मेरा हस्तक्षेप और कांग्रेसका प्रभाव रेजिडेंट महोदयको नापसन्द है। देशी राज्योंकी जनताने हमेशासे ही कांग्रेसका मार्गदर्शन ग्रहण किया है। उसके प्रति उनकी निष्ठा है। यहाँ तक कि आरम्भिक कालमें तो राजा लोग भी कांग्रेसका समर्थन पानेकी कामना रखते थे। राजाओं और उनकी जनताके बीच उठनेवाले विवादोंमें प्रत्यक्ष भाग न लेनेके रूपमें कांग्रेसने देशी राज्योंमें हस्तक्षेप न करनेकी नीति अपनाई थी। यह सब केवल अपनी मर्यादाको पहचान लेना मात्र था। किन्तु जब जनता अपनी शक्तिको जान गई है और कष्ट-सहनके लिए तैयार है तब भी यदि कांग्रेस अपनी ओरसे यथासाध्य मदद न दे तो वह उद्देश्यके प्रति झूठी सिद्ध होगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं काठियावाड़ राजकीय परिषद्का अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस नाते काठियावाड़की जनताके प्रति मेरा एक कर्तव्य है और राजाओंके प्रति भी है, और जब मेरी सहायताकी जरूरत पड़े तब मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ? राजकोटमें पहले तो प्रजाने और फिर स्वयं राजाने मेरी सहायता माँगी और मेरा दावा है कि मैंने उदारतापूर्वक मदद दी है। इसमें मुझे रेजिडेंट महोदय या साम्राज्य-सत्ताके एतराज करने योग्य कोई बुराई नहीं दीखती। यह तो एक ऐसा सवाल है जिसका निर्णय करानेमें प्रसंगवश निमित्त बन जाना राजकोटके लिए अत्यन्त गौरवकी बात होगी।

फिलहाल यह सत्याग्रह केवल काठियावाड़ियों तक ही सीमित रहेगा। काठियावाड़के लोगोंमें इतने आपसी सम्बन्ध निकल आते हैं कि नैतिक आधार ले तो किसी भी काठियावाड़ी को व्यवहार रूपमें इस सत्याग्रहसे दूर नहीं रखा जा सकता।

सरदार वल्लभभाई पटेलको ठाकुर साहबका पत्र

अमरसिंहजी सचिवालय
राजकोट राज्य
दिसम्बर, १९३८

प्रिय सरदार वल्लभभाई,

अभी-अभी प्राप्त आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

यदि आप आज शाम पाँच बजे मेरे साथ चाय पियें तो मुझे खुशी होगी। उस समय मेरी परिषद्के सदस्योकी उपस्थितिमे हम लोग इस मौजूदा प्रश्नपर चर्चा कर लेगे।

हृदयसे आपका,
धर्मेन्द्रसिंह

सर पैट्रिक कैडेलका ठाकुर साहबको पत्र

अमरसिंहजी सचिवालय
राजकोट
१ अक्टूबर, १९३८

श्रीमान,

कल मैंने आपसे शाम आठ बजेसे पूर्व मुलाकात करनेकी अनुमति माँगी थी। मै अत्यन्त महत्वके मामलेपर बातचीत करना चाहता था। मैंने शामका यह समय स्वयको असुविधाजनक होते हुए भी आपकी सुविधाकी खातिर माँगा था। आपने निजी सचिवके हाथ मुझे सन्देश भेजा कि मै साढे आठ बजे आपसे मिलूँ। मे ठीक वक्तपर उपस्थित हुआ किन्तु मुझे बताया गया कि आप स्नान कर रहे है। मै नौ बजे तक प्रतीक्षा करता रहा और पता चला कि आपको अभी भी १५ मिनट या आधा घटा और लगेगा। इसपर मै चला गया।

आपको यह बतानेके लिए अब मै यह पत्र लिख रहा हूँ कि अपने साथ इस प्रकारका घोर अशिष्टतापूर्ण बर्ताव होने देनेका मेरा कोई इरादा नही है। आपकी मददके लिए इग्लडसे रवाना होते समय मुझे बिलकुल भान नही था कि आप ऐसा आचरण कर सकते हैं। इसको मैं चलने नही दे सकता।

कल रात मेरा इरादा आपको यह बतानेका था कि किसी भी हालतमे मौजूदा परिस्थिति जारी नही रह सकती। राज्यमे हालत बहुत गम्भीर है। राज्यके विरुद्ध बहुत-सी शिकायते तो आपके आचरणको लेकर ही है। ऐसा माना जाता है कि आप राजस्वमे से बहुत बड़ा अश खर्च कर देते है और आपके खर्चका अधिकाश भाग

गलत मुद्दोंमें जाता है और यह कि आप राज्यके प्रशासनमें कोई भाग नही लेते। इस समय आपके खर्चोंकी रकम या खर्चके तरीकोंकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु यह तो नि सन्देह सच है कि आप शासन-व्यवस्थामे कोई भाग नही लेते और अपनी प्रजाके कल्याणमे आपकी कोई रुचि प्रकट नही होती। यह बात इसलिए और भी ध्यानमे आती है, क्योकि आपके पिताने जो ढंग अपनाया था, आपका ढंग उससे नितान्त भिन्न है। अपने अधिकारियोंसे आप यह अपेक्षा रखे कि वे दमनकारी कार्योंका भार उठाये और आप स्वयं कुछ न करे, यह न्यायोचित नही है। आपको भी इसमें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। अतएव मेरा प्रस्ताव है कि आप निम्नांकित कार्य करे।

१. मेरा खयाल है कि आज शामको ७-३० बजे आप एक या शायद दो मन्दिरोमे होनेवाले यज्ञ-अनुष्ठानमें शामिल होनेवाले है। मेरा अनुरोध है कि यदि आपके पास समय हो तो उसके बाद शहरमे आपकी सवारी निकले और मुझे भी अनुमति दें कि उस समय मैं आपके साथ रहूँ।

२. आज तो छुट्टीके कारण हुजूर दफ्तर बन्द है परन्तु सोमवारको वह खुला रहेगा। मैं सुझाव दूंगा कि आप मुझे वचन दे कि आप सोमवारको वहाँ कम-से-कम एक घंटेके लिए फरियादियोंकी फरियाद सुनने आयेंगे और शामके छः बजेसे पहले ही आयेंगे।

मुझे पक्का विश्वास है कि इन दो कार्योंका शहर पर सुन्दर प्रभाव पड़ेगा।

मुझे एक तीसरा अनुरोध करना है।

३. आप वचन दे कि मुझे जिस किसी दिन भी आपसे मिलना हो, आप ७-३० से पहले ही मुझसे मिल लेंगे और वचन दीजिए कि आप निर्धारित समयके बाद १५ मिनटसे अधिक देर नही करेंगे।

यदि आप मेरे इन सुझावोंको स्वीकार करनेमें असमर्थ है तो मैं रेजिडेंट महोदयको यह सूचित करनेको बाध्य हो जाऊँगा कि मैं अब यहाँ काम नही कर सकता और मेरा इरादा शीघ्रातिशीघ्र इंग्लैंड लौट जानेका है।

मुझे आशंका है कि यदि मुझे ऐसा करना ही पड़ा तो इसके फलस्वरूप आपके राज्य और स्वयं आपके लिए इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकल सकते है। आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि इस बातकी सम्भावना कम ही है कि भारत सरकार आपके आचरणको अनुकूल दृष्टिसे देखेगी। आपको हानि पहुँचेगी तो मुझे दु.ख होगा, लेकिन यदि आपने ऐसा ही बर्ताव रखा तो मैं यहाँ और नही रह सकता।

यदि आज शाम ५-३० बजेसे पहले ही आप मुझे सूचित कर दें कि क्या आप आज शाम शहरमें सवारी के लिए जानेको सहमत हैं और मुझे साथ रहनेकी अनुमति देंगे तो मैं अनुगृहीत होऊँगा।

हृदयसे आपका,
पैट्रिक कैडेल

सर पैट्रिक कैंडेलको ठाकुर साहबका पत्र

गोपनीय

रणजीत विलास महल
राजकोट
२ अक्टूबर, १९३८

प्रिय सर पैट्रिक,

आपका कलका पत्र पाकर मुझे अत्यन्त क्षोभ हुआ, और मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे आपके पत्रका स्वर पसन्द नही आया। मै यह नही मान सकता कि मेरे खिलाफ की गई शिकायते तथ्योपर आधारित है। वर्तमान आन्दोलन राज्योमें उत्तरदायी शासन-व्यवस्था आरम्भ करानेके लिए काग्रेस द्वारा फैलाई हुई एक लहर ही है। और मेरी धारणा है कि मैसूर, त्रावणकोर इत्यादि अन्य रियासतोकी तरह ही, जहां की जनताको पहलेसे ही अधिक नागरिक स्वतन्त्रताका सुख प्राप्त है, काठियावाड़मे राजकोटको काग्रेसने इसी कारण चुना है।

इस स्थितिसे निपटनेके उद्देश्यसे ही मैने आपकी सेवाएँ प्राप्त की थी। आपका कार्य यथासम्भव सुगम करनेकी अब भी मेरी कामना है और दशहरेके उपरान्त अपनी सुविधानुसार मैं किसी दिन दफ्तर आऊँगा।

आपकी इस वातपर मुझे कडी आपत्ति है कि आपके चले जानेके फलस्वरूप राज्य और मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकल सकते है और भारत सरकार मेरे आचरणको अनुकूल दृष्टिसे नही देखेगी। इस सिलसिलेमे मै आपको स्पष्ट रूपसे समझा दूं कि मैने स्वय ही आपको अपना दीवान नियुक्त किया है और यदि किसी मतभेदके परिणामस्वरूप मुझे आपसे सेवानिवृत्त हो जानेके लिए कहना पड़ा तो रेजिडेट महोदय अथवा वाइसराय महोदयको मुझसे अप्रसन्न होनेका कोई कारण नही होगा। मेरे राज्य और मेरे विषयमे जो-कुछ भी सूचनाएँ आप एकत्र कर पाये है, वे आपको इसी कारण उपलब्ध हो सकी है, क्योकि आप मेरे विश्वासभाजन है और यह कहना शायद ही आवश्यक होगा कि आप मेरी अनुमतिके बिना मेरे राज्यके अभिलेखोका उपयोग नही कर सकते और खासकर व्यक्तिश मेरे विरुद्ध तो विलकुल नही कर सकते। रेजिडेट महोदयको राज्यसे सम्वन्धित कोई भी सूचना प्राप्त करनेकी आवश्यकता महसूस हुई है तो वह मेरे दीवानके जरिये माँग की गई है, और तभी माँगी गई है जब मैं इसके लिए सहमत होऊँ। आपको मै यह भी वतला दूं कि रेजिडेट महोदय और वाइसराय महोदय, दोनोका मुझे भरपूर विश्वास प्राप्त है और इसे खोने लायक कोई काम मैने नही किया है। अतएव मेरी कामना है कि आप अपने निश्चयपर पुनर्विचार करे और मेरी प्रतिष्ठा और नीतिके अनुरूप कार्य करनेकी अपनी सहमति अभिव्यक्त करे।

हृदयसे आपका,
धर्मेन्द्रसिंह

सर पैट्रिक कैडेलको ठाकुर साहबका पत्र

राजकोट
१६ अक्टूबर, १९३८

प्रिय सर पैट्रिक,

मुझे विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितिसे आप पूर्णतः अवगत होंगे। स्थितिमें किसी भी प्रकारका सुधार नहीं आया है और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, यह दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और अब पराकाष्ठापर पहुँच गई है। अभी कुछ ही दिन हुए हमने एक बैठक बुलाई थी और उसमे जनताको कुछ रियायतें देना स्वीकार किया था। किन्तु उससे स्थितिमे कोई सुधार नही आया और वांछित परिणाम नही निकला। मैं स्वयं कायल होता जा रहा हूँ कि हमने उचित समयपर ऐसे उचित कदम नही उठाये जिससे कि मेरी चिन्ता दूर हो जाती। संक्षेपमे स्थिति निश्चय ही काबूसे बाहर होती जा रही है, और इससे मेरी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई है। आन्दोलन अधिकाधिक तेज होता जा रहा है और निकट भविष्यमे उसको काबूमे लानेकी कम ही आशा दीख पड़ती है। प्रजाको लगता है और उसे सिखाया जा रहा है कि आपको सरकारने यहाँ भेजा है और अब तक जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त थी, वह अब नही रही। आपके आनेसे पूर्व मेरे प्रति प्रजाका जितना प्रेम और जितकी वफादारी थी, उसे अब वह देनेसे इन्कार करती है। इतना ही नही, बल्कि प्रजाकी राय और धारणा तो यह मालूम पड़ती है कि शासनकर्ता मैं नही बल्कि आप है।

मुझे कहना चाहिए कि अवश्य ही यह भावना आपने पैदा नहीं की है, फिर भी यह भावना मौजूद है और प्रकट है कि प्रजाकी उसे त्यागनेकी मनोवृत्ति नहीं दीख पड़ती। दीवालीकी छुट्टियाँ पास आती जा रही हैं और हमेशाके समान इजारे दिये जाने चाहिए किन्तु जनताने उसका बहिष्कार कर रखा है। अनाजकी बिक्रीका बहिष्कार करनेकी उसने ठान ली है और सम्भव है कि उसके असहयोगके कारण इस साल अनाजका कोई क्रय-विक्रय न हो। इसका अर्थ होगा राज्यका आर्थिक सर्वनाश और एक ऐसी संकटकी स्थिति जिसका वर्णन करनेके बजाय उसकी कल्पना कर लेना ही बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि शासक होनेके नाते राज्य और उसकी प्रजाके हितमे मुझे कोई भी कीमत देकर या कोई भी त्याग करके ऐसी स्थितिको टालना ही पड़ेगा।

आप जानते ही हैं कि अब प्रजाने विद्रोहका रुख अपना लिया है और दुःख भी भोग रही है। अतएव मुझे देखना ही होगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिका पूरी तरह समाधान हो जाये और यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रजा और मेरे बीच किसी प्रकारका एक पक्का, सुस्पष्ट समझौता हो जाये। मुझे लगता है कि जब तक मेरी प्रजा मुझे अपना वास्तविक शासक न समझ ले तब तक मैं इस दिशामे कुछ भी करनेमें असमर्थ रहूँगा। राज्यका एक हितचिन्तक होनेके नाते आप भी यही चाहेगे

और सहमत होंगे कि ऐसी परिस्थिति अब जारी रहने देना उचित नही। अतः अब मेरा अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि जनताकी आँखोमें मैं पुन उसके वास्तविक और दयालु शासकके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाऊँ, क्योकि तभी उसके मनमें अपने प्रति विश्वास जमाकर मैं उससे समझौता कर पाऊँगा और पुन. उसका प्रेम और विश्वास प्राप्त करूँगा।

मैंने दरवार साहव वीरावालासे इस मामलेमें आपके विचार जान लेनेको कहा था। उन्होंने मुझे वताया है कि वह आपसे १३ तारीखको मिले थे और आपने उनसे कहा कि आपके मतमे जव तक राज्यकी वित्तीय स्थिति इजाजत देती है तव तक सघर्ष जारी रखना चाहिए और हमे देखना चाहिए कि अन्तत. विजय उनकी [प्रजाकी] होती है या हमारी।

इसके अतिरिक्त आपके १ अक्टूवर, १९३८ के पत्रसे मै समझा हूँ कि जहाँ तक आपका सम्वन्ध है, आपका पक्का मत है कि कमोवेश रूपमे मै ही स्वयं इन सब सकटोके लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने उत्तरमें इन आरोपोसे इनकार किया। इस विनाशकारी स्थितिको मुझसे वढकर कोई नही समझता, और आपके पत्रमे लगाये गये आरोपो और आपके रुखको देखते हुए मुझे लगभग पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे राज्य और उसकी प्रजाके हितकी रक्षाके लिए, और मेरे अधिकारों, प्रतिष्ठा और शासकपदको भी देखते हुए आप और मै अव साथ-साथ कार्य करनेमे असमर्थ हैं।

मेरी दृढ इच्छा है कि शीघ्रातिशीघ्र और दीवालीकी छुट्टियोसे पहले ही मैं स्वयं अपने राज्य और उसकी प्रजाके इस घरेलू झगड़ेका समाधान कर दूं। और मेरे मतमे यह तव तक सम्भव नही होगा जव तक आप और मैं शीघ्रातिशीघ्र सम्वन्ध-विच्छेद नही कर लेते। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और किसीको इसपर मुझसे ज्यादा खेद नही हो सकता। परन्तु यह चूंकि मेरे और मेरे राज्यके हितोका सवाल है, अत इसके अलावा और कोई चारा भी नही है। आपको यह विश्वास दिलाना मेरे लिए अनावश्यक है कि मैं किसी प्रकारसे आपकी स्थिति को अटपटी वनाना नही चाहता, अत. मै यह निर्णय आप पर ही छोड़ देता हूँ कि आप किस प्रकार सेवानिवृत्त होकर चले जाये। मैं अत्यन्त इच्छुक हूँ कि आप जिस प्रकार मित्रके रूपमें आये उसी प्रकार मित्रके रूपमें ही विदा हो। मैंने निश्चित रूपसे छ. मासके लिए आपकी सेवाएँ प्राप्त की थी, अतः मैं राज्यके कोषाध्यक्षको निर्देश दे रहा हूँ कि तदनुसार आपके वेतनकी अदायगी कर दे। मैं राजस्व सचिव श्री भट्टको भी निर्देश दे रहा हूँ कि आपकी सुविधानुसार वे आपको सेवानिवृत्त कर दें।

हृदयसे आपका,
धर्मेन्द्रसिंह

ठाकुर साहबको श्री ई० सी० गिब्सनका पत्र

द रेजिडेंसी
राजकोट
२६ अक्टूबर, १९३८

गोपनीय

डी० ओ० नं० सी०/१३४-३८

प्रिय ठाकुर साहब,

आपको याद होगा कि आपने १६ अक्टूबरकी शामको मुझे एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि आप सर पैट्रिक कैडेलको हटाना चाहते हैं और आपने उनके नाम लिखे अपने पत्रकी प्रति, जिसे आप पहले ही भेज चुके थे, संलग्न करके मुझे भेजी थी। दूसरे दिन सुबह हम लोगोमे विचार-विमर्श हुआ। उस समय मैंने आपको पुरजोर सलाह दी थी कि आप इस मामले पर पुर्नविचार करें और एक ऐसा कदम न उठाये जो प्रत्येक दृष्टिकोणसे अनिवार्यतः आपके राज्य और स्वयं आपके हितमें अत्यन्त हानिकर सिद्ध होगा। मैंने आपको ध्यान दिलाया कि जब आपने २५ अगस्तको मुझे पत्र लिखा था कि मैं सर पैट्रिक कैडेलकी नियुक्तिके लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करूँ, तब आपने बिलकुल निश्चित रूपसे कहा था कि इस नियुक्तिकी अवधि फिलहाल कमसे-कम छः महीनेकी होगी। यही समझ कर मैंने सम्राटके प्रतिनिधि वाइसराय महोदयकी स्वीकृतिके लिए आपके अनुरोधका प्रस्ताव उनके पोलिटिकल सेक्रेटरीके पास भेज दिया था।

आपके साथ १७ अक्टूबरको और फिर २२ अक्टूबरको इस विषय पर चर्चा करते हुए मैंने जो सब बातें विस्तारसे समझाई थी, उनको यहाँ दोहराना अनावश्यक होगा। १७ अक्टूबरको आपसे बातचीत करनेके बाद, यह देखकर कि आप मेरी दी हुई सलाह माननेको अनिच्छुक है, मैंने आपके १६ अक्टूबरके पत्रकी एक प्रति पोलिटिकल सेक्रेटरीको भेज दी थी।

२२ अक्टूबरकी अपनी मुलाकातमें मैंने आपको बताया था कि आपको यह सूचित कर देनेका मुझे निर्देश मिला है कि वाइसराय महोदय विश्वास रखते है कि राज्य और अपने हितकी खातिर आप अपने उठाये हुए कदम वापस लेनेमे कोई देरी नहीं करेगे। तबसे इस खबरकी आशामें हूँ कि आपने इस सलाहको मानकर उसपर अमल किया है। चूँकि मुझे अभी तक आपसे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नही हुई है अतः मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ कि हमारी २२ अक्टूबरकी मुलाकातके बाद आपने जो-कुछ कार्रवाई की है, उसकी कृपया मुझे यथाशी सूचना दें।

हृदयसे आपका,
ई० सी० गिब्सन

ई० सी० गिब्सनको ठाकुर साहबका पत्र

गोपनीय

२९ अक्टूबर, १९३८

प्रिय श्री गिब्सन,

आपके २६ ता० के गोपनीय पत्र डी० ओ० सी०/१३४-३८ के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

सम्राटके प्रतिनिधि वाइसराय महोदयकी इच्छा और आपकी महत्वपूर्ण सलाह और सिफारिशको ध्यानमे रखकर मैंने सर पैट्रिक कैडेलको अपनी सेवामे रखे रहनेका निश्चय किया है, हालाँकि अब भी मेरा दावा है कि इस प्रश्नका सवैधानिक पक्ष मेरे अनुकूल ही है।

मैं उत्सुक हूँ कि यथाशीघ्र उचित कार्रवाईकी जाये। राज्यमें सुलह, शान्ति तथा कानूनके प्रति आदर समुचित रूपसे कायम रहे, इस उद्देश्यसे राजकाज चलानेके लिए सर पैट्रिक कैडेल और अपने दो अफसरोकी एक सशक्त परिषद् बनानेका मैंने निर्णय किया है।

१७ तारीखको आपके साथ मुलाकातके समय आपने परिषद् स्थापित करनेके मेरे सुझाव पर सहमति दी थी। इस कारण मैंने निम्नलिखित सदस्योको उनके नामके साथ लिखे विभाग सौपनेका निश्चय किया है:

प्रथम सदस्य तथा उपाध्यक्ष: सर पैट्रिक कैडेल. १ कानून और न्याय, २. राजकीय, ३. वित्त, ४ पुलिस और ५. प्रजा प्रतिनिधि सभा तथा म्युनिसिपैलिटी।

द्वितीय सदस्य राव साहब माणेकलाल सी० पटेल· १ वित्त, २. उद्योग, ३. राजस्व, ४ लोकनिर्माण विभाग और ५ बरदाशी।

तृतीय सदस्य श्री जयन्तीलाल एल० जोबनपुत्र. १ स्वास्थ्य-चिकित्सा, २. जेल, ३. शिक्षा और ४. घुड़साल तथा दूसरे अनुल्लिखित विभाग।

वर्तमान परिस्थितिको काबूमे लानेके लिए जो भी कदम उठाये जाये, उनका निश्चय यह परिषद् करेगी और उसपर मेरी मजूरी होगी तथा अन्य दूसरे सब महत्वपूर्ण विषयोके सम्बन्धमें यही उपर्लिखित कार्य-पद्धति चलेगी।

इसके बाद मैं विस्तृत निर्देश जारी करूँगा। मेरा विचार है कि ऐसी सशक्त परिषद्की स्थापनासे दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही मौजूदा स्थितिके सम्बन्धमे मेरी चिन्ता दूर हो जायेगी।

आपका उत्तर पानेके बाद मैं सर पैट्रिक कैडेलको तदनुसार सूचना दूंगा।

इस मामलेमें मैंने आपको जो कष्ट दिया है, उसका मुझे अत्यन्त दुख है।

हृदयसे आपका,
धर्मेन्द्रसिंह

दरबार वीरावालाको ई० सी० गिब्सनका पत्र

द रेजिडेंसी, राजकोट
२५ नवम्बर, १९३८

प्रिय वीरावाला,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आज सुबह यहाँ राजकोट लौटनेपर मुझे पता चला कि आप यहाँ थे और यह सुनकर मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ। मेरा विचार है कि यदि श्री अनन्तराय पट्टणी आपसे मिलना चाहते थे तो वह आपको भावनगर आनेको कह सकते थे, या वह स्वयं नटवरनगर जा सकते थे जो भावनगरसे राजकोटकी अपेक्षा ज्यादा निकट है। मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें ऐसा विचित्र अनुरोध करना क्यों अनिवार्य लगा। और मेरे विचारमें यह अवश्य ही खेदकी बात है कि आपको मैंने जो सलाह दी थी, उसके बाद भी आपने उनके इस अनुरोधका पालन किया। मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ आनेको अनिच्छुक थे। अपनी लम्बी बीमारीके बाद, जब आपको स्वास्थ्य-लाभके लिए आराम और शान्तिकी आवश्यकता है, ऐसी लम्बी यात्रा करना आपके स्वास्थ्यके लिए बहुत हानिकर है। मुझे खुशी है कि आज आपकी तबीयत कुछ बेहतर है और मैं आपको जोरदार सलाह देता हूँ कि आप भविष्यमें अपने स्वास्थ्यकी और ज्यादा देखभाल रखें।

सौहार्दपूर्वक,

हृदयसे आपका,
ई० सी० गिब्सन

वाला श्री वीरा मुलु,
नटवरनगरके ताल्लुकेदार, राजकोट

दरबार वीरावालाको पोलिटिकल एजेंटका पत्र

व्यक्तिगत

राजकोट
२९ नवम्बर, १९३८

प्रिय वाला श्री,

आपका कलका व्यक्तिगत पत्र मिला। मुझे दुःख है कि कर्नल ऐस्पिनालके विचारमें आपको यात्राके फलस्वरूप कष्ट पहुँचा है, विशेषकर जबकि आपने मुझे बताया है कि उसके बादसे आपको अपनी तबीयत काफी खराब लग रही है।

आपने मुझे वचन दिया था कि मैंने रेजिडेंट महोदयसे जो पूछताछ की है, उसका उत्तर आनेसे पूर्व आप राजकोटमें किसीसे भी नहीं मिलेंगे। परन्तु इसके बावजूद आप राजमहल गये, यह जानकर मुझे स्वभावतः अत्यन्त आश्चर्य हुआ।

मैं केवल यही मान सकता हूँ कि आप अपने ही हितमें यह समझ जायेंगे कि ऐसा करना बुद्धिमानी नही था और यह कि नटवरनगर लौट जाने तक आप वही रुख अपनाये रहेगें जिसका कि आपने स्वय ही सुझाव रखा था, अर्थात् आपको यहाँके मामलोसे पूर्णत. अलग रहना है और किसीसे भी नही मिलना है।

आशा करता हूँ कि अब आपने पूरा आराम ले लिया होगा और कल नटवर-नगरके लिए वापसी-यात्रासे आपको कोई कष्ट नही पहुँचेगा।

हृदयसे आपका,
सी० के० डेली

वल्लभभाई पटेलको ठाकुर साहबका पत्र

अमरसिंहजी सचिवालय
राजकोट राज्य
२७ दिसम्बर, १९३८

प्रिय वल्लभभाई पटेल,

राजकोट आनेके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ।

आपने गतिरोधका अन्त करनेमे मेरी जो सहायता की है, उसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ।

मैं समझता हूँ, आप अब तक भली प्रकार जान गये होगे कि दीवान साहब वीराभाई मेरे और राज्यके प्रति अत्यन्त वफादार रहे हैं। उन्होने अपने कार्य-कालमे हमेशा ही मेरी प्रजाकी भलाईके लिए अपनी ओरसे यथाशक्य कार्य किया है।

मेरे और राज्यके हितोकी रक्षा करते हुए उन्हे हानि भी उठानी पड़ी है।

अब आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी प्रजाके मनमे उनके प्रति जो गलतफहमी है, उसे दूर करनेका आप यथासम्भव यत्न करे।

इसके लिए मैं अत्यन्त अनुगृहीत होऊँगा।

हृदयसे आपका,
धर्मेन्द्रसिंह
ठाकुर साहब, राजकोट

रेजिडेंसीमें हुई वार्ताके विवरणमें से उद्धृत अंश

२८ दिसम्बर, १९३८

उपस्थित: माननीय श्री गिब्सन
ठाकुर साहब

सर पैट्रिक कैडेल
राव साहब एम० सी० पटेल
श्री जयन्तीलाल एल० जोवनपुत्र
राज्य परिषद्के सदस्य

माननीय श्री गिब्सनने बातचीत शुरू करते हुए ठाकुर साहबसे कहा कि उनके समझौतेके कारण सब राजाओंमें खलबली मच गई है। श्री गिब्सनने पूछा कि वल्लभभाई पटेल राजकोट किस प्रकार आये और क्या उनको आमन्त्रित किया गया था।

ठाकुर साहब: वह स्वेच्छासे आये थे और मुझसे मुलाकात करना चाहते थे, सो मैंने उन्हें चायके लिए आमन्त्रित किया।

श्री गिब्सन: वह बिलकुल भी भरोसेके आदमी नहीं है। आप जानते ही हैं कि भारत सरकारकी इच्छा थी कि कोई बाहरी हस्तक्षेप न होने दिया जाये। उनके साथ समझौता करके आप अपने राजा-बन्धुओंकी और सरकारकी सहानुभूति गँवा बैठे हैं। हालाँकि आप जो-कुछ करें, भारत सरकार उसका बुरा नहीं मानती, परन्तु पटेलके माध्यमसे समझौता करनेमें आपने गलती की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओंमें से भी श्री पटेल सबसे अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। जो-कुछ भी हो, विज्ञप्तिसे प्रतीत होता है कि समझौतेकी भाषामें ऐसी कोई बुरी बात नहीं, सिवाय इन शब्दोंके: "व्यापकतम अधिकार"। इन शब्दोंका चाहे जो भी अर्थ लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप नाममात्रके राजा रह जायेंगे। इन शब्दोंके बल पर वे लोग बिलकुल आरम्भसे ही पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी माँग करेंगे और आप स्वयंको बड़ी विकट स्थितिमें पायेंगे।

ठाकुर साहब: नहीं, मैंने केवल एक समितिकी नियुक्ति की है।

श्री गिब्सन: हाँ, लेकिन समितिके सदस्योंकी नियुक्ति कौन करेगा? और जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त हो, उसको कार्यान्वित भी तो करना होगा।

ठाकुर साहब: हाँ, श्री वल्लभभाई पटेल नामोंका सुझाव पेश करेंगे।

श्री गिब्सन: ठीक यही बात तो है। उसका मतलब होगा समिति में कांग्रेसी कार्यकर्ता आयेंगे और जो "व्यापकतम अधिकार", इन शब्दोंको लेकर पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी माँग करेंगे।

सर पैट्रिक: श्री पटेल किस प्रकार नामोंको पेश करेंगे? क्या हमें उनको लिखना होगा?

ठाकुर साहब · नही, वह स्वयं नाम भेजेगे।

श्री गिब्सन : एक धारामे आपने स्वीकार कर लिया है कि आप रिपोर्टपर पूरा अमल करेगे। यह बहुत बुरा हुआ। आपने तो अपने हाथ ही कटा लिये।

श्री गिब्सनने सुधार-समितिके अध्यक्षकी नियुक्तिके विषयमे ठाकुर साहबसे पूछा कि समितिका अध्यक्ष कौन होगा।

ठाकुर साहब · दरबार वीरावाला।

श्री गिब्सन . नही, वह नही आ सकते।

ठाकुर साहब . क्यो ? वह अपनी अवकाश-अवधिके बाद आ जायेगे।

श्री गिब्सन नही, वह एक ताल्लुकेदार है। वह नही आ सकते। उनको मै इस समय आने नही दूंगा।

ठाकुर साहब नही, वह सर पैट्रिकके चले आनेके बाद आ सकते है।

श्री गिब्सन · यह तो सर पैट्रिकके जानेके बाद देखा जायेगा।

राजकोट राजपत्र विज्ञप्ति

राजकोट दरबारी राजपत्र असाधारण
शनिवार, २१ जनवरी, १९३९

विज्ञप्ति

नं. ६१, १९३८-३९ का

जैसाकि विज्ञप्ति न० ५०,-२६ दिसम्बर, १९३८मे कहा गया था, हम सहर्ष निम्नलिखित सात सज्जनोकी नियुक्ति कर रहे है जो राज्य के सभी महत्वपूर्ण हितो-का प्रतिनिधित्व करते है। ये लोग एक समितिके रूपमे राज्यके तीन अफसरोके साथ कार्य करेगे जिनके नाम बादमे घोषित किये जायेगे। यह समिति समुचित जाँच-पडतालके बाद हमारे लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमे सुधारोकी एक ऐसी योजनाका सुझाव होगा जिसके अनुसार जनता राज्यके प्रशासनमे अधिक भाग ले सके :

१. श्री पोपटलाल पुरुषोत्तम अनडा, अध्यक्ष, प्र० प्र० सभा,
२. जाडेजा जीवनसिहजी धीरुभा,
३ शेठ दादा हाजी वलीमुहम्मद,
४ श्री पोपटलाल धनजीभाई मालवीय,
५ श्री मोहनलाल म० टाक, अध्यक्ष, नगरनिगम
६. डॉ० डी० जे० गज्जर, और
७ सेठ हेपतुभाई अब्दुल अली।

समितिको पूरी और बारीकीसे जाँच-पड़ताल करनेके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

धर्मेन्द्रसिह
ठाकुर साहब, राजकोट राज्य

सरदार वल्लभभाई पटेलको माणेकलाल पटेलका पत्र

गोपनीय

रणजीत विलास
राजकोट
१२ जनवरी, १९३९

प्रिय सरदार साहब,

ठाकुर साहबकी इच्छानुसार मैं आपके ४ तारीखके पत्रकी पहुँच स्वीकार करता हूँ जिसमें आपने प्रस्तावित सुधार-समितिके लिए उनके द्वारा मनोनीत किये जानेवाले सात नामोंकी सिफारिश की है।

आपने अखबारोंसे जान लिया होगा कि ठाकुर साहबके पास आपका पत्र पहुँचनेसे पहले ही आपके प्रस्तावित नाम प्रकट हो चुके हैं। उनको खेद है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रकटीकरणसे आपकी और ठाकुर साहबकी स्थिति कुछ विचित्र हो गई है।

ठाकुर साहब आपके प्रस्तावित सभी नाम चुन लेनेको अत्यन्त इच्छुक हैं लेकिन आप भी इस बातको समझेंगे कि अपनी प्रजाके महत्वपूर्ण वर्गोंके अनुरोधको भी वे ठुकरा नहीं सकते और उन्हें देखना होगा कि समितिमें ऐसे लोग हों जिनपर उनकी जनताके सभी महत्वपूर्ण समुदायोंका विश्वास हो। तथ्य तो यह है कि ठाकुर साहबके सामने भायात और मुस्लिम कौंसिलके निवेदन आये हैं और दलित वर्गकी भी एक याचिका है। अतएव उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको इस प्रकार पत्र लिखूँ।

आपने यहाँ पर ठाकुर साहबसे कहा था, जो बिलकुल सही था, कि आप नहीं जानते हैं कि यहाँके असली नेता कौन-कौन हैं और इस कारण आपने नाम पेश करना स्थगित कर दिया था ताकि आप दूसरोंसे सलाह कर लें।

१, २, ४, तथा ५ संख्यावाले सज्जनोंके लिए ठाकुर साहबकी मंजूरी है।

तीसरे नम्बरवाले सज्जन यहाँ अचल सम्पत्तिके स्वामी हैं, ४० वर्षसे यहाँ उनका वास है तथा वह एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं। परन्तु उनसे यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वह इस प्रकारकी समितिके कार्यके लिए स्वतन्त्र मत द्वारा कुछ उपयोगी सिद्ध होंगे।

आप सहमत होंगे कि यहाँ मुसलमान एक महत्त्वपूर्ण इकाई हैं और वे अब इतने सुसगठित हो चुके हैं कि आसानीसे उनकी अवगणना करना सम्भव नहीं है। मुस्लिम कौंसिलने अपने सर्वसम्मत प्रस्तावके अन्तर्गत एक निवेदन पेश किया है जिसमें उन्होंने सातमें से तीन मुसलमान सदस्य रखे जानेका अनुरोध किया है। उनकी माँग अवश्य बेजा है परन्तु बोहरा लोगोंके समेत उन्हें दो स्थान दिये जाने चाहिए और उनकी कौंसिलका अध्यक्ष उन दोमें से एक होना चाहिए। ब्रिटिश भारतके अपने सुदीर्घ अनुभवके कारण आप समझ जायेंगे कि यदि उनके उचित अनुरोधको मान न लिया गया तो वे उपद्रव मचाकर ऐसा दूषित वातावरण पैदा कर सकते

है जिससे हम सभी बचना चाहते है। इसमें कोई सन्देह नही कि हम एक ऐसी समिति चाहते है जिसमे जनताके सभी अंगोंका प्रतिनिधित्व हो और वह निष्पक्ष हो और जिसके सदस्य आपसी सामजस्य और बुद्धिमत्ताके साथ कार्य करे।

छठवे तथा सातवे सदस्यके वारेमे, प्रतीत होता है, वे विज्ञप्तिमे दिये गये 'नागरिक' शब्दकी परिभापाके अन्तर्गत पूरी तरह नही आते।

श्री वी० एम० शुक्लका न तो राज्यमे जन्म हुआ है और न ही वे जन्मसे लेकर ४० वर्षोतक राज्यके अधिकारक्षेत्रके अन्तर्गत रहे है। राजकोट राज्यके नागरिक की जो परिभाषाकी गई है, उसके अनुसार अपने पूर्वजोकी सरधार पाटीमे जायदाद होनेके कारण मात्रसे वे नागरिक नही माने जा सकते। वे न तो राज्यमें पैदा हुए है, न यहाँ अधिवासी वने है और न ही उन्होने यहाँकी नागरिकता प्राप्त की है।

ठाकुर साहवका विचार है कि उ० न० ढेवरके मामलेमे भी यही कठिनाई आड़े आती है। जैसाकि समझा गया है, वह मूल रूपसे जामनगर राज्यके है और उनके पिताने अपने जीवनका अधिकाश वम्वईमे विताया। कहा जाता है कि उनकी स्वय की शिक्षा-दीक्षा राजकोटमे हुई है और जव उन्होने वकालत शुरू की उस समय वे सिविल स्टेशनमे रहते थे। राज्यकी सीमाके अन्तर्गत वह पिछले दो वर्षोसे रह रहे है। उन्होने गत वर्ष राज्यमे जमीन भी खरीदी है। ठाकुर साहवको लगता है कि दिवगत ठाकुर साहवके समयसे राज्यने हमेशा जिन अन्य अग्रगण्य व्यक्तियोको प्रजाके नेताओके रूपमे मान्यता दी है, उनके बीच कुछ असन्तोष उत्पन्न न होने देनेके लिए उन्हे चाहिए कि वे 'प्रजा' की परिभाषाके अन्तर्गत आनेवालोमे से ही नामजदगी करे।

यह वात भी आपके ध्यानमे लानी होगी कि भायात लोगोने भी ठाकुर साहवसे मिलकर एक विनती की है, जो अत्यन्त उचित भी है, कि उनमे से कम-से-कम एक व्यक्ति समितिमे हो, क्योकि वे राज्यके अत्यन्त महत्वपूर्ण और बड़े जाति-वर्गका प्रतिनिधित्व करते है। अतः ठाकुर साहव उनमे से एक व्यक्तिको समितिमे रखना अनिवार्य मानते है।

जैसाकि आप सहज ही समझ जायेंगे, ठाकुर साहवकी यही इच्छा है कि समितिमे सबसे बुद्धिमान लोग होने चाहिए और वे ऐसे भी हो जो उनकी प्रजाके सभी महत्वपूर्ण वर्गोका प्रतिनिधित्व करते हो।

यदि उपर्लिखित बातोको ध्यानमे रखकर आप कुछ सुझाव देना चाहे तो दे। तदुपरान्त ठाकुर साहव समितिके सदस्यो की घोषणा करेगे जिनमे से समितिके अध्यक्षके अलावा राज्यके तीन सरकारी अधिकारी होगे।

हृदयसे आपका,
एम० सी० पटेल

माणेकलाल पटेलको सरदार वल्लभभाई पटेलका पत्र

कैम्प, बारडोली
१५ जनवरी, १९३९

प्रिय श्री माणेकलाल पटेल,

आपका १२ तारीखका पत्र मिला। उससे मुझे दु.ख पहुँचा है। यह वास्तवमें खेदजनक है कि मेरे प्रस्तावित नाम प्रकाशित हो गये, परन्तु जहाँ बहुत सारे लोगोकी बात हो वहाँ सब-कुछ गुप्त रखना हमेशा सम्भव नही होता। और प्रकाशनके बावजूद भी यदि उचित कारण हो तो अवश्य ही उसमे फेरबदल किया जा सकता है।

मुझे दु ख है कि भायातो और मुसलमानोके सम्बन्धमे आपने जिन नामोकी सिफारिश की है, उन्हे मै स्वीकार नही कर सकता। समझौतेके अनुसार मुझे नामोके सुझावका अधिकार दिये जानेका एक निश्चित और समझमे आनेवाला उद्देश्य था। और आपके सुझाव मान लेनेसे वही उद्देश्य विफल हो जाता है। विशिष्ट विचार रखनेवाले कुछ सच्चे ईमानदार व्यक्तियोको समितिमे रखनेसे उस उद्देश्यकी पूर्ति होगी, इसी कारण वे नाम पेश किये गये थे। जिन सात नामोंका मेरा सुझाव है, वे लोग अवश्य ही भायातों तथा अन्य लोगोके हितोको ध्यानमे रखेगे। इससे अधिककी आशा नही की जा सकती।

मुझे खेद है कि आपने इस आधारपर कुछ नामोंपर एतराज करना उचित समझा कि वे लोग इस राज्यकी प्रजा नहीं है। किन्तु यह करनेका आपको अधिकार है। यदि और सोच-विचारके बाद भी आपका यही मत रहे कि श्री ढेबरभाई 'प्रजा' की परिभाषाके अन्तर्गत नही आते तो आपसे तर्क-वितर्क करनेके बजाय मै उनका नाम वापस लेनेको तैयार हूँ और उनके बदले श्री गजानन जोशी वकीलका नाम पेश करूँगा। मेरा अब भी यही मत है कि श्री वजुभाई शुक्ल प्रजाकी परिभाषाके अन्तर्गत आते है।

ठाकुर साहबकी विज्ञप्तिका अर्थ केवल यही होगा कि समितिका अध्यक्ष दस व्यक्तियोकी समितिमें से ही होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि वीरावाला अध्यक्ष पदपर नियुक्त न किये जाये। उन्होने [वीरावालाने] मुझे सन्देश भेजा है कि वह कोई पद ग्रहण करना नही चाहते, किन्तु फिर भी संयोगवश कही ऐसा न हो जाये, यही सोचकर इसका उल्लेख करना मैंने समीचीन समझा।

मै कहे बिना नही रह सकता कि समितिकी नियुक्तिमें अत्यधिक विलम्ब हो गया है। समितिकी रिपोर्ट ३१ जनवरी तक प्रकाशित हो जानी चाहिए थी। अतएव मैं आशा करता हूँ कि यह पत्र पहुँचनेके बाद फौरन ही समिति नियुक्त हो जायेगी। यदि दुर्भाग्यवश नियुक्तिमें विलम्ब होता रहा तो इस बातकी बहुत आशंका है कि जनता पुन: संघर्ष जारी कर देगी। मुझे यह भी कहना है कि ठाकुर साहब और सर पैट्रिक कैडेलके बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतिलिपि तथा रेजिडेंट

महोदयके साथ हुई भेंट-वार्ताका संक्षिप्त विवरण मेरे पास मौजूद है। मुझे भय है कि समझौता टूट जानेकी स्थितिमें सार्वजनिक हितकी खातिर मेरा कर्तव्य हो जायेगा कि मैं इन तथा मेरे पास मौजूद अन्य कागजातोको प्रकाशित कर दूँ। किन्तु आशा करता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तथा समितिकी नियुक्ति हो जायेगी जो फौरन ही अपना काम आरम्भ कर देगी।

क्या मैं आपसे तार द्वारा उत्तरकी अपेक्षा रखूँ?

हृदयसे आपका,
वल्लभभाई पटेल

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-२-१९३९

परिशिष्ट २

भारत सरकारका वक्तव्य: राजकोटके बारेमें[1]

नई दिल्ली
१ फरवरी, १९३९

१ राजकोट और जयपुर रियासतोंके बारेमें श्री गांधी द्वारा समाचारपत्रोंमें दिये गये वक्तव्यकी ओर [सरकारका] ध्यान आकृष्ट किया गया है।

२ राजकोटके बारेमें श्री गांधी कहते हैं कि "सपरिषद् ठाकुर साहब और प्रजाका प्रतिनिधित्व करनेवाले सरदार पटेलके बीच [जो] एक सम्मानजनक समझौता हुआ था . . ब्रिटिश रेजिडेंटने . [उसे] चौपट कर दिया।" वह यह भी राय जाहिर करते हैं कि "वाइसरायका कर्तव्य है कि वे राजकोटके रेजिडेंटसे कहें कि वह उस समझौतेको बहाल करे।"

३ तथ्य यह है कि सपरिषद् ठाकुर साहब और सरदार पटेलके बीच इस आशयका एक समझौता हुआ कि एक समिति नियुक्त की जाये जो संवैधानिक सुधारोंके लिए जाँच-पड़ताल करे और सिफारिशें दे। इस समझौतेकी शर्तें २६ दिसम्बरको रियासतके राजपत्रमें प्रकाशित की गईं। इस घोषणामें समितिके सरकारी और गैर-सरकारी सदस्योंकी संख्या सूचित की गई थी। इसके सिवा और कोई सूचना नहीं दी गई थी जिससे पता चले कि समितिमें कौन-कौन व्यक्ति होंगे अथवा किस आधारपर उन्हें चुना जायेगा। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही व्यक्तिशः ठाकुर साहब और सरदार पटेलके बीच खानगी तौरपर पत्रोंका आदान-प्रदान भी हुआ जिसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। इस पत्र-व्यवहारमें ठाकुर साहबने सरदार पटेलको निम्नलिखित पत्र लिखा:

१. देखिए पृ० ३९६-७।

अमरसिंहजी सचिवालय
राजकोट राज्य
२६-१२-१९३८

यह तय किया जाता है कि आजकी तारीखकी राजकीय घोषणाकी धारा २ में उल्लिखित समितिके सात सदस्योंके नामोंकी सिफारिश सरदार पटेल करेंगे और उन्हें हम नामजद करेंगे।

(ह०) धर्मेन्द्रसिंह
ठाकुर साहब, राजकोट

ठाकुर साहबका कहना है कि इस पत्रका अभिप्राय उन्हे इस बातकी स्वतन्त्रता प्रदान करनेका था कि वे सरदार पटेलके सुझाये नामोंको स्वीकार करे अथवा न करें। सरदार पटेलका कहना है कि इस पत्रका अभिप्राय ठाकुर साहब पर यह बन्दिश लगानेका था कि वह [सरदार पटेल] जो भी नाम सुझाये उन्हें वह स्वीकार करेंगे।

सुधार-समितिके सदस्य

सरदार पटेलने जो नाम सुझाये, उनमें से तीन नाम ठाकुर साहबने स्वीकार कर लिये। राज्यमें रहनेवाले मुसलमानों और भायातोंको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करनेके उद्देश्यसे — इन दोनों जातियोंने प्रतिनिधित्वके लिए अपने दावे पेश किये थे — वह [ठाकुर साहब] शेष चार नाम स्वीकार नहीं कर सके। उनके निर्देशपर उनके दीवानने सरदार पटेलको तदनुसार सूचित कर दिया। तथापि सरदार पटेलने अपने उत्तरमे प्रश्नके गुणावगुणोंपर विचार नही किया और उपरोक्त जातियोंको प्रतिनिधित्व प्रदान करनेके ठाकुर साहबके प्रस्तावको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि जो नाम उन्होंने सुझाये हैं, उनसे कमपर उन्हे सन्तोष नहीं होगा, और ठाकुर साहबने जो कारण बताये हैं, उससे उन्हे कोई मतलब नही है, और ठाकुर साहबने जो-कुछ किया है, अपनी अकेलेकी मर्जीसे किया है। जो पत्र-व्यवहार हुआ था, रेजिडेंटको उसकी कोई जानकारी नहीं है, और न उस पत्र-व्यवहारमें उसका कोई हाथ है।

श्री गांधीका सुझाव है कि ठाकुर साहबके पत्रका जो अर्थ था, उससे भिन्न सरदार पटेलने जो अर्थ लगाया है, वही अर्थ ठाकुर साहबसे स्वीकार करनेको कहा जाये। ठाकुर साहबपर अपने पत्रका एक ऐसा मतलब स्वीकार करनेके लिए दबाव डालना स्पष्टतः अत्यन्त अनुचित होगा जो पत्र लिखते समय उनके मनमें स्पष्टतः नही था, और जिसे अब वह स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं।

श्री गांधी कहते हैं कि कहा जाता है कि रेजिडेंट "संगठित गुण्डागर्दी" का सहारा ले रहा है। श्री गांधीने यह नहीं बताया है कि इस सूचनाका, जो वास्तवमें कतई निराधार हैं, सूत्र क्या है।

जहाँ तक जयपुरकी बात है, जयपुरकी सरकार निःसन्देह श्री गांधीके वक्तव्यके जवाबमें जैसा ठीक लगेगा, वैसा वक्तव्य जारी करेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-२-१९४०

परिशिष्ट ३

कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंका त्याग-पत्र[1]

[२२ फरवरी, १९३९][2]

प्रिय सुभाष,

आपकी बीमारीकी खबर सुनकर हम सबोको बहुत दुःख हुआ। यह तो सोचा भी नही जा सकता था कि आप अपने स्वास्थ्यको खतरेमें डालकर वर्धा आये। हम आशा करते है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जायेगे।

हालकी घटनाओपर हमने सावधानीपूर्वक विचार किया है और अध्यक्ष-पदके चुनावके बारेमे दिये गये आपके विभिन्न वक्तव्योको भी हमने पढा है। आपकी दुःखद बीमारी, और उसके परिणामस्वरूप हमारी बैठकके स्थगनके कारण हम आपके वक्तव्योके बारेमें अपने विचार प्रकट नही कर रहे है।

इस समय तो हमारे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए है, अपना कर्तव्य समझते है कि कार्य-समितिकी सदस्यतासे अपना इस्तीफा दे दे, और इस पत्रके जरिये हम इस्तीफा दे रहे है। हमे लगता है कि आपको ऐसी कार्य-समिति चुननी चाहिए जो आपके विचारोका प्रतिनिधित्व करती हो।

हमे लगता है कि वह समय आ गया है जब देशके सामने एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, ऐसी नीति जो कांग्रेसके विभिन्न और परस्पर-विरोधी गुटोके बीच समझौतेपर आधारित न हो।

इसलिए यह उचित ही होगा कि आप एक समान विचारधारावाली कार्य-समिति चुने जो बहुमतके विचारोका प्रतिनिधित्व करती हो। आप विश्वास रखे कि आप देशके सामने जो नीतियाँ रखेंगे, उनमे जहाँ हम आपके दृष्टिकोणसे सहमत होगे

१. देखिए पृ० ४२३।
२. ब्रजकृष्ण चाँदीवालाकी डायरी पर से।

वहाँ हम आपको अपना हर सम्भव सहयोग देंगे। सार्वजनिक दुविधाको दूर करनेके विचारसे हम यह पत्र अखबारोमें भेज रहे है।

भवदीय,

(ह०) अबुल कलाम आजाद
सरोजिनी नायडू
वल्लभभाई पटेल
राजेन्द्र प्रसाद
भूलाभाई देसाई
पट्टाभि सीतारमय्या
शंकरराव देव
हरेकृष्ण मेहताब
कृपालानी
अब्दुल गफ्फार खाँ
जमनालाल बजाज
जयरामदास दौलतराम

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-२-१९३९

परिशिष्ट ४

सुभाषचन्द्र बोसका वक्तव्य[1]

हालके [कांग्रेसके] अध्यक्ष-पदके चुनावके बारेमें महात्मा गाधीने जो वक्तव्य दिया है, उसे मैंने अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे यह देखकर दु:ख होता है कि महात्मा गांधीने उसे अपनी निजी पराजय माना है। इस मुद्दे पर मैं विनम्रतापूर्वक उनसे अपनी असहमति प्रकट करना चाहूँगा। मतदाताओ, अर्थात् प्रतिनिधियोसे महात्मा गांधीके पक्ष या विपक्षमे मत देनेको नही कहा गया था। परिणामत: चुनावका नतीजा, मेरी रायमे, और अधिकांश लोगोकी रायमे, व्यक्तिशः उनको [गाधीजीको] प्रभावित नही करता।

पिछले कुछ दिनोमें अखबारोमें कांग्रेसके अन्दर दक्षिणपक्षी और वामपक्षी गुटोके बारेमे काफी कुछ कहा गया है। कई लोगोनें चुनावके नतीजेको वामपक्षी गुटकी विजय माना है। तथ्य यह है कि मैंने जनताके सामने दो मुख्य प्रश्न रखे थे। एक

१. देखिए पृ० ४२३।

था सघीय योजनाके विरुद्ध सघर्ष, और दूसरा था प्रतिनिधियोको अपना अध्यक्ष चुननेके मामलेमें पूरी स्वतन्त्रता। इन दो प्रश्नोने अवश्य ही मतदानको काफी प्रभावित किया होगा, और इसके सिवा, उम्मीदवारोके व्यक्तित्वका भी कुछ हद तक प्रभाव पडा होगा। इन परिस्थितियोमे मुझे लगता है कि चुनाव-परिणामके महत्वका विश्लेषण करते समय हमे कल्पनाका सहारा नही लेना चाहिए और न ही हमें उसका कुछ विशेष अर्थ लगाना चाहिए।

बहसकी खातिर अगर यह मान भी ले कि चुनाव-परिणामका अर्थ वामपक्षी गुटकी विजय है, तो हमे जरा ठहर कर सोचना चाहिए कि वामपक्षियोका कार्यक्रम क्या है। निकट भविष्यके खयालसे वामपक्षी राष्ट्रीय एकता चाहते है और सघीय योजनाका अनवरत विरोध करना चाहते है। इसके अतिरिक्त, वे लोकतान्त्रिक सिद्धान्तोके पक्ष-समर्थक है। वामपक्षी लोग काग्रेसमें दरार डालनेकी जिम्मेदारी नही लेगें। अगर कांग्रेसमें दरार पडेगी भी तो वामपक्षियोके कारण नही पडेगी, बल्कि उनकी कोशिशोके बावजूद पडेगी।

निजी तौरपर मेरी यह निश्चित राय है कि काग्रेस सगठनमे दरार पड़नेका न तो कोई कारण है और न कोई औचित्य ही है। इसलिए मेरी यह हार्दिक आशा है कि इस समय या निकट भविष्यमे तथाकथित अल्पसख्यक दलके लिए तथाकथित बहुसख्यक दलके साथ असहयोग करनेका कोई प्रसग उत्पन्न नही होगा। मुझे यह कहनेकी जरूरत नही है कि ऐसी कोई भी सम्भावना उत्पन्न होनेपर मै अन्त तक कोशिश करूँगा कि कोई दरार न पडने पाये।

मेरे जैसे लोग भविष्यमे किस नीतिपर चलेगे, इस बातको लेकर बहुतोके मनमे आशकाएँ पैदा हो गई है। मै स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ससदीय और गैर-ससदीय क्षेत्रमे जो भी नीति अभी तक चलती आई है, उससे एकदम अलग कोई नीति नही अपनाई जायेगी। जहाँ तक ससदीय कार्यक्रमका सवाल है, हम चुनावके समय किये गये अपने वादोको और अपने ससदीय कार्यक्रमोको पहलेकी अपेक्षा ज्यादा तेजीसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न करेगे। गैर-ससदीय क्षेत्रमे हम सघीय योजनाका विरोध करनेके लिए और पूर्ण स्वराज्यकी दिशामे आगे बढनेके लिए अपनी सारी शक्ति और सारे साधन सगठित करेगे। और हम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके सिद्धान्तो और नीतियोके अनुसार ही कार्य करेगे।

इस सम्बन्धमे मै यह कहना चाहूँगा कि कुछ अवसरोपर सार्वजनिक प्रश्नोपर मुझे दु खके साथ महात्मा गाधीसे असहमत होना पड़ा है, लेकिन उनके व्यक्तित्वके प्रति मेरा आदरभाव किसीसे भी कम नही है। अगर मैंने उन्हे ठीक-ठीक समझा है, तो स्वय वे भी यही चाहेगे कि लोग स्वतन्त्र रूपसे विचार करे, हालाँकि हो सकता है कि वे उनके [महात्मा गाधीके] साथ सदैव सहमत न भी हो? मुझे पता नही कि महात्मा गाधी मेरे बारेमे किस तरहकी राय रखते है। लेकिन उनके विचार कुछ भी हो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उनका विश्वास प्राप्त करूँ—और यह कोशिश मै सिर्फ इसलिए करूँगा कि मेरे लिए यह दु खकी बात होगी कि मै

अन्य लोगोंका विश्वास तो जीत सकूँ लेकिन भारतके सबसे महान व्यक्तिका विश्वास न जीत सकूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ५-२-१९३९

परिशिष्ट ५

गांधीजीकी मनःस्थितिके बारेमें श्री रमण महर्षिकी टिप्पणी[1]

महर्षि ने इसी ११ तारीखके 'हरिजन' मे प्रकाशित गांधीजीके निम्नलिखित उद्‌गारका उल्लेख किया :

"ईश्वरका विधान कितना विचित्र है! राजकोटकी यह यात्रा स्वयं मुझे भी आश्चर्यमे डालनेवाली है। मै क्यो जा रहा हूँ, कहाँ और किसलिए जा रहा हूँ? इन बातोके बारेमे मैंने कुछ नही सोचा है। यदि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करता है तो मै क्यो सोचूँ? उसके पथ-प्रदर्शनमे यह चिन्तन भी बाधा बन सकता है।

"तथ्य यह है कि चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न नही करना पड़ता। विचार आते ही नही है। मेरा मन शून्य हो गया है, ऐसी बात नही है —परन्तु मेरा अभिप्राय इतना ही है कि अपने इस मिशनके बारेमे मनमे कोई विचार नही है।"

महर्षिने कहा कि ये शब्द कितने सच है। उन्होने उक्त उद्धरणकी एक-एक बात पर जोर दिया। इसके बाद उन्होने विचार-शून्य स्थितिके समर्थनमे [तमिलनाडुके प्रसिद्ध कवि और चिन्तक] तायुमानवरका हवाला दिया :

"यदि मनुष्य शान्त रहे तो आनन्दकी अनुभूति होगी। तब तक यह भ्रामक योग-क्रिया क्यो है? क्या बुद्धिको किसी एक विशेष दिशामे संचालित करनेसे आनन्द की प्राप्ति हो सकती है?"

प्रश्न : गांधीजीने जिस स्थितिका वर्णन किया है, क्या वह ऐसी स्थिति नही जिसमे विचार भी एक अनजानी चीज बन जाते है?

महर्षि : हाँ। 'मै' का विचार उत्पन्न होनेके बाद ही अन्य सारे विचार उत्पन्न होते है। जब आप "मै हूँ" का अनुभव करते है, उसके बाद ही संसार दिखाई पड़ता है। उनके [गांधीजीके] लिए 'मै' का विचार और अन्य सभी विचारोंका लोप हो गया है।

प्रश्न : तब उस स्थितिमे शरीरका भान भी नही रहता होगा।

महर्षि : शरीरका भान भी एक विचार है, जबकि वह उस स्थितिका वर्णन कर रहे है जिसमें "विचार आते ही नही।"

१. देखिए पृ० ५१३।

प्रश्न : वह यह भी कहते हैं कि "चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न नही करना पडता।"

महर्षि : बेशक, चिन्तन-प्रवाहको रोकनेके लिए कोई प्रयत्न करना आवश्यक नही है, जबकि विचार पैदा करनेके लिए प्रयत्नकी आवश्यकता है।

प्रश्न : गाधीजीने इतने लम्बे समय तक सत्यका पालन किया और आत्म-बोध प्राप्त कर लिया।

महर्षि · सत्य ही अह है। सत्य 'सत्' से बना है। सत् भी और कुछ नही, अहं ही है। इसलिए गाधीजीका सत्य केवल अह है। . . .

उपनिषदोकी बात ही शाश्वत सत्य है, और आत्म-ज्ञान प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने उस अनुभवके लिए उनका ऋणी है। अह ही ब्रह्म है, यह सुननेके बाद ही मनुष्य अहका सही अर्थ जान पाता है और उसकी ओरसे विमुख हो जानेपर वह पुन. उसीकी ओर लौट आता है। यही आत्मज्ञानकी पूरी प्रक्रिया है।

[अग्रेजीसे]

टॉक्स विद श्री रमण महर्षि, पृ० ७३४-९

सामग्रीके साधन-सूत्र

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय गांधी सग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली: गांधीजीसे सम्बन्धित साहित्य तथा कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

सावरमती संग्रहालय, अहमदावाद: गाधीजीसे सम्बन्धित पुस्तकों और कागजातका पुस्तकालय तथा अभिलेखागार।

'टाइम्स ऑफ इंडिया': वम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'वॉम्बे क्रॉनिकल': वम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'सर्वोदय': गांधी सेवा सघके तत्वावधानमे प्रकाशित और काका कालेलकर तथा दादा धर्माधिकारी द्वारा सम्पादित हिन्दी मासिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स'. नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हरिजन' (१९३३-५६): हरिजन सेवक संघके तत्त्वावधान और गांधीजी की देखरेखमे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'हरिजनवन्धु' (१९३३-५६). हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावधान और गांधीजी की देखरेखमें प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

प्यारेलाल पेपर्स: नईदिल्लीमें श्री प्यारेलालके पास उपलब्ध कागजात।

'इंडियन नेशनल कांग्रेस', फरवरी १९३८ से जनवरी, १९३९ (अंग्रेजी): प्रकाशक: जे० वी० कृपालानी, स्वराज भवन, इलाहावाद।

'इंसिडेंट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ' (अंग्रेजी): सम्पादक: चन्द्रशंकर शुक्ल, वोरा ऐण्ड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड, वम्बई, १९४९।

'टॉक्स विद श्री रमण महर्षि' (अंग्रेजी): रमण आश्रमम् तिरुवन्नामलै द्वारा प्रकाशित।

'पाँचवें पुत्रको वापूके आशीर्वाद': सम्पादक: काका कालेलकर, जमनालाल सेवा ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'(ए) पिल्ग्रिमेज फॉर पीस' (अंग्रेजी): प्यारेलाल, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदावाद, १९५०।

'(ए) वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' (अंग्रेजी): सम्पादक: जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९५८।

'बापुना पत्रो – ४ : मणिबहेन पटेलने' (गुजराती) : सम्पादक : मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) : सम्पादक : मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना बाने पत्रो' (गुजराती) : इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाल, १९४८।

'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष' : हीरालाल शर्मा, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद, १९६७।

'(द) ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स' (अंग्रेजी) : सोफिया वाडिया, इंटरनेशनल बुक हाउस लिमिटेड, बम्बई, १९३९।

'मध्यप्रदेश और गांधीजी' : सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय, मध्यप्रदेश, १९६९।

'महात्मा – लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', खण्ड–४ (अंग्रेजी) : डी० डी० तेंदुलकर, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१५ अक्टूबर, १९३८ से २८ फरवरी, १९३९ तक)

१५ अक्टूबर, १९३८ : गांधीजी उटमंजईमें। पेशावर लौटे।

१६ अक्टूबर : नौशेरा और होती मरदानमें खुदाई खिदमतगारोंकी सभामें भाषण दिया।

१७ अक्टूबर : मरदानमें। समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया जिसमें त्रावणकोरमें छात्रों द्वारा किये गये उपद्रव की भर्त्सना की।

स्वावी गये और वहाँ खुदाई खिदमतगारोंकी सभामें भाषण दिया।

१८ अक्टूबर : उटमंजई लौटे।

१९/२० अक्टूबर : खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ बातचीत की।

२१ अक्टूबर : पेशावर लौटे। कोहाट पहुँचे।

२२ अक्टूबर : कोहाटमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

२३ अक्टूबर : हंगूमें। खुदाई खिदमतगारोंके साथ बातचीत की।

२४ अक्टूबर : बन्नूमें।

२५ अक्टूबर : बन्नूमें। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

२६ अक्टूबर : बन्नूमें। समाचारपत्रोंको एक वक्तव्य जारी किया जिसमें त्रावणकोरके महाराजा और दीवानको राज्यके सत्याग्रही कैदियोंको आम माफी देनेपर बधाई दी।

लक्की गये और वहाँ सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। खुदाई खिदमतगारोंसे बातचीत की।

२७ अक्टूबर : डेरा इस्माइल खाँ पहुँचे।

२८ अक्टूबर : डेरा इस्माइल खाँमें। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

३० अक्टूबर : कुलाची गये। डेरा इस्माइल खाँ लौट आये।

३१ अक्टूबर : टाँकमें। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

खुदाई खिदमतगारोंसे बातचीत की। डेरा इस्माइल खाँ लौट आये।

१ नवम्बर : पनियालामें खुदाई खिदमतगारोंसे बातचीत की।

मीराखेल पहुँचे।

२ नवम्बर : मीराखेलमें। अहमदबाँध गये। शामको पेशावर पहुँचे।

३ नवम्बर : पेशावरमें। खादी प्रदर्शनीका उद्घाटन किया।

४ नवम्बर : पेशावरमें।

५ नवम्बर : पेशावरमें। वकील मण्डलके समक्ष भाषण दिया।

६ नवम्बर : पेशावरमें। विभूति, पंजा साहब और हरिपुर गये।

७ नवम्बर : हरिपुर और ऐबटाबादमें। खुदाई खिदमतगारोंसे बातचीत की।

८ नवम्बर : ऐबटाबादमें।

मानसेरा पहुँचे। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। वापस ऐबटाबाद पहुँचे। अल्पसंख्यकोंका शिष्टमण्डल गांधीजीसे मिला।

सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

९ नवम्बर : ऐबटाबादमें। तक्षशिला गये। दिल्लीके लिए रवाना हुए।

१० नवम्बर : दिल्ली पहुँचे। बेगम अन्सारीसे मिलने गये। सेगाँवके लिए रवाना हुए।

११ नवम्बर : सेगाँव पहुँचे।

१४ नवम्बर : वल्लभभाई पटेलके साथ राजकोट सत्याग्रहके विषयमें बातचीत की।

१५ नवम्बर : त्रावणकोर राज्य-कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ बातचीत की।

१६ नवम्बर : बातचीत जारी रही।

२१ नवम्बर : जवाहरलाल नेहरूने गांधीजीसे मुलाकात की।

२७ नवम्बर : औंध-राज्यके नेताओंसे बातचीत की।

२९ नवम्बर : औंधके संविधानके सम्बन्धमें अप्पा साहब पन्तसे बातचीत की।

३० नवम्बर : औंध-राज्यके लिए संविधानका मसविदा बनाना आरम्भ किया।

१ दिसम्बर : अप्पा साहब पन्तसे विचार-विनिमय किया।

३ दिसम्बर : राजनन्दगाँवमें मिल-मजदूरोंकी हड़ताल तथा राज्यकी तत्सम्बन्धी नीतिपर रुइकरके साथ बातचीत की।

१५ दिसम्बर : कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंके साथ विचार-विमर्श किया।

२२ दिसम्बर : स्काउटोंकी रैलीमें भाषण दिया।

२३ दिसम्बर : डॉ० राधाकृष्णन गांधीजीसे मिलने आये और गांधीजीसे अनुरोध किया कि वे राजाजीको मनायें कि मद्रास प्रान्तमें हिन्दीको अनिवार्य न बनायें।

२४ दिसम्बर : गांधीजी वर्धा आये।

मगन संग्रहालय और उद्योग भवनका उद्घाटन किया।

नागपुरमें हुए अर्थशास्त्र सम्मेलनमें शामिल होनेवाले अर्थशास्त्रियोंके साथ विचार-विनिमय किया।

फ्रीडमैनके साथ बातचीत की। सेगाँव लौटे।

३१ दिसम्बर : ताम्बरम्‌के मिशनरी सम्मेलनमें भाग लेनेवाले चीनी प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य टिमोथी टिंगफांग ल्यूको भेंट दी।

१ जनवरी, १९३९ : ताम्बरम्‌के मिशनरी-सम्मेलनमें भाग लेनेवाले चीनी प्रतिनिधि मण्डलके सदस्य टिंगफांग ल्यू और पी० सी० शूको भेंट दी।

जोहानिसबर्गके डी० आर० मिशनके रेवरेण्ड एस० एस० तेमाको भेंट दी।

बारडोलीके लिए रवाना हो गये।

२ जनवरी : बारडोली पहुँचे।

३ जनवरी : उ० न० ढेबरके साथ राजकोट-सत्याग्रहपर बातचीत की।

४ जनवरी : जयपुर-सत्याग्रहके सम्बन्धमें जमनालाल बजाजके साथ बातचीत की।

११-१४ जनवरी : कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठकमें शामिल हुए।

१५ जनवरी : तोयोहिको कागावाके साथ वातचीत की। आगा खाँसे अल्पसंख्यक सम्प्रदाय और साम्प्रदायिक एकतापर वातचीत की।

१७ जनवरी : वी० जी० खेरने गाधीजीसे मुलाकात की।

२३ जनवरी : गांधीजीसे राजकोटके मामलोंपर विचार-विमर्शके लिए वल्लभभाई पटेल वारडोली आये।

२४ जनवरी : गांधीजीने पट्टाभि सीतारमय्यासे वातचीत की।

२६ जनवरी . उद्धार-दिवस पर आयोजित किसानोकी सभामे भाषण दिया।

२८ जनवरी : नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोके प्रतिनिधियोंसे वातचीत की।

२९ जनवरी : जब्त हुई जमीनें वापस मिलनेके अवसरपर किसानोंकी सभामे भाषण दिया।

३१ जनवरी : कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमे सुभापचन्द्र वोसके निर्वाचन और राजकोट तथा जयपुर-सत्याग्रहके सम्वन्धमे समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया।

१ फरवरी . सेगाँवके लिए रवाना हुए।

२ फरवरी : सेगाँव पहुँचे।

३-४ फरवरी : वर्धामे। वर्धा शिक्षा योजनाके अन्तर्गत प्रशिक्षण ले रहे अध्यापकोंसे वातचीत की।

५ फरवरी : सेगाँवमे।

८ फरवरी : जमनालाल वजाजकी गिरफ्तारीपर समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया।

९ फरवरी : राजकोट तथा जयपुर-सत्याग्रहके सम्वन्धमे समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया।

१३ फरवरी : इंग्लिश वैप्टिस्ट मिशनके डॉ० चेस्टरमैनसे वातचीत की।

१४ फरवरी : गाधीजीसे विचार-विमर्शके लिए सुभाषचन्द्र वोस सेगाँव आये।

१५ फरवरी : वातचीत जारी रही।

२१ फरवरी : गाधीजीने हैदरावाद राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोसे वातचीत की।

२३ फरवरी : अण्णामलै विश्वविद्यालयमे हड़ताल और राजकोट-सत्याग्रहके सम्वन्धमे समाचारपत्रोको वक्तव्य जारी किया।

२४ फरवरी : राजकोट जानेके अपने निश्चयपर एक आश्रमवासीके साथ वातचीत की।

२५ फरवरी : राजकोट-सत्याग्रहके सम्वन्धमें समाचारपत्रोंको वक्तव्य जारी किया। राजकोट पहुँचनेके उद्देश्यसे वम्वईके लिए रवाना हुए।

२६ फरवरी : वम्बई पहुँचे।

२७ फरवरी : राजकोट पहुँचे।
एसोसिएटेड प्रेस और 'हिन्दू' के प्रतिनिधियोंको भेंट दी।

२८ फरवरी : मुस्लिम कौंसिल ऑफ ऐक्शनके प्रतिनिधियों और गिरासिया मण्डलके शिष्टमण्डलके साथ अलग-अलग वातचीत की।
'हिन्दू' के प्रतिनिधिको भेंट दी।

शीर्षक-सांकेतिका

टिप्पणी, ३४-३५; –(डॉ० एन० बी०) खरेके नाम पत्र पर, १६२; –[णियाँ], १००-२, २४२-४३, ४७७-७८

तार,–अमृत कौरको, १५२, ५१४; –कृष्ण-स्वामीको, ३०७; –(डॉ०) खानसाहबको, ४३६; –जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके स्थानीय मंत्रीको, १८०; –जेठानन्दको, ४३६; –(महादेव) देसाईको, ४१८; –(बालकृष्ण शर्मा) 'नवीन' को, –३४६; –(जवाहरलाल) नेहरूको, ४४०; –(जैनब र०) पटेल-को, २३७; –(पट्टम् ताणु) पिल्लैको, १८२, २३६, २३८, २३८-३९, ३०९; –(जमनालाल) बजाजको, ३६०, ४०६, ४१८, ४४५-४६; –(जानकी देवी) बजाजको, ३७२-७३; –(राधा-कृष्ण) बजाजको, ५१०, ५१६; –(घनश्यामदास) बिड़लाको, ४०, ३१०, ३९९, ४०६-७, ४४०, ४६१, ४७४; –मीराबहनको, ५१४; –(च०) राजगोपालाचारीको, ३०७; –राजेन्द्र-प्रसादको, ४३४; –(जी०) रामचन्द्रन-को, ३०९; –(रा० स०) रुइकरको, १३४; –लीम्बड़ी प्रजा मण्डलको, ४३५; –वाइसरायके निजी सचिव-को, ४९४; –विश्वनाथदास को, ३७१; –(वी० एस० श्रीनिवास) शास्त्रीको, ४९२; –(अकबर) हैदरीको, ३२२, ४८७

(एक)पत्र, १७९; –(मूलचन्द) अग्रवालको, २४-२५; –अमतुस्सलामको, २९०, २९१, ३५२-५३, ३६०, ३७१, ३८०; –अमृत कौरको, १२, २१, ३५, ४१, ५४-५५, ६९, ७७, ८३, ८४-८५, ८८, ११०, १२२, १३३, १३६, १४०, १४३, १४९, १५९, १६१-६२, १६३, १६७, १७१, १७६, १९६, २०५, २१६, २२०, २४७, २५५, २८०, ५१२; –(एच० पी० रंगनाथ) अय्यंगारको, ११; –(लीलावती) आसरको, १८, २१७-१८; –(प्रेमा-बहन) कंटकको, १४५; –(दत्तात्रेय बा०) कालेलकरको, २४, १६२-६३, १८२, ३२४, ३२५, ४०८, ४०९; –(सतीश द०) कालेलकरको, ४११; –(जे० सी०) कुमारप्पाको, ८५, १३६, १४१, १९७, २०६, २१६, २३०, २६०, ३९९-४००; –(गुलाम रसूल) कुरेशीको, ४६९; –(शुएब) कुरेशी को, १७४-७५, ३०८; –कृष्णचन्द्रको, ८१, २१८, ३२६, ४३८, ४४९; –(सिकन्दर हयात) खाँको, १६; –(कस्तूरबा) गांधीको, ९, २३, ६०, ९५, ४०१, ४०९, ४३२, ४३७, ४४३, ४४८, ४५२, ४६२, ४७१, ४७२, ४७५-७६, ४८५, ४८८-८९, ४९२, ४९५; –(कान्तिलाल) गांधीको, १९-२०, ११२-१३, १४२, १४४, १५७-५८, १६४-६५, ३८९, ३९०, ४४८; –(देवदास) गांधीको, १७७, १९९; –(नारणदास) गांधीको, १८, ७४, १७२, ४६८; –(पुरुषोत्तम)

गांधीको, ८४, ३९५, –(मणिलाल) गांधीको, ११९-२०, ३६४, ५०२, –(सरस्वती) गाधीको, ११८; –(सुशीला) गाधीको, ११९, १७५-७६, २३७, ३४७, ३५०, ३६५, –गिरधारीलालको, १६०, –(व्रजकृष्ण) चाँदीवालाको, ३६, ४४, २३२, २४९, ३५३, ३६८; –(गोरधनदास) चोखावालाको, ४३५; –(शारदावहन गो०) चोखावालाको, ४३४, ४४२, ४७०, ४७२, ४७४, ४७५, ४८५, –(प्रेमी) जयरामदासको, १८०, –(पुरुषोत्तम के०) जेराजाणीको, ३४८; –(एन० एम०) जोशीको, २४९-५०; –(छगनलाल) जोशीको, ७४-७५; –(चन्द्रभाल) जौहरीको, ४३३; –(अमृतलाल वि०) ठक्करको, ९६, ३३८; –(महादेव) देसाईको, ६, ७-८, २१, ४१-४२, ४७, ५५-५६, ७३, ७८, ८३, ८७, ८८-८९, ९४, १०६, १०७-८, ११२, १२२-२३, १३३-३४, १३७, १४१-४२, १४३-४४, १७५, २४८, ५११, ५१३; –(भूलाभाई जे०) देसाईको, २३६; –(जयरामदास) दौलतरामको, ३४६; –(वालकृष्ण शर्मा) 'नवीन' को, ४८६; –(अमृतलाल टी०) नानावटीको, ९, ९५, ९९, २०१, २०६, २२०, ३४५; –(जवाहरलाल) नेहरूको, १५०, १५९, १६१, १७८, २५१, ४०८, ४१४, ४२४, ४४६-४७; –(इन्दिरा) नेहरूको, ४१९; –(रामेश्वरी) नेहरू-को, १३४, २०३, ३६१; –(विजया-वहन म०) पंचोलीको, ४७०-७१, ४७६, ४८६, ४९६; –(रणछोड़लाल) पटवारीको, १८०-८१, ३०८-९; –(डाह्याभाई म०) पटेलको, ३५२; –(मणिवहन) पटेलको, ७९-८०, १७२, २०१, २५५-५६, ४७३, –(मणिवहन) पटेल और (मृदुला) साराभाईको, ४७७, –(रवीन्द्र आर०) पटेलको, ३३७, –(वल्लभ-भाई) पटेलको, ३७-३८, १५२, १७३, २४१, २५४, २८६, ४३३, ४४९, ४५३, ४६३; –(विजया एन०) पटेलको, १०, ८०-८१, १२१, १७४, २०७; –(एल० एम०) पाटिलको, ४४७, –(इन्दु एन०) पारेखको, २६१, –(चन्दन) पारेखको, २८१, ३३७, ३४७-४८, ३६७; –(रामी-वहन के०) पारेखको, ३५१; –(एस० वेलु) पिल्लैको, २९३-९४, –पृथ्वी-सिंहको, २५१-५२, –प्रभावतीको, ४२-४३, १७३-७४, २२१; –(जमना-लाल) वजाजको, २५३, २७५-७६, ३२३; –(जानकीदेवी) वजाजको, ४२४, ४३२-३३, –(राधाकृष्ण) वजाजको, २८७; –वलवन्तसिंहको, ३८, २३१, २३५, २५६, २६१-६२, ३१४, ३३८-३९; –(एफ० मेरी) वारको, ३१४, ४४६; –(सुभाप-चन्द्र) वोसको, २४०-४१, ४२३-२४, –(देवप्रकाश) भाटियाको, १११; –(ना० र०) मलकानीको, १९७, ३४३-४४, ३४९-५०, ४४१; –(मनुवहन सु०) मशरूवालाको, २५३, ३५१; –(एम० आर०) मसानीको, ७५, १२०; –(रुस्तम) मसानीको, १९; –मीरावहनको, ७, ७२, ७७-७८, ९४, १०५, १११, १६४, १६७-६८, १७७-७८, १९५-९६, १९८, २१७, २७६-७७, २८०-

८१, ३३४-३५, ३४४, ४०१, ४०७, ४६२, ५१२; –(कन्हैयालाल मा०) मुन्शीको, २१०; –(दामोदरदास) मूँदड़ाको, २११; –(वैकुण्ठभाई ल०) मेहताको, २००; –(हरेकृष्ण) मेहताबको, ४४२; –मैसूरके महाराजाको, ३७९; –(शान्तिकुमार न०) मोरारजीको, १७९, २००; –(च०) राजगोपालाचारीको, २६४-६५, ४४७, ४७१-७२; –(सर्वेपल्ली) राधाकृष्णन्को, २६०; –(मोतीलाल) रायको, ५९-६०, १७१-७२, ४३७; –(लॉर्ड) लिनलिथगोको, १३५, २५९, ३६५-६७, ३९४-९५, ४५१-५२, ४८८, ४९७; –(हरसरन) वर्माको, २०५, २३२; –(प्रभुदयाल) विद्यार्थीको, १८३, ३१५; –(हीरालाल) शर्माको, ३६, २०४, २८७-८८, ४०२, ४६३; –शामलालको, १६, १९८, २५२; –(वी० एस० श्रीनिवास) शास्त्रीको, १७; –(चिमनलाल एन०) शाहको, ९६, २०२; –(शारदा चि०) शाहको, १०-११, ५६, ४२०; –(जनरल) शिन्देको, ३७९, ४१९; –सम्पूर्णानन्दको, २९४, ४०३; –सरस्वतीको, २६२; –(रायकुमार) सिंहको, २३; –सुरेश सिंहको, ४६९; –(सर डब्ल्यू० वीकम) सेंट जॉनको, ३३६, ३४९, ३७०; –(मार्गरेट) स्पीगलको, २०२-३, २३१; –(आनन्द तो०) हिंगोरानीको, १६५; –(विद्या आ०) हिंगोरानीको, ६०; –(अकबर) हैदरीको, २७४, ३४१-४३, ४८७, ४९७-९८; –(अगाथा) हैरिसनको, ९२, २४८

पुर्जा, – अमृत कौरको, ४२५; –(अमृतलाल वि०) ठक्करको, ३३५; – (महादेव) देसाईको, १; –(वल्लभभाई) पटेलको, ३२५; – (जमनालाल) बजाजको, –२७४-७५; – (कंचन मु०) शाहको, १३८

प्रस्तावना, –'दादाभाई नौरोजी' की, २७-२८; –'ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स' की, १६०

प्राक्कथन, ४००

बातचीत, –अध्यापक-प्रशिक्षणार्थियोंके साथ, ४१०-१७; –अर्थशास्त्रियोंके साथ, २८४-८६; –अल्पसंख्यकोंके शिष्टमण्डलके साथ, ११५; –ईसाई मिशनरियोंके साथ, २२२-२९; –एक आश्रमवासीके साथ, ४९५; –(तोयोहिको) कागावाके साथ, ३२६-३०; –(अब्दुल गफ्फार) खाँके साथ, ५-६, २९-३३; –खुदाई खिदमतगारोंके साथ, १-३, ३-४, ४४-४७, ४८-५१, ६४-६७, ७०-७२, ९०-९१, ९१-९२, ९२-९३, ११३-१४; –गिरासियोंके शिष्टमण्डलके साथ, ५१७; –(डॉ०) चेस्टरमैनके साथ, ४६४-६८; –(डी०) ताकाओकाके साथ, २०७-९; –त्रावणकोर राज्य कांग्रेस शिष्टमण्डलके साथ, १४६-४९; –नगरपालिकाओं और स्थानीय मण्डलोंके प्रतिनिधियोंके साथ, ३७३-७८; –(मॉरिस) फ्रीडमैनके साथ, २९२-९३; –(जॉन आर०) मॉट के साथ, १८३-९२; –मुसलमान प्रतिनिधियोंके साथ, ५१६; –विभूति में, १०८-९; –साम्यवादियोंके साथ, १२३-२७; –हैदराबाद-राज्य-कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके साथ, ४८९.

भाषण, –ऐबटाबादकी सार्वजनिक सभामें, ११६-१८; –किसानोंकी सभामें, ३६८-७०, ३८०-८१; –कोहाटकी सार्वजनिक सभामें, ४३; –टाँककी सार्वजनिक सभामें, ८९-९०; –डेरा इस्माइल खाँकी सार्वजनिक सभामें, ८१-८२; –नांगेरामें, १२-१४; –पेशावरके वकील मण्डलके समक्ष, १०७, –पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटन-समारोहमें, ९७-९८; –बन्नूमें, ६१-६३; –मगन संग्रहालय और उद्योग-भवनके उद्घाटन-समारोहमें, २८२-८४, –मानसेहराकी सार्वजनिक सभामें, ११४-१५; –लक्कीमें, ६८, –स्काउटोंकी रैलीमें, २५७-५९; –स्वाबीमें, २२, –हरिपुरकी सार्वजनिक सभामें, १०९-१०; –होती मरदानमें, १४-१५

भेंट, –अमेरिकी अध्यापकोंको, २७७-७९; –एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको, ५१३-१४, ५१५; –'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिको, ३६१-६४; –(एस० एस०) नेमाको, ३००-२; –दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय विद्यार्थियोंको, ४२५-२६; –(टिमोथी टिंगफाग) ल्यूको, २८८-९०, –(टिमोथी टिंगफाग) ल्यू, (वाई० टी०) वू और (पी० सी०) गू को, २९५-९९; –(सेलिस्टीन) स्मिथको, २३३, –(एच० वी०) हॉडसनको, २६५-६६; –'हिन्दू' के प्रतिनिधिको, ५१५, ५१८

वक्तव्य, –समाचारपत्रोंको, २०, ६७, २२१-२२, ३१५, ३९६-९७, ३९८-९९, ४०३-६, ४३८-३९, ४४३-४५, ४५३-५४, ४९३, ४९४, ४९८-५०२

सन्देश, –अखिल भारतीय महिला सम्मेलन-को, २५४; –इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघको, २३९, –कमाल अतातुर्कके देहावसानपर, १२१, –(सी० के०) गिब्बनको, २२९, –त्रावणकोर राज्य-कांग्रेसके अध्यक्षको, २६७, –पेशावर खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटन-समारोहके निमित्त, ९७

विविध

अ० भा० ग्रामोद्योग संघ प्रशिक्षण विद्यालय, २१९; अकालसे राहतके लिए खादी, ५०७; अखबारोंमें असत्य, ४५४-५६; अन्दरकी गन्दगी, ३५५-५७; अप्रमाणित खादी-विक्रेता, ३१६, असहयोगी, १६५-६६; अहिंसाका पालन, ४२८-३२; अहिंसा ही एकमात्र मार्ग, २६३, आधुनिक लड़की, ३८४-८६; आलोचनाओंका जवाब, २११-१३, इस्लामी संस्कृति, ३५८-५९; औंधका संविधान, ३२३-२४; कस्तूरबा गांधी राजकोट क्यों गई?, ४२७-२८, कांग्रेस और खादी, १३८-४०, काठियावाड़-यात्राकी छाप, ९८-९९, 'कितने भगवत्परायण!', ३५७-५८, क्या अहिंसाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता?, ३०४-७; क्या यह अहिंसा है?, ५०७-१०; क्षमायाचना नहीं, ४२२-२३; खण्डन, ६८-६९; खादीको लोकप्रिय कैसे बनायें, १९२-९५, खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान, १२७-३२; चेतावनी, १८१, जन-शिक्षा आन्दोलन, ८२; जब्तकी गई जमीनें, ३९-४०; जमनालाल बजाजके लिए पत्रका मसविदा, ३११-१३; जमनालाल बजाजके लिए समाचार-पत्रोंको दिये जानेवाले वक्तव्यका मसविदा, ३१०-११; जमनालालजीपर प्रतिबन्ध,

३२०-२२, जयपुर, ३३१-३२, ३८६-८९, जर्मन आलोचकोंको जवाब, २०९-१०, जिला बोर्ड, २४५-४७, टाटानगरमें हरिजन-कल्याण कार्य, १९५, त्रावणकोर, ३१७-१९, ४५७-५८, दानकी जगह काम, ४९६, देशी राज्य, ३५३-५५; देशी राज्य और प्रजा, १६८-७०, देशी राज्योंके सम्बन्धमें कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका मसविदा, २३३-३५, नारायण मोरेश्वर खरेकी स्मृतिमें, ३९५, निर्देश-पुस्तिकाकी जरूरत, २६३-६४, प्रेम एक सार्वभौम गुण, ३३९-४१, फिर त्रावण-कोर, ४७९-८१, बड़ी शक्तियाँ क्यों नहीं?, १०३-५, बिहारमें जनशिक्षा अभियान, १३५, मणिबहन और चरखा, २६७-६८; मद्य-निषेध, २४३-४५, महात्माकी मूर्ति, ४२६-२७, मेथिलेटेड स्पिरिट पीना, ३३२, मेवाड़, ४६०-६१, यहूदी लोग, १५३-५७, राजकोट, ३०२-४, ३८१-८३, राजकोटके ठाकुर साहबके लिए वक्तव्यका मसविदा, १५०-५१; राष्ट्रीय झण्डा, ५२-५४; रोमन लिपि बनाम देवनागरी लिपि, ४२०-२१; 'लताड़ और प्यार', ३९०-९४, लाल फीता, २१३-१५, लीम्बडीमें अंधेरगर्दी, ४८१-८४, वचनकी रक्षाका प्रश्न, ५०३-६, विद्यार्थियोंके लिए लज्जाजनक, २७०-७४, शरारतपूर्ण सुझाव, ४९०-९२, शिष्टाचारका सवाल, ४५९, सच हो तो भयावह, ७६, सदस्योंकी प्रतिज्ञाकी व्याख्या, ८६-८७, सरदार पृथ्वीसिंह, ३१६-१७, सुसंस्कृत अराजकता—राजनैतिक आदर्श, २९१-९२, सेलम जिलेमें मद्य-निषेध, १५१, स्त्रियोंका विशेष कार्यक्रम, ५७-५९, हिंसा बनाम अहिंसा, ३३२-३४, हिन्दुस्तानी, हिन्दी और उर्दू, २५-२७, हिन्दू-मुस्लिम एकता, २२९-३०, हैदराबाद, ४५०-५१, हैदराबाद राज्य-कांग्रेसके लिए वक्तव्यका मसविदा, २६८-६९

सांकेतिका

अ

अंगद, देखिए, 'रेनॉल्ड्स, रेजिनॉल्ड'

अंग्रेज, ३२, ४९, ६५, ९०, १२९, १३०, २४८

अंग्रेजी, –और बुनियादी तालीमकी कल्पना, ४१०, –और हिन्दुस्तानीमे स्पर्धा, २५

अकबर, ३५९

अकाल, –जयपुरमे, ३११; –रामदुर्गमे, ५०३

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, २३२, ३९६; –और नागरिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव, १२३-४, देखिए 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' भी

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, १९४, २८३, ४११, ४२७; –का प्रशिक्षण विद्यालय, २१९

अखिल भारतीय चरखा संघ, ५९, ८२, १७१, १९२, १९४, २४२, ३४३ पा० टि०, ४११, ४३७; –और स्वराज्य, २७५, –की परिषद, २१६ पा० टि०, –की केरल शाखा, ३१६, –की सदस्यताके लिए प्रतिज्ञा, ८६; –खादीके बारेमे प्रमाणपत्र देनेवाली एकमात्र संस्था, २४२; –द्वारा गरीबो की मदद, ८२, २८३

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, –को सन्देश, २५४

अग्रवाल, मूलचन्द, २४

अचिन्तराम, ४४६

अजमलखाँ, हकीम, ३५

अजारिया, बिशप, १८४ पा० टि०

अटल, रा० ब० पं० अमरनाथ, –के विचार प्रजा-मण्डलोके प्रश्नपर, ३९२

अण्णामलै विश्वविद्यालय, १५१, ४९२ पा० टि०; –मे विद्यार्थियोंकी हडताल की निन्दा, ४९४, ५०७-९; –संघके मन्त्रीपर हमला, ५०७

अनन्तभाई, २८१

अनन्तराय, –और राजकोट सत्याग्रह, १७७

अनशन, –राजकोट सत्याग्रहियो द्वारा जेलमे, ४९८

अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी सम्मेलन, २२२ पा० टि०, ४६४, –की मद्रासमे बैठक, १८३

अबीसीनिया, –और अहिंसा, २१३, –की इटली द्वारा विजय, ३९१

अबू बक्र, २९९

अब्दुल हक, मौलवी, २६, ३५९

अभय, आचार्य देवशर्मा, १०१

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, –और अश्लीलता, १०१

अमतुस्सलाम, ८३, १२०, १७९, २१७, २४८, २९०, २९१, ३५२, ३६०, ३७१, ३८०, ४३७, ४६९

अमूलख अमीचन्द, –द्वारा भूख-हडताल, ४८३

अमेरिका, –और अहिंसा, २७८, –मे लोक-तन्त्रका आधार हिंसा, ४३०-१

अम्बेडकर, बी० आर०, ९६

अमृत कौर, ६, ८, १२, १७, २१, ३५, ४१, ४२, ४७, ५४, ५५, ५६, ६९, ७३, ७४, ७७, ७८, ८३, ८४, ८५, ८८, ९८, ९९, १०५, ११०, १२२, १३३, १३४, १३६, १४०, १४३,

१४४, १४९, १५२, १५८, १५९, १६१, १६३, १६७, १७१, १७६, १९६, २०५, २१६, २२०, २४७, २५४ पा० टि०, २५५, २८०, ४२५, ४७९, ५०२, ५१२, ५१४
अय्यगार, एन० पी० रंगनाथ, ११
अय्यर, सी० पी० रामस्वामी, १७, ४८०, –और मन्दिर-प्रवेश, ३१७, –और सविनय अवज्ञा, २९३-४, –के विरुद्ध त्रावणकोर राज्य काग्रेसके आरोप, ३७, २३६, २३८-९, २६३, ३१७-९, ४५७, –को दीवान के पदसे हटानेकी माँग, १४६, २७१-२, ३११, –द्वारा हिन्दू समाजकी महान सेवा, ३१७
अरब, –और यहूदी, फिलस्तीनमें, १५३-४
अरबी, २६, २७
अर्जुन, ३२९
अलीबन्धु, देखिए 'शौकत अली' और 'मुहम्मद अली'
अश्लीलता, –साहित्यमे, और आर्य समाज, ७९, १००-१
असम, –में देवनागरी लिपि, ४२०-१
असहयोग, ५, ३४
असहयोगी, –[गियो] द्वारा क्षतिपूर्तिकी माँग, १६५-६
अस्पृश्यता, १८५, २२३, –और ईसा-मसीह, ३३९, –और महिलाएँ, २५४, –और हिन्दू धर्म, १५३, –का निवारण, ६५, १००, २६९, २७५, –निवारणके लिए गाधीजी द्वारा २१ दिनका उपवास, १९०
अहमदाबाद, –में मद्य-निषेध, २४४, –मे रौलट अधिनियमके विरुद्ध दगे, ४५९
अहिंसा, १५, १०९, ११०, १४७, १९०, २०१, २०९, २३३, २३९, २५१, २७७-९, २९५-७, २९८-९, ३३३-४, ३५४, ३५६, ३५९, ३७७, ३८७, ४१०, ४२५, ४२९, ४४४, ४८०-१, –आफ्रिकियोकी मुक्तिका साधन, ३०१, –आत्म-बलके रूपमे, ३, –आत्मरक्षाका सबसे अचूक रास्ता, ६३, –एक सार्वभौमिक और क्रिया-शील सिद्धान्त, ३१-२, २०९, २२३, ३०६, –और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, २२७, –और अमेरिका, २७८, –और इस्लाम, २, ३३; –और ईसाई-धर्म, २, ३३, २२७, –और ईसा-मसीह, ३३९-४१, –और उपवास, ५१, –और काग्रेस, ५९, १८८, २१५, २३५, २४७, ३०३-४, ३१०, ३२२, ३३४, ३६३, ३८३, –और खुदाई खिदमतगार तथा पठान, १-५, १२-५, २२, ३०-२, ४३-६, ४८, ४९-५१, ६१, ६४-८, ७०-२, ९०-३, १०९, ११३-४, ११७, १२७-३२, –और चरखा, ६६, ३७४-५, –और चीन, २८८-९, –और चेक, १०३-५, १५५, २२६-७, –और दान, ४९६, –और निर्बल, १०३-५, १०९, ११७, १२९, –और निष्क्रिय प्रतिरोध, २१२, –और 'बाइबिल', २२८, –और बुद्ध, ३२९, –और 'भगवद्-गीता', ३२९, ३७८; –और भारत, २१२, २२८, २७९, ४३२, –और महिलाएँ, ५८, ५९, २५४, २७०-४, –और यहूदी, १५३-७, २०९-१३, २२४-५, ३०४-७, ४२२-३, –और यूरोप, २१३, २७९, –और रचना-त्मक कार्यक्रम, ६५, –और लोक-तन्त्र, १०४-५, ४२८-३२, –और विद्यार्थियोकी हड़ताल, २०, ५०९-१०; –और सत्य, ५०-१; –और

समाजवादी, ७५; –और सविनय अवज्ञा, ४६, ४९; –और साम्यवादी, १२४, १२६; –और स्वतन्त्रता आन्दोलन, ५१, १३१, ३१५, ३३४; –और स्वतन्त्रता आन्दोलन, देशी राज्योंमे, २३५, ३०२-३; –और हवाई लडाई, २२५, –और हानिकारक जन्तु, ३७७-९; –का पालन, ४२८-३२; –का प्रतीक राष्ट्रीय झण्डा, ५४; –की सफलताके लिए ईश्वरमे विश्वास जरूरी, २९९-३०१; –द्वारा अन्यायका मुकाबला, ७१-२, ९०-२, –नम्रताके बिना सम्भव नहीं, २९६, –बनाम हिंसा, ३३२-४

आ

आगाखाँ, –और जिन्नाके साथ समझौता, ३३५
आजाद, मौलाना अबुल कलाम, ८०, २२०, २४०, २४१, २५१, २५४, ३५९, ३९६, ४२३, ४२४, ४९१
आनन्द, १९६
आन्ध्र, –को प्रान्तका दर्जा दिलानेके लिए आन्दोलन, २६०, २६५
आफ्रिका, –और ईसाई-धर्म, ३०१-२; –[वासियो] को अहिंसा अपनानेकी सलाह, ३०१
आफ्रिकी कांग्रेस, ३००
आर्नोल्ड, एडविन, २०८
आरी, ५०४
आर्य समाज, २६८; –और अश्लील साहित्य, ७९, १००-१; –और हैदराबादमे सविनय अवज्ञा, ४५०-१, ४८७; –की गांधीजी द्वारा सेवा, २४
आर्यन लीग, हैदराबाद, २६८, ३४२; –मे हिंसा, ३६८
आर्यनायकम्, आशा देवी, ४१० पा० टि०, ४१२
आर्यनायकम्, ई० डब्ल्यू०, ७२, ८४, १४०, २६२
आसर, लीलावती, १८, २१, ४२, ५६, १३७, १७९, २१७, ४७१

इ

इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशन, ४६४
इग्लैंड, –और अहिंसा, १०३; –और चेकोस्लोवाकियाका मामला, ७७, –मे लोकतन्त्रका आधार हिंसा, ४३१
इंडियन एनुअल रजिस्टर, २३३ पा० टि०
इडियन ओपिनियन, २८२
इटली,–की लोकतन्त्रात्मक सरकारका आधार हिंसा, ४३१
इन्टरनेशनल मिशनरी कौंसिल (अन्तर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद), २२२ पा० टि०, ४६४ पा० टि०; –की मद्रासमे बैठक, १८३
इन्द्रपाल, –की रिहाईके लिए अनुरोध, १६, १९८
इस्लाम, २७, १८८; –और अहिंसा, २, ३३ [?], –संस्कृति और हिन्दू संस्कृति, ३५८
इस्लामिया कॉलेज, १९८

ई

ईश्वर, –और अहिंसा, २९९, ३०१; –और कताई, २१८; –और प्रार्थना, ३२८-९; –का मार्गदर्शन, ५१३; –की सेवा, ४६, १३०; –भूखोंके लिए ४९६; –में गांधीजीका विश्वास, २९६
ईसामसीह, २, २११, २७९, २९९, ३०७, ३२९, ४६६; –और अस्पृश्यता, ३३९; –की शिक्षा, ३३; –द्वारा प्रेमका उपदेश, ३३९-४१

ईसाई, २, १५३, १५४, १८९, २२३, ३००, ३०१, ३०७, ३५५, —और अहिंसा, २२७, —और त्रावणकोरमे उत्तरदायी सरकार, ४५८, —और साम्प्रदायिक निर्णय, १८४
ईसाई-धर्म, १८८, ३१९, —और अहिंसा, २, ३३, २२७, —और आफ्रिकी, ३०१-२, —और यहूदी, १५३-४, —और हिन्दू-धर्म, ४६७

उ

उड़ीसा, —और तालचेर शरणार्थियोका पुनर्वास, ३५३-४, —की प्रजा पर अत्याचार, ३३३-४, —की स्थिति, ४५१-२; —के पोलिटिकल एजेंटकी हत्या, ३१५, ३३३-४, ३६५
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, —और अहिंसा, २२८, ४२८, —और सशस्त्र हमले, ९३, —मे हमले, और उनसे सुरक्षाके लिए बन्दूकें रखनेकी माँग, ११५; —मे हमले ब्रिटिश शासनकी विफलताके द्योतक, ६१-२
उद्योग, —बड़े और घरेलू, २८५, —[ो] का केन्द्रीयकरण, २८५
उर्दू, —और हिन्दुस्तानी हिन्दी, २५-७, —प्रचार आन्दोलन, ४२१
उस्मानिया विश्वविद्यालय, —और 'वन्दे-मातरम्', ३४२, —द्वारा उर्दूकी सेवा, २६

ए

एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, २९६; देखिए 'सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा' भी
एजवाहा, ३५५
एडगर, १८७
एडवर्ड कॉलेज, १९८
एल्विन, वेरियर, १६८
एशिया, —मे बुद्धका प्रभाव, २०८
एस्पिनल, ले० कर्नल, ५१८

ऐ

ऐंग्लो इडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, २२९

ओ

ओल्ड टेस्टामेंट, ३५७
ओसिट्ज्की, कार्ल वान, —नाजियो द्वारा बन्दी, ३०५ पा० टि०

औ

औंध —का सविधान, २४७, ३२३-४, —के सविधानमें सुधार, १७६, —मे उत्तरदायी शासन, १००, —में न्यायालय, ३२३, —मे मताधिकारके लिए योग्यताएँ, ३२३
औद्योगीकरण, —और रूस, २९२, —से लोक जागृति सम्भव नही, ४११

क

कंटक, प्रेमाबहन, २४, १४५, १६२, ३३५
कताई, २१८, ३७४; —और खुदाई खिदमतगार, ३, ३५७-८, —और बेरोजगारी, २८३, —और स्वराज्य, २८३, —का शिक्षामे स्थान, ४१३
कन्या गुरुकुल, देहरादून, २५६, —और अश्लील साहित्य, १००-१, —का वार्षिकोत्सव, १२४, २६२
कपूरथला, —मे उत्तरदायी सरकार, २४७
कमला, १८, ४४५
कमाल अतातुर्क, —और पर्दा, १४३, —का देहावसान, १२१, —के प्रति श्रद्धाजलि, १५९
कर्नाटक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी, ५०३
कवायद, —और स्वतन्त्रता, २५७
कश्मीर, —और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, २६५-६

कांग्रेसी, १३, ३४, ४६ पा० टि०; –और देशी नरेश, २५९, –और भ्रष्टाचार, ३५५-७ ४५४-५; –और सफाई, २६४; –[सियो] के खिलाफ खादीके सम्बन्धमे शिकायत, २४२, –द्वारा हिन्दी और उर्दू दोनोके हितकी कामना, २५-६, –से खादी अपनानेकी अपील, १९५
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल, –और अहिंसा, १८८, –और हिंसा, १२४; –और मद्य-निषेध, २४३-४, –[ो] से लाल फीता समाप्त करनेकी सलाह, २१४-५
कागावा, तोयोहिको, ३२६
कॉटन–दि स्टॉरी ऑफ मैनकाइंड, ४१३
काठियावाड, –मे हरिजन-कार्य, ९८-९
कानपुर, –मे हिन्दू-मुस्लिम दगे, ४८६
कानावूर, ५०४
कामत, सजीव, ३२४
कालिदास, –के साहित्यमे अश्लीलता, १०१
कालेलकर, दत्तात्रेय वा०, २४, १६२, १८२, २०३, २८१, ३२४, ३२५, ३४५, ४०८, ४०९, ४८५, ४८६, ५०९, ५१०
कालेलकर, वाल, २४, १६३
कालेलकर, शकर, २८१, ३२४, ५११
कालेलकर, सतीश द०, ५११
कुँजरू, पं० हृदयनाथ, २५८
कुमारप्पा, जे० सी०, ८५, १३६, १४१, १९७, २०६, २१६, २३०, २६०, २८२, ३९९, ४००
कुमारप्पा, भारतन, १७७, ४०० पा० टि०
कुमारप्पा, सीता, ४००
कुरान, २, ३३, ३५७, ४२१
कुरेशी, गुलाम रसूल, ४६९
कुरेशी, शुएव, १३३, १७४, ३०८
कुसुम, ३९५
कृपालानी, आचार्य जे० वी०, ३६८
कृष्ण, भगवान, ३२९
कृष्णचन्द्र, ७८, ८१, २१८, ३२६, ४३८, ४४९
कृष्णस्वामी, ३०७
केशवदेवजी, २५३
कैंडेल, सर पैट्रिक आर०, ३०३, ४४४, ४५९; –और राजकोटके ठाकुर साहव द्वारा समझौता भग, ३८२
कैलनवैक, हरमन, १०६, ३३५, ४६६, ४७०, ४७१, ४७२, ४७६, ५०२
कोड हिल्स, –की आदिवासी जातियो द्वारा पत्थरो और वृक्षोकी पूजा, ४६७
कोसाम्वी, धर्मानन्द, २१०
कौंसिल-प्रवेश, –और कांग्रेस, ४०३
कौरव, ३२८
क्रीसस, –और सोलन, ११६
क्रूगर, १५५

ख

खवरदार, अर्देशर फरामजी, ४०८
खरे, डॉ० एन० वी०, १६२
खरे, नारायण मोरेश्वर, –को श्रद्धाजलि, ३९५
खाँ, खान अब्दुल गफ्फार, १ पा० टि०, २, ५, ६, १३, २२, ३०-३२, ३५, ४३, ४६, ६१, ६३, ६४, ६८, ७८, ९१, ९२, ११४, ११५, ११७, १२७-३१, १३७, १४५, १९८, २२८, २७६, २८०, ३५७
खाँ, मीर आलम, –द्वारा गांधीजी पर हमला, ७१
खाँ, सिकन्दर हयात, १६
खादी, ६५, ८१, १९३, ४७८; –और अ० भा० चरखा संघ, २४२; –अकालसे राहतके लिए, ५०७; –और उसके अप्रमाणिक विक्रेता,

३१६; –और काग्रेस, १३८-४०, २८६; –और खुदाई खिदमतगार, ९८, –और काग्रेसी मन्त्री, ९७, १९२-३, २४२; –और जवाहरलाल नेहरू, १९४; –और महिलाएँ, २५४, –और मिलका कपडा, १९२; –और समाजवादी, ७५, –और स्वदेशी, ९७; –और स्वराज्य, १३८-९, १४८-९; –काग्रेस मंविधानकी भावना, ९८, –का अर्थशास्त्र, १९४; –का प्रचार, १९२-५, –के लिए मगनलाल द्वारा कार्य, २८२, –कार्य, ३४३

खादी कार्यकर्ता, १९४

खादी प्रदर्शनी, ९७

खान, खानबहादुर फतेह मुहम्मद, ४९८ पा० टि०

खानदेश, –में मद्य-निषेध, ३३८

खान साहब, डॉ०, १४, ६२, ९७, १२०, ४३६; –से त्यागपत्रकी माँग, ६२

खुदाई खिदमतगार, २१, ३५, ६९; –और अहिंसा, १-५, १२-१५, २२, ४३, ४४, ४५-६, ४८, ४९-५१, ६१, ६४, ६५, ६६-७, ६८, ७०-२, ८२, ९०-१, ९२-३, १०८-९, ११३-४, ११७, १२७-३२, –और कताई, ४, ३०, –और ग्राम-कार्य, १३१; –और परोपकारकी भावना, ४७; –और वर्धा शिक्षा योजना, ३०, –और सगठन-क्षमता, १०८; –और साम्प्रदायिक एकता तथा स्वराज्य-प्राप्ति, ८२, –[ो]का कर्तव्य हमलावरोसे नागरिकोकी रक्षा करना, ११५, –को कुटीर उद्योगोमें लगानेकी सलाह, १४, –को खादी पहननेकी सलाह, ९८, –को हिन्दुस्तानी सीखनेकी सलाह, ४; –से आत्मनिरीक्षण करनेका उत्कट अनुरोध, २२

खेडा, –में सरकार द्वारा वेची गई जमीनोकी वापसी, १६६

खेर, ७९, २१३, २५०

खेरी, एम० अलताफ ए०, ३२०

ग

गढादावाला, मोहनलाल, ५००

गाधी, अरुण, १७६

गाधी, कनु, ३८, २५२, ३४९, ३६७, ५०२

गांधी, कस्तूरबा, ९, ३५, ६०, ९५, ११८, १२०, १२१, १३४, १७४, १७५, १७७, १९९, २०३, २२१, २३७, २५५, २६२, २८१, ३५०, ३५२, ३८१ पा० टि०, ३८९, ४०१, ४१८, ४३२, ४३७, ४४३, ४४८, ४४९, ४५८, ४५३, ४६२, ४६३, ४७१, ४७२, ४७५, ४७६, ४८५, ४८६, ४८८, ४९२, ४९५, ५०२, ५१८, –और अस्पृश्यता, १८५; –और राजकोटका सघर्ष, ४२७-२८, –की गिरफ्तारी राजकोटमें प्रवेश करनेपर, ४०९; –की बीमारी, १०, २३; –गाधीजीको अहिंसाका पाठ पढानेवाली शिक्षिका, ५०, २२६

गांधी, कानम, २२०, ४३७, ४७२

गाधी, कान्तिलाल, १२, १९, ११२, १४२, १४४, १५७, १६४, २६२, ३८९, ३९०, ४४८

गाधी, छगनलाल, १२०

गाधी, जमनादास, १९९

गाधी, जे० जे०, १९५

गांधी, देवदास, २३, १४४, १७७, १९९, ३३५, ३६८, ४२७

गाधी, नारणदास, १८, ६९, ७४, १७१, १७२, ४६८

गाधी, निर्मला, १३४, १९९

गांधी, पुरुषोत्तम, १८, ८४, ३९५
गांधी, भोगीलाल, ४८३
गांधी, मगनलाल, –को श्रद्धांजलि, २८२
गांधी, मणिलाल, १०६, ११९, १४४, १७५, ३४७, ३५०, ३६४, ३६५, ५०२
गांधी, मो० क०, –और अशुद्धि, ५४-५; –और जुलू विद्रोह, २९६, ३०१; –और बोअर युद्ध, २९६; –और ब्रह्मचर्यके प्रयोग, ८; –और स्त्रियों द्वारा परिचर्या, २७५-६; –का निरन्तर बढ़ता पत्र-व्यवहार, १०१-२; –के लिए कस्तूरबा अहिंसाका पाठ पढ़ानेवाली शिक्षिका, ५०, २२६; –को अपनी आकृतिकी प्रतिमा और तसवीरें बनाकर सम्मान करवाना नापसन्द, ४२६-७; –को बैरिस्टरकी उपाधि देनेवाली संस्था द्वारा वकालतकी सनद छीनना, १०७; –द्वारा आंशिक मौन, १७७, १९१; –पर दक्षिण आफ्रिकामें ट्रेनमें हमला; १८९-९०
गांधी, रामदास, २३, ९६, १२०, १९८, १९९, ३३५
गांधी, लक्ष्मी, २३, १७७, १९९, ३३५
गांधी, सरस्वती, ११८, ४४८
गांधी, सीता, १७६, ३४७
गांधी, सुशीला, ११९, १२०, १७५, २३७, ३५०, ३६५, ५०२; –को दक्षिण आफ्रिका जानेकी सलाह, ३४७
गांधी, हरिलाल, २५३ पा० टि०
गांधी सेवा संघ, ३८, ४९६ पा० टि०
गाँव, –की सेवा, ४२; –[ों]का प्राचीन भारतमें शोषण, ८९, २८५; –में आत्मनिर्भरता, २९३; –में चिकित्सकोंके रूपमें कार्य करनेके लिए ग्रामीण कार्यकर्ताओंको प्रशिक्षण देनेकी आवश्यकता, ४६६
गिडवानी, चोइथराम, ३४३
गिब्बन, सी० के०, २२९
गिब्सन, ई० सी०, २४१, ५१५; –और राजकोटके ठाकुर साहबके बीच समझौता भंग, ३८२, ३९८-९, ४०३-४, ४२७-८; –कांग्रेस और सरदार पटेलसे असन्तुष्ट, ३४३-४, ३८२
गिरधारीलाल, १६०
गिरासिया शिष्टमण्डल, राजकोट, ५१७
गिल्डर, डॉ०, १२२, ३३८, ४६१
गीतांजलि, ३२९
गुजराती, २६
गुलनार, ३०८
गेस्टापो, ३०४
गोकीबहन, ४६८
गोलमेज सम्मेलन, ३५७; –में जनरल स्मट्स द्वारा गांधीजीका समर्थन, ३३
गोविन्द, १६७
गोशालाएँ, २०२
गोसेवा, २५६
ग्रामउद्योग पत्रिका, १९७
ग्रामोद्योग, ८६-७, २७५, २८३; –[ों]का पुनरुद्धार, ४११
ग्रामोद्योग संघ, २८२
ग्रेग, रिचर्ड बी०, –और अहिंसा, २६३

घ

घोष, अरविन्द, ४४, ३३०

च

चक्रैया, ९
चन्द्रभाई, १९८
चन्द्रशंकर, २१, ७७
चरखा, ५३; –अन्नपूर्णाके रूपमें, ३७०; –अहिंसाका प्रतीक, ६६, ३७४-५; –और महिलाएँ, २५४; –और

रामनाम, ३२६, –और विद्यार्थी, १४८; –और स्वराज्य, ३८३-४
चरखा संघ, –और पूर्ण स्वराज्य, २७५
चाँदभाई, शेख, ४६८
चाँदवानी, ३४९, ३५०
चाँदीवाला, व्रजकृष्ण, ३६, ४४, ४७, ८७, ८८, २३२, २४९, ३५३, ३६८
चावल, –पालिश किया और बिना पालिश किया, १९७, २०६, –मिलका और हाथ-कुटा, ८६
चिकित्सा-पद्धति, –पश्चिमी, भारतके लिए अनुपयुक्त, ४६६-७
चीन, –का जापानसे मुकाबला और अहिंसा, २२४, २८९, –पर जापानी हमला, २९६-८; –में जन-शिक्षा, ८२, –में बौद्ध प्रभाव, २०८, –मे भारतीय चिकित्सक मिशन, २९०
चुडगर, पोपटलाल, ३३६, ३७०, ४५२, ४५३; –की भेंट जयपुरके दीवानके साथ, ३४९, ३८६-९
चेकोस्लोवाकिया, –और अहिंसा, १५५, २२६-७, –को शस्त्र-त्याग करनेकी सलाह, ७७, १०३-५
चेट्टियार, एम० के० चिदम्बरम्, ३१६
चेट्टियार, एस० मरियानुसाई, ३१६
चेरियन, अक्कम्मा, –के साथ जेलमें दुर्व्यवहार, ४५७
चैस्टरमैन, डॉ०, ४६४-८
चोखावाला, गोरधनदास, ४३२ पा० टि०, ४३५
चोखावाला, शारदाबहन गो०, ४३४, ४३५, ४४२, ४७०, ४७२, ४७४, ४७५, ४८५
चौधरी, चन्द्रलाल, ४३४ पा० टि०
चौधरी, जगलाल, १९५
चौरीचौरा, –में हिंसा, ४८१

छ

छोटालाल, –का अनुभव बिना पालिश किये चावलके बारेमें, १९७; –पर हमला, ४८२

ज

जगन्नाथाचारी, सी० १५१
जमीन, –जब्त की गई, और उसे लौटानेवाला विधेयक, ३९-४०
जयचन्द वालजी, ४८२
जयपुर, –और राजकोटके संघर्षका अन्तर, ३८६, –और राजकोट पर गांधीजीके वक्तव्योंके सम्बन्धमें सरकारी विज्ञप्तियाँ, ४०३; –के महाराजा मन्त्रियोंके हाथोंकी कठपुतली, ३२१; –के लोगोंके प्रति कांग्रेसका कर्तव्य, ३८९, –पर लिखे गांधीजीके लेखोंकी आलोचनाका उत्तर, ४४३; –में अकाल, ३१०-१, –मे उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए आन्दोलन, ३६५-७; –में जमनालाल बजाजके विरुद्ध कार्रवाई, ३१०-१, ३२०-२, ३३१, ३६१-४, ४४४, ४७७; –में जमनालाल बजाजके विरुद्ध की गई कार्रवाईका विरोध, ३८६, ३९८-९; –में जमनालाल बजाजपर लगाये गये प्रतिबन्धको हटानेके लिए सविनय अवज्ञा, ३९८, –में प्रजा मण्डलपर निषेध, ३३१, ३९८, ४४४; –में संघर्ष, ४५२; –में सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेका जमनालाल बजाज द्वारा खण्डन, ३१२-३
जयपुर राज्य प्रजामण्डल, –और जमनालाल बजाजके विरुद्ध कार्रवाई, ३१२-३; –और जयपुरके प्रधान मन्त्री, ३६६, ३७२; –और जयपुरमे अकालसे राहतके

लिए कार्य, ३१०-१; –और सर वीकम सेट जॉन, ४०५-६; –गैर कानूनी घोषित, ३३१; –की गतिविधियाँ, ३१३, ३२२; –पर जयपुरमे रोक, ३३१, ३६१-४, ३७३, ३८१-३, ३९८-९
जयप्रकाश नारायण, ४२, १७३, २२१
जयरामदास दौलतराम, २१७, ३४३, ३४६, ५०८
जर्मनी, –की सरकार और अहिंसा, ४३०-१; –मे यहूदियो पर अत्याचार, १५३-४, १८७, २०९-१०, ३०४-७
जसाणी, नानालाल, ५००
जसाणी, वेचरभाई, –के साथ राजकोटमें दुर्व्यवहार, ३८२
जसाराम, ३३८
जाकिर हुसैन समिति, –की रिपोर्ट, २५७
जाजू, श्रीकृष्णदास, ८५
जॉन, ३४४
जापान, –और चीनमे परस्पर युद्ध, २८८-९, २९६-९, ३२६-७; –की भारतमे अपना माल भरनेकी नीति, २०७; –के मालका भारतमे वहिष्कार, २९०; –मे सहकारी आन्दोलन, ३२६-७; –में वौद्ध प्रभाव, २०८
जामिया मिलिया, –को भोपाल द्वारा मदद देना वन्द, ३०८
जार्डिन, २७६, २८०
जिन्ना, मु० अ०, ३४, ३३५
जिला वोर्ड, –अनावश्यक चीज, २४५; –और रचनात्मक कार्यक्रम, २४६-७
जिलानी, सन्त अब्दुल कादिर, ९३
जुराव, ३३४
जुलू, –[लुओं] पर श्वेतों द्वारा अत्याचार, ३००
जुलू-विद्रोह, –में गांधीजीका योगदान, २९६, ३०१
जूनागढ़के नवाव, –द्वारा हरिजन कोषके लिए दान, ७४
जेठानन्द, ४३६
जेराजाणी, पुरुषोत्तम के०, ३४८
जेहोवा, १५४
जोजेफ, पोथन, ४२
जोशी, १२
जोशी, एम० एम०, २४९
जोशी, छगनलाल, ७४, १२०
जौहरी, चंद्रभाल, ४३३
ज्यूइश कंट्रीब्यूशन टु सिविलिजेशन (सेसिल रॉथ), १५७
ज्योति संघ, –और महिलाओंका उद्धार, ३७८

झ

झवेरी, गंगावहन, २४८
झवेरी, नानीवहन, २४८

ट

टाइम्स ऑफ इंडिया, २४३, ३६१
ट्रिब्यून, ४५३

ठ

ठक्कर, अमृतलाल वि०, ९६, ३३५, ३३८, ३५३, ३७१
ठाकर, मनुभाई, –पर हमला, ४८३
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १६१, १७८, ३२९, ३३०

ड

डायर, जनरल, ९३
डॉरोथी, ८३, २१७
डेरा इस्माइल खाँ, –मे दंगे, ४३६
डेली, कर्नल, ५१८
डोड्डामेटी, अदानेप्पा, ५०४-५

ढ

ढेंकनाल, –मे जन-आन्दोलन, १६९-७०; –में दमन, ३५३; –में सत्याग्रह, ३४६

त

तमिल, ४२१
तमिलनाडु चरखा संघ, ३१६
ताई, २८०
ताओ, डॉ०, १३५
ताकाओका, डी०, २०७, २०८
ताताचार, ४७१
तालचेर, –में दंगे, ३५३, ३६६, ३८३, –में हुए दंगोंके बारेमें शासक द्वारा इनकार, ४५६
तुलसीदास, २७
तेमा, एस० एस०, ३००-२
त्रावणकोर, –की महारानी, ३१७, ३१९; –के दीवानके विरुद्ध लगाये आरोप वापस, ३७, २३६, २३८-९, २६७, ३१७-९; –के बारेमें गांधीजीका मौन, ४५७; –के सत्याग्रही कैदियोको आम माफी, ६७; –में उत्तरदायी शासन और साम्प्रदायिक एकता, ३५५, ४५८; –में ईसाई, ३१७-९; –में दमन और हिन्दू-धर्म, ४५७; –में मद्य-निषेध, ३०९; –में समाचारपत्रोके विरुद्ध कार्रवाई, ४७९; –में सविनय अवज्ञा/ कांग्रेस/सत्याग्रह आन्दोलन और उसका स्थगन, १७, २०, ३७, १४६-७, २२२, २३८, २६७, ३०९, ४७९-८१; –में सुधार, १७, २३६
त्रावणकोर राज्य कांग्रेस, ४७९-८१; –द्वारा दीवानके विरुद्ध लगाये आरोप, ३७, २३६, २३८-९, २६७, ३१७-९, ४५७; –पर हिंसाका आरोप, ३७
त्रावणकोर विधान-सभा, –के कांग्रेसी सदस्य अयोग्य करार, ४५७, ४७९
त्रिपुरी, –में कांग्रेस अधिवेशन, ३५७

थ

थोरो, हेनरी डेविड, –और आदर्श सरकार, २९२

द

द रिलीजन ऑफ द गुड लाइफ, २९
दक्षिण आफ्रिका, –और सत्याग्रह, १५५, १८६, २२६, ४२६, –की लड़ाईमें कस्तूरबा गांधीका योगदान, ४२७; –में भारतीय, ४२५-८
दण्ड-विधान संशोधन विनियम, ४५७ पा० टि०, –और मद्रासमें कांग्रेसी सरकार, २४३
दादाभाई नौरोजी, २७, ७५
दामोदर, ४२५
दामोदरदास, १८१, ४५३ पा० टि०
दास, विश्वनाथ, ३७१
दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ३६, १२२, २०६
दुबला, –लोगोंका उद्धार, ३६८-७०
दुर्लभजी उमेदचन्द, ४८३
देव, शंकरराव, ३४२, ५०३, ५०४-५
देवनागरी, –बनाम रोमन लिपि, ४२०-१, –सीखना हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए आसान, ४२१
देशपाण्डे, गंगाधरराव, ५०३, ५०५
देशी राजा, –और अस्पृश्यता, ९८, –और कांग्रेसी, २५९; –और ब्रिटिश सरकार, १६८-९, –और रेजिडेंटोंका भय, ३०३; देखिए 'सर्वोच्च सत्ता' भी
देशी राज्य, –और अस्पृश्यता, ९८-९; –और कांग्रेस, १६८-७०, २३४-५, २५९, ३६१-४, ३९०-४, ४९१-२, –और कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावका मसविदा, २३३-५; –और सत्याग्रह, ३३२-४; –के सम्बन्धमें हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव, १६८, २३४-५; –में उत्तरदायी सरकारके लिए आन्दोलन, १६८-७०, ४९१; –मे उत्तरदायी सरकारके लिए आन्दोलन और बाहरी मदद, २३४-५; –में स्वतन्त्रताका आन्दोलन, ३५३

देसाई, गोपालदास, –पर हमला, ४८४
देसाई, दुर्गा, ८, ८४, ८८, १०६, १३३
देसाई, नारायण, ४२, ७८, ८८, १०६, १३३
देसाई, प्रागजी, १२०
देसाई, भूलाभाई जे०, २३६, ३४२
देसाई, महादेव, १, ६, ७, ११, १२, १७, २१, ३५, ४१, ४७, ५५, ६०, ७३, ७८, ८०, ८३, ८७, ८८, ९४, १०१, १०६, १०७, ११२, १२०, १२२, १३३, १३६, १३७, १४१, १४३, १४९, १६२, १६४, १६५, १६७, १६८, १७१, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १९६, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०५, २०७, २२१, २३२, २४८, २५२, २५५, २७७, ३१७, ३२५, ३४९, ३८०, ४१८, ५०२, ५११, ५१३
द्रौपदी, २०४

ध

धर्मदेवजी, १६४
धर्मनारायण, पं०, –के विचार प्रजामण्डलोंके सम्बन्धमें, ३९२
धर्मपरिवर्तन, ४६४, ४६७; –और ईसाई मिशनरियाँ, १८५
धर्मेन्द्रसिंह, ठाकुर, १४१ पा० टि०, १५० पा० टि०, २४१ पा० टि० ४५९, ४७५, ४८३, ४९५, ५१५; –और राजकोटकी प्रजाके बीच एक सम्मान-जनक समझौता, ३९८-९, ४२८, ४९८-५०२, ५०६; –कैदीके समान, ३८२, ४०४

न

नगरपार्षद, –[ो]का कर्तव्य करदाताओंके प्रति, ३७४
नम्रता, –के बिना अहिंसा सम्भव नहीं, २१६
नरीमन, के० एफ०, २३६
नरूभा, ४८४
नवीन, बालकृष्ण शर्मा, ३४६, ४८६
नशीली वस्तुएँ, –और उनका प्रयोग, ६५; –और उनपर अनुसन्धान कार्य, ४६६
नागरिक स्वतन्त्रता, २५०; –और कांग्रेस, १२५; –सम्बन्धी कांग्रेसका प्रस्ताव, १२३-४
नानक, गुरु, ११०
नानावटी, अमृतलाल टी०, ९, १०, २४, २५, ३८, ९५, ९९, २०१, २०२, २०६, २२०, ३२४, ३४५, ४७६, ४८५, ४८६
नायडू, पद्मजा, २२१ पा० टि०
नायडू, प्रो० वी० वी० नारायणस्वामी, १५१
नारायणस्वामी, ४८७, ४९८
निमोलर, मार्टिन, –पर अत्याचार और हिटलर, ३०४
निर्मला, ५०२
निर्वाचक-मण्डल, –और मुसलमान, २४०; –पृथक्, और कांग्रेस, २४०
निर्वाचन, –में मतदाताओंके साथ जालसाजी, ३५६
नेहरू, इन्दिरा, १५०, १५९, १६१, १६३, १७८, ४०८, ४१९
नेहरू, जवाहरलाल, ८०, १४३, १५०, १५८, १५९, १६१, १६२, १७८, २०५, २२०, २५१, २६८, ३२७, ४०८, ४२४, ४४०, ४४१, ४४६; –के अनुसार खादी 'आजादीकी वर्दी', १९४; –द्वारा हैदराबादमें सत्याग्रह स्थगित करनेका सुझाव, २६८
नेहरू, मोतीलाल, २६
नेहरू, रामेश्वरी, १३४, २०३, ३६१

नैयर, डॉ० सुशीला, ८, ४७, ७२, १२०, १३३, २०१, २०६, ३३५, ४०१, ४४३, ४६२, ४८९
नैयर, प्यारेलाल, १०१, ११२, १२०, १२३, १२८, १३३, २०३, २१०, २५१, २५२, २७७, २८२, २८४, २८८, ३१७, ३६८, ३७३, ४१०, ४२२, ४२५, ४८४, ५०२, ५१६, ५१७
नौरोजी, दादाभाई, –को श्रद्धाजलि, २७-८
न्यू टेस्टामेंट, ३५७; देखिए 'वाइविल' भी

प

पंचोली, मनुभाई, १२१, ४२४, ४३२ पा० टि०, ४७०
पचोली, विजयावहन, १०, ८०, १२१, १७४, २०७, ४३२ पा० टि०, ४७२, ४७६, ४८६, ४९६
पडित, रणजित, २०५
पडित, विजयलक्ष्मी, १७८, २०५, ४४१, ४४६, ४७२
पत, गोविन्दवल्लभ, २१६
पसीना, –में प्रजामण्डलके कार्यकर्त्ताओंके विरुद्ध आतक, ४८२
पटवर्धन, १४५
पटवर्धन, अप्पासाहव, ३२३
पटवारी, रणछोड़लाल, १८०, ३०८
पटेल, जे० पी०, २१९
पटेल, जैनव र०, २३७
पटेल, डॉ० रजव अली विश्राम, –की मृत्यु, २३७ पा० टि०
पटेल, डाह्याभाई म०, ३५२
पटेल, छीता, ३८०, ३८१
पटेल, मणिवहन, ७९, ११२, १४१, १७२, २०१, २५५, ४०९, ४१८, ४३३, ४३७, ४४३, ४४९, ४५३, ४६२, ४६३, ४७१, ४७३, ४७७, ५१८; –और चरखा, २६७-८; –की गिरफ्तारी, ४२७
पटेल, रवीन्द्र आर०, ३३७
पटेल, वल्लभभाई, ३७, ७९, ८०, १४१, १५०, १५२, १७३, १७९, १८१, १९९, २१७, २३६, २४१, २५४, २५९, २६७, २८६, ३०८, ३२५, ३३५, ३३८, ३४२, ३६८, ३९३, ४२०, ४२८, ४३३, ४४४, ४४९, ४५३, ४५९, ४६३, ४९९, ५०१, ५०३, –और महाराष्ट्रियों तथा गुजरातियोंके वीच मनमुटाव, ३७९; –और राजकोटमें उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाका आन्दोलन, ३०२, ३१७-९, ३५४, ३८१-२, ३९०, ३९८, ४०४, ४४४
पटेल, विजया एन०, देखिए 'पंचोली, विजयावहन'
पट्टणी, अनन्तराय, १५२
पठान, –और हिंसा, ४५
पन्नालाल, २४८
परीख, नरहरि द्वा०, ४६९
परुलेकर, –और नागरिक स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विधेयक, २४९-५०
पर्दा, –और अतातुर्क, १४३, –और महिलाएँ, २५४
पाटिल, एल० एम०, ४४७
पाटिल, के० एस०, ५०४
पाण्डव, ३२८
पापरम्मा, ११३
पारनेरकर, वाई० एम०, ३८, ९६, २०२, २३५, २५६, २६१
पारेख, इन्दु एन०, २६१
पारेख, चन्दन, १६२, २८१, ३३७, ३४७, ३६७, ५११, ५१२
पारेख, रामीवहन के०, ३५१
पार्लियामेन्टरी बोर्ड, ३७

पार्वती, ४०८
पॉल, ए० ए०, १८५
पॉल, के० टी०, १८४
पालिताणा, —के लिए स्वराज्य लेनेकी मांग, २८६
पिकेट, बिशप, १८४ पा० टि०
पिल्लै, एम० वेलु, २९३
पिल्लै, पट्टम ताणु, १८२, २३६, २३८, ३०९
पीपोदरा, —में अखण्ड चरखा-यज्ञ, ६
पुन्नालाल, ४२४
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, ३९४
पुरुलिया कोढ़ी अस्पताल, ४६५
पुलिस-अधिकारी, —और मांस-मदिराका सेवन ७६
पृथ्वीसिंह, २५१, ३१६
पैटन, विलियम, २२२
प्रताप, ४८६ पा० टि०
प्रभावती, १९, ४२, १७३, २२१, ४४८, ४७१, ४८९
प्रवर्तक संघ, ५९
प्राकृतिक चिकित्सा, ४६३
प्रान्त, —[ों] का भाषाओंके आधारपर पुनर्विभाजन, २६०
प्रार्थना, —और ईश्वर, २२८; —निष्ठा-विकासका साधन, २९९; —स्रष्टाके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी तीव्र आकांक्षा, १११
प्रेम, —और मानव स्वभाव, ६३; —एक सामाजिक गुण, ३४१
प्रेमी जयरामदास, १८०

फ

फतह मुहम्मद, खान साहब, ५१५, ५१८
फरीसी, ३३९
फारसी, २६, २७, ४२५
फॉस्टर, १८५
फिलस्तीन, —में अरब-यहूदी समस्या, १५३, १५७
फीनिक्स आश्रम, २८२
फुले, आर० डब्ल्यू०, १३४
फ्रांस, —और अहिंसा, १०३; —में प्रजातन्त्र, ४३०-१
फ्रीडमैन, मॉरिस, २९२-३

ब

बंगाली, ४२१
बंटु, ३००
बच्छराज, ४२५
बछड़ा, —और गांधीजीकी बससे उसका कुचला जाना, १०८
बजलजेट, मेजर आर० एल०, —की हत्या, ३१५, ३५४, ३६५
बजाज, जमनालाल, ३८, ६०, २५३, २७४, २७५, २८७ पा० टि०, ३०७, ३१०, ३२३, ३३१, ३६०, ३६६, ३६७, ३७०, ३८६, ३८७, ४०७, ४१८, ४२४, ४३३, ४४०, ४४४, ४४५; —का जयपुरके प्रधानमन्त्री द्वारा विरोध, ३६६, ३७२; —की गिरफ्तारी, ४२४, ४३८-९, ४५३, ४७७; —पर जयपुर राज्यमें प्रवेशपर प्रतिबन्ध, ३१०-१, ३१२-३, ३२०-२, ३३६, ३६१-२, ४०५-६, ४५३-४
बजाज, जानकीदेवी, २५३, ३७२, ४२४, ४३२, ४४५
बजाज, राधाकृष्ण, ११२, २८७, ५१०, ५१६
बड़ौदा, —में साम्प्रदायिक मनमुटाव, ३६३-४
बर्मा, —में दंगे, ११०; —में बौद्ध प्रभाव, २०८
बलवन्तसिंह, ३८, २०२, २३१, २३५, २५६, २६१, ३१४, ३३८; —और गो-सेवा, २६१

बाँकेलाल, २०१
बा, देखिए 'गाधी, कस्तूरबा'
बाइबिल, १५३, १५६, १९१; –और अहिंसा, २२८
बाइबिल सर्चर्स लीग, –के लोगो पर नाजियो द्वारा अत्याचार, ३०४
बादशाहखान, देखिए 'खाँ, खान अब्दुल गफ्फार'
बाबला, देखिए 'देसाई, नारायण'
बाबासाहब, –का अनुभव बिना पालिश किये चावलके बारेमें, १९७
बाम्बत्ता, सरदार, –द्वारा कर देनेसे इन्कार, ३०१
बॉम्बे क्रॉनिकल, २०७, ३९६, ३९८, ४९०
बार, एफ० मेरी, २१७, ३१४, ४४६
बारडोली, –में जब्त की गई जमीनोंकी वापसी, ३८१, –में सत्याग्रहका स्थगन, ४८१
बार्नावास, –और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, १६३
बाल, देखिए कालेलकर, बाल
बिड़ला, घनश्यामदास, ४०, २४०, २४१, ३१०, ३२३, ३९४, ३९९, ४०६, ४४०, ४६१, ४७४
बियाणी, बृजलाल, ६८
बिहार, –के काग्रेसियोमें अनुशासनहीनता, ३५७; –में जन-शिक्षा अभियान, १३५
बीकानेर [के महाराजा], ४४५, –का काग्रेस के प्रति रवैया, ३९०-९४; –के राजकोट और जयपुरकी घटनाओंके बारेमें विचार, ३९०-९४
बुक, ४०८
बुद्ध, गौतम, २०८, २९९, ३४१; –और अहिंसा, ३२९
बुनियादी तालीम, देखिए 'वर्धा शिक्षा-योजना'
बेनिस, डॉ० एडुअर्ड, ७, ७७, ९४
बेरोजगारी, –और कताई, २८३; –दूर करनेके लिए अहिंसा एक उपाय, ६६
बैंकर, शंकरलाल, ८५, ३४३, ३४८
बोअर युद्ध, –और गाधीजी, २९७, ४६६
बोस, सुभाषचन्द्र, ८०, १७८, २२०, २४०, ३९६, ३९७, ४२३, ४४१, ४७२, ४७७, ४९०, ४९१
बौद्ध-धर्म, १८८
ब्रदरहुड ऑफ रिलिजन्स (सोफिया वाडिया), १६०
ब्रह्मचर्य, –के गांधीजी द्वारा प्रयोग, ८; –के लिए बलवान साधन चित्त-शुद्धि, ३२६
ब्रिटिश और विदेशी बाइबिल सोसायटी, २२२ पा० टि०
ब्रिटिश युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स), ३१
ब्रिटिश सरकार, –और उत्तरदायी सरकार, १६८-९; –और देशी राजा, १६९-७०
ब्रुक्स, एडगर, १८७
ब्रेबोर्न, लॉर्ड, –की मृत्यु, ४९३

भ

भक्तिबा, –पर हमला, ४८४
भगवद्गीता, २, २२८, २८८, ३२८, ४७०; –और अहिंसा, ३२९, ३७८, –का पाठ, २०६
भगवानदास, बाबू, २६
भगवानलाल हरखचन्द, ४८३
भणसाली, जयकृष्ण, ५६, ८३
भय, –भारतकी दासताका कारण, ६५
भाटिया, देवप्रकाश, १११
भारत, –और अहिंसा, २१२, २२८, २७९, ४३२; –की सस्कृति, २९३, –द्वारा जापानी मालका बहिष्कार, २८९-९०; –में अकाल, ३२९

भारत सरकार अधिनियम (१९३५), ३८३, ४३१
भारतानन्द, देखिए 'फ्रीडमैन, मॉरिस'
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९, ३१, १०४, १३०, ४४०, ४४६, ४७३, ४८५, ४९०, ५०२, ५१७; –और अहिंसा, ५९, १२४, २१५, २३५, २४७, २६६, ३०३, ३१०, ३२२, ३३३, ३६३, ३८३; –और ई० सी० गिब्सन, ३८२; –और कर, ३७४; –और कश्मीर, २६५; –और कौंसिल-प्रवेश, ४०३; –और खादी, १३८-४०, २८६; –और जयपुर, ३६१-४, ३८९; –और देशी राज्योंमें उत्तरदायी सरकारके लिए आन्दोलन, १६८-७०, २३३-५, २५९, ३६१-३, ३९०-४, ४९०-२; –और नागरिक स्वतन्त्रता, १२४, १२५; –और निर्वाचक-मण्डल, २४०; –और वार्तावास, १६३; –और मुस्लिम लीग, २६५; –और राजकोट, ३५४; –और समाजवादी, २१४-५; –और साम्यवादी, १२५-७; –और हिन्दुस्तानी, २५; –और हिन्दू-मुस्लिम समस्या, २६५, ४९१; –का कार्यक्रम, ३९७; –का त्रिपुरी अधिवेशन, ३५७, ५१३, ५१५, ५१८; –का महाकौशल अधिवेशन, २६३-४; –किसी खास वर्गकी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रकी पूर्ण प्रतिनिधि, २६५; –की कार्यसमिति, २५, ४४९; –की कार्यसमिति और मद्य-निषेध, २४५; –की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, ४११; –की सदस्यता, १३९-४०; –की सफलताका रहस्य ३००; –के कराची अधिवेशनका प्रस्ताव, २१४; –को युद्धमें भाग न लेनेकी सलाह ,१९; –मे भ्रष्टाचार, १०६, १३९-४०, ३९६-८, ४०३, ४५४-६; –सर्वाधिकारवादी दल नहीं, २६६
भार्गव, डॉ० गोपीचन्द, ८७, ३३८, ३५३
भावे, बालकृष्ण, ९९, २०५
भाषा, –प्रान्तोंके विभाजनका आधार, २६०
भोपाल, –और जामिया मिलियाकी मदद, ३०८
भ्रष्टाचार, –कांग्रेसमें, १०६, १३९-४०, ३९६-८, ४०३, ४५४-६

म

मंजु, ३९५
मगन संग्रहालय और उद्योग भवन, २८२
मडगाँवकर, १४४
मद्रास, –और मद्य-निषेध, २४३, २४४; –और हिन्दी विरोधी आन्दोलन, २६४; –मे कांग्रेस सरकार द्वारा दण्ड-विधान संशोधन अधिनियमका उपयोग, २४३
मध्यप्रान्त, –के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलमें हरिजन मन्त्री, ५
मद्य-निषेध, ३०९, ३३२; –अहमदाबादमें, २४४; –और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल, २४३-४; –और पुलिस अधिकारी, ७९; –और राजस्व, २४४; –और समाजवादी, ७५; –के लिए त्रावणकोर कांग्रेसको काम करनेकी अपील, १४८; –त्रावणकोरमे, २४६; –सेलम जिलेमें, १५१; –हैदराबादमें, २६९
मरडोक, २७९
मलकानी, ना० र०, १९७, ३४९, ४४१; –और खादी, ३४३
मशरूवाला, किशोरलाल घ०, ३८, १४५, १७६, ४४१
मशरूवाला, गोमती, १७६
मशरूवाला, नानाभाई, ८१, ११९, १२०, १५२, १७५, २३७, ३३७, ४२४

मशरूवाला, मनुबहन सु०, २५३, ३५१, ५०२
मशरूवाला, विजयलक्ष्मी, १७५
मशरूवाला, सुरेन्द्र, ३५१
मसानी, एम० आर० ७५, १२०
मसानी, रुस्तम, २८, २९
महमूद, डॉ० सैयद, १३५
महाभारत, ३२९
महिला आश्रम, ६०
महिलाएँ, –और अस्पृश्यता, २५४; –और अहिंसा, ५८, ५९, २५४, २७०-४; –और खादी, २५४; –और घरकी दासता, ३७८, –और चरखा, २५४; –और दुर्व्यवहार, ३८४-६; –और पर्दा, २५४; –और हिन्दू-मुस्लिम एकता, २५४
महोदय, डॉ०, ९९
मांटेग्यू, २२२
मांस-भक्षण, –और पुलिस अधिकारी, ७६
मॉट, जॉन आर०, १८३, १९६, २१३, २२२
मॉडर्न रिव्यू, ९८
माणिकराव, प्रो०, २६४
मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, ३५४
मालवीय, मदनमोहन, २६, २५८
मॉग, लेस्ली वी०, २२२
मिन्टो, लॉर्ड, ३९३
मिल-कपड़ा, –और हाथका कपड़ा, २८५
मिल्ड्रेट, २८१
मिशनरी सम्मेलन, ताम्बरम्, २९८
मिशनरी, –और अहिंसा, १८८; –और चिकित्सा तथा धर्म-परिवर्तन, ४६७, –और रचनात्मक-कार्य, १८९
मीराबहन, ७, ११, ३८, ७२, ७७, ८१, ९४, १०५, १०६, १११, १३४, १३५, १४२, १५९, १६४, १६७, १७६, १७७, १९५, १९८, २१७, २४८, २७६, २८०, ३१४, ३३४, ३४४, ३५७, ३५८, ४०१, ४०७, ४६२, ५१२, ५१४
मुदलियार, ए० पालानिअप्पा, ३१६
मुनोली, ५०३, ५०४
मुन्शी, कन्हैयालाल मा०, ७९, २१०, २१३, ३९४
मुसलमान, ६, २६, २७, ३३, ३४, ३५, ८९, ९०, ९१, १५४, ३०८, ४३०, ४५८, ४९१, ५१५; –और अरबीका अध्ययन, ४२५, –और काग्रेस, ४९१; –और गांधीजी, ३५८, –और पृथक् निर्वाचक मण्डल, ५१६; –और स्वराज्यके लिए आन्दोलन, २६६; –और हिंसा, ३६८; –और हिन्दू, ९०
मुसोलिनी, वेनितो, १५, ३४, १८८, २२६, २२७
मुस्लिम कौंसिल ऑफ ऐक्शन, राजकोट, ५१६ पा० टि०
मुस्लिम लीग, –और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, २६५, –और संघ-व्यवस्था, ४९०-२
मुहम्मद, २९९
मुहम्मद अली, २६, –और चरखा, १९४
मुहम्मद अली, काजी साहब सैयद, ६९
मूंदडा, दामोदरदास, २११
मेनन, रमण, –का निधन, ३०७
मेवाड, –मे राष्ट्रीय जागृतिका दमन, ४६०-१
मेवाड प्रजामण्डल, ४६०, ४६१
मेहता, जीवराज, ७, ४६१
मेहता, दिनशा, ३४६
मेहता, बलवन्तराय, –और काठियावाड़मे सकट, ४४६
मेहता, वैकुण्ठभाई ल०, २००
मेहताव, हरेकृष्ण, ३४६, ४४२
मेहरताज, १९८

मैकगवरन, –द्वारा गाधीजीकी मिशनरियोके साथ भेटका काल्पनिक विवरण, १८४
मैकग्रेगर, –के विचार प्रजामण्डलों पर, ३९२
मैनचेस्टर गार्जियन ४९०, ४९१
मैसिघम, १०७, १०८; –के विचार ग्रामीण जीवनपर, ८९
मैसूर, –के महाराजा, ३७९
मोदी, प्रह्लादराय, ४८३
मोरारजी, शान्तिकुमार न०, १७९, २००
मौन, –तीव्र मानसिक व्यथाके शमनके लिए, ६१
म्युनिसिपल बोर्ड, –अनावश्यक चीज, २४५-७
म्योरहेड, १०६

य

यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, २३३ पा० टि०
यशोदा, ४७२
यहूदी, २५५; –और फिलस्तीन, १५३, १५६; –[दियों] को अहिंसात्मक प्रतिरोधकी सलाह, १५३-७, २०९-१२, २२४, ३०४-७, ४२२-३; –पर जर्मनीमे अत्याचार, १५३-४, १८७, ३०४-७, ४२२-३
यारजंग, मौलवी बहादुर, ३४२
यालगी, ५०३
यंग, एफ० एस०, ३११, –द्वारा जमनालाल बजाजका इलाज, ४३८-९, ४५३
युद्ध, –मे भाग न लेनेकी कांग्रेसकी सलाह, १९

र

रंगा, प्रो०, ३५३
रंगास्वामी, ३७९
रचनात्मक-कार्य, १३, ६७, ४८१; –और अहिंसा, ६४, १४८; –और जिला बोर्डके सदस्य, २४५-६; –और मिशनरी, १८९; –और विद्यार्थी, १४८; –और सविनय अवज्ञा, २२१-२, –और स्वराज्यके लिए लड़ाई, १३१, २३९; –को अपनानेकी खुदाई खिदमतगारोको सलाह, २९-३३
रजब अली, २५३
रमण महर्षि, ४४, ५१३
रसेल, २६३ पा० टि०
राजकुमारी, देखिए, अमृत कौर
राजकोट, ३०२, ३६१-४, ३९०-४, ३९६-७, ४२७, ४४३, ४५१, ४९७, ५१३; –और जयपुर पर गांधीजीके वक्तव्यके सम्बन्धमें सरकारी विज्ञप्तियाँ, ४०३; –और जयपुरके संघर्षका अन्तर, ३८६; –और मुसलमान, ४०३-५, ५१६; –और मुसलमान तथा हिन्दू, ३५४, ३६४; –की गाधीजी द्वारा यात्रा, ४९९-५०२, ५११, ५१३; –के ठाकुर साहब, १५०, २५९, ३५४, ४८३; –के ठाकुर साहब द्वारा जनताके साथ हुए समझौतेका भंग, ३६६, ३८१-३, ४४३-४; –के दीवान, ३२१; –मे अमानुषिक व्यवहारके प्रति कैदियोकी भूख हड़ताल, ४९३; –मे उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके बारेमे समझौता, ३०२; –में उत्तरदायी सरकारकी स्थापनाके लिए संघर्ष, १४१, १५०-१, २४१, ३६६, ३८१-३, ३८६; –मे गिरफ्तारियाँ जारी, ५१४; –में सत्याग्रह, १७३, १७७, ३०८ पा० टि०; –मे सत्याग्रह आन्दोलनका स्थगन, ४९९, ५०१; –मे सत्याग्रह और बाहरी मदद, १७३, १८१; –मे साम्प्रदायिक मनमुटाव, ३६३-४;

—में सुधार-समिति, १५०-१; —में हिंसा और गुंडागर्दी, ७४-५, ४०५
राजगोपालाचारी, च०, १०१, १२४, २६० पा० टि०, २६४, ३०७, ४४७, ४७१; —और मद्य-निषेध, २४४
राजभूषण, ९, ९५
राजेन्द्र, ८३, १३७
राजेन्द्रप्रसाद, ३३८, ३५९, ४२३, ४३४
रणपुर, —में पोलिटिकल एजेंटकी हत्या, ३५४
राधाकृष्णन, एस०, २६०, २६४
रॉबर्टसन, ३९२
राम, भगवान, ४४३, ४६२
रामचन्द्रन, जी०, ३७, ७९, ११२, १४२, १४९, १५७, २६२, ३०९, ३८९, ४४८, ४५७ पा० टि०, ४७९, ४८०; —और त्रावणकोर आन्दोलन, ३१८
रामजीभाई, ३५२
रामदुर्ग, —के कांग्रेसियोंको राजासाहबका साथ देनेकी सलाह, ५०६; —के राजा साहब, ५०३; —में दुर्भिक्ष, ५०३; —में प्रजाकी माँगें मजूर, ५०५; —में लाठीचार्ज, ५०३
रामदुर्ग सस्थान प्रजासंघ, ५०३, ५०५; —द्वारा राजाको आतंकित करनेकी निन्दा, ५०६
रामदेव, आचार्य, १३४
रामनाम, ४०१; —और चरखा, ३२६
रामराज्य, —का अर्थ सर्वतोमुखी स्वार्थ-त्याग, ३०४
रामायण, ३३०, ४४३
रामानुज, ३३०
रामी, ५०२
राय, डॉ० विधानचन्द्र, ४६१, ४७४
राय, मोतीलाल, ५९, १७१, ४३७
रालोल, —में प्रजामण्डलके कार्यकर्ताओंके खिलाफ आतंक, ४८२-३
राव, नरसिंह, ३४२
रावराणा, ३३६ पा० टि०, ३८६
राष्ट्रीय ईसाई परिषद (नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल), १८५
राष्ट्रीय झण्डा, —और खादी, १९४, —[झंडे] और धार्मिक ध्वज-पताकाएँ, ५२-४; —का उपयोग और दुरुपयोग, ५३-४; —की कल्पना एकता, शुद्धता और अहिंसाके प्रतीकके रूपमें, १४७
राष्ट्रीय सप्ताह, २४५
रुइकर, रा० स०, —का उपवास, १३४
रूस, —में औद्योगीकरण, २९२; —में लोक-तान्त्रिक प्रणाली, ४३०-१
रेनॉल्ड्स, रेजिनॉल्ड, १९८
रोम, —का पतन, ३५६
रोमन लिपि, —बनाम देवनागरी लिपि, ४२०-१
रौलट ऐक्ट, —और अहमदाबादमें दंगे, ४५९

ल

लालकुर्ती आन्दोलन, ११४
लालचन्दभाई, ४८३
लिनलिथगो, लॉर्ड, १३५, २५३, ३६५, ३९४, ४५१, ४८८, ४९७
लीम्बड़ी, —के युवराज और उत्तरदायी सरकारके लिए आन्दोलन, ४८१-५; —प्रजामण्डलके सदस्योंका उत्पीड़न, ४३५, ४८१-४
लीलावती, २०६
लूथरन चर्च, ३०४
लेस्टर, म्यूरियल, २१७, २८१, २८७, ३१४; —द्वारा अब्दुल गफ्फार खाँको श्रद्धांजलि, ३५७-८
लोथियन, लॉर्ड, २७७, ४२८ पा० टि० ४३०
ल्यू, टिमोथी टिंगफाग, २८८, २९५

व

वकील, १०७; –और असहयोग, १६५
वर्धा, –मे सादा जीवन और अहिंसाकी भावना, २३३
वजीरी, ६३
वणाट शास्त्र, २८२
वत्सला, ९
'वन्दे मातरम्', –और उस्मानिया विश्वविद्यालय, ३४२
वयस्क मताधिकार, ३२३
वर्मा, माणिकलाल, –पर अत्याचार, ४६०
वर्मा, हरसरन, २०५, २३२
वर्ल्ड डोमिनियन, –मे गांधीजीकी मिशनरियोके साथ हुई भेटका काल्पनिक चित्रण, १८४ पा० टि०
वाजपेयी, २५८
वाडिया, सोफिया १६०
वात्सल्याची प्रसाददीक्षा, १४५ पा० टि०, १६२
वामनचन्द, ३२५
वार्नर ली, ४८४
वार्साई-सन्धि, –और हिटलरका उत्थान, २२७
विटरटन, अर्ल, १६८
विद्यार्थी, –और असहयोग, १६५, –और चरखा, १४८; –और रचनात्मक कार्य, १४७, –और राजकोट सत्याग्रह, १७३; –और सविनय अवज्ञा, १४८; –[र्थियों] द्वारा अण्णामलै विश्वविद्यालयमे हड़ताल, ५०९-१०; –द्वारा अण्णामलै विश्वविद्यालयमे हड़ताल और अहिंसा, ५०९-१०; –द्वारा त्रावणकोरमे हुड़दग, २०
विद्यार्थी, गणेशशकर, –की मृत्यु साम्प्रदायिक दंगेमे, ४८६
विद्यार्थी, प्रभुदयाल, १८३, ३१५
विलियम्स, ७२
विलियम्स, रशब्रुक, ४९०, ४९१
वीरावाला, दरबार, १४१, ५१५
वू, वाई० टी०, २८८ पा० टि०, २९५
वेद, ८९
वैद्य, काशीनाथ राव, ३४१, ३४२
वैद्य, मथुराप्रसाद, –पर अत्याचार, ४६०
व्यासजी, ४२४
व्हाई द विलेज मूवमेण्ट, ४००
व्हाट वार मीन्स, ३२७
व्हिच वे टु पीस, २६३ पा० टि०

श

शंकर, आर०, ३०९ पा० टि०
शकरलाल, ३४८
शंकराचार्य, ३३०
शघाई, –पर जापानियो द्वारा बम-वर्षा, २८८
शमशेरसिंह, ८, ४१, १६१, १७१, १७६, २०५, २२०, २५५
शम्भुशंकर, २८६
शम्मी, देखिए शमशेरसिंह
शर्मा, बालकृष्ण, ३७
शर्मा, विचित्र नारायण, २४९
शर्मा, हीरालाल, ३६, २०४, २८७, ४०२, ४६३
शस्त्रीकरण, –की पागलभरी होड़, १०४, ४३१
शान्ता, २१७
शान्तिनिकेतन, –ही भारत है, ३३०
शामलाल, १६, १९८, २५२
शास्त्री, धर्मदेव, १०१
शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, १७, २१, ४९२, ५०७-८, ५१०
शाह, कचन मु०, १३८
शाह, चिमनलाल एन०, ३८, ९६, २०२, २३५, २६२

शाह, मुन्नालाल जी०, ११, १११; १३८, २०२
शाह, शकरीबहन, ५६, ९६
शाह, शारदाबहन चि०, १०, ५६, ९६, १७९, १९६, २८०, ३५१, ४२०, ४३२ पा० टि०
शिन्दे, जनरल, ३७९, ४१९
शिबली, २७
शिक्षा, –और कांग्रेसकी नीति, ४१०-१; –और स्त्री-सम्मान, २७३; –की वर्धा योजना, २३३ पा० टि०, २५७, ३७६, ४१०; –नयी तालीम, और उसमें प्रयोग, १८७; –प्रौढ़, ३७६; –में आमूल परिवर्तन जरूरी, ४१२
शुकदेवजी, २७६
शुक्ल, चन्द्रशंकर, २००
शुक्ल, दलपतराम, –का निधन, १२
शू, पी० सी०, २८८, २९५, २९८
शैली, २२५
शैतान, –और ईश्वर, ३२८
शौकत अली, १७४, २२९, २३०; –और हिन्दू-मुस्लिम एकता, २२९-३०
श्यामजी सुन्दरदास, ४२
श्रमिक, –भूमिहीन, और चरखा, ६६
श्रीमन्नारायण, ३२५
श्रीलंका, –में बौद्ध प्रभाव, २०८
श्लेसिन, सोनजा, १०६, १२०, ५०२

स

संघ-व्यवस्था, –और मुस्लिम लीग, ४९०-२; –और साम्प्रदायिक एकता, ४९१
संस्कृत, २६, २७
संस्कृति, –चीनी, २८९, २९३; –हिन्दू और इस्लामी, ३५८-९,
सत्य, –और अहिंसा, ५०-१
सत्यवती, २३२
सत्याग्रह, ५, १८१, २७७, ४७३; –अन्तिम अस्त्रके रूपमें, ४८९; –और देशी राज्य, ३३२-४; –और यहूदी, १५३-६; –और सविनय अवज्ञा, ४६, ४८, ४९, ४५०; –कमजोरोंके लिए, ४२८; –का मर्म, १८१; –के लिए कष्टसहनकी क्षमता जरूरी, ४८०, ४८३; –जीवनका एक तरीका, ४५०; –दक्षिण आफ्रिकामें, १८६, २२६; –ब्रिटिश भारतमें, ४६१; –राजकोटमें, १७३; देखिए 'सविनय अवज्ञा' भी
सत्याग्रही, १३, ४६; –और त्याग, १६६; –और कष्ट-सहनकी अपरिमित क्षमता, ४९३; –और साधन तथा साध्य, २१८
सप्रू, तेजबहादुर, २६
समाजवादी, –और उत्पादनके साधनोंका सामूहिक स्वामित्व, १२५-६; –और कांग्रेस, २१४-५; –और रचनात्मक कार्यक्रम, ७५; –और हिंसा, १२६-७; –और हिन्दू-मुस्लिम एकता, २६६
समानता, –कानूनकी नजरमें, १००
सम्पूर्णानन्द, २९४, ४०३
सरकार, नलिनी रंजन, २४०
सरधार, –में बन्दियोंके साथ अमानुषिक बर्ताव, ४९८-९
सरस्वती, १९, ४२, १४२, २३२, २६२, ३८९, ३९०
सरूपबहन, देखिए पंडित, विजयलक्ष्मी
सर्वोच्च सत्ता, –और देशी राज्य, ३९०-३, ४४४; –का देशी राज्योंकी प्रजाके प्रति कर्तव्य, ३६६; –का राजकोटकी जनताके प्रति कर्तव्य, ३८२-३, ४०५; देखिए 'देशी राजा' भी
सवजी, ७४

सविनय अवज्ञा, १३१; –और अहिंसा, ४६, ४९, –और रचनात्मक कार्यक्रम, २२२; –और विद्यार्थी, १४८; –और सत्याग्रहके बीच अन्तर, ४८, ४९, ४५०; –का स्थगन, २३८; –के दौरान जब्त की गई जमीनें और उन्हे लौटानेवाला विधेयक, ३९-४०
सहकारी आन्दोलन, ३२६-७
सांगली, –मे दकनकी रियासतोंकी जनताका सम्मेलन, ५०३-४
साम्प्रदायिक एकता, –और संघ-व्यवस्था, ४९१; –स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए जरूरी, १९४
साम्प्रदायिक निर्णय, –के प्रति रोमन कैथोलिको और प्रोटेस्टेटोंका रुख, १८४
साम्यवादी, –और उत्पादनके साधनोका सामूहिक स्वामित्व, १२५-६; –और कांग्रेस, १२३-६; –और हिंसा, १२६-७; –और हिन्दू-मुस्लिम एकता, २६६
साराभाई, मृदुला, २५५, २५६, २६३, ३३५, ३६०, ३७१, ३७८, ४६२, ४७३, ४७७, ५१८
साहित्य, –में अश्लीलता, ७९
सिख, –और कृपाण, २
सिंह, रायकुमार, २३
सिवैस्टियन, १८२
सियानी, –में प्रजामण्डलके कार्यकर्ताओंकी पिटाई, ४८२-३
सीकर, –के कैदियोंकी रिहाई, ३१०, ३११; –के रावराणा, ३८६; –में संकट, ३११
सीता, –पवित्रताका आदर्श, ३३०
सीतारमय्या, पट्टाभि, २५१, २५४, ३९६, ४९०, ४९१
सीमाप्रान्त अपराध विनियमन अधिनियम, ६२
सुन्दर प्रसाद, ४८७
सुरेशसिंह, ४६९
सुलताना, ४६९
सूरदास, २७
सेंट-जॉन, सर डब्ल्यू० वीकम, ३३१, ३३६, ३६२, ३७०, ३८६, ४५१; –और जयपुरमें सविनय अवज्ञा, ३९८, ४४४; –की चुडगरसे भेंट, ३४९, ३८७-९; –को पदसे हटानेकी माँग, ३८९; –द्वारा जमनालाल बजाज और जयपुर राज्य प्रजामण्डल का विरोध, ३६६, ३७२
सेगाँव, –मे बीमारियाँ, ९४
सेलम, –मे मद्य-निषेध, १५१, २४३-४
सेसिल रॉथ, १५७
सोप्टेकर, ९
सोमाभाई, ६
सोलन, —और क्रीसस, ११६
स्काउट, –और कवायद, २५७-९
स्टीवेन्सन, ३०६
स्टेट्समैन, ३०४, ३०७, ३६८, ४५६
स्पीगल, मार्गरेट, २०२, २३१
स्मट्स, जनरल, ३३
स्मिथ, डॉ०, २२२
स्मिथ, सेलिस्टीन, २३३
स्वदेशी, –और खादी, ९७, –की परिभाषा, ४७७-८
स्वराज्य, –और कताई, २८३; –और कांग्रेस में भ्रष्टाचार की समाप्ति, १०९; –और खादी, ९७, १३८-९, १४८-९, २७५; –और ग्रामोद्योग, २८३, –और रचनात्मक कार्यक्रम, १३१, २६९; –और सविनय अवज्ञा, २६८-९; –और साम्प्रदायिक मनमुटाव, ३६३; –और हिंसा, ३१५, ३३४; –की परिभाषा, ४७७-८

ह

हकसर, कैलाश नारायण, –के विचार प्रजामण्डलोंके बारेमें, ३९२
हरध्यानसिंह, ८७
हरिजन, १, २१, ५४, ७८, ८०, ८९, १०१, १०२, १०७, १३५, १४१, १५९, १६३, १७१, २०१, २०३, २१४, २४३, २६४, २७२, २७७, ३३४, ३३५, ३६१, ३७८, ३८४, ३९४, ३९६, ४१६, ४२२, ४२८, ४५४, ४५५, ५०७
हरिजन, ३२, ९८, ९९, ४३३; –उ० प० सीमाप्रान्तमें, ९६; –[ों] का उद्धार, ८२
हरिजन आश्रम, ३५३
हरिजनबन्धु, २००, २६७
हरिजन-सेवक, २०३
हरिजन सेवक संघ, ४२७
हसन अब्दाल, ११०
हॉज, रेवरेंड, ३३०
हॉडसन, एच० वी०, २६५
हॉफमेअर, १८७
हॉबहाउस, एमिली, –द्वारा युद्धके दौरान बोअर लोगों की मदद, २९७
हार्डीकर, डॉ०, २६४
हार्वे, मेजर, –के विचार प्रजामण्डलोंके बारेमें, ३९२
हॉलैन्ड, –में लाठी-चार्ज, ४०५
हाशा, एमिल, ७७ पा० टि०
हिंगोरानी, आनन्द तो०, ६०, १६५
हिंगोरानी, विद्या आ०, ६०, १६५
हिंसा, –और कांग्रेसी, १२४; –और समाजवादी, १२६-७; –और साम्यवादी, १२६-७
हिगिनबॉटम, श्रीमती, ४६५
हिटलर, एडॉल्फ, १५, ३४, १३२, १८८, २१२, २२६, २२७, ३८७; –द्वारा यहूदियोंपर अत्याचार, १५४-५, ३०५-६, ४२२
हिन्द स्वराज्य, ६६, १०७
हिन्दी/हिन्दुस्तानी, –और उर्दू, २५-७; –कांग्रेस के कामकाजकी भाषा, २५; –के विरुद्ध आन्दोलन, २६४; –मद्रासके विद्यालयों में, २६० पा० टि०, २६४; –राष्ट्रभाषाके रूप में, २४३; –सीखनेकी खुदाई खिदमतगारोंको सलाह, ४
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, –द्वारा उर्दू और देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दीकी परिभाषा तथा हिन्दुस्तानीकी कांग्रेसवाली परिभाषा एक समान, २७
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३६८, ३९६, ३९८, ४५३, ४५४
हिन्दू, ५१५, ५१८
हिन्दू, २६, २७, ३५, ८९, ९०, ९३, ३५५, ३९८; –और संस्कृतका अध्ययन, ४२५
हिन्दू-धर्म, २७; –और अस्पृश्यता, १५३; –और ईसाई-धर्म, ४६७
हिन्दू महासभा, २६८, ३४२; –और हैदराबादमें सविनय अवज्ञा, ४५०-१
हिन्दू-मुस्लिम एकता, २२९-३०; –और खुदाई खिदमतगार, ८२, ८९-९०; –और महिलाएँ, २५४; –और शौकत-अली, २२९; –और समाजवादी, २६६; –और साम्यवादी, २६६; –स्वराज्यकी अनिवार्य शर्त, ६५-६
हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ३२, ३४२, ३५४; –और कांग्रेस, २६६; –पर जाकिर हुसेनकी यादी, २९४
हिन्दू सिविल लिबर्टीज यूनियन, हैदराबाद, २६८
हिसार, –में अकाल, १३५

हुसेन, जाकिर, १७४, ३०८, ४०३; –द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर यादी, २९४
हूटन, सर्जन-जनरल, ४६६
हेगची ताओ, डॉ०, १३५; –और जन-शिक्षा आन्दोलन, ८२
हैवर. विशप, २७९
हैदरावाद, –मे सत्याग्रह, २६८; –मे सत्याग्रह और वाहरके स्वयंसेवक, २६८-९; –मे सत्याग्रह और रचनात्मक कार्य, २६९; –मे सत्याग्रहका स्थगन, २६८, २६९, २७४, ३४१-२, ४५०, ४८९; –मे हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ३४२
हैदराबाद राज्य कांग्रेस, ४८७, ४९७; –और सत्याग्रहका स्थगन, ४५०-१; –की गतिविधियाँ, २६८
हैदरी, अकवर, २७४, ३२२, ३४१, ४८७, ४९७
हैरिसन, अगाथा, ४७, ९२, १०५, १३६, १३७, २४८, २७६; –की वाइसरायसे भेंट, १७८
होम्स, जॉन हेन्स, २७७